अष्टम माला, खंड 37, अंक 24

सोमवार, 28 मार्च, 1988
8 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

LIBRARY
59
4/10/88

(खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 28 मार्च, 1988/8 चैत्र, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 22, पंक्ति 7 के आरंभ में "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 22, नीचे से पंक्ति 9, "कल्वर" के स्थान पर "कल्चर" पढ़िये।

पृष्ठ 38, पहली पंक्ति "उतदन" के स्थान पर "उत्पादन" पढ़िये।

पृष्ठ 50, पंक्ति 2, "सोवियत" के स्थान पर "सोवियत संघ" पढ़िये।

पृष्ठ 71, पंक्ति 15, "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 91, पंक्ति 9 और 11, "सौदों के" के स्थान पर "सौदों में" पढ़िये।

पृष्ठ 158, नीचे से पंक्ति 6, "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 181, पंक्ति 17, "श्री गुसदास कामत" के स्थान पर "श्री गुरुदास कामत" पढ़िये।

पृष्ठ 208, नीचे से पंक्ति 9, "श्री एम०बी० सिदनाल" के स्थान पर "श्री एस०बी० सिदनाल" पढ़िये।

पृष्ठ 209, नीचे से पंक्ति 12, "बोकरो" के स्थान पर "बोकारो" पढ़िये।

पृष्ठ 214, पंक्ति 11, "श्री इन्द्रजीन गुप्त" के स्थान पर "श्री इन्द्रजीत गुप्त" पढ़िये।

पृष्ठ 221, पंक्ति 4, "डा० बी० एस० शैलेश" के स्थान पर "डा० बी० एल० शैलेश" पढ़िये

पृष्ठ 309, नीचे से पंक्ति 16, "श्री हरि कृष्णा शास्त्री" के स्थान पर "श्री हरि कृष्ण शास्त्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 312, नीचे से पंक्ति 10, "(क)" के स्थान पर "(ज)" पढ़िये ।

पृष्ठ 331, पंक्ति 16, "श्री वक्कम पुरुत्तजोमन" के स्थान पर "श्री वक्कम पुरुषोत्तमन" पढ़िये ।

पृष्ठ 347, पंक्ति 15, "5796/88" के स्थान पर "5799/88" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 37, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 24, सोमवार, 28 मार्च, 1988/8 चैत्र, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
डेनमार्क के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 471, 475, 478 और 481 से 483 (28-3-88)	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—343
तारांकित प्रश्न संख्या : 451 से 465 और 467 से 470 (25-3-88) 472 से 474, 476, 477, 479, 480, 484 से 490 और 365 (28-3-88)	20—44
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4721 से 4741, 4743 से 4785, 4787 से 4796, 4798 से 4931, 4933 से 4935 और 4937 से 4954 (25-3-88)	44—209
4955 से 4958, 4960 से 5001 और 5003 से 5134 (28-3-88)	209—342
सभा पटल पर रखे गए पत्र	343—348
राज्य सभा से संदेश	348
दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षण के उत्तर में 24 मार्च, 1988 को दी गई कतिपय जानकारी में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	349—350
श्री राजेश पायलट	349
नियम 377 के अधीन मामले	350—352
(एक) राजस्थान में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाने के लिए वहां एक और अध्ययन दल भेजना	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	350

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ संख्या
(दो) नवोदय स्कूलों के लिए चुने गए अध्यापकों की राजनैतिक असंबद्धता सुनिश्चित करना	
श्री आई० रामा राय	351
(तीन) दण्डकारण्य प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल	
श्री के० प्रधानी	351
(चार) बिहार को पूर्णिया जिले में सड़कों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	
श्रीमती माधुरी सिंह	351
(पांच) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के लिए वायुदूत सेवा आरंभ करना	
श्री जैनुल बशर	352
(छः) जम्मू तथा कश्मीर को "एक नाला" पर पुल का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	
श्री जनक राज गुप्त	352
तमिलनाडु बजट, 1988-89	353—418
लेखानुदानों की मांगें (तमिलनाडु), 1988-89	418
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु), 1987-88	418
श्री एम० रघुमा रेड्डी	358
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी	362
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	368
श्री एन० डेनिस	372
श्री ए० सी० षण्मुख	375
श्री एन० सुन्दरराज	382
श्री एन० वी० एन० सोमू	387
श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन	394
श्री पी० कुलनदईवेलू	397
श्री एल० बलरामन	403

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री एम० सिंगरावडीवेल	406
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	410
श्री बी० के० गढवी	411
तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	418—419
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	418
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	419
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	419
तमिलनाडु विनियोग विधेयक	420—421
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	420
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	420
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	421
अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक	422—448
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी० चिदम्बरम	422
श्री सोमनाथ चटर्जी	426
श्री बिपिन पाल दास	437
श्री सैयद शाहबुद्दीन	444

लोक सभा

सोमवार, 28 मार्च, 1988/8 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : उन्हें क्या हुआ—राज्य सभा के चुनावों का बुखार ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई अच्छा फीवर ही हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : सदन से बाहर संसद से अतिरिक्त कोई कार्य चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, संसदेतर नहीं है। यह संसदीय है। यह संसद से सम्बन्धित है, ठीक है।

[हिन्दी]

अपने साथी चैम्बर की बात है, खुशी से कबूल करो।

डेनमार्क के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से और सदन के सदस्यों की ओर से मुझे डेनमार्क संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री रवेन्ड जेकोब्सन और डेनमार्क संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों, जो भारत की यात्रा पर आए हैं, का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।

प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य हैं।

1. श्री नुट ऑस्टरगार्ड, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती लिली गिलडेनकिलडे, यह भी उपाध्यक्ष हैं
3. श्री पाल ब्रानस्टेड, यह भी उपाध्यक्ष हैं
4. श्री ओले विग जेनसन, दूसरे उपाध्यक्ष।

अतः आप देखिए, यह एक बहुत उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमंडल है।

श्री डी० एन० रेड्डी : हम उनका अनुसरण क्यों नहीं करते ?

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या उन सबको लाने के लिए आपकी ओर से कोई षडयन्त्र किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए, कई बार कुछ बातें होती हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मित्रों के साथ अच्छे संबंध बना कर रखने का क्या अर्थ होता है। अब आप इसे समझिए और महसूस कीजिए।

श्री अताउर्रहमान : हम और उपाध्यक्ष बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अत: आपने इशारा समझ लिया है। ठीक है।

प्रतिनिधिमंडल रविवार 27 मार्च, 1988 को दिल्ली पहुंचा। इस समय शिष्टमंडल के सदस्य स्पेशल बाक्स में बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास आनन्ददायक और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से डेनमार्क की महारानी, प्रधान मंत्री, सरकार और वहां के मित्र लोगों को भी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पशुओं में खुर और मुंह की बीमारी

[अनुवाद]

*471. श्री एम० रघुमा रेड्डी† :
श्री सीताराम जे० गावली :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकर और अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों तथा अन्य प्रकार के घरेलू पशुओं में खुर और मुंह की बीमारियां अधिक होती हैं जिसके परिणामस्वरूप पूरे कृषक समुदाय को प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये की हानि होती है;

(ख) क्या खुर और मुंह की बीमारी के कीटाणुओं (वायरस) का पता लगाने और इस बीमारी के इलाज के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर टीका विकसित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) बीमारी की रोकथाम और कृषकों को होने वाला नुकसान रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विदेशी और संकर प्रजनित गोपशुओं को खुरपका तथा मुंहपका रोग का अधिक खतरा होता है, जबकि देशी गोपशुओं, भैंसों और अन्य पालतू पशुओं को इस रोग का खतरा कम होता है। एक अनुमान के अनुसार, इस रोग के कारण होने वाली आर्थिक हानि 510 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत में खुरपका तथा मुंहपका रोग के वाइरस की किस्म का पता लगाने के बारे में अध्ययन 1943 से किए जा रहे हैं। बीमार पशुओं के लिए गए नमूनों के विश्लेषण के आधार पर, उत्पादक वाइरस किस्में ओ, ए, सी, और एशिया-I के रूप में अभिज्ञात की गई हैं। इन अध्ययनों के परिणाम-स्वरूप, इन वाइरस किस्मों को सम्मिलित करते हुए चतुः संयोजिक और एक संयोजक टीके बनाए जा रहे हैं और देश में उपयोग किए जा रहे हैं।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता प्राप्त टीकों की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपने विदेशी, संकर-प्रजनित और बहुमूल्य देशी गोपशुओं, भैंसों और भेड़ों की खुरपका तथा मुंहपका रोग से रक्षा कर सकें। देश के चार सुदूर-दक्षिण जिलों में रोग मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 15 जिलों में जिसका केन्द्र नीलगिरी को बनाया गया है, खुरपका तथा मुंहपका रोग की मार्गदर्शी परियोजना के रूप में बड़े पैमाने पर निःशुल्क टीके लगाए जाने की भी व्यवस्था है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रोग वर्ष 1943 से भारत में फैला हुआ है। वर्ष 1943 से इस सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है। किंतु इसके कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकले हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने देश से इस रोग के उन्मूलन के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी साहब, आज के सभी प्रश्न अधिकतर कृषि मंत्रालय और डेरी विभाग से संबंधित हैं, इसलिए यहां उनके विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं······

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह अनुसंधान करने के लिए भारत में कितने अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं?

श्री श्याम लाल यादव : मेरे विचार से माननीय सदस्य को ठीक सूचना नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में वृद्धि हो रही है। अपितु कुछ समय से इसमें कमी हो रही है। वर्ष 1975 में इनकी संख्या करीब 2,76,209 थी और इसमें 709 पशुओं की मृत्यु हुई।

1980 में ऐसे 1,92,116 मामले सामने आए और 1,016 पशुओं की जानें गईं। वर्ष 1985-87 में मामलों की औसतन संख्या कम होकर 98,934 रह गई और केवल 425 पशुओं की मृत्यु हुई।

अतः इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा रहा है। हमने पहली बार दक्षिण जोन के जिलों को लिया है। नीलगिरी के आस-पास करीब 15 जिले और केरल में 3 जिले और तमिलनाडु में 1 जोन लिया गया है ताकि इस रोग का उन्मूलन किया जा सके और एक बहुत बड़ी योजना बनाई

गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, केन्द्र से करीब 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और राज्य सरकार भी इतनी ही राशि खर्च कर रही है। सातवीं योजना में जोन को रोगमुक्त करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार द्वारा भी इतनी राशि का प्रावधान रखा गया है। इसका अर्थ होगा कि इन रोगों के उन्मूलन के लिए करीब 11 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : आंध्र प्रदेश को छोड़कर दक्षिण राज्यों में टीके के लिए अनुसंधान संस्थान हैं। उन्होंने अपने उत्तर में, 3 राज्यों का जिक्र किया है—कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के बारे में आपका क्या विचार है? दक्षिणी प्रदेश के चौथे राज्य को सूची से अलग क्यों किया गया है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश में इस टीके को विकसित करने के लिए अनुसंधान संस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री श्याम लाल यादव : आंध्र प्रदेश को अलग-थलग रखने का कोई कारण नहीं है। लेकिन चूंकि ये स्थान दक्षिणी भाग में हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि पहले "उस भाग से काम शुरू किया जाए।" और धीरे-धीरे हम अन्य क्षेत्रों तक जायें।

दूसरा कारण यह था कि पतन से मांस और अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इसलिए पहले उन क्षेत्रों को मुक्त करना था। इसलिए ऐसा किया गया और ऐसे केन्द्र इन रोगों का पता लगा रहे हैं तथा इसके विषाणुओं का पूरे देश में पता लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश को सूची से बाहर रखने में ऐसी कोई परेशानी नहीं है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? केवल आंध्र प्रदेश को ही क्यों छोड़ा गया?

श्री श्याम लाल यादव : जैसा कि मैंने कहा, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत हम केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत तक अग्रिम धन देते हैं, 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार देती है। इस योजना में आंध्र प्रदेश भी शामिल है।

श्री मदन पांडे : उत्तर भारत में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का रोग बड़े पैमाने पर पशुओं को हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या उत्तर भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों और पशुओं को राहत देने के लिए इस तरह की कोई योजना शुरू की गई है?

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है क्या यह पशुओं को होने वाला एक विशेष किस्म का रोग है। क्या मन्त्री महोदय किसी तरह का टीका आदि विकसित करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों को नियुक्त करेंगे ताकि इसके लिए भी निवारक उपाय किए जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : इनमें से केवल किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री श्याम लाल यादव : यह एक संक्रामक रोग है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस देश में इसकी जानकारी सबको है और लोग अपने परम्परागत तरीकों से इसका इलाज करते रहे हैं। यह रोग विदेशी जानवरों में अधिक होता है। अन्य मामलों में यह इतना खतरनाक नहीं है। मैंने कहा है कि जहां तक इस योजना का संबंध है सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम 11 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। इसमें उत्तरी राज्य भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दक्षिणी राज्यों को लिया गया है।

वहां टीका उपलब्ध है। निःसंदेह यह अधिक महंगा है। एक खुराक की कीमत 2.50 से 3 रुपए तक है। लेकिन यह योजना भी शुरू की जा रही है। छोटे किसानों, सीमांत कृषकों और मजदूरों, जिन्हें आई० आर० डी० पी० योजना और एस० एल० बी० पी० योजना के अन्तर्गत ये गायें और अन्य पशु मिलते हैं, को भी कुछ सहायता दी जाती है। इस तरह उनकी भी सहायता हो जाती है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, कहा जाता है पशु किसान का धन है। लेकिन वास्तव में समूचे भारत में सूखे के कारण किसानों को कठिनाई हो रही है और पशुओं के लिए चारा नहीं है। पशुओं के लिए उचित चारा उपलब्ध नहीं है अधिकांश पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग का होना सामान्य बात है। तमिलनाडु में पशु-चिकित्सा कालेज है, जो एक शताब्दी पुराना है, जो कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। उसमें आनुवंशिकी विभाग है और वह आनुवंशिकी विभाग भी 80 वर्ष से अधिक पुराना है। वे वास्तव में खुरपका और मुंहपका रोगों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं और इनके लिए सही टीका विकसित कर रहे हैं : मेरा प्रश्न है क्या तमिलनाडु में कोई अनुसंधान विभाग बनाया जा सकता है ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय तथा पशु-चिकित्सा कालेज सबसे पुराना है। दूसरी बात गो-वध के बारे में है। आजकल गो-वध आम बात हो गई है। इसका कारण वर्तमान सूखे की स्थिति है और साथ ही गो-वध से उन्हें अधिक आय हो रही है। यही कारण है कि अधिकांशतः सभी स्थानों पर गो-वध पशु-वध किया जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाएगी। महोदय, गायों को पवित्र माना जाता है। हम गाय को ईश्वर के समान मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलू जी, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। लेकिन यह इस प्रश्न के दायरे से बाहर है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वह संबद्ध मंत्रालय से सिफारिश कर सकते हैं। उन्हें पशुओं को बचाना होगा। मेरे अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग अनुसंधान स्कंध से संबंधित है। क्या तमिलनाडु में अनुसंधान स्कंध बनाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, कृपया उनके सुझाव पर विचार कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने यह पूछा था कि क्या एक अनुसंधान स्कंध बनाया जा सकता है। उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। इसे बिना उत्तर दिए मत छोड़िए।

श्री श्याम लाल यादव : महोदय, अनुसंधान कार्य वहां पहले ही से चल रहा है और हमने वायरस का पता लगा लिया है। यह एक सामान्य बात है कि यह वायरस बदलता रहता है। उस तरह से हमने वायरस का पता लगा लिया है। उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास इसके लिए आवश्यक टीके के निर्माण की पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता है। हमारे पास इसकी क्षमता है। कुल मिलाकर 467 लाख खुराकें बनाई जा सकती हैं। लेकिन इस समय हम केवल 155 लाख खुराकों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः ऐसा है। अनुसंधान कार्य या उसके लिए सुविधा की कमी नहीं है। देश में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। चूंकि एक राज्य

से दूसरे राज्य में टीका लाने ले जाने में काफी वक्त लग जाता है, इससे उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। उड़ीसा में इस रोग से बहुत पशु प्रभावित हुए हैं। इसलिए क्या मन्त्री महोदय देखेंगे कि एक केन्द्र उड़ीसा में बल्कि उड़ीसा के कृषि विश्वविद्यालय के पशु-चिकित्सा कालेज में बनाया जाए ?

श्री श्याम लाल यादव : महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि देश में यह टीका बनाने वाली 4 इकाइयां हैं। हमारी कुल क्षमता 467 लाख खुराकें बनाने की है और खपत 155 लाख खुराकों की है। इसलिए इस समय क्षमता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास क्षमता है। दूसरे, मेरे माननीय सहयोगी ने उड़ीसा का जिक्र किया है। वहां भी यह रोग है। लेकिन अन्य परंपरागत तरीकों के द्वारा भी पशुओं का इलाज किया जाता है। उसमें कोई परेशानी नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में गोदामों का निर्माण

[हिन्दी]

*475. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश के पर्वतीय जिलों में खाद्यान्न भण्डारण की अधिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में ऐसे गोदामों का निर्माण किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान इन गोदामों का निर्माण किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डार सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होना तथा चालू वर्ष के दौरान नए निर्माण कार्यों पर प्रतिबन्ध होना पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में निर्माण कार्य शुरू करने में मुख्य बाधाएं थीं। पिथौरागढ़ में अब भूमि व्यवस्था कर ली गई है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण करने के लिए नए निर्माण कार्यों पर प्रतिबन्धों में ढील दे दी गई है। आशा है कि यह क्षमता सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी कर ली जाएगी। अल्मोड़ा में उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम ने निर्माण कार्य शुरू किया है और आशा है कि इसे 1988 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, अनाज का भंडारण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी भंडारण की क्षमता पैदा किए जाने का प्रस्ताव है और देश में जो दूरदराज के अंचल हैं उनके लिए क्या विशेष प्रावधान सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह करने जा रहे हैं ?

श्री डी० एल० बैठा : समूचे यू० पी० हिल एरिया में अभी 80 हजार मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता 11 सेंटर्स में है। इस प्रोग्राम के तहत 45 हजार टन पहले फेज में और बाकी दूसरे फेज में स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी। इसमें खासकर हिल एरिया में बाजपुर नैनीताल में 10 हजार टन कैपेसिटी एस० सी० आई० के द्वारा निर्मित होगी, जिसमें जमीन अभी एक्वायर कर ली गई है और दो फेज में 5, 5 हजार टन का यह बनेगा।

पिथौरागढ़ में जमीन प्राप्त करने की बड़ी कठिनाई थी, मगर अब जमीन उपलब्ध हो गई है और उसमें एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और वहां काम शुरू किया जाएगा। टनकपुर में नैनीताल में सी० डब्लू० सी० के जरिए 10 हजार टन की कैपेसिटी का स्टोरेज बनाया जाएगा, उसी प्रकार काशीपुर, (नैनीताल) में भी 10 हजार टन कैपेसिटी का स्टोरेज तैयार किया जाएगा। श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में भी 5 हजार टन और हलद्वानी में 10 हजार टन, किच्छापुर (नैनीताल) में 10 हजार टन, अल्मोड़ा में 5 हजार टन, गोपेश्वर चमोली में 2500 टन और नये टिहरी, (टिहरी गढ़वाल) में 2500 टन कैपेसिटी का स्टोरेज तैयार किया जाएगा।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पहली बार प्रश्नोत्तर काल में मुझे किसी मंत्री को उनके उत्तर के लिये धन्यवाद देने का मौका मिला।

मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो भंडारण की व्यवस्था पैदा किये जाने की बाबत है, उसमें विशेष तौर से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में क्या यह स्टोरेज व्यवस्था इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी ?

श्री डी० एल० बैठा : जी हां, वही पहले फेज से सातवीं योजना के अन्त तक काम पूरा होगा।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां खासकर अकाल और बाढ़ की स्थिति में बड़ी कठिनाई हो जाती है। और वहां राशन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि ऐसी विशेष प्राबलम वाले इलाके जोकि पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, जैसे ट्राइबल एरिया है, साइक्लोनिक एरिया है और इस तरह से तमाम एरिया:ज हैं, जिनमें बड़े पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं, जो छोटे पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे मध्य प्रदेश में हैं, कर्नाटक में हैं दक्षिण में हैं या जहां भी हैं, क्या प्राथमिकता के आधार पर ऐसी जगहों में जहां कठिनाई आती है, वहां गोदाम बनाने के लिए आप कोई योजना बनायेंगे या आपकी ऐसी कोई योजना बनी हुई है ?

श्री डी० एल० बैठा : अध्यक्ष जी, हमारे यहां यह बराबर कोशिश रहती है कि जहां कोई आकस्मिक दुर्घटना या कोई प्राकृतिक विपदा आ गई है, वहां अन्न पहुंचाने में कोई कठिनाई न आने पाये। ऐसी जगहों की हम पहले से एक योजना तैयार कर लेते हैं। माननीय सदस्य ने अभी जिन जगहों का जिक्र किया है, वहां पर भी हम ऐसी योजना पर विचार करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार हम किसान को गेहूं की खरीद के 172-173 रुपये देते हैं जबकि एक बोरे पर 102 रुपया कास्ट आती है। क्या मंत्री

महोदय कोई ऐसी स्कीम बनाना चाहेंगे जिसमें स्टोरेज की सुविधा किसान के ही पास रखें और जितने दिन उनके पास वह सामान रखें, उसका ब्याज जो आये वह देते रहें ताकि दो हजार करोड़ की कंज्यूमर सबसिडी जो कि एफ० सी० आई० कंज्यूमर के नाम से लेता है, उसको बहुत हद तक बचाया जा सके और उसके बदले में किसान को उसका फायदा हो सके।

श्री डी० एल० बैठा : अध्यक्ष महोदय, एक योजना चलायी जा रही है जिसमें बैंक की ओर से किसानों को अपनी भंडारण क्षमता बनाने की सुविधा दी जाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह मेरा प्रश्न नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : यह पूछना चाहते हैं कि किसान अगर अनाज रख सकता हो और उसके पास वह भंडार की जगह हो तो उसके पास वह अनाज रख दिया जाये और बाद में जब लेना हो तो ब्याज दे दिया जाए। इसके साथ ही उसे अनाज रखने की सुविधा भी दी जाये। बाकी खर्चे के बारे में इन्होंने यह पूछा है कि वह प्रतिशत के हिसाब से उन्हें दे दिया जाए।

श्री डी० एल० बैठा : माननीय सदस्य की तरफ से जो सुझाव आया है उस पर हम विचार करेंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, पसीना बहा कर किसान अनाज पैदा करता है। मैंने अपनी आंखों से अनाज को बरबाद होते हुए देखा है। रेलवे के ओपन वैगनों में जब वह अनाज जाता है तो वह बरबाद होता है और प्लेटफार्मों पर महीनों तक पड़ा रहने की वजह से बरबाद होता है। यही हालत मंडियों व गोडाउन्स में है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एक साल में कितने टन अनाज की बरबादी होती है और एफ० सी० आई० टोटल कितने प्रतिशत खरीदता है।

श्री डी० एल० बैठा : अध्यक्ष जी, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछा जाये।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से सवाल करके पूछिए।

श्री राम पूजन पटेल : अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न भंडारण के लिए बड़ी व्यवस्था सरकार ने की है लेकिन साग-सब्जी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे कि इस समय आलू का समय है और सरकार ने घोषित किया है कि 60-70 रुपये क्विंटल में आलू खरीदा जायेगा। लेकिन आज किसानों का आलू 40 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है। क्या माननीय मन्त्री जी आलू और अन्य साग-सब्जियों के भंडारण के लिये कोई व्यवस्था करेंगे जिससे कि उनके भाव न गिरें और सरकार उनको खरीदकर रख ले व फिर उपभोक्ताओं के पास खाद्यान्नों की तरह उसे भेजती रहे। इससे एक फायदा यह होगा कि उनके भाव बाजार में बढ़ नहीं सकेंगे और किसानों को उनका पूरा लाभ मिलेगा। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

श्री डी० एल० बैठा : यह सवाल मूल सवाल से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर विचार अवश्य कर लेना।

बिनौला उत्पादन

[अनुवाद]

*478. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1987-88 के

दौरान बिनौले का कुल उत्पादन कितना हुआ और विभिन्न राज्यों को बिनौले की कौन-सी किस्म वितरित की गई ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1987-88 के दौरान, प्रमाणीकृत/बेहतर किस्म के बिनौलों का अनुमानित राज्य-वार कुल उत्पादन तथा विवरण निम्न प्रकार है

(क्विटलों में)

क्रम सं० राज्य	उत्पादन	वितरण
1. आंध्र प्रदेश	8078	5700
2. असम	—	70
3. गुजरात	9630	8760
4. हरियाणा	24460	12775
5. कर्नाटक	7739	4740
6. मध्य प्रदेश	1700	8219
7. महाराष्ट्र	28495	74694
8. उड़ीसा	—	289
9. पंजाब	5270	3572
10. राजस्थान	9100	10917
11. तमिलनाडु	2000	3500
12. उत्तर प्रदेश	375	323
13. राष्ट्रीय बीज गोदाम	140	*
14. भारतीय राज्य फार्म निगम	6100	*
अखिल भारत	1,03,087	1,33,559

*राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा उत्पादन किए गए बिनौले गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में दिखाई गई मात्राओं में शामिल किए गए हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती : विवरण से पता चलता है कि बिनौले का कुल उत्पादन 1,03,087 क्विटल तथा वितरण 1,33,559 क्विटल है। इस प्रकार उत्पादन कम हो रहा है और वितरण बढ़ रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? असम राज्य में उत्पादन कम है। क्या सरकार असम राज्य में उत्पादन तथा वितरण को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री श्याम लाल यादव : जहां तक उत्पादन तथा वितरण में अन्तर का संबंध है यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास पहले का बचा हुआ भण्डार उपलब्ध है । हम अनेक राज्यों में बिनौला उगाते हैं । असम में बिनौले की अधिक आवश्यकता भी नहीं है तथा वहां इसकी खेती भी अधिक नहीं होती है । यह प्रमुख रुई उत्पादक राज्य भी नहीं है । यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 1987-88 में प्रयोग के तौर पर बिनौले की कुछ मात्रा वहां रखी गई है । अभी तक असम में हमारे पास कोई ऐसा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जिस पर कपास की खेती की जाती हो ।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय असम में बिनौले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं क्योंकि सरकार ने पहले कुछ बीज वितरित किए थे किंतु जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है वह बिलकुल नहीं हुआ । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या असम में बिनौले के उत्पादन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

श्री श्याम लाल यादव : पहले कुछ बिनौले का उत्पादन किया गया था तथा वहां इसका उत्पादन संभव था । अब वहां इसके उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं है । बिनौले का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां से हमें अधिक मात्रा में तथा प्रामाणिक बिनौला मिल सके तथा उसके बाद इसे दूसरे क्षेत्रों में वितरित किया जाता है ।

श्री डी० एन० रेड्डी : कपास तथा अन्य खाद्यान्नों के बीजों की क्वालिटी घटिया है तथा अनेक मामलों में ऐसे घटिया बीजों के वितरण से किसान बरबाद हो गए हैं । क्या सरकार को किसी राज्य से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि बीज घटिया किस्म के हैं । इस कमी/खराबी को दूर करने के लिए तथा अपेक्षाकृत अच्छे बीज सप्लाई करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इस मामले का अधिकतर सम्बन्ध किसानों से है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि किसी राज्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री श्याम लाल यादव : हमें अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है । देश भर में हमारी 19 बीज प्रमाणीकरण एजेंसियां हैं । इनमें कुछ एजेंसियां उन बीजों की किस्म के सभी पहलुओं की जांच करती हैं जो कि किसानों को वितरित किये जाते हैं । अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कपास के उन अच्छे बीजों के, जोकि हैदराबाद स्थित राजेन्द्र नगर विश्वविद्यालय में उगाए गए थे, के वितरण की जिम्मेदारी लेगी क्योंकि वास्तव में पहले के बीजों में "बोलविविल' नामक बीमारी लग जाती है जिससे पिछले दो वर्षों के दौरान लाखों किसानों की फसलें नष्ट हो गईं । क्या सरकार अच्छे बीजों के वितरण तथा वह भी रियायती मूल्यों पर वितरण के लिए तत्काल कदम उठाएगी ?

श्री श्याम लाल यादव : माननीय सदस्य ने कहा है कि फसलें नष्ट हो गई थीं । इसका मुख्य कारण वे खराब बीज नहीं थे जो उन्हें दिए गये थे अपितु सूखा के कारण ऐसा हुआ था तथा दूसरे कीड़ों ने फसल पर आक्रमण किया था ।

प्रो० एन० जी० रंगा : हैदराबाद में जो अच्छी किस्म के बीज विकसित किए गये हैं वे किसानों को रियायती दरों पर सप्लाई किए जाने चाहिए । मेरा सुझाव यह था ।

श्री श्याम लाल यादव : यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जो बीज विभिन्न एजेंसियों द्वारा

प्रमाणित किए जाते हैं केवल वे ही बीज वितरित किए जाते हैं। चाहे वे बीज इस विश्वविद्यालय से आएं अथवा किसी प्रतिष्ठित फार्म से या किन्हीं अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुए हों।

नागपुर में संतरों के बाग

*481. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सन्तरों के बागों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल उपलब्धता में अत्यधिक कमी होने के कारण बड़ी संख्या में संतरों के पेड़ों के सूख जाने की आशंका है;

(ख) क्या सरकार का नागपुर में सन्तरों के बागों को बचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों सहित एक केन्द्रीय दल भेजने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और सरकार का इस बारे में अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सूखे की स्थितियों के कारण भूमिगत जल में और भी कमी आ गयी है।

(ख) और (ग) सरकार ने निम्न उपाय किये हैं :

(1) 1985 में नागपुर में नीम्बू जातीय फलों के संबंध में एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया, ताकि मुख्यत: नागपुर संतरों की अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(2) सितम्बर, 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के एक दल ने नागपुर जिले में फलोद्यानों का सर्वेक्षण किया तथा इसके प्रभावित संतरों की स्थिति में सुधार करने के उपाय सुझाये थे।

(3) उष्णकटिबन्धीय फलों के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना का एक केन्द्र अकोला में कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है, जो नागपुरी सन्तरों के संबंध में कार्य कर रहा है।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विदर्भ क्षेत्र में नीम्बू जातीय फलों के उत्पादकों के सामने आई समस्याओं की समीक्षा करने के लिये जुलाई, 1987 में अखिल भारतीय ऊष्णकटिबन्धीय फल समन्वित अनुसंधान परियोजना की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था।

(5) महाराष्ट्र सरकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कुंआ बोरिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिये एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित ; अध्यक्ष महोदय, न केवल नागपुर जिला बल्कि पूरे विदर्भ क्षेत्र की एकोनामी इसी सन्तरे की खेती पर निर्भर करती है। वहां के किसानों की खुशहाली संतरे के

भरोसे ही है। अभी नागपुर जिला परिषद ने नागपुर जिले का सर्वे कराया था। वहां की स्थिति इतनी गम्भीर है, वहां के किसानों की हालत इतनी खराब हो रही है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। 17,555 एकड़ जमीन पर वहां संतरा होता है और उसकी खेती केवल कुओं की सिंचाई पर ही निर्भर है। 52 लाख संतरे के झाड़ कुओं द्वारा सिंचाई पर आधारित है, कोई दूसरा साधन नहीं है। और अभी से वहां पर परिस्थति यह हो गई है—यह फरवरी के आखिर की ही रिपोर्ट है—कि 50-60 परसेन्ट कुयें सूख गए हैं और 20-22 मीटर की डेप्थ तक तो पानी ही नहीं है, खोदने से भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वहां पर संतरे के झाड़ समाप्त हो जाने का भय उत्पन्न हो गया है। संतरे की खेती से वहां पर किसानों को करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए की आमदनी होती है जिससे कि उनके परिवारों का निर्वाह होता है। तो उस रीजन की ऐसी चिन्ताजनक परिस्थिति को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर केवल रिसर्च सेन्टर लगा देने से या आफिसर्स भेज देने से किसानों की प्राब्लम साल्व होने वाली नहीं है। वहां पर सरकार का कोई काम नहीं चल रहा है। कितनी ही बार आवाज उठाई गई है लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है उन बगीचों को बचाने के लिए, जिसके कारण 20 हजार संतरे के झाड़ खत्म होने वाले हैं हमारे नागपुर जिले में। ऐसी परिस्थिति में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपकी जो आई० सी० ए० आर० की टीम गई उसकी क्या रिपोर्ट है और आप किसानों के संतरे के झाड़ बचाने के लिए आप क्या मदद करेंगे ?

श्री श्याम लाल यादव : सन् 1987 में जो भयंकर सूखा पड़ा उसका असर इस फल के ऊपर भी पड़ा है लेकिन इसके लिए प्रदेश की सरकार, जो वहां पर कुयें हैं, उनको गहरा करने की स्कीमें चला रही है, और यह काम प्रदेश की सरकार को ही करना है जिससे कि वहां पर पानी मिल सके औरसन्तरे के पौधों को पानी दिया जा सके। इस संबंध में पानी की कोई और व्यवस्था हमारे पास नहीं है और संभव नहीं दीखती है। यह प्रदेश सरकार का ही काम है, वह इसके लिए समुचित व्यवस्था अपने बजट में और अपनी योजनाओं में रखे। यदि इस संबंध में उनकी तरफ का से कोई किसी तरह का अनुरोध हमारे पास आएगा, तो उसको देखा जा सकता है। अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक काम कर सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, पानी बचाने के लिए और उसी पानी को ज्यादा काम में लाने के लिए इरिगेशन या तो ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर हो, उसके लिए सब्सिडाइज कर सकते हैं। यह देश के हित में है, आपके हित में है और सभी किसानों के हित में है।

श्री श्याम लाल यादव : ऐसा प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेज रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार इस पर पहले से ही 50 प्रतिशत छूट दे रही है। दूसरा 50 प्रतिशत उन्हें वहन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब निराशाजनक है। केन्द्रीय सरकार

हाथ ऊपर कर सकती है। मैं बता रहा हूं कि किसान बर्बादी की स्थिति में आ रहा है। वहां की ऐसी स्थिति है। सदन में केन्द्रीय सरकार बोल रही है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां पर टीम ने सर्वे किया है। दो सुझाव हैं—एक, जैसा कि आपने कहा है, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। स्प्रिंकलर के माध्यम से यदि केन्द्रीय सरकार सब्सिडी दे तो उनको कम ब्याज पर कर्जा दें तो यह समस्या हल हो सकती है। दूसरे अंडरग्राउण्ड वाटर है। वहां पर स्टडी हुई है। वह विदर्भ रीजन, नागपुर रीजन में अण्डरग्राउण्ड वाटर एवेलेबिल है। उसका लाभ किसानों को मिले, उसके लिए आप कुछ मदद करेंगे, नहीं तो किसान बर्बाद हो जायेंगे। वहां पर झाड़ खत्म हो जाएगा। नागपुर का का संतरा नहीं मिलेगा। दूसरी जगह का नकली संतरा नागपुर का संतरा कह कर बेचने वाले हैं। वहां की इकोनोमी खत्म हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हम तो अपना हो करके बचेंगे।

श्री श्याम लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, नेशनल रिसर्च सैन्टर को 1985 में कायम किया और उसको 75 लाख रुपए इसी काम के लिए दिए हैं। वह इस बात की जांच करके बताए और सुझाव दे। और बातों के अलावा पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसी तरह का अनुसंधान अकोला एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी में भी हो रहा है। आई० सी० आर० की तरफ से जो सुझाव आए थे और जो वर्कशॉप हुई थी, नेशनल स्तर पर, उस वर्कशॉप ने सिफारिश की और हमने नाबार्ड को भेजा है। मिडियन टर्म लोन 50 रुपए प्रति वृक्ष दिया है। इसी तरह से और जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको दूसरे कर्ज उपलब्ध हों जो कि नागपुर में संतरे की खेती करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ पानी की कमी नहीं है, वहां डाई-बैक भी हो रहा है। मैंने आप लोगों को 1985 में लिख कर भेजा है, आप देखिए।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और पूछने से पहले एक बात की जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरह से नागपुर का संतरा पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसी तरह से मन्दसौर जिले का संतरा भी···

श्री अजय मुशरान : अफीम सुनी थी, संतरा नहीं सुना था।

श्री बालकवि बैरागी : मैं संतरे की बात कर रहा हूं। अफीम की बात नहीं कर रहा हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अफीम और लहसन दोनों बेचते हैं और संतरा भी पैदा करते हैं।

श्री अजय मुशरान : संतरा नहीं, जनाब, मन्दसौर की अफीम सुनी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपको नई बात पता लगी है।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मन्दसौर जिले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिनका वास्ता अफीम से पड़ा हो, उनके लिए मैं क्या करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके कृषि मंत्री रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी : फॉरेस्ट मिनिस्टर भी थे।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की जानकारी में और मंत्रालय की जानकारी में कृपा करके आप एक लकीर खींच लें। कोटा से लेकर श्यामगढ़ तक की पूरी बैल्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश जिसमें मन्दसौर जिला आता है, उसमें भी उतना ही संतरा पैदा होता है। जिस वक्त बनवारी लाल जी नागपुर के संतरे की बात कर रहे थे, तो वहां कमी होती है तो हमारे यहां का संतरा नागपुर के संतरे के नाम से नागपुर में बिकता है। यह इतिहास है। मेरे यहां के व्यापारी इस काम को करते हैं और बनवारी लाल जी ने बताया···

अध्यक्ष महोदय : उनकी गोद में बैठ कर उनकी दाढ़ी नोंचते हैं।

श्री बालकवि बैरागी : हम उनके एडोप्टेड-सन नहीं हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि मैं किसी दूसरे के सन्तरे को रिजैक्ट नहीं करता है, लेकिन मन्दसौर का सन्तरा नागपुर की तुलना में ज्यादा मीठा और ज्यादा विटामिन वाला है। विटामिन, हो सकता है बनवारी लाल जी के पास ज्यादा हो और बैरागी के पास कम हो। यह मैं मानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि···

श्री अजय मुशरान : ये दोनों व्यक्ति पेटी लायें और हम खायें।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संतरे का एडवरटाइजमेंट होना चाहिए लेकिन खाली एडवरटाइजमेंट से बात नहीं बनती है। यह खाली बात नहीं चलेगी। यह सदन बहुत जागरूक है। आप सबको खिलाइए फिर पता लगेगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : दो पेटी मैं लाता हूं और दो पेटी ये लाएं।

श्री नवल किशोर शर्मा : इनका सुझाव स्वागत-योग्य है। हम इसके लिए सदन की कमेटी बना दें।

श्री बालकवि बैरागी : प्रश्न करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कर्नल साहब का पेट यदि तैयार हो, तो मैं पूरी पेटी की पेटी डाल दूंगा। ऐसी बात नहीं है। मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि नागपुर में जितनी खराब हालत सन्तरे के बगीचों की है, उससे ज्यादा खराब हालत मंदसौर जिले और राजस्थान के संतरों के बगीचों की है और लोग अपने बगीचे काट रहे हैं। आपने जो वक्तव्य दिया और जो टिप्पणी की, और आपके अपने उत्तर के स्पष्ट है कि सन् 1987 के बाद में आपके अनुसंधान संस्थान ने किसानों की कोई परवाह नहीं की और फिक्र नहीं की। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अपने चार्ट में मंदसौर और राजस्थान के उस हिस्से को शामिल करेंगे, जहां संतरा पैदा होता है और वहां वही सुविधाएं देंगे जो दूसरी जगह देते हैं। पहले आप स्वीकृति दें और उसके बाद घोषणा करें।

श्री श्याम लाल यादव : पहले मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने यहां मंदसौर का संतरा उसी नाम से बाजार में प्रसारित करें ताकि लोगों को पता चले कि संतरा यहां भी होता है। दूसरा यह है कि संतरे के उद्योग को बढ़ाने के लिए नैशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड ने जो प्रोग्राम 1986-87 में शुरू किया था, उसके लिए 59 लाख 18 हजार रुपये का प्रावधान तीन साल के लिए किया गया है, जिसको जहां भी संतरा पैदा होगा और उसके बागीचे होंगे, उनमें व्यय किया जा सकता है और उससे वे लाभ उठा सकते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंदसौर के लिए इन्होंने पूछा है, उसका जवाब दीजिए।

श्री बालकवि बैरागी : मैंने संतरे की खेती की बात की है, व्यापार की नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन नं० 482, श्री शान्ताराम नायक।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। क्या इनके एरिया में और कोई प्राब्लम नहीं है जो यह प्रश्न पूछा है। पुलिस थाने में रिपोर्ट करके यह प्राब्लम सोल्व हो सकती है। सदन का समय ऐसे नहीं लेना चाहिए।

गोआ में विदेशी पर्यटकों द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं

[अनुवाद]

*482. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ में समुद्र तटों पर विदेशी पर्यटकों द्वारा उत्पन्न की गई नग्नता की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सुझाव दिए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने भी इस संबंध में उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गोआ में समुद्रतटों पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के नग्न स्नान करने की कुछ इक्का-दुक्का घटनाएं राज्य सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ख) जी, नहीं, क्योंकि ऐसी कोई घटनाएं संघ सरकार को सूचित नहीं की गई थीं।

(ग) जी, नहीं।

श्री शान्ताराम नायक : मैंने केन्द्र सरकार से प्रश्न पूछा था और प्रश्न यह था : क्या सरकार को गोआ में समुद्र तटों पर विदेशी पर्यटकों द्वारा उत्पन्न की गई नग्नता की समस्याओं की जानकारी है और उत्तर यह है, गोआ में समुद्रतटों पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के नग्न स्नान करने की कुछ इक्का-दुक्का घटनाएं राज्य सरकार की जानकारी में आई हैं। मैंने माननीय मन्त्री से प्रश्न पूछा था, राज्य सरकार से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण यह है कि यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बधित है।

श्री शान्ताराम नायक : वह चाहते हैं कि आप उन्हें गोआ जाकर वहां आठ दिन ठहरने और स्वयं देखने के लिए कहें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आपके साथ जाना चाहते हैं।

श्री शान्ताराम नायक : विदेशी पर्यटकों को इस देश में आकर्षित करने के लिए भारत

सरकार के पास प्रचार तंत्र है। वे पर्यटकों को यहां उपलब्ध सुविधाएं दिखाने के लिए आमन्त्रित करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को यह स्पष्ट बताने का विचार कर रही है कि गोवा में किसी प्रकार की नग्नता और अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं करने दिया जायेगा और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा ?

श्री गिरिधर गोमांगो : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा···

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप जाना चाहते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : देश में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय घोर प्रयास कर रहा है, लेकिन नग्नता के माध्यम से नहीं। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि क्या हम विदेशों में प्रचार द्वारा नग्नता के विरुद्ध अभियान चलाने पर विचार करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि पर्यटन मंत्रलय की नीति बहुत स्पष्ट है और यह नग्नता को बढ़ावा नहीं देना चाहती है।

श्री शान्ताराम नायक : जब कभी कोई पर्यटक या विदेशी पर्यटक हमारी आन्तरिक सुरक्षा या देश की सुरक्षा के विरुद्ध कुछ करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और उसे वापस अपने देश भेज दिया जाता है। नग्नता भी एक प्रकार से हमारी संस्कृति का अतिक्रमण या उसमें हस्तक्षेप है। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप सुझाव देंगे कि जब कभी नग्नतावादियों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाये तब उन्हें इसी तरह उनके देशों को वापस भेज दिया जाये।

श्री गिरिधर गोमांगो : मुख्य रूप से यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है। जो रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है। महोदय, जब हम कहते हैं कि कभी-कभी ऐसी घटनायें हुई बतायी गयी हैं तो वे राज्य सरकारों द्वारा बतायी गयी है, और राज्य सरकारों ने इस बारे में कुछ कदम उठाये हैं, अर्थात् साइनबोर्ड लगाये गये हैं कि नग्नता एक अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत यह दण्डनीय है और पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। यह कहा गया है कि मामले दर्ज किये गये थे और 1986 में 7 मामले और 1987 में आठ दोषसिद्ध हुए जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, वह मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अताउर्रहमान : वास्तव में यह बहुत ही रुचिकर प्रश्न है। केवल जिस निवारक उपाय का मैं सुझाव दे सकता हूं वह यह है कि जब पर्यटक भारत पहुंचे और एयरपोर्ट के काउंटर पर अपनी रिपोर्ट दे तो उन्हें एक पर्चा हाथ में दिया जाना चाहिए कि उन्हें देश में कुछ भी कहने की अनुमति है, सिवाय···

एक माननीय सदस्य : कुछ भी करने की क्यों ?

(व्यवधान)

श्री अताउर्रहमान : एक पर्चा दिया जाना चाहिए। अगर सरकार मुझे खर्चा देती है तो मैं सादे कपड़ों में वहां जाने को और फोटो प्रस्तुत करने को तैयार हूं। मेरे विचार से नग्न व्यक्तियों के चित्र लेने से नग्नता रुक जानी चाहिए।

श्री गिरिधर गोमांगो : पर्यटक जानते हैं कि देश में कानून है और उनको इसका पालन करना है। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव अच्छे हैं, लेकिन यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह एक राज्य का विषय है और इसे राज्य सरकार को निपटाना है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई

[हिन्दी]

*483. **श्री कम्मोदी लाल जाटव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में व्याप्त सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां खाद्यान्नों का कितना रक्षित भण्डार है और उससे प्रत्येक मास कितनी मात्रा में खाद्यान्न जारी किया जाता है;

(ख) क्या इस भंडार से कमजोर वर्गों और आदिवासियों को खाद्यान्न की सप्लाई की जाती है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और प्रति किलोग्राम किस दर पर दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1-3-1988 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के स्टाक और 1987-88 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और सूखा/विपदा राहत कार्यों के अधीन मध्य प्रदेश राज्य सरकार को खाद्यान्नों के किए गए आबंटनों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(आंकड़े हजार मीटर टन में)

1. 1-3-1988 को स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के स्टाक	चावल	:	514.5*
	गेहूं	:	356.2*

2. 1987-88 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और सूखा/विपदा राहत कार्यों के अधीन मध्य प्रदेश सरकार को किए गए आबंटन

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

	चावल	गेहूं
(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली	330.0	590.0

*अनन्तिम

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	34.5@	82.5@
(ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	40.3@	51.7@
(घ) सूखा/विपदा राहत कार्यक्रम	—	150.0**

@ 24-2-1988 की स्थिति के अनुसार

** अब तक

(ख) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों और आदिवासी बहुल राज्यों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल के वितरण की योजना के अधीन खाद्यान्नों के निर्गम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटनों में से किए जाते हैं।

इस योजना के अधीन, साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्मों के चावल उपभोक्ताओं को क्रमश: 1.85 रु०, 2.08 रु० और 2.23 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर सप्लाई किए जाते हैं। 25-3-1988 से उपभोक्ताओं को 1.64 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं की आपूर्ति की जा रही है। इस तारीख से पूर्व 1.55 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं की आपूर्ति की जा रही थी।

भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, समन्वित आदिवासी विकास परियोजना स्कीम के अधीन मध्य प्रदेश को गेहूं और चावल के निर्गमों की मात्रा 1986-87 के लिए क्रमश: 126420 मीटरी टन और 86552 मीटरी टन तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान 86739 मीटरी टन और 69906 मीटरी टन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कम्मोदी लाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न के इस उत्तर के लिए बधाई देता हूं। साथ-ही-साथ, मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सूखा पड़ा है। आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्ग के इलाकों में गेहूं 1.55 रु० और चावल 1.85 रु० प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो गेहूं 1.55 रु० और चावल 1.85 रु० में दिया जाता है, क्या यह केवल हरिजन और आदिवासियों को ही दिया जाता है या अन्य सभी जातियों को भी दिया जाता है?

श्री डी० एल० बैठा : आई० टी० डी० पी० एरियाज में यह दिया जाता है। वहां जितने भी लोग रहते हैं, चाहे ट्राइबल हों या नान-ट्राइबल हों, सभी को दिया जाता है।

श्री कम्मोदी लाल जाटव : मैंने देखा है, ज्यादातर मुरैना निर्वाचन क्षेत्र में मैंने देखा है कि वहां पर हरिजन और आदिवासियों को गेहूं 1.55 रु० प्रति किलोग्राम से दिया जाता है और दूसरे लोगों को 2.50 रु० प्रति किलोग्राम से दिया जाता है। इसका क्या कारण है?

श्री डी० एल० बैठा : इसका कारण यह है कि यहां से हम लोग जो अन्य राज्य सरकार को

देते हैं—उसका वितरण राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली के जरिए करती है। अगर कोई ऐसी बात है तो माननीय सदस्य लिखकर देंगे और हम राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या स्थिति है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को, जो केवल समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों में रहते हैं, गेहूं और चावल रियायती दरों पर मुहैय्या किये जाते हैं। इसमें केवल वे गांव ही आते हैं जो आई० टी० डी० पी० के अन्तर्गत आते हैं। इन आई० टी० डी० पी० गांवों में कुल 45 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, बाकी 55 प्रतिशत आदिवासी आई० टी० डी० पी० गांवों के बाहर रहते हैं। क्या सरकार सभी आदिवासी लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी चाहे वह आई० टी० डी० पी० गांवों में रहते हों या आई० टी० डी० पी० गांवों से बाहर रहते हों ?

श्री डी० एल० बैठा : वर्तमान नीति, जिसका हम पालन कर रहे हैं, के अनुसार हम आदिवासी और गैर-आदिवासी लोगों को खाद्यान्न भेजते हैं, जो आई० टी० डी० पी० क्षेत्र में आते हैं। जहां तक आई० टी० डी० पी० से बाहर रहने वाले आदिवासी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रश्न है, इसे सम्बन्धित विभागों द्वारा तय किया जाता है। हमारा मंत्रालय सरकार की नीति के अनुसार खाद्यान्न भेजता है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन इसमें केवल 45 प्रतिशत क्षेत्र ही आता है।

श्री अजय मुशरान : महोदय, मध्य प्रदेश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी है। अब भारत सरकार से मध्य प्रदेश को दी जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा गत वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है। मासिक आधार पर भी खाद्यान्न की मात्रा कम दी जा रही है। वितरण प्रणाली के कारण और राज्य सरकार पर उन लोगों का अधिक दबाव होने के कारण जो कि जिला मुख्यालयों के निकट रह रहे हैं, गैर-आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न पर्याप्त नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, चूंकि यह एक ऐसा राज्य है, जहां अधिक संख्या में लोग आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों रह रहे हैं, जो अपनी मांगों के लिए सामाजिक और राजनीतिक दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्या मंत्री जी राज्य को कम मात्रा में दिए जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त उन क्षेत्रों को अतिरिक्त और विशेष कोटा देने के लिए सहमत होंगे।

श्री डी० एल० बैठा : अगर माननीय सदस्य अप्रैल, 1987 और दिसम्बर···की अवधि के लिए उठाये जाने वाले खाद्यान्नों के आंकड़े देखेंगे···

श्री अजय मुशरान : मैं खाद्यान्न उठाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आबंटन के बारे में बात कर रहा हूं। खाद्यान्न को मांग के अतिरिक्त अन्य कारणों से नहीं उठाया जाता है, खाद्यान्न उठाने सम्बन्धी मामला अलग है और हो सकता है कि माल डिब्बों या संचार प्रणाली की कमी आदि के कारण खाद्यान्न न उठाया जा सका हो। मैं खाद्यान्न उठाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं···

श्री डी० एल० बैठा : हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 590 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 330 हजार मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार को भेज रहे हैं। इसी तरह एन० आर० ई० पी० के अधीन···

[हिन्दी]

श्री अजय मुशरान : मैं आम के बारे में पूछ रहा हूं आप अनार के बारे में बता रहे हैं।

श्री डी० एल० बैठा : आप सप्लाई के बारे में पूछ रहे हैं तो अलग से कोई सप्लाई नहीं होती है। जो टोटल रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वह हमें सप्लाई कर देते हैं, उसी में से स्टेट गवर्नमेंट आई० टी० डी० पी० एरियाज के लिए देती है।

श्री अजय मुशरान : इसके लिए स्पेशल कोटा दीजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली शाखा में धोखाधड़ी

[अनुवाद]

***451. श्री विजय कुमार मिश्र :**
श्री मानवेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मन्त्री स्टेट बैंक आफ इंदौर की दिल्ली शाखा में कदाचार के बारे में 25 फरवरी, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैंक में धोखाधड़ी के पकड़े गए मामले की जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) दिनांक 25 फरवरी, 1987 के तारांकित प्रश्न सं० 28 के उत्तर में यह बताया गया था कि स्टेट बैंक आफ इंदौर ने 1983-85 की अवधि में ऋणों के संबंध में कदाचार के दो मामलों की सूचना दी है।

2. एक मामले में जिसमें 28.5 लाख रुपए की रकम अन्तर्ग्रस्त थी, स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उनके द्वारा की गई जांच से यह पता चलता था कि शाखा संबद्ध पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गये स्थानीय चैक खरीद लेती थी और स्थानीय समाशोधन गृह से चैकों के समाशोधन से पहले पार्टी को रकम निकालने देती थी। बैंक के हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से ओवरड्राफ्ट के लिए गारन्टी ले ली गई थी और गारन्टीदाता की संपत्ति का साम्यिक दृष्टिबंधन प्राप्त किया गया था। बाद में सारी रकम ब्याज सहित वसूल कर ली गई थी। स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि चूंकि प्रक्रिया संबंधी इन अनियमितताओं के लिए संबद्ध शाखा प्रबन्धक, लेखाकार तथा सहायक लेखाकार जिम्मेदार पाए गए थे, इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई थी। इस मामले पर विचार करने के बाद और एक अन्य मामले में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण शाखा प्रबन्धक बैंक की सेवा से हटा दिया गया। लेखाकार और सहायक लेखाकार के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है।

3. एक और मामले में, जिसमें 2.17 लाख रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त थी, स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसने 1.58 लाख रुपये की रकम वसूल कर ली है। यह मामला जांच के लिये पुलिस को दे दिया गया है।

दीर्घकालीन चाय नीति संबंधी समिति

*452. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चाय के लिये दीर्घकालीन नीति संबंधी समिति का गठन किया गया है; और

(ख) इस समिति में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा त्रिपुरा से कौन-कौन से प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने देश के लिये चाय हेतु एक दीर्घावधि नीति तथा योजना निर्धारण के लिये एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय स्तर की समिति होने के नाते, चाय उद्योग के सभी क्षेत्रों जैसे कि उत्पादन, निर्यात, अनुसंधान तथा विकास एवं वित्त आदि को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक चाय उपज-कर्ता राज्य को अलग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तथापि, विभिन्न चाय उपजकर्ता क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं की जांच करने के लिए समिति ने अपने में ही कई उप-समूह बनाये हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा त्रिपुरा के लिये उप-समूह में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:—

1. श्री डी० अटल
2. श्री एच० पी० बरुआ
3. श्री बी० बजोरिया
4. श्री एन० सी० कनकानी
5. श्री डी० राय
6. श्री टी० रंगैय्या

शिपिंग क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया द्वारा मात्स्यिकी कंपनियों को दिए गए ऋण की अदायगी की अवधि पुनः निर्धारित करना

*453. **श्री दौलतसिंहजी जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उद्योग में वर्तमान संकट को देखते हुये, शिपिंग क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या शिपिंग क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कम्पनी आफ इंडिया को भी वर्तमान ऋणों की अदायगी की अवधि दो वर्ष से अधिक करने के लिये कोई मार्गनिर्देश दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं जबकि बड़ी नौवहन कंपनियों को उदार शर्तों पर ऋण दिया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के ट्रालर खरीदने के वास्ते भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति द्वारा (जो अब समाप्त कर दी गई हैं और जिनकी परिसम्पत्तियां और देयताएं दिनांक 3-4-1987 से भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली गई हैं) दी गयी ऋण सहायता तथा भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी द्वारा दी गई सहायता में आमतौर पर, पोत की सुपुर्दगी की तारीख से एक वर्ष तक के लिये मूल धन के सम्बन्ध में अधिस्थगन की व्यवस्था होती है।

ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों और उनके ब्याज की किस्तों की अदायगी को स्थगित करने/अधिस्थगित करने का अनुरोध किया गया है। ये अभ्यावेदन भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी को विचारार्थ भेज दिये गये हैं। सभी वर्तमान बकाया रकमों के पुन-र्निर्धारण के लिये, सरकार द्वारा भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी को कोई सामान्य अनुदेश जारी नहीं किये गए हैं।

भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिए अनुदान

*454. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भूमिगत जल के सर्वेक्षण के लिये राज्यों और विकास एजेंसियों को कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 1987-88 में कितनी धनराशि की सहायता दी गई; और

(ग) क्या खेती तथा ग्रामीण और शहरी जनता के पीने के प्रयोजनार्थ भूमिगत जल की आवश्यकता को देखते हुए दी गई सहायता पर्याप्त है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1987-88 के दौरान महाराष्ट्र राज्य को अब तक राज्य लघु सिंचाई संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 30 लाख रुपए तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 32.65 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

बांधों के बारे में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चर हैरीटेज की कार्यशाला

[हिन्दी]

*455. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "आई० एन० टी० ए० सी० एच० वर्कशाप आन डैम्नस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चर हैरीटेज (आई० एन० टी० ए० सी० एच०) की कार्यशाला में, भारत में बड़े बांधों को बनाने की वांछनीयता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला; और

(ग) सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बड़े बांधों की आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावर्णिक सुरक्षा तथा सामाजिक स्वीकार्यता जैसे पहलुओं की सघन जांच की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(ग) चल जलीय संरचनाओं के आकार का निर्धारण जल विज्ञान, स्थलाकृति, भूवैज्ञानिक परिस्थितियों, किसानों की जरूरतों, पर्यावर्णिक महत्वों तथा परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता जैसे बहुत से तथ्यों के आधार पर किया जाता है। किसी परियोजना को क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति देने से पहले इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

हीरों और आभूषणों का निर्यात

[अनुवाद]

*456. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान हीरों और आभूषणों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1987 के दौरान कितने मूल्य के हीरों और आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ग) इन मदों के मुख्य निर्यातकों के नाम क्या हैं;

(घ) इन मदों का किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं और वर्ष 1988-89 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1987-88 के दौरान पालिश किए हुए हीरों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य 1900 करोड़ रुपये है और स्वर्णाभूषणों के लिये 100 करोड़ रु० है।

(ख) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान हीरों का निर्यात 1668 करोड़ रु० का तथा स्वर्णाभूषण का 65 करोड़ रु० का होने का अनुमान है।

(ग) हीरों तथा स्वर्णाभूषणों के कतिपय मुख्य निर्यातकों के नाम संलग्न विवरण-1 में दिये गए हैं।

(घ) उन कतिपय प्रमुख देशों के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं जिन्हें 1986-87 के दौरान हीरों तथा स्वर्णाभूषणों के निर्यात किए गए थे।

(ङ) रत्न तथा आभूषण निर्यात नीतियों में उद्यमियों के लिए व्यावहारिक ढांचे की व्यवस्था करने के लिये निरन्तर परिवर्तन किया जाता रहा है जिससे कि निर्यात प्रोसेसिंग जोनों तथा विशेष निर्यात अभिमुख काम्पलैक्सों में आभूषण निर्मित करने सम्बन्धी सुविधाओं सहित विश्व बाजार में और

अधिक हिस्सा प्राप्त किया जा सके। 1988-89 के दौरान इस क्षेत्र में निर्यात सम्बन्धी लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-1

पालिस किए हीरों के कतिपय प्रमुख निर्यातकों के नाम

1. मैसर्स एवरेस्ट जैम्स, बम्बई
2. मैसर्स बी० विजयकुमार एण्ड कं०, बम्बई
3. मैसर्स सूरज डायमण्ड इंडिया (प्रा०) लि०, बम्बई
4. मैसर्स बी० अरुणकुमार एंड कं०, बम्बई
5. मैसर्स गीतांजली एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन, बम्बई

स्वर्णाभूषण के कतिपय मुख्य निर्यातकों के नाम

1. मैसर्स पोपले केवलराम घनश्यामदास ज्वैलर्स, बम्बई
2. मैसर्स ज्वैलर्स नारायणदास एंड संस, बम्बई
3. मैसर्स सुबोधचन्द्र एंड कम्पनी, बम्बई
4. मैसर्स पी० एम० द्वारकादास, बम्बई
5. मैसर्स यूसुफ फजलुसेन जावेरी, बम्बई

विवरण-2

वे प्रमुख बाजार जिन्हें 1986-87 में हीरों तथा स्वर्णाभूषण के निर्यात किए गए

हीरे	स्वर्णाभूषण
1. संयुक्त राज्य अमरीका	1. युनाइटिड अरब अमीरात
2. जापान	2. कुवैत
3. हांगकांग	3. ब्रिटेन
4. बेल्जियम	4. दुबई
5. स्विटजरलैंड	5. सं० रा० अमरीका

अनिवासी भारतीयों द्वारा "केनशेयर" और "केनस्टाक" की खरीद

*457. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :
श्री रेणु पद दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा "केनशेयर" तथा केनस्टाक" में पूंजी निवेश के लिए अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए "केनशेयर" और "केनस्टाक" पर कर वसूल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अप्रत्यावर्तन आधार पर "कैनशेयर और कैनस्टाक" में अनिवासी भारतीय निवेश के लिए स्वीकृति दे दी है।

(ग) और (घ) अनिवासी भारतीयों को "कैनशेयर और कैनस्टाक" में निवेश से जो आय प्राप्त होगी उस पर सामान्य दरों से आयकर लगेगा। तथापि स्रोत पर कर की कटौती नहीं होगी।

ऋण मेले

*458. **श्री मानिक रेड्डी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऋण मेलों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की तरीके पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में कोई सुझाव दिया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) कमजोर वर्गों को अधिक ऋण प्रदान करने के समग्र कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण मेले आयोजित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1986 में ऋण मेलों पर एक नमूना सर्वेक्षण किया था। उस समय प्राप्त सूचना के आधार पर और उसके बाद से बैंकों द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। कमजोर वर्गों को ऋण मंजूर करते समय बैंक, इस प्रयोजन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और मार्गनिर्देशों का पालन करते हैं।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

*459. **श्री जी० आई० पटेल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनराशि की कमी के कारण कुछ शिखर गृह-निर्माण सहकारी वित्त समितियां प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों को उनके सदस्यों, विशेषकर निम्न आय वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए आवश्यक ऋण देने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने और धनराशि की उनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कारंवाई की है;

(ग) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम को भविष्य में शिखर गृह निर्माण सहकारी वित्त समितियों को और अधिक ऋण देने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य बिभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ ने सहकारी क्षेत्र में गृह निर्माण कार्यों में वृद्धि करने के लिए उनके सामने पेश आने वाली वित्तीय बाधाओं को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ध्यान में ला दिया था। आवास के लिए निधियों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि वे आवास के लिए अपने उधारों की राशि को 150 करोड़ रुपए के विद्यमान स्तर से बढ़ा कर 1988 के अन्त तक 225 करोड़ रुपए कर दें। एक राष्ट्रीय आवास बैंक की भी शीघ्र ही स्थापना की जाएगी और इस बैंक के माध्यम से ग्रामीण आवास के लिए 100 करोड़ रुपए का आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है। भारतीय जीवन बीमा निगम, व्यक्तिगत प्राथमिक आवास सहकारी समितियों के साथ सीधे ही कारोबार नहीं करती है। तथापि, जीवन बीमा निगम राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनकी आवश्यकताओं तथा सामाजिक प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों, अर्थात् आवास, बिजली, जलपूर्ति और मल निकासी, सड़क परिवहन आदि को आबंटन किए जाने के लिए जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध निधियों की सीमा के आधार पर उचित रूप से उधार देती है। जीवन बीमा निगम के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में शीर्ष समितियों को छोड़ कर जिनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, कुल मिलाकर अन्य शीर्ष समितियों की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो सका है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में इन तीन शीर्ष समितियों के लिए भी जीवन बीमा निगम ने प्रत्येक समिति को चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपए की राशि के ऋण मंजूर किए हैं।

तस्करी का सामान पकड़ने वाले सीमा-शुल्क अधिकारियों को पुरस्कार

[हिन्दी]

***460. श्री राज कुमार राय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तस्करी का सामान पकड़ने वाले सीमा-शुल्क अधिकारियों को पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या यह धनराशि किसी विशेष अधिकारी को दी जाती है अथवा वह दल के सभी सदस्यों में बांट दी जाती है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में अधिकतम धनराशि पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विगत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क अधिकारियों को दिए गए नकद पुरस्कार की राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1985	2.82
1986	7.14
1987	5.21

(ख) किसी विशेष मामले में दिए गए नकद पुरस्कार की राशि दल के सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दी जाती है। यह राशि प्रत्येक सदस्य द्वारा माल के अभिग्रहण किए जाने में उनके द्वारा अदा की गई भूमिका के आधार पर दी जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने नकद पुरस्कार की सबसे ज्यादा राशि प्राप्त की, उनका ब्योरा निम्नानुसार है :—

कार्य का नाम तथा पदनाम	राशि
1. श्री जे० ई० ए० सल्डाना सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय की बम्बई इकाई।	13,83,150 रुपये
2. श्री सी० के० मायेकर अधीक्षक, एम० पी० स्कंध, सीमा-शुल्क समाहर्ता (निवारक) बम्बई।	8,78,450 रुपये
3. श्री० एस० विश्वनाथन, निवारक अधिकारी, सीमा-शुल्क गृह, मद्रास।	7,49,040 रुपये

कावेरी जल-विवाद

*461. श्री एन० डेनिस :
श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

[अनुवाद]

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कावेरी जल-विवाद को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस विवाद को हल करने में बहुत अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विवाद को हल करने के लिए सरकार के कोई विशिष्ट प्रस्ताव हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री बिनेश सिंह) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार सोहार्दपूर्ण समझौता करवाने के लिए प्रयास करती रही है जिसके वास्ते मन्त्री तथा अधिकारी स्तरों पर कई बैठकें आयोजित की गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने जुलाई, 1986 में औपचारिक रूप से जो विवाद उठाया था, वह विचाराधीन है।

कर्नाटक की ऊनी कपड़ा मिलों को धागे की सप्लाई

*462. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की ऊनी कपड़ा मिलों को आज तक पिछली तीन तिमाहियों में धागे की कोई मात्रा सप्लाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जितना धागा सप्लाई किया गया वह आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऊनी मिलों को यार्न वितरित करने सम्बन्धी कोई सरकारी योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरी उद्योग द्वारा निर्यात

*463. **श्री मानिक सान्याल** :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये निर्यात का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले तीन वर्षों के लिए इंजीनियरी सामान के निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंजीनियरी क्षेत्र को दी गई राज सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इंजीनियरी निर्यात निम्नलिखित है :—

अवधि	मूल्य करोड़ रु० में
1985-86	1095.41 (अ)
1986-87	1150.00 (अ)
1987-88 (अप्रैल, 87-जनवरी, 88)	940.00 (अनु)
	अ पी : अनन्तिम अनु इ : अनुमानित

(ख) 1987-88 के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा इंजीनियरी निर्यात का निर्धारित लक्ष्य 1450 करोड़ रु० का है। 1988-89 और 1989-90 के लक्ष्य अभी निश्चित नहीं किए गए हैं।

(ग) इंजीनियरी निर्यातकों के सामने आ रही कुछ विशिष्ट कठिनाइयों के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें अन्य बातों के साथ करों में छूट न मिलने तथा देशी करों के प्रपाती प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए नकद मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी और मोडवेट, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अदायगी योजना के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात, एल्यूमीनियम और पिग आयरन की सप्लाई शामिल है।

नकदी फसलों के लिए निर्यात प्रोत्साहन

*464. श्री तम्पन थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची, काली मिर्च और अदरक जैसी नकदी फसलों के निर्यात के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गये हैं और इन उत्पादों पर उपकर वसूल करने का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) उपकर वसूल करने का प्रयोजन क्या है; और

(ग) इससे कितनी आय हुई है ?

वित्त मन्त्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) निर्यात प्रोत्साहनों में शामिल हैं : पैकिंग सामान की प्रतिपूर्ति के लिए आयात लाइसेंस, नकद मुआवजा सहायता, पैकेजिंग ऋण आदि। मसाला उपकर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपकर लगाया जा सकता है। उपकर के मौजूदा स्तर 1.5% से 3.5% के बीच वसूल किये जा रहे हैं, जोकि मसाला मद पर निर्भर करते हैं तथा उपकर से प्राप्त आय मसाला बोर्ड के कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मसालों के निर्यात का समर्थन करना शामिल है।

(ग) मसाला उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उपकर की अनुमानित वसूली का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नकद फसल के लिए निर्यात प्रोत्साहन

सभा पटल पर रखे जाने के लिए

मद	अनन्तिम निर्यात आंकड़े नवंबर-फरवरी 88	मार्च 1988 के लिए अनुमानित निर्यात	नवंबर 1 से मार्च 88 के लिए अनुमानित निर्यात	1-11-87 से 5-11-87 के लिए अनुमानित निर्यात	6-11-87 से 31-3-88 के लिए अनुमानित निर्यात	उपकरण की दर	वित्तीय वर्ष के दौरान उपकर का अनुमानित संग्रह
काली मिर्च	5536	1384	6920	231	6689	3.5%	234.11
सौंठ	142	35	177	6	171	1.5%	2.57
हल्दी	258	65	323	11	312	1.5%	4.68
विविध मसाले इलायची को छोड़कर अन्य	186	46	232	8	224	1.5%	3.36
	अप्रैल-मार्च, 88 के दौरान अनुमानित निर्यात					योग	244.72
						3%	13.59
						रु०	258.31 लाख

कृषि उपज पर बैंक ऋण

*465. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैंकों को यह सलाह देने का विचार है कि वे किसानों को बाजार में मूल्यों में सुधार होने तक उनकी फसल गिरवी रखकर ऋण प्रदान करें ताकि उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आमतौर पर किसानों की कृषि उपज गिरवी रख कर तथा अनुमोदित मालगोदामों में रखी ऐसी उपज की रसीदों के बदले ऋण देते हैं । इसे देखते हुए, इस संबंध में बैंकों को फिलहाल कोई और निदेश देने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती ।

बकाया आय कर की वसूली

*467. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार ऐसे व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, कम्पनियों तथा अन्य निकायों का ब्योरा क्या है जिनसे एक करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की आयकर की बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जिन व्यक्तियों, अविभाजित हिन्दू परिवारों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं के खिलाफ 31-12-1987 की स्थिति के अनुसार आयकर मांग की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया थी, उनके बारे में ब्योरा नीचे दिया गया है।—

स्थिति	संख्या
व्यक्ति	.63
अविभाजित हिन्दू परिवार	3
कंपनियां	181
अन्य संस्थाएं	36
जोड़	283

इन मामलों में 1183 करोड़ रुपये की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त थी ।

इस मांग की वसूली के लिए उठाए गए कदमों में अर्थदंड देना, बैंक खातों आदि की कुर्की करना और वसूली प्रमाणपत्र जारी करना जिससे कर वसूली अधिकारियों को परिसंपत्तियों की कुर्की/बिक्री के द्वारा वसूली करने का अधिकार प्राप्त होता है, आदि शामिल हैं । बहुत से मामलों में जिनमें कर की राशि बकाया पड़ी होती है, उनमें वसूली प्रक्रियाओं का सहारा लेना संभव नहीं होता है क्योंकि

कर-निर्धारितियों के अभ्यावेदन या तो समझौता आयोग के पास ब्याज की समाप्ति अथवा कर-देनदारियों के निपटान के लिये अनिर्णीत पड़े होते हैं या उन पर कर-देनदारी के बारे में अपीलीय प्राधिकारियों के पास अपील करके विवाद चल रहा होता है। अपीलीय प्राधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे इन अपीलों को शीघ्रता से निपटाएं। उचित मामलों में, कर-निर्धारितियों को करों की अदायगी किस्तों में करने की अनुमति दे दी जाती है। इसके अलावा, इन मामलों की हर महीने आयुक्तों, मुख्य आयुक्तों तथा बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक मामले में कार्रवाई की उपयुक्त दिशा निर्धारित की जा सके।

भारतीय साफ्टवेयर का आयात करने वाले देश

*468. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) साफ्टवेयर का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय साफ्टवेयर के लिए नये विदेशी बाजारों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो किन देशों ने भारतीय साफ्टवेयर का आयात करने में रुचि दिखाई है;

(घ) सरकार साफ्टवेयर उद्योग को उचित शुल्क दर पर आवश्यक एवं आधुनिक पूंजीगत उपकरण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार अन्य कौन-सी नीति अपनाने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) विश्व में साफ्टवेयर के प्रमुख आयातक हैं; सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, इटली देश तथा आस्ट्रेलिया। इन देशों के अलावा सोवियत संघ, जापान तथा दक्षिण पूर्व एशिया स्थित देशों ने भी भारतीय साफ्टवेयर आयात करने में रुचि दर्शाई है। इन बाजारों का पता लगाया जा रहा है।

2. सरकार ने दिसंबर, 1986 में एक नई नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजार के समेकित विकास के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय साफ्टवेयर बाजार का और अधिक भाग प्राप्त करना, क्रियाविधि का सरलीकरण तथा कम्प्यूट्रीकरण का संवर्धन करना है। इस नीति को इस प्रकार बनाया जाता है ताकि विभिन्न रूपों में साफ्टवेयर निर्यात को सहायता दी जा सके। इनमें शामिल हैं; चुम्बकीय माध्यम पर अथवा लिखित में भौतिक निर्यात, उपग्रह आंकड़े सम्पर्कों के माध्यम से निर्यात तथा उन स्थानों पर परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था जहां पर विदेशी ग्राहक भारतीय कम्प्यूटर विशेषता का उपयोग करते हैं। इस नीति में विशेष रूप से हार्डवेयर तथा सम्बद्ध साफ्टवेयर के आयात की अनुमति है ताकि नियात बाजारों के सम्बन्ध में साफ्टवेयर के विकास में सहायता पहुंचाई जा सके। इसमें कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1984 के तहत साफ्टवेयर के लिए कानूनी संरक्षण की भी व्यवस्था है।

3. ऐसे अनेक उपाय किए गये हैं जिससे साफ्टवेयर निर्यातकों के लिए उन हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर औजारों को, जिनकी उन्हें शुल्क की समुचित दरों पर आवश्यकता होती है, आयात करना आसान हो सके। ये उपाय हैं :—

(क) आयातित हार्डवेयर पर सीमाशुल्क 60 प्रतिशत यथामूल्य है। एग्जिम बैंक के जांच

किए गए प्रस्तावों के मामले में, जहां पर बैंक परियोजना का वित्तीय तथा तकनीकी अन्वेषण कर रहा है और उसकी प्रगति को मानीटर कर रहा है वहां पर शुल्क के इस स्तर पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ख) हार्डवेयर के आयात एवं कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर प्रणाली पर आधारित कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास के लिये क्रियाविधि को सरल बना दिया गया है। खरीदारी अथवा लीज के तत्काल बाद नई एवं इस्तेमाल शुदा हार्डवेयर के आयात की अनुमति है। निर्यात दायित्व के समुचित स्तरों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जो इस नीति के अन्तर्गत साफ्टवेयर के आयातों का वित्त पोषण करने सम्बन्धी विदेशी मुद्रा के स्रोत पर निर्भर होता है।

इन प्रबन्धों के अतिरिक्त, 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना के अधीन स्थापित एककों अथवा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में स्थित एककों को हार्डवेयर के आयात की शुल्क मुक्त अनुमति होती है। सरकार ने इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से एक अलग इलैक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूटर साफ़्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की है।

बिनौले के तेल और खली का निर्यात

*469. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री बी० बी० रमैया :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिनौले के तेल और खली के निर्यात में कमी आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) बिनौला निस्सारण के निर्यात पर एफ० ओ० बी० मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है।

राजस्थान में हथकरघा विकास परियोजना

[हिन्दी]

*470. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम निधि के अंतर्गत राजस्थान का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में रोजगार के अवसर और ऊनी हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने हेतु उपर्युक्त योजना के अंतर्गत एक हथकरघा विकास परियोजना मंजूर की है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इससे कितने गरीब बुनकरों को लाभ होगा; और

(ङ) यह योजना कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

बस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात की उत्पादन लागत

[अनुवाद]

*472. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में निर्मित इस्पात की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य जापान, अमरीका और अन्य देशों के निर्मित इस्पात की तुलना में कम है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) चूंकि अन्य देशों में इस्पात के उत्पादन की लागत के संबंध में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत के साथ इन देशों की उत्पादन-लागत की तुलना करना संभव नहीं है । तथापि भारत और अन्य देशों में इस्पात के देशीय मूल्य मोटे तौर पर एक जैसे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत में उत्पादन की लागत नियंत्रित करने के लिए मुख्य उत्पादकों द्वारा किए गए उपाय/किए जा रहे उपायों में ये उपाय सम्मिलित हैं—

क्षमता का उपयोग बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उर्जा की बचत सहित तकनीकी आर्थिक निष्पादन में सुधार लाना, उन्नत रखरखाव और उपस्कर का आधुनिकीकरण ।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा "इंस्टेंट" चाय का तैयार किया जाना

473. डा० जी० विजय रामाराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने जिसकी स्थापना डेयरी विकास में अनुसंधान विकास और प्रशिक्षण के लिए की गई थी "इंस्टेंट" काफी के पश्चात् अब "इंस्टेंट" चाय तैयार की है जैसा कि 25 फरवरी, 1988 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या "इंस्टेंट" कॉफी की खोज करने के लिए पहले किसी वैज्ञानिक को पुरस्कार किया गया था; और

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दुग्ध उत्पादन में भी ऐसी ही खोज किए जाने की अपेक्षा है और यदि हां, तो हाल में की गई खोजों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी खोजें की हैं। गाय की अधिक दूध देने वाली दो संकर नस्लों का विकास किया गया है। अच्छी नस्ल चुन कर भैंस का सुधार किया गया है। भैंस की नस्ल को सुधारने के लिए वीर्य को जमाने की तकनीक खोजी गई है। फसलों की छीजन से बढ़िया और पोषक दाना बनाने के तरीके खोजे गये हैं, दाना बनाने के साधनों का विस्तार किया गया है।

रियायती दरों पर खाद्यान्नों के रूप में मजदूरी की अदायगी

***474. श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल राहत कार्य में लगे श्रमिकों को अब उनकी आधी मजदूरी नियंत्रित/रियायती दरों पर खाद्यान्नों अथवा अनाज के रूप में नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सुविधा को पुनः देने के संबंध में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1987 से कार्यान्वित की जा रही भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आवंटन, उनके अनुरोध पर, सूखा राहत के रूप में रोजगार सृजन कार्यों के लिए स्वीकृत अधिकतम व्यय सीमा के 50 प्रतिशत के बराबर की कीमत तक किया जाता है। राज्य सरकारें, वस्तु के रूप में मजदूरी की अदायगी की वास्तविक मात्रा का निर्धारण करने के लिए सक्षम हैं, बशर्ते वे राजस्थान और गुजरात के गम्भीर रूप से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में 3 किलोग्राम प्रति मानव श्रम-दिवस और देश के सूखे से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में 2 किलो ग्राम प्रति मानव श्रम-दिवस की अधिकतम मात्रा के हिसाब से दिया जाए। गम्भीर रूप से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण पर 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से राजसहायता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में राहत कार्य

***476. श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में सूखा तथा बाढ़ से प्रभावित कितने जिलों में राहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ख) इन जिलों में विभिन्न मदों अर्थात सिंचाई, बीज, उर्वरक, खाद्यान्न इत्यादि पर राज-सहायता देने पर खर्च की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) जुलाई, 1987 से मार्च, 1988 की अवधि के

दौरान, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सूखे/बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या इस प्रकार है—

राज्य का नाम	सूखे से प्रभावित जिले	बाढ़ से प्रभावित जिले
राजस्थान	27	—
बिहार	—	30
उत्तर प्रदेश	55	9

प्राकृतिक आपदाओं के आने पर प्रभावित आबादी को राहत प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के कारगर कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में मदद करती है। राहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और उन पर होने वाले व्यय के जिले-वार ब्यौरे संबंधित राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध रहते हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

***477. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित परियोजना के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र निर्धारित समय से काफी पहले उत्पादन शुरू करेगा;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब से उत्पादन शुरू करेगा;

(ग) क्या लागत-प्राक्कलन में भी कोई कटौती हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी नहीं।

(ख) परियोजना के प्रथम चरण में संशोधित युक्तिसंगत धारणा के अन्तर्गत उत्पादन दिसम्बर, 1988 से शुरू करने का कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) मूल धारणा के अनुसार परियोजना की लागत लगभग 7460 करोड़ रुपये (वर्ष 1985 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधार पर) आंकी गई थी। संशोधित युक्तिसंगत धारणा के अन्तर्गत लागत लगभग 6850 करोड़ रुपये (वर्ष 1987 की चौथी तिमाही के मूल्यों के आधार पर) आंकी गई है। इस प्रकार लागत अनुमान में लगभग 610 करोड़ रुपये कम हो जायेंगे।

रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत सस्ती दरों पर गेहूं देना

***479. श्री अनूप चन्द शाह :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत मजदूरों में वितरित करने के लिए सस्ती दरों पर गेहूं देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत वितरण के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई करने का अनुरोध किया था। चूंकि रोजगार गारन्टी योजना राज्य की योजना है, इसलिए इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

भारतीय इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के संबंध में मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के सुझाव

*480. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड ने लघु इस्पात संयंत्रों में उत्पादकता, गुणवत्ता सुधार और ऊर्जा बचत सहित आधुनिकीकरण संबंधी उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) मेकन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि लघु इस्पात संयंत्र अपनी उत्पादकता बढ़ाने, क्वालिटी में सुधार लाने और ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं :

1. उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर, आक्सीजन की सहायता से गलाने वाले आक्सी-फ्यूल बर्नर लागू करना,

2. जल शीतित पैनलों और छतों की स्थापना,

3. सीधे अपचित लोहे का स्तेमाल,

4. पावर फैक्टर करेक्शन उपकरणों की स्थापना,

5. अनुषंगी प्रचालनों का यंत्रीकरण,

6. सतत ढलाई प्रक्रिया, और

7. स्वचलन।

(ग) लोहे और इस्पात के उद्योगों के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते समय उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत वर्तमान लघु इस्पात संयंत्रों की सुविधाएं आधुनिक बनाने में सहायक होंगी जिससे वे ऊर्जा की खपत में कमी कर सकें और उत्पादकता बढ़ा सकें।

तिलहनों का उत्पादन

[अनुवाद]

*484. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मन्त्री तिलहनों के उत्पादन के बारे में 29 फरवरी, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 886 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहन उत्पादन संबंधी प्रमुख परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस परियोजना के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को क्या सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध करायी गई हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : (क) तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (पुस्ट) परियोजना शतप्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से तिलहन उत्पादन करने वाले 14 राज्यों के अभिवृद्धि क्षेत्रों में चार प्रमुख तिलहन फसलों अर्थात् मूंगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी का बिकास करने के लिए 1987-88 के दौरान मंजूर की गई है। बीज उत्पादन/संवर्धन, पौध संरक्षण की व्यवस्था, प्रदर्शनों, मिनिकिट के वितरण, मूंगफली तथा तोरिया-सरसों आदि के लिए कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) योजनावार उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन का संशोधित लक्ष्य 1987-88 के लिए 145 लाख मीटरी टन है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बीज उत्पादन/संवर्धन, बीज के मिनिकिटों के वितरण, प्रदर्शनों, पौध संरक्षण रसायनों तथा उपस्करों, कैल्शियम सल्फेट के उपयोग तथा किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है।

विवरण

तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (पुस्ट) परियोजना 1987-88 के दौरान निधियों का राज्यवार आबंटन

राज्य	निधियों का आबंटन (लाख रुपए)
1	2
1. आंध्र प्रदेश	243.035
2. असम	32.57
3. बिहार	39.621
4. गुजरात	192.91
5. हरियाणा	47.00

1	2
6. कर्नाटक	213.81
7. मध्य प्रदेश	182.65
8. महाराष्ट्र	201.335
9. उड़ीसा	72.90
10. पंजाब	98.27
11. राजस्थान	150.99
12. तमिलनाडु	172.385
13. उत्तर प्रदेश	215.63
14. पश्चिम बंगाल	32.759
योग	1895.865

केरल में सोने के लिए सर्वेक्षण

***485. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल के नीलाम्बर क्षेत्र में सोने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां उपलब्ध सोना वाणिज्यिक दृष्टि से निकालना लाभकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किए जाने वाले खनन कार्य का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय भू-सर्वेक्षण और केरल राज्य खनिज गवेषण व विकास प्रोजेक्ट केरल के मालापुरम जिले की नीलाम्बर घाटी में स्वर्ण के लिए सर्वेक्षण और गवेषण कर रहे हैं। प्रायमरी स्वर्ण के लिए मरूदा, थन्निक्काडवु और मन्मूचीनी गावों में सर्वे किया गया है तथा कुल 290,000 टन अयस्क भंडारों की पुष्टि की गई है, जिनमें कुल करीब 1177 किलो स्वर्ण होगा। पुन्नापुजा और चेलियार पुजा में भी बजरी स्वर्ण के लिए सर्वे किया गया है तथा करीब 840 किलो स्वर्ण वाले भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) प्रारम्भिक गवेषण आंकड़ों का मूल्यांकन हो रहा है, ताकि विस्तृत गवेषण योजना बनाई जा सके। वाणिज्यिक विदोहन विस्तृत गवेषण के परिणामों पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बिहार, दिल्ली से झुग्गियां हटाना

***486. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या शहरी विकास मन्त्री** पश्चिम बिहार, दिल्ली में झुग्गियों को हटाने के बारे में 7 दिसंबर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4429 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुग्गियों को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इन झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिए इस समय कोई वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं हैं। जैसे ही वैकल्पिक स्थल उपलब्ध हो जाएंगे इन झुग्गियों को हटा लिया जाएगा।

खनन पट्टे के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र

*487. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो को खनन योजनाओं को स्वीकृति देने हेतु 1 मार्च, 1987 से 31 जनवरी, 1988 तक खनन पट्टे के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से निपटाए गए ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) भारतीय खान ब्यूरो में खनिपट्टा आवेदन पत्र नहीं लिए जाते हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1986 के 10-2-87 से लागू होने के बाद, राज्य सरकारें तब तक खनिपट्टा मंजूर नहीं करतीं, जब तक कि संबंधित क्षेत्र में खनिज निक्षेपों के विकास की खनन योजना केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं कर दी जाती। केन्द्र सरकार ने इस अनुमोदन की शक्तियां भारतीय खान ब्यूरो को सौंपी हैं। अनुमोदित खनन योजना आवेदक को अपने खनिपट्टा आवेदन के साथ नत्थी करके संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होती है। 1 मार्च, 1987 से 31 जनवरी, 1988 तक, भारतीय खान ब्यूरो को 138 खनन योजनाएं अनुमोदन के लिए मिलीं, जिनमें से 115 योजनाएं नवम्बर, 87 से जनवरी, 88 के बीच प्राप्त हुईं।

(ख) उपर्युक्त अवधि में ब्यूरो ने 14 खनन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की और 4 को अस्वीकृत किया। फरवरी, 1988 तक ब्यूरो ने 32 योजनाओं का अनुमोदन किया और 9 योजनाओं को अस्वीकृत किया।

उड़ीसा में पर्यटक स्थलों का विकास

*488. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा में किन विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्य-वार अथवा स्थान-वार नहीं करता बल्कि स्कीम-वार करता है। मंत्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधारिक-संरचना के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से वर्ष 1988-89 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्रम० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3
1.	नंदनकानन में पर्यटक कुटीरों तथा शिकारा की व्यवस्था	34.41
2.	पुरी-कोणार्क मैरिन ड्राइव पर रामचांदी में समुद्र-तट विहार-स्थल का निर्माण	47.85
3.	चंद्रभागा, कोणार्क में समुद्र-तट सुख-सुविधाओं की व्यवस्था	30.35
4.	भीरतकणिका की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए चंदबाली में एक ट्रांजिट लॉज का निर्माण	74.91
5.	लुलुंग में मचान रेस्तरां तथा पर्यटक कुटीरों की व्यवस्था	12.58
6.	रत्नगिरि में पर्यटक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था	14.32
7.	उदयगिरि में पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था	14.32
8.	जेपोर में एक यात्री निवास का निर्माण	80.91
9.	बोलनगीर में यात्री निवास का निर्माण	78.79
10.	भुवनेश्वर में एक ओपन एयर आडिटोरियम का निर्माण	26.73
11.	ललितगिरि, रत्नगिरि एवं उदयगिरि के बौद्ध परिसर की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख सुविधाओं की व्यवस्था	40.43
12.	गिरिसोला में मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था	12.36
13.	बोलगिरिपोशी में मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था	12.36
14.	सोहेला में मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था	12.36
15.	विद्यमान आधार-संरचना में अपर्याप्ताओं को पूरा करने के लिए लग्जरी कोचों की व्यवस्था	4[illegible].25
	जोड़	537.93

उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान विचार करने के लिए भिजवाए गये निम्नलिखित प्रस्तावों को भी, जिन्हें नई स्कीमों पर प्रतिबन्ध के कारण 1988-89 तक के लिए आस्थगित रखा गया था, 19 88-89 के शुरू किया जाएगा :]

(लाख रुपयों में)

क्रम० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3
1.	चांदीखोल एवं भद्रक में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	27.76

1	2	3
2.	रामचांदी के निकट जल-क्रीड़ा केन्द्र	44.00
3.	सोहेला में स्वागत केन्द्र	22.36
4.	गिरिसोला में स्वागत केन्द्र	22.36
5.	बंगीरपोशी में स्वागत केन्द्र	22.36
6.	टिकड़पाड़ा में वन-गृह	36.76
7.	कोणार्क में कैम्पिंग स्थल	47.50
8.	महेन्द्रगिरि में ट्रेकिंग बेस	32.80
9.	5 वन्य-जीव अभ्यारण्यों के लिए मिनी बसें	10.00
10.	राम्भा में चिल्का झील पर मोटर याट	4.82
11.	सतपदा में चिल्का झील पर मोटर याट	4.82
12.	महोदोधि निवास में समुद्रतट विहार-स्थल	49.00
13.	चांदीपुर में समुद्रतट विहार-स्थल	35.43
14.	परादीप में समुद्रतट विहार-स्थल	49.60
15.	गोपालपुर में समुद्रतट विहार-स्थल	49.60
	जोड़	459.57

उपर्युक्त सभी प्रस्तावों पर प्रस्तावों के गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

मोहम्मदपुर गांव में भूखण्डों का आबंटन

***489. श्रीमती ऊषा वर्मा :**
श्री मेवा सिंह गिल :

क्या शहरी विकास मन्त्री मोहम्मदपुर गांव में भूखण्डों के आवंटन के बारे में 24 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4296 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ भूखण्ड मालिकों को ऐसे वैकल्पिक भूखण्डों का आवंटन किए जाने के क्या कारण हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है;

(ख) क्या अधिग्रहित किए गये भू-खण्डों के बदले में दिए गये भू-खण्डों का बाजार मूल्य बराबर है और यदि नहीं, तो क्या भू-खण्डों के अतिरिक्त कोई मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भूखण्डों के मालिकों द्वारा दी गयी याचिकाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पेशकश में विशिष्ट संख्या नहीं बतायी गई थी क्योंकि पेशकश करने वाले कार्यालय को उसकी जानकारी नहीं थी, केवल वैकल्पिक प्लाटों की संख्या और कालोनी दर्शायी गई थी। तदनन्तर, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सफदरजंग विकास क्षेत्र योजना में इन प्लाटों का पता लगाया था और इन्हें प्रभावित पार्टियों को उनके दावों का सम्पूर्ण भुगतान करने की पेशकश की थी। मुआवजे अथवा प्लाट/भूमि का लागत का मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि नीति के अनुसार अर्जित रिहायशी प्लाटों के लिए केवल समान आकार के रिहायशी प्लाटों की पेशकश की जानी है।

चीनी का उत्पादन और आयात

*490. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान सूखे की स्थिति के कारण चीनी के उत्पादन के प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष चीनी का और अधिक आयात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) जी नहीं। 1987-88 चीनी मौसम के दौरान 7 मार्च, 1988 तक 57.06 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि पिछले वर्ष तदनुरूपी तारीख तक 55.55 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जिससे 1.51 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई थी। चालू पिराई मौसम अभी भी प्रगति पर है। चीनी के आयात के बारे में स्थिति यह है कि सरकार आत्मनिर्भर है और वह चीनी के आयात को सोपानवार आधार पर पूर्णतया समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है।

"स्नाम्ज बिड टू जैक अप फी फार अरावली" शीर्षक से समाचार

@***श्री अनिल बसु :**
श्री अमल दत्ता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 दिसम्बर, 1987 के "इकोनोमिक्स टाइम्स" में "स्नाम्ज बिड टू जैक अप फी फार अरावली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इटली की परामर्शदात्री फर्म, स्नाम प्रोगेत्ति सवाई माधोपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र के लिए अपने परामर्श शुल्क में 8.5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रही है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

@दिनांक 21-3-1988 से स्थानान्तरित।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) सरकार ने रिपोर्ट देखी है, तथापि उसमें अनुमोदित शुल्क और देय आर्थिक सहायता के बारे में महत्वपूर्ण ब्यौरों की स्थिति सही ढंग से नहीं दर्शायी गई है। अरावली फर्टिलाइजर लिमिटेड (ए० एफ० एल०) द्वारा प्रस्तावित कुल 41.73 करोड़ रुपये के परामर्शी शुल्क की तुलना में सरकार ने 31.40 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की थी। ए० एफ० एल० से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस मामले पर पुनः विचार किया गया था। प्रमुख यूरोपीय मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डालर के विनिमय में उतार-चढ़ाव तथा समय-समय पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि पहले अनुमोदित की गई राशि में केवल 2.20 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाए।

हथकरघा उद्योग को बढ़ावा

[अनुवाद]

4721. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हथकरघे के विकास के लिए हथकरघा श्रमिकों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों में सदस्यता प्राप्त करने के संबंध में पंजीकृत कराने के लिए शेयर पूंजी सहायता।

(2) हथकरघा बुनकर प्राथमिक शीर्ष सहकारी समितियों तथा राज्य हथकरघा निगमों को शेयर पूंजी सहायता।

(3) करघों के आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता।

(4) हथकरघा बुनकर प्राथमिक समितियों को प्रबन्धकीय उपदान।

(5) करघा पूर्व तथा करघा पश्चात् संसाधन सम्बन्धी सुविधाएं स्थापित करने के लिए राज्य हथकरघा विकास निगमों तथा हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता।

(6) हथकरघा उत्पादों की बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से विशेष छूट।

(7) जनता कपड़ा योजना।

(8) बचत निधि योजना ।

(9) वर्क-शैड-सह-आवास योजना ।

(10) हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के जरिए हथकरघा क्षेत्र में विशिष्ट उत्पादन के लिए 22 मदों का आरक्षण ।

2. इसके अतिरिक्त हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध की गई कुछ रियायतें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्लेन रील हैंग यार्न पर उत्पादन शुल्क से पूरी छूट ।

(2) हथकरघा सहकारी समितियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों द्वारा खरीदारी करने पर डबल क्रास रील हैंक यार्न पर 50 प्रतिशत की छूट ।

(3) राज्य हथकरघा विकास निगमों तथा शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा स्थापित संसाधन सदनों में संसाधित किए जाने पर हथकरघा पर बने सूती ऊन और पोलिएस्टर फाइबर के लिए संसाधन शुल्क की पूरी छूट ।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र संसाधकों द्वारा संसाधित हथकरघों पर बनाए गए सूती फैब्रिक्स के संसाधन पर रियायती संसाधन शुल्क ।

(5) सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र संसाधकों द्वारा संशोधित हथकरघों पर बुने ऊनी फैब्रिक्स के संसाधन पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट ।

(6) राज्य हथकरघा विकास निगम तथा हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा खरीदे गए कुल प्रकार के पोलिएस्टर ब्लैंडिड यार्न पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट ।

(7) हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत हथकरघों पर ब्लैंडिड फैब्रिक के उत्पादन के लिए प्रयुक्त ब्लैंडिड यार्न में इस्तेमाल किए गये पोलिएस्टर फाइबर पर उत्पाद शुल्क से पूरी छूट ।

(8) हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत पोलिस्टर फाइबर के उत्पादन में प्रयुक्त पोलिएस्टर फाइबर यार्न पर 10.56 रु० प्रति किग्रा की दर से उत्पाद शुल्क की रियायती दर ।

(9) पंजीकृत हथकरघा सहकारी समिति अथवा सरकार की ओर से अनुमोदित किसी भी संगठन द्वारा खरीदे गये विस्फोस फिलामेंट पर 50 प्रतिशत की छूट ।

(10) पंजीकृत शीर्ष हथकरघा समिति अथवा राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा भारत में आयातित कच्ची ऊन पर सीमा शुल्क से पूरी छूट ।

प्लास्टिक और 'लिनोलियम' का निर्यात

4722. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी आई है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1986 में उस अवधि के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पादों के निर्यात में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है।

गिरावट के मुख्य कारण हैं—अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख कच्चे माल की तीव्र कमी और उनकी ऊंची घरेलू लागत, सोवियत संघ से कम निर्यात आर्डर और अन्य देशों से कड़ी प्रतियोगिता।

(ग) लिनोलियम और प्लास्टिक से बुने हुए बोरों, थैलों, कपड़ों और अन्य तैयार वस्तुओं आदि में 1 मार्च, 1988 से 5 प्रतिशत की दर पर नकद मुआवजा सहायता दी गई है। वर्ष 1988-89 के लिए बजट में प्लास्टिक के प्रमुख कच्चे माल पर कुछ महत्वपूर्ण शुल्क रियायतें की गई हैं। अन्य उपायों में शामिल हैं : निर्यात अधिकतम करने के लिए बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना।

प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए धनराशि की व्यवस्था

4723. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए धनराशि की व्यवस्था करने का तरीका क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में सातवें और आठवें वित्त आयोगों ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का मार्जिन धनराशि की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) राहत व्यय की वित्त व्यवस्था संबंधी विद्यमान नीति आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जो 1 अप्रैल, 1985 से प्रभावी हुई हैं। आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए, उनके राजस्व अनुमानों के एक हिस्से के रूप में, सीमान्त धन (मार्जिन मनी) नामक एक धनराशि आबंटित की है। इस सीमान्त धन का 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता है जबकि शेष 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा जुटाया जाता है। किसी प्राकृतिक विपत्ति के घटित होने पर, राज्य को सीमान्त धन के अपने हिस्से का उपयोग कर लेने के पश्चात् केन्द्र के हिस्से में से धन ले सकने का हक होगा। राहत व्यय की वित्त व्यवस्था की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :—

(i) **सूखा** : राज्य सरकार द्वारा अपने सीमान्त धन से अधिक तथा अपने वार्षिक योजनागत परिव्यय के 5 प्रतिशत तक किया गया स्वीकृत व्यय, उस वर्ष में योजनागत परिव्यय के अतिरिक्त माना जाता है और वह अग्रिम योजनागत सहायता के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो सूखे की समाप्ति के पश्चात् अगले पांच वर्षों के अन्दर राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रति समायोजित किया जाता है। जहां, विपत्ति की अतिगम्भीरता का उल्लेख करते हुए, व्यय 5 प्रतिशत

से अधिक हो जाता है वहां ऐसे अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो आधी अनुदान के रूप में होती है तथा आधी ऋण के रूप में और यह सहायता आगामी वर्षों के लिए योजनागत सहायता के प्रति समायोजन योग्य नहीं होती है।

(ii) **बाढ़, चक्रवात, ओला-वृष्टि, भूकम्प अग्निकांड इत्यादि** : केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा अपने सीमान्त धन से अधिक किए गए स्वीकृत व्यय के 75 प्रतिशत की सीमा तक योजना भिन्न अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है जो राज्यों की योजना अथवा राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रति समायोजन किए जाने योग्य नहीं होती है। शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।

आठवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राहत व्यय की वित्त व्यवस्था की स्कीम वही रही है जैसी कि सातवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों में कुछ अन्तर है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों में अग्निकांड प्राकृतिक विपत्तियों में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन आठवें वित्त आयोग ने अग्निकांड को प्राकृतिक विपत्तियों में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, सीमान्त धन की वित्त व्यवस्था की प्रक्रिया के बारे में आठवें वित्त आयोग ने सातवें वित्त आयोग से कुछ भिन्नता रखी है। सातवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के राजस्व पूर्वानुमान में आयोग द्वारा निर्धारित सीमान्त धन के बराबर का प्रावधान किया था जबकि आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सीमान्त धन का 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष केन्द्र को प्रदान करना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

हाथ के बुने ऊनी गलीचों का निर्यात

4724. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 में अब तक हाथ के बुने ऊनी गलीचों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनका निर्यात बढ़ाने के लिए किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दरियों आदि सहित हाथ से गुंथे हुए ऊनी कालीनों के निर्यात का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में) (अनन्तिम)
1986-87	146.29
अप्रैल-अक्तूबर, 1986	94.92
1987-88	114.56
(अप्रैल-अक्तूबर, 1987)	

(ख) हाथ से गुंथे हुए कालीनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. हस्तनिर्मित कालीनों आदि के निर्यात निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र हैं :

(1) हस्तनिर्मित ऊनी कालीनों पर प्रति वर्ग मीटर एफ० ओ० बी० मूल्य पर आधारित 8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता।

(2) हस्तनिर्मित कालीनों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से शुल्क वापसी।

(3) एफ० ओ० बी० मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से आयात प्रतिपूर्ति।

(4) आर० ई० पी० लाइसेंसों के लिए सभी मोथ प्रूफिंग फार्मूलेशनों के आयात।

2. कालीन निर्यात के संवर्धन के लिए विशेष ध्यान देने हेतु कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना।

3. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रायोजित चार बिक्री-सह-अध्ययन दलों ने हाथ से गुंथे कालीनों के लिए बाजार सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु यू० एस० ए०, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय देशों तथा खाड़ी के देशों का दौरा किया।

4. तकनीकी विशेषज्ञों/निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने सोवियत संघ तथा चीन जनवादी गणराज्य में हाथ से गुंथे कालीनों के उत्पादन में अपनायी जाने वाली तकनीकों का अध्ययन करने के लिए उन देशों का दौरा किया।

5. 180 दिनों से कम की अवधि के लिए लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात् ऋण की दर को 1-8-1985 से कम करके 9.5 प्रतिशत कर दिया है।

6. कालीन उद्योग की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भदोही में कालीन प्रौद्योगिकी सम्बन्धी एक संस्थान की स्थापना की जा रही है।

7. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् का इरादा ब्रिटेन, स्पेन, आस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नार्वे, मलयेशिया, इंडोनेशिया तथा ब्रूने के लिए बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करने का है।

कृषि क्षेत्र को सहायता

4725. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे/बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुई क्षति के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को ऋण देने, वित्तीय सहायता संबंधी अन्य दावों, ब्याज की दर कम करने, ऋण वसूली स्थगित करने और ऋण माफ करने के प्रयोजन के लिए रुग्ण उद्योग के रूप में मानने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और इसे किस तिथि से लागू किया जायेगा और क्या बैंकों और राज्य सरकार को समुचित अनुदेश भी जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूखा, बाढ़ आदि जैसा प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करने के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों के नाम विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में वैकल्पिक फसलें अथवा चारे की फसल उगाने, बीजों के उत्पादन, लघु सिंचाई प्रयोजनों, छोटे और सीमांतिक किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को 500 रुपए तक के सामान्य प्रयोजन; उपभोग ऋण देने और उचित दर की दुकानें खोलने के लिए सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इन मार्गनिर्देशों में अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने और निवेश ऋण का पुनर्निर्धारण करने की भी परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, 3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों से चालू वर्ष (जुलाई, 1987 जून, 1988) में मूलधन और ब्याज को देय रकमों की वसूली को 2 वर्ष या अगले सामान्य वर्ष तक, यदि यह पहले हुआ हो, स्थगित करने के लिए कहा गया है। बैंकों से तीन या उससे अधिक बार लगातार सूखे से पीड़ित किसानों के मामले में और उन किसानों के मामले में जिसके ऋणों को परिवर्तित/पुनर्निर्धारित कर दिया है, 5000 रुपए तक के अल्पवधिक ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर ब्याज वसूल करने के लिए पहले ही कह दिया गया था। पहली मार्च, 1988 से कृषि प्रयोजनों के वास्ते 7500 रुपए तक के सभी अल्पावधिक ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है।

महाराष्ट्र की सूत-कताई मिलों को मंजूरी

4726. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई 12 सूत-कताई मिलों की मंजूरी तीन वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच अत्यधिक क्षेत्रीय असमानता हो गई है और 38 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश व्यर्थ हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का कपास के बजाय सूत के निर्यात को शीघ्र मंजरी देने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महाराष्ट्र के 11 सहकारी जिलों में से उन 10 मिलों को जिन्हें सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये जा चुके हैं, 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों में परिवर्तित किए जाने के लिए अगस्त/सितम्बर, 1987 में आवेदन दिया था।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने यह बताया है कि शेयर पूंजी अंशदान आदि के रूप में इन 11 सहकारी मिलों में लगभग 28.00 करोड़ रु० का निवेश दिया जा चुका है।

(ग) निर्यात अभिमुख एककों में परिवर्तित किए जाने के लिए उनके आवेदन पत्र रद्द किए जा चुके हैं।

सिले सिलाए वस्त्रों के संबंध में भारत सोवियत द्वारा संयुक्त उद्यम

4727. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या वस्त्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने वस्त्रों, विशेष रूप से सिले-सिलाये वस्त्रों तथा चमड़े के क्षेत्र में भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौते का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सोवियत संघ के हल्के उद्योग मन्त्री के हाल ही के भारत के दौरे के दौरान भारत में परिधान के क्षेत्र में तथा सोवियत संघ में चमड़ा क्षेत्र में संयुक्त उद्योम स्थापित करने के बारे में प्रारंभिक विचार-विमर्श हुआ। लेकिन सरकारी स्तर पर किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

बिहार में बैंक कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

4728. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की प्रादेशिक असमानता को दूर करने की नीति है;

(ख) क्या यह सच है कि जहां कुछ राज्यों में बैंकों के प्रादेशिक कार्यालयों में परियोजना सूत्रीकरण एकक कार्य कर रहे हैं, वहां बिहार में कोई ऐसा एकक नहीं है;

(ग) यदि उक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, जैसे वाणिज्यिक बैंक आदि, द्वारा बिहार में कार्यालय खोलने की स्वीकृति सम्बन्धी अधिकार में तथा ऋण उपलब्ध कराने में असमानता को दूर किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक दूर किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) से (घ) सरकार का प्रादेशिक असमानताओं में कमी करने का हमेशा से प्रयास रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उन इलाकों में बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते प्रयास किया गया है, जहां ऐसी सुविधाएं पहले कम हैं। वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति की अवधि 7वीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त होती है। इस नीति में 1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय और हर गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर एक ग्रामीण शाखा की परिकल्पना की गयी है। इसके अलावा, यह परिकल्पना भी की गयी है कि बैंकों को अपनी-अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में ऋण जमा अनुपान का 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि कई बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों में परियोजना सूत्रीकरण (प्रोजेक्ट फार्मूलेशन) एककों के कार्य करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अपने कार्यालयों में विशेष कक्ष गठित करने के बारे में निर्णय लेने का काम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का है।

बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा करों की अदायगी

[अनुवाद]

4729. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े व्यापारिक गृहों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल और कितना निवल लाभ अर्जित किया; और

(ख) यदि उन्होंने आयकर और अन्य करों की अदायगी की है तो कितनी राशि की अदायगी की है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) तथाकथित बड़े औद्योगिक घरानों के नामों का पता नहीं लगाया गया है। प्रत्येक औद्योगिक घराने की ऐसी बहुत-सी कंपनियां/कारबार हो सकते हैं जो कि पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर कर निर्धारित हो सकते हैं और साथ ही आंकड़ों को पुन:प्राप्त करने की मौजूदा पद्धति ऐसी है कि बड़े औद्योगिक घरानों के स्वामित्व वाली प्रत्येक कंपनी तथा फर्म के सकल लाभ तथा निवल लाभ के बारे में सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। लागत और इसमें लगने वाले समय को देखते हुए इस कार्य को करने में जो परिश्रम करना पड़ेगा इससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

स्वदेशी ऋण

4730. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 तथा 31 दिसम्बर, 1987 को स्वदेशी ऋण कितना है;

(ख) विभिन्न साधनों, बैंकिंग प्रणाली, पब्लिक बांड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण का ब्योरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण कार्य के रूप में कितनी अनुमानित राशि दी जानी है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितना अतिरिक्त ऋण होने का अनुमान है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क), (ग) और (घ) दिसम्बर, 1987 के खाते अभी पूरे नहीं हैं। तथापि, मार्च, 1987 और मार्च, 1988 के अन्त में कुल आन्तरिक ऋण और 1986-87 तथा 1987-88 में आन्तरिक ऋण चुकाने से संबंधित प्रभार नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

	1986-87 (अनन्तिम वास्तविक आंकड़े)	1987-88 (संशोधित अनुमान)
आन्तरिक ऋण (वर्ष के अन्त में)	145947	170834
ऋण चुकाने से संबंधित प्रभार (वर्ष के लिए)	8471	10416

(ख) उपर्युक्त आन्तरिक ऋण के स्रोतों के पक्षवार ब्यौरे अभी उपलब्ध नही हैं। तथापि, जैसी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट दी गई है, मार्च, 1986 के अन्त में केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
केन्द्रीय सरकार की कुल प्रतिभूतियां	35303
जिनका स्वामित्व इस प्रकार है :	
भारतीय रिजर्व बैंक	10423
वाणिज्यिक बैंक	15144
जीवन बीमा निगम	4021
भविष्य निधियां	3180
राज्य सरकारें	241
सार्वजनिक समेत अन्य	2294

बैंकों में "आटोमेटिक टैलर मशीनें" लगाना

4731. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में भुगतान की परम्परागत प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिये आटोमेटिक टैलर मशीनों का इस्तेमाल आरम्भ करने की सलाह देने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रणाली के लागू करने पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो बैंकों, विशेष रूप से महानगरों में बैंकों की वर्तमान भुगतान प्रणाली में सुधार का प्रयास न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय देश में स्वचालित टेलर मशीनें नहीं बनाई जा रही हैं और एक स्वचालित टेलर मशीन की लागत लगभग 20 लाख रुपये होती है। स्वचालित टेलर मशीन लगाने का निर्णय लेने से पूर्व, राष्ट्रीयकृत बैंक, इन मशीनों से ग्राहकों को मिलने वाले लाभों और बैंक को होने वाले लाभ तथा लागत को देखते हुए, इस मामले पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करते हैं। बैंकों को इस क्षेत्र में होने वाली प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ-साथ रखने की आवश्यकता को देखते हुये, भारतीय रिजर्व बैंक, स्वचालित टेलर मशीनें लगाने के वास्ते अलग-अलग बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर चयनात्मक आधार पर विचार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने अब तक 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 4 विदेशी बैंकों को देश के चुने हुये कार्यालयों में, स्वचालित टेलर मशीनें लगाने की अनुमति दी है।

केन्द्रीय जल आयोग में कर्मचारियों का स्थानांतरण

[हिन्दी]

4732. श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के अराजपत्रित कनिष्ठ कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति क्या है;

(ख) उन कर्मचारियों की पद-वार संख्या कितनी है जिन्हें पिछले 10 वर्षों से मुख्यालय से स्थानांतरित नहीं किया है; और

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले 5 वर्षों के दौरान दो बार स्थानांतरित किया जा चुका है और इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को, अधिशेष कर्मचारियों को समायोजित करने अथवा कर्मचारियों की कमी पूरी करने अथवा कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण हेतु स्वयं अनुरोध करने अथवा पदोन्नत व्यक्तियों को स्थानीय रूप से समायोजित न किये जा सकने और सेवा की अन्य आवश्यकताओं अथवा प्रशासनिक अपेक्षाओं जैसी आकस्मिकताओं का मुकाबला करने के सिवाय सामान्यतया एक स्टेशन से दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में, सामान्यतया उन कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाता है जो अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर दीर्घतम समय से होते हैं।

(ख) क्र०सं०	पदनाम	कर्मचारियों की संख्या
1.	मुख्य नक्शानवीस	53
2.	नक्शानवीस ग्रेड I	182
3.	नक्शानवीस ग्रेड II	207
4.	नक्शानवीस ग्रेड III	12
5.	फेरोप्रिन्टर	2
6.	कनिष्ठ संगणक	15
7.	वरिष्ठ संगणक	49
8.	व्यवसायिक सहायक (एच)	8
9.	वरिष्ठ व्यवसायिक सहायक (एच)	5
	योग	533

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय में कोई भी कर्मचारी दो बार स्थानांतरित नहीं किया गया है।

ब्रिटिश कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश

[अनुवाद]

4733. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम स्तर की अनेक ब्रिटिश कम्पनियां लाभ को स्वदेश भेजने पर लगी रोक के

बावजूद भारत में पूंजी-निवेश करने तथा तकनीकी अन्तरण की सम्भावनाओं का पता लगा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के किसी दल ने भारत का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय और समझौते के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) एक विदेशी निवेशक को भारत में किये अपने निवेशों से प्राप्त आय को, भारतीय करों की अदायगी के बाद अपने देश भेजने की पूरी स्वतन्त्रता है और लाभों को स्वदेश भेजने पर कोई रोक नहीं है ।

(ख) और (ग) इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि ब्रिटेन से कोई दल विशेष रूप से इसी सम्बन्ध में भारत आया था । यह पता चला है कि ब्रिटिश और साउथ एशियन ट्रेड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक व्यापार मिशन जनवरी-फरवरी, 1988 में भारत आया था । सरकारी स्तर पर उनके साथ कोई समझौता करने का विचार तक नहीं था ।

आयातित औषधियों के लिए वितरण नीति

4734. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न बनाई जाने वाली औषधियों के आयात की नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली औषधियों के स्थानीय वितरण के लिये मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या 'पेनिसिलीन फाइव फर्स्ट प्रिस्टल्स' के वितरण के मामले में इन मानदण्डों का पालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) चालू नीति के अन्तर्गत देश में नहीं बनाई जाने वाली औषधियों के खुला सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी जाती है । कुछ निर्दिष्ट औषधियों का आयात सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के जरिए सरणीकृत है ।

(ख) सरणीकृत औषधियों का वितरण सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है ।

(ग) और (घ) पेनिसिलिन सरणीकृत मद नहीं है । परन्तु, वास्तविक उपभोक्ता को सप्लाई

की दृष्टि से मंसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पेनिसिलिन-5 के आयात का तदर्थ लाइसेंस दिया गया।

केरल में कन्नानोर में स्थित तिरुपति मिल्स को वित्तीय सहायता

4735. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल में कन्नानोर स्थित तिरुपति मिल्स को किसी वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी अग्रिम राशि दी गई है और अदायगी की क्या शर्तें हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ विशेष कारणों से, मिलों के लिए पहले बनाई गई पुनर्वासन योजना को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा पुनरीक्षण आवश्यक समझी गई। इस एकक से इस उद्देश्य के लिए कुछ सूचना देने के लिये कहा गया था परन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय पहले कम्पनी ने कम्पनी पंजीकार, केरल से अनुरोध किया था कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के पक्ष में बन्धक विलेख के सम्बन्ध में सृजित रजिस्ट्रेशन प्रभार को रद्द कर दें। इससे पता लग गया था कि प्रबन्धन इससे ऋण लेने के इच्छुक नहीं थे।

डेनमार्क से सहायता

4736. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान डेनमार्क से कुल कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त की गई;

(ख) क्या डेनमार्क ने वित्तीय वर्ष 1988-89 में अनुदान सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये और डेनमार्क से वर्ष 1988-89 में अनुदान सहायता की कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) भारत ने वर्ष 1987-88 के दौरान डेनमार्क सरकार से 2329.1 लाख डेनिश क्रोनर (लगभग 47 करोड़ रुपए) की सहायता प्राप्त की है। यह सहायता 938.0 लाख डेनिश क्रोनर (लगभग 19 करोड़ रुपए) के ऋण और आबद्ध अनुदान तथा 1391.1 लाख डेनिश क्रोनर (लगभग 28 करोड़ रुपये) के अनुदान के रूप में है। (प्रयुक्त विनिमय दर 1 डेनिश क्रोनर=2.1 रुपया)।

(ख) और (ग) डेनमार्क सरकार भारत को कलेन्डर वर्ष के आधार पर सहायता उपलब्ध कराती है। डेनमार्क सरकार ने वर्ष 1988 के लिए 2736 लाख डेनिश क्रोनर (लगभग 57 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता देने की वचनबद्धता की है। जिसमें 1354 लाख डेनिश क्रोनर (लगभग 28 करोड़ रुपए) के आबद्ध अनुदान सहित ऋण और 1382 लाख डेनिश क्रोनर (लगभग 29 करोड़ रुपये) के अनुदान शामिल हैं। डेनिश सहायता का उपयोग कृषि, मीन क्षेत्र, स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण, ग्रामीण पेय जलपूर्ति, महिला और बाल विकास, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, औजार कक्षा के विकास, पर्यावरण और प्रदूषण नियन्त्रण के क्षेत्रों में पारस्परिक सहमति के आधार पर पूर्व निर्धारित परियोजनाओं के लिए तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए डेनिश वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए किया जायेगा।

बजट में दी गई राहतों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना

4737. **श्री शांता राम नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही के बजट में उपभोक्ता वस्तुओं के सम्बन्ध में दी गई राहतों को उन वस्तुओं के मूल्यों में कमी करके उपभोक्ताओं तक उन राहतों के लाभों को पहुंचाना सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करेगी; और

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जिन वस्तुओं के मामलों में मूल्य नियंत्रण होता है उन्हें छोड़कर, अन्य वस्तुओं के मामलों में ऐसा कोई वैधानिक तंत्र नहीं है जो यह देखे कि उत्पादन-शुल्क में दी गई रियायतों का लाभ उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं। तथापि, प्रशासकीय मंत्रालय सम्बन्धित उद्योग को उन वस्तुओं का मूल्य कम करवाने के लिये, जिन वस्तुओं के मामले में उत्पादन-शुल्क में रियायतें दी जाती हैं, प्रेरित करने हेतु नियमित रूप से उसके साथ बातचीत करते रहते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को वांछित राहत दी जा सके।

बहरीन को एल्यूमिना का निर्यात

4738. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान बहरीन को एल्यूमिना का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या बहरीन का वर्ष 1983-89 के दौरान भारत से एल्यूमिना का अधिक आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान बहरीन का एल्यूमिना का कितनी मात्रा में निर्यात करने का प्रस्ताव है तथा इसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मै० हाइड्रो ट्रेडिंग, एस० ए० लोसान्ने को 35,307 मे० टन एल्यूमिनिया बेचा गया है, जिसके बारे में ऐसा सूचित किया गया है कि उसे क्रेता द्वारा बहरीन ले जाया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 में एल्यूमिनिया का निर्यात बढ़ सकता है लेकिन वर्ष 1988-89 के लिए बहरीन में किसी भी क्रेता के साथ ऐसी कोई संविदा नहीं की गई है।

उड़ीसा सरकार का मुद्रण मशीनों की खरीद पर उत्पाद-शुल्क की छूट देने का अनुरोध

4739. **श्री हरिहर सोरन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय में उड़ीसा सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर के लिए वेब आफ-सैट मुद्रण मशीन "जिरकान-66" की खरीद पर उत्पाद-शुल्क की छूट देने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है।

बीना नदी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

[हिन्दी]

4740. **श्री नन्द लाल चौधरी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी सिंचाई परियोजना को अन्तिम स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कारण कितने गांवों के जलमग्न होने की सम्भावना है;

(घ) इस परियोजना से कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई होने की सम्भावना है; और

(ङ) इस परियोजना को अन्तिम स्वीकृति कब तक मिल जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से आशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग) 49 गांव।

(घ) 66,500 हेक्टेयर।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में होशियारपुर में बैंकों की शाखाएं खोलना

[अनुवाद]

4741. **श्री कमल चौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देने की कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या इस नीति का उद्देश्य बैंकों की शाखाओं की कमी वाले क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का विस्तार करना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पंजाब में होशियारपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिग नीति पंजाब सहित देश के सभी भागों पर लागू होती है। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक खंड के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को 17000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त करना और यदि इस संबंध में कोई स्थानीय दूरियां हों तो उन्हें दूर करना है ताकि प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय हो सके। शहरों और महानगरों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक अलग-अलम आवेदनकर्ता बैंकों को सुस्थापित आवश्यकता और क्षेत्र में कारोबार की संभावनाओं, प्रस्तावित शाखा की अर्थक्षमता आदि के आधार पर केन्द्र आबंटित करता है। पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त, पता लगाए गए ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों की सूची के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान शाखा लाइसेंसिग नीति की अवधि के दौरान, होशियारपुर जिले में शाखायें खोलने के लिए शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 7 पात्र ग्रामीण केन्द्र आबंटित किए हैं।

प्रगति मैदान में 'इंस्टीट्यूट फार कम्प्यूटर एडिड नालेज' के लिए स्थान

[हिन्दी]

4743. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान में इंस्टीट्यूट फार कम्प्यूटर एडिड नालेज के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान का कुल क्षेत्रफल क्या है और उक्त इंस्टीट्यूट के प्रबन्ध मंडल को यह स्थान कितने मूल्य पर उपलब्ध कराया गया है और इससे अब तक हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संस्थान केन्द्र को उर्दू के विकास के लिए गत दो वर्षों के दौरान सरकारी राहत कोष से भारी धनराशि प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र ने उर्दू के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) इस हाल का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा ली जा रही लाइसेंस फीस 2,53,400 रु० प्रति वर्ष है। एक गैर-सरकारी पंजीकृत निकाय होने की वजह से व्यापार मेला प्राधिकरण के पास इस संस्थान द्वारा आय-अर्जन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है।

उत्पाद शुल्क आदि की चोरी करने वाली कम्पनियों के शेयरों को भारतीयों द्वारा खरीदना

[अनुवाद]

4744. **श्री रामभगत पासवान : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन कम्पनियों के सभी शेयरों को भारतीयों द्वारा खरीदने का विचार है जिनसे उत्पाद शुल्क तथा अन्य सरकारी देनदारियों के रूप में 25 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि की वसूली की जानी बकाया है और उन्होंने सरकार द्वारा मांग-पत्र जारी किए जाने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी प्राप्य राशियों को वसूलने के लिए अन्में उपाय, कानूनी तथा प्रशासनिक उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के खुदरा बिक्री शोरूमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन

4745. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**
श्री के० वी० थामस :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने खुदरा बिक्री शोरूमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को किस-किस वेतनमान में रखा गया है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के वेतन में उनकी नियुक्ति से अब तक कोई बढ़ोतरी की गई है और क्या ये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्ते पाने के हकदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एन० टी० सी० के खुदरा शो-रूमों के कर्मचारी निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) एन० टी० सी० मिलों द्वारा चलाई जा रही गेट दुकानें, जिनमें कर्मचारी, क्षेत्र-सह-उद्योग आधार पर मिलों के ग्रेड पर होते हैं और वे अन्य मिल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते, बोनस तथा दूसरे लाभों के पात्र होते हैं,

(2) अन्य कर्मचारी जो संचित ग्रेडों पर होते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में शो-रूम कर्मचारियों को समय-समय पर विभिन्न दरों पर वृद्धियां प्रदान की गई हैं। शो-रूम कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों आदि के पात्र नहीं हैं क्योंकि उनका पारिश्रमिक "क्षेत्र-सह-उद्योग आधार" पर निर्धारित किया जाता है।

दीवानी मुकद्दमे

4746. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों में सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पक्ष

बनाकर दीवानी मुकदमे चलाए गए हैं और पकड़े गए सामान को जब्त किए जाने के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विभिन्न न्यायालयों में कितने मुकदमे दायर किए गए हैं और वे किस अवस्था में और कितने समय से लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) यह सूचित किया गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय में सीमाशुल्क अधिकारियों को मुकदमे में व्यक्तिगत रूप से उनको पक्ष बनाकर कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं चलाया गया है और न ही पकड़े गए माल की प्रस्तावित जब्ती के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।

(ख) उपरोक्त को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात

4747. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के लिए ऋण-जमा अनुपात के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) इन मानदण्डों का कहां तक पालन किया जा रहा है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) बैंकों को अपनी ग्रामीण शाखाओं के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात करने के लिए कहा गया है।

(ख) और (ग) सितंबर, 1987 के अन्त में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का ऋण जमा अनुपात 63.8 प्रतिशत था जो निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊंचा था।

हथकरघा बुनकरों के लिए मुफ्त जीवन बीमा

4748. **श्री सी० सम्बु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों के लिए मुफ्त जीवन बीमा योजना प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, नहीं। हथकरघा बुनकरों को निशुल्क जीवन बीमा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान द्वारा लोह अयस्क के लिए प्रस्तावित मूल्य

4749. **श्री कमल नाथ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने अप्रैल, 1988 से भारत से आयात होने वाले बढ़िया लोह् अयस्क के लिए कम मूल्य देने का निर्णय किया है;

(ख) जापान द्वारा अन्य देशों की तुलना में कितने मूल्य का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो लोह् अयस्क के निर्यात में कितनी कमी आई है और तत्पश्चात् विदेशी मुद्रा आय में कितनी कमी आई है; और

(घ) नए बाजारों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए एम० एम० टी० सी० के फाइन्स की कीमतों में 1987-88 की कीमतों ने 4 प्रतिशत कमी कर दी गई है जबकि आस्ट्रेलिया, ब्राजील और चिली के फाइन अयस्क की कीमतों में क्रमश: 4 प्रतिशत, 5.4 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की कमी की गई है ।

(ग) जापान ने 1987-88 में 11.25 मिलियन टन की लोह् अयस्क ठेके की तुलना में 1988-89 में केवल 10.5 मिलियन टन का ठेका किया है और इस प्रकार 0.75 मिलियन टन की कमी हुई । इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जन में 8.71 करोड़ रुपए की कमी होने की संभावना है ।

(घ) एम० एम० टी० सी० चीन और पाकिस्तान को लोह् अयस्क सप्लाई की मात्रा बढ़ाने और पुराने बाजारों जैसे तुर्की और यूगोस्लाविया से फिर सौदे करने के लिए प्रयास कर रहा है ।

औद्योगिक और तकनीकी सलाहकार संगठन

4750. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम जैसे कितने औद्योगिक और तकनीकी सलाहकार संगठनों को प्रोत्साहित किया गया है;

(ख) इन संगठनों के कार्य क्या हैं;

(ग) क्या ये संगठन सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों से कितने उद्योग लाभान्वित हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा इंडस्ट्रियल कंसलटैन्ट्स लि० और नार्थ-ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कंसलटैन्ट्स लि० नामक दो औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्शदात्री संगठन स्थापित किए हैं । अन्य बातों के साथ-साथ इन संगठनों के मुख्य कार्य हैं :—सर्वेक्षण अथवा अन्यथा औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाना, परियोजना की रूप-रेखा तैयार करना, विशिष्ट उद्योगों के वास्ते संभाव्यता रिपोर्ट और निवेश पूर्व अध्ययन करना, उद्यमियों की ओर से परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना, उद्योगों के संवर्धन और

प्रबंध के वास्ते उद्यमियों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना आदि । हरियाणा इंडस्ट्रियल कंसलटैन्ट्स लि० ने सितम्बर, 1985 में अपना काम शुरू कर दिया था और मार्च, 1987 के अन्त तक उसने सौंपे गए 68 कार्य पूरे कर लिए थे । नार्थ-ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कंसलटैन्ट्स लि० ने अपना काम अगस्त, 1987 में शुरू किया और उसने अब तक 5 कार्य पूरे किए हैं ।

निर्माण संबंधी परियोजनाओं के लिए इराक के साथ समझौता

4751. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री वी० तुलसीराम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक ने इस वर्ष विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को बकाया राशि में कुछ राशि के भुगतान के लिए भारत के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) परियोजना संबंधी कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या भारतीय गैर-सरकारी पब्लिक कम्पनियों द्वारा इराक में कोई महत्वाकांक्षी विकास परियोजना आरंभ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारतीय कंपनियों द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में देय राशि के निपटान के लिए फरवरी, 1988 में भारत सरकार ने इराकी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि इस समझौते में, समझौते के अंतर्गत देय पाई गई राशियों के निपटान के लिए इराक द्वारा कच्चा तेल सप्लाई करने का प्रावधान है ।

(घ) और (ङ) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेस लिमिटेड (आर० आई० टी० ई० एस०) ने जुलाई, 1987 में इराक में बगदाद-अलकईम अकाशात रेल परियोजना के परिचालन और रखरखाव के लिए 45.64 मिलियन इराकी दीनार मूल्य का बड़ा ठेका हासिल किया है ।

मूल्यवर्धित चाय का निर्यात बढ़ाना ,

4752. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बाबन्द चाय, टी० बैग तथा इन्सटैंट चाय सहित मूल्यवर्धित चाय के निर्यात को बहुत समय पहले से अपेक्षित प्रोत्साहन देने के लिए डिब्बाबन्द चाय पर उत्पाद-शुल्क को तत्काल समाप्त करने तथा इसके निर्यात पर भाड़ा सहायता मंजूर करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने टी० एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के सुझावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो कितने सुझावों को स्वीकार किया गया है तथा कितनों को अस्वीकार किया गया है; और

(घ) अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) सरकार चाय उद्योग से संबंधित विभिन्न सुझावों के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त करती रही है। इन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

बल्क चाय पर उत्पाद शुल्क, जोन-I के चाय का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में 1.50 रुपये प्रति किग्रा० की दर से तथा जोन-II में 0.50 रुपये प्रति किग्रा० की दर से लगाया जाता है। निर्यातों के मुद्दे पर जोनल उत्पाद शुल्क पर 0.50 पै० तक की छूट दी जाती है।,

इसके अतिरिक्त निर्यातों के मुद्दे पर पैकेट चाय तथा इंसटेट चाय पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट दी जाती है।

वर्ष 1988-89 के केन्द्रीय बजट में सरकार ने फैक्टरियों या गोदामों से चाय के सभी सीधे निर्यातों के संबंध में चाय पर उत्पाद शुल्क की पूरी छूट देने की भी घोषणा की है।

भाड़ा उपदान के संबंध में भाड़ा लागत की हानि की पूर्ति नकद मुआवजा सहायता योजना द्वारा करने का प्रस्ताव है।

देश में अफीम का अधिक मात्रा में एकत्रित होना

4753. **श्री जी० भूपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अफीम (औषधों) का स्टाक बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कारण कितना घाटा हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत ही एक मात्र आपूरक देश है जो विश्व में अफीम की वैध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि तुर्की, आस्ट्रेलिया, आदि जैसे अन्य थोड़े-से देश पोस्त की भूसी/पोस्त की भूसी के सांद्रण की सप्लाई अफीम-मिश्रित-औषधियों के निर्माण के लिए करते हैं। विश्व-बाजार में भारत की पूर्ववर्ती प्रभुता काफी कम हो गई है क्योंकि भारत को अफीम की वैकल्पिक कच्ची सामग्री की वजह से काफी जबर्दस्त प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामतः गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) और नीमच (मध्य प्रदेश) स्थित सरकारी अफीम कारखानों के पास अफीम का भारी स्टाक जमा हो गया है। इसका निर्यात जो वर्ष 1977-78 में 978 मी० टन का था वह धीरे-धीरे घट कर 1986-87 में 642 मी० टन रह गया है, जबकि दूसरी ओर, सरकारी कारखानों

में इसका जमा स्टाक बढ़ गया है और इस प्रकार 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार इसका जमा स्टाक 2,205 मी० टन हो गया है, जबकि 1978 में यह 160 मी० टन का था।

सरकारी अफीम कारखानों को उनमें अफीम के जमा स्टाक में लगी तथा रुकी हुई पूंजी पर ब्याज के रूप में आनुमानिक (नोशनल) हानि हो रही है।

सरकार ने अफीम के जमा स्टाक को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) मार्फिन के निर्यात मूल्य को 1977-78 में प्रति यूनिट 6 अमरीकी डालर से घटाकर 1986-87 में प्रति यूनिट 3.15 अमरीकी डालर करना ताकि इसे अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाया जा सके।

(2) भारत जैसे पारम्परिक आपूरक देश के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता का उपयोग करना;

(3) अफीम, आदि की अधिकाधिक मात्रा में खरीद के लिए अफीम के अलग-अलग विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत करना।

धार्मिक नेताओं के निवास-स्थानों पर छापे

4754. **श्री हरुभाई मेहता :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन धार्मिक नेताओं के निवास-स्थानों पर छापे मारे गये उनका तथा पता लगाये गये लेखाबाह्य धन, बहुमूल्य धातुओं अथवा जवाहरातों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन छापों के अनुसरण में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर विभाग द्वारा हाल ही में जिन विभिन्न स्थानों की तलाशियां ली गई थीं उनमें निम्नलिखित व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशियां भी शामिल थीं। प्रत्येक ग्रुप के संबंध में पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य उनके नामों के सामने दिया गया है :

(i) श्री महर्षि महेश योगी	56.76 लाख रुपए
(ii) श्री चन्द्रास्वामी	151.44 लाख रुपए
(iii) श्री कलानिधि गोस्वामी, देहगाम (गुजरात)	35.88 लाख रुपए

(ख) इन तलाशियों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में सरकार प्रत्यक्ष कर अधिनियमों तथा साथ ही फेरा के अंतर्गत सभी प्रकार की उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

कपड़े का उत्पादन और निर्यात

[हिन्दी]

4755. **श्री आशकरण संखवार :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादन की कुल मात्रा में से कितनी मात्रा में कपड़े का निर्यात किया गया; और

(ग) क्या यह सच है कि कपड़े के निर्यात में वृद्धि होने के कारण इसके मूल्यों में वृद्धि हुई है और कपड़े की तस्करी में वृद्धि होने के कारण कपड़ा मिलों को अपना कपड़ा बेचने में अत्यधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986-87 तथा 1987-88 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान कपड़े का कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ :

1986-87	1987-88 (अप्रैल-दिसम्बर)
12,988	9,744

(ख) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान सूती कपड़ा (पावरलूम व मानव निर्मित) का निर्यात किया गया उत्पादन निर्यात इस प्रकार रहा :

वर्ष	मात्रा
1986-87	556.20 मिलियन वर्गमीटर
1987-88 (अप्रैल-जनवरी)	643.25 मिलियन वर्गमीटर

(ग) यह सही नहीं है कि निर्यात के कारण कपड़े की कीमतों में वृद्धि हुई है। तस्करी तथा इसका मिल क्षेत्र पर प्रभाव का संक्षिप्त अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है।

स्टाफ कारों में पेट्रोल की खपत

[अनुवाद]

4756. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में और वर्ष 1988 के प्रथम तीन महीनों में स्टाफ कारों में पेट्रोल की कितनी खपत हुई और पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि की तुलना में यह खपत कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ख) सरकारी स्टाफ कारों का दुरुपयोग रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) यह सूचना केन्द्रीय तौर पर उपलब्ध नहीं है और न ही यथोचित समय में इसे एकत्र करना व्यावहारिक है।

(ख) स्टाक कारों के दुरुपयोग का कोई मामला वित्त मंत्रालय के ध्यान में नहीं नहीं आया है, इसलिए स्टाफ कार नियमावली में निहित वर्तमान सुरक्षा उपाय पर्याप्त माने गए हैं।

बम्बई में हशीश पकड़ा जाना

4757. **श्री सुभाष यादव :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 फरवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि बम्बई में 25 करोड़ रुपए मूल्य की 2.5 टन हशीश पकड़ी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री० ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह प्रश्न संभवतः 26 और और 27 फरवरी, 1988 की रात्रियों को सीमाशुल्क निवारक समाहर्तालय, बम्बई के अधिकारियों द्वारा किए गए दो अभिग्रहणों से संबंधित है। एक मामले में, मजगांव, बम्बई में भण्डार के दो स्थानों से कुल 88 पैकेजों में से 15 पैकेजों में पैक की गई 741 किलोग्राम हशीश, 1.7 किलोग्राम हेरोइन और सांप की खाल के 48 पीस बरामद किए गए थे। शेष पैकेजों में फूलदान, राखदानी (ऐसट्रे), प्लास्टिक के स्कूल बैग जैसे हस्तशिल्प (हैंडीक्राफ्ट) का सामान और कैरमबोर्ड, आदि जैसा खेल का सामान पाया गया था।

अन्य मामले में, खारोदीगांव, बम्बई में एक गोदाम से अन्य माल के साथ-साथ 21 पोलिथीन पैकेजों में पैक की गई, 1,718 किलोग्राम हशीश, जिसका उद्‌गम स्थान अफगानिस्तान बताया गया है, पकड़ी गई थी। उन स्थानों में पाये गये तीन व्यक्तियों को कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु निरुद्ध कर लिया गया है।

निर्यात प्रधान क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रमुख पत्तन

4758. **श्री बृज मोहन महंती : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन प्रमुख पत्तनों के निकट निर्यात प्रधान क्षेत्रों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या उडीसा के गोपालपुर तथा पारादीप पत्तनों के आस-पास निर्यात प्रधान क्षेत्रों की सुविधा है;

(ग) इन क्षेत्रों की स्थापना के विशिष्ट लाभ क्या हैं; और

(घ) क्या इन निर्यात प्रधान क्षेत्रों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) निर्यात संसाधन क्षेत्र कांडला, बम्बई, मद्रास, कोचिन और कलकत्ता पत्तनों के आसपास स्थापित किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) निर्यात संसाधन क्षेत्र, विकासशील देशों में विनिर्मित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगिता के आधार पर निर्यात उत्पादन करने के लिए पूंजीगत माल और उत्पादन अन्तर्निविष्टियों के निःशुल्क आयात की सुविधाएं तथा उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन और असंरचना संबंधी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(घ) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आई० सी० आर० आइ० ई०) ने कांडला और सांताक्रज स्थित निर्यात संसाधन क्षेत्रों के कार्यकरण का अध्ययन किया है और निष्कर्ष दिया है कि इन क्षेत्रों के कार्यकरण से अर्थव्यवस्था को निवल सार्थक लाभ हुआ है।

सिंडीकेट बैंक के बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय लेखा कार्यालय में काम करने की दशा

4759. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 1988 क "जनसत्ता" में "कर्मचारियों से ज्यादा फिक्र मशीन की" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सिंडीकेट बैंक के बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय लेखा कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा इलैक्ट्रानिक मशीन को काम करने की हालत में रखने के लिए इतना कम किए गए तापमान में काम करना पड़ता है, जो खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 23 फरवरी, 1988 को जब इन्कोडर्स को सुचारू रूप से चलाने के वास्ते आवश्यक 22° से 25° सेल्सियस तापमान बनाए रखने के लिए शाखा में सेन्ट्रल एअर कंडीशनिंग चालू किया गया तब कुछ कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति की थी। चूंकि 22° से 25° सेल्सियस का तापमान "खतरनाक रूप से कम" नहीं है और चूंकि कर्मचारियों को एअर कंडीशनिंग चलाने की आवश्यकता स्पष्ट कर दी गई थी इसलिए आगे कारंवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

राज्यों में बिक्री कर

4760. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में और राज्यों के बाहर उत्पादित वस्तुओं पर विभिन्न दरों पर बिक्री कर लगाने की परम्परा को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने हेतु राज्यों पर इस मामले में किस प्रकार जोर डालने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) यह बात ध्यान में आई है कि कुछेक राज्य सरकारें राज्य के अन्दर निर्मित कतिपय वस्तुओं पर राज्य से बाहर निर्मित वस्तुओं के लिए लागू दरों से कम दरों पर बिक्री कर लगा रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों से, राज्यों के अन्दर बेची जाने वाली ऐसी सभी वस्तुओं पर उनके स्रोत को देखे बिना बिक्री कर लगाने में समानता का व्यवहार बरतने के लिए अनुरोध किया गया था। तथापि, ऐसा बताया गया है कि राज्य के अन्दर उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय एककों को एक सीमित अवधि के लिए सामान्यतया उक्त रियायत प्रदान की जाती है। चूंकि संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर राज्य के कराधान का विषय है, अतः उक्त मुद्दों का समाधान केवल राज्य सरकारों से ही किया जा सकता है।

गुजरात में ब्राउन शूगर का पकड़ा जाना

4761. **श्री धर्मपाल सिंह मालिक** :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1988 के दूसरे सप्ताह के दौरान गुजरात में राजकोट के नजदीक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए मूल्य की ब्राउन शूगर पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) यह प्रश्न संभवतः गुजरात राज्य के कच्छ जिले में फरवरी, 1988 के दूसरे सप्ताह में एक किलोग्राम ब्राउन शूगर के किए गए अभिग्रहण से संबंधित है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यह अभिग्रहण 9.2.1988 को एक विट्ठलजी डी० सोनी से किया गया था। इस नशीले औषध द्रव्य को रामावाव गांव (कच्छ) के एक अन्य व्यक्ति जिलुभा खिमाजी जदेजा द्वारा दिया गया बताया गया था। अभिगृहीत नशीले औषध द्रव्य का उदगम स्थान पाकिस्तान बताया गया था। स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु उक्त दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

असम में सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

4762. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन तिमाहियों के दौरान असम को सिंचाई परियोजनाओं हेतु छोटे कृषकों और किसानों की सहायता करने के लिए कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई और सहायाता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा विकास की किसी स्कीम अथवा सेक्टर से जुड़ी नहीं होती। तथापि, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों को राज-सहायता के लिए असम सरकार को 1.58 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यचालन दल

4763. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विद्यमान ढांचे की जांच करने तथा इनकी समग्र कार्य-कुशलता में सुधार करने के उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यचालन दल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) कार्यचालन दल की सिफारिशों के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए, बैंकवार की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र क्षमताओं में सुधार करने के लिए कार्यकारी दल द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गयी कारंवाई संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

मुख्य सिफारिशें	की गई कारंवाई
1	2
1. अधिकृत शेयर पूंजी को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना और जारी शेयर पूंजी को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करना।	भारत सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जारी शेयर पूंजी में वृद्धि विभिन्न चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है। अब तक सरकार ने 100 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जारी शेयर पूंजी बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया है।
2. प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए की गई पुनर्वित्त व्यवस्था पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पुनर्वित्त फार्मूले में और प्रायोजक बैंकों की भागीदारी में कटौती करना।	इस संबंध में उचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

1	2
3. प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजक बैंकों में सांविधिक नकदी अनुपात की अपेक्षाओं के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर बेहतर आमदनी के प्रयोजन से जमा राशियों का निवेश ।	प्रायोजक बैंकों के नाम आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को प्रस्तावित प्रतिबंध को हटा देना चाहिए जिस के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपना ऋण जमा अनुपात घटाकर 100 प्रतिशत करना होगा; क्योंकि इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साधनों की स्थिति पर असर पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप उनके कारोबार का स्तर कम हो जाएगा और समाज के कमजोर वर्गों को ऋणों की उपलब्धि सीमित हो जाएगी ।	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने आवश्यक परिवर्तन कर दिए हैं ।
5. बड़े आकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विभाजन और छोटे तथा अलाभकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय ।	सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभाजन से सम्बद्ध सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अलाभकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाने से संबद्ध सिफारिश स्वीकार कर ली है और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं ।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्ययन प्रायोजक बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए । प्रायोजक बैंकों के केवल वरिष्ठ अधिकारी ही अध्यक्ष नियुक्त किए जाने चाहिए ।	यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है ।
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक बोर्डों के वर्तमान स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि इन बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का एक-एक निदेशक हो और भारत सरकार द्वारा 2 गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किए जाएं । प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों को 2-2 सरकारी निदेशक नियुक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।	यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम में आवश्यक व्यवस्था कर दी है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा धातुओं और खनिजों के आयात में वृद्धि

[हिन्दी]

4764. **श्री शांति धारीवाल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड की केन्द्रीय सम्पर्क समिति ने सरकार से वर्ष 1988-89 के दौरान धातुओं और खनिजों के आयात को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 75% करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो निगम ने आयात बढ़ाने के प्रस्ताव में किन कारणों का उल्लेख किया है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) की इस्पात संबंधी केन्द्रीय संपर्क समिति ने 22-1-1988 को मद्रास में हुई अपनी बैठक में सरकार से अनुरोध किया है कि कार्बन इस्पात की कुछ श्रेणियों के संदर्भ में 1988-99 के लिए अग्रिम आयात मंजूरी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी जाए।

(ग) सरकार से यह अनुरोध वर्ष 1988-89 के लिए आयात योजना के अन्तर्गत अग्रिम कारंवाई करने की दृष्टि से किया गया था, ताकि आयातों के जरिए इस्पात मदों की अविच्छिन्न सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

(ग) सरकार वर्ष 1988-89 के लिए अग्रिम आयात मंजूरी की सीमा को, वर्ष 1987-88 के दौरान अलग-अलग एककों को प्राप्त वास्तविक आयात मंजूरी के 60 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है।

गुजरात में पानी की भारी कमी

[अनुवाद]

4765. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के अनेक भागों में पानी की भारी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वर्ष 1988-90 के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए, विशेष रूप से राज्य के अन्य जिलों से साथ-साथ राजकोट जिले में, वित्तीय सहायता के संबंध में कोई योजना/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी बैंकों से निर्यात-भुगतानों की प्राप्ति में विलम्ब

4766. **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बैंकों के एजेंटों के रूप में अपने ही देश में काम कर रहे विदेशी बैंक उस स्तर की दक्षतापूर्ण सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है और इसका परिणाम यह है कि निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं से अपने निर्यात किए गए माल का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) सरकार ने निर्यातकों को विदेशी बैंकों से शीघ्र भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विदेशी बैंक को नये मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है ताकि भारतीय बैंकों के एजेंटों के रूप में कार्य करने वाले विदेशी बैंक निर्यातकों के भुगतानों को लम्बे समय तक न रखें ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में अधिकारी ग्रेड-I से अधिकारी ग्रेड-II के लिए पदोन्नति

4767. **श्री लाला राम केन** :
श्री मोहम्मद अयूब खां :
श्री राम प्यारे सुमन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर को सभी तत्कालिक ग्रेड-I के अधिकारियों को एम० एम० जी० एस-II अधिकारी का पद देने का निर्देश दिया था, जिसका बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी समर्थन किया गया था; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, बैंक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जे० एम० जी० एस०-I को एम० एम० जी० एस०-II अधिकारी की पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करेगा;

(ग) क्या बैंक का उपर्युक्त ग्रेड में पिछले बकाया रिक्त पदों की सही सूची बनाकर इसे शीघ्र ही निपटाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ने बताया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय के अनुसार,

जिसमें बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन कर दिया गया था, बैंक को 30 सितंबर, 1979 को विद्यमान भूतपूर्व ग्रेड स्केल-I के सभी अधिकारियों को नए मध्य प्रबंध ग्रेड स्केल-II में फिटमेंट देना पड़ा। यह निर्धारण स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर अधिकारी सेवा विनियमन 1979 के विनियम 6 के अधीन पदों के वर्गीकरण के आधार पर उस ग्रेड के पदों के संबंध में किया गया जो 1 अक्तूबर, 1979 को बनाए गए थे या उस दिन खाली हुए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह निर्णय किया था कि फिटमेंट की उपर्युक्त प्रक्रिया पदोन्नति नहीं है। चूंकि इसमें पदोन्नतियों का कोई सवाल नहीं था, इसलिए बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा था। इसी कारण आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए कोई बकाया सूची तैयार नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान

4768. **श्री हरीश रावत :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का चालू पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक हथकरघा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था। लेकिन सम्भवतः आर्थिक कठिनाइयों के कारण चालू योजना अवधि में संस्थान को स्थापित करना संभव नहीं होगा।

(ग) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए चमोली जिले में एक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में ऊनी हथकरघों के विकास के लिए एक पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना भी अनुमोदित कर दी गई है, जिस पर 798.73 लाख रुपए होंगे। उपरोक्त परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 122.53 लाख रु० की राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

विद्युत उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

4769. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक प्रत्येक वर्ष विद्युत उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई कुल राशि में से प्रत्येक राज्य को उस राज्य द्वारा एकत्र की गई धनराशि के बराबर हिस्सा दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से ऐसा कितना उत्पादन शुल्क एकत्र हुआ तथा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के गढ़वी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विद्युत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की निवल राशि को (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) राज्यों में संघ उत्पादन-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 में निर्धारित किए गए प्रतिशत अनुपात के अनुसार वितरित किया जाना था न कि राज्यबारकी गई उगाहियों के अनुसार। इसके अलावा, राज्यवार उगाहियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण नियम, 1980 के अनुसार, वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक के दौरान शुल्क की निवल राशि राज्यों में अनन्तिम रूप से वितरित की गई है जिसे भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर अन्तिम रूप से समायोजित किया जाना है। तदनुसार उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को किए गए भुगतान की राशियां नीचे दिए अनुसार हैं :—

राज्य	(करोड़ रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	68.72
2. असम	9.54
3. बिहार	53.15
4. गुजरात	59.87
5. हरियाणा	24.03
6. हिमाचल प्रदेश	5.81
7. जम्मू व कश्मीर	6.86
8. कर्नाटक	54.73
9. केरल	29.53
10. मध्य प्रदेश	46.97
11. महाराष्ट्र	109.65
12. मणिपुर	0.49
13. मेघालय	1.92
14. नागालैंड	0.65
15. उड़ीसा	30.02
16. पंजाब	42.02
17. राजस्थान	28.45
18. तमिलनाडु	54.56
19. त्रिपुरा	0.40
20. उत्तर प्रदेश	94.13
21. पश्चिम बंगाल	71.54

भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

4770. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार भारतीय स्टेट बैंक के कितने क्षेत्रीय कार्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 में भारतीय स्टेट बैंक का कोई नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 में भारतीय स्टेट बैंक के और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में भारतीय स्टेट बैंक के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इस समय देश में बैंक के 50 क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। इन कार्यालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विभाजन नीचे दिया गया है :

महाराष्ट्र	4	उत्तर प्रदेश	8
गोवा	1	पश्चिम बंगाल	4
गुजरात	3	असम	1
राजस्थान	1	मेघालय	1
जम्मू और कश्मीर	1	उड़ीसा	2
हिमाचल प्रदेश	1	नई दिल्ली	1
मध्य प्रदेश	4	चण्डीगढ़	2 (हरियाणा तथा पंजाब के लिए एक-एक)
आंध्र प्रदेश	4		
तमिलनाडु	3		
केरल	2		
कर्नाटक	2		
बिहार	5		

(ख) और (ग) 1987 के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक ने गांधी नगर (गुजरात) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले।

(घ) और (ङ) बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास बेरहामपुर (उड़ीसा) में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का लाइसेंस है। इस कार्यालय को वर्ष 1988-89 के दौरान खोलने का कार्यक्रम है।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड सेवा-I के अधिकारियों की मध्यम प्रबंध ग्रेड सेवा-II में पदोन्नति

4771. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीनानेर एण्ड जयपुर में कनिष्ट प्रबंध ग्रेड सेवा-I के अधिकारियों की मध्यम प्रबंध ग्रेड सेवा-II में पदोन्नति के लिए साक्षात्कार और लिखित परीक्षा ली गई थी, यदि हां, तो कितने रिक्त पद भरे जाने थे और साक्षात्कार तथा लिखित परीक्षा के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों का अनुपात कितना था;

(ख) दोनों अवसरों (साक्षात्कार तथा लिखित परीक्षा) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार बुलाए गए थे;

(ग) क्या बैंकिंग प्रभाग के 31 दिसम्बर, 1977 के पत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को साक्षात्कार तथा लिखित परीक्षा के संबंध में कोई छूट दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने बताया है कि कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल-एक से मध्य प्रबंध ग्रेड स्केल-दो में पदोन्नति के लिए कुल 407 रिक्त स्थानों को भरने के वास्ते वरिष्ठता क्रम के 133 और योग्यता क्रम के 418 अधिकारियों को, जो पात्रता मापदण्डों को पूरा करते थे, साक्षात्कार के लिए बुलाए गये इन अधिकारियों में पात्रता मापदण्ड पूरा करने वाले वरिष्ठता क्रम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक अधिकारी और योग्यता क्रम में 3 अधिकारी शामिल थे।

(ग) और (घ) बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मापदण्डों में दी गई छूट के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 4 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त की थी। लेकिन चूंकि ये पदोन्नतियां अधिकारी संवर्ग के अन्तर्गत आती हैं और चयन के आधार पर की जाती हैं इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी पुस्तिका (7 वां संस्करण) के पैराग्राफ 9.2 (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। अलबत्ता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपर्युक्त 4 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार मध्य प्रबंध ग्रेड स्केल-दो में पदोन्नति/फिटमेंट के लिए चुन लिए गए हैं।

विदेशी व्यापार में अन्तर

4772. **श्री० पी० एम० सईद :**
श्री एस० जी० घोलप :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात में अन्तर के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित निर्यात-लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसमें कितनी कमी हुई है;

(ग) किन वस्तुओं के निर्यात में हमारा निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है;

(घ) भारत की कौन-सी वस्तुओं से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई हैं;

(ङ) किन प्रमुख वस्तुओं का आयात किया जा रहा है तथा इन वस्तुओं के मामले में आत्म-निर्भर होने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) भारत किन प्रमुख लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत अधिकतम विदेशी मुद्रा खर्च करता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) नवीनतम अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के पहले दस महीनों अर्थात् अप्रैल-जनवरी, 1987-88 के दौरान भारत व्यापार घाटा 5425.49 करोड़ रु० मूल्य का रहा जोकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान हुए 5834.14 करोड़ रुपये के व्यापार घाटे की तुलना में 408.65 करोड़ रुपये कम है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के पहले दस महीने अर्थात् अप्रैल-जनवरी, 1987-88 के दौरान भारत के निर्यात 12603.27 करोड़ रुपये मूल्य के रहे जबकि पूरे वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य 13,800 करोड़ रुपये का रखा गया है।

(ग) उन मदों में जिनके सम्बन्ध में निर्यात निष्पादन असंतोषजनक रहा है, शामिल हैं, मसाले, अनिर्मित तम्बाकू, आयलमील्स, लौह अयस्क तथा पटसन निर्मित माल।

(घ) उन प्रमुख वस्तुओं में, जो भारत की मुख्य विदेशी मुद्रा उपर्जक रही, शामिल हैं; रत्न तथा आभूषण, सिलेसिलाए परिधान, इंजीनियरी माल, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल, सूती वस्त्र, यार्न तथा तैयार माल, पैट्रोलियम उत्पाद, रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद, चाय, समुद्री उत्पाद, काजू गिरी आदि।

(ङ) और (च) आयात की उन प्रमुख मदों में, जिनमें विदेशी मुद्रा की काफी व्यय अंतर्ग्रस्त है, शामिल हैं, पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद, लोहा तथा इस्पात, खाद्य तेल, अलौह धातुएं, उर्वरक, मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्न, मशीनें, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ। विशेष रूप से बल्क आयातों के क्षेत्र में कार्यक्षम आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सुपारी का व्यापार

4773. **श्री जी० देवराय नायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान तथा अन्य देशों के साथ सुपारी का व्यापार बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सुपारी के निर्यात की ओ० जी० एल० पर अनुमति है। यह मद व्यापरियों द्वारा पाकिस्तान में आयात के लिए अनुमति दी गई मदों की सूची में शामिल है। चूंकि इसकी निर्यात संभाव्यता सीमित होती है इसलिए किसी विशिष्ट संवर्धन उपाय की व्यवस्था नहीं की जाती है।

दिल्ली में प्रापर्टी डीलर

[हिन्दी]

4774. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आयकर देने वाले कितने प्रापर्टी डीलर हैं;

(ख) संपत्ति कर देने वाले कितने प्रापर्टी डीलर हैं;

(ग) इन प्रापर्टी डीलरों की संख्या कितनी है जिनका सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है; और

(घ) क्या सरकार को इस वर्ष में बड़े पैमाने पर कर-चोरी के बार में समाचार मिलें हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) आयकर विभाग प्रापर्टी डीलरों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है। यह भी हो सकता है कि बहुत से मामलों में, प्रापर्टी डीलर मकान निर्माण करने, वित्तपोषण करने, दलाली करने आदि जैसे कोई अन्य कारोबार या अन्य व्यवसाय कर रहे हों।

(घ) कर अपवंचन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा उपयुक्त मामलों में सर्वेक्षण कार्य, तलाशी तथा जब्ती कार्य योजनाबद्ध ढंग से किए जाते हैं और उनकी कर-निर्धारण करते समय पूरी तरह से छानबीन की जाती है। जब कभी कर-अपवंचन का कोई विशिष्ट मामला आयकर विभाग के ध्यान में आता है, तो उस पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के अधीन समुचित कार्रवाई कर दी जाती है।

गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत ऋण

4775. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत सरकारी ऋणों को सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में वितरित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हीं लाभार्थियों को दुबारा ऋण देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कुछ खण्डों में कुछ लाभार्थियों को सीधे ऋण दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) समन्वित

ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार का कार्यक्रम आदि जैसी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों और सब्सिडी की रकम का भुगतान संबद्ध बैंकों द्वारा किया जाता है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से सहायता प्राप्त उन व्यक्तियों को, जो अपने बूते से बाहर के कारणों की वजह से गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाते, दोबारा सहायता दिए जाने की भी व्यवस्था है। लेकिन, उन्हें इस संबंध में निर्धारित पात्रता मापदण्ड की शर्त को पूरा करना होता है। दूसरी बार सहायता देने का प्रयोजन यह है कि वे व्यक्ति गरीबी को रेखा से ऊपर उठ सकें।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी खण्डों में पता लगाए गये लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण दिए जाते हैं और देश के चुने हुए 22 खण्डों में ऋण और सब्सिडी की रकम निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए लाभार्थियों को सीधे ही नकद अदा कर दी जाती है। इस प्रक्रिया से लाभार्थी अपनी पसन्द की परिसम्पत्तियां और सामान चुन सकते हैं। इससे इन लेन-देनों में बिचौलिए नहीं रह जाते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में आधुनिक लेजर पोस्टिंग मशीन का प्रयोग

[अनुवाद]

4776. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उनकी महानगरीय शाखाओं में बैंक-वार तथा केन्द्रवार कुल कितनी आधुनिक लेजर पोस्टिंग मशीनें प्राप्त की गईं;

(ख) 31 दिसम्बर, 1987 इन बैंकों की बैंक-वार तथा केन्द्र-वार कितनी शाखाएं इन मशीनों पर पूर्ण कार्य कर रही थीं;

(ग) क्या बैंकों ने इन मशीनों को पट्टा आधार पर प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो इन बैंकों द्वारा मशीनों को स्थापित करने के समय से 31 दिसम्बर, 1987 तक कितना किराया पट्टे के रूप में अदा किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन बैंकों द्वारा मशीनों को तुरन्त खरीदने के स्थान पर पट्टे पर लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में कमान क्षेत्र प्रबंध

4777. **श्री गुरुदास कामत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़ तबाही के बाद देश के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बेहतर कमान क्षेत्र प्रबंध के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या पानी जमा हो जाने की समस्या दूर कर दी गई है और खेती में नालियां बनाने का कार्य पूरा हो गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य चुनिंदा वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमानों में समेकित विकास करना है और इस समय इसके अन्तर्गत 132 परियोजनाओं में सिंचित कृषि शामिल है। जल जमाव की समस्या, जो दूर नहीं हुई है, को कम करने के प्रयास जारी हैं। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में खेत नालियों का निर्माण किया जा चुका है।

बैंक ऋणों की वसूली

[हिन्दी]

4778. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**
श्री के० एन० प्रधान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में से 31 दिसम्बर, 1987 को स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि वसूल की जानी है;

(ख) क्या अत्यधिक बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक धन वसूली अधिनियम लागू करने का है ताकि भू-राजस्व की वसूली की तरह बैंक अधिकारियों को इन बकाया ऋण राशियों की वसूली के लिए प्राधिकृत किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों को, जहां ऐसे अधिनियम प्रवृत्त हैं, यह निदेश देने का है कि कलक्टर/तहसीलदार के बजाय बैंक अधिकारियों को धनराशि वसूल करने हेतु प्राधिकृत किया जाए ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1985 और दिसम्बर, 1986 के अन्त में बकाया ऋणों तथा अतिदेय राशियों का ब्योरा इस प्रकार था :—

(राशि करोड़ रुपए)

निम्नलिखित के अन्त में	बकाया राशि	अतिदेय राशि
दिसम्बर, 1985	48779.45	7002.71
दिसम्बर, 1986	59219.92	8823.85

(ख) और (ग) "वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये गये उधारों के विषय में राज्यों के कानूनों से संबद्ध विशेषज्ञ दल" (तलवार समिति) ने यह सिफारिश की थी कि जहां तक वाणिज्यिक बैंकों की कृषि सम्बन्धी बकाया रकमों की वसूली का सवाल है, राज्य सरकारों को एक अधिकारी को ऐसे

आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति होनी चाहिए जो एक सिविल अदालत की डिक्री के समान हो ताकि सिविल अदालतों में मुकदमेबाजी का सहारा लिये बिना वाणिज्यिक बैंकों की बकाया रकमों को तुरन्त वसूल करने में सहायता मिल सके। उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञ दल ने उसके द्वारा तैयार किये गये आदर्श विधेयक के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कानून बनाने की सिफारिश की थी। उपर्युक्त "आदर्श विधेयक" के आधार पर अभी तक 16 राज्यों ने अधिनियम अधिनियमित किये हैं। लेकिन, इस संबंध में कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, योजनागत मूल्यांकन प्रणाली को अंगीकार करने, ऋण के बाद पर्यवेक्षण करने, और राज्य सरकारों की सहायता से वसूली अभियान शुरू करने जैसे कारगर उपाय करने के वास्ते बैंकों के नाम मार्गनिर्देश जारी किये हैं। बैंकों से सतत और प्रभावशाली निगरानी रखने के लिये निकटवर्ती शाखाओं के समूह के लिये अलग से 'वसूली कक्ष" स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा बैंकों को बकाया रकमों की वसूली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को सूती धागे का निर्यात

[अनुवाद]

4779. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को प्रत्येक वर्ष 30,000 टन सूती धागे का निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे हथकरघा बुनकरों के लिए देश के अन्दर उपलब्ध सूती धागे की भारी कमी और ऊंचे मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने 1988 के दौरान, ई० ई० सी० को 30,000 टन सूती धागे का निर्यात करने के लिए एक करार किया है।

(ख) जी नहीं। ई० ई० सी० को सूती धागे का निर्यात कोन के रूप में किया जाता है, चूंकि हथकरघा बुनकरों को धागे की आवश्यकता हैंक रूप में होती है, इसलिए 60 के काउन्टों तक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अगरतला में जीवन बीमा निगम के भवन का निर्माण

4780. **श्री अजय विश्वास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का अगरतला में अपना भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) जीवन बीमा निगम इस प्रयोजनार्थ भूमि के उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बहराईन के साथ संयुक्त उद्यम

4781. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहराइन में कुछ क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए बहराइन के साथ हाल में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह भारत के लिए व्यापार बढ़ाने में कितना लाभप्रद होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) बहरीन के विकास और उद्योग मंत्री के फरवरी, 1988 में भारत आगमन के दौरान, उद्योग मंत्री और बहरीन के मंत्री के बीच अनुमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें अब बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच उर्वरकों और टायरों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के जरिये सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने को रुचि प्रकट की गई।

(ग) ऐसी आशा है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों के लिए परस्पर लाभदायक होगा।

विद्युत करघों के लिए कृतिक बल

4782. श्री मुरलीधर माने :
चौधरी राम प्रकाश :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा विद्युत करघा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए नियुक्त किये गये कृतिक बल ने करघों के आधुनिकीकरण हेतु और उन्हें कार्यचालन पूंजी प्रदान करने के लिए 1170 करोड़ रुपये की धनराशि का अनुदान देने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कृतिक बल के सुझाव पर क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत सरकार ने विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र दिये गये मौजूदा ऋण के प्रवाह का मूल्यांकन करने तथा ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिये उठाये गये कदमों की सिफारिशें करने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने 500 करोड़ रुपये कार्यचालन पूंजी के लिये, 150 करोड़ रुपये बुनाई प्रचालन के आधुनिकीकरण के लिए ऋण का सुझाव दिया है।

(ख) यह मामला वस्त्र आयुक्त को इस आशय से वापस लौटाया गया है कि इस बारे में विशिष्ट सिफारिशें की जाएं।

विश्व शेयर बाजार और रुपए के मूल्य में सहसा गिरावट

4783. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री एच० बी० पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल स्ट्रीट शेयर बाजार में 19 अक्तूबर, 1987 को आई भारी सहसा गिरावट का भारतीय शेयर बाजारों पर कोई प्रभाव पड़ा था;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले छ: महीनों के दौरान भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और डालर तथा पाउंट स्टर्लिंग की तुलना में रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वाल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्यों में आई भारी गिरावट से भारतीय शेयर बाजार पर प्रत्यक्ष रूप से कोई विपरीत प्रतिक्रिया अनुभव नहीं की गई है।

(ख) और (ग) रुपए का विनिमय मूल्य उन देशों की करेंसियों की उचित रूप से भारित डाली में होने वाली प्रतिदिन की घटबढ़ के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाता है, जो भारत के साथ व्यापार में प्रमुख रूप से भागीदार हैं। इस प्रकार, अन्य करेंसियों की तुलना में रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी अथवा कमी इन करेंसियों में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करती है।

18 सितम्बर, 1987 और 17 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर तथा पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये का मूल्य निम्नलिखित था :

तारीख	1 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर=रुपए	1 पाउंड स्टर्लिंग=रुपए
18-9-1987	12.99	21.41
17-3-1988	12.94	23.96

अस्वीकृत निर्यात वस्तुएं

4784. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वस्तुओं के आयातकों द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 की अवधि के दौरान अस्वीकृत किये गये, निर्यात की विभिन्न मदों का उनकी मात्रा और मूल्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मदों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं कि केवल स्वीकृत नमूनों की गुणवत्ता से मिलती हुई वस्तुओं का ही निर्यात किया जाए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) माल की

सामान्यतया स्वीकृति या अस्वीकृति निर्यातकों तथा आयातकों के बीच का मामला है और इस मंत्रालय को ऐसे मामलों का पता तभी चलता है जब पार्टियां अपनी शिकायतें लेकर आती हैं। इस प्रकार, सम्पूर्ण जानकारी, जैसी कि मांगी गई है, इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) उन मदों के लिए, जो अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन लदानपूर्व निरीक्षण सीमा में आती हैं तथा जो अनुमोदित नमूनों के आधार पर निर्यातित की जाती हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निरीक्षण एजेंसियों को लदानपूर्व निरीक्षण करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यातकों द्वारा पेशकश की गई खेपें अनुमोदित नमूनों तथा इसकी तकनीकी विशेषताओं के अनुरूप हैं, का अधिकार प्राप्त है। सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संकट वाली कतिपय मदों के निर्यात की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक ये मदें न्यूनतम सुरक्षा स्तरों के अनुरूप नहीं होतीं।

नमक के निर्यातकों को प्रोत्साहन

4785. **श्री तारिक अनवर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नमक के निर्यातकों को कोई सहायता/प्रोत्साहन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान कुल कितने नमक का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) नकद मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी आदि जैसे निर्यात प्रोत्साहनों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तथापि उनकी विहित लागत आंकड़ों द्वारा पुष्ट नहीं की जाती है।

(ग) 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान निर्यात किए गए नमक की मात्रा निम्न प्रकार रही :—

	(मात्रा लाख मे० टन में)
1984-85	2.48
1985-86	4.50
1986-87	3.80

रियायती दरों पर सूत की सप्लाई'

[हिन्दी]

4787. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण बुनकरों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बुनकरों को रियायती दरों पर अथवा वर्ष 1986 को प्रचलित दरों पर सूत उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) (1) गत वर्ष के दौरान धागे की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से हथकरघा बुनकर प्रभावित हुए हैं। चूंकि कपास की लागत सूती धागों की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए सूती धागे की कीमतों में वृद्धि मुख्यतः रुई की कीमतों में वृद्धि के कारण रही है।

(2) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से, सरकार ने धागे की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि को रोकने के लिए कतिपय सुधारात्मक उपाय किए हैं। वह वृद्धि मूलतः कपास की कीमतों में हुई वृद्धि की वजह से है। स्टेपिल रुई का निर्यात स्थगित कर दिया गया है। अग्रिम लाइसेंस आधार पर सूती धागों/सूती फैब्रिकों तथा तैयार वस्त्रों के लिए रुई के आयात की अनुमति देने का भी निर्णय किया गया है। 60 तक काउन्टों के हैंक यार्न के निर्यात को बंद कर दिया गया है।

(3) हथकरघा उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं : हैंक यार्न दायित्व योजना, नई बुनकर सहकारी कताई मिलों को स्थापित करने तथा विद्यमान एककों का प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी समिति विकास निगम को ऋण सहायता तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का धागा आपूर्ति प्रचालन कार्य। राज्य सरकारों को सहकारी कताई मिलों/राज्य क्षेत्र की मिलों/एन० टी० सी० मिलों से हथकरघा क्षेत्र को समुचित कीमतों पर धागे की आपूर्ति के लिए धागा कीमत निर्धारण समिति की स्थापना करने की सलाह भी दी गई है।

(4) उपरोक्त उपायों से, धागे की कीमतों में पहले से गिरावट का रुख शुरू हो चुका है।

सोने की चूर्ण तथा तरल रूप में तस्करी

[अनुवाद]

4788. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**
श्री नरसिंह सूर्यवंशी :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोने की चूर्ण तथा तरल रूप में तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि गुप्तचर और जांच एजेंसियों को तस्करी के ऐसे मामलों का पता लगाने में कठिनाई हो रही है;

(ग) क्या गत 6 महीनों के दौरान ऐसे किसी मामले का पता लगाया गया, उसकी जांच की गई है तथा उस पर कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) तस्करी गतिविधियों के इन नये दाव-पेचों को रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पिछले छः महीनों में, तरल रूप में सोने की तस्करी के एक मामले का पता लगाया गया था। 26 जनवरी, 1988 को प्लास्टिक की चार बोतलों में तरल रूप में डाला गया सोना बम्बई में सहार हवाई अड्डे पर एक भारतीय नागरिक से पकड़ा गया था जो दुबई से आया था। तरल पदार्थ का कुल मिलाकर वजन 6550 ग्राम था। तरल पदार्थ में मिले हुए सोने की मात्रा और उसके मूल्य का पता उसमें से सोना प्राप्त किए जाने के बाद ही चलेगा। दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ङ) इस नई कार्य-प्रणाली को परिचालित कर दिया गया है और पूरे देश में तस्करी-रोधी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है।

उत्पादन-शुल्क अधिकारियों के लिए पुरस्कार प्रणाली का आरम्भ

4789. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई नीति के अनुसार लघु उद्योगों में उत्पाद-शुल्क अपवंचन के संबंध में छापा मारने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के निवारण अधिकारियों को शुल्क अपवंचन की तथाकथित धनराशि पर 5 प्रतिशत पुरस्कार दिया जाता है जिसका उद्योगों द्वारा न्यायालय में प्रायः विरोध किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय में चुनौती दिए जाने के पश्चात् यदि तथाकथित राशि वस्तुतः नहीं उगाही जाती है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के लिए पुरस्कार प्रणाली आरम्भ के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) शुल्क की चोरी किया जाना अब एक अकेला कार्यकलाप ही नहीं रह गया बल्कि इसके साथ ही साथ जासूसी और तोड़-फोड़ के कार्यकलाप भी किए जाते हैं, जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए अपवंचन निवारण अभियान को तेज करने के लिए ऐसे सरकारी अधिकारियों के लिए पुरस्कार की संशोधित नीति तैयार करके उसे 1-1-1985 से लागू किया गया था, जो अधिकारी अपने कर्तव्य पालन से भी बढ़कर न केवल माल का पता लगाने/उसके अभिग्रहण के समय अपने शारीरिक अंगों के साथ-साथ अपने जीवन को ही जोखिम में डालते हैं अपितु इसके बाद भी जिनका सारा जीवन जोखिम से भरा रहता है। संशोधन पुरस्कार नीति के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के अपवंचन के पकड़े गए मामले में, सरकारी कर्मचारी आयद किए गए/लगाए गए और वसूल किए गए शुल्क, जुर्माने तथा अर्थदंड की राशि के 20 प्रतिशत की राशि तक पुरस्कार पाने के हकदार हैं बशर्ते कि वह राशि अन्तर्ग्रस्त माल के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

इन मामलों मे शुल्क के 20 प्रतिशत के 25 प्रतिशत भाग का अर्थात् शुल्क के 5 प्रतिशत भाग

का भुगतान कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के पश्चात् किया जा सकता है बशर्ते कि पुरस्कार की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि न्याय-निर्णयन के दौरान शुल्क अपवंचन के सिद्ध होने की पर्याप्त संभावना है और अपील/पुनरीक्षण की कार्यवाहियों के समय भी उसे प्रमाणित किए जाने के पर्याप्त अवसर हैं। पकड़े गए शुल्क अपवंचन वाले जिन मामलों में पुरस्कार दिया जाता है, उन मामलों में शुल्क की वसूली नहीं होने की कतई संभावना नहीं होती है।

उत्तर प्रदेश में बैंकों में प्राप्त ऋण के लिए आवेदन

4790. **श्री सलीम आई० शेरवानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न बैंकों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार और शिक्षित युवाओं और महिला उद्यमियों से 1986 और 1987 के दौरान व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) स्वीकृत, अस्वीकृत और लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित आवेदनों पर कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना के संबंध में प्रश्न में जिस प्रकार की सूचना मांगी गई है, वर्तमान सूचना प्रणाली से इस प्रकार सूचना प्राप्त नहीं होती। यह योजना वित्तीय वर्ष के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है तथा अल्पसंख्यक समुदायों तथा महिला उद्यमियों के लिए योजना के अन्तर्गत अलग से उप लक्ष्य नहीं रखे गए हैं। 1986-87 के वित्तीय वर्ष से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों के लिए 30 प्रतिशत का उप-लक्ष्य रखा गया है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश में 9390 के लक्ष्य के मुकाबले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 1609 लाभार्थियों को सहायता दी गई।

नशीली औषधियों का अवैध व्यापार

4791. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में मणिपुर के रास्ते से, जिसका "गोल्डन ट्राइऐंगल" के देशों लाओस, थाइलैंड और बर्मा अपनी गतिविधियां चलाने वाले तस्करों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क स्थान के रूप में उपयोग किया जा रहा है, नशीली औषधियों के अवैध व्यापार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मणिपुर की सीमा पर नशीली औषधियों की चोरी छिपे लाए जाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत-बर्मा सीमा के आर-पार से नशीले औषध द्रव्यों के अवैध धन्धे के लिए मणिपुर लगातार सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। तथापि, नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो को यथा सूचित अभि-

गृहीत नशीले औषध-द्रव्यों के मामलों की संख्या और मात्रा, जोकि नीचे दी गई है, से यह पता चलता है कि मणिपुर में नशीले औषध द्रव्यों की बड़े पैमाने पर तस्करी नहीं होती :—

क्र० सं०	नशीले औषध द्रव्य का नाम	1986 मामलों की संख्या	1986 मात्रा (किलोग्राम में)	1987 मामलों की संख्या	1987 मात्रा (किलोग्राम में)
1.	हेरोइन	124	2.342	14	1.818
2.	गांजा	8	81.000	...	...
3.	मेथोक्यूलोन	...	...	1	15.359

मामले की इस प्रयोजन के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ की जाने वाली समन्वय बैठकों में सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

स्वापक औषध-द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के लागू होने से, जिसमें नशीले औषध-द्रव्य अपराधों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था है, नशीले औषध-द्रव्यों का अवैध धन्धा करने वालों/तस्करों के विरुद्ध, राज्यों तथा केन्द्रों, द्वारा अभियान तेज कर दिया गया है। भारत सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 ज के अधीन बर्मा के साथ लगने वाले मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाओं के क्षेत्रों को तस्करी के लिए उनकी सुगम्यता को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट क्षेत्रों के रूप में भी अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य सचिवों और उन राज्यों के पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वे नशीले औषध द्रव्यों के अवैध धन्धे के संबंध में विभिन्न नियन्त्रण उपायों का कड़ाई से पालन करें।

समस्त देश में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों में और राज्य पुलिस संगठनों में नारकोटिक्स सेलों का सृजन किया गया है। सरकार ने नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध धन्धे के विरुद्ध बहु-आयामी जोरदार निवारक उपाय शुरू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निवारक और आसूचना तंत्र को विशेष कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ करना, अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना को अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (जिसमें सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग भी शामिल है) को सुदृढ़ करना भी शामिल है। उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्थिति पर लगातार निगरानी भी रखी जाती है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा रुग्ण एककों को पुनः चलाने के लिए सहायता

4792. श्री वी० कृष्ण राव :
श्री एस० एम० गुरड्डी :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, मद्रास ने रुग्ण एककों के लिए आवश्यकता पर आधारित पैकेजों सहित उपयोग को सक्षम बनाने के लिए सहायता देने में वर्ष 1987 में सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो रुग्ण एककों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए और आयोजित मुख्य कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का, इसके सफल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश में रुग्ण एककों की सहायता के लिए निर्देश देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि सक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं वे 10 वर्ष की अवधि तक के होते हैं और ऐसी स्थिति में इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक मद्रास ने 1987 में औद्योगिक पुनरुद्धार के मामले में सफलता प्राप्त की है। भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास ने अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए जो कारंवाई योजना बनाई है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ गत वर्षों के ब्याज का निधीयन, वापसी अदायगी का पुनर्निर्धारण, आधुनिकीकरण के वास्ते रियायती ब्याज दर पर अतिरिक्त ऋणों की व्यवस्था आदि शामिल है। यह सब भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ग) संभावित अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हैं।

मध्य प्रदेश की पंचम नगर पिक-अप बांध सिंचाई योजना

[हिन्दी]

4793. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पंचम नगर पिक-अप सिंचाई योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यह योजना कब आरंभ की गई थी और इस योजना को पूरा किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त पंचम नगर काम्प्लेक्स सोपान-I परियोजना पर केन्द्रीय मूल्यांकन एजेन्सियों की टिप्पणियां अनुपालन हेतु राज्य सरकार को भेजी गई थीं। टिप्पणियों की अनुपालना को शामिल करते हुए आशोधित स्कीम राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

व्यवसाय कर

[अनुवाद]

4794. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से व्यवसार कर की अधिकतम सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के गढ़वी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

स्टेट बैंक आफ इंदौर में अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

[हिन्दी]

4795. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 1 दिसम्बर, 1987 से 15 जनवरी, 1988 तक की अवधि के दौरान कितने कर्मचारियों को उनके द्वारा आवेदन न किए जाने पर भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के नियम क्या हैं और क्या कर्मचारियों ने इन नियमों के अंतर्गत ऐच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया था ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि संदर्भगत अवधि के दौरान बैंक के भोपाल क्षेत्र से किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया गया है। बैंक के एवार्ड कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन, स्वास्थ्य के आधार पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का अनुरोध करने वाले कर्मचारियों के मामले पर बैंक द्वारा गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है। बैंक के अधिकारी सेवा विनियमों के अधीन किसी अधिकारी को सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते वह लिखित रूप में 3 महीने का नोटिस दे या उनके बदले 3 महीने का वेतन अदा करे ।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने आगे चलकर बताया है कि चौथे द्विपक्षीय समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार जब कभी कोई एवार्ड कर्मचारी अनधिकृत रूप से काफी लम्बे अर्से तक अनुपस्थित रहता है तो उसे स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त मान लिया जाता है। तदनुसार, भोपाल क्षेत्र के एक कर्मचारी को, जो काफी लम्बे अर्से से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार सेवानिवृत्त मान लिया गया है।

वर्ष 1987 में मुद्रास्फीति की दर

[अनुवाद]

4796. **श्री रणजीतसिंह गायकवाड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में मुद्रास्फीति की दर क्या थी; और

(ख) वर्ष के दौरान मुद्रा प्रसार में इससे पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) 1987 के दौरान, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (आधार पर 1970-71=100) के संदर्भ में मुद्रा-स्फीति की दर बिंदु प्रतिबिंदु आधार पर 9.2 प्रतिशत थी।

(ख) प्राप्त अनन्तिम सूचना के अनुसार 1987 में (19 दिसम्बर, 1986 और 18 दिसम्बर, 1987 के मध्य) मुद्रा पूर्ति (एम० 3) में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि एक वर्ष पहले की तदनुरूप अवधि में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

शहरी सम्पत्ति के सौदों के काले धन की उत्पत्ति

4798. श्री के० कुन्जम्बु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहरी सम्पत्ति के सौदों के बड़े पैमाने पर काले धन की उत्पत्ति होने की जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उन सौदों से काले धन की उत्पत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां। सरकार को शहरी संपत्ति के सौदों में काले धन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी है।

(ख) और (ग) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी ने "आस्पेक्ट्स ऑफ ब्लैक इकॉनामि इन इंडिया" शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में, शहरी वास्तविक सम्पदा को, काले धन की उत्पत्ति के क्षेत्रों में से एक क्षेत्र माना है।

(घ) आयकर विभाग द्वारा अचल सपत्ति के सौदों में काले धन की उत्पत्ति और उसके निवेश पर रोक लगाने के लिए अपनाए गए उपायों में, मूल्यांकन कक्ष द्वारा अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाना, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना और आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशियां लेना शामिल है। केन्द्रीय सरकार को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बंगलोर और अहमदाबाद के महानगरों में अचल संपत्ति के पूर्व-क्रय का भी अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सफाई कर्मचारी

4799. श्री साइमन तिग्गा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में सफाई कर्मचारियों को अब भी श्रमिक नहीं माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इन दलित लोगों को श्रमिक घोषित करने का प्रस्ताव रखा था; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार/इंडियन बैंक एसोसिएशन का सफाई कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उनके श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जिनसे उन्हें वंचित रखा गया है, श्रमिकों को क्षेणी में घोषित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत और रोमानिया के बीच कर-समझौता

4800. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रोमानिया के बीच कर-समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है तथा इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ग) कर-समझौता किस तारीख से लागू होगा ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी, हां। आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा रूमानिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच 10 मार्च, 1987 को एक अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अभिसमय दिनांक 14 नवम्बर, 1987 को प्रभावी हुआ तथा भारत में इसका प्रभाव अप्रैल, 1988 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत आय पर पड़ेगा। इस अभिसमय को दिनांक 8 फरवरी, 1988 को सा० का० नि० सं० 80 (अ०) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचित किया गया है।

इस अभिसमय के अन्तर्गत, एक देश के किसी उद्यम के व्यापारिक लाभों पर दूसरे देश में तभी कर लगाया जा सकेगा, यदि उक्त उद्यम उस दूसरे देश में कोई शाखा, कार्यालय, फैक्टरी, कार्यशाला, तेल अथवा गैस कूप अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई स्थान अथवा कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप जैसा कोई स्थायी संस्थापन रखता हो। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन खर्चों पर कटौतियों की अनुमति दी जाएगी जो उक्त स्थायी संस्थापन के व्यापारिक प्रयोजनों के लिए किए गए हों और इन खर्चों में कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्चे भी शामिल होंगे, चाहे वे कहीं भी किए गए हों, परन्तु इस प्रकार की कटौती की अनुमति उक्त राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

इस बात पर सहमति हुई है कि वायुयान संबंधी लाभों का स्रोत देश में पूर्णतः छूट प्राप्त होगी तथा उन पर केवल उक्त उद्यम के निवासी देश द्वारा ही कर लगाया जा सकेगा। जहाजरानी संबंधी लाभों पर स्रोत देश में कर की दरें यात्रियों आदि को लाने-ले-जाने के कारण देय सकल राशि के 2.50% से अधिक नहीं होंगी। लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से प्राप्त आय पर कर लगाने का मूल अधिकार निवासी देश को दिया गया है। स्रोत देश इन आयों पर कतिपय विनिर्दिष्ट प्रतिशत अनुपात की सीमा के हिसाब से अपने कर लगाएगा।

माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर परियोजना और सोनकमला अम्बा परियोजना के लिए धनराशि का आबंटन

[हिन्दी]

4801. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माही-बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा-डूंगरपुर परियोजना और सोनकमला-अम्बा परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1986-87 में उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की थी;

(ग) क्या वर्ष 1988 के दौरान इस संबंध में सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इन परियोजनाओं का निर्माण कितने समय में पूरा करने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) मार्च, 1987 तक, माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा पर 164.56 करोड़ रुपए तथा सोनकमला अम्बा परियोजना पर 20.23 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। बांसवाड़ा-डूंगरपुर परियोजना पर कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक योजना दस्तावेजों में परिकल्पित राज्यों की वित्तीय संसाधन स्थिति तथा स्कीमों की पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता ब्लाक ऋणों अथवा अनुदानों के रूप में देती है और यह किसी सेक्टर अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती।

(घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, माही बजाज सागर परियोजना तथा सोनकमला-अम्बा परियोजना के क्रमशः सातवीं और नौंवी योजनाओं के दौरान पूरा होने की संभावना है।

गंगा बेसिन में बाढ़

[अनुवाद]

4802. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी राज्यों में वर्ष 1987 के दौरान गंगा बेसिन को क्षति पहुंचाने वाली गम्भीर बाढ़ के कारणों की जांच कराने का निर्णय किया है, जैसा कि 15 जनवरी, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने यह मालूम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन प्रारम्भ किया है कि क्या बाढ़ें अभूतपूर्व जल-मौसम विज्ञान संबंधी कुछ दुर्लभ कारणों से आई थीं अथवा कुछ अन्य कारणों से आई थीं जिसके कारण इतने बड़े क्षेत्र में इतनी भारी क्षति हुई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ की समस्याओं की पुनरीक्षा करने तथा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों को दीर्घावधिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय सुझाने के लिए 30-11-87 को एक समिति गठित की है । आशा है कि समिति लगभग छः महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

दिल्ली में बैंक आफ इंडिया की शाखा में चोरी

[हिन्दी]

4803. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से कुछ नकद धनराशि गायब होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में उस शाखा के कुछ कर्मचारी भी शामिल पाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 को उसकी करोल बाग (नई दिल्ली) शाखा के मुख्य खजांची ने पाया कि उसकी केबिन के अन्दर के कैश बक्से से 80,000 रुपए की राशि गायब है । बैंक ने आगे सूचित किया है कि पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और संदिग्ध कर्मचारियों के झूठ पकड़ने वाली मशीन (लाई डिटेक्टर) की प्रक्रिया में दोषमुक्त पाए जाने पर पुलिस ने मामले का पता न चले, मामले के रूप में ठप्प कर दिया है ।

(ग) बैंक ने संबद्ध मुख्य खजांची को दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 से बैंक सेवा से निलंबित कर दिया है उसके विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाई चल रही है ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश धनराशि भेजना

[अनुवाद]

4804. श्री के० मोहनदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश धनराशि भेजने में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विदेशों को जन-शक्ति के निर्यात को बढ़ावा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में जो कदम उठाए गए हैं उनमें विदेशों में प्रचार करना तथा परियोजना निर्यातकों द्वारा विदेशों के दौरे, श्रमिकों का आयात करने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय करार निष्पन्न करना और उत्प्रवास संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है।

निर्यात शुल्क से प्राप्त राजस्व

4805. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात शुल्क से वस्तु-वार कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ग) क्या निर्यात पर सैद्धांतिक रूप से उक्त शुल्क को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) इस समय निर्यात शुल्क निम्नलिखित जिंसों पर लगाया जाता है :—

(i) काफी (इन्स्टेन्ट काफी को छोड़कर)

(ii) अभ्रक (रद्दी और अपशिष्ट)

(iii) शोधित और अशोधित खालें, चर्म और चमड़े (बकरा, भेड़ और गोजातीय पशुओं और उनके बच्चों का परिष्कृत चमड़ा; मेमने की चमड़ी का अपरिष्कृत फर चर्म को छोड़ कर)

(iv) काली मिर्च (ब्लैक पेपर) (लाइट पेपर और पिनहेड पेपर को छोड़कर)

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उगाही गई निर्यात शुल्क की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वस्तु	करोड़ रुपयों में निर्यात शुल्क		
	1984-85	1985-86	1986-87
1. काफी	37.00	40.87	56.32
2. अभ्रक	5.41	5.40	4.64
3. खालें, चर्म और चमड़े	5.87	7.52	6.76
4. काली मिर्च	—	11.34	15.18
5. सभी अन्य वस्तुएं	21.37	5.16	0.22

(ग) जी, नहीं ।

पश्चिम बंगाल की मल निकास योजना के लिए वित्तीय सहायता

4806. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की तीन मल निकास परियोजनाओं (i) बगावन-पुर-नन्दीग्राम वृहद् योजना (ii) मोयना बेसिन योजना, और (iii) तामलुक वृहद् योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उनकी वित्तीय संसाधनों की स्थिति तथा राज्य आयोजनाओं में निर्दिष्ट पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार जल निकास स्कीमों सहित बाढ़ प्रबंध स्कीमों की आयोजना और निष्पादन किया जाना है । तथापि, केन्द्र सरकार, ब्लाक ऋण अथवा अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो किसी खास सेक्टर अथवा स्कीम से जुड़ी हुई नहीं होती ।

गोवा में आवास निर्माण के लिए बैंक ऋण

4807. **श्री शांताराम नायक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आवास निर्माण के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को कोई ऋण दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा व्यक्तियों और संस्थानों को दी गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

[हिन्दी]

4808. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है जिनके कर्मचारियों के विरुद्ध गत एक वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) ऐसे बैंक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध पिछले कई वर्षों से मामले न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं और इन न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में उन बैंकों की संख्या दी गई है जिनके कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 1987 के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गये थे और उन बैंक कर्मचारियों की संख्या दी गई है जिनके खिलाफ 31-12-87 को 3 वर्ष से अधिक समय से मामले अदालतों में लंबित थे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों की संख्या जिनके कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1987 के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं	31-12-87 की स्थिति के अनुसार बैंक कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध 3 वर्ष से अधिक समय से मुकदमे लम्बित हैं
1.	आंध्र प्रदेश	13	9
2.	असम	3	1
3.	बिहार	4	13
4.	गुजरात	7	9
5.	हरियाणा	2	10
6.	जम्मू और कश्मीर	2	6
7.	कर्नाटक	5	68
8.	केरल	4	—
9.	मध्य प्रदेश	6	15
10.	महाराष्ट्र	9	33
11.	मणिपुर	1	—
12.	मेघालय	3	3
13.	उड़ीसा	6	13
14.	पंजाब	5	18
15.	राजस्थान	8	26
16.	तमिलनाडु	11	30
17.	उत्तर प्रदेश	12	19
18.	पश्चिम बंगाल	7	64
19.	चंडीगढ़	3	—
20.	दिल्ली	4	15

भूमिगत जल स्रोतों से जल निकालने के लिए रिगों का प्रयोग

4809. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वारा सूखे के लिए प्राप्त की गई विदेशी सहायता और अनुदान में से कितनी धनराशि भूमिगत जल स्रोतों से जल निकालने के लिए प्रयोग में लाई जा रही रिग मशीनों पर व्यय की जा रही है और इनमें से कितनों रिग मशीनें मध्य प्रदेश को दी जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी कुछ मशीनों का रूस से आयात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ये कब तक प्राप्त हो जाएंगी और इनमें से कितनी मशीनें मध्य प्रदेश को दी जाएंगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सोवियत संघ से उपहार के रूप में 6 ड्रिलिंग रिगों का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

यह रिगें 1988 के दौरान प्राप्त हो जाने की आशा है। इनमें से एक मशीन को मध्य प्रदेश में लगाए जाने की अनंतिम योजना है।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अभ्रक व्यापारियों का पंजीकरण

4810. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना अन्य बातों के अलावा छोटे अभ्रक व्यापारियों की सहायता करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अभी तक डोममंच (बिहार) के 52 अभ्रक व्यापारियों को सहयोगी व्यापारियों के रूप में पंजीकृत नहीं किया है जोकि जनवरी, 1987 से अभ्रक की बिक्री करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और डोममंच के अभ्रक व्यापारियों को पंजीकृत करने के लिए भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को क्या निर्देश दिए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बहुत बड़ी संख्या में (1940) अभ्रक व्यापारी पहले से ही मिटको में, उसके संसाधित अभ्रक सप्लाईकर्ता के रूप में, पंजीकृत हैं, जिसमें से 248 डोमचन्च (बिहार) में हैं, इसलिए अपनी सीमित क्रय-क्षमता तथा अंशदायी फार्मूला के अन्तर्गत अभ्रक के कुल निर्यात में अपने अंशदान को ध्यान में रखते हुए, मिटको द्वारा सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों द्वारा वित्त-पोषित शिक्षित बेरोजगार युवाओं के मामले में ही नये पंजीकरण पर विचार किया जाता है।

वस्त्र निर्यात विकास परियोजनाएं

[अनुवाद]

4811. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग को निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है;

(ख) क्या नई कोटा प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को वस्त्र निर्यातकों से कोटा देने के लिये विशाल धनराशि प्राप्त होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस धनराशि को निर्यात विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का व्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) दीर्घकालिक परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति, 1988-90 की खुली निविदा योजना के अंतर्गत निर्यातकों को सुपर फास्ट श्रेणियों के 15 प्रतिशत का आबंटन, आवेदित मात्राओं पर प्रस्तावित प्रीमियम के आधार पर किया जाता है । इस प्रकार से वसूल की गई राशि निर्यात संवर्धन परियोजनाओं पर व्यय की जाएगी । साथ ही आवश्यक बजट व्यवस्था भी कर दी गई है ।

"सिंथेटिक" और "रेयान" के कपड़ों का निर्यात

4812. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "सिंथेटिक" और "रेयान" के कपड़ों का वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक का निर्यात हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ग) निर्धारित लक्ष्य से कितने अधिक का निर्यात हुआ है;

(घ) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1988 में इसकी स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सिंथेटिक तथा रेयन निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1987-88 के दौरान सिंथेटिक वस्त्रों के निर्यात 102.56 करोड़ रु० के हुये जबकि 1987-88 के लिये 85 करोड़ रु० का लक्ष्य रखा गया था ।

(घ) और (ङ) सिंथेटिक वस्त्रों सहित वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार कदम उठाती रही है जिससे उनके निर्यात बढ़ाने में सहायता मिली है । निर्यात को बढ़ाने के लिए, उठाये गये मुख्य कदम संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं ।

विवरण

सिंथेटिक वस्त्रों सहित वस्त्र सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सरकार 25 प्रतिशत के आयात शुल्क के रियायती दर पर 7 अत्याधुनिक वस्त्र मशीनों

के आयात की अनुमति देती है बशर्ते कि आयातक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातक के कुल औसत निर्यातों की तुलना में मशीनों के मूल्य से 5 गुना निर्यात किया हो। विद्यमान योजना के अलावा, संशोधित निर्यात दायित्व योजना में 5 वर्षों के लिए उत्पादन के 75 प्रतिशत निर्यात के लिए निर्यात दायित्व के साथ आयात की अनुमति है। आयातक दो दायित्वों में से किसी एक को चुन सकता है।

(2) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए 750 करोड़ रु० की एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया गया है।

(3) लदान-पूर्व ऋण के दिनों की संख्या 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ब्याज की दर भी 2.5 प्रतिशत कम कर दी गई है।

(4) कच्चे माल/फैब्रिकों की कई मदों के आयात की अनुमति, शुल्क मुक्त आर० ई० पी० योजना तथा आयात-निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

(5) अग्रिम लाइसेंसिंग तथा पास बुक योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है तथा क्रियाविधियों को सरल बनाया गया है।

(6) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों के अन्तर्गत, अन्य रियायतों के साथ-साथ पूंजीगत माल तथा कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं दी जाती हैं।

(7) सरकार संवर्धनात्मक कार्यकलापों जैसे कि बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता बैठकों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी के प्रयोजन तथा वित्त पोषण के सम्बन्ध में उदार सहायता भी देती रही है।

(8) एजेन्सी कमीशन में वृद्धि कर दी गई है तथा विदेशी मुद्रा के लिए खुली अनुमति हेतु नियमों को पर्याप्त उदार बना दिया गया है।

बोफोर्स के साथ प्रतिव्यापार

4813. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राज्य व्यापार निगम ने बोफोर्स के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिव्यापार के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो बोफोर्स के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार के, किन क्षेत्रों पर विचार-विमर्श हुआ और इस संबंध में यदि कोई समझौता किया गया है, तो इसका ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) बोफोर्स कंपनी का एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य व्यापार निगम के साथ किये गये समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए जनवरी, 1988 के अंतिम सप्ताह में भारत आया। विचार-विमर्श में राज्य व्यापार निगम और बोफोर्स के बीच हुए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की परिचालित रूपात्मकता को भी शामिल किया गया। चर्चाओं के परिणामस्वरूप मैसर्स बोफोर्स के साथ समझौता ज्ञापन के एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किये गये।

समझौता ज्ञापन के अनुसार 17.89 करोड़ रु० की भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए संविदाएं की गई हैं और 15 फरवरी, 1988 तक 6.19 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात किये गये हैं।

कर अभिकलन को सरल बनाने के लिए
धारा 44-खख को जोड़ना

4814. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज और संबंधित कार्यों में संलग्न विभिन्न कम्पनियों की सहायता करने के लिए कर अभिकलन को सरल बनाने हेतु पिछले वर्ष के बजट में धारा 44-खख को जोड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो धारा 44-खख को लागू करने से क्या लाभ प्राप्त हुये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त विधेयक, 1988 द्वारा संशोधित की जाने वाली यथा-प्रस्तावित धारा 44-खख का संबंध उन अनिवासी करदाताओं के मामले ने कर-निर्धारणों से है जो खनिज तेलों के पूर्वेक्षण अथवा उनके निष्कर्षण या उत्पादन के कार्य में प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त किये जाने वाले संयंत्र और मशीनों के सम्बन्ध में सेवाएं प्रदान करने अथवा उनकी किराये पर सप्लाई करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस धारा का लाभ यह है कि इसमें ऐसे मामलों में आय की संगणना की एक सरल प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।

पश्चिम बंगाल में बैंक

4815. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को कितना ऋण दिया गया है; और

(घ) वर्ष 1985, 1986 और 1987 में इन ऋणों को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सितम्बर, 1987 के अन्त में पश्चिम बंगाल में कार्यरत बैंकों के नाम और उनकी ग्रामीण शाखाओं का बैंक-वार ब्योरा दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना प्रणाली से प्रत्येक राज्य में समाज के कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों के बारे में बैंक-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। लेकिन, जून, 1985 और जून, 1986 के अन्तिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सम्बद्ध अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के नाम बकाया राशियों का ब्योरा इस प्रकार है :—

जून, 1985	158.69 करोड़ रुपए
जून, 1986	251.41 करोड़ रुपए

समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुख्य योजनाएं हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर योजना, छोटे और सीमांतिक किसानों के लिए खेती की उपज बढ़ाते की योजना, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा शुरू किए जाने वाले आर्थिक कार्य और शहरी गरीबों को स्वरोजगार देने की योजना।

विवरण

दिनांक 30 सितम्बर, 1987 को पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का बैंक-वार विवरण

बैंक का नाम	ग्रामीण शाखाओं की संख्या
1	2
1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	—
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	—
3. भारतीय स्टेट बैंक	238
4. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	—
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	—
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	—
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	—
9. इलाहाबाद बैंक	121
10. आन्ध्रा बैंक	1
11. बैंक आफ बड़ोदा	14
12. बैंक आफ इंडिया	68
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	—
14. केनरा बैंक	17
15. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	74
16. कारपोरेशन बैंक	—
17. देना बैंक	—
18. इंडियन बैंक	5
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	9
20. न्यू बैंक आफ इंडिया	11
21. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	—

1	2
22. पंजाब एंड सिंध बैंक	1
23. पंजाब नेशनल बैंक	63
24. सिंडीकेट बैंक	14
25. यूको बैंक	115
26. यूनियन बैंक आफ इंडिया	27
27. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	271
28. विजया बैंक	2
29. अल्जीमीन बैंक नीदरलैण्ड एन० वी०	—
30. अमरीकन एक्सप्रेस बैंक लि०	—
31. बैंक आफ अमेरिका एन० टी० एंड एस० ए०	—
32. बैंक नैशोनेल द पॉरी	—
33. सिटी बैंक एन० ए०	—
34. ग्रिंडलेज बैंक पी० एल० सी०]	—
35. हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	—
36. सोनाली बैंक	—
37. स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	—
38. दि बैंक आफ टोकियो लि०	—
39. बर्धमान ग्रामीण बैंक	78
40. गौड़ ग्रामीण बैंक	118
41. हावड़ा ग्रामीण बैंक	37
42. मल्लभूम ग्रामीण बैंक	137
43. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक	7
44. मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक	17
45. नाडिया ग्रामीण बैंक	37
46. सागर ग्रामीण बैंक	86
47. उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	78
48. बैंक आफ मदुरा लि०	—
49. बैंक आफ राजस्थान लि०	—
50. बनारस स्टेट बैंक लि०	—
51. भारत ओवरसीज बैंक लि०	—
52. कैथोलिकसीरियन बैंक लि०	—
53. फेडरल बैंक लि०	—

1	2
54. जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि०	—
55. करूर वैश्य बैंक लि०	—
56. पूर्वांचल बैंक लि०	—
57. साउथ इंडियन बैंक लि०	—
58. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि०	—
59. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०	57
60. वैश्य बैंक लि०	—
कुल	1756

केरल में हथकरघा बुनकरों की शिकायतें

4816. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**
श्री के० कुन्जम्बु :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल हथकरघा समिति और अन्य संगठनों ने केरल के हथकरघा बुनकरों की शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या मुख्य शिकायतें की गई हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केरल हैंडलूम ऐसोसिएशन, कैन्नानोर से एक अभि-वेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) मुख्य शिकायत सूती यार्न की कीमतों में बढ़ोतरी और परिणामस्वरूप केरल में हथकरघा क्षेत्र में निर्यात के लिए उत्पादन में महसूस होने वाली मुश्किलों के सम्बन्ध में है।

(ग) (1) विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए सरकार यार्न की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि, जो मुख्यतया कच्ची कपास की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है, को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किये हैं। स्टेपल कपास के निर्यात को, स्थगित कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया कि सूती यार्न/सूती फैब्रिक और मेड-अप्स के निर्यात के बदले कपास के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस के आधार पर अनुमति दी जाए। 60 काउंट तक के हैंक यार्न के निर्यात को रोक दिया गया है।

(2) हथकरघा उद्योग को राहत देने के लिये चालू की गई योजनाएं हैं : हैंक यार्न दायित्व योजना, बुनकरों की नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना तथा मौजूदा एककों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण सहायता और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का कार्य

पूर्ति कार्यक्रम। (2) राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि सहकारी कताई मिलों/राज्य क्षेत्र की मिलों से हथकरघा क्षेत्र की उचित कीमतों पर यार्न देने के लिए यार्न कीमत निर्धारण समितियों का गठन किया जाये।

ऊपर किये गये उपायों से सूती यार्न की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति आरम्भ हो चुकी है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋण

4817. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1987 में पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) क्या इन संस्थानों ने वर्ष 1987 के दौरान केरल में कुछ ऋण मंजूर किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने 1986-87 (जुलाई-जून) तथा 1987 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों की क्रमशः 1836.95 करोड़ रुपये तथा 841.05 करोड़ रुपये की कुल सहायता मंजूर की थी।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा केरल के लिये मंजूर की गई तथा संवितरित की गई ऋण सहायता नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

संस्थान का नाम	वर्ष	कुल सहायता		उसमे से पिछड़े क्षेत्रों को दी गई सहायता	
		स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1986-87 (जुलाई-जून)	140.29	100.65	71.37	46.49
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1987 (जनवरी-दिसम्बर)	11.34	7.62	10.71	6.13

सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात के लिए खुली निविदा प्रणाली

4818. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केन्द्रीय सरकार ने निर्यातकों द्वारा सुपरफास्ट श्रेणियों के कपड़ों के निर्यात के लिए उद्धृत प्रीमियम को देखते हुए खुली निविदा प्रणाली के द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनायी गयी नीति और प्रक्रिया का ब्योरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) परिधानों के लिए दीर्घकालीन निर्यात हकदारी वितरण नीति 1988-90 के अंतर्गत, सुपरफास्ट श्रेणियों के लिए खुली निविदा प्रणाली नामक एक नयी प्रणाली शुरू की गयी है इन श्रेणियों के लिए उपलब्ध स्तरों का 15 प्रतिशत इस प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित किया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आवेदकों से यह अपेक्षित है कि वह अपने आवेदन-पत्र मुहरबंद लिफाफों में भेजें तथा आवेदन पत्रों में आवेदित मात्रा के लिए प्रस्तावित प्रीमियम बताएं और प्रीमियम राशि के 50 प्रतिशत अंश के लिए डिमांड ड्रापट भी संलग्न करें। बाकी 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कोटा के आबंटन के समय किया जाता है। खुली निविदा प्रणाली के अन्तर्गत कोटा आबंटियों से यह अपेक्षित है कि वह एक न्यूनतम निर्यात कीमत पर सामान का निर्यात करें यह कीमत अपसेट कीमत और निर्यातकों द्वारा अदा प्रीमियम राशि का जोड़ होगी। ऐसी उम्मीद है कि इससे अधिक एकक मूल्य वसूली अधिप्राप्ति होगी।

राजस्थान में सूखा प्रभावित लोगों को ऋण

4819. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश में सूखा प्रभावित लोगों को ऋण देने के लिए आदेश दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे राजस्थान में विशेषकर भीलवाड़ा जिले में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को बैकल्पिक फसलें अथवा चारे की फसल उगाने, बीजों के उत्पादन, लघु सिंचाई प्रयोजनों, छोटे तथा सीमान्तिक किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को 5.00 रुपए तक के सामान्य प्रयोजन उपयोग ऋण देने और उचित दर की दुकानें शुरू करने के लिए सहायता देने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों के नाम विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। इन मार्गनिर्देशों में अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने और निवेश ऋण का पुनर्निर्धारण करने की भी परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, 3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों से चालू वर्ष (जुलाई, 1987-जून, 1988) में मूलधन और ब्याज को देय रकमों की वसूली को 2 वर्ष या अगले सामान्य वर्ष तक, यदि यह पहले हुआ हो, स्थगित करने के लिए कहा गया है। बैंकों से तीन या उससे अधिक बार लगातार सूखे से पीड़ित किसानों के मामले में और उन किसानों के मामले में जिनके ऋणों को परिवर्तित/पुनर्निर्धारित कर दिया गया है, 5,000 रुपए तक के अल्पावधिक ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर ब्याज वसूल करने के लिए भी कहा गया है। पहली मार्च, 1988 से कृषि प्रयोजनों के वास्ते 7,500 रुपए तक के सभी अल्पावधिक ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जा रहा है।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राजस्थान में सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को करीब 50 हजार ऋण खातों में अक्तूबर, 1987 के अन्त तक 19.98 करोड़ रुपए तक की सहायता दी गई थी।

व्यापारिक गृहों को शामिल करने के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए योजना में परिवर्तन

4820. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए योजना में परिवर्तन करना है ताकि व्यापारिक गृहों को भी इस नीति के अन्तर्गत शामिल किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि एककों द्वारा निर्मित माल को तीसरे पक्षकारों द्वारा, जिनमें व्यापार सदन भी शामिल हैं, प्राप्त निर्यात संविदाओं के आधार पर आयात-निर्यात नीति के अनुसार निर्यात किया जा सकता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा "यूरो कार्माशियल पेपर" जारी किया जाना

4821. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने पुन: निवेश के आधार पर "यूरो कामशियल पेपर" जारी करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां तो इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) "यूरो कमर्शियल पेपर" सुविधा की उत्पत्ति कैसे हुई; और

(घ) इससे नए और कम मूल्य वाले बाजारों का लाभ उठाने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक भारतीय स्टेट बैंक और इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने "यूरो कामर्शियल पेपर" जारी करना शुरू किया है।

(ग) "यूरो कार्मिशयल पेपर" सुविधा एक अल्पावधि-पत्र के रूप में है जिसे इस प्रयोजन के लिए चुनी गई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति फर्मों की, प्रतियोगी निविदा आधार पर, बेचा जाता है।

(घ) चूंकि अल्पावधि पत्र अधिक विस्तृत भागीदारी को आकृष्ट करते हैं, इसलिए उधार-कर्त्ता परम्परागत माध्यमों की तुलना में काफी कम दरों पर निधियां प्राप्त कर सकता है।

इराक की भारतीय चाय खरीदने की इच्छा

4822. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक ने भारतीय चाय खरीदने के लिए दीर्घावधि ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे की व्यापक रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार का इसे किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) कुछ भारतीय कम्पनियों को अस्थगित ऋण शर्तों पर भारतीय चाय सप्लाई करने के लिए इराक से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) अस्थगित ऋण शर्तों में भारत से चाय की दीर्घकालीन उधारी पर खरीद की सुविधा है जो 365 दिन तक जा सकती है। यह सौदा संबद्ध कम्पनियों के वाणिज्यिक निर्णयों तथा अस्थगित ऋण के संबंध में विद्यमान विनियमों तथा विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तन पर निर्भर करेगा।

स्टाक एक्सचेंजों की सदस्यता

4823. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक से अधिक स्टाक एक्सचेंजों की सदस्यता की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा नये निर्गमों अथवा सट्टेबाजों पर, जो जारी किए गए नये-नये शेयरों में धोखाधड़ी करते हैं, निगरानी रखी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निवेशकर्त्ताओं के हितों की रक्षा न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में इस आशय का संशोधन करने का फैसला किया है जिसके आधार पर स्टाक एक्सचेंजों की बहुल सदस्यता प्राप्त कर सकने की अनुमति दी जा सकेगी। इसी निश्चय के अनुसार एक अधिसूचना का प्रारूप भी भारत को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। उपर्युक्त कारंवाई मुख्य रूप से निवेश करने वाली जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

(ग) से (ङ) पूंजी के नए निर्गमों पर पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम आदि के उपबन्ध लागू होते हैं। स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार का विनियमन स्टाक एक्सचेंजों की उपविधियों तथा विनियमों के द्वारा किया जाता है। स्टाक एक्सचेंज, ऐसे विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करके, जो उनको प्राप्त हैं, हेराफेरी की रोकथाम करते हैं। सरकार स्टाक एक्सचेंजों के कार्यचालन पर बराबर कड़ी नजर रखे हुए है। सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन तथा विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने का निश्चय भी किया है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखना है।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलना

4824. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश बैंक को हिमाचल प्रदेश में उसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों में चालू वित्त वर्ष के दौरान नई शाखाएं खोलने के लिए कोई लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जिनके लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं और बैंक द्वारा उनमें अब तक किन-किन स्थानों पर शाखाए खोली गई हैं; और

(ग) शेष शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग)

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत, हिमाचल ग्रामीण बैंक को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में अपनी शाखाएं खोलने के वास्ते 12 केन्द्रों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन 12 केन्द्रों में से, बैंक ने 10 केन्द्रों में शाखाए खोली हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
कुल्लू	1. सरसारी
	2. दोहरानल
कांगड़ा	3. पीरसलूही
	4. माझिन
	5. भरोली
	6. सरीमलोग
मंडी	7. जामनी
	8. धलवां
	9. लेडा
	10. करकोह

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक से कहा है कि मार्च, 1990 तक वर्तमान शाखा विस्तार कार्यक्रम की बाकी अवधि के दौरान आबंटित केन्द्रों में अलग-अलग चरणों में शाखाएं खोली जाएं। शाखाओं की वास्तव में खोला जाना उपयुक्त परिसर और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा। इन परिस्थितियों में, बाकी दो केन्द्रों में शाखाएं खोलने की संभावित तारीख बताना फिलहाल संभव नहीं है।

औद्योगिक गृहों तथा औद्योगिक निगमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं को बढ़ावा देना

4825. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक गृहों तथा औद्योगिक निगमों को अपनी निजी वित्तीय ऋण संस्थाओं को बढ़ावा देने की अनुमति है;

(ख) क्या इन वित्तीय ऋण संस्थाओं को जनता से सावधि जमा के रूप में धन एकत्र करने की अनुमति है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच कोई अन्तर रखा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, आदि

की अपेक्षाओं के अनुसार औद्योगिक घराने तथा औद्योगिक निगम अलग वित्तीय कम्पनियां स्थापित कर सकते हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी कम्पनियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाराशियों की मात्रा तथा मंजूर की जाने वाली जमाराशियों की अवधि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित कम्पनियों के संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र की तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के बीच कोई भेद नहीं है।

बिहार में ऋण-जमाराशि का अनुपात

[हिन्दी]

4826. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बैंकों में ऋण-जमाराशि का अनुपात केवल पैंतीस प्रतिशत है जबकि इसका अखिल भारतीय अनुपात पैंसठ प्रतिशत है तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कुछ अन्य राज्यों में यह अनुपात नब्बे प्रतिशत से भी अधिक है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का बिहार में ऋण जमाराशि का अनुपात अखिल भारतीय स्तर से कम न होने देने के बारे में बैंकों को अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) सितम्बर, 1987 के अन्त में बिहार राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 37.4 प्रतिशत था, जो 61.4 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कम था। सितम्बर, 1987 के अन्त में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों का ऋण जमा अनुपात क्रमशः 94.9 प्रतिशत, 78.7 प्रतिशत और 92 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) किसी क्षेत्र विशेष के ऋण जमा अनुपात का स्तर उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि और ऋण की मांग पर निर्भर करता है जो फिर परिवहन, विपणन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान स्थानीय उद्यमवृत्ति की स्थिति और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति जैसी कई बातों से प्रभावित होता है। ऋण की यथोचित वसूली की प्रत्याशा और स्थानीय सरकारी तन्त्र से सहयोग भी ऋण के बेहतर वितरण में सहायक होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के वास्ते ऋण जमा अनुपात के लिए पहले ही 60 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों द्वारा धनराशि का स्वदेश भेजा जाना

[अनुवाद]

4827. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में भेजे गये रुपयों का मूल्य कितना था;

(ख) प्रतिवर्ष खाता बही के प्रयोजन से प्रतिवर्ष स्वदेशी भेजी गई कुल राशि में इस प्रकार भेजी गई राशि की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में कार्य कर रहे कुछ भारतीय विदेशों में कम दर पर ऋण ले रहे हैं तथा इन्हें भारत में अधिक दर पर अनिवासी भारतीय खातों में जमा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) विदेशों में काम करने वाले भारतीयों से प्राप्त होने वाली प्रेषणाओं की रुपयों में कीमत, नवीनतम वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो भुगतान शेष सांख्यिकी में निजी अन्तरण प्राप्तियों के अन्तर्गत आती है, 1983-84 में 2648 करोड़ रुपये, 1984-85 में 2982 करोड़ रुपए और 1985-86 में 2715 करोड़ रुपए थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित कुल चालू खाते की प्राप्तियों की तुलना में ऐसी प्रेषणाओं की प्राप्तियों का प्रतिशत 1983-84 में 15.5 प्रतिशत, 1984-85 में 14.7 प्रतिशत और 1985-86 में 1?.9 प्रतिशत बैठता है।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा अनिवासी दरों और विदेशों में तदनुरूप दरों में कभी-कभी आकर्षक विभेदकों के मामले देखने में आते हैं। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक इसे ध्यान में रखता है और विदेशी मुद्रा अनिवासी दरों में समय-समय पर संशोधन करता रहता है।

पटसन उद्योग की क्षमता का उपयोग

4828. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987 को तथा 1 जनवरी, 1988 को पटसन उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी;

(ख) वर्ष 1987 के दौरान प्रतिदिन उपयोग में लाई गई क्षमता का औसत कितना है;

(ग) 1 जनवरी, 1988 को कितनी मिलें बन्द पड़ी थीं तथा इनकी कुल कितनी क्षमता थी और इसमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे थे;

(घ) 1 जनवरी, 1988 को उपयोग में न लाई गई अपनी क्षमता तथा श्रमिकों की संख्या के सहारे आंशिक रूप से कितनी मिलें कार्य कर रहीं थीं; और

(ङ) पटसन उद्योग को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पटसन उद्योग की स्थापित क्षमता नीचे दी गई है :

1-1-1987 की स्थिति के अनुसार—16.0 लाख मे० टन० प्रति वर्ष

1-1-1988 की स्थिति के अनुसार—16.40 लाख मे० टन प्रति वर्ष

(ख) 1987 के दौरान पटसन उद्योग की औसत दैनिक क्षमता उपयोगिता लगभग 78 प्रतिशत थी।

(ग) 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार 5 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम एककों सहित बन्द पड़ी 19 पटसन मिलों की वार्षिक क्षमता लगभग 4 लाख 91 हजार 9 सौ मे० टन रही है और इसमें लगभग 82,880 कामगार कारगर थे।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैसर्स फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज की दो पटसन मिल एककों में से एक एकक में 1-1-1988 को तालाबन्दी थी। इस एकक की स्थापित क्षमता 22,900 मे० टन प्रति वर्ष तथा 3500 श्रमिक बल है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं :

(1) पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1 नवम्बर, 1986 से लागू 150 करोड़ रु० की पटसन आधुनिकीकरण निधि की स्थापना।

(2) पटसन उद्योग के पुनर्निर्माण, उन्हें खोलने/पुनर्वासन के साथ-साथ पटसन कृषि का विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपये की विशेष विकास निधि की स्थापना।

(3) अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के लिए पटसन पैकेजिंग माल के अनिवार्य प्रयोग के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 नामक एक कानून बनाना।

(4) पटसन मिलों के आधुनिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पटसन मशीनों और सहायक उपकरणों की कुछ विशिष्ट मदों के आयात पर सीमा-शुल्क की छूट।

(5) पटसन माल के निर्यात के लिए नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना।

(6) पटसन मिलों से लागत जमा आधार पर सीधे ही सरकारी क्षेत्र के लिए पटसन माल की खरीद।

(7) कच्चे पटसन की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए कच्चे पटसन की एक बफर स्टाक योजना प्रचलन में है।

विदेशी बैंकों की जमा राशियां

4829. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री विदेशी बैंकों के बारे में 26 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय और अनिवासी खातों में कुल जमा राशियों का ब्यौरा अलग-अलग क्या है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान बैंकों के माध्यम से बैंक-वार कुल कितनी राशि का प्रत्यावर्तन हुआ;

(ग) लाभ और लाभांश, आदि के रूप में, बैंक-वार कुल कितनी राशि देश से बाहर भेजी गई; और

(घ) प्रत्येक बैंक का 31 मार्च, 1987 को ऋण जमा अनुपात कितना था । ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में काम कर रहे विदेशी बैंकों की कुल जमा राशियां और अनिवासी जमा राशियां (विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते और अनिवासी खाते,, 28 नवम्बर, 1987 को उनके ऋण जमा अनुपात और वर्ष 1985 में इन बैंकों के ग्राहकों की ओर से और उनके खातों में प्राप्त आवक प्रेषणाओं और वर्ष 1986 के दौरान इन बैंकों द्वारा अपने प्रधान कार्यालयों को भेजी गई राशि का ब्योरा दिया गया है ।

विवरण

(राशि लाख रुपए)

क्रम॰ सं॰	बैंक का नाम	कुल जमा राशि	अनिवासी जमाराशियां विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते	अनिवासी खाते	ऋण जमा अनुपात	वर्ष 1985 में ग्राहकों की ओर से प्राप्त आवक प्रेषणाएं	वर्ष 1985 में ग्राहकों के अपने खातों के संबंध में प्राप्त आवक प्रेषणाएं	वर्ष 1986 में भेजी गई लाभों की रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	37871.20	4840.87	4769.33	66.71	19,491	—	314.49*
2.	बैंक नेशनल डी पेरिस	11008.56	4330.56	594.65	63.99	10,440	—	110.48
3.	ग्रिंडलेज बैंक पी॰ सी॰ एल॰	107869.81	19499.16	10872.09	53.70	41,783	—	1066.76
4.	हांगकांग बैंक	57007.90	11036.36	3053.53	55.32	6,367	—	503.65
5.	एल्जीमेन बैंक नीदरलैंड एन॰ वी॰	5639.29	2084.90	268.13	60.41	27,459	—	99.01
6.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि॰	7413.67	5001.23	1060.60	47.60	12,717.36	—	481.58
7.	सिटी बैंक एन॰ ए॰	59187.62	27674.41	3291.17	63.96	12,524	—	—
8.	बैंक आफ तोक्यो लि॰	15080.02	3401.99	441.05	78.59	4,272	729	130.40
9.	ब्रिटिश बैंक आफ द मिडल ईस्ट	12414.80	7428.56	2900.74	70.19	13,970	—	121.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मिस्रई बैंक लि०	1442.26	शून्य	59.11	87.72	83,810	—	—
11.	बैंक आफ अमरीका एन० टी० एण्ड एस० ए०	23040.10	6307.86	511.26	73.28	18,376	—	846.71
12.	सोनाली बैंक लि०	360.06	शून्य	शून्य	35.87	0.42	—	—
13.	ह्यूश बैंक (एशिया)	4848.89	3517.03	5.92	54.86	1,725	—	72.77
14.	बैंक आफ ओमान लि०	3458.86	1858.87	472.87	73.19	5,138	—	34.26
15.	आबूदाबी कमर्शियल बैंक लि०	1318.11	409.38	143.44	40.10	1,599	70	—
16.	बैंक इन्डो-स्वेज	5846.00	4219.40	63.12	94.78	5,860	—	63.67
17.	बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (बी० सी० सी० आई० लि०)	23431.26	1654.15	1430.56	75.38	14,140	28	—
18.	बैंक आफ नोवा स्काटिया	1498.61	865.11	18.25	68.88	657	—	—
19.	ओमान इन्टरनेशनल बैंक लि०	2274.91	1432.72	44.73	89.54	0.003	169	31.60
20.	सोसिएट जनरेल	3709.07	3128.41	8.69	79.92	1,165	378	49.41
21.	बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत लि०	334.71	54.17	58.10	79.39	—	39	—

*1982 से 1986 के वर्षों के वास्ते लाभ को घोतक है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा निवेश

4830. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान किये गये निवेश सहित 1 जनवरी, 1988 की स्थिति के अनुसार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) इक्विटी, डिबेंचर, सरकारी क्षेत्र के बांडों, केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों आदि में किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 1987 के दौरान निवेश की पद्धति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पहली जनवरी, 1988 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा किये गये कुल निवेश की राशि 5972.52 करोड़ रुपये है। पहली जुलाई, 1987 से 31 दिसम्बर, 1987 तक (6 महीने) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 1409 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा 31-12-87 की स्थिति के अनुसार किये गये निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
इक्विटी शेयर	877.59
तरजीही शेयर	10.07
ऋण-पत्र/बांड	1603.84
सावधिक ऋण	86.31
सावधिक ऋण वचनबद्धता के आधार पर अग्रिम जमा	124.04
कम्पनियों के पास अप्रतिभूत जमा	180.83
पूरक वित्त जमा, आवेदन-पत्रों के साथ प्रेषित धनराशि इत्यादि	26.29
मुद्रा बाजार प्रलेख	1085.95
मांगी गई राशि	506.16
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड/जमा	674.00
बैंक ऋणों के आधार पर अग्रिम	292.36
सरकारी प्रतिभूतियां	505.08
जोड़ :	5972.52

(ग) जी हां। सामान्य शेयरों, सरकारी क्षेत्र के बांडों में और प्रतिभूतियों में किये जाने वाले पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है।

नए बांड जारी करने के लिए मार्गनिर्देश

4831. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नये बांड जारी करने के लिये कोई नये मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं अथवा विद्यमान मार्गनिर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये बांडों में जनता द्वारा किए गए पूंजी निवेश को सुरक्षित रखने के लिये क्या आवश्यक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) ऋण-पत्र धारकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा 25 फरवरी, 1988 को जारी किये गये मार्गनिर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इन मार्गनिर्देशों से मौजूदा ऋण-पत्र धारकों के हितों की रक्षा में योगदान मिलने की आशा है।

विवरण

ऋण-पत्र धारकों के हितों की रक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

ऋण-पत्र सम्बन्धी सेवाओं और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने ऋण-पत्र धारकों के हित में 14 जनवरी, 1987 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और अतिरिक्त पूंजी जारी करने की इच्छुक कम्पनियों में मौजूदा ऋण-पत्र धारकों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जिन कम्पनियों ने विगत वर्षों में पहले ही ऋण-पत्र जारी कर दिये हैं और जो नई प्रतिभूतियां जारी करने का इरादा रखती है, वे सभी पूंजी-निर्गम के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले अपने आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पूंजी-निर्गम नियन्त्रक को प्रस्तुत करेंगी :—

(1) पहले से जारी किये गये ऋण-पत्रों के बारे में सरकार द्वारा जनवरी, 1987 में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही की यथावत रिपोर्ट;

(2) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया हो कि (क) पहले से जारी किये गये ऋण-पत्रों का परिपोषण करने में कम्पनी ने कोई चूक नहीं की है; और (ख) कम्पनी के पिछले सभी ऋण-निर्गमों के लिये आवंटितियों के पक्ष में ऋण-पत्र सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं; और

(3) वित्तीय संस्था और/या बैंकरों से एक प्रमाण-पत्र कि उनको प्रस्तावित ऋण-पत्र निर्गम के न्यासियों के पक्ष में द्वितीय या समानुपातिक प्रभार सृजित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

शेयर बाजार में प्रतिभूतियों को शामिल किया जाना

4832. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेयर बाजार में प्रतिभूतियों को शामिल करने के सम्बन्ध में न्यूनतम स्तरों को दुगुना कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो जनता से धन जुटाने वाली छोटी नई कम्पनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि आगे से केवल उन्हीं कम्पनियों को, जिनकी न्यूनतम जारी सामान्य शेयर पूंजी 100 लाख रुपये से ऊपर की हो और जिन्होंने कम से कम 60 लाख रुपया अंकित मूल्य के सामान्य शेयरों की सार्वजनिक पेशकश की हो, स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे पहले सूचीबद्ध होने के लिये जरूरी शर्त यह थी कि कम्पनी की न्यूनतम जारी पूंजी 50 लाख रुपए की हो और उसने कम से कम 30 लाख रुपए के शेयरों की सार्वजनिक पेशकश की हो।

(ख) उपर्युक्त निर्णय से सूचीबद्ध होने योग्य निर्गमों के आकार में वृद्धि होगी और स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद उनके नकद साधनों की सक्षमता बढ़ेगी।

पेनिसिलीन-बी के लिए आयात लाइसेंस

4833. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी क्षेत्र के एकक को पेनिसिलीन-बी आयात करने के लिए आयात लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अलैक्जेंडर समिति के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) मै० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल लि० को वास्तविक प्रयोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए पेनिसिलीन-बी का आयात करने के संबंध में तदर्थ आधार पर आयात लाइसेंस प्रदान किया गया था।

लाभांश के रूप में हुई आय पर कर

4834. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाभांश के रूप में होने वाली आय पर, विद्यमान दर को समाप्त करने की संभावना की जांच की है ताकि पूंजी बाजार में स्थायी तौर पर स्थिरता लाई जा सके;

(ख) क्या डिबेंचरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश और ब्याज के सम्बन्ध में विद्यमान कर प्रक्रियाओं के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग शेयरों और डिबेंचरों में पूंजीनिवेश करने से कतराते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निवेश की गई धनराशि वापस प्राप्त करने के लिए एक विवरणी

दाखिल करनी पड़ती है जिसमें काफी लिखा-पढ़ी और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। आयकर अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था है कि छोटे निवेशकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी कंपनी द्वारा किसी वर्ष में अदा किये गये लाभांश की राशि पच्चीस सौ रुपये से अधिक न हो और ऐसी अदायगी एकाउंट-पेयी चैक द्वारा की जाती हो तो विद्यमान उपबंधों के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाती है। उन मामलों में भी, जिनमें लाभांश की राशि इस राशि से अधिक हो, तो निवेशक आय-कर नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में, कंपनी के पास इस आशय की घोषणा दाखिल कर सकता है कि पिछले वर्ष के लिये, आयकर अधिनियम के अनुसार परिकलित, शेयरों पर प्राप्त लाभांश आय सहित उसकी अनुमानित कुल आय आयकर के लिये कराधेय न्यूनतम आय से कम होगी। ऐसे मामलों में, लाभांश की अदायगी के समय स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी। दूसरी ओर, गैर-निगमित निवेशक कर निर्धारण अधिकारी को भी आवेदन भेज सकते हैं और यदि कर-निर्धारण अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाण-पत्र दे देता है कि जहां तक उसको विश्वास है, शेयर-धारी की कुल आय, आयकर के लिए कराधेय न्यूनतम आय से कम होगी, तो ऐसे शेयरधारियों को अदा किये गये लाभांश की राशि पर स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जायेगी। इस प्रकार, प्रतिभूतियों पर ब्याज के मामले में, निवेशक निर्धारित प्रपत्र में उस कंपनी के पास, जिसमें उसने निवेश किया हो, इस आशय की घोषणा कर सकता है कि पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिकलित, प्रतिभूतियों पर ब्याज सहित उसकी कुल अनुमानित आय, आयकर के लिए कराधेय न्यूनतम आय से कम होगी और यदि ऐसी घोषणा कम्पनी के पास दाखिल करवा दी जाती है, तो ऐसे मामलों में निवेशक को अदा किये जाने वाले ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। निवेशक प्रमाण-पत्र के लिये कर-निर्धारण अधिकारी को भी आवेदन भेज सकता है और यदि कर-निर्धारण अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो वह या तो स्रोत पर कोई कटौती न करने अथवा निम्नतर दर पर कर की कटौती करने के लिए प्रमाण-पत्र दे सकता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कण्णनोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स का विस्तार

4835. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में कण्णनोर स्थित कण्णनोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स और उसकी माहे और पाण्डिचेरी स्थित सहायक यूनिटों का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विस्तार सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार इसका विस्तार करने अथवा इसकी यूनिटों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन दो मिलों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर 30-9-1987 की स्थिति के अनुसार 3.14 करोड़ रु० खर्च हुआ था। चूंकि आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इन दोनों मिलों के आधुनिकीकरण पर और खर्च हो सकता है।

कण्णनोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स को हुआ लाभ

4836. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कण्णनोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स और इसकी माहे और पाण्डिचेरी स्थित सहायक यूनिटें लाभ पर चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान इन्हें हुये लाभ का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1986-87 तथा 1987-88 (अप्रैल, 87 से जनवरी, 88) के दौरान कन्नानोर बुनाई एवं कताई मिल, कन्नानोर तथा माहे में इसकी सहायक इकाई को हुये कुल घाटे/लाभ का ब्योरा इस प्रकार है :—

इकाई का नाम	1986-87	1987-88 (अप्रैल, 87-जनवरी, 88)
		(लाख रु० में)
		(अनन्तिम)
1. कन्नानोर बुनाई एवं कताई मिल, कन्नानोर	(—) 37.02	(+) 4.28
2. कन्नानोर बुनाई एवं कताई मिल, माहे (पांडिचेरी)	(—) 4.43	(—) 7.95

फलों और फलों के उत्पादों का निर्यात

4837. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान निर्यात किये गये फलों के उत्पादों का ब्योरा क्या है तथा वर्ष 1987-88 के दौरान कितना निर्यात किया जायेगा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) किन-किन देशों को इन मदों का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष फलों और फलों के उत्पादों के निर्यात में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) :

मात्रा : मै० टन में

मूल्य : करोड़ रु० में

(क) 1985-86	मात्रा	मूल्य
फल	23,285	24.30
फल उत्पाद	57,343	49.89
1986-87		
फल	25,000	25.00
फल उत्पाद	39,134	39.34
1987-88 के लिए अनुमानित		
फल	34,900	37.30
फल उत्पाद	38,400	40.50

(ख) लगभग 216 करोड़ रु० ।

(ग) हमारे मुख्य बाजार फलों के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा कुवैत हैं और फल उत्पादों के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा यमन अरब गणराज्य हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) निर्यात के लिए नए बाजारों की संभावना का पता लगाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त नकद मुआवजा सहायता, आयात प्रतिपूर्ति तथा शुल्क वापसी जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ।

व्यापारिक संगठनों द्वारा बजट को प्रभावित करने के लिए बजट पूर्व प्रचार

4838. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सिंथेटिक फाइबर उद्योग के पालिएस्टर स्पेशल फाइबर निर्माता संघ परिसंघ द्वारा जारी "आन फरवरी, 29 अनलेस दि टैक्सटाइल पालिसी इज इम्प्लीमेंटेड पाकिस्तानीज विल कंटीन्यू टु बी बेटर ड्रेस्ड दैन इंडियंस" शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अन्य व्यापारिक अथवा औद्योगिक संघों द्वारा बजट को प्रभावित करने के लिए बजट पूर्व प्रचार के रूप में जारी किए गए समान विज्ञापनों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस प्रकार के विज्ञापनों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या इन पर कोई रोक लगाने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सरकार को इसकी जानकारी है कि इस प्रश्न में उल्लिखित विज्ञापन सहित थोड़े से विज्ञापन इस वर्ष फरवरी के महीने में विभिन्न समाचार पत्रों में छपे थे, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न उद्योगों के लिए वित्तीय राहतें दिए जाने के लिए मांग की गयी थी।

(ग) वित्तीय नीति से संबंधित मामलों का निर्णय सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गुणागुण के आधार पर किया जाता है। इस सिलसिले में उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार किया जाता है। शुल्क रियायतें दिए जाने के लिए प्रेस में विज्ञापन छपवाना उन तरीकों में से एक तरीका है जिसके द्वारा उद्योग अपनी समस्याएं पेश करते हैं।

काले धन का आकलन

4839. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन की मात्रा में, जिसका वर्ष 1983-84 में 3700 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, वर्ष 1986-87 और 1987-88 में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रसार की समस्या और इसके कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) देश में इस समानान्तर अर्थव्यवस्था से उत्पन्न खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) देश में काले धन की कितनी राशि परिचालन में है इसके बारे में कोई अधिकृत अनुमान नहीं है। सरकार के आग्रह पर, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी ने काले धन के सृजन के कारणों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करने और काले धन के सृजन और वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय करने के सुझाव देने के संबंध में एक अध्ययन का आयोजत किया था। इस रिपोर्ट में, जो कि मार्च, 1985 में "आस्पेक्टस ऑफ ब्लैक इकोनमि इन इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी, 1983-84 के लिए काले धन की आय की राशि 31,584 करोड़ रुपए से 36,786 करोड़ रुपए तक के बीच आंकी गई थी। तथापि, लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके द्वारा जो अनुमान दिए गए हैं वे बहुत से पूर्वनुमानों और मोटे तौर पर लगाए गए अनुमानों पर आधारित हैं और इन में से प्रत्येक की सत्यता पर आपत्ति की जा सकती है। इसके बाद, कोई अन्य अध्ययन नहीं किया गया है। विधायी, प्रशासनिक तथा संस्थागत तौर पर सभी प्रकार के संभव उपाय समय-समय पर किए जाते रहते हैं ताकि काले धन के सृजन, वृद्धि और उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।

लोह और मेंगनीज अयस्कों के निर्यात में भारी कमी होना

4840. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह और मैंगनीज अयस्कों के निर्यात-व्यापार में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) 1987-88 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान लोह और मेंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी होने के प्रमुख कारण हैं : माल के मूल्यों में कमी, इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कुछ बाजारों में निर्यात में कमी। नए बाजारों का विविधीकरण करके कुछ मौजूदा बाजारों में शेयरधारिता बढ़ाने की योजना बनाकर, मूल्यों में रियायत देकर, निर्यातों को प्रतियोगी बनाने के लिए अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं बनाकर तथा खनन क्षेत्रों को 100% निर्यातोन्मुखी एककों की सुविधा देकर निर्यातों को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भागीरथ पत्रिका समूह के सम्पादकीय कर्मचारी

[हिन्दी]

4841. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सिफारिशें करने पर उनके मंत्रालय ने भागीरथ पत्रिका समूह के सम्पादकीय कर्मचारियों को कोई वचन दिया था;

(ख) क्या इस वचन को पूरा कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को 11.5.1983 तथा 24.1.1984 को आयोजित उसकी बैठकों में यह सूचित किया गया था कि सम्पादक और उप-सम्पादक, भगीरथ (हिन्दी) के पदों के भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। 30.6.1984 को आयोजित समिति की बैठक में समिति को आगे यह सूचित किया गया कि भर्ती नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है तथा पदों को भरने के कार्यवाही आरंभ हो चुकी है।

संघ लोक सेवा आयोग ने सम्पादक (हिन्दी) के पद पर नियुक्ति हेतु एक उम्मीदवार की सिफारिश की जिसको सितम्बर, 1986 में नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया था। तथापि, उन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया क्योंकि एक उम्मीदवार ने चयन को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष चुनौती दी है।

जीवन बीमा निगम के लम्बित दावे

[अनुवाद]

4842. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम के समक्ष देश में जीवन बीमा पालिसियों के भुगतान के लिए कितने दावे किए गए और वे कितनी धनराशि के हैं;

(ख) जीवन बीमा निगम के पास अभी भी कितने दावे लंबित पड़े हैं और वे कितनी धनराशि के हैं; और

(ग) इन दावों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जीवन बीमा निगम को पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान सूचित किए गए दावों की संख्या और उनसे संबंधित धनराशियां नीचे दी गई हैं :

वर्ष	संख्या (लाख में)	राशि (करोड़ रुपए में)
1985-86	13.63	722.02
1986-87	14.48	827.64

(ख) 30.6.1987 तक की स्थिति के अनुसार कुल 50.76 करोड़ रुपए की धनराशि के के 64,829 दावे बकाया थे।

(ग) दावों का निपटान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन बीमा निगम सभी बकाया दावों को कम से कम देरी में निपटाने का प्रयत्न करता है बशर्ते कि दावाकर्त्ताओं द्वारा दावों के निपटान की प्रारंभिक अपेक्षाओं को पूरा कर दिया जाए और कोई विरोधी दावेदार सामने न आएं या अन्य ऐसी कोई मुश्किलें न आ जाएं जो जीवन बीमा निगम के नियंत्रण से बाहर हों।

परियोजनाओं और परामर्श संबंधी सेवाओं का निर्यात

4844. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री जी० एस० बसवराजू :
श्री तम्पन थामस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परियोजनाओं विशेषकर परामर्श संबंधी सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय निर्धारित करने का निर्णय किया है;

(ख) जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है वे क्या हैं; और

(ग) इसे निर्यात में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) जी हां। परियोजनाओं और परामर्शी संबंधी सेवाओं का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने पहले ही कई उपायों घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं :

(एक) औद्योगिक टर्नकी, सिविल निर्माण परियोजनाओं, कार्य तथा रखरखाव सेवा संविदाओं और परामर्श संबधी सेवाओं के निर्यात के संदर्भ में संविदाओं के सेवा भाग से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर परियोजना सहायता देना;

(दो) टर्नकी/निर्माण परियोजना, कार्य और रखरखाव सेवा संविदाओं, परामर्श संबंधी सेवाओं

के लिए बिड तैयार करने और प्रस्तुत करने की लागत के 50 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति के लिए विपणन विकास सहायता; और

(तीन) परामर्शदात्री फर्मों द्वारा विदेशों में कार्यालय खोलने और उन्हें चलाने के लिए, पहले दो वर्षों के लिए अनुमोदित व्यय के 60 प्रतिशत अगले दो वर्षों के लिए अनुमोदित व्यय के 40 प्रतिशत और पांचवें वर्ष के लिए अनुमोदित व्यय के 25 प्रतिशत की दर से विपणन विकास सहायता।

दार्जिलिंग चाय के लिए चाय बोर्ड द्वारा राजसहायता

4844. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दार्जिलिंग ब्याज राजसहायता योजना की धीमी प्रगति के लिए चाय बोर्ड को उत्तरदायी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) योजना के असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसको पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) सरकार ने दार्जिलिंग चाय बागानों के एकीकृत विकास के लिए दार्जिलिंग ब्याज उपदान योजना की स्वीकृति दी थी। इस योजना में चाय बोर्ड द्वारा संबंधित वाणिज्यिक बैंक को 1985-86 से स्वीकृत बैंक ऋण के 5.1% की दर से ब्याज उपदान देने की व्यवस्था है। इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ आरंभिक प्रक्रियात्मक समस्याएं थीं। जिन्हें दूर कर दिया गया है और अब यह योजना प्रगति पर है। चाय बोर्ड नाबार्ड (एन० बी० आर० डी०) के साथ लगातार संबंध बनाए हुए हैं तथा इस योजना के कार्यान्वयन की विधिवत मानीटरी करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए 11 वाणिज्यिक बैंक दार्जिलिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

ईरान को इंजीनियरी सामान का निर्यात

4845. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई ईरानी संगठनों तथा निगमों ने भारत से ईरान को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा अत्याधुनिक इंजीनियरी सामान की सप्लाई के लिए भारतीय कम्पनियों के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ईरान को सप्लाई किए जाने वाले सामान का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) ईरान को किस-किस सामान की सप्लाई की जाएगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) दिसम्बर, 1987 में ईरान के भारी उद्योग मंत्री श्री बहजाद नबावी की यात्रा के दौरान भारतीय और ईरानी कम्पनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें उपकरणों और प्रौद्योगिकी की सप्लाई शामिल है।

(ख) यदि समझौता ज्ञापन संविदाओं में फलित हो जाता है तब उनकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपये होगी।

(ग) समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ आटोमोबाइल संघटकों, मशीनी औजारों, ढ़लाई और गढ़ाई आदि वस्तुओं की सप्लाई शामिल है।

आंध्र प्रदेश को सहायता

4846. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को ऋण के रूप में कितनी धनराशि की सहायता दी गई है;

(ख) अन्य राज्यों को दी गई सहायता की तुलना में आंध्र प्रदेश को कितनी प्रतिशत सहायता दी गई;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश को दी गई सहायता का प्रतिशत तुलनात्मक दृष्टि से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

1984-85 के दौरान वित्त मन्त्रालय द्वारा दिए गए ऋण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	बाह्य सहायता प्राप्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित राज्य योजना		आवधिक ऋण		सूखे के लिए अग्रिम योजना सहायता (ऋण भाग)		लघु बचतें (ऋण)		कुल	
	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	169.67	6.90	—	—	36.03	35.56	89.08	4.61	294.78	6.08
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. असम	246.50	10.02	—	—	—	—	36.57	1.89	283.07	5.84
4. बिहार	252.53	10.26	—	—	—	—	184.43	9.53	436.96	9.01
5. गुजरात	120.19	4.88	—	—	—	—	184.32	9.53	304.51	6.28
6. हरियाणा	51.98	2.11	—	—	5.42	5.35	42.62	2.20	100.02	2.06
7. हिमाचल प्रदेश	11.49	0.47	—	—	1.37	1.35	22.67	1.17	35.53	0.73
8. जम्मू और कश्मीर	173.73	7.06	10.00	2.84	—	—	12.19	0.63	195.92	4.04
9. कर्नाटक	107.45	4.37	—	—	20.90	20.63	96.31	4.98	224.66	4.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. केरल	69.19	2.81	—	—	—	—	23.91	1.24	93.10	1.92
11. मध्य प्रदेश	198.21	8.06	—	—	7.81	7.71	74.79	3.87	280.81	5.79
12. महाराष्ट्र	190.47	7.74	—	—	21.29	21.01	435.96	22.53	647.72	13.35
13. मणिपुर	7.67	0.31	—	—	—	—	0.40	0.02	8.07	0.17
14. मेघालय	6.01	0.24	—	—	—	—	2.78	0.14	8.79	0.18
15. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. नागालैंड	8.39	0.34	—	—	—	—	0.33	0.02	8.72	0.18
17. उड़ीसा	117.39	4.77	—	—	3.50	3.45	11.10	0.57	131.99	2.72
18. पंजाब	57.14	2.32	290.25	82.36	—	—	[illegible]	3.79	420.77	8.68
19. राजस्थान	116.74	4.74	52.18	14.80	—	—	84.10	4.35	253.02	5.22
20. सिक्किम	3.81	0.15	—	—	—	—	0.07	0.01	3.88	0.08
21. तमिलनाडु	133.34	5.42	—	—	0.28	0.28	78.39	4.05	212.01	4.37
22. त्रिपुरा	8.25	0.34	—	—	—	—	3.13	0.16	11.38	0.23
[illegible]. उत्तर प्रदेश	386.99	15.73	—	—	4.72	4.66	223.68	11.56	[illegible]	12.69
24. पश्चिम बंगाल	23.56	0.96	—	—	—	—	254.51	13.15	278.07	5.74
जोड़ :	2460.70	100.00	352.43	100.00	101.32	100.00	1934.72	100.00	4849.17	100.00

1985-86 के दौरान वित्त मन्त्रालय द्वारा दिए गए ऋण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	बाह्य सहायता प्राप्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित राज्य-योजना		आविधिक ऋण		सूखे के लिए अग्रिम योजना सहायता (ऋण-भाग)		लघु बचतें (ऋण)		कुल	
	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल को प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	231.16	6.71	206.98	9.88	33.79	14.77	128.50	4.43	600 43	6.93
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. असम	269.82	7.84	118.21	5.64	—	—	55.71	1.92	443.74	5.12
4. बिहार	377.46	10.96	4.58	0.22	—	—	264.39	9.11	646.43	7.46
5. गुजरात	142.98	4.15	61.79	2.95	1.71	0.75	269.75	9.29	476.23	5.49
6. हरियाणा	112.52	3.27	74.94	3.58	6.06	2.65	68.04	2.34	261.56	3.02
7. हिमाचल प्रदेश	16.99	0.49	2.37	0.11	7.72	3.38	26.89	0.93	53.97	0.62
8. जम्मू व कश्मीर	217.19	6.31	—	—	1.49	0.65	17.07	0.59	235.75	2.72
9. कर्नाटक	134.08	3.89	221.27	10.56	32.56	14.23	166.15	5.72	554.06	6.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. केरल	192.58	5.59	241.86	11.55	1.03	0.45	48.65	1.68	484.12	5.59
11. मध्य प्रदेश	223.03	6.48	67.43	3.22	32.45	14.99	137.60	4.74	460.51	5.31
12. महाराष्ट्र	231.26	6.72	24.27	1.16	38.74	16.94	559.81	19.29	854.08	9.85
13. मणिपुर	9.89	0.29	15.00	0.72	—	—	0.62	0.02	25.51	0.29
14. मेघालय	6.44	0.19	—	—	—	—	3.39	0.12	9.83	0.11
15. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. नागालैंड	12.33	0.36	17.95	0.86	—	—	0.87	0.03	31.15	0.36
17. उड़ीसा	141.29	4.10	43.72	2.09	2.26	0.99	46.77	1.61	234.04	2.70
18. पंजाब	175.37	5.09	378.39	18.07	3.82	1.67	113.07	3.90	670.65	7.74
19. राजस्थान	156.48	4.54	31.71	1.51	40.99	27.92	115.10	3.97	344.28	3.97
20. सिक्किम	5.33	0.15	—	—	—	—	0.07	—	5.40	0.06
21. तमिलनाडु	204.86	5.95	38.98	1.86	—	—	125.44	4.32	369.28	4.26
22. त्रिपुरा	9.12	0.26	—	—	—	—	3.31	0.11	12.43	0.14
23. उत्तर प्रदेश	443.61	12.88	338.88	16.18	26.10	11.41	377.15	12.99	1185.74	13.68
24. पश्चिम बंगाल	129.98	3.78	205.99	9.84	—	—	374.22	12.89	710.19	8.19
जोड़	3443.77	100.00	2094.32	100.00	228.72	100.00	2902.57	100.00	8669.38	100.00

1986-87 के दौरान वित्त मन्त्रालय द्वारा दिए गए ऋण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	बाह्य सहायता प्राप्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित राज्य-योजना		आवधिक ऋण		सूखे के लिए अग्रिम योजना सहायता (ऋण-भाग)		लघु बचतें (ऋण)		कुल	
	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता	राशि	कुल की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	204.38	5.50	—	—	44.30	12.69	132.00	4.71	380.68	5.36
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. असम	310.40	8.36	—	—	1.75	0.50	53.00	1.89	365.15	5.14
4. बिहार	316.60	8.53	—	—	—	—	224.44	8.00	541.04	7.62
5. गुजरात	154.00	4.15	—	—	74.58	21.36	273.19	9.75	501.77	7.06
6. हरियाणा	106.42	2.67	—	—	8.21	2.35	75.00	2.68	189.63	2.67
7. हिमाचल प्रदेश	21.75	0.59	—	—	0.07	0.02	30.05	1.07	241.50	3.40
8. जम्मू और कश्मीर	238.76	6.43	—	—	—	—	21.52	0.76	260.28	3.66
9. कर्नाटक	133.09	3.58	—	—	30.99	8.88	170.71	6.10	334.79	4.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. केरल	185.26	4.99	—	—	—	—	58.32	2.07	243.58	3.43
11. मध्य प्रदेश	239.87	6.46	15.00	30.66	21.29	6.10	95.61	3.42	371.83	5.23
12. महाराष्ट्र	240.12	6.47	—	—	65.41	18.74	572.00	20.42	877.53	12.35
13. मणिपुर	10.60	0.29	—	—	0.08	0.02	0.96	0.03	11.64	0.16
14. मेघालय	9.16	0.25	—	—	0.02	0.01	3.53	0.12	12.71	0.18
15. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. नागालैंड	13.56	0.35	20.00	40.88	—	—	0.88	0.03	30.44	0.43
17. उड़ीसा	168.94	4.55	—	—	—	—	44.19	1.57	213.13	3.00
18. पंजाब	374.07	10.07	13.92	28.46	—	—	139.55	4.98	527.54	7.43
19. राजस्थान	165.63	4.46	—	—	77.48	22.19	95.40	3.40	338.51	4.77
20. सिक्किम	6.17	0.17	—	—	—	—	0.06	—	6.23	0.09
21. तमिलनाडु	185.00	4.98	—	—	15.52	4.45	121.00	4.32	321.52	4.52
22. त्रिपुरा	10.76	0.29	—	—	—	—	4.00	9.14	21.76	0.31
23. उत्तर प्रदेश	457.16	12.31	—	—	9.40	2.69	333.98	11.92	800.54	11.27
24. पश्चिम बंगाल	161.92	4.37	—	—	—	—	350.55	12.52	512.47	7.21
जोड़	3713 62	100.00	48.92	100.00	349.10	100.00	2800.00	100.00	7104.27	100.00

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में रिक्त उच्च पद

[हिन्दी]

4847. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री वाई० एस० महाजन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विभिन्न सहायक कंपनियों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। इस समय एन० टी० सी० की निम्नलिखित चार विभाजित कम्पनियों में सी० एम० डी०/मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिक्तियां हैं।

सहायक कम्पनी का नाम	तिथि जब से यह रिक्त पड़ा है
1. एन० टी० सी० (यू० पी०) लि०, कानपुर।	29-11-1985
2. एन० टी० सी० (एस० एम०) लि०, बम्बई।	25-11-1986
3. एन० टी० सी० (गुजरात) लि०, अहमदाबाद।	18-11-1987
4. एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० एंड ओ०) लि, कलकत्ता।	16-12-1987

ये पद संबंधित सी० एम० डी० एस० द्वारा इस्तीफा देने/कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त हुए

(ग) यह बताना मुश्किल है कि किस तारीख तक इन पदों के भरे जाने की संभावना है।

विभिन्न मदों में प्रयोग हेतु रूई की आवश्यकता

4848. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1987 से अगस्त, 1988 तक देश में विभिन्न मदों में प्रयोग हेतु अनुमानतः कितनी रूई की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) चालू रूई वर्ष के दौरान मिल तथा

गैर-मिल खपत के लिए रूई की अनुमानित आवश्यकता क्रमशः 94 लाख गांठें तथा 5.50 लाख गांठें हैं। अनुमानित उपलब्धता 107 लाख गांठें हैं जिसमें 20 लाख गांठों का प्रारम्भिक स्टाक तथा 87.00 लाख गांठों की फसल की मात्रा शामिल है।

अपरिष्कृत रेशम के धागे की सप्लाई

4849. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने केन्द्रीय सरकार से अपरिष्कृत रेशम के धागे की पर्याप्त मात्रा में नियमित सप्लाई की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस बारे में एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमंडल चीन भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल की उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक द्वारा गृह-निर्माण विकास वित्त निगम को ऋण

[अनुवाद]

4850. **श्री जी० आई० पटेल :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-निर्माण विकास वित्त निगम को हाल ही में सरकारी गारन्टी पर विश्व बैंक से 255 मिलियन अमरीकी डालर (325 कोड़ रुपए) का ऋण लेने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि, हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) गृह-निर्माण सरकारी समितियों को विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां,। आवास विकास वित्त निगम को 25 करोड़ डालर का ऋण देने के लिए विश्व बैंक के साथ हाल ही में बातचीत की गई है, इस ऋण की वापसी अदायगी 5 वर्षों की रियायती अवधि सहित 20 वर्षों की अवधि में की जानी है और इस पर ब्याज की दर परिवर्तनीय होगी, जो कि इस समय 7.72 प्रतिशत है और इसमें विश्व बैंक के उधारों की लागत के अनुसार प्रति छमाही संशोधन भी किया जा सकता है। ऋण की असंवितरित राशियों पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वचन-बद्धता प्रभार लगेगा। इस ऋण के संबंध में भारत सरकार द्वारा गारन्टी दी गई है।

(ग) भारत सरकार की नीति सहकारी आवास क्षेत्र के लिए, संभवतः सापेक्षिक उदार शर्तों

पर बहुपक्षीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं डालती। एक व्यवहार्य परियोजना के विकसित होने पर, जो विश्व बैंक के उधार देने के मानदंडों को पूरा करती हो, सहकारी आवास क्षेत्र से संबंधित परियोजना को विश्व बैंक के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली शाखा द्वारा दिया गया ऋण

[हिन्दी]

4851. **श्री राज कुमार राय :** क्या वित्त मन्त्री स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक, दिल्ली शाखा द्वारा दिए गए ऋण के बारे में 13 नवम्बर, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 करोड़ रुपए की धनराशि का ऋण देने के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी चांदनी चौक शाखा द्वारा दो आयातकों को सुविधाएं प्रदान किए जाने के मामले में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन 4 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था जो कथित रूप से इस मामले में अंतर्ग्रस्त थे। उनके स्पष्टीकरणों पर यथोचित विचार करने के बाद, बैंक ने सभी 4 अधिकारियों को चेतावनी दे दी है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की आगरा शाखा में धोखाधड़ी

4852. **श्री राज कुमार राय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर की उत्तर प्रदेश में आगरा स्थित शाखा में जाली गारन्टी और धोखाधड़ी के अनेक मामले पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए ऐसे मामलों को वर्षवार संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और इन मामलों में कितने बैंक कर्मचारी दोषी पाए गए; और

(घ) इनमें से प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है और सभी मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी आगरा शाखा में जाली गारंटी जारी किए जाने के किसी मामले का पता नहीं चला है। अलबत्ता, बैंक ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान धोखाधड़ी के जो मामले, जिनमें 500 रुपए और 15.59 लाख रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी, प्रकाश में आए हैं। बैंक ने आगे सूचित किया है कि पहले मामले में तीन अधिकारियों को उनकी चूक के वास्ते

चेतावनी दी गई है, दूसरे मामले में बैंक ने संबद्ध प्रबंधकों से, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के वास्ते स्पष्टीकरण मांगा है।

निर्यात का रुख

[अनुवाद]

4853. श्री तम्पन थामस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में निर्यात रुख क्या था;

(ख) किन-किन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई तथा किन-किन वस्तुओं के निर्यात में कमी आई; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) नवीनतम अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों अर्थात् अप्रैल-जनवरी, 1987-88 के दौरान, भारत के 12603.27 करोड़ रु० के निर्यात हुए जबकि अप्रैल-जनवरी, 1986-87 के दौरान ये 10075.45 करोड़ रु० के हुए थे। इस प्रकार 25.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, जिन मदों के निर्यात में वृद्धि हुई उनमें शामिल हैं; रत्न एवं आभूषण, सिले सिलाए परिधान, सूती वस्त्र, धागे तथा तैयार कपड़े, पेट्रोलियम उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं, इंजीनियरी सामान, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद आदि। इस अवधि के दौरान, जिन मदों में गिरावट आयी उनमें शामिल हैं : मसाले, काफी तथा अविनिर्मित तम्बाकू आदि।

(ग) मसालों के निर्यात में गिरावट प्रतिकूल मौसम दशाओं तथा कम मांग की वजह से थी तथा अविनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में गिरावट भी कम मांग के कारण थी। काफी के निर्यात में गिरावट एकक मूल्य अधिप्राप्ति में कमी होने की वजह से थी।

आंध्र प्रदेश में मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारित अवधि में पूरा न होना

4854. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :
श्री सी० सम्बु :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कौन-कौन-सी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पिछली योजनाओं में पूरी नहीं हुई और इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना अवधि में नियत धनराशि राज्य सरकार के अनुसार पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए और अधिक सहायता देने का विचार है?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 15 बृहद् तथा 45 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं।

(ख) और (ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास के किसी क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती।

वर्ष 1987 में विदेशी मुद्रा की आय

4855. **श्री तम्पन थामस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई; और

(ख) उन विभिन्न स्रोतों का ब्यौरा क्या है जिनसे यह आय प्राप्त की गई है?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए गए भुगतान शेष के संबंध में आंकड़े तथा कुल विदेशी मुद्रा संबंधी आय के ब्यौरे केवल वर्ष 1985-86 तक उपलब्ध हैं और 1986-87 के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

महाराष्ट्र की सहकारी कपड़ा मिलों से प्राप्त अभ्यावेदन

4856. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की अपूर्ण सहकारी कपड़ा मिलों के प्रतिनिधिमंडल ने, सरकार को 1 मार्च, 1988 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में अपूर्ण सहकारी कपड़ा मिलों की कौन-सी समस्याओं को दर्शाया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में संक्षिप्त रूप से बताया गया कि महाराष्ट्र में वे सहकारी कताई मिलें, जिनके पास चल रहे व्यापार संबंधी लाइसेंस हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त नहीं कर सकीं। अतः उन्होंने 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

(ग) इन 11 मिलों में से 10 मिलों ने 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इनके आवेदन अनेक कारणों से अस्वीकार कर दिए गए।

अमरीका की व्यापार नीतियों का भारतीय निर्यात पर प्रभाव

4857. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" (नई दिल्ली) में "यू० एस० ट्रेड पा लेमीज में हिट इण्डियन एक्सपोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार की इस समय लागू तथा हमारे निर्यातों को प्रभावित करने वाली कार्यवाहियां हैं : (1) कुछ लोह धातु कास्टिंग और औद्योगिक फास्टनरों (मुख्यतः स्क्रू) पर प्रतिकारी शुल्क लगाना तथा (2) भारी और हल्की निर्माण कास्टिंग तथा वेल्डिंग कार्बन स्टील पाइप्स तथा ट्यूब्ज पर पाटन रोधी शुल्क लगाना । इसके अतिरिक्त यू० एस० ए० को वस्त्रों के भारतीय निर्यात, मल्टी-फाइबर व्यवस्था (एम० एफ० ए०) के अन्तर्गत जो कि टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गांट के नियम में से एक अनुभव कमी है) दो देशों के बीच द्विपक्षीय करार के अनुसार कोटों के अध्ययीन किए जाते हैं ।

यद्यपि गांट इम्दादी या जमा हुए माल के आयातों पर प्रतिकारी तथा पाटन रोधी शुल्कों पर प्रभार लगाने की अनुमति देता है, जिससे घरेलू उद्योग पर कुप्रभाव पड़ता है, फिर भी इस संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका की कार्यवाहियां कुछ पहलुओं में पूर्णतः गांट नियमों के अनुरूप नहीं हैं । इन्हें द्विपक्षीय रूप में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ तथा गांट में बहुपक्षीय रूप में उठाया जा रहा है ।

उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

4858. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन पर 50 लाख रुपये या इससे अधिक के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की राशि बकाया है; और

(ख) उक्त राशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार ऐसी कम्पनियों की अनन्तिम सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जिनके नाम 50 लाख रुपये या इससे अधिक के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि बकाया है ।

(ख) प्राप्य राशियों का संचय और उनकी वसूली कर-प्रशासन के दो अनिवार्य लक्षण हैं । कानूनी, प्रशासनिक और अन्य उपाय जिन्हें आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर किए जाते हैं । महत्वपूर्ण मामलों में सरकारी पक्ष का समर्थन करने के लिए विशेष वकील नियुक्त किए जाते हैं ।

विवरण

मन्त्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना (1-8-1987 तक) के अनुसार ऐसी कम्पनियों की अनन्तिम सूची जिनके नाम 50 लाख रुपये या इससे अधिक के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि बकाया हैं

1. मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड
2. मैसर्स जी० टी० सी० इन्डस्ट्रीज लि०
3. मैसर्स न्यू तम्बाकू कम्पनी लि०/मैसर्स डन्कन एग्रो इन्डस्ट्रीज लि०
4. मैसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स (इण्डिया) लि०
5. मैसर्स वी० एस० टी० इन्डस्ट्रीज लि०
6. मैसर्स गुडइयर (इण्डिया) लि०
7. मैसर्स बाम्बे टायर इन्टरनेशनल लि०
8. मैसर्स रेमण्ड वूलन मिल्स लि०
9. मैसर्स जे० के० इन्डस्ट्रीज लि०
10. मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड
11. मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
12. मैसर्स विकरान्त टायर्स लि०
13. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि०
14. मैसर्स रिलायन्स टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज लि०
15. मैसर्स वोल्टास लि०
16. मैसर्स गारवारे पेन्ट्स लि०
17. मैसर्स जे० के० हेलन कुरटीस लि०
18. मैसर्स कोरस (इण्डिया) लि०
19. मैसर्स सीट टायर्स इण्डिया लि०
20. मैसर्स जॉन्सन एण्ड जॉन्सन लि०
21. मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिनसन ग्लास वर्क्स लि०
22. मैसर्स फूड स्पैशलिटीज लि०
23. मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०
24. मैसर्स इण्डो असाई ग्लास कम्पनी लि०
25. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
26. मैसर्स ए० सी० सी० लि०

27. मैसर्स मेटल फोरजिंग (प्रा०) लि०
28. मैसर्स डनलप इण्डिया लि०
29. मैसर्स वरधन सिंटेक्स, खामगांव
30. मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स; पुलगांव
31. मैसर्स स्ट्रैच फाइबर, नागपुर
32. मैसर्स बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लि०
33. मैसर्स एल्लोरा पेपर मिल्स
34. मैसर्स माइको (एम० आई० सी० ओ०) लि०, नासिक
35. मैसर्स विपरो प्रोडक्ट्स लि०, अम्लनेर
36. मैसर्स लक्ष्मी विष्णु मिल्स, शोलापुर
37. मैसर्स एन० सी० मिल्स, शोलापुर
38. मैसर्स जैम मिल्स, शोलापुर
39. मैसर्स टी० एस० पी० लि०
40. मैसर्स मद्रास रिफाइनरीज लि०, मनाली
41. मैसर्स मद्रास शीट ग्लास वर्क्स
42. मैसर्स मद्रास फर्टीलाइजर्स, मद्रास
43. मैसर्स एम० आर० एफ० लि०, मद्रास
44. मैसर्स श्री राम फाइबर्स, मनाली, मद्रास
45. मैसर्स एम० एम० रबर कं०, मद्रास
46. मैसर्स मोदी कारपेट लि०, रायबरेली
47. मैसर्स अपट्रोन डिजिटल सिस्टम लि०, लखनऊ
48. मैसर्स जीप इण्डस्ट्रिल सिण्डीकेट, इलाहाबाद
49. मैसर्स रेनु सागर पावर, मिर्जापुर
50. मैसर्स स्कूटर्स इण्डिया लि०
51. मैसर्स वेद स्टील्स, लखनऊ
52. मैसर्स अशोक स्टील्स, सचना
53. मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि०, मीथापुर
54. मैसर्स बी० एक्स० एल० लि०, जामनगर
55. मैसर्स डालमिया डेरी इण्डस्ट्रीज लि०, भरतपुर
56. मैसर्स जे० के० सिन्थैटिक्स लि०, कोटा

57. मैसर्स गेबरियल इण्डिया लि०
58. मैसर्स श्रीराम रेयन्स, कोटा
59. मैसर्स महाराजा श्री उमैद मिल्स, पाली
60. मैसर्स भीलवाड़ा प्रोसेसर्स, भीलवाड़ा
61. मैसर्स माडर्न सूटिंग लि०, अलवर
62. मैसर्स तिरीपुती फाइबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, आबू रोड,
63. मैसर्स आदित्य मिल्स लि०, किशनगढ़
64. मैसर्स प्रामियर टायर्स, कलमासरी
65. मैसर्स ट्रावनकोर इलैक्ट्रो कैमिकल्ज इण्डस्ट्रीज, कोटायम
66. मैसर्स प्रिया रबड़ इण्डस्ट्रीज, प्लैइ
67. मैसर्स रूबी वर्क्स, चांगानाचेरी, (परिसमापनाधीन कं०)
68. मैसर्स शालीमार पेन्ट्स (आई) लि०, हावड़ा
69. मैसर्स आई० ई० एल० लि०, रिशरा, हुगली
70. मैसर्स विन्डो ग्लास लि०, बॉसब्रेरिया
71. मैसर्स सिरायकेल्ला वर्क्स (प्रा०) लि०, कोन्नागोरे
72. मैसर्स सोप एण्ड कं०, डमडम
73. मैसर्स त्रिबेनी टिशु लि० चंद्रहटी
74. मैसर्स कलाइमेक्स सिंथेटिक्स (प्रा०) लि०, मकरपुरा
75. मैसर्स अम्बीका मिल्स लि०
76. मैसर्स अलेम्बीक ग्लास इन्डस्ट्रीज लि०, बड़ोदा
77. मैसर्स एल० डी० टेक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज लि०, अंकलेश्वर
78. मैसर्स मुगल डाईंग एण्ड प्रिन्टिग वर्क्स उधना, सूरत
79. मैसर्स शान्तिनाथ सिल्क मिल्स, सूरत
80. मैसर्स नवसारी काटन एण्ड सिल्क मिल्स, नवसारी
81. मैसर्स एक्स्ट्रशन प्रोसेस (प्रा०) लि०, बड़ोदा
82. मैसर्स गरोच टैक्सटाइल्स मिल्स लि०, बरूच
83. मैसर्स बी० के० टेक्सटाइल्स मिल्स (प्रा०) लि०, सिलवासा
84. मैसर्स रैलीज मशीन्स लि०, नवसारी
85. मैसर्स आर० सी० एफ० लि०, बम्बई
86. मैसर्स ड्यूक्स एण्ड सन्स, चेम्बर, बम्बई

87. मैसर्स वर्मा मुखर्जी, घाटकोपर, बम्बई
88. मैसर्स सुनील सिल्क मिल्स, घाटकोपर, बम्बई
89. मैसर्स सैन्टोजन टैक्सटाइल्स मिल्स, बम्बई
90. मैसर्स विजय सिन्थैटिक प्रिन्ट्स, बम्बई
91. मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रान्समिशन प्रोडक्ट्स, बम्बई,
92. मैसर्स मे एण्ड बाकर्ज (आई) लिमिटेड, बम्बई
93. मैसर्स मोनसुख डाईंग प्रिन्टिंग वर्क्स, बम्बई
94. मैसर्स गोदरेज सोप्स प्राइवेट लि०
95. मैसर्स अलेली एण्ड कम्पनी, विखरोटी
96. मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोडो लि०, बम्बई
97. मैसर्स वोदरेज दोपस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि०, बम्बई
98. मैसर्स, लज्या डाईंग एण्ड बलीचिंग वर्क्स, बम्बई
99. मैसर्स टिपको (टी० आई० पी० सी० ओ०), बम्बई
100. मैसर्स स्पेशल स्टील लि०, तारापुर
101. मैसर्स रामगोपाल टेक्सटाइल्स, तारापुर
102. मैसर्स जे० बी० टेक्सटाइल्स, तारापुर
103. मैसर्स इम्पैक्ट कोनटैनर, बम्बई
104. मैसर्स कोसमोस (आई) रबड़ वर्क्स, बम्बई
105. मैसर्स स्वान मिल्स लि०
106. मैसर्स जुकासो सिल्क मिल्स, बम्बई
107. मैसर्स काण्डीवाली मेटल वर्क्स, बम्बई
108. मैसर्स जे० एम० टेक्सटाइल्स
109. मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०
110. मैसर्स पुंजस्टार इलैक्ट्रोनिक्स लि०, मोहाली
111. मैसर्स भाकड़ा बेस मैनजमैंट बोर्ड,
112. मैसर्स चन्द्रा इण्डस्ट्रीज लि०, जालंधर
113. मैसर्स हिमाचल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड
114. मैसर्स सिम्पलैक्स मिल्स लि०
115. मैसर्स खटाऊ स्पीनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लि०
116. मैसर्स स्टैंडर्ड मिल्स कंपनी लि०
117. मैसर्स ब्रालको मेटल इण्डस्ट्रीज

118. मैसर्स मास्टर तम्बाकू कंपनी (इंडिया) लि०, बंबई
119. मैसर्स जालान डाईंग एण्ड ब्लीचिंग
120. मैसर्स बम्बे डाईंग
121. मैसर्स विक्टोरिया मिल्स
122. मैसर्स श्री राम मिल्स
123. मैसर्स श्री निवास काटन मिल्स
124. मैसर्स मातुल्या मिल्स
125. मैसर्स न्यू ईरा फैब्रिक्स, बंबई
126. मैसर्स मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग कंपनी लि०, बंबई
127. मैसर्स न्यू ईरा फैब्रिक्स
128. मैसर्स दिलकुश डाईंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, बंबई
129. मैसर्स पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि०
130. मैसर्स माफत लाल फाइन स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि०
131. मैसर्स गुडलास नैरोलक पेन्ट्स लि०, बंबई
132. मैसर्स न्यू ओरियन्टल सिल्क मिल्स
133. मैसर्स साधना टैक्सटाइल्स मिल्स
134. मैसर्स प्रकाश काटन मिल्स
135. मैसर्स प्रीमियर टैक्सटाइल्स
136. मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि०, के० जी० एफ० कोलार
137. मैसर्स क्रिस्टल ग्लास इण्डस्ट्रीज, बंगलोर
138. मैसर्स रीगल रबड़, बंगलोर
139. मैसर्स हैज एण्ड गोले लि०, बंगलोर
140. मैसर्स एस० आर० एफ० इण्डस्ट्रीज, बीरालीमलैई
141. मैसर्स इण्डिया आयल कार्पोरेशन लि०
142. मैसर्स वुडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लि०, जोगपोर
143. मैसर्स सिरपुर पेपर मिल्स लि०
144. मैसर्स रायला सीमा पेपर मिल्स, गोन्डीपारला
145. मैसर्स नोवापन इण्डिया लि०
146. मैसर्स इंडोनेशनल लि०
147. मैसर्स मैग प्रोडक्ट्स, काठवाड़ा, अहमदाबाद

148. मैसर्स नूतन मिल्स, अहमदाबाद
149. मैसर्स रायपुर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (प्राइवेट) लि०, सरसपुर, अहमदाबाद
150. मैसर्स एम० एच० मिल्स (प्राइवेट) लि०, अहमदाबाद
151. मैसर्स सरसपुर मिल्स लि०, अहमदाबाद
152. मैसर्स अशोक मिल्स लि०, अहमदाबाद
153. मैसर्स अरुण मिल्स लि०, अहमदाबाद
154. मैसर्स अरविन्द मिल्स लि०, अहमदाबाद
155. मैसर्स आयोध्या स्पिनिंग वीविंग मिल्स, अहमदाबाद
156. मैसर्स न्यू स्वदेशी मिल्स, अहमदाबाद
157. मैसर्स केलिको मिल्स लि०, अहमदाबाद
158. मैसर्स अहमदाबाद कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अहमदाबाद
159. मैसर्स सारंगपुर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अहमदाबाद
160. मैसर्स अहमदाबाद न्यू काटन मिल्स, अहमदाबाद
161. मैसर्स मिहिर टैक्सटाइल्स लि०, अहमदाबाद
162. मैसर्स वल्लभ ग्लास वर्क्स, आनन्द
163. मैसर्स एल्किान इंजीनियरिंग कं० लि०, आनन्द
164. मैसर्स अहमदाबाद एडवांस मिल्स, अहमदाबाद
165. मैसर्स कमर्शियल मिल्स, अहमदाबाद
166. मैसर्स रूस्तम्स मिल्स, अहमदाबाद
167. मैसर्स असरवा मिल्स, अहमदाबाद
168. मैसर्स अयोध्या गिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, अहमदाबाद
169. मैसर्स जुबली मिल्स, अहमदाबाद
170. मैसर्स भारत विजय मिल्स लि०
171. मैसर्स महेन्द्रा मिल्स लि०, कलोल
172. मैसर्स इपको लि०
173. मैसर्स न्यू शोरोक मिल्स, लि०
174. मैसर्स अर्बुदा मिल्स लि०, अहमदाबाद
175. मैसर्स सोमा टैक्सटाइल, अहमदाबाद
176. मैसर्स रामाकृष्णा मिल्स, अहमदाबाद
177. मैसर्स अजन्ता मिल्स लि०, अहमदाबाद

178. मैसर्स गुजरात सिंथेटिक लि०

179. मैसर्स जग-फैशन टैक्सटाइल लि०, वटवा, अहमदाबाद

180. मैसर्स गोपाल ग्लास वर्क्स, कोडी

181. मैसर्स नवजीवन मिल्स, नरोज, अहमदाबाद

182. मैसर्स न्यू गुजरात सिंथेटिक्स मिल्स, अहमदाबाद

183. मैसर्स स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि०

184. मैसर्स कलिंग आयरन वर्क्स, बाबिल

185. मैसर्स आरियन्ट पेपर मिल्स, बृजराजनगर

186. मैसर्स श्री दुर्गा ग्लास प्राइवेट लि०, बारंग

187. मैसर्स जे० के० कॉटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कानपुर

188. मैसर्स अप्पर इंडिया पोलीमर्स, कानपुर

189. मैसर्स आगरा इंजीनियरिंग इडस्ट्रीज, अरटोनी, आगरा

190. मैसर्स हिन्द लैम्प लि०, शिकोहाबाद

191. मैसर्स स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर

192. मैसर्स मोदी रबर लि०

193. मैसर्स स्वदेशी पोलीटैक्स लि०, गाजियाबाद

194. मैसर्स बिलियर्ड इंडिया लि०, सिकन्दराबाद

195. मैसर्स ट्रासेसिया कारपेट, सिकन्दराबाद

196. मैसर्स हिंडन रिवर मिल्स, डासना

197. मैसर्स मोदी स्पिनिंग वीविंग मिल्स, मोदी नगर

198. मैसर्स मोदीपोन लि०, मोदी नगर

199. मैसर्स मोदी जीरोक्स लि०

200. मैसर्स मोहन मीकिन्स लि०

201. मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स, कलकत्ता

202. मैसर्स ओरिएंट जनरल इंडस्ट्रीज

203. मैसर्स अमेरिकन रैफरिजेरेटर कंपनी लि०, कलकत्ता

204. मैसर्स एयर कंडीशनिंग कारपोरेशन

205. मैसर्स पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड

206. मैसर्स यूनियन कार्बाइड

207. मैसर्स बाटा (इंडिया) लि०

208. मैसर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि०
209. मैसर्स चौधरी शिप-ब्रेकिंग कंपनी, कलकत्ता
210. मैसर्स स्पिक लि०, टूटीकोरिन
211. मैसर्स मदुरा कोट्स लि०
212. मैसर्स धरंगधारा कैमिकल्स वर्क्स लि०, सहुापुरम
213. मैसर्स शारदा सिंथेटिक्स
214. मैसर्स सीम इलैक्ट्रानिक्स, थाना
215. मैसर्स इंडोफिल कैमिकल्स, थाना
216. मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लि०, थाणे
217. मैसर्स न्यू रेशमा डाइंग प्राइवेट लि०, थाणे
218. मैसर्स नोसिल, थाणे
219. मैसर्स स्टैंडर्ड अल्काली, थाणे
220. मैसर्स सैन्चुरी रेयन, शहाद
221. मैसर्स इंडियन डाइस्टफ, शहाद
222. मैसर्स ओ० एन० जी० सी०
223. मैसर्स राधा डाइंग एण्ड पैन्टिंग मिल्स, बम्बई
224. मैसर्स न्यू शक्ति डाई वर्क्स, थाना
225. मैसर्स कलर कैम लि०, थाणे
226. मैसर्स पोलिओलेफिन इंडस्ट्रीज लि०, थाणे
227. मैसर्स सैन्चुरी कैमिकल्स, शहाद
228. मैसर्स रालिज इंडिया लि०
229. मैसर्स रालिसवोल्फ
230. मैसर्स बंगाल पेपर मिल्स लि०
231. मैसर्स भारत अल्यूमीनियम कं० लि०
232. मैसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०
233. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
234. मैसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया
235. मैसर्स आर० आई० लि० डालमियां नगर
336. मैसर्स भारत वेगन व इंजीनियरिंग कंपनी लि०

237. मैसर्स आई० एन० सी० ए० वी०, जमशेदपुर
238. मैसर्स टिनप्लेट कंपनी लि०, जमशेदपुर
239. मैसर्स सा यूनिवर्सल हाइड्रो कार्बन, तिलरथ
240. मैसर्स एच० ई० सी० लि०, धुरवा, रांची
241. मैसर्स उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लि०, रांची
242. मैसर्स जे० सी० एम०, बिरलानगर, ग्वालियर
243. मैसर्स ओ० पी० एम० अम्लाई
244. मैसर्स न्यूकैम प्लास्टिक, फरीदाबाद
245. मैसर्स मैटल बाक्स (इंडिया) लि०
246. मैसर्स हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड
247. मैसर्स हरियाणा शीट ग्लास लि०, सोनीपत
248. मैसर्स एच० एन० जी० लि०, बहादुरगढ़
249. मैसर्स हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर एण्ड इंडस्ट्रीज, बहादुरगढ़
250. मैसर्स सोमानी पिलकिंग्टन्स लि०, बहादुरगढ़
251. मैसर्स आम्रपाली स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लि०, फरीदाबाद
252. मैसर्स पैक्समा अक्सले एण्ड स्प्रिंग (प्रा०) लि०
253. मैसर्स फैडर्स लॉयड कंपनी (इंडिया) लि०
254. मैसर्स मारुति उद्योग लि०
255. मैसर्स प्लारुसर इंडिया, फरीदाबाद
256. मैसर्स डी० एल० डब्ल्यू०, वाराणसी
257. मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड
258. मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि०
259. मैसर्स हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एण्ड इंडस्ट्रीज लि०
260. मैसर्स भारत पैट्रोलियम लि०
261. मैसर्स नेशनल इन्सुलेटिड केबल कंपनी आफ इंडिया।
262. मैसर्स हिन्दुस्तान आयरन एण्ड स्टील, कलकत्ता
263. मैसर्स जी० एस० एफ० सी० लि०, बड़ोदा
264. मैसर्स बिंधिनाली टैक्सटाइल्स, बम्बई
265. मैसर्स टैक्नोप्रिंट्स प्रा० लि०
266. मैसर्स गरवारे नायलॉन लि०, पुणे

267. मैसर्स कसतू केमिकल्स, पुणे

268. मैसर्स आई० सी० आई० एम० लि०, पुणे

269. मैसर्स माधव नागरनगर काटन मिल्स लि०, सांगली

270. मैसर्स कोल्हापुर केन शुगर लि०, कोल्हापुर

271. मैसर्स किर्लोसकर आयल इंजिन लि०

272. मैसर्स फोरनिका (आई) लि०, पुणे

उड़ीसा में सूत कताई मिल

4859. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कितनी सूत कताई मिलों की स्थापना करने का विचार था; और

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में कुछ सूत कताई मिलों की स्थापना करने का विचार था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मार्च, 1986 और मार्च, 1987 के अन्त में देश में उद्योग (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन लाइसेंसधारी सूती/मानवनिर्मित रेशा कताई एकक और मध्यम पैमाने के रूप में पंजीकृत कताई मिलों की संख्या क्रमशः 714 तथा 744 थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उड़ीसा में सूती कताई मिलों की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर समय विशेष पर लागू औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत विचार किया गया था। इस समय लाइसेंस देने संबंधी कोई भी प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं है।

सिंचाई योजनाओं के लिए वृहद योजना

[हिन्दी]

4860. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक लघु, मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत देश में राज्यवार कितनी हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है; और

(ख) किसानों द्वारा इसमें से कितनी हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम० सं०	राज्य का नाम	पहली योजना के आरंभ पर सिंचाई क्षमता	छठी योजना के अन्त तक सृजित सिंचाई क्षमता	छठी योजना के अन्त पर उपयोग न की गई सिंचाई क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	2736	5583	381
2.	असम	230	492	86
3.	बिहार	1424	6291	971
4.	गुजरात	473	2768	463
5.	हरियाणा	716	3310	204
6.	हिमाचल प्रदेश	60	123	14
7.	जम्मू व कश्मीर	313	474	33
8.	कर्नाटक	853	2401	174
9.	केरल	383	925	45
10.	मध्य प्रदेश	1163	3815	629
11.	महाराष्ट्र	1065	3690	900
12.	मणिपुर	5	79	21
13.	मेघालय	7	35	3
14.	नागालैंड	5	51	4
15.	उड़ीसा	735	2613	125
16.	पंजाब	2034	5637	50
17.	राजस्थान	1545	3782	420
18.	सिक्किम	लागू नहीं	14	4
19.	तमिलनाडु	1641	3194	26
20.	त्रिपुरा	10	58	8
21.	उत्तर प्रदेश	5453	18764	2170
22.	पश्चिम बंगाल	1240	3281	211
	संघ राज्य क्षेत्र एवं अन्य राज्य	15	153	13

बिजली बोर्डों को आय कर से छूट

[अनुवाद]

4861. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से बिजली बोर्डों को आयकर से छूट देने का अनुरोध किया है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) तमिलनाडु सरकार के बिजली मंत्री द्वारा जो एक सुझाव दिया गया था वह यह था कि क्योंकि राज्यों के बिजली बोर्ड आयकर अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और कतिपय क्षेत्रों में शुल्क की दरें (टैरिफ) काफी अलाभकर हैं, इसलिए राज्यों के बिजली बोर्डों की आय को आयकर अधिनियम से छूट दी जानी चाहिए। दिए गए इस सुझाव पर विचार किया गया था और उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया ।

काली मिर्च उत्पादकों को सहायता

4862. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली मिर्च के उत्पादकों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या मसाला बोर्ड ने इस दिशा में कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) काली मिर्च उत्पादकों को सहायता देने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ 7वीं योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए सामूहिक मसाला विकास योजना भी शामिल है जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित होगी। योजना के संघटक हैं :—

(1) ऊंची उत्पादकता वाली काली मिर्च किस्मों का उत्पादन तथा कलमों का वितरण ।

(2) ऊंची उपादकता वाली काली मिर्च किस्मों के लिए आदर्श बगीचों की स्थापना ।

(3) काली मिर्च उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत कृषकों को इनपुट किट और स्प्रेयरों का वितरण ।

(4) काली मिर्च का क्षेत्रीय प्रदर्शन ।

(5) केरल में काली मिर्च बगीचों की पुनर्स्थापना ।

(ख) और (ग) स्पाइसेस बोर्ड ने इन क्रियाकलापों में सहायता देने के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान 40 लाख काली मिर्च कलमों के उत्पादन के लिए प्रमाणीकृत नर्सरियां स्थापित कीं । बोर्ड की विभागीय नर्सरियों में प्रति वर्ष लगभग 10 लाख की पौद उगाने का भी इसका कार्यक्रम है ।

मत्स्य पालन

4863. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा मत्स्य पालन परियोजना प्रारम्भ करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के अनुसार किस-किस प्रकार की मछलियों को पाला जाएगा; और

(ग) क्या मत्स्य निर्यात की कोई संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण प्राउन लार्वे के उत्पादन के लिए दो परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) जी हां।

स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

4864. श्री आशकरण संखवार : जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने एकड़ भूमि इस समय सिंचित क्षेत्र में है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचाई परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) 1983-84 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार निवल सिंचित क्षेत्र 9879 हजार हेक्टेयर है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई 11 परियोजनाओं में से छः के सम्बन्ध में टिप्पणियां अनुपालनार्थ राज्य सरकार को भेज दी गई हैं तथा चार परियोजनाएं पहले ही क्रियान्वयनाधीन हैं।

पिछड़े राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4865. श्री आशकरण संखवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) सरकार का उन राज्यों को, जिनका ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है, कितनी धनराशि की सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) राज्य योजनाओं

के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता अगस्त, 1986 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित के अनुसार संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर आबंटित की जाती है। इस फार्मूले में कम विकसित राज्यों के पक्ष में अधिक बल दिया गया है। फार्मूले के अन्तर्गत विभाज्य धनराशि में से 20 प्रतिशत सहायता आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों अर्थात् ऐसे राज्य, जिनकी प्रति व्यक्ति आय सांकेतिक औसत से कम है, के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जिनके संसाधन आधार क्षीण हैं, की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त छठी योजना के प्रारम्भ होने के बाद से पिछड़े राज्यों के लिए प्रदान किए गए बाजार ऋण के स्तर को, सभी राज्यों को समान रूप से आबंटित किए गए सामान्य बाजार ऋण के अलावा विशेष बाजार ऋण की मंजूरी देकर ऊंचा उठाया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों में बैंकों द्वारा ऋण के विस्तार का परिवीक्षण राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों सहित राज्य स्तर की बैंकर समितियों द्वारा किया जाता है। बैंकों को सलाह दी गई है कि जिला ऋण योजनाएं और वार्षिक कार्यवाही योजनाएं तैयार करते समय उनका प्रयास यदि आवश्यक हो तो, नई बैंक ग्राह्य स्कीमें तैयार करके बैंक ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए होना चाहिए।

सिक्कों का आयात

4866. **श्री आशकरण संखवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मूल्यवर्ग के वर्षवार कितने-कितने मूल्य के सिक्के टकसाल में तैयार किए गए और कितने सिक्कों का विदेशों से आयात किया गया; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे इन सिक्कों का आयात किया गया है और उसने अब तक कितने मूल्य के सिक्कों का आयात किया जा चुका है तथा उनके लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सूचना निम्नलिखित है :—

आयात का वर्ष	दस लाख	अदद में	मूल्यवर्ग	करोड़ रुपए में अंकित मूल्य		
	1 रुपए	50 पैसे	25 पैसे	1 रुपए	50 पैसे	25 पैसे
1985-86	704.41	540.58	157.95	70.44	27.03	3.95
1986-87	1150.87	879 65	342.05	115.09	43.98	8.55
1987-88	144.72	79.77	—	14.47	3.99	—
जोड़	2000.00	1500.00	500.00	200 00	75.00	12.50

(ख) इन सिक्कों का आयात (1) यू० के० (20,000 लाख अदद एक रुपए के सिक्के); (2) दक्षिण कोरिया (15,000 लाख अदद 50 पैसे के सिक्के); और (3) कनाडा (5,000 लाख अदद 25 पैसे के सिक्के) से किया गया। इन सिक्कों का अंकित मूल्य 287.5 करोड़ रुपए तथा लागत बीमा भाड़ा सहित इन आयातों की कुल लागत 137.79 करोड़ रुपए है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान

4867. **श्री आशकरण संखवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए जारी की गई महंगाई भत्ते की किश्तों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने ये किश्तें प्राप्त की हैं; और

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी महंगाई भत्ते की ये किश्तें मिलनी हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों तथा सशस्त्र सेना के कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए महंगाई भत्ता दिये जाने पर हुए व्यय का अनुमान निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1985-86	3,616
1986-87	189
1987-88	843

टिप्पणी : 1985-86 तक की किश्तें महंगाई भत्ते के पूर्व-संशोधित फार्मूले के अनुसार स्वीकृत की गई थीं । 1986-87 से तथा उसके बाद की किश्तें महंगाई भत्ते की संशोधित स्कीम के अनुसार स्वीकृत की गई हैं ।

(ख) और (ग) महंगाई भत्ते की किश्तें सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये स्वीकृत की गई हैं ।

कृषि ऋणों की वसूली

[अनुवाद]

4868. **श्री कमल नाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडिकेट बैंक द्वारा मनीपाल में हाल ही में आयोजित कृषि वित्तपोषण सम्बन्धी कार्यशाला में यह विचार व्यक्त किया गया था कि जब तक कृषि ऋणों की वसूली तेजी से करने के लिए तुरन्त कदम नहीं उठाये जाते और ऐसे ऋणों के स्वरूप और प्रकार में भारी परिवर्तन नहीं किए जाते, तब तक बैंकों को भविष्य में कृषि ऋण कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का कृषि ऋणों की समय पर भुगतान न करने वालों से निपटने के लिए पृथक् अदालतों की स्थापना करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फ़ेलेरो) : (क) से (ग) सिंडिकेट बैंक ने बताया है कि मणिपाल में बैंक द्वारा "वसूली पर विशिष्ट बल देते हुए कृषि के प्रभावशाली वित्त पोषण" के विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कुल सहभागियों ने बढ़ती हुई अतिदेय राशियों पर चिंता व्यक्त की थी। इस कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया कि उधार देने की गुणवत्ता में सुधार लाने और कृषि ऋणों की बेहतर वसूली के लिए बैंकों और सभी संबंधितों को कारगर उपाय करने होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा समय-समय पर वसूली के प्रयत्नों को तेज करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा है। लेकिन, कृषि ऋण न चुकाने वालों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिये अलग अदालत स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निवेश छूट को पुनः लागू करना

4869. **श्री कमल नाथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निवेश छूट को पुनः लागू करने अथवा उद्योग को निवेश छूट और निवेश जमा योजना में से किसी का चयन करने का विकल्प देने संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) इस सुझाव पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है, परन्तु दोनों अनुरोधों में से किसी को भी स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है।

तस्करों का गिरोह

4870. **श्री कमला प्रसाद सिंह** :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जैसाकि दिनांक 27 फरवरी, 1988 के "नवभारत टाइम्स" में "तस्करी में शामिल तीन राजनयिक निष्कासित" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या तस्करों के गिरोह में शामिल इन विदेशी राजनयिकों को देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) 1 जनवरी, 1987 से 1 मार्च, 1988 तक तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया गया तथा यह कितनी धनराशि की थी और वर्ष 1984, 1985 और 1986 की तस्करी की तुलना में यह कितनी है;

(ङ) न्यायालयों में लम्बित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार न्यायालयों में कितने मामलों में हारी है तथा इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों में सरकार की हार न हो।

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) दिनांक 27 फरवरी, 1988 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार में उन अफगान, तन्जानियन और नाइजीरियन राजनयिकों के नाम नहीं दिये गए हैं, जिन्हें तस्करी के कारण देश छोड़ने के लिए कहा जाना अपेक्षित है। तस्करी में ग्रस्त होने के कारण भारत को प्रत्यायित किसी तन्जानियन या नाइनजीरियन राजनयिक को वापस बुलाये जाने के लिए हाल ही में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही में एक मामले को, जिसमें एक अफगान राजनयिक ग्रस्त था, और जिसमें आयातित माल के बारे में की गई घोषणा और वास्तविक विवरण के बीच विसंगतियां देखी गई थीं, अफगानिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था और यह समझा जाता है कि अफगानिस्तान सरकार ने इस राजनयिक को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया है।

(घ) 1 जनवरी, 1987 से 1 मार्च, 1988 तक की अवधि के दौरान तस्करी के 61,500 मामलों (आंकड़े अनन्तिम हैं) का पता लगाया गया है जिसमें लगभग 326 करोड़ रुपयों के मूल्य के माल का अभिग्रहण किया गया है।

चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किये जाने वाला धन्धा है अतः इन वर्षों के दौरान तस्करी किस सीमा तक की गई, इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, कलैण्डर वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान अभिगृहीत माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984	101
1985	195.63
1986	217.52

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक अपराधों को दाण्डिक अपराध मानना

4871. **श्री ब्रजेश्वर तांती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी आर्थिक अपराध को दाण्डिक अपराध के रूप में मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस सूची में और अधिक आर्थिक अपराधों को सम्मिलित करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXII; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 9; सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135; स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम,

1968 के अध्याय XV/तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 56 और 61 के अध्यधीन किए गए अपराध दाण्डिक अपराधों के रूप में दण्डनीय हैं। अपराधों के वास्तविक स्वरूप तथा दंड के बारे में उक्त अधिनियमों में स्पष्ट व्याख्या की गई है।

(ग) उपर्युक्त सूची में इस समय किसी अन्य आर्थिक अपराध को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पोस्त के छिलकों का निर्यात

4872. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान पोस्त के छिलकों के निर्यात संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ग) इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) 14-11-1985 से स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के लागू होने से पोस्त के छिलके, जिसे "स्वापक औषध द्रव्य" की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल किया गया है, के निर्यात पर चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए छोड़कर, प्रतिबन्ध लगाया गया है। अतः वर्ष 1986-87 के दौरान और उसके बाद इसके निर्यात अथवा इसके निर्यात में वृद्धि के लिए किए गए उपायों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता है।

असम में कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

4873. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत ऋण दिए गए;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने किसानों को अधिकतम सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान, असम में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋणों में बकाया कृषि अग्रिमों का प्रतिशत इस प्रकार था :—

निम्नलिखित के अन्त में	प्रतिशत
जून, 1984	10.8
जून, 1985	11.8
जून, 1986	13.7

(ख) और (ग) दिनांक 1-3-1988 से 7,500 रुपए तक के फसल ऋणों पर ब्याज की दर में 1.5 प्रतिशत बिन्दु से 2.5 प्रतिशत बिन्दु तक तथा 7,500 रुपए से अधिक और 15,000 रुपए तक के फसल ऋणों पर 1.00 प्रतिशत बिन्दु से 2.5 प्रतिशत बिन्दु तक की कटौती की गई है। कुल ऋणों की तुलना में प्रत्यक्ष कृषि ऋणों का अनुपात 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है और यह लक्ष्य मार्च, 1989 के अन्त तक प्राप्त करना है।

स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन बनाने का प्रस्ताव

4874. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरों की अभिरक्षा और लेन-देन संबंधी वर्तमान व्यवस्था असन्तोषजनक पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एस० एच० सी० आई०) 19 अक्तूबर, 1987 को 7 अखिल भारतीय वित्तीय तथा निवेश संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई है। इस कम्पनी की शेयर पूंजी 7 करोड़ रुपए है जो सारी-की-सारी प्रायोजक संस्थाओं द्वारा दी गई है। इस कम्पनी का मुख्य कार्य 7 प्रवर्तक संस्थाओं की प्रतिभूतियों की अभिरक्षा करना है। यह कम्पनी इन प्रवर्तक संस्थाओं की ओर से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का काम करेगी तथा लाभांश/ब्याज एकत्र करेगी।

निर्यात निष्पादन

4875. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निर्यात में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यूरोपीय मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के उत्तरोत्तर अवमूल्यन के कारण यूरोपीय देशों को किए गए निर्यात में भारी वृद्धि प्रतीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित निर्यात निष्पादन आशातीत सन्तोषजनक नहीं है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1986 और अप्रैल-सितम्बर, 1987 के निर्यातों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण संलग्न है, जिसमें निर्यातों का मूल्य सभी प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों की मुद्रा में दिया गया है। मुख्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की अपनी-अपनी मुद्रा की दृष्टि से उन देशों को हमारे निर्यात में अप्रैल-सितम्बर, 1987 के पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित निर्यात निष्पादन असंतोषजनक नहीं समझा गया है।

विवरण

पश्चिमी यूरोप के प्रमुख देशों को भारत के निर्यात

(सम्बद्ध, मुद्राओं के मिलियन आंकड़ों में)

देश	मुद्रा	अप्रैल-सितम्बर 1986	अप्रैल-सितम्बर 1987	% परिवर्तन अप्रैल-सितम्बर, 1986 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1986 में
बेल्जियम	बेल्जियम फ्रैंक	4822.9	6616.5	37.2
फ्रांस	फ्रेन्च फ्रैंक	616.1	685.9	11 3
जर्मनी	डी० मार्क	538.8	664.3	23.3
इटली	लीरा	142547.2	217418.4	52.5
नीदरलैंड	गुलडर	202.5	216.2	6.8
यू० के०	पाउंड स्टि०	178.6	228.3	27.8
आस्ट्रिया	स्किलिंग	129.8	168.3	29.6
स्विटजरलैंड	स्विस फ्रैंक	103.3	110.6	7.1

नोट :—सम्बन्धित मुद्राओं के निर्यात की गणना सम्बद्ध अवधियों में और विनिमय दर से रुपये के मूल्य को बदलकर की गई है।

स्रोत :—निर्यात डी० जी० सी० आई० खंड एस० कलकत्ता विनिमय दर-रिजर्व बैंक इण्डिया।

ग्रामीण बैंक शाखाओं का कार्य-निष्पादन

4876. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित 4396 केन्द्रों में से उन ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां बैंकों की शाखाएं अब तक खोली जा चुकी है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वर्ष 1986-87 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया है कि ग्रामीण शाखाओं के कार्य-निष्पादन में सुधार लाए जाने की पर्याप्त गुंजाइश है; और

(ग) ग्रामीण शाखाओं के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत दिनांक 29 फरवरी, 1988 तक ग्रामीण और शहरी केन्द्रों के वास्ते बैंकों को जारी किए गए 4841

लाइसेंसों में से 1457 केन्द्रों में शाखाएं खोली गई थीं। इन शाखाओं का राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (1986-87) में बताया गया है कि यद्यपि बैंकों ने अपनी सेवाओं का देहातों में विस्तार किया है, लेकिन उनके काम में सुधार करने की काफी गुंजाइश है। ग्रामीण शाखाओं के कार्य निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से बैंकों से यह कहा गया है कि इन शाखाओं में सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें जिस दिन जनता के साथ कोई व्यवहार न किया जाए ताकि उस दिन का उपयोग क्षेत्र में जमा राशियां जुटाने, ऋणों के उपयोग पर नजर रखने, ऋणों की वसूली करने तथा ऋणकर्ताओं को उचित मार्गनिर्देश देने जैसे विकासात्मक और संवर्धनात्मक कार्य के लिए अपने वर्तमान तथा भावी ग्राहकों के साथ सम्पर्क करने के वास्ते करें।

विवरण

बैंकों द्वारा खोली गई ग्रामीण और शहरी शाखाओं का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खोली गई शाखाओं की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	140
2. अरुणाचल प्रदेश	2
3. असम	32
4. बिहार	36
5. गुजरात	52
6. हरियाणा	89
7. हिमाचल प्रदेश	63
8. जम्मू और कश्मीर	3
9. कर्नाटक	77
10. केरल	35
11. मध्य प्रदेश	128
12. महाराष्ट्र	105
13. मेघालय	6
14. मिजोरम	2
15. उड़ीसा	56
16. पंजाब	44
17. राजस्थान	88

1	2
18. तमिलनाडु	70
19. उत्तर प्रदेश	326
20. त्रिपुरा	2
21. पश्चिम बंगाल	98
22. दिल्ली	1
23. गोवा	2
कुल	1457

बैंकों द्वारा कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन

4877. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रगति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच में पता लगाई गई त्रुटियों और कमियों के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक सहित प्रत्येक बैंक ने अपने समूचे परिचालनों में सुधार करने के वास्ते 1986-87 के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की थी। इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबद्ध वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नजर रखी जाती थी। इन निगरानी के परिणामस्वरूप बैंकों ने विशेष रूप से अपने प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अपने आंतरिक ढांचे को युक्तियुक्त बनाया है, अपनी प्रशिक्षण क्षमताओं तथा पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है और अपनी आंतरिक लेखा व्यवस्था में सुधार किया है। ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए ग्राहकों और बैंकरों के बीच परस्पर सम्पर्क, ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निपटारे, 2500 रुपए और उससे कम राशि के बाहरी चैकों का तत्काल क्रेडिट दिए जाने जैसे कई उपाय किए गए हैं।

सेब निर्यात में वृद्धि

[हिन्दी]

4878. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया को सेबों के निर्यात में वृद्धि करने की संभावना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, अध्ययन के क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) क्या सेबों को इसके उत्पादन स्थानों से निकटस्थ रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए एक विशेष राजसहायता योजना तैयार करने का विचार है ताकि इन देशों को सेब के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अलमोड़ा-नैनीताल ग्रामीण बैंक द्वारा शाखाएं खोलना

4879. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलमोड़ा-नैनीताल ग्रामीण बैंक को वर्ष 1987-88 के दौरान कुछ स्थानों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए गए थे और इस बैंक द्वारा किन-किन स्थानों पर शाखाएं खोली गई हैं;

(ग) क्या इस बैंक को इन नई शाखाओं को खोलने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और नैनीताल जिलों में अपनी शाखाएं खोलने के वास्ते 13 केन्द्रों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
अल्मोड़ा	1. बसन्त
	2. मछोड़
	3. कन्धार
	4. छीना
	5. भोला
	6. कमारीछीना
	7. हरसिला

1	2
	8. भरारी
	9. लोहारखेत
नैनीताल	10. पटवादनगर
	11. जन्नकाल
	12. मल्धान चौर
	13. सतबंगा

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन 13 केन्द्रों में से बैंक ने दिनांक 25-4-87 को बसंत केन्द्र में एक शाखा खोली है।

(ग) और (घ) नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों और लिपियों की भर्ती के वास्ते बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, लखनऊ संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकतानुसार परीक्षा आयोजित करता है। अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के जरिए, ऐसे स्टाफ की भर्ती के लिए सरकार के और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

इस्पात ढलाई औद्योगिक एककों के उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क

[अनुवाद]

4880. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात ढलाई औद्योगिक एककों के उत्पादों पर 15 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क पूर्व प्रभावी रूप से लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका लघु एककों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी नहीं। इस्पात ढलाई उद्योग के उत्पादों पर भूतलक्षी प्रभाव से कोई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में रबड़ के बागान

4881. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रबड़ के बागान लगाने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो रबड़ बागान के अन्तर्गत अब तक कुल कितना क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(ग) उक्त राज्य में रबड़ बागान के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र शामिल करने के लिए आगे क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक एक सौ हेक्टेयर का क्षेत्र रबड़ की बागानी के अन्तर्गत लाया गया है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में रबड़ बागानी के विकास के लिए 1400 हेक्टेयर भूमि के विकास लक्ष्य की व्यवस्था है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है। अनुमानतः 1000 एकड़ का विकास सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों के तत्वावधान में किए जाने का प्रस्ताव है। रबड़ बोर्ड द्वारा पहले से ही एक आंचलिक कार्यालय भुवनेश्वर तथा दो क्षेत्रीय कार्यालयों की धानेकाल में स्थापना की जा चुकी है। कामख्यानगर में भी एक क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इन संस्थाओं में माध्यम से विस्तार सेवाएं वितरण तथा अधिक उपज वाली पौध के सामान का प्रबन्ध भी किया जाता है। रबड़ की खेती से संलग्न सभी संस्थाओं को रबड़ बोर्ड की ओर से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी दी जाती है।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

4882. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की विभिन्न लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री को 27 जनवरी, 1988 को प्रधान मन्त्री के साथ विस्तृत बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश की काफी समय से लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो किन परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है; और

(घ) किन परियोजनाओं के लिए मंजूरी अभी भी लम्बित है और उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) तीन परियोजनाओं नामशः, तेलुगु गंगा, यम्स धारा तथा श्रीसैलम वाम तट नहर, के संबंध में विचार-विमर्श हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार से श्रीसैलम वाम तट नहर परियोजना के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। अन्य दो परियोजनाओं की मंजूरी के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल किए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए कृषि ऋण

4883. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक कृषि के लिए ऋण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा में किसानों को कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किए गए;

(ग) क्या ऋणों की वसूली सुव्यवस्थित तथा नियमित रूप से की जा रही है; और

(घ) क्या बैंक द्वारा दिए गए ऋण का किसानों द्वारा कृषि के विकास के लिए किए जा रहे उपयोग का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य में विभाग राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) जून में समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक के बकाया कृषि अग्रिम का ब्योरा इस प्रकार है :—

जून को समाप्त वर्ष	बकाया राशि (लाख रुपये)
1984	9454
1985	12746
1986	13702

(ग) उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक की वसूली की स्थिति नीचे दी गई है :—

जून को समाप्त वर्ष	मांग (करोड़ रुपए)	वसूली (करोड़ रुपए)	मांग के मुकाबले वसूली की प्रतिशतता
1984	36.94	12.63	34.2
1985	44.64	21.02	47.1
1986*	41.27	22.81	55.3

*जून, 1986 के अन्त तक की सूचना भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी बैंकों सहित भारतीय स्टेट बैंक समूह की है। भारतीय स्टेट बैंक के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऋण के बाद निगरानी वित्तीय सहायता देने वाली शाखाओं का एक सामान्य कार्य है। इस काम को कारगर ढंग से करने के लिए ग्रामीण शाखाओं से यह कहा गया है कि वे सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें जिस दिन वे जनता के साथ कोई व्यवहार न करें ताकि शाखा प्रबन्धक अपने वर्तमान तथा भावी ग्राहकों को उचित मार्गनिर्देश देने, ऋण के बाद निरीक्षण करने आदि के लिए क्षेत्र का दौरा कर सकें। इस प्रयोजन के लिए कोई सामान्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

पश्चिमी घाट पर तस्करी की गतिविधियां

4884. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट में जनवरी, 1988 के बाद से तस्करी की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान पश्चिमी घाट में पता लगाई गई आधुनिक गतिविधियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तस्करों को पकड़ने और उनसे निपटने के लिये व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या उपाय अपनाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जनवरी तथा फरवरी,

1978 के दौरान पश्चिमी तट के साथ-साथ लगे क्षेत्रों से निषिद्ध माल के किए गए जिन अभिग्रहणों की सूचना प्राप्त हुई है उन मामलों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

अवधि	मामलों की सख्या
जनवरी	1260
फरवरी	1514

(आंकड़े अनन्तिम हैं ।)

(ख) प्राप्त आसूचना तथा किए गए अभिग्रहणों से संकेत मिलता है कि सोना, कलाई की घड़ियां, वाच मूवमेंट्स, इलैक्ट्रानिकी का माल, तथा सेन्थैटिक फैब्रिक्स, पश्चिमी तट के साथ-साथ लगे क्षेत्रों से बाहर से देश में तस्करी द्वारा लाए जाने के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं । स्वापक औषध द्रव्य, भारतीय तथा विदेशी मुद्रा, पश्चिमी तट के साथ-साथ लगे क्षेत्रों में इस देश से बाहर चोरी छिपे भेजने के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं । पश्चिमी तट के साथ-साथ लगे क्षेत्रों से जनवरी तथा फरवरी, 1988 के दौरान पकड़े गए माल का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

अवधि	मूल्य (लाख रुपयों में)
जनवरी	1418
फरवरी	1946

(ग) देश भर में तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है । तस्करी-रोधी तन्त्र को पूरे देश में, विशेषकर पश्चिमी तट के साथ-साथ लगे क्षेत्रों में सुदृढ़ बना दिया गया है । तस्करी का पता लगाने तथा इसको रोकने से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों के साथ तालमेल बनाए रखा जाता है ।

केरल में रेशम उत्पादन परियोजनाओं के लिए सहायता

4885. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल में रेशम उद्योग/रेशम उत्पादन परियोजनाओं के विकास के लिए किसी प्रकार की सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और किस प्रकार की सहायता मांगी गई है;

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) केरल में किन क्षेत्रों/जिलों को इस योजना से लाभ होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) केरल सरकार ने इडुक्की, कांचीरापल्ली और पालघाट जिलों में रेशम उत्पादन विकास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना कार्यान्वित कर रही है । सहायक अवस्थापना बनाने की दृष्टि से राज्य में एक अतिरिक्त अनुसंधान विस्तार केन्द्र और एक रीलिंग एकक की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने सहायता का अनुरोध किया है । उन्होंने शहतूत की कलमों की सप्लाई के लिए भी अनुरोध किया है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड से कहा गया है कि वह अपने सामान्य योजना कार्यक्रम के तहत इन अनुरोधों पर विचार करे ।

राज्य व्यापार निगम की निर्यात नीति

4886. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई मुख्य नीतियां क्या हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए कुल कितना निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा 1987-88 के लिए अपनाई गई निर्यात नीति की मुख्य बातों में शामिल हैं : गैर-सरणीकृत मदों के निर्यात पर बल देना, क्वालिटी सप्लाई आधार के लिए अवस्थापना का विकास, आयातों के लिए प्रतिव्यापार का विकास, सरकारी क्षेत्र के चुने हुए उपक्रमों के साथ समझौता, ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, रसायन/खेलकूद का सामान/चमड़ा एककों को निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चे माल की सप्लाई करना, और मौजूदा उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाना।

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए राज्य व्यापार निगम का निर्यात लक्ष्य 584 करोड़ रु० निर्धारित किया गया था।

(घ) नवीनतम आकलनों के अनुसार वर्ष 1987-88 में 585 करोड़ रुपये के निर्यात होने की संभावना है।

भारत-जर्मन संयुक्त उद्यम

4887. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन संयुक्त उद्यम भारत से निर्यात बढ़ाने, देश में आन्तरिक मांग पूरी करने और मूल्य वृद्धि उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में बहुत अधिक सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985-86 के दौरान इस संबंध में 130 संयुक्त उद्यमों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या संयुक्त उद्यम सफल रहे हैं और उनके अच्छे परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में भारत-जर्मन संयुक्त उद्यमों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) सरकार ने भारतीय-जर्मन संयुक्त उद्यमों के संबंध में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। ऐसा पता चला है कि

कुछ निजी सगठनों ने भारतीय और जर्मन कम्पनियों के बीच कुछ सयुक्त उद्यमों के लिए एक सर्वेक्षण किया है।

(ङ) विशिष्ट रूप से भारतीय-जर्मन संयुक्त उद्यम को बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास विचाराधीन नहीं हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए नीति सम्बन्धी निर्णय सामान्य रूप से लागू होते हैं।

सरकारी उपक्रमों द्वारा अतिरिक्त निधियों का निवेश

4888. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने उनके मंत्रालय द्वारा उपक्रमों की अतिरिक्त निधियों को निवेश करने विशेषकर सरकारी हुण्डियों में निवेश करने के सम्बन्ध में दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपनी अधिशेष निधियों के निवेश के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन न करने से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई है। अधिशेष निधियों का निवेश, जहां तक संभव हो, सरकारी क्षेत्र के बांडों में भी किया जाना अपेक्षित था और न कि केवल राजकोष हुण्डियों में।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग उद्योग को प्रोत्साहन

4889. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से चयन करने हेतु 88 इंजीनियरिंग कम्पनियों को चुना गया है जिनको निर्यात अभियान के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा रिआयतें दी जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कौन-कौन से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा की गई पहल की प्रतिक्रिया में 88 से अधिक इंजीनियरी कम्पनियों ने हाल ही में विस्तृत कम्पनी-वार निर्यात कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं। अलग-अलग कम्पनियों के साथ उनकी कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से उनकी निर्यात योजनाओं पर विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इस उपायों में शामिल हैं : लाइसेंसिंग प्रक्रिया और तकनॉलाजी आयात को उदार बनाना, देशी करों के प्रपाती प्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए नकद मुआवजा सहायता की नई व्यवस्था, कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं को अतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्यों पर सुलभ कराना, लदान-पूर्व और लदान पश्चात् ऋण पर ब्याज की दर कम करना,

अपने उत्पाद का 25% अधिक निर्यात करने वाले एककों की सावधि ऋणों पर ब्याज में छूट देना, विदेश में विपणन कार्यकलापों के लिए निर्यात विपणन निधि से सहायता देना, निर्यात संवर्धन कार्यकलापों को सरल बनाने के लिए नई खुली विनिमय अनुमति योजना शुरू करना, प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान करना तथा शुल्क वापसी।

उड़ीसा में वेध कूपों (बोर वेल्स) का छिद्रण-कार्य

4890. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य के कुछ भागों में, विशेष रूप से खान तथा भू-विज्ञान विभाग के राज्य भू-जल सेल द्वारा निश्चित किए गए "ग्रे" तथा "डार्क" क्षेत्रों में वेध-कूपों (बोर वेल्स) के छिद्रण-कार्य में दो वेध-कूपों (बोर वेल्स) के बीच आठ सौ फीट की अधिकतम दूरी रखने के मापदण्ड का अनुसरण नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) संस्थागत स्रोतों के माध्यम से दो सिंचाई वेधनकूओं के बीच 250 मीटर की दूरी रखने के मानदण्ड का स्कीम के अन्तर्गत अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) भारत सरकार ने भूजल निष्कर्षण के नियंत्रण तथा नियमन हेतु समुचित विधान बनाने के लिए राज्यों को एक माडल विधेयक परिचालित किया है। कनार्टक उन राज्यों में से है जिन्होंने विधान का मसौदा तैयार किया है।

समानान्तर बैंकिंग प्रणाली

4891. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक समानान्तर बैंकिंग प्रणाली शुरू हुई थी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लगभग 10 प्रतिशत जमा राशि गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा अपने प्रयोजन के लिए निकाली जा रही है तथा प्रयोग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी समानान्तर बैंकिंग प्रणाली को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) बैंक ऐसे साधनों में से केवल एक साधन है जहां निवेशकर्ता, अपनी बचत तथा अधिशेष की राशियां जमा कराते हैं। डाकघर बचत बैंक योजनाएं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट, इंदिरा विकास पत्र, सरकारी क्षेत्र के बाण्ड आदि जैसी कुछ बचत योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें जनता अपनी बचत/अधिशेष की राशियां लगाती है। गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग कंपनियों तथा अन्य अनिगमित निकायों द्वारा भी जमा राशियां स्वीकार की जाती हैं। गैर-सरकारी कंपनियां, शेयरों, स्टाकों और डिबेंचरों की बिक्री से भी साधन जुटाती हैं। यह निर्णय लेना निवेशकर्ता का काम है कि वह कैसा निवेश करना चाहता है। मार्च, 1987 के अन्त के उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में गैर बैंकिंग कंपनियों की नियमित जमा राशियों का अनुपात 4.3 : 100 का था।

छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए वित्त निगम की स्थापना

4892. श्री जी० भूपति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु प्रत्येक राज्य में वित्त निगम की स्थापना करने के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्दो फलीरो, : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ऋण देने के वास्ते प्रत्येक राज्य में वित्त निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बैंक भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वास्ते गरीब विद्यार्थियों को रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण देते हैं। लेकिन ब्याज की यह दर बैंक दर अर्थात् वर्तमान में 10 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए ब्याज की दर 14 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत वार्षिक है।

जो विद्यार्थी पात्रता मापदण्ड को पूरा करते हैं उन्हें बैंक 4 प्रतिशत की दर से विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत भी शिक्षा ऋण प्रदान किए जाते हैं और इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 40 प्रतिशत अग्रिम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के लिए आरक्षित होते हैं।

उड़ीसा में पानी के जमाव को रोकने संबंधी योजनाएं

4893. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य द्वारा राज्य की उपजाऊ भूमि को पानी के जमाव से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कितनी योजनाएं भेजी गई हैं;

(ख) इन योजनाओं पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राज्य सरकार से ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

4894. चौधरी राम प्रकाश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसी कितनी राशि के ऋण दिए गए जिनमें प्रति व्यक्ति मंजूर की गई और वितरित की गई राशि दस हजार रुपए से कम है और यह राशि कितने व्यक्तियों को वितरित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों अथवा कंपनियों को प्रति व्यक्ति/कंपनी दस लाख रुपए से अधिक मूल्य के ऋण मंजूर किए गए और उन्हें ऋण के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि जो ऋण उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ऋण जो निर्धन व्यक्तियों को वितरित किए जाते हैं, सम्पन्न व्यक्तियों को मंजूर किए जाने वाले ऋण से अधिक हों ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 10,000 रुपये से कम के बैंक ऋणों के संबंध में आंकड़े जून, 1983 तक के एकत्र किये गये थे। चूंकि उसके बाद ऋण की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई थी, इसलिए 10,000 रुपए से कम के ऋणों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1983, दिसम्बर, 1984 और दिसम्बर, 1985 के दौरान व्यक्तियों/कंपनियों को दिए गए 10 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के संबंध में खातों की संख्या और राशि नीचे दी गई है :—

(राशि करोड़ रुपए)

	खातों की संख्या	बकाया राशि
दिसम्बर, 1983	33224	17751
दिसम्बर, 1984	37577	20386
दिसम्बर, 1985	47348	23881

(ग) सरकार का यह हमेशा से प्रयास रहा है कि बैंक ऋणों का लाभ समाज के कमजोर वर्गों को मिले। बैंकों से कहा गया है कि उनके कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए और सितम्बर, 1987 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की समाज के कमजोर वर्गों के नाम रकम 6506 करोड़ रुपए थी, जो उनके कुल अग्रिमों का 11.4 प्रतिशत बैठती है।

केन्द्रीय जल आयोग में इंजीनियरी और प्रशासनिक पद

[हिन्दी]

4895. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने और कौन-कौन से तकनीकी और प्रशासनिक पदों का सृजन किया गया एवं दर्जा बढ़ाया गया;

(ख) इनमें से कितने पद भरे गए, कितने रिक्त रखे गए अथवा समाप्त किए गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तकनीकी पदों, प्रशासनिक और हिन्दी कार्य संबंधी पदों की संख्या बढ़ाने अथवा कम किए जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) मुख्य इंजीनियर के चार पद और निदेशक का एक पद रिक्त है। केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों के आलोचनात्मक पुनरीक्षा के एक भाग के रूप में उप निदेशक के दो पद और अतिरिक्त सहायक निदेशक के 6 पद समाप्त कर दिए गए थे।

(ग) सरकारी निर्णय के अनुसरण में की गई संवर्ग पुनरीक्षा और आलोचनात्मक पुनरीक्षा के फलस्वरूप पद बढ़ाए अथवा कम किए गए थे।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में सृजित इंजीनियरी और प्रशासनिक पदों की संख्या

क्रम सं०	पदों का पदनाम	पदों की संख्या
1.	मुख्य इंजीनियर	6
2.	निदेशक	27
3.	उप निदेशक	24
4.	सहायक निदेशक	21
5.	अतिरिक्त सहायक निदेशक	21

केन्द्रीय जल आयोग में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4896. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों 1985-87 के दौरान, सरकारी पद के कथित दुरुपयोग, छुट्टी यात्रा रियायत/यात्रा भत्ते का मिथ्या दावा, सरकारी धन का दुरुपयोग आदि से सम्बन्धित जल आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध 117 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 48 मामले प्रारंभिक जांच के पश्चात् बन्द कर दिये गये और 25 मामलों में औपचारिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी जिनमें से अभी तक 9 मामलों का निर्णय किया गया और सजा दी गई है।

केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय के कार्यकरण सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

4897. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय के कार्यकरण सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन और की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सिफारिशों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा वर्ष 1980-82 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग की कर्मचारी वर्ग आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया। उनकी सिफारिशें अस्थायी थीं जिनको आवश्यक विचार-विमर्श के पश्चात् अन्तिम रूप दिया जाना था। इसी बीच, केन्द्रीय जल आयोग को दिसम्बर, 1983 में एक वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन घोषित किया गया था और इस प्रकार यह स्टाफ निरीक्षण यूनिट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिसर में धूम्रपान का निषेध किया जाना

[अनुवाद]

4898. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिसर में कार्य घंटों के दौरान धूम्रपान निषेध है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिसर में धूम्रपान रोकने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में धूम्रपान निषेध के सम्बन्ध में न तो सरकार ने कोई निर्देश जारी किये हैं और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अलबत्ता, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि कुछ बैंकों ने प्रशासनिक तौर पर अपनी शाखाओं/कार्यालयों में धूम्रपान निषेध के निर्देश जारी किये हैं।

कर्नाटक की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

4899. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित करने वाली उन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं; और

(ख) क्या सरकार को इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अपने हाथ में लेने के लिये कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सोलह।

(ख) जी नहीं।

काफी उद्योग में संकट

4900. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार काफी पर निर्यात शुल्क समाप्त करने और इसका न्यूनतम निर्गम मूल्य बढ़ाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वीकृत फार्मूले के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को मौजूदा स्तर पर निर्यात शुल्क में कटौती करने का कोई मामला नहीं है।

सरकार पहले से ही अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से एम० आर० पी० का नियमित अद्यतन करने के लिये प्रणालियां बनाने में लगी हुई है।

महाराष्ट्र में हथकरघा क्षेत्र की समस्याएं

4901. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री मुरलीधर माने :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र में हथकरघा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को सलाह देते हुये लिखा था कि जनता कपड़े के उत्पादन पर आर्थिक सहायता की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ा कर 3 रु० प्रति वर्ग मीटर कर दी जानी चाहिए। अब केन्द्रीय सरकार ने जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 2.75 रु० प्रति मीटर करने का निश्चय किया है।

विदेशों में शीतल पेय के बार्टलिंग प्लांट स्थापित करना

4902. **श्री सोमनाथ रथ** : वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विदेशों में शीतल पेय के 'बार्टलिंग प्लांट' स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनसे क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) ये देश हैं : अमरीका, सिंगापुर और नाइजीरिया।

(ग) दिनांक 31-12-86 की स्थिति के अनुसार अमरीका में संयुक्त उद्यम में लाभ दर्शाया है, जबकि सिंगापुर में संयुक्त उद्यम को हानि हुई है।

दिनांक 31-12-1982 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाइजीरिया में भारतीय संयुक्त उद्यम के निष्पादन ने हानि दर्शायी है। बाद के वर्षों के लिए, इस संयुक्त उद्यम के भारतीय प्रवर्तक ने बताया है कि विदेशी सहयोगियों की ओर से पूरी तरह काम रोक देने के परिणामस्वरूप अपने सभी प्रयत्नों के बावजूद वे और कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने इस सम्बन्ध में नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग का हस्तक्षेप है।

मूल्य वृद्धि की दर

4903. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थोक मूल्यों के सम्बन्ध में वर्तमान वृद्धि दर क्या है और वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में यह दर क्या थी;

(ख) 16 जनवरी, 1983 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक क्या था; और

(ग) पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अर्थात् 16 जनवरी, 1987 को थोक मूल्य सूचकांक क्या था ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) थोक मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में 5-3-1988 तक की स्थिति के अनुसार नवीनतम उपलब्ध, मुद्रास्फीति की वर्तमान दर 9.7 प्रतिशत थी। 1986-87 में मुद्रास्फीति की दर 5.3 प्रतिशत और 1985-86 में 3.8 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) 16 जनवरी, 1988 को समाप्त सप्ताह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71=100) 415.7 था, जबकि 17 जनवरी, 1987 को समाप्त सप्ताह के अन्त में यह 377.9 था।

कपड़ा नीति का पुनर्मूल्यांकन

4904. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों की उप-समिति की कपड़ा नीति का मूल्यांकन करने हेतु जनवरी में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(ग) क्या प्रमुख मजदूर संघों में कपड़ा नीति के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। अगस्त, 1987 में हुई भारत सरकार के सचिवों की बैठक में वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वस्त्र कर्मचारी परिसंघ का एक संकल्प इस मंत्रालय में 26-10-87 को प्राप्त हुआ। इस संकल्प में दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल थे। जब 1985 की वस्त्र नीति की शीघ्र समीक्षा किए जाने की आवश्यकता, सम्भाव्य रूप में अर्थक्षम बंद पड़ी मिलों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय से सहायता तथा इन मिलों के प्रबन्ध पर उचित सरकारी नियंत्रण तथा मानीटरिंग, सरकार द्वारा उन एककों का अधिग्रहण किया जाना जिनके सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाएं पुनर्स्थापना पैकेज प्रदान करने को तैयार नहीं है, बन्द मिलों को चलाने के लिए कामगार सहकारी क्षेत्र सृजित करने के लिए योजना तैयार करना, विस्थापित कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, एन० टी० सी० द्वारा इस प्रबन्धाधीन सभी अभिग्रहीत मिलों का तत्काल राष्ट्रीयकरण, रुई की कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव को दूर करने की आवश्यकता, प्रबन्ध मंडल में सभी स्तरों पर कामगारों की सहभागिता सम्बन्धी योजना।

संयुक्त राज्य अमरीका से आवास निर्माण हेतु सहायता

4905. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्री मुरलीधर माने :
चौधरी राम प्रकाश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारत को आवास निर्माण हेतु 35 मिलियन डालर की सहायता देने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड (एच० डी० एफ० सी०) को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिकी आवास गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजी बाजार से 350 लाख डालर की राशि उधार ले। यह राशि 900 लाख डालर की उस राशि के अतिरिक्त है जो एच० डी० एफ० सी० द्वारा अतीत में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उधार ली गई थी। इस संबंध में एच० डी० एफ० सी० द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ एक करार निष्पन्न किया गया है। एच० डी० एफ० सी० द्वारा 350 लाख डालर की इस राशि का उपयोग भी निम्न आय वाले समूहों के लिए आश्रय प्रदान करने से संबंधित क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा, जैसा कि उसने पहले किया है।

पटसन मिलों के मजदूरों के लिए वेतन समझौते

4906. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पटसन उत्पादन निगम की मिलों के मजदूरों के लिए (लम्बे समय की हड़ताल के बाद) तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पटसन मिलों के मजदूरों के लिए (बिना हड़ताल के) हाल में किये गये वेतन समझौते से गैर-सरकारी क्षेत्र की पटसन

मिलों की अपेक्षा राष्ट्रीय पटसन उत्पादन निगम की मिलों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह गैर-सरकारी मिल मालिकों को राष्ट्रीयकृत क्षेत्र की मिलों की तुलना में अधिक लाभ देगा ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जबकि निजी क्षेत्र की जूट मिलों के लिए एक अन्तिम मजदूरी करार कर लिया गया है, नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन की मिलों के लिए हुआ समझौता केवल अन्तरिमस्वरूप का है। इन दोनों में पूर्ण बराबरी करना यथोचित नहीं है।

पूंजीगत सामान का आयात

4907. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल और सितम्बर, 1987 के दौरान पूंजीगत सामान का आयात वर्ष 1988 को उसी अवधि के दौरान किए गये आयात से लगभग 50 करोड़ रुपए अधिक था;

(ख) यदि हां, तो क्या पूंजीगत सामान पर आयात शुल्क में वृद्धि इस प्रवृत्ति को रोकने में विफल रही है;

(ग) क्या इंजीनियरिंग उद्योगों के परिसंघ ने पूंजीगत सामान के देश में उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ने पर अपनी चिन्ता जाहिर की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। तथापि पूंजीगत माल के अधिक आयात किए जाने के अनेक कारण हैं जिनमें शामिल हैं बढ़े औद्योगिक कार्यकलाप, प्रौद्योगिकी विस्तार का उन्नयन तथा मौजूदा औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण।

(ग) और (घ) सी० ई० आई० ने नई आयात निर्यात नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में पूंजीगत माल के आयात के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर विधिपूर्वक विचार किया गया है।

इराक द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिये भुगतान

4908. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इराक में प्रारम्भ किए गये विभिन्न रेलवे सम्बन्धी तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए तेल के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इराक को अपने यहां निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए रेल मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों को अनुमानतः कितनी धनराशि का भुगतान करना है;

(ग) भुगतान की एवज से सप्लाई किये जाने वाले तेल का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा, क्या तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के बाजार में तेल के मूल्यों में आई गिरावट को देखते हुए क्या यह पहले ही तय कर लिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानी बरती गई है कि मूल्यों में घटाबढ़ी होने से भारत को वित्तीय हानि न हो; और

(घ) क्या इन भुगतानों के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने ईराक सरकार के साथ उस देश में लगाई गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारतीय कम्पनियों को देय रकमों के निपटान के लिए 1983 से विभिन्न आस्थगित भुगतान करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन करारों में ऐसी व्यवस्था है कि कच्चे तेल की सप्लाई करके देनदारियों के एक भाग का निपटान किया जाए। 1988 के दौरान इराक द्वारा विभिन्न सरकारी उपक्रमों को देय अनुमानित राशि लगभग 67 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) अप्रैल-1988 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान इराक से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की तेल की कीमत तथा अन्य नियम और शर्तें दोनों देशों के संबंधित संगठनों के बीच होने वाली बातों पर निर्भर करेंगी।

(घ) फरवरी, 1988 में हस्ताक्षरित आस्थगित भुगतान करार के अनुसार भुगतान की सम्मत राशि का निपटान अप्रैल, 1988 से मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई की मार्फत किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

4909. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने हेतु आज तक (1) पंजाब नेशनल बैंक (2) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों जैसे स्टेट बैंक आफ पटियाला (3) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (4) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (5) (न्यू बैंक आफ इंडिया (6) पंजाब एंड सिंध बैंक (7) बैंक आफ बड़ोदा (8) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से किन-किन बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य पूरे किए तथा प्रत्येक द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के कोई प्रयास किए हैं कि प्रत्येक बैंक लक्ष्य प्राप्त करता है; और

(घ) यदि हां तो उनका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के हिस्से को उनके कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कहा था। सितम्बर, 1987 से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन उपलब्ध आकड़े के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इस लक्ष्य को अलग-

अलग एवं सामूहिक दोनों रूपों में पहले ही प्राप्त कर लिया है। सितम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार, अग्रिमों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के हिस्से का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम—लक्ष्य 40 प्रतिशत

(सितम्बर, 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार) (रकम करोड़ रुपए)

क्रम० सं०	बैंक का नाम	कुल अग्रिम (निवल बैंक ऋण)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	कुल अग्रिमों की तुलना में प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	14551.00	6646.18	45.7
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	730.52	322.91	44.2
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	803.86	364.68	45.4
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	425.78	197.02	46.3
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	623.30	296.40	47.6
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	675.21	293.00	43.4
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	381.50	169.23	44.4
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	847.77	400.02	47.2
9.	इलाहाबाद बैंक	1188.23	507.28	42.7
10.	आंध्रा बैंक	1067.56	486.00	45.3
11.	बैंक आफ बड़ौदा	3393.53	1489.20	43.9
12.	बैंक आफ इंडिया	3618.54	1624.99	44.9
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1252.38	588.00	47.0
14.	केनरा बैंक	4224.09	1902.50	45.0
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3624.00	1680.74	46.4
16.	कार्पोरेशन बैंक	530.36	240.26	45.3
17.	देना बैंक	1081.77	478.75	44.3
18.	इंडियन बैंक	1704.54	844.30	49.5

1	2	3	4	5
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1793.61	790.10	44.1
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	696.12	317.88	45.7
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	644.85	299.35	46.4
22.	पंजाब नेशनल बैंक	3762.00	1728.90	46.0
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	789.83	342.72	43.4
24.	सिंडिकेट बैंक	2454.00	1075.00	43.8
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1987.67	895.11	45.0
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1585.00	746.00	47.1
27.	यूको बैंक	1843.16	784.21	42.6
28.	विजया बैंक	785.97	359.31	45.7
	कुल	57066.05	25870.24	45.3

टिप्पणी :—आंकड़े अनन्तिम हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण

4910. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बड़े औद्योगिक गृहों और/अथवा लिमिटेड कंपनियों के अलावा अन्य संगठनों को ऋण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 और 1986-87 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, सहकारी समितियों, साझा कंपनियों और स्वामित्वधारी कंपनियों को ऋण प्रदान किए गए;

(ग) इन ऋणों पर ब्याज किस दर से वसूल किया गया है; और

(घ) क्या यह दर बड़े औद्योगिक गृहों और/अथवा लिमिटेड कंपनियों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर की तुलना में कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फंलीरो) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने चार्टर के अन्तर्गत सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को, चाहे उनके संगठन का स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्यतया कंपनियों या सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देता है और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के माध्यम से साझेदारी और स्वामित्व वाली इकाइयों को, जो सामान्यतया छोटी/मझोली औद्योगिक इकाइयां होती हैं, पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत उन औद्योगिक

इकाइयों की संख्या जिन्हें 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रत्यक्ष सहायता और पुनर्वित्त सहायता दी गई है, नीचे दी गई है :—

वर्ष (जुलाई-जून)	प्रत्यक्ष सहायता		पुनर्वित्त सहायता (इकाइयों की संख्या
	प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां (संख्या)	सहकारी समितियां (संख्या)	
1985-86	29	23	86,326
1986-87	33	30	92,989

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा दिये गये ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि ऋण किस योजना के अन्तर्गत दिया गया और इकाई का स्थान, जैसे पिछड़ा क्षेत्र आदि क्या है। अलबत्ता, बड़े औद्योगिक घरानों और लिमिटेड कंपनियों सहित ऋणकर्ताओं के वास्ते ब्याज दरें एक समान हैं। ब्याज दरें समयावधि के अनुसार भी अलग-अलग होती हैं।

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार संतुलन

4911. **श्री तारिक अनवर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में युगोस्लाविया के साथ व्यापार संतुलन सम्बन्धी स्थिति क्या थी; और

(ख) निर्यात की तुलना में यदि आयात में कोई कमी हुई है; तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 में युगोस्लाविया के साथ व्यापार सम्तुलन की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार थी :

	(करोड़ रुपए में)
भारत से युगोस्लाविया को निर्यात	71.42
युगोस्लाविया से भारत में आयात	102.29
व्यापार शेष	—30.87

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं अंक संकलन निदेशालय संशाधित आंकड़े।

युगोस्लाविया से भारत के आयातों में मुख्य रूप से शामिल हैं आवश्यक औद्योगिक उत्पादन के लिए प्लास्टिक रसायन, लोह और अलोह उत्पाद कागज और कागज उत्पाद, स्टेपल रेशा/यार्न आदि। युगोस्लाविया को भारत के निर्यातों में मुख्य रूप से शामिल हैं कृषि उत्पादों जैसी परम्परागत मदें (चाय, काफी, काली मिर्च और अन्य मसाले आदि), चमड़ा और चमड़ा उत्पाद आदि और कुछ मशीनरी और विनिर्मित मदें। यद्यपि युगोस्लाविया को निर्यात स्तर बढ़ाने तथा व्यापार में असन्तुलन कम करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये गये किंतु युगोस्लाविया में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी

कठिनाइयों के कारण इनमें काफी रुकावट आई क्योंकि उस देश में आयातों को सीमित करने की नीति बनाई गई थी ।

हांगकांग में रहने वाले भारतीय समुदाय द्वारा अंडमान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का अनुरोध

4912. **श्री तारिक अनवर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हांगकांग स्थित भारतीय व्यापार समुदाय के लोगों द्वारा अंडमान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, ताकि वे अधिक धनराशि का निवेश कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुक्त पत्तन के विकास के लिए अन्यों के साथ-साथ अनिवासी भारतीयों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं । इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि इसका विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर गहन मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ।

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल

4913. **श्री के० रामचंद्र रेड्डी :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों पर, जिनके लिए उन्होंने 25 जनवरी, 1988 को एक दिन की हड़ताल की थी, कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों तथा स्टाफ परिसंघों की शिकायतें/मांगें जिनके समर्थन में उन्होंने आन्दोलन शुरू किया था, मुख्य रूप से ये थीं : बैंक के दैनिक कार्य में हस्तक्षेप न किया जाए, भर्ती में सुधार किया जाए, सभी कार्यालयों में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उनके कुछ ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा की जाए । बैंक प्रबन्धन का यह दृढ़ मत है कि उपर्युक्त परिसंघों की कोई सुविधा वापस नहीं ली गयी है और राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप गलत है । बैंक द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंक में भर्ती आवश्यकताओं तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है । जहां तक सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं का सवाल है बैंक द्वारा संबद्ध एजेंसियों के परामर्श से उनकी बराबर समीक्षा की जाती है । बैंक ने आगे चलकर बताया है कि परस्पर मेल-मिलाप से परिसंघों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है ।

गुजरात में रुग्ण तथा बन्द यूनिटों को ऋण

4914. श्री हरुभाई मेहता : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रुग्ण यूनिटों तथा बन्द यूनिटों में उद्योग-वार बैंक ऋणों तथा अन्य संस्थागत ऋण की कितनी राशि फंसी हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने इन यूनिटों को प्राप्त हुए बैंक ऋणों तथा संस्थागत ऋण के प्रयोग के बारे में जांच करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1986 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) गुजरात में लघु औद्योगिक रुग्ण एककों और बड़े औद्योगिक एककों के नाम बैंकों की बकाया राशियां 420.45 करोड़ रुपए की थीं। दिनांक 30 जून, 1987 की उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा सहायता प्राप्त/बन्द पड़े एककों के नाम इन संस्थाओं की क्रमशः 57.14 करोड़ रुपये, 29.32 करोड़ रुपए और 15.63 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। बैंकों के पोर्टफोलियो के बड़े रुग्ण एककों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के पोर्टफोलियो के रुग्ण एककों के नाम बकाया राशि की उद्योग-वार उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को जारी मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत बैंक और वित्तीय संस्थायें खातों की ऋणोत्तर जांच की निगरानी करती है ताकि ऋणकर्ताओं द्वारा धनराशियों के उचित अनन्तिम उपयोग पर नजर रखी जा सके।

विवरण

बैंक

उद्योग	31 दिसम्बर, 1986 तक की अवधि	बड़े रुग्ण एककों के नाम कुल बकाया ऋण राशि (करोड़ रुपए)
इंजीनियरिंग और बिजली का सामान		32.71
लोहा और इस्पात		11.65
वस्त्र		244.64
रसायन		7.68
विविध		26.53
	कुल	323.21

(बड़े एकक वे एकक हैं जिन्हें समूची बैंकिंग प्रणाली अलग-अलग 1 करोड़ रुपए या अधिक की ऋण सीमा प्राप्त है।)

कतिपय वित्तीय संस्थाएं (अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक)

उद्योग	30 जून, 1987 तक की अवधि	कुल बकाया राशि करोड़ रुपए		
		भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
वस्त्र		35.00	12.69	7.54
कागज और कागज उत्पाद		4.63	1.73	0.76
रसायन		4.02	3.54	0.82
परिवहन उपकरण		10.82	4.81	4.95
इंजीनियरिंग		1.33	1.76	1.31
विविध		1.34	4.79*	0.25
	कुल	57.14	29.32	15.63

*केवल चीनी उद्योग के लिए।

महाराष्ट्र में बन्द पड़े विद्युत करघे

4915. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितने विद्युत करघे बन्द पड़े हुए हैं;

(ख) इससे कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन यूनिटों में कार्य प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) देश में अधिक बुनाई क्षमता के संदर्भ में विकेन्द्रीकृत विद्युत चालित करघा क्षेत्र में बुनाई कार्य के स्तरों में समय-समय पर परिवर्तन होता है। यह धागे की कीमतों, कपड़े की उठान तथा अन्य विभिन्न घटकों पर आधारित है। इस क्षेत्र में बुनाई प्रचालनों का लाभ प्रदता सूती धागे की कीमतों में वृद्धि तथा कपड़े की मदद मांग द्वारा भी प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में बुनाई कार्य के स्तरों में गिरावट आई है। तथापि, उन विद्युत चालित करघों की संख्या का संक्षिप्त आंकलन देना संभव नहीं है।

सरकार ने सुधारात्मक कार्य के लिए स्थिति की समीक्षा की है। सरकार ने जुलाई, 1987 से स्टेपिल रूई के निर्यात को बन्द कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूती धागे के निर्यात से

सूती धागे को घरेलू उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ता, सूती धागे सूती फैब्रिकों तथा तैयार कपड़ों के लिए रूई के आयात की अग्रिम लाइसेंसिंग आधार पर अनुमति दी गई है। सरकार धागे के उत्पादन के लिए अपेक्षित रूई की उपलब्धता से सम्बन्धित स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।

1988-89 के लिए बजट में कतिपय मानव निर्मित रेशों/धागों पर उत्पादन शुल्कों में कमी घोषित की गई है।

विनिमय व्यापार के कारण बाजार में स्थिरता आना

4916. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान विनिमय व्यापार से स्वदेशी उत्पादों की विदेशों में बिक्री बढ़ाने की बजाये स्वदेशी बाजार में अधिक स्थिरता कायम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन वस्तुओं का विनिमय व्यापार किया जाता है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात से कितना लाभ हुआ और आयात के फलस्वरूप चालू वर्ष के दौरान हमारे स्वदेशी उत्पाद पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) वस्तु विनिमय व्यापार, जिनमें प्रति-व्यापार सौदों के अन्तर्गत निर्यात भी शामिल हैं, पिछले दो वर्षों में भारत से निर्यात बढ़ाने में बहुत सहायता मिली है। इस अवधि के दौरान एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० द्वारा प्रति-व्यापार के अन्तर्गत किए गए निर्यात में अनेक मदें शामिल हैं जैसे रसायन, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क पलेटस और सान्द्रण आदि। इससे, मारुती कार, लौह अयस्क पलेटस, गेहूं, इंजीनियरिंग सामान आदि निर्यात सामानों को पूर्वी यूरोप सुदूर पूर्व और अफ्रीका के बाजारों में पहुंचने में सहायता मिली है। आयात उन मदों का किया जाता है जिनके संबंध में सामान्यतया घरेलू उद्योग और उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए अनुमति दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कर वसूली

4917. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** :
श्री वी० एस० विजयराघवन :
श्री के० कुन्जम्बु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त लाभों और बढ़े हुए वेतन के फलस्वरूप उनसे वसूल किए गए कर का कोई आकलन किया गया है;

(ख) क्या महंगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान और इन राशियों पर कर की वसूली का पता लगाने के लिये भी कोई ऐसा ही आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त बढ़ी हुई परिलब्धियों, जिनमें महंगाई भत्ते की किश्तें शामिल हैं, पर उनसे वसूल किए गए कर का अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों सहित असैनिक कर्मचरियों के लिये चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुमानित वित्तीय प्रभाव जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है, 965 करोड़ रुपये है। वेतन आयोग की सिफारिशों की आयोग द्वारा यथा अनुमानित समग्र आवर्ती लागत 1282 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है (रिपोर्ट का 32 वां अध्याय)। वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए सुधारों की आवर्ती अतिरिक्त लागत समूह "ख" "ग" और 'घ" के कर्मचारियों के लिए लगभग 124 करोड़ रुपये तथा समूह "क" अधिकारियों के लिए 4.04 करोड़ रुपए थी। सरकार द्वारा किये गये सुधारों की अतिरिक्त अनावर्ती लागत लगभग 165 करोड़ रुपये थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयकर विभाग में ऐसे कोई रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं जिनसे यह पता चल सके कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त बढ़ी हुई परिलब्धियों पर अथवा महगाई भत्ते पर कितना-कितना कर अदा किया गया तथापि वर्ष 1986-87 तथा 1-4-37 से 31-12-87 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से वसूल की गयी कुल धनराशि निम्न प्रकार है :—

अवधि	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से वसूल की गयी आयकर की राशि
	(करोड़ रुपयों में)
1986-87	27.23
1-4-87 से 31-12-87 तक	47.93

कोचीन में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सोने के बिस्कुटों को जब्ती

4918. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1988 के अन्तिम सप्ताह में लक्षद्वीप समूह के किसी द्वीप में सोने के कई बिस्कुट बरामद किये गये थे;

(ख) कोचीन सीमाशुल्क अधिकारियों ने सोने के कितने बिस्कुट जब्त किये और उनका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) ये बिस्कुट किस स्थान से बरामद हुए; और

(घ) उन व्यक्तियों की संख्या और नाम क्या हैं जो तस्करी के मामले में गिरफ्तार किये गये। शामिल पाये गए अथवा शामिल होने का संदेह है और सोने के ये बिस्कुट मूलतः किस देश में लाये गये ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी,

हां। 26 फरवरी, 1988 को सीमाशुल्क समाहर्तालय कोचीन के अधिकारियों ने लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी मूल के 570 स्वर्ण बिस्कुट पकड़े थे।

(ग) ये स्वर्ण बिस्कुट कावाराती के पास लक्षद्वीप समूह में "वालियाकारा" नामक वीरान द्वीप से बरामद किए थे।

(घ) पूर्वोक्त स्वर्ण बिस्कुटों की तस्करी के सम्बन्ध में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति केरल का, चार गुजरात के तथा दो कर्नाटक के हैं। स्वर्ण बिस्कुटों पर लगे मार्के से पता चलता है कि इनका मूल देश स्विजरलैण्ड है।

डिबेंचर धारकों के हितों की सुरक्षा

4919. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डिवेन्चर धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो डिवेन्चर जारी करने वाली कम्पनियों को मुख्य रूप से क्या शर्तें पूरी करनी होंगी;

(ग) सरकार के निर्देश किस तारीख में लागू होंगे; और

(घ) वर्तमान डिवेन्चर धारकों को कौन से सुरक्षोपाय तथा लाभ मिलेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) ऋण-पत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा 25 फरवरी, 1988 को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) ये मार्ग-निर्देश इनके जारी किये जाने की तारीख से लागू होंगे।

(घ) इन मार्ग-निर्देशों से मौजूदा ऋण-पत्र धारकों के हितों की रक्षा में योगदान मिलने की आशा है।

विवरण

ऋण-पत्र धारकों के हितों की रक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

ऋण-पत्र सम्बन्धी सेवाओं और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने ऋण-पत्र धारकों के हित में 14 जनवरी, 1987 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और अतिरिक्त पूंजी जारी करने की इच्छुक कम्पनियों में मौजूदा ऋण-पत्र धारकों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जिन कम्पनियों ने विगत वर्षों में पहले ही ऋण-पत्र जारी कर दिये हैं और जो नई प्रतिभूतियां जारी करने का इरादा रखती हैं, वे सभी पूंजी-निर्गम के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले अपने आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पूंजी-निर्गम नियन्त्रक को प्रस्तुत करेंगी :—

(1) पहले से जारी किये गये ऋण-पत्रों के बारे में सरकार द्वारा जनवरी, 1987 में जारी

किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही की यथावत रिपोर्ट;

(2) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया हो कि (क) पहले से जारी किये गये ऋण-पत्रों का परिपोषण करने में कम्पनी ने कोई चूक नहीं की है; और (ख) कम्पनी के पिछले सभी ऋण-निर्गमों के लिये आबंटितियों के पक्ष में ऋण-पत्र सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं; और

(3) वित्तीय संस्था और/या बैंकरों से एक प्रमाण-पत्र कि उनको प्रस्तावित ऋण-पत्र निर्गम के न्यासियों के पक्ष में द्वितीय या समानुपातिक प्रभार सृजित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से ऋण

4920. **श्री वी० कृष्ण राव :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अपने मूल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए पूंजी आधार को बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक का यह निर्णय भारत के लिए सहायक होगा; और

(ग) यदि हां, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विश्व बैंक का निर्णय किस सीमा तक बढ़ावा देगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के पूंजी आधार में 7.48 अरब डालर तक वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता रहा है, जिससे बैंक विकासशील देशों को उधार देने सम्बन्धी गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि कर सकेगा।

शहतूत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय जीन बैंक

4921. **श्री वी० कृष्ण राव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उष्णकटिबन्धी रेशम-उत्पादन के कार्यकलापों पर हुये 6 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्त में 28 फरवरी, 1988 का शहतूत तथा रेशमकीट सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह बैंक कहां स्थापित किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 18 फरवरी से 23 फरवरी, 1988 के बीच बंगलौर में उष्णकटिबन्धी रेशम-उत्पादन के कार्यकलापों पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्त में यह सिफारिश की गई कि शहतूत और रेशम कीटों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय जीन पूल भारत में

स्थित होना चाहिए, ऐसे जीन पूल के ब्योरों का निर्धारण भागीदार देशों के साथ परामर्श करके किया जाना है।

तेलुगु गंगा परियोजना के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय बैठक

4922. **श्री बी० कृष्ण राव :**
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में मतभेदों को दूर करने हेतु त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मसलों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय विकास बैंकों को निर्यात-आयात बैंक से ऋण

4923. **श्री एस० बी० सिदनाल** : **क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1988 को भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा क्षेत्रीय विकास बैंकों को ऋण दिन के लिए पहली बार एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों को किन परियोजनाओं पर उपयोग किया जाएगा;

(ग) ऋण की राशि को किस विधि से लौटाया जायेगा; और

(घ) इस ऋण का कब तक उपयोग किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने सूचित किया है कि पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक को, जो पश्चिम अफ्रीकी मुद्रा यूनियन का क्षेत्रीय विकास बैंक है, 13 करोड़ रुपए, का ऋण देने के वास्ते भारतीय निर्यात-आयात बैंक और पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक के बीच दिनांक 15 फरवरी, 1988 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस ऋण का उपयोग पश्चिम अफ्रीकी मुद्रा यूनियन के सात देशों को भारतीय पूंजीगत सामान और इंजीनियरिंग सामान तथा अन्य सम्बन्धित सेवाओं का निर्यात करने के लिए किया जायेगा। इस ऋण के 30 महीने के अन्दर उपयोग किये जाने की आशा है। इसकी वापसी अदायगी 2 वर्षों की अधिस्थगन अवधि के बाद 10 वर्षों में छमाही किस्तों में की जाएगी।

ऋण-जमा अनुपात

4924. **डा० कृपासिंधु भोई** : **क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986 और 1987 में बैंकों में कुल जमाराशियों और उनके द्वारा दिए गए ऋणों की गणना की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में वर्ष 1986 और 1987 के दौरान विभिन्न बैंकों की कुल जमा राशियों और ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान अन्य राज्यों में बैंक जमा राशियों और ऋणों का अनुपात क्या था; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) दिसम्बर, 1985, दिसम्बर, 1986 और दिसम्बर, 1987 के अन्त में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियां और बकाया अग्रिम राशियां निम्नानुसार थीं :—

(रकम करोड़ रुपए में)

	जमा राशियां	अग्रिम
दिसम्बर, 1985	85868	56325
दिसम्बर, 1986	102625	64677
दिसम्बर, 1987	117246	67679

(ख) दिसम्बर, 1985, दिसम्बर, 1986 और सितम्बर, 1987 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) उड़ीसा राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियां और बकाया अग्रिम राशियां निम्नानुसार थीं :—

(रकम करोड़ रुपए में)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	जमा राशियां	अग्रिम
दिसम्बर, 1985	1025.71	889.78
दिसम्बर, 1986	1281.02	1067.00
सितम्बर, 1987	1369.09	1199.41

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1985, दिसम्बर, 1986 और सितम्बर, 1987 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात

(दिसम्बर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985	1986	सितंबर, 1987
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	**60.2**	**54.7**	**50.8**
हरियाणा	68.3	66.1	60.2

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	41.5	39.9	37.8
जम्मू और कश्मीर	40.8	43.1	40.4
पंजाब	45.6	44.3	43.7
राजस्थान	67.4	65.9	59.6
चंडीगढ़	221.1	164.7	111.5
दिल्ली	55.9	49.3	47.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**44.7**	**45.8**	**46.1**
असम	52.4	51.4	50.6
मणिपुर	71.8	67.8	63.6
मेघालय	27.9	27.4	22.9
नागालैण्ड	37.5	42.1	38.9
सिक्किम	23.1	26.3	28.1
त्रिपुरा	70.4	62.5	60.1
अरुणाचल प्रदेश	4.9	24.6	20.1
मिजोरम	27.8	9.9	26.2
पूर्वी क्षेत्र	**50.1**	**49.3**	**50.0**
बिहार	39.8	38.1	37.4
उड़ीसा	86.8	83.3	87.6
पश्चिम बंगाल	50.3	50.3	51.4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	39.4	37.8	36.7
मध्य क्षेत्र	**50.1**	**47.4**	**47.2**
मध्य प्रदेश	60.4	60.9	59.1
उत्तर प्रदेश	46.5	42.8	42.8
पश्चिमी क्षेत्र	**76.1**	**73.3**	**68.7**
गोवा	—	—	31.6
गुजरात	54.4	55.8	52.5
महाराष्ट्र	85.1	81.0	76.0
दादरा और नागर हवेली	95.8	66.8	63.8

1	2	3	4
गोवा, दमन और दीव	32.7	32.5	—
दमन और दीव	—	—	23.0
दक्षिणी क्षेत्र	81.6	81.3	83.4
आन्ध्र प्रदेश	77.2	79.6	78.7
कर्नाटक	86.6	85.7	92.1
केरल	63.5	61.1	63.2
तमिलनाडु	93.9	93.5	94.9
लक्षद्वीप	29.1	27.8	22.4
पांडिचेरी	54.3	50.2	51.1
अखिल भारत	65.6	63.0	61.4

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विदेशों में खानों में पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव

4925. श्री श्रीकांत दत नरसिंह राज वाडियर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० का विदेशों में खानों में पूंजी निवेश करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों में प्रस्तावित खनन गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों मे खानों में खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) एम० एम० टी० सी० कनाडा में पोटाश परियोजना तथा कोस्टा रिका में गंधक खनन परियोजना में भाग लेने की संभाव्यताओं पर विचार कर रहा है ।

समाजोन्मुखी परियोजनाओं में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

4926. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की समाजोन्मुखी परियोजनाओं में ऋणों के माध्यम से पूंजी निवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने किस वर्ष से उक्त परियोजनाओं में पूंजी निवेश की योजना शुरू की है;

(ग) इस कार्यक्रम में जीवन बीमा निगम द्वारा अभी तक कितनी धनराशि का पूंजी निवेश किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना/अभिकरण का नाम	योजना को लागू किए जाने का वर्ष	31-3-1987 तक दिए दिए गए उधारों की राशि राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3
(क) योजना आयोग के परामर्श से		
1. नगर निगमों, जिला परिषदों, जलपूर्ति एवं मल-निकासी बोर्डों को जल-पूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिये उधार	1960-61	717.63
2. बिजली के उत्पादन के लिये राज्य बिजली बोर्डों को उधार	1964-65	2103.81
3. सामाजिक आवास के लिए राज्य सरकारों को उधार	1958-59	696.37
4. बसों की खरीद के लिये राज्य सड़क परिवहन निगमों को	1979-80	179.68
5. घरों की खरीद/निर्माण का वित्त-पोषण करने के लिए एच० डी० एफ० सी० को	1981-82	20.00
6. आवास कार्यों के वित्त-पोषण के लिए हुडको (1984-85 से बन्द कर दिया है)	1973-74	78.00
7. प्राथमिक सहकारी आवास समितियों के वित्त-पोषण के लिये राज्य स्तर शीर्ष सहकारी आवास समितियों को उधार	1959-60	1023.27
8. औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना के लिए सहकारी औद्योगिक सम्पदाओं और राज्य औद्योगिक विकास निगमों को	1963-64	37.48

1	2	3
9. विभिन्न बंधक पत्र ऋण योजनाओं के अंतर्गत आवास के लिए ऋण		
1. सम्पत्ति बंधक पत्र योजना	1959	99.93
2. 'अपना घर बनाओ' योजना	1964	128.09
3. पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को उनके कर्मचारियों हेतु मकान बनाने के लिए ऋण देने संबंधी योजना	1964	7.99
4. पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा मकानों की खरीद अथवा निर्माण के लिए बनाई गई सहकारी आवास समितियों को ऋण देने की योजना	1964	2.19
5. ई० सी एच० स्कीम	1960	22.44
6. आई० ई० एच० स्कीम	1964	63.85
7. ओ० वाई० ए० स्कीम	1973	0.90
8. एजेन्ट्स (क्लब मेंबर) स्कीम	1973	1.58
9. आई० ई० एच० (फ्लैट) स्कीम	1981	3.39
10. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा मकानों के निर्माण के लिए बनाई गई सरकारी आवास समितियों को ऋण देने संबंधी योजना	1971	0.11
11. कर्मचारियों के आवास के निर्माण हेतु सहकारी उपक्रमों को ऋण	1973	0.84
12. सरकारी कंपनियों को अपने उपयोग हेतु वाणिज्यिक भवनों के निर्माण के लिए ऋण	1984	0.70

ग्रामीण क्षेत्र में बेनामी ऋणों का दिया जाना

4927. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों द्वारा बेनामी अथवा दोहरे ऋणों को दिए जाने को रोकने के लिए उचित गणना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गणना करने पर लगभग कितना अतिरिक्त व्यय होने की आशा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिए गए सभी ऋणों की गणना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में दोहरे और जाली ऋणों से बचने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं : कृषि ऋणों और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों के वास्ते पास बुकें जारी करना; ग्रामीण शाखाओं द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों का पूर्व निर्धारित दिन को भुगतान, ऋण का कारगर पर्यवेक्षण आदि।

नर्मदा नदी बांध योजना की प्रगति

4928. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी बांध योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस योजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) नर्मदा नदी संबंधी चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर परियोजना (इन्दिरा सागर के रूप में पुनः नामित), जिसमें 1.69 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई करने तथा 1000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई है, पर कार्य औपचारिक रूप से 19-11-1987 को शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) 22 वर्ष। तथापि, पूरा करने का समय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के भरतगढ़ निर्माण प्रभाग की चैक बुक का गुम हो जाना

[हिन्दी]

4929. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के भरतगढ़ निर्माण प्रभाग की चैक बुक के गुम होने के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चैक-बुक के गायब होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में अब तक किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि श्री एस० के० सवाना, उप-मंडलीय अधिकारी

भरतगढ़-उप-मंडल संख्या 2, रोपड़ से 15-1-1988 को, जब वह रोपड़ से चंडीगढ़ सरकारी जीप में यात्रा कर रहे थे, चैक-बुक गुम हो गयी थी।

(ग) पंजाब सरकार के अनुसार, पंजाब राज्य सतर्कता विभाग ने चैक-बुक के गुम होने की जांच आरम्भ कर दी है। विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और यह निदेश दिया गया है कि निष्कर्षों की रिपोर्ट एक मास के भीतर प्रस्तुत कर दी जाए।

निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों का पता लगाना

[अनुवाद]

4930. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात पर विशेष ध्यान देते हुए कुछ और महत्वपूर्ण उद्योगों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन महत्वपूर्ण उद्योगों में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) सरकार ने विदेशी बाजारों में विशेष प्रयास के लिए 14 विस्तृत क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं, ये हैं :—

1. चाय, विशेष रूप से डिब्बा बन्द और मूल्य-वर्धित रूप में;
2. अनाज, विशेष रूप से गेहूं;
3. संसाधित खाद्य, जिसमें शामिल है : फल तथा फलों का रस, मांस तथा मांस उत्पाद और ताजे फल और सब्जियां;
4. समुद्री उत्पाद, विशेष रूप से मूल्य वर्धित रूप में;
5. लौह अयस्क;
6. चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद. दूसरी मद पर अधिक बल देते हुए;
7. हस्तशिल्प और आभूषण;
8. पूंजीगत सामान और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं;
9. इलैक्ट्रानिक सामान तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर;
10. मूल रसायन;
11. वस्त्र पीस-माल और तैयार कपड़े;
12. सिलेसिलाए परिधान;
13. ऊनी वस्त्र और निटवियर तथा
14. परियोजना तथा सेवाएं।

विभिन्न मदों, जिनमें उक्त थ्रस्ट वस्तुएं शामिल हैं, के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, इन्हें इस तरह से बनाया गया है, जिससे निर्यातों के लिए बेशी माल बने, ऐसी वस्तुओं के उपादन की प्रेरणा मिले जिनके आधुनिक समकालीन तकनालॉजी हो तथा कीमतें प्रतियोगी हो, और निर्माण लाभ दायक बने।

प्लास्टिक की परत वाले नोटों को शुरू करना

4931. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक प्रचलन हेतु प्लास्टिक की परत वाले करेंसी नोट जारी करने संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्लास्टिक की परत चढ़े नोटों को जारी करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है अतः निर्णय में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता।

लघु बचत में वृद्धि

4933. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्ष के दौरान लघु बचत में सराहनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना के लिए अन्य कोई प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा को छोड़कर निवल संग्रह नीचे दर्शाए गए हैं :—

	(करोड़ रुपये)
अप्रैल, 86-जनवरी, 1987	2444
अप्रैल, 87-जनवरी, 1988	2557

(ग) और (घ) अल्प बचतों के लिए प्रस्तावित कुछ प्रोत्साहन ये हैं :—

1. राष्ट्रीय बचत योजना में जमा रकमों पर ब्याज की दर 1-4-1987 से 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत की गई है।

2. राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 के अन्तर्गत अधिकतम जमा रकमों की सीमा 1-4-1988 से 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए की गयी है।

3. राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत जमा रकमों के संबंध में, कर निर्धारण वर्ष, 1988-89 के लिए कराधान में कटौती की व्यवस्था वित्त विधेयक, 1988 में की गयी है।

4. वित्त विधेयक, 1988 में, डाकघर मासिक आय खाते के अन्तर्गत जमा रकमों पर अर्जित ब्याज के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 80-ठ को लागू करने की व्यवस्था की गई है।

5. इंदिरा विकास पत्र की परिपक्वता अवधि को बहाल किया गया है और इंदिरा विकास पत्र में किया गया निवेश अब 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा।

6. किसान विकास पत्र कहा जाने वाला एक नया पत्र, जिसमें दो वर्ष 6 महीने के बाद आहरण की सुविधा होगी, शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

रबड़ की खेती के लिए स्वीकृत राशि

4934. **प्रो० पी० के० कुरियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष रबड़ की खेती बढ़ाने के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ की खेती के अन्तर्गत कितना अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) सातवीं योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत 1987-88 के दौरान रबड़ की खेती बढ़ाने के लिए 14.43 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) रबड़ के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन 53.43 करोड़ रु० है।

(ग) 1985-86 से 1987-88 के दौरान योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत रबड़ की खेती में लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र अनुमानतः 25,000 हेक्टर था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का स्थानान्तरण

4935. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को दूर-दराज के स्थानों पर तैनात न करने तथा साथ ही उन्हें कम महत्वपूर्ण स्थानों पर न रखने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तैनात करते समय कितने किलोमीटर की सीमा को ध्यान में रखा जाता है;

(ग) क्या उक्त निदेशों का सभी बैंकों द्वारा पालन किया जा रहा है और इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के नाम ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं कि स्थानान्तरण/तैनाती के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में उनके सामाजिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। बैंकिंग प्रणाली में सामान्यतया बैंकों में अधिकारियों, जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी भी शामिल हैं, के स्थानान्तरण सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किए जाते हैं।

उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

4937. डा० कृपासिंधु भोई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में दिसम्बर 1987 के अन्त तक भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं खोली गईं;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में 1988-89 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की कुछ और नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो 1988-89 में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलने के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1987 के अन्त में भारतीय स्टेट बैंक की उड़ीसा में 351 शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की शाखाएं खोलने के वास्ते 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति की पूरी अवधि के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त पता लगाए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक को 38 पात्र केन्द्र आबंटित किए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये शाखाएं नीति की बाकी अवधि के दौरान अलग-अलग चरणों में खोली जाएंगी।

विवरण

1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान उड़ीसा में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक को आबंटित 38 केन्द्रों के ब्यौरे

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
मयूरभंज	1. भुआसुनी
	2. हलीकोट
	3. खिचिंग

1	2
क्योंझर	4. जगमोहनपुर
गंजम	5. छामुन्डा
	6. महेन्द्रगढ़
	7. बरूंदाबन बिहार
पुरी	8. कौशल्या गंगा
	9. सनखजोदी
बोलनगीर	10. चांदतारा
	11. मुरसुंधी
	12. गजबंधा
	13. सरगदा
	14. सिंघोल
सम्बलपुर	15. कुमलेआड़ी
	16. अंगलपुर
	17. बलाम
	18. इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बरूपाली
सुन्दरगढ़	19. के० बालंगा
	20. कछूक
कोरापुट	21. कुम्भारीपुट
	22. गिरीलिगुमा
	23. बनुआगुडा
	24. सलीमी
	25. जोडिंगा
	26. कुंठगांव
कटक	27. बैरी
	28. करादीबंद
	29. ईश्वरपुर
	30. बिदनासी
	31. लिंकरोड
कालाहांडी	32. कारलाकोट
फलबनी	33. महेगुदे
	34. भोरा

1	2
भुवनेश्वर	35. कपिल प्रसाद
	36. खानसाजिरी रोड
	37. गवर्नमेंट ट्रेजरी ब्रांच
राउरकेला	38. जालदा

भारतीय रूई निगम द्वारा कपास की वाणिज्यिक खरीद

4938. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भारतीय रूई निगम को कपास उत्पादकों की सहायतार्थ उनसे समर्थन मूल्य से ऊंचे मूल्य पर कपास की वाणिज्यिक खरीद करने के निर्देश देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का कपास उत्पादकों की सहायता करने का विचार है ?

वस्त्री मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भारतीय रूई निगम, संस्थागत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसायिक आधार पर रूई की खरीद कर रहा है। उक्त उपभोक्ताओं के नाम इस प्रकार हैं—राष्ट्रीय वस्त्र निगम, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन, राज्य वस्त्र निगम आदि निगम प्रचलित बाजार मूल्यों पर व्यवसायिक खरीद करता है। चूंकि प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक है, इसलिए रूई के उपजकर्ता अपनी रूई के लिए पहले ही अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त उद्यमों के लिए मार्ग निर्देशों को उदार बनाना

4939. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को नियन्त्रित करने वाले वर्तमान मार्गनिर्देश और नियमों को और उदार और सरल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों को सरल और यथासंभव यथार्थवादी बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा सतत् आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार का ऐसा विचार है कि भारतीय प्रोत्साहकों/अथवा संयुक्त उद्यमों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों और ऐसे उद्यमों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने में सरकार के अनुभव को देखते हुए वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों की ही इसी प्रकार समीक्षा की जाए।

चूंकि इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों/एजेंसियों के बीच परस्पर-कार्यवाही करना शामिल है और यह काफी समय लेने वाली है, अतः इस प्रकार की कोई विशेष समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकी है।

अमरीकी कम्पनियों द्वारा खान और धातु व्यापार निगम के विरुद्ध मुकदमा

4940. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो अमरीकी कंपनियों ने खनिज और धातु व्यापार निगम के विरुद्ध हरजाने के लिए मुकदमा दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1986 में एम० एम० टी० सी० को यू० एस० जिला अदालत ह्यूस्टन यू० एस० ए० से एक समन व शिकायत की एक प्रति के साथ प्राप्त हुई है। जिसमें ठेका का उल्लंघन करने के आरोप पर 60 मिलियन अमरीकी डालर का दावा किया गया है तथा मामला मैसर्स वुडस्टाक एतेगी इनकार पोरेड द्वारा दायर किया गया है जिसके साथ एम० एम० टी० सी० से कभी कोई पत्राचार नहीं किया था। एम० एम० टी० सी० ने भारत के महान्यायवादी तथा महासालिसिटर से सलाह करने के पश्चात् दावेदार के आरोपों का खण्डन करते हुए लिखित ब्यान दायर किया है।

विदेशी सहायता के लिए लम्बित पड़ी बिहार की सिंचाई परियोजनायें

4941. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कई सिंचाई परियोजनाएं जिसके लिए विदेशी सहायता की मांग की गई है, केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा कब मंजूरी दे दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) बिहार सरकार से निम्नलिखित सिंचाई परियोजना प्रस्ताव विदेशी सहायता हेतु समय-समय पर प्राप्त हुए हैं : (1) सुवर्णरेखा परियोजना सोपान-2 (आवृत्तिक); (2) सोन नहर आधुनिकीकरण (सोपान-1); (3) बिहार मध्यम जिसमें 9 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं; तथा (4) बिहार बृहद् परियोजना जिसमें औरंगा जलाशय परियोजना तथा अपर सकरी जलाशय परियोजना शामिल हैं। ये मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कपड़ा मिल आधुनिकीकरण निधि

4942. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 89 मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए कपड़ा मिल आधुनिकीकरण निधि में से 422.54 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं; और

(ख) उन 50 मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए 122.30 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 89 मामलों के क्षेत्रवार आंकड़े तथा उनमें स्वीकृत राशि निम्नलिखित प्रकार है :—

	मामलों की संख्या	राशि
		(करोड़ रु०)
( ) गैर-सरकारी क्षेत्र एकक	73 (14 मामलों में 6.24 करोड़ रु० के विशेष ऋण सहित)	366.44
(ii) सरकारी क्षेत्र एकक	3	20.93
(iii) सहकारी क्षेत्र एकक	13	35.17

(ख) वितरित राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	मामलों की सख्या	राशि
		(करोड़ रु०)
(i) गैर सरकारी एकक	47 (7 मामलों में ?.02 करोड़ रु० के विशेष ऋण सहित)	118.55
(ii) सरकारी क्षेत्र एकक	1	2.0
(iii) सहकारी क्षेत्र एकक	2	1.83

रेशम के धागे का उत्पादन बढ़ाना

4943. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम के धागे का उत्पादन बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विश्व बैंक के अग्रिम मूल्यांकन-मिशन ने इस प्रयोजन के लिए परियोजना का अध्ययन पूरा किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य सरकारों ने विश्व बैंक की सहायता से अलग-अलग रेशम उत्पादन योजनाएं आरम्भ की थीं। बाद में इन योजनाओं को समेकित कर लिया गया और केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से एक विस्तृत राष्ट्रीय रेशम-उत्पादन परियोजना का सूत्रपात किया। इस समय विश्व बैंक से एक मूल्यांकन-पूर्व मिशन राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना पर विचार-विमर्श के लिए भारत आया हुआ है।

स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

4944. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और क्या धनराशि इस परियोजना के निर्माण के लिए पर्याप्त होगी;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस परियोजना के लिए और अधिक धनराशि देने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजनाना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इस परियोजना के कारण कम से कम 50 हजार लोग विस्थापित हो जाएंगे; और

(छ) यदि हां, तो उन लोगों के पुनर्वास और इस परियोजना में उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा विश्व बैंक सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) परियोजना के वर्ष 1993-94 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से सहायता ब्लाक अनुदानों के रूप में होती है जो किसी विशिष्ट परियोजना से जुड़ी नहीं होती। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए 127 मिलियन अमरीकी डालर तक की सहायता के लिए वचनबद्ध है। इस सहायता का 70 प्रतिशत राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त राशि के रूप में दिया जाता है।

(च) और (छ) परियोजना के प्रथम सोपान से जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, लगभग 1743 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है। राज्य सरकारों द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रबंधों में वैकल्पिक भूमि पर पुनर्वास, स्व-रोजगार हेतु विभिन्न धंधों के लिए ऋण तथा प्रशिक्षण और परियोजना में रोजगार आदि शामिल हैं।

नालन्दा जिले की पैमार सिंचाई योजना का निर्माण

4945. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले की पैमार सिंचाई योजना केन्द्रीय सरकार के पास पिछले कई वर्षों से लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) पहले प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को दिसम्बर, 1966 में अनुमोदित कर दिया गया था। परियोजना का संशोधित अनुमान जिसमें प्रतिवर्ष 9.71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की परिकल्पना थी, जून, 1984 में प्राप्त हुआ था। उस समय तक परियोजना पर अधिकांश कार्य पूरा हो चुका था। योजना आयोग को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

भारतीय रूई निगम में घाटा

[अनुवाद]

4946. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और 31 दिसम्बर, 1987 तक भारतीय रूई निगम को कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय रूई निगम का कार्य-निष्पादन सुधारने और इसके घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) निगम को 1978-79 से हानि उठानी पड़ रही है तथा 31 दिसम्बर, 1987 तक कुल संचित हानि 120.60 करोड़ की थी।

(ग) निगम को मुख्यतः आयात प्रतिस्थापन के लिए विकसित की जा रही लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपिल रूई के उपजकर्त्ताओं को निगम द्वारा बढ़ायी गयी विपणन समर्थन इन रूइयों के लागत को वहन करने तथा बैंकों से ऋण लेने के तथा सरकारी कर्जों के ब्याज भार उठाने की वजह से हानि उठानी पड़ी।

(घ) कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा हानि को कम करने के उद्देश्य से निगम ने ऊपरी व्ययों को कम करने के लिए उपाय किए हैं तथा मिलों से निश्चित मांगपत्रों के लिए वाणिज्यिक प्रचाल कर रहा है। सरकार निगम द्वारा अपने कीमत समर्थन प्रचालनों में होने वाली हानि के लिए प्रतिपूर्ति भी कर रही है।

लघु बचत योजना

4947. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान लघु बचत योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 में विभिन्न राज्यों में कौन-कौन-सी विशेष लघु बचत योजनाएं लोकप्रिय हुई हैं;

(ग) चालू वित्त वर्ष में कौन-कौन-सी नई लघु बचत योजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान अल्प बचतों को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं :—

(I) 1-3-1988 को अथवा उसके बाद बेचे गए इन्दिरा विकास पत्रों की परिपक्वता अवधि को कम करके पांच वर्ष कर दिया गया है।

(II) 23-12-1987 से डाकघर सावधि जमा खाते में संस्थागत निक्षेपों की अनुमति दी गई है।

(III) राष्ट्रीय बचत योजना में शेष राशियों पर ब्याज की दर 1-4-1987 से 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत की गई है।

(IV) राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 में की गई 100 प्रतिशत जमा रकमों के लिए वित्त विधेयक, 1988 में कराधान में कटौती की व्यवस्था की गई है।

(V) वर्ष 1988-89 में किसान विकास पत्र नाम की एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान जनवरी, 1988 तक किए गए संग्रह, 1986-87 की समतुल्य अवधि में किए गए संग्रहों की तुलना में यह दर्शाते हैं कि डाकघर बचत खाते, डाकघर आवर्ती जमा खाते, राष्ट्रीय बचत पत्र छठा निर्गम और लोक भविष्य निधि योजना में सकल जमा रकमें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय बचत योजना और डाकघर मासिक आय खाता नामक दो नई योजनाएं शुरू की गई थीं। जैसाकि वित्त मंत्री के बजट भाषण में बताया गया है, 1988-89 में किसान विकास पत्र प्रवर्तित किया जाएगा।

वाणिज्यिक बैंकों का कार्य-निष्पादन

4948. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान (अब तक) विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों का जमा राशि में वृद्धि,

निर्यात वित्तपोषण, ग्राहक सेवा और कार्य-चालन आदि के क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन कैसा था; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सरकार विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के कार्यनिष्पादन को अलग-अलग दृष्टिकोण से सतत आधार पर समीक्षा करती है और दिसम्बर 1986 को समाप्त वर्ष (अद्यतन उपलब्ध) के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की समेकित रिपोर्ट नवम्बर, 1987 में संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई थी।

बहरीन को कुद्रेमुख से लौह अयस्क का निर्यात

4949. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुद्रेमुख से बहरीन को लौह अयस्क का निर्यात करने का विचार है;

(ख) क्या बहरीन ने सरकार को यह सूचित किया है कि वह कुद्रेमुख से आगामी तीन वर्ष तक लौह अयस्क खरीदेगा; और

(ग) यदि हां, तो बहरीन को प्रति वर्ष कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लि० का बहरीन को लौह अयस्क सांद्रण के निर्यात करने का भी प्रस्ताव है। अगले तीन वर्षों के लिए बहरीन द्वारा निर्दिष्ट मात्राएं निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	
1988	1.50 मिलियन मे० टन
1989	3.00 मिलियन मे० टन
1990	4 00 मिलियन मे० टन

निर्यात की वास्तविक मात्रा आर मूल्य प्रचलित बाजार कीमतों पर निर्भर होंगे।

दिल्ली में सोने की बरामदगी

4950. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दो करोड़ रुपए के मूल्य का सोना बरामद किया गया था जैसे कि 25 फरवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी हां। 24 फरवरी, 1988 को राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने एक ट्रक से लगभग 1.90 करोड़ रुपए मूल्य के विदेशी मार्क के 480 स्वर्ण बिस्कुट पकड़े थे। निषिद्ध स्वर्ण को ड्राइवर को सीट के बैकरेस्ट के अन्दर खाली स्थान में छिपाया गया था। लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के ट्रक को तथा लगभग 80,000 रुपये मूल्य की एक मारुती कार को भी पकड़ लिया गया था।

(ग) छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्द भी कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

4951. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोंडा और बस्ती में भारत-नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर सामान और पशुओं की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गिरफ्तार किये गये तथा जेल भेजे गये व्यक्तियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) प्राप्त रिपोर्ट तथा किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र के गोंडा तथा बस्ती जिलों में भारत नेपाल सीमा माल तथा पशुओं को तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। चूंकि तस्करी चोरी छिपे किये जाने वाला धन्धा है, इसलिए, गोंडा तथा बस्ती में भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ चोरी छिपे लाए जा रहे माल तथा पशुओं की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है तथा पिछले दो कैलेण्डर वर्षों के दौरान भारत-नेपाल सीमा के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में किए गये अभिग्रहणों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

अवधि	अभिग्रहण का मूल्य (लाख रुपयों में)
1986	268.68
1987	482.83

(ख) किसी जिले विशेष में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान भारत-नेपाल सीमा के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

अवधि	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1986	102
1987	142

(ग) भारत-नेपाल सीमा सहित पूरे देश में तस्करी-रोधी अभियान का तेज कर दिया गया है और तस्करी-रोधी तन्त्र को भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ लगे सभी सुगम्य क्षेत्रों में सुदृढ़ बना दिया गया है। तस्करी का पता लगाने तथा इसे रोकने से सम्बधित सभी एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

सोवियत संघ द्वारा रिगों की सप्लाई

4952. श्री पी० एम० सईद : क्या जल ससाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ राजस्थान में पेय-जल के लिए नलकूप खोदने के लिए आधुनिकतम किस्म के रिग सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में कहां-कहां पर नलकूप लगाने का विचार है;

(ग) सोवियत संघ को कितने रिग सप्लाई करने हैं और इस कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है;

(घ) रिगों की सप्लाई के लिए भारत कितनी धनराशि देने के लिए वचनबद्ध है; और

(ङ) क्या सोवियत संघ तकनीकी सहयोग भी दे रहा है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सूखा प्रभावित राज्यों में नलकूप के निर्माण के लिए सोवियत संघ भारत को उपहार के रूप में छः रिग प्रदान कर रहा है। इनमें से एक-एक रिग राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर जिलों में लगाया जाएगा। ये रिग 1988 के दौरान प्राप्त होने तथा लगाए जाने की संभावना है।

(ङ) अक्तूबर, 1987 में हस्ताक्षरित संलेख के अंतर्गत बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, भू-जल और सतही जल के संयुक्त प्रयोग, भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण और भू-जल प्रदूषण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग की परिकल्पना की गई है।

भारत-जापान सहयोग

4953. श्री एम० बी० सिदनाल :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-जापान सहयोग स्थापित करने के लिए कई क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में जापान सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यह समझौता कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ) निवेश संबंधी वातावरण का सर्वेक्षण करने वाले एक जापानी शिष्ट मंडल ने जिसमें 35 सदस्य थे, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के लिए 21 जनवरी से 29 जनवरी, 1988 तक भारत का दौरा किया। बातचीत भारत की विदेशी निवेश नीति और अर्थ-व्यवस्था की सामान्य स्थिति के बारे में हुई। यह दौरा संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया गया था। इसलिए कोई करार आदि निष्पन्न नहीं किए गए।

सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होना

4954. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या, जो आवश्यकता से अधिक है, कम करने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में कर्मचारी निरीक्षण एकक नामक एक तंत्र कार्य कर रहा है जो प्रशासनिक कार्य कुशलता के अनुरूप स्टाफ में किफायत सुनिश्चित करने और कार्य-निष्पादन के मानदण्ड तथा कार्य-प्रतिमान निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकारी विभागों (रेलवे को छोड़कर जिनके पास अपनी अलग व्यवस्था है) में कर्मचारियों की स्थिति की आवर्ती कार्यक्रमों तथा तदर्थ अध्ययनों के माध्यम से पुनरीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों/विभागों में आंतरिक कार्य अध्ययन एकक स्थापित किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ अपने-अपने मंत्रालय/विभाग की संस्थापनाओं के कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन करते हैं तथा उस मंत्रालय/विभाग में किए जा रहे विशिष्ट कार्यों से सम्बन्धित निष्पादन के मानदण्ड और कार्य-प्रतिमान निर्धारित करते हैं।

सोवियत संघ द्वारा बोकरो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

4955. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र का वर्तमान विस्तार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् इसके आधुनिकीकरण तथा आगे विस्तार के संबंध में सोवियत संघ ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धन-राशि खर्च होगी;

(ग) क्या इस प्रस्ताव में स्थानीय डिजाइन तथा इंजीनियरिंग और पूंजीगत सामान उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने पर निषेध है;

(घ) क्या सरकार का इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित करने का विचार है; और

(ङ) सोवियत संघ के प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सोवियत रूस ने बोकारो इस्पात संयंत्र की इस्पात गलनशालाओं और हाट स्ट्रिप मिल को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी-आर्थिक प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तुत किया है।

(ख) पूंजी निवेश लगभग 1100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) सोवियत रूस के प्रस्ताव में इस परियोजना को आद्योपान्त आधार पर सम्पन्न करने की परिकल्पना की गई है। अभी उन आर्डरों की राशि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है जो स्थानीय डिजाइन, इंजीनियरी और पूंजीगत माल उद्योग को मिलेंगे। यह प्रस्ताव अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

उड़ीसा में नौरंगपुर में चीनी मिल की स्थापना

4956. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नौरंगपुर में एक चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप में कच्चा लोहा सम्बन्धी परियोजना स्थापित करना

4957. श्री चिन्तामणि जेना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार से 11 लाख टन वार्षिक क्षमता का विभिन्न श्रेणियों के ढलवां कच्चे लोहे के उत्पादन से लिए कटक जिले में पारादीप में एक नई परियोजना स्थापित करने के लिये आशय-पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या पारादीप में प्रस्तावित परियोजना की स्थापना से देश में विदेशी मुद्रा के बच जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना से उत्पाद के अनुप्रवाही उपयोग के लिए घातवर्धित ढलवां लोहे के निर्माण की फाउण्डरी सुविधाओं को प्रोत्साहन मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पिटवां ढलवां लोहे के निर्माण के लिए ढलाई-घर संबंधी सुविधाओं की स्थापना, कच्चे

लोहे की समग्र उपलब्धता, ऐसी इकाइयों की सक्षमता, इसके उत्पादों की विक्रेयता जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करेगी।

(घ) चूंकि कच्चे लोहे के निर्माण को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है, अत: निगम को एक परियोजना स्थापित करने के लिए दिनांक 10-7-1987 का पंजीकरण संख्या आर० 952(87)/डी० आई० आर० प्रदान कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों के लिए समेकित कार्यक्रम

4958. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों के लिए समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के स्वच्छ शौचालयों का निर्माण भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जाता है :—

(1) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, (2) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का ग्रामीण स्वच्छता घटक, और (3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का ग्रामीण स्वच्छता घटक।

वर्ष 1987-88 में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यवार रिलीजों/आवंटनों और राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार एक साथ सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित स्वच्छ शौचालय इकाईयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रावधान और उपलब्धि (अनन्तिम)

1987-88

(लाख रुपए में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम रिलीज	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आबंटन	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	@निर्मित ग्रामीण स्वच्छ शौचालय इकाइयों की सं० (दिसंबर, 87 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	32.00	57.50	57.50	10427
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.00	0.90	0.90	2

1	2	3	4	5	6
3.	असम	14.00	12.00	12.00	34
4.	बिहार	43.00	84.60	84.60	4036
*5.	गोवा	—	1.00	1.00	—
6.	गुजरात	7.00	19.80	19.80	11512
7.	हरियाणा	4.00	5.60	5.60	439
8.	हिमाचल प्रदेश	30.00	3.30	3.30	1491
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	4.10	4.10	—
10.	कर्नाटक	23.00	27.70	27.70	94
11.	केरल	15.00	22.70	22.70	2979
12.	मध्य प्रदेश	41.00	49.90	49.90	670
13.	महाराष्ट्र	25.00	48.00	48.00	2573
14.	मणिपुर	6.00	0.60	0.60	137
15.	मेघालय	8.00	0.80	0.80	—
16.	मिजोरम	3.00	0.80	0.80	9
17.	नागालैंड	8.00	0.70	0.70	491
18.	उड़ीसा	23.00	26.50	26.50	78
19.	पंजाब	5.00	6.00	6.00	734
20.	राजस्थान	20.00	23.40	23.40	1273
21.	सिक्किम	9.66	0.40	0.40	19
22.	तमिलनाडु	20.00	47.40	47.40	3086
23.	त्रिपुरा	19.35	1.90	1.90	852
24.	उत्तर प्रदेश	25.00	106.00	106.00	6893
25.	पश्चिम बंगाल	40.00	45.30	45.30	1044
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	0.90	0.90	—
27.	दमन और दीव	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
28.	दादरा और नगर हवेली	—	0.40	0.40	—
29.	लक्षद्वीप	—	0.30	0.30	173
30.	पांडिचेरी	—	0.80	0.80	—
		465.01	600.00**	600.00**	49100

@राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित।

*दमन और दीव सहित आवंटन।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली के लिए 0.40 लाख रुपए और चंडीगढ़ के लिए 0.30 लाख रुपए आवंटित हैं। इन्हें दोनों कार्यक्रमों के लिए कुल राशि में शामिल किया गया है।

"हुडको" द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना

4960. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम द्वारा वर्ष 1985-86, वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के दौरान क्रमश: कितनी और कितने मूल्य की परियोजनाएं मंजूर कीं;

(ख) "हुडको" द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं कि इन योजनाओं का लाभ मुख्यत: समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्राप्त हो; और

(ग) "हुडको" ने वर्ष 1985-90 की अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अब तक प्राप्त किए जा चुके लक्ष्यों की प्रतिशतता क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

वर्ष	योजनाओं की संख्या	परियोजना की लागत
		(रुपए करोड़ों में)
1985-86	697	619.17
1986-87	581	590.37
1987-88 (29-2-88 की स्थिति के अनुसार	528	579.97

(ख) विभिन्न श्रेणियों से संबंधित योजनाओं के लिए, हुडको द्वारा भिन्न-भिन्न वित्तीय मान-दण्ड निर्धारित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित योजनाओं के मामलों में ब्याज की दर तथा चुकाने की अवधि सर्वाधिक उदार है। सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि प्रतिवर्ष के लिए हुडको द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण का 30 प्रतिशत इस श्रेणी के लिए उद्दिष्ट किया जाना चाहिए। अब तक हुडको द्वारा स्वीकृत आवासीय एककों का लगभग 77 प्रतिशत इस श्रेणी के लिए रहे हैं।

(ग) सातवीं योजना अवधि के लिए स्वीकृत ऋणों का लक्ष्य 1865 करोड़ रुपए की तुलना में, हुडको ने 29-2-88 तक 1169.89 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है, यह निर्धारित लक्ष्य का 63 प्रतिशत होता है।

राष्ट्रीय बीज निगम का तिलहन के बीजों के उत्पादन का लक्ष्य

4961. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम की चालू वर्ष के दौरान तिलहन के प्रमाणित बीजों के उत्पादन में 300 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-सी परियोजना प्रारम्भ करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1988-89 के दौरान 61,100 क्विटल तिलहन के बीजों का उत्पादन करने का प्रस्ताव किया है, जबकि गत तीन वर्षों का औसत 20,984 क्विटल था। नियोजित उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक करार किए गए हैं।

नए शीतागारों का निर्माण

4962. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शीतागारों की राज्य-वार संख्या उनकी क्षमता सहित कितनी है;

(ख) क्या देश में और अधिक शीतागारों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को शीतागारों के निर्माण के लिए कोई सहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 दिसंबर, 1986 को देश में संबंधित अधिनियमों/आदेशों के अन्तर्गत 54.02 लाख मीट्री टन की क्षमता वाले लाइसेंस शुदा शीत भंडारों की कुल संख्या 2607 थी। राज्य-वार शीत भंडारों की संख्या उनकी क्षमता सहित संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ख) सहकारी क्षेत्र में जब भी राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, राष्ट्रीय सहकारी

विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) शीत भंडारों की स्वीकृति प्रदान करता है। इस समय राष्ट्रीय विकास निगम के पास पश्चिम बंगाल में दो शीत भंडारों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां, सरकारी क्षेत्र में शीत भंडारों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(घ) सहकारी क्षेत्र में शीत भंडारों के निर्माण पर आने वाले खर्च को संबंधित सहकारी सोसायटी, राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बीच 1:4:15 के अनुपात में वहन किया जाता है। सहकारी क्षेत्र में इस समय 6.74 लाख मीटरी टन की क्षमता वाले 244 शीत भंडार गठित किए गए हैं जिनमें से 5.39 लाख मीटरी टन की क्षमता वाली 204 यूनिटों को स्थापित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31-12-86 को राज्य-वार शीत भण्डारों की संख्या और उनकी अखिल भारत क्षमता

क्र०सं०	राज्य का नाम	शीत भंडारों की संख्या	क्षमता (घन मीटरों में)	क्षमता (मीटरी टनों में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	53	36656	11730
2.	असम	3	7242	2317
3.	बिहार	205	1078909	345251
4.	गुजरात	106	376237	120396
5.	हिमाचल प्रदेश	13	30211	9668
6.	जम्मू और काश्मीर	12	31594	10110
7.	कर्नाटक	73	47829	15305
8.	केरल	111	37577	12025
9.	मध्य प्रदेश	100	536960	171827
10.	महाराष्ट्र	197	320936	102699
11.	उड़ीसा	38	122712	39268
12.	राजस्थान	47	155289	49693
13.	तमिलनाडु	79	51959	16627
14.	त्रिपुरा	2	10072	3223
15.	अंडमान	1	100	32

1	2	3	4	5
16.	चंडीगढ़	12	54672	17495
17.	दिल्ली	85	344402	110209
18.	गोआ	22	5403	1729
19.	लक्षद्वीप	1	111	36
20.	पांडिचेरी	5	593	190
	योग :	1165	3249463	1039830
21.	हरियाणा*	138	553125	177000
22.	पंजाब*	303	1584375	507000
23.	उत्तर प्रदेश*	739	7218750	2310000
24.	पश्चिम बंगाल*	262	4276031	1368330
	कुल योग :	2607	16881744	5402160

नोट *इन राज्यों में शीत भंडारण आदेश 1980 लागू नहीं है। इन राज्य सरकारों के अपने शीत भण्डारण अधिनियम आदेश हैं।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मांग

[हिन्दी]

4963. श्री आर० एम० भोये : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशों में, विशेष रूप से खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिकों को सरकारी एजेंसियों अथवा इस विशेष प्रयोजन के लिए पंजीकृत कुछ गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 1987 के दौरान, जनशक्ति निर्यात 10 प्रतिशत अधिक था।

(ग) और (घ) श्रमिकों को पंजीकृत भर्ती एजेंसियों द्वारा विदेशों में भेजा जा सकता है। ये

एजेंसियां प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हो सकती हैं। पंजीकृत भर्ती एजेंसियां 1265 हैं जिनमें 8 सरकारी एजेंसियां हैं। उन्हें देश में स्थित सात उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय से उत्प्रवासी अनुमति लेनी होती है।

पामोलीन तेल का आयात बंद करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

4964. श्री सी० सम्बु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन तेल का आयात बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में राजसहायता प्राप्त दर पर चावल और गेहूं की सप्लाई

4965. श्री अमर सिंह राठवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष राजसहायता प्राप्त दर पर चावल और गेहूं की सप्लाई करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यक्तियों का चयन करने की प्रक्रिया क्या है और परिवार की निर्धनता के स्तर को ध्यान में रखते हुए राजसहायता की दर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है कि सुदूरवर्ती पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों के इससे अनभिज्ञ लोग इस सुविधा से वंचित न रह जायें?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1985 से शुरू की गयी एक योजना के अधीन, समन्वित आदिवासी विकास परियोजना इलाकों और आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही सभी जनता को गेहूं और चावल मुहैया किया जाता है। यह योजना सभी आदिवासियों और गैर-आदिवासियों पर लागू है। इस योजना को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, वितरण के लिए मोबाइल वाहनों के इस्तेमाल में वृद्धि करने, इस योजना का प्रचार करने आदि जैसे कुछेक उपाय किए गए हैं। इस योजना पर सतर्कतापूर्वक नजर भी रखी गयी है।

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन लक्ष्य

4966. श्री एच० बी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन इसके मूल योजना लक्ष्य से कम होगा;

(ख) यदि हां, तो कितना कम होगा;

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में आगे क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान 56 लाख टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में अप्रैल, 1987 से फरवरी, 1988 की अवधि के दौरान 49.4 लाख टन न्यूट्रियन्ट्स का उत्पादन हुआ। 1987-88 के कुल उत्पादन का पता मार्च, 1988 के अन्त में चलेगा। कमी की मात्रा का निर्धारण वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर (बिहार) पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

4967. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर (बिहार), जिसे इसके प्रबन्धकों ने अब बन्द कर दिया है, के कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि और उसमें नियोजक के अंशदान की बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छंटनी में निकाले गए हजारों कर्मचारी, जिनकी भविश्य निधि की धनराशि का रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा दुर्विनियोग किया गया है, अपने परिवारों के साथ भूखे रहने की स्थिति का सामना कर रहे हैं; और

(ग) सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने छंटनी में निकाले गए कर्मचारियों को देय भविष्य निधि राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कम्पनी की ओर मई, 1984 तक 70.00 लाख रुपये की राशि बकाया थी।

(ख) कर्मकारों को भविष्य निधि राशि का भुगतान न किए जाने के कारण कठिनाइयों का सामना किए जाने की संभावना है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त, 1984 में दिए गए अन्तरिम व्यादेश को रद्द करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की ताकि वे प्रतिष्ठान से बकाया देय राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाई कर सकें। इस बीच प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर की गयी याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अक्तूबर, 1987 में पारित आदेशों के अनुसरण में, कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी भविष्य निधि संचयन राशि को, जो प्रतिष्ठान के निजी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड के पास है, कर्मचारी भविष्य निधि लेखे में अन्तरित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

बारानी भूमि पर तिलहनों का उत्पादन

4968. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारानी भूमि पर तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गयी;

(ग) राज्य सरकार द्वारा तिलहन उत्पादकों को तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितनी सहायता दी गयी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। दो केन्द्रों द्वारा प्रायोजित योजनाएं, अर्थात् राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (थ्रस्ट) परियोजना, सिंचित और बारानी दोनों क्षेत्रों में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहनों को उगाने वाले क्रमश: 17 तथा 14 राज्यों में चल रही हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (थ्रस्ट) परियोजना के अन्तर्गत तिलहन उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार को दी गयी सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रुपए लाखों में
1985-86	171.68
1986-87	117.93
1987-88	362.01

(ग) और (घ) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना राज्य और केन्द्रीय सरकारों के बीच 50:50 भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है जबकि तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (थ्रस्ट) परियोजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पर कार्यान्वित की जा रही है। कर्नाटक राज्य सरकार भी राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी भागीदारी का 50 प्रतिशत खर्च करती है। बीज, पौध संरक्षण उपायों, उन्नत उपकरणों जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों के वितरण तथा किसानों के खेतों आदि पर बड़े आकार के प्रदर्शनों का आयोजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

दूध की भारी कमी

4969. **श्री कमल चौधरी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में दूध की भारी कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) आने वाली गर्मियों के महीनों में उपभोक्ताओं की दूध की मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) हालांकि पड़ोसी राज्यों में सूखे की परिस्थितियों के कारण राज्य सरकारी डेरी संघों से ताजे दूध की उपलब्धता कम है, फिर भी पिछले 4 महीनों के दौरान, दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी दिल्ली

द्वारा दूध की सप्लाई का मिश्रित स्तर गत वर्ष के तदनुरूपी अवधि के दौरान की सप्लाई की तुलना में मामूली अधिक है।

(ख) पड़ोसी राज्यों के सहकारी डेरी संघों से अनुरोध किया गया है कि वे दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के लिए ताजे दूध की सप्लाई बढ़ाएं। दूध की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा बटर आॅयल की प्रर्याप्त मात्राओं के लिए व्यवस्था की जा रही है।

ग्रुप आवास समितियों की कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

4970. **श्री पी० ए० एन्टनी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ग्रुप आवास समितियों ने मयूर बिहार, पटपड़गंज तथा यमुना पार के अन्य क्षेत्रों में फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है;

(ख) क्या वहां पर पानी की सप्लाई, मल निकासी व्यवस्था तथा बिजली जैसी नागरिक सुविधा दे दी गयी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये सुविधायें कब तक दी जायेंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन के विकास के लिए पैकेज योजनाएं

4971. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन के विकास के लिए कुछ एकमुश्त योजनायें/संदर्शी योजनायें तथा परियोजनायें तैयार की हैं तथा इन्हें अन्तिम रूप दिया है; यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये योजनायें/परियोजनायें वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) के साथ परामर्श करके तैयार की गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का अब ऐसा करने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सरकार ने भारत में पर्यटन का विकास करने के लिए अनेक स्कीमें/परियोजनाएं तैयार की हैं जिनमें शामिल हैं विदेशी मार्किटों में निरन्तर प्रचार तथा विपणन अभियान, स्वदेशी पर्यटन का विकास, यात्री निवासों तथा यात्रिकाओं का निर्माण, समुद्र-तट विहार-स्थलों का विकास, स्कीइंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग तथा साहसिक पर्यटन के लिए सुविधाओं में सुधार, सम्मेलनों और समागमों का संवर्धन, परिवहन सुविधाओं में बढ़ोतरी, चार्टर उड़ानों का संवर्धन, राष्ट्रीय विरासत क्षेत्रों का संरक्षण, बौद्ध परिपथों के साथ-साथ सुविधाओं का विकास, वन्य पर्यटन का संवर्धन और राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था, आदि।

(ख) और (ग) एकीकृत वित्त के परामर्श से इन स्कीमों/परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती

है, जहां कहीं अपेक्षित होता है, वित्त मंत्रालय के बैंकिंग या अन्य विभागों से भी परामर्श किया जाता है।

कच्चे लोहे की कमी

4972. **डा० बी० एस० शैलेश :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे की कमी जारी रहने की सम्भावना है, यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) देश में इस्पात संयंत्रों द्वारा कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए कच्चे लोहे का आयात करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो कितनी मात्रा के कच्चे लोहे का आयात करने का अनुमान है और इसे किन देशों से आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं अथवा की जा रही हैं या यह आयात वस्तु-विनिमय पर आधारित होगा; और

(ङ) उक्त आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेश मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) कच्चे लोहे का उत्पादन इस्पात संयंत्रों में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद तप्त धातु की अतिरिक्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्ष 1988-89 के संबंध में कच्चे लोहे की उत्पादन योजना, वर्ष 1987-88 के दौरान सम्भावित उत्पादन से अधिक है। इसके अतिरिक्त, विशाखापट्टनम संयंत्र को चालू करने से कच्चे लोहे की उपलब्धता बढ़ेगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने वर्ष 1987-88 के लिए 50,000 टन कच्चे लोहे के आयात की व्यवस्था की थी। तथापि इस व्यवस्था में अप्रैल, 1987 से फरवरी, 1988 की अवधि के दौरान वास्तविक आयात लगभग 18,000 टन का रहा है जिसका मूल्य लगभग 3.24 करोड़ रुपए है। यह माल ब्राजील से प्राप्त हुआ है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम जोकि कच्चा लोहा आयात करने के लिए माध्यम अभिकरण है, विश्वव्यापी/सीमित टेंडरों के जरिए खरीद की व्यवस्था करती है और अन्य बातें समान होने पर, प्रति व्यापार की पेशकश करने वाले बोलीदाताओं को खरीद के मामले में तरजीह दी जाती है।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की कमी

4973. **श्री राम समुझावन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ भागों में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो दूध की कम सप्लाई का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशेष रूप से आर० के० पुरम जैसी सरकारी कर्मचारियों की रिहायशी कालोनियों में, दूध की सप्लाई में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रतिदिन लगभग 4 लाख लिटर दूध की सप्लाई कर रही है, जो गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की सप्लाई से अधिक है। दिल्ली दुग्ध योजना रामकृष्ण पुरम् आदि जैसी सरकारी रिहायशी कालोनियों सहित सब जगह बढ़ी हुई सप्लाई का स्तर कायम रख रही है।

मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सरकार की देय राशि

4974. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर सरकारी देय राशियों और एल्यूमिनियम विनियमन खाते में देय आज तक की कुल बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : एल्यूमिनियम विनियमन खाते में अपने देनदारी तथा अदालत के बाहर हुए समझौते के अनुसरण में, मैसर्स हिन्डाल्को ने 4-10-79 से 31-8-83 की अवधि की करीब 22.75 करोड़ रु० की शुद्ध बकाया राशि का 48 समान मासिक किश्तों में 31-12-87 तक भुगतान कर दिया है, ये अदालत के आदेश पर किए गए 2.50 करोड़ रु० के भुगतान के अलावा है। हिन्डाल्को ने मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी (इंडाल) तथा अन्य के लिए परावर्तन के आधार पर भी एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन किया है, जिसके लिए फरवरी, 1988 में 48.4 लाख रुपए दे चुके हैं तथा 1.70 करोड़ रु० की बकाया राशि जून, 1988 तक 42.50 लाख रुपए की समान मासिक किश्तों में देने का वायदा किया है। इसके अलावा, हिन्डाल्को अपनी चालू मासिक राशि का एल्यूमिनियम विनियम खाते में भुगतान कर रही है और 1-9-83 से 31-12-87 तक करीब 82.69 करोड़ रु० जमा कर चुकी है।

किंतु हिंडाल्को ने बकाया राशि पर ब्याज अदा नहीं किया है, जिसके लिए उन्हें मांग नोटिस दिया गया है।

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अमरीका का सुझाव

[हिन्दी]

4975. **श्री मदन पांडे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का दौरा करने वाली अमरीकी ड्राइलैंड टीम और अमरीकी अर्थशास्त्रियों की टीम के खाद्यान्न भंडारण के बारे में कोई सुझाव दिए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात और निर्माण

[अनुवाद]

4976. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिये इस्पात की सप्लाई सम्बन्धी योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान निर्यात किए जाने वाले इस्पात की मात्रा और किस्म तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात करने की अनुमति किन-किन एजेंसियों को दी गई है, निर्यात किन-किन देशों को और किन शर्तों पर किया जायेगा; और

(घ) क्या इससे स्वदेशी उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति पर असर पड़ेगा, यदि हां, तो किस सीमा तक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस्पात के निर्यात के लिए इस्पात की सप्लाई संबंधी कोई स्वीकृति योजना नहीं है क्योंकि इस्पात का निर्यात करना आम बात नहीं है ।

(ख) अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि वर्ष 1989-90 में किस गुणवत्ता का तथा कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया जाएगा ।

(ग) इस्पात का निर्यात "सेल" की मार्फत किया जाता है ।

(घ) चूंकि देश में इस्पात की जितनी मात्रा फालतू होती है, निर्यात को सामान्यतः उतने तक ही सीमित रखा गया है, इसलिए स्वदेशी कारखानों पर निर्यात का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

अभ्रक का उत्पादन

4977. श्री पी० पेंचालैया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की विभिन्न इकाइयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्रक का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या इसके उत्पादन और मांग में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) आंध्र प्रदेश की विभिन्न खानों से गत तीन वर्षों की अभ्रक उत्पादन की उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश की खानों द्वारा कथित गत तीन वर्षों का उत्पादन इस प्रकार है :—

(मात्रा हजार टन)

वर्ष	क्रूड अभ्रक	अभ्रक छीजन/कतरन	जोड़
1985	1.53	0.67	2.20
1986	1.78	0.47	2.25
1987	1.60	1.04	2.64

जहां तक मांग की बात है, तो देशी खपत न होने से अभ्रक का निर्यात करना होता है । आंध्र

प्रदेश में उत्पन्न अभ्रक की बड़ी मात्रा मद्रास पत्तन से निर्यात की जाती है तथा गत तीन वर्षों में निम्नलिखित शोधित अभ्रक का निर्यात किया गया :—

वर्ष	मात्रा (हजार टन में)
1985-86	1.29
1986-87	1.54
1987-88	1.14
(15 मार्च तक)	

विवरण

(क) आंध्र प्रदेश की खानों से गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक उत्पादन इस प्रकार :—

(मात्रा टनों में)

उत्पादन

क्रमांक	खानों के नाम	1985		1986		1987	
		क्रूड	स्क्रैप	क्रूड	स्क्रैप	क्रूड	स्क्रैप
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नरसिंह	2	—	12	—	+31	16
2.	श्री कामेश्वरा	6	5	—	—	—	—
3.	अमृतेश	44	5	91	20	134	92
4.	भवानीशंकर	137	104	112	92	136	55
5.	श्री सरोज	66	28	35	—	50	4
6.	एल० एन० माहन	2	—	—	—	—	—
7.	शिवपार्वती	55	—	79	—	45	—
8.	अंडली	—	—	4	—	—	—
9.	श्री अलयनराम पिट सं० 124	191	63	232	77	151	59
10.	श्री अलयनराम पिट-3	20	15	18	17	9	6
11.	के० एस० आर०	64	45	86	69	80	68
12.	रघवेन्द	5	—	11	2	42	34
13.	लक्ष्मी	10	—	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मीनाक्षी (37.21 एकड़)	101	10	75	9	75	56
15.	मीनाक्षी (10.92 एकड़)	10	67	30	4	20	+15
16.	राजेश्वर	153	133	199	53	118	98
17.	एस० आर० ए०	+	—	—	—	8	—
18.	बिश्वेश्वर	30	30	29	25	52	47
19.	गिरिजा	+	—	+	—	—	—
20.	रुस्तम	46	40	79	—	38	31
21.	वेंकेटेश्वर	34	—	52	—	13	20
22.	एम० बी० डी० और यू० एन०	158	124	158	24	202	51
23.	पदमावती	—	—	6	—	—	—
24.	श्रीनिवास	1	—	38	7	2	1
25.	श्रीनिवास	—	—	—	—	—	3
26.	श्री सत्य	—	—	—	—	—	5
27.	रघुरराम बोरा	—	—	—	—	—	107
28.	श्री वसुधा	—	—	—	—	6	3
29.	सीताराम (पिट-64)	—	—	—	—	182	137
30.	पट्टाबिराम	243	7	244	2	11	—
31.	सीताराम	—	—	—	—	—	—
32.	पालामिनी	—	—	—	—	+	—
33.	जयनारायण	107	80	66	4	124	102
34.	श्री श्रीनिवास	45	12	37	—	48	—
35.	लक्ष्मी नारायण	—	—	—	—	11	—
36.	यशविन्य	—	—	3	—	8	—
37.	राजा रेड्डी	2	1	—	—	—	—
38.	नेल्लूर	एन० ए०	एन० ए०	21	31	—	—
39.	बंगारामका	एन० ए०	एन० ए०	—	3	—	2
40.	निम्मालपाडू	एन० ए०	एन० ए०	14	—	—	7
41.	बोर्रा	एन० ए०	एन० ए०	—	29	—	25

+ नाममात्र पी—अनंतिम

एन० ए०—सुलभ नहीं

चीनी के अधिक उत्पादन का लाभ जनता तक पहुंचाना

[हिन्दी]

4978. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1988 में चीनी का उत्पादन जनवरी, 1987 के उत्पादन की तुलना में अधिक हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पेराई मौसम की तुलना में चालू पेराई मौसम के दौरान चीनी का कितना अधिक उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी के अधिक उत्पादन के लाभ जनता को उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) चालू मौसम 1987-88 के दौरान 7 मार्च, 1988 तक 57.06 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि पिछले मौसम में तदनुरूपी तारीख तक 55.55 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(ग) और (घ) सरकार ने 1987-88 मौसम के लिए चीनी नीति की पहले ही घोषणा कर दी थी जिसमें कुल मिलाकर गन्ना के काश्तकारों, चीनी के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की गई थी। प्रत्येक मास पर्याप्त मात्रा में चीनी निर्मुक्त की जा रही है।

कर्नाटक में कोयला खानों में दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

4979. डा० वी० वेंकटेश : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में प्रत्येक कोयला खान में वर्ष 1987-88 में अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) इनमें कितनी जानें गईं तथा कितनी राशि का मुआवजा दिया गया ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में कोई कोयला खान नहीं है और इसलिए कर्नाटक में कोयला खानों में दुर्घटना होने का प्रश्न नहीं उठता।

तेल निकालने के लिए बिनौले की उपलब्धता

4980. श्री बी० बी० रमैया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिनौले का तेल निकालने के लिए कुल कितनी मात्रा में बिनौला उपलब्ध है;

(ख) तेल निकालने के लिए कितनी मात्रा में बिनौले का उपयोग हो रहा है और इस समय वार्षिक रूप में कितनी मात्रा में तेल निकाला जाता है; और

(ग) सरकार का अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए बिनौले की पूरी मात्रा का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिससे विदेशों से तेलों के आयात में कमी करने में मदद मिलेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) बिनौले का तेल निकालने के लिए बिनौले की लगभग 23 लाख मी० टन० मात्रा उपलब्ध है। इस समय प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मी० टन तेल निकाला जाता है।

(ग) सरकार ने तेल रहित खली (एक्सट्रेक्शन) के निर्यात पर पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्यों का 10 प्रतिशत नकद प्रतिपूरक-समर्थन देने की अनुमति दी है। वनस्पति विनिर्माताओं को विलायक निष्कर्षित बिनौले के तेल का प्रयोग करने पर उत्पादन शुल्क में 4,000 रु० प्रति मी० टन की रियायत दी जाती है।

भारत-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना

4981. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-86 के दौरान राज्यों में शुरू की गई भारत-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चावल, गेहूं, सोर्धम, रेपसीड-सरसों, खरीफ की अन्य फसलों, मूंगफली के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अधिक उत्पादन प्राप्त करते हुए क्या अन्य राज्यों को भी इसके अन्तर्गत लाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इण्डो-ब्रिटिश फर्टिलाइजर एजुकेशन प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए उन्हीं छः राज्यो में निम्नलिखित सात और जिलों को शामिल करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं :—

1. मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
2. आजमगढ़	उत्तर प्रदेश
3. धार 4. दुर्ग 5. जबलपुर	मध्य प्रदेश
6. सीवन	बिहार
7. कामरूप	असम

चिलका झील में पक्षी विहार

4982. श्री ब्रज मोहन महन्ती : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिलका झील पक्षी विहार में विशेषकर नालाबामा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को चिलका झील में पक्षी विहार हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

डी० डी० टी० के प्रयोग पर रोक लगाने का प्रस्ताव

4983. श्री तारिक अनवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत डी० डी० टी० के प्रयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो रोक कब तक लगा दी जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) इस समय देश में प्रयोग की जा रही सभी कीटनाशी दवाओं की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी ताकि उन दवाओं के उत्पादन, आयात और उपयोग पर निषेध लगा दिया जाये जो अन्य देशों में अब प्रयोग नहीं की जाती हैं। विशेषज्ञ समिति ने डी० डी० टी० पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद डी० डी० टी० के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा न लगाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में शहरी इलाकों के बीच स्थित गांवों को नागरिक सुविधाएं

4984. श्री सन्तोष कुमार सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी इलाकों के बीच स्थित गांवों अर्थात् पुरानी पिलंजी (सरोजिनी नगर, नई दिल्ली) तथा जमरूदपुर, नई दिल्ली-48 को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जमरूदपुर एक शहरीकृत गांव है जिसे हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अन्तरित किया गया है। गांव में पानी तथा मल निर्यास सेवाएं दोनों विद्यमान हैं, इसमें बिजली की व्यवस्था है तथा यहां पर पथ प्रकाश की सुविधा विद्यमान है। शेष रह गया सीवर लाइनें बिछाने का कार्य, जिसे दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है।

पिलंजी गांव (सरोजनी नगर के निकट) नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसको अधिसूचना में से हटाने पर इसके विद्यमान सेवाओं का संयुक्त सर्वेक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्राधिकारियों के साथ नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किया गया था। नई दिल्ली नगर पालिका ने विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की कमी के प्राक्कलन तैयार किए, जिसने दिल्ली विकास

प्राधिकरण के साथ इस मामले को उठाया है ताकि गांव में मूलभूत सुविधाओं के कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आरंभ किए जा सकें। तथापि, राशि की प्राप्ति के पूर्वानुमान में, जुलाई, 1987 में विद्युत् सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आरंभ कर दिया गया है तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पहले मुहैया किए गए कुछ बिजली के खम्भों का पालिका द्वारा रखरखाव किया जा रहा है।

विदेशी सहयोग

4985. **श्री आनन्द पाठक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने होटल उद्योग में कोई विदेशी सहयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सरकार ने ऐसे दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनके अंतर्गत भारत में होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की अनुमति है।

(ख) इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत विदेशी होटल शृंखलाओं द्वारा विदेश में बिक्री और प्रचार/विपणन करने के प्रयोजनार्थ केवल प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय होटल शृंखलाओं के साथ ही विदेशी सहयोग की अनुमति है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियरों को हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान

4986. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों ने अनेक दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियरों को हड़ताल की अवधि का वेतन दे दिया है किंतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों के मामले में ऐसा नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो एक ही मंत्रालय में और समान संवर्ग के दो मामलों में अलग-अलग दृष्टि-कोण अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दोनों मामलों में सरकार ने किस सिद्धांत का पालन किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ इंजीनियर हड़ताल पर नहीं गए थे। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियर 14-7-87 से 20-8-87 तक 37 दिन हड़ताल पर थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों को हड़ताल की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों की हड़ताल की अवधि के मामले में विवेचन करने पर सरकार ने "काम नहीं, तो वेतन नहीं" का सिद्धान्त अपनाया है।

विश्व बैंक से पेय जल के लिए सहायता

[हिन्दी]

4987. श्री राम पूजन पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गांवों में शुद्ध पेयजल की सप्लाई के लिए "हैण्डपम्प" लगाने हेतु कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो गांवों में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रारंभ की गई अथवा प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गांवों में पेयजल पूर्ति मुहैया करने के लिए केवल किसी सामान्य कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई और बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं पर विश्व बैंक सहायता आधारित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और केरल राज्यों में जलपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं में भी विश्व बैंक सहायता दी गई हैं। ये परियोजनाएं मुख्यतः शहरी जलपूर्ति के लिए हैं जबकि कुछ परियोजनाओं में ग्रामीण जलपूर्ति घटक शामिल हैं।

दक्षिण भारत में अमोनिया संयंत्र की स्थापना

[अनुवाद]

4988. श्री मानिक रेड्डी :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में अमोनिया संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) ये संयंत्र कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) दक्षिण भारत या आन्ध्र प्रदेश में अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा में सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना

4989. श्री सोमनाथ रथ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सहकारी क्षेत्र में कोई नया चीनी कारखाना स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उक्त परियोजना पर कितनी लागत आने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में प्रत्येक 1250 टी० सी० डी० की नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जारी किए गए दो लाइसेंस कार्यान्वयन हेतु लंबित पड़े हुए हैं। ये फैक्ट्रियां निम्नलिखित स्थानों में लगायी जा रही हैं :—

1. तहसील नयागढ़, जिला पुरी; और

2. तहसील बांकी, जिला कटक ।

प्रत्येक परियोजना की संभावित लागत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। सामान्यतया, 1250 टी० सी० डी० के चीनी के प्लांट की परियोजना लागत 10-11 करोड़ रुपये के आस-पास बैठती है ।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विधान बनाना

4990. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को शोषण से बचाने के लिए एक विधान बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पर्यटन उद्योग को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाने की जरूरत पर मतैक्य बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने दो कार्यशालाओं का आयोजन किया था—एक अगस्त, 1987 में और दूसरी फरवरी, 1988 में। दूसरी कार्यशाला में कुछ विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

"तुम्बा" फसल पर अनुसंधान एवं विकास करना

[हिन्दी]

4991. **श्री वृद्धि चन्द जैन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में "तुम्बा" फसल, जो कि वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसल है, बिना बीज बोए उग जाती है;

(ख) क्या कोई कृषि अनुसंधान संस्थान अथवा कृषि विश्वविद्यालय तुम्बा बीज को ऐसे वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए अनुसंधान कर रहा है जिससे इस फसल के लिए केवल एक ही बार वर्षा की आवश्यकता पड़े; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1968 से ही केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने पूरी तरह

उपयोग में न लाए गए पौधों पर किये जाने वाले अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ किया है। उनमें से तुम्बा भी एक पौधा है जिसके अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तुम्बा के बीज में 20 प्रतिशत से भी अधिक तेल होता है जिसे खाने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके तेल का उपयोग साबुन तथा उससे संबंधित अन्य उद्योगों में किया जा सकता है।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, मन्दौर में इस पर अनुसंधान किये जा रहे हैं। इस अनुसंधान में इसकी अधिक उत्पादन वाली तेल की अधिक मात्रा वाली तथा काटने के बाद हर वर्ष नियमित रूप से उगने वाली किस्मों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना

[अनुवाद]

4992. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यालय अब तक दिल्ली से बाहर प्राथमिकता वाले शहरों में ले जाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

राज्य सुपर बाजारों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4993. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सुपर बाजारों जैसे निकायों को वितरण का कार्य सौंप कर, जो मदर डेरी बूथ पैटर्न पर उचित मूल्य दुकान की सीमा के अंतर्गत सहायता पहुंचा सकते हैं; उचित दर दुकान प्रणाली में कोई सुधार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) उचित दर की दुकानों के प्रबंध और प्रभावकारिता को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उचित दर की दुकानों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर कहा गया है कि वे उनके अन्तर्गत अधिक वस्तुएं बेचें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को उचित दर की दुकानों के दरवाजों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, उचित दर की दुकानों के काम पर नजर रखने के लिए सतर्कता/सलाहकार समितियां गठित करें, प्रवर्तन उपायों में तेजी लाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आबंटन और वितरण की अग्रिम तौर पर योजना बनाएं, ताकि ये वस्तुएं खुदरा बिक्री केंद्रों तक समय से पहुंच सकें, उचित दर की दुकानों के लिए सांस्थानिक ऋण-

सुविधा की व्यवस्था करें, आदि। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त उचित दर की दुकानें खोलते समय सहकारी समितियों और नागरिक आपूर्ति निगमों को प्राथमिकता दें।

आर० के० पुरम, नई दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा

4994. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या शहरी विकास मंत्री आर० के० पुरम, नई दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जे के बारे मे 30 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3390 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहन सिंह मार्केट सहित आर० के० पुरम, नई दिल्ली में अनधिकृत कब्जों/निर्माण को हटा दिया गया है/गिरा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। कुछ मामलों में दुकानदारों द्वारा किये गये अनधिकृत अतिक्रमणों/निर्माणों को उनके द्वारा अभी हटाया जाना है।

भूमि सुधार संबंधी विधियों का कार्यान्वयन,

4995. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1984 और 1987 के अन्त में अतिरिक्त घोषित तथा वितरित भूमि का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1984 तथा 1987 के बीच भूमि सुधार सम्बन्धी विधियों के कार्यान्वयन में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1980-81, 1984-85 के अन्त में और दिसम्बर, 1987 के अन्त में संकलित की गई संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में हुई संचित प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण से पता चलता है, यह कहना सही नहीं है कि भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों के कार्यान्वयन में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों (संचित) के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र, कब्जे में लिए गए क्षेत्र और वितरित क्षेत्र का राज्यवार ब्योरा

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित भूमि			कब्जे में लिया गया क्षेत्र			वितरित क्षेत्र		
	मार्च, 1981 में	मार्च, 1985 में	दिसम्बर, 1987 में (नवीनतम)	मार्च, 1981 में	मार्च, 1985 में	दिसम्बर, 1987 में (नवीनतम)	मार्च, 1981 में	मार्च, 1985 में	दिसम्बर, 1987 में (नवीनतम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	1007675	1014050	767753	411803	456021	484795	286922	331976	362798
असम	573493	450918	604172	501521	376445	527023	312802	373020	389164
बिहार	238216	287931	411698	131000	194037	305372	131000	179046	225553
गुजरात	89873	182138	194021	20758	87020	100485	3935	51133	63363
हरियाणा	20973	30757	25590	14525	22796	21338	9313	22591	21338
हिमाचल प्रदेश	136576	283994	284053	133909	281403	281462	3509	3335	3340
जम्मू और कश्मीर	—	6000	456000	—	—	45000	—	—	45000
कर्नाटक	139476	296355	293809	68222	152317	154344	47332	115661	116885
केरल	115016	121385	126195	77144	87189	89587	50834	58443	59651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	255455	227377	223857	158140	139957	142798	77704	93400	95906
महाराष्ट्र	370361	390040	389512	280723	304884	334964	280723	304894	328982
मणिपुर	547	1029	1652	—	424	1632	—	424	1632
उड़ीसा	137958	162390	173856	120160	140624	156215	100157	127117	144773
पंजाब	49113	27444	54792	14615	15235	14545	10547	14140	13557
राजस्थान	246225	240050	249322	220517	232531	228799	121809	145319	156724
तमिलनाडु	76047	94762	98718	72814	89008	92902	54408	77835	69892
त्रिपुरा	1961	2011	2012	1502	1910	1929	946	1500	1521
उत्तर प्रदेश	279905	301567	310089	254205	275226	285074	223251	244208	205543
पश्चिम बंगाल	140704	1182157	191039	95918	126743	146154	52397	80639	94018
दादर और नगर हवेली	8967	8958	8953	5982	6776	7507	3192	3944	4950
दिल्ली	780	722	776	413	374	764	—	374	100
पांडिचेरी	2527	2560	2353	976	1161	1195	837	942	956
योग :	3891848	4314595	4870222	2584855	2992091	3828884	1771618	2229941	2810646

केले सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्र

4996. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का केले के सम्बन्ध में एक अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से काम करना आरम्भ कर देगा;

(ग) क्या सरकार का केरल में केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) क्या केरल सरकार ने इस अनुसंधान केन्द्र के लिए निःशुल्क भूमि देने की पेशकश की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त स्थान का चयन कर लिए जाने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जमीन स्थानान्तरित कर दिये जाने के फौरन बाद केन्द्र की स्थापना कर दी जाएगी।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि पांच राज्यों—अर्थात्, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और असम में से किसी एक राज्य में केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इन राज्यों से कहा जा रहा है कि वे भूमि के लिए उपयुक्त प्रस्ताव भेजें।

(घ) केरल सरकार ने बिना किसी शर्त के इस केन्द्र के लिए जमीन देने का प्रस्ताव किया है।

मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) जिले में बीड़ी कामगारों के लिए हस्पताल

4997. डा० फूलरेणु गुहा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीड़ी कामगारों के लिए एक हस्पताल का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जी हां, । मुर्शिदाबाद जिले में औरंगाबाद के निकट सजोर मोडे में 1.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 50 पलंगों वाले अस्पताल की स्वीकृति दी गई है।

भू-अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों को सुविधाएं

[हिन्दी]

4998. श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जब कभी किसी गांव की भूमि अधिग्रहीत करती है, तो क्या उस गांव के लिए उद्यान, बारातघर और अन्य सुविधाओं के लिए कोई भूमि नहीं छोड़ी जाती, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार अधिग्रहीत भूमि पर बसाये गए लोगों को यह सुविधाएं प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जिन्हें ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) जिन गांवों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन्हें यह सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) जी हां। 46 गांवों में सुविधायें मुहैया कराई गई हैं। वृहत योजना के प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्थल उद्धिष्ठ किये गये हैं।

बंगलोर में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

[अनुवाद]

4999. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम की बंगलोर शाखा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाने/मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांग श्री के० एस० श्रीनिवासैया, चौकीदार के बंगलोर से रायचूर में किए गए स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने से संबंधित थी। अन्य मांगों में यूनियन के पदधारियों के साथ तथाकथित अत्याचार करने, जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बंगलोर द्वारा श्रेणी-4 के कर्मचारियों का दुरुपयोग करने, श्रेणी-4 के स्टाफ को प्रतिपूरक छुट्टी प्रदान करने आदि मांगें शामिल थीं।

(ग) विचार विमर्श करने के बाद कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था। स्थानीय प्रबंध यूनियन के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

गुजरात को आयातित खाद्य तेल का आबंटन

5000. श्री मोहन भाई पटेल :
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिये आयातित खाद्य तेल की मासिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) वर्ष 1987 में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान प्रतिमाह वास्तविक कितनी सप्लाई की गयी;

(ग) क्या की गई सप्लाई इसकी आवश्यकता से कम थी; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) गुजरात सरकार द्वारा तेल वर्ष 1986-87 के लिए 2,08,000 मी० टन मात्रा की मांग की गई थी।

(ख) गुजरात को अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान किया गया माह-वार आवंटन इस प्रकार है :

	(मात्रा मी० टन में)
अप्रैल, 1987	8,500
मई, 1987	8,770
जून, 1987	9,570
जुलाई, 1987	10,000
अगस्त, 1987	21,000
सितंबर, 1987	22,000
अक्तूबर, 1987	24,000
नवम्बर 1987	21,000
दिसम्बर, 1987	24,000

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, खुले बाजार में देशी खाद्य तेलों के मूल्य, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध मात्रा, त्यौहार के मौसम और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन्हें उठाने की गति के आधार पर माह-दर-माह किया जाता है। इनका प्रयोजन खुले बाजार में उपलब्ध देशी खाद्य तेलों की अनुपूर्ति करना होता है और ये किसी राज्य सरकार को सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं।

शान्ति वन और शक्ति स्थल पर व्यय की गई धनराशि

5001. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना के किनारे दिल्ली में शान्ति वन, शक्ति स्थल, विजय घाट और किसान घाट के लिए अलग-अलग रूप से "भूमि विकास" पर कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा भविष्य में कितना व्यय किया जाएगा ; और

(ख) प्रत्येक के सम्बन्ध में किए गए कार्य तथा किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तथा मुख्य बातें क्या हैं

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शान्तिवन और विजयघाट

बहुत पहले स्थापित तथा विकसित किए गए थे। पिछले 10 वर्षों के दौरान उनके लिए कोई नया खर्च स्वीकृत नहीं किया गया है। हालांकि, समाधियों के रखरखाव के लिए सामान्य अनुरक्षण व्यय प्रति वर्ष केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सामान्य अनुरक्षण के लिए दिए जाने वाले अनुदानों से किया जाता है।

विजयघाट समाधि के क्षेत्र के आस-पास के इलाके में सुधार की आवश्यकता है। विजयघाट क्षेत्र में किए जाने वाले नए विकास कार्य का निर्धारण कर लिया गया है। अकाल के कारण सामान्य बचत मार्ग-निर्देशों के कारण, इस कार्य को अगले साल करने का निर्णय किया गया है।

शक्ति-स्थल इंदिरा गांधी की याद में एक नया समाधि क्षेत्र है जिसका विकास किया गया है। इस विकास के लिए अब तक 83.58 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। शक्ति-स्थल के विकास का कुल अनुमानित व्यय 3.00 करोड़ रुपये के लगभग है। इसकी स्वीकृति प्रक्रिया के अधीन है। किसान घाट समाधि बनाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) शक्ति स्थल पर निर्माण कार्य की मुख्य रूपरेखा भू-दृश्य निर्माण, किओस्क का निर्माण, झील का निर्माण, शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, पार्किंग के लिए स्थान तथा मार्ग और सुरक्षा संबंधी प्रकाश व्यवस्था, वृक्ष लगाना और लान का विकास करना जैसा उद्यान कार्य है।

उत्तर प्रदेश को गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आवंटन

[हिन्दी]

5003. **श्री आशकरण संखवार :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को पिछले छः महीनों के दौरान, प्रतिमास कितनी मात्रा में चीनी, चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल तथा खाद्य तेलों का आवंटन किया गया;

(ख) उस राज्य ने प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा में वस्तुतः उठान की; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान, प्रतिमास कितनी मात्रा में इनकी सप्लाई की जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री डी॰ एल॰ बैठा) : (क) और (ख) गत छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश को गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों तथा मिट्टी के तेल की आबंटित की गई तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के आवंटन का निर्णय केन्द्रीय पूल में उपलब्ध इन वस्तुओं के स्टाक, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकता, विगत में उठाई गई मात्रा, आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है। इन वस्तुओं का केन्द्रीय आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश को आवंटित तथा उक्त राज्य द्वारा उठाई गई आवश्यक वस्तुओं की मात्रा

(आंकड़े हजार मी० टन में)

मास	गेहूं		चावल		आयातित खाद्य तेल		मिट्टी का तेल		लेवी चीनी
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन
सितम्बर, 87	60.0	32.8	65.0	33.4	8.00	2.55	68.13	66.88	*60.89
अक्तूबर, 87	45.0	24.8	50.0	20.0	10.00	2.20	67.13	66.96	*60.89
नवम्बर, 87	65.0	39.6	60.0	22.5	10.00	2.27	66.36	66.02	52.92
दिसम्बर, 87	70.0	52.3	60.0	36.4	10.00	1.46	66.36	67.44	52.92
जनवरी, 88	45.0	66.5	60.0	41.9	7.40	2.81	66.36	67.85	52.92
फरवरी, 88	100 0	81.6	50.0	37.0	4.95	5.00	66.36	उपलब्ध नहीं	52.92

*इसमें त्यौहार कोटा शामिल है।

सोने के भण्डारों का पता लगाना

[अनुवाद]

5004. श्री एन० डेनिस : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सीमा पर सोने के भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में सोने के लिए किये गये खुदाई कार्य का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) जी नहीं। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में वेप्पनापल्ली क्षेत्र के महाराजा-गदाई और अडकोंडा खण्डों, जो कोलार शिष्ट पट्टी के दक्षिणी छोर में हैं, में प्राथमिक स्वर्ण खनिजीकरण के केवल क्षीण भंडारों का पता चला है। शिष्ट पट्टी से लगे पुराने और नए एल्यूमिनियमों में भी "प्लेसर" स्वर्ण के छिटपुट भण्डार देखे गए हैं।

(ग) फील्ड सत्र 1983 से 1987 के दौरान किए गए विस्तृत मानचित्रण और ड्रिलिंग से खनिजीकृत जोनों की चौड़ाई और लम्बाई का निर्धारण हुआ है। वेप्पनापल्ली क्षेत्र में प्लेसर निक्षेपों की खोज आरम्भ की गई है।

ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

[हिन्दी]

5005. श्री शांति धारीवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन राज्यों में इस प्रयोजन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निर्णय लिया है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के पास ग्रामीण विकास की समस्याओं का समाधान खोजने हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के दोहराये जाने वाले मॉडल विकसित करने के कार्यक्रम हैं। इन माडलों को त्वरित ग्रामीण उत्थान के लिए दोहराया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट तथा समयबद्ध परियोजनाओं को देश के विभिन्न स्थानों पर समर्थन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों और अधिकांश संघशासित क्षेत्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की है और उनमें से कुछ ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों का इस्तेमाल करके ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद् (कापार्ट) जोकि ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में एक पंजीकृत सोसाइटी है, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित नई-नई तकनीकी के विकास तथा प्रचार व प्रसार को बढ़ावा देती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०) ने कृषि विकास, जो कि ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल करने की परियोजनाएं शुरू की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं जैसे राष्ट्रीय प्रदर्शन, प्रचालन अनुसंधान परियोजनाएं, कृषि विज्ञान केन्द्र, लैब टू लैंड प्रोग्राम और अनुसूचित जातियों तथा आदिवासी समुदायों से सम्बन्धित प्रचालन अनुसंधान परियोजनाएं। ये परियोजनाएं लगभग सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार लिमिटेड

[अनुवाद]

5006. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार लिमिटेड के बारे में 18 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3493 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी नहीं। जांच कार्य प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विपणन ग्रिड

5007. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों के लिए समुचित विपणन सुविधायें प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय विपणन ग्रिड बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठते।

भूमि और विकास कार्यालय द्वारा बकाया राशि की वसूली

5008. **डा० ए० के० पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिनसे भूमि और विकास कार्यालय, नई दिल्ली ने एक लाख रुपये अथवा इससे अधिक की धनराशि वसूली करनी है तथा प्रत्येक मामले में यह धनराशि कब से बकाया है और इस बकाया राशि पर अब तक प्रत्येक पार्टी की ओर ब्याज की कितनी राशि देय हो गई है;

(ख) इतनी अधिक बकाया राशि किन कारणों से जमा हो गई है; और

(ग) इन बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/दुकानों का आबंटन

[हिन्दी]

5009. **श्री आर० पी० सुमन** : शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कुल मकानों/दुकानों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इनमें से आबंटित मकानों/दुकानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कुछ प्रतिशत मकान/दुकान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आबंटन के लिये आरक्षित हैं और यदि हां, तो आबंटित कुल मकानों में से इन समुदायों के लोगों को आबंटित मकानों दुकानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आरक्षण का कोटा पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विशेष प्राथमिकता देकर उन्हें अधिकतम संख्या में मकान/दुकानें आबंटित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की लागत

[अनुवाद]

5010. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की अंतिम लागत का 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या अनुमानित लागत पूंजी के आधार पर प्रति टन विक्रय योग्य इस्पात का मूल्य निर्धारित कर लिया गया है;

(ग) क्या इस संयंत्र में उत्पादन किये गये इस्पात की इस मूल्य पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध इस्पात के मूल्य से तुलना की जा सकेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संयंत्र में उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सिक्किम में पर्यटक

5011. **श्री डी० के० भंडारी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सिक्किम में पर्यटन के विकास हेतु सिक्किम के पर्यटन विभाग से कुछ प्रस्ताव हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के नाम क्या हैं तथा अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) धनराशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए सिक्किम सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान, पुणे द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन

5012. **श्री तम्पन थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान, पुणे के प्रबंधकों तथा इसके कर्मचारियों के बीच कोई विवाद चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बड़ी संख्या में ठेके पर मजदूरों को रखा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या संस्थान ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के विनियमों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित प्राधिकरण है, मजदूरी, सेवा दशाओं तथा 8 ठेका श्रमिकों की बहाली के बारे में राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान, पूणे तथा उनके द्वारा नियोजित 134 ठेका श्रमिकों के बीच विवाद है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुसार, औद्योगिक संबंध तंत्र ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुपालन के मामले में कतिपय अनियमितताएं पाई हैं और 16-3-88 को प्रबंधतंत्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

कृषि वित्त पोषण संबंधी कार्यशाला

5013. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1988 में बंगलोर में कृषि वित्तपोषण संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुझाव दिया गया था कि कृषि ऋण नीति को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए;

(ग) कार्यशाला में दिए गए अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सुझावों को मान लिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने 19-20 फरवरी, 1988 को मनिपाल (कर्नाटक) में "कृषि में कारगर वित्त-पोषण संबंधी कार्यशाला" आयोजित की है, जिसमें वसूली पर विशेष बल दिया गया है। इस कार्यशाला की कार्रवाई तथा सिफारिशें अभी सरकार को नहीं भेजी गई हैं।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में मकानों का निर्माण

5014. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कितने मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या की आयोजना राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष के आधार पर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को योजना हेतु प्रदान किए गए संसाधनों के अनुरूप बनाई जाती है। वर्ष 1987-88 के दौरान महाराष्ट्र को उपलब्ध किए गए संसाधनों के आधार पर, 10,702 मकान बनाए जा सकते थे जिसकी तुलना में राज्य द्वारा फरवरी, 1988 तक 4202 मकानों का निर्माण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

आवास विकास वित्त निगम द्वारा गृह निर्माण की सुविधाएं

5015. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम की आगामी तीन महीनों के दौरान व्यक्तियों की आवास वित्त पोषण के लिए अनेक नई सुविधाएं देने की योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना से निम्न आय वर्ग के कितने लोगों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास विकास वित्त निगम (एच० डी० एफ० सी०) ने सूचित किया है कि उन्होंने हाल ही में लोगों के लिए आवासीय वित्त के क्षेत्र में कतिपय परिवर्तित सुविधाएं आरम्भ की हैं। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) ऋण सुविधाएं देने की अल्पावधि

एक व्यक्ति आवास वित्त निगम से एक नया एकक खरीदने तथा अपने वर्तमान एकक के विक्रय के मध्य की अन्तरिम अवधि के लिए अल्पावधि पूर्ण ऋण ले सकेगा। ऐसे ऋण की राशि नए एकक की लागत पर तथा उसकी चुकाने की क्षमता पर आवश्यक रूप से निर्भर रहेगी। वर्तमान एकक की विक्रय प्रक्रिया में से ऋण चुका दिया जाएगा।

(2) दूरवर्ती ऋण सुविधा

आवास विकास वित्त निगम के ऋणों की संरचना की शर्तों में 30 वर्षों तक की बढ़ोतरी की गई है, जो चालू अधिकतम 20 वर्ष तक की अवधि की तुलना में है। इसलिए व्यक्ति, विशेषकर निम्न आय के लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राप्त कर सकेंगे और इन ऋणों को "आसान" समान मासिक किश्तों के द्वारा ऋण चुका सकेंगे।

(3) पुनर्भुगतान सुविधा बढ़ाना

निर्धारित अन्तरालों पर ऋण के पुनर्भुगतान को बढ़ाने से प्रत्येक व्यक्ति वहनीय शर्तों पर ऋण ले सकेगा।

आवास विकास वित्त निगम ने एक जीवन बीमा निगम-ऋण योजना चालू करने का भी प्रस्ताव किया है। इस योजना के ब्यौरे, जीवन बीमा निगम के परामर्श से आवास विकास वित्त निगम द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त योजनाएं निम्न आय वर्गों से सम्बन्धित लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं ताकि उन्हें "आसानी" से पुनर्भुगतान की शर्तों पर उपलब्ध हो सकें।

पुरानी दिल्ली में भूमिगत पार्किंग स्थल

5016. श्री पी० एम० सईद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली में भूमिगत पार्किंग स्थल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों के लिए कौन से स्थान चुने गये हैं;

(ग) उनके निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) ये पार्किंग स्थल कब तक तैयार हो जायेंगे ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। सातवीं योजना के लिए पुरानी दिल्ली में भूमिगत पार्किंग के निर्माण के लिए 3 योजनाओं का अनुमोदन किया गया है।

(ख) स्थान निर्धारित इस प्रकार हैं :—

(1) एच० सी० सेन मार्ग पर गांधी ग्राउण्ड

(2) जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के सामने।

(3) चर्च मिशन रोड पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने।

(ग) (1) गांधी ग्राउण्ड	अनुमानित लागत 455.10 लाख रुपये।
(2) जवाहरलाल नेहरू मार्ग	अनुमानित लागत 933.81 लाख रुपये।
(3) चर्च मिशन रोड	अनुमानित लागत 783.00 लाख रुपये।
(घ) (1) गांधी ग्राउण्ड	मार्च, 1990 तक
(2) जवाहरलाल नेहरू मार्ग	मार्च, 1991 तक
(3) चर्च मिशन रोड	निर्माण कार्य देने के बाद लगभग दो वर्ष

नेफेड में नियुक्तियां

[हिन्दी]

5017. **श्री राजकुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन नेफेड में तदर्थ दैनिक मजदूरी आधार पर कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई;

(ख) उनकी नियुक्ति सम्बन्धी नियम क्या हैं और इनको किस आधार पर नियुक्त किया गया है; और

(ग) वर्ष 1988 के दौरान कितनी अतिरिक्त नियुक्तियां की जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेफेड ने तदर्थ/दैनिक मजदूरी के आधार पर 24 व्यक्ति नियुक्त किए थे।

(ख) और (ग) नेफेड के कर्मचारी विनियम की धारा 7 के अन्तर्गत चपरासी/कनिष्ठ सहायक/क्षेत्र प्रतिनिधि/ड्राइवर/चौकीदार के पदों पर तदर्थ/दैनिक मजदूरी के आधार पर काम की अत्यावश्यकता के अनुसार नियुक्तियां की जा सकती हैं। 1987 के दौरान नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणाली संबंधी समिति

[अनुवाद]

5018. श्री वी० कृष्ण राव :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य स्तर पर मानकीकरण और गुणवत्ता संबंधी समितियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में ये समितियां स्थापित की जा चुकी हैं और किन राज्यों में ये समितियां अभी स्थापित की जानी है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रणाली सम्बन्धी राज्य स्तरीय समितियां गठित करें।

(ख) अब तक निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रणाली सम्बन्धी राज्य स्तरीय समिति गठित कर ली हैं :—

—आन्ध्र प्रदेश	—महाराष्ट्र
—असम	—तमिलनाडु
—बिहार	—पश्चिम बंगाल
—गुजरात	—संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली
—केरल	

उड़ीसा सरकार मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणाली के लिए मौजूदा मानक परीबीक्षा समिति (स्टैंडर्ड्स मॉनीटरिंग कमेटी) को राज्य स्तर की समिति के रूप में पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है।

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों ने सूचित किया है कि उनसे अपने-अपने राज्य में औद्योगिक विकास की मौजूदा स्थिति में राज्य स्तरीय समिति गठित करना एक समय-पूर्व कार्य होगा। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये समितियां अभी गठित की जानी हैं।

(ग) अन्य राज्यों/राज्य संघ क्षेत्र की सरकारों के साथ इस मामले में पत्राचार किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह का स्थगित किया जाना

5019. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के छात्रों और संकाय के सदस्यों

द्वारा संस्थान के वार्षिक समारोह का बहिष्कार करने की धमकी दिए जाने को देखते हुए यह समारोह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संस्थान से संबंधित समस्याएं हल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वार्षिक दीक्षांत समारोह को इस समय स्थगित कर दिया गया है क्योंकि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के संघ ने इस दीक्षांत समारोह का बहिष्कार करने के लिए एक नोटिस दिया है।

(ख) इसके बहिष्कार करने के कारण स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की निम्नलिखित मांगें हैं ;—

1. शिक्षावृत्ति तथा फुटकर खर्च अनुदान की राशि को बढ़ाना;

2. शिक्षावृत्ति की अवधि बढ़ाना;

3. कृषि अनुसंधान सेवा के एस-2 ग्रेड के पद के लिए पी० एच० डी० विद्वानों की सीधी भर्ती;

4. राष्ट्रीय अनुसंधान संवर्ग की स्थापना।

(ग) विद्यार्थी के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखने के बाद उपयुक्त समय में इस दीक्षांत समारोह को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में यमुना के किनारों पर अवैध निर्माण

5020. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना के किनारे पर अवैध निर्माण कर लिए गए हैं, जैसा कि दिनांक 19 फरवरी, 1988 के "इंडियन एक्सप्रैस" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस अनधिकृत निर्माण को करने के लिए मालिकों/निर्माताओं को दिल्ली पालिका अधिनियम की धारा 343/344 के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। ओखला गांव के समीप बटाला हाउस, यमुना नदी के तटीय क्षेत्र नामक पाकेट में अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए समय-समय पर पुलिस कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त जैसे ही अनधिकृत निर्माण प्रवर्तन अभिकरणों के ध्यान में आते हैं, वैसे ही इन्हें गिराने की कार्रवाई की जाएगी।

उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति

5021. **श्री एम० जी० रामुलु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग ने सरकार से वर्तमान मूल्य-निर्धारण नीति जारी रखने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या सरकार का उर्वरकों के लिये दोहरी मूल्य-निर्धारण नीति अपनाने का विचार है और यदि हां, तो मूल्य-निर्धारण नीति में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

मसालों का उत्पादन

5022. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के मसालों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) मसाला उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मसालों के वर्षवार उत्पादन का मोटा अनुमान इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1984-85	13.07
1985-86	16.99
1986-87	15.72

(ख) मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित मसाला विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उत्पादकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाते हैं :—

(1) रोपण सामग्री की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई,

(2) राज-सहायता प्राप्त दरों पर आदान किटों का वितरण,

(3) आदर्श बागानों की स्थापना/प्रदर्शन भू-खण्ड तैयार करना, और

(4) काली मिर्च के बागानों को पुनः स्थापना।

(ग) इस अवधि के दौरान अधिकतर मसालों की कीमतें लाभकारी स्तर पर रहीं।

हुडको द्वारा किसानों/कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण

5023. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको 7 प्रतिशत ब्याज पर 22 वर्षों में देय ऋण की सुविधा देता है;

(ख) क्या सरकार का किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये इस प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये हुडको की एक नगर आवास योजना है जिसके अन्तर्गत 700 रुपये प्रतिमाह के अनधिक मासिक आय वाले परिवारों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर परियोजना लागत के 90 प्रतिशत की सीमा (लागत सीमा 15,000 रुपये) तक ऋण सहायता दी जाती है जो 22 वर्षों में वापस किया जाना होता है। अन्य भूमिहीन कामगारों के अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये ऐसी ही ग्रामीण आवास योजना भी है।

(ख) और (ग) अपने ऋणों को आसानी से प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने के लिये हुडको ने हाल ही में अपने परिचालनों का विकेन्द्रीयकरण किया है और अपनी पद्धतियों को सरल तथा कारगर बनाया है। योजनाओं, ऋण रिलीजों आदि को मूल्यांकित करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। ऋण लेने वाले अभिकरणों के साथ निरन्तर पारस्परिक क्रिया और त्रैमासिक संवीक्षा बैठकों के माध्यम से तत्पर हल करने के लिए विशेष समस्याओं का पता लगाया जाता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय में अधिकारियों का स्थानान्तरण

5024. श्री टी० बशीर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का बागवानी निदेशालय कितने डिविजनों में विभाजित है;

(ख) इस निदेशालय के कार्य कर रहे उप-निदेशकों तथा सहायक निदेशकों के स्थानान्तरण की नीति क्या है;

(ग) उन सहायक निदेशकों तथा उप-निदेशकों का ब्यौरा क्या है जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं तथा वे एक ही स्थान पर कब से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) उन्हें दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 10.

(ख) दिल्ली में चार वर्ष तथा दिल्ली बाहर तीन वर्ष की अवधि आमतौर पर अपनाई जाती है।

(ग) उसी मण्डल/उपमण्डल में 3 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कार्य कर रहे उपनिदेशकों/सहायक निदेशकों की संख्या इस प्रकार है :

अवधि	संख्या
8 से 9 वर्ष	1
7 से 8 वर्ष	1
6 से 7 वर्ष	3
5 से 6 वर्ष	3
4 से 5 वर्ष	2
3 से 4 वर्ष	17

(घ) दिल्ली से बाहर उपलब्ध पदों की संख्या दिल्ली में उपलब्ध पदों की संख्या की अपेक्षा बहुत कम है। दिल्ली के भीतर स्थानान्तरण किये जाते हैं जो कार्य की आवश्यकता पर निर्भर है।

दिल्ली में पार्कों का विकास

5025. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली मे विगत साल में बुद्ध जयन्ती पार्क जैसे कई पार्कों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान पार्कों का ब्योरा क्या है, उनके विकास में कितना समय लगा और सातवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान ऐसे पार्कों के विकास के वर्तमान प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और उन पर कितना व्यय किये जाने का अनुमान है; और

(ग) विद्यमान पार्कों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है और उनके विकास और इनमें सुविधाएं प्रदान करने के लिये यदि कोई प्रस्ताव है, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मत्स्य अण्डों के फार्म

5026. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार/विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित मत्स्य अंडों के फार्मों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन मत्स्य अंडों के फार्मों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या केरल में अथवा दक्षिण भारत में कहीं भी केन्द्रीय सरकार/विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मत्स्य अंडों का कोई फार्म स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय और विश्व बैंक की सहायता से केरल में 2, कर्नाटक में 1, तमिलनाडु में 2 और आंध्र प्रदेश में 2 सहित कुल 47 डिम्पोना फार्मों का निर्माण किया जा रहा है। देश में उनके स्थान उत्पादन क्षमता और निर्माण की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/निगम	डिम्पोना का स्थान	उत्पादन क्षमता (दस लाख आंगुलिक)	निर्माण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1. केन्द्रीय सहायता से हैचरियों का निर्माण			
आंध्र प्रदेश	1. पोचमपाद	10.00	पूरा हो गया है
	2. सोमासिला	10.00	पूरा हो गया है
असम	3. जोलुकोनी	10.00	प्रगति पर है
	4. बोआमुगुड़ी	10.00	पूरा हो गया है
गुजरात	5. भडारानिया	10.00	पूरा हो गया है
	6. कोसामाद	10.00	पूरा हो गया है
हरियाणा	7. ज्योतिसार	10.00	पूरा हो गया है
	8. लाहलीबनयानी	10.00	पूरा हो गया है
हिमाचल प्रदेश	9. मिलवान	10.00	पूरा हो गया है
जम्मू व कश्मीर	10. चाक देश सिंह	10.00	प्रगति पर है
केरल	11. पोलचिरा	10.00	पूरा हो गया है
	12. मालामपुझा	10.00	पूरा हो गया है
	13. थालकुलथुर	10.00	राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव बंद किया गया है
कर्नाटक	14. भदरा जलाशय	10.00	प्रगति पर है
महाराष्ट्र	15. उपरी वर्धा	10.00	प्रगति पर है
	16. उपरी पैनानगा	10.00	प्रगति पर है
पंजाब	17. बंगा	10.00	प्रगति पर है
	18. फागन मजरा	10.00	प्रगति पर है
राजस्थान	19. काशिमपुरा	10.00	प्रगति पर है
	20. भिमपुरा	10.00	निर्माण शुरू किया गया
त्रिपुरा	21. महुरिपुर	10.00	प्रगति पर है
	22. सर्मा	10.00	पूरा हो गया है

1	2	3	4
तमिलनाडु	23. भवानीसागर	10.00	पूरा हो गया है
	24. मालमुझार	10.00	अन्वेषण किया जा रहा है
दामोदर घाटी निगम	25. पचाई मैथान	10.00	प्रगति पर है
भारतीय राज्य फार्म निगम	26. बघुलिया (उ० प्र०)	10.00	प्रगति पर है
	27. कुलियागढ़ी (उ० प्र०)	10.00	प्रगति पर है
	28. कोफिलाबारी (असम)	10.00	प्रगति पर है
2. विश्व बैंक की सहायता से हैचरियों का निर्माण			
पश्चिम बंगाल	29. जमुनादिघी	27	पूरा हो गया है
	30. पकामट्टीमोहल्ला	6.5	पूरा हो गया है
	31. मनिकपारा		पूरा हो गया है
बिहार	32. आम्रसाला दामपुर	10.00	पूरा हो गया है
	33. रोगोपुर भकरी	10.00	पूरा हो गया है
	34. महियपुर	10.00	पूरा किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश	35. गोमती नगर	10.00	पूरा हो गया है
	36. सिओरीपट्टी	10.00	पूरा हो गया है
	37. चमलभारी	10.00	पूरा हो गया है
	38. अमेठी	10.00	पूरा हो गया है
	39. गोरखपुर	10.00	प्रगति पर है
मध्य प्रदेश	40. देमर	27.00	पूरा हो गया है
	41. सलुद	10.00	पूरा हो गया है
	42. सार्गो	27.00	निर्माण शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है
उड़ीसा	43. सारामंगा	14.00	पूरा हो गया है
	44. कौनिका	13.00	पूरा हो गया है
	45. बिपलिमा	27.00	पूरा हो गया है
	46. बनजनगढ़	27.00	पूरा हो गया है
	47. रायासागर	12.00	प्रगति पर है

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड का कारोबार बिक्री तथा लाभ

5027. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड के कारोबार तथा लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड को कितनी संचित हानि हुई; और

(घ) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) के लाभ में सुधार लाने के लिए कौन से मुख्य तत्व सहायक हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) फैक्ट के द्वारा 1986-87 के दौरान किए गए कुल बिक्री तथा लाभ के ब्यौरा तथा 1984-85 और 1985-86 के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(रु० लाख)

	1984-85	1985-86	1986-87
आर्थिक सहायता सहित कुल बिक्री	30670	30015	33184

लाभ (रु०/लाख)

	1984-85	1985-86	1986-87
विनियोजन से पूर्व लाभ	1928	1123	4270
घटाएं : करों के लिए प्रावधान	—	—	125
निवेश के लिए आरक्षित	—	—	500
विनियोजन के पश्चात लाभ	1928	1123	3645

(ग) 31.3.1987 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की संचित हानियां 483 लाख रुपए थीं।

(घ) फैक्ट के लाभ में सुधार करने में निम्नलिखित पहलुओं ने योगदान दिया :

(1) क्षमता उपयोगिता में सुधार।

(2) खपत दक्षता, कच्चे माल और उपयोगिताओं में सुधार।

(3) सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध तथा सामूहिक कार्य।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा ऋण वितरण

5028. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा कुल कितने कृषि ऋण का वितरण किया गया; और

(ख) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान सहकारी समितियों द्वारा कुल कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का विपणन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कृषि ऋण का वितरण नहीं करता है ।

(ख) 1986-87 के दौरान सहकारी समितियों द्वारा विपणन किए गए कृषि उत्पाद का कुल मूल्य मोटे तौर पर 4014 करोड़ रुपये था । यह अनुमान लगाया गया है कि 30 जून, 1988 को समाप्त होने वाली 1987-88 के वर्ष के दौरान सहकारी समितियों द्वारा 4000 करोड़ रुपए के मूल्य के कृषि उत्पाद का विपणन किया जाएगा ।

मेंढक पालन

5029. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़े पैमाने पर मेंढक पालन परियोजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में मेंढक की टांगों की वार्षिक मांग कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में मेंढक की टांगों के लिए संगठित बाजार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर स्थित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना

5030. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर स्थित गैस पर आधारित अपने उर्वरक संयंत्रों की क्षमता दुगनी करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां । 675 टन प्रतिदिन अमोनिया तथा 1125 टन प्रतिदिन यूरिया की एक ट्रेन जोड़कर क्षमता के

विस्तार के लिए एक प्रस्ताव प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें पूंजी लागत, उसके ब्यौरे, विदेशी मुद्रा घटक, विपणन योजना आदि जैसे मुख्य ब्यौरे दर्शाने को कहा गया है।

मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि०, उड़ीसा द्वारा टिन धातु के निर्माण के लिए आशय पत्र प्राप्त करना

5031. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि० उड़ीसा ने भुवनेश्वर तहसील में टिन धातु की 200 टन क्षमता की वार्षिक उत्पादन की परियोजना की स्थापना के लिए 22 अगस्त, 1986 को एक आशय पत्र प्राप्त किया है;

(ख) क्या राज्य पर्यावरण अवरोधक और नियंत्रण बोर्ड ने इसकी स्थापना पर आपत्ति उठाई है;

(ग) क्या मैसर्स इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि० ने सरकार से परियोजना का स्थान बदल कर कटक जिले के चौद्वार में करने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार करने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) स्थल परिवर्तन की मंजूरी दे दी गई है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

5032. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) उपर्युक्त संस्थानों द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है;

(ग) क्या इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारम्भ करने का कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या प्रशिक्षण पूरा करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) श्रम मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर, 1987 को देश में कार्य कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन संस्थानों में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थान क्षमता अनुबन्ध के कालम 4 में दी गई है। इंजीनियरिंग तथा गैर-इंजीनियरिंग क्षेत्रों में 65 भिन्न-भिन्न निदिष्ट व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) चूंकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए वे प्रशिक्षित जनशक्ति की स्थानीय आवश्यकताओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुविधाओं के विस्तार के लिए नए कार्यक्रम शुरू करते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा का विस्तार करने के किसी कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की जा रही है।

(घ) इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्यवसायों में एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों को व्यवसाय कौशलों में निपुण बना देता है ताकि वे अधिक नियोज्य बन सकें। कुछ सफल प्रशिक्षार्थियों को शिक्षुओं के रूप में और जॉब प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए औद्योगिक उद्यमों में प्रवेश हेतु सहायता दी जाती है। स्व:रोजगार के क्षेत्र स्थापित करने के लिए भी उन्हें जानकारी दी जाती है।

विवरण

31-12-1987 के अनुसार देश में कार्य कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	स्वीकृति सीटों की क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	242	39904
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	192
3.	असम	17	3912
4.	बिहार	34	13392
5.	गोवा	14	2428
6.	गुजरात	139	20020
7.	हरियाणा	102	13152
8.	हिमाचल प्रदेश	32	3344
9.	जम्मू व कश्मीर	20	2592
10.	कर्नाटक	205	24884
11.	केरल	264	35529
12.	मध्य प्रदेश	66	15632
13.	महाराष्ट्र	203	46880
14.	मणिपुर	6	472
15.	मेघालय	3	492

1	2	3	4
16.	मिजोरम	1	236
17.	नागालैंड	1	212
18.	उड़ीसा	18	5080
19.	पंजाब	112	17328
20.	राजस्थान	57	6576
21.	सिक्किम	1	112
22.	तमिलनाडु	167	25520
23.	त्रिपुरा	3	512
24.	उत्तर प्रदेश	118	29600
25.	पश्चिम बंगाल	25	9796
26.	चंडीगढ़	3	880
27.	दादर नगर हवेली	1	176
28.	दमन और दीव	2	288
29.	दिल्ली	25	7472
30.	पांडिचेरी	5	496

दिल्ली में भूमि की दरों में संशोधन किया जाना

5033. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में भूमि की दरों में संशोधन किये जाने के बारे में 29 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी, विकासपुरी, राजोरी गार्डन, टैगोर गार्डन और मायापुरी में भूमि के लिये लागू संशोधित बाजार दरें क्या हैं;

(ख) मंत्रालय ने अक्तूबर, 1981 में भूमि की क्या दरें निर्धारित की थीं और 100 वर्ग गज (83.613 वर्ग मीटर) अथवा इससे कम नाम के भूखण्डों के मामले में दरों में संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन में सभी वर्गों की भूमियों और मकानों के लिये बिक्री प्रलेखों का पंजीकरण खुला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का भूमि की कीमतों में निरन्तर हो रही वृद्धि को देखते हुए स्टाम्प शुल्क की दरों में कमी करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा के लिये लघु और मध्यम आकार के नगरों के समन्वित विकास की योजना

5034. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लघु और मध्यम आकार के नगरों का समन्वित विकास" संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना गोवा पर भी लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से इस राज्य में लागू की गई है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कौन-सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं अथवा शुरू करने का विचार है;

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना के संबंध में प्राप्त प्रगति का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान पणजी नगर को शामिल किया गया था और मोरमूगांव नगर को 1987-88 के दौरान शामिल किया गया है। केन्द्रीय सहायता किश्तों में दी जाती है जो कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करता है। पणजी नगर के लिये 65.50 लाख रुपये और मोरमूगांव नगर के लिये 35 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है। पणजी नगर के सम्बन्ध में 50.69 लाख रुपये का व्यय के बारे में सूचित किया गया है।

स्विटजरलैंड की सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में चारा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना

5035. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड सरकार एक चारा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने और विशाखापत्तनम में बढ़िया किस्म के चारे का विकास करने की योजना बनाने के लिए सहमत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो भारत स्विटजरलैंड परियोजना का अन्य ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या स्विटजरलैंड सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक उपकरण आदि देने पर भी सहमत हो गई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण

शास्त्री) : (क) भारत-स्विटजरलैंड प्रायोजना आंध्र प्रदेश के (IV) चरण में आहार और चारे के विकास के लिए स्विटजरलैंड से सहायता लेने की व्यवस्था है।

(ख) भारत-स्विटजरलैंड प्रायोजना की मुख्य गतिविधियां/उद्देश्य इसके साथ ये भी हैं :— (1) खिलाई-पिलाई की वर्तमान पद्धति का सर्वेक्षण; (2) फसल के अवशेषों के पोषक मूल्य में सुधार लाने के लिए खिलाई-पिलाई की व्यावहारिक विधियों का विस्तार और प्रसार करना और उन्नत पोषण के रूप में उनकी पूर्ति करना; (3) बेकार भूमि के विकास के लिए परीक्षण करना तथा वन-चारागाहों को तैयार करना तथा; (4) किसानों के द्वारा बीज सम्वर्धन कार्यक्रम को मजबूत बनाना; (5) आहार और चारे के विश्लेषण, बीज की जांच तथा गुण नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला को समर्थन देना; (6) बाद की उचित कार्रवाई के लिए उन्नत रिकार्डिंग पद्धति।

(ग) आहार-प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए स्विटजरलैंड की सरकार अतिरिक्त निवेश देने पर राजी हो गई है।

गुजरात में पर्यटन स्थलों का विकास

5036. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में विदेश पर्यटकों को आकर्षित करने वाले अब तक विकसित पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1986 और 1987 के दौरान इन पर्यटन स्थलों की कितने विदेशी पर्यटकों ने यात्रा की;

(ग) क्या गुजरात में और अधिक पर्यटन स्थलों के विकास की बहुत अधिक गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का ब्योरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गुजरात में जो पर्यटक स्थल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं वे हैं—अहमदाबाद, बड़ोदरा, ससनगीर, पालिताना और गांधीनगर।

(ख) 1985-86 और 1986-87 में गुजरात की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 20487 और 22949 थी।

(ग) और (घ) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारें समय-समय पर प्रत्येक केन्द्र की आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाती रहती हैं और वित्तीय सहायता हेतु पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव भिजवाती हैं। मंत्रालय, प्रस्तावों के गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करता है। गुजरात के मामले में भी यही कार्यविधि अपनायी गयी है और राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय ने यात्री निवास, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, समुद्र-तट कुटीरें, अल्पाहार गृह आदि ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्न जारी करना

5037. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए गेहूं जारी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सूखाग्रस्त राज्य को माहवार कितनी मात्रा में गेहूं जारी किया गया;

(ग) सूखाग्रस्त राज्यों में गेहूं के वितरण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि कुछ क्षेत्रों में इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या किसी दल ने इस योजना का पूरी तरह क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों का दौरा किया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां, सूखाग्रस्त क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों की रिलीज दो छमाही किश्तों में की जाती है न कि मासिक आधार पर। 1987-88 के दौरान सूखा से प्रभावित राज्यों की रिलीज की गई खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत पहले खाद्यान्नों का वितरण एक फार्मूले के आधार पर किया जाता था जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत महत्व प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में गरीबी की स्थिति को और 50 प्रतिशत महत्व प्रत्येक राज्य में कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों और सीमान्त मजदूरों तथा उनके द्वारा वास्तविक उपयोग को दिया जाता था। खाद्यान्नों की मात्रा को प्रति श्रम दिन 2.5 कि० ग्रा० पर सीमित करने के पश्चात खाद्यान्न प्रत्येक राज्य में सृजित किए जाने वाले रोजगार के आधार पर दिए जा रहे हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में ऐसी कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के वितरण की सतत् आधार पर निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन भी आरम्भ कर दिए गए हैं।

विवरण

1987-88 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई खाद्यान्नों की मात्रा

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (मीटरी टनों में)	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (मीटरी टनों में)	योग (मीटरी टनों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	109960	105961	215921
2.	गुजरात	50816	40816	91632
3.	हरियाणा	13496	11496	24992
4.	हिमाचल प्रदेश	8378	6678	15056
5.	जम्मू और कश्मीर	11200	8200	19400
6.	कर्नाटक	80115	51115	131230
7.	केरल	49762	41762	91524
8.	मध्य प्रदेश	116985	91985	208970
9.	महाराष्ट्र	29360	24360	53720
10.	नागलैंड	1508	1208	2716
11.	उड़ीसा	60821	48821	109642
12.	पंजाब	15278	12278	27556
13.	राजस्थान	60059	48059	108118
14.	तमिलनाडु	97340	87341	184681
15.	उत्तर प्रदेश	264262	219261	483523
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1856	1555	3411
17.	चंडीगढ़	566	566	1132
18.	दादरा और नगर हवेली	805	805	1610
19.	दिल्ली	848	848	1696
20.	गोवा, दमन और दीव	835	867	1702
21.	पांडिचेरी	1755	1555	3310
	अखिल भारत	976005	805537	1781542

स्नम प्रोगेती द्वारा उर्वरक संयंत्र के लिये प्रौद्योगिकी शुल्क

5038. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली की फर्म स्नम प्रोगेती अपने डिजायन पर आधारित प्रत्येक क्रमिक उर्वरक संयंत्र के लिये प्रौद्योगिक शुल्क बढ़ाती जा रही है;

(ख) उनके डिजायन से कौन-कौन से संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किये गये थे और उनमें से प्रत्येक से कितना शुल्क वसूल किया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ग) जी, नहीं। क्रमिक परियोजनाओं से मैसर्स स्नम प्रोगेती को सौंपे गए कार्यक्षेत्र में अन्तर के कारण तथा उस अवधि के दौरान विनिमय दरों, मुद्रास्फीति में अन्तर के कारण भी देय फीस तुलनीय नहीं हैं।

(ख) परियोजनाओं के नाम, मैसर्स स्नम प्रोगेती को उनके ठेके के भाग के लिए देय/भुगतान की गयी राशियां तथा परियोजना कार्यान्वयन के आरम्भण नीचे दिये गए हैं :—

परियोजना का नाम	भुगतान की गयी/देय राशियों की रुपये में तुल्य राशि (रुपयों/अमरीकी डालर विनिमय दर अर्थात अमरीकी डालर 1=12.50 रु०) (रु० करोड़ों में)	जीरो तारीख/करार के अनुमोदन की तारीख
थाल	6.22	जनवरी, 1981
हजीरा	8.81	मार्च, 1981
विजयपुर	4.37	जून, 1984
आंवला	14.60	अक्तूबर, 1984
जगदीशपुर	27.39	मई, 1985
काकीनाडा	32.94	जून,/जुलाई, 1987

महाराष्ट्र में चावल और गेहू का उत्पादन

5039. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कृषि के लिये कितनी धनराशि का आबंटन किया गया तथा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान चावल और गेहूं का कितना उत्पादन होने तथा खरीद किये जाने का अनुमान है वस्तुत. कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(ग) इसमें यदि कोई कमी हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) छठी योजना के दौरान, महाराष्ट्र में कृषि के लिए किया गया कुल व्यय 344.9 करड़ो रुपये था, जबकि 236.2 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था। सातवी योजना का परिव्यय 549.61 करोड़ रुपये है। सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों (अर्थात् 1985-86, 1986-87, 198 -88) के लिए कुल अनुमानित व्यय 305.41 करोड़ रुपये होगा।

(ख) और (ग) छठी तथा सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के लिए चावल तथा गेहूं के संबंध में उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

(लाख मीटरी टन)

	छठी योजना		सातवीं योजना		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	निम्न वर्षों के दौरान उपलब्धि	
				85-86	86-87
चावल	26.85	19.36	29.40	21.82	17.52
गेहूं	12.85	8.57	10.54	6.44	5.36

सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान अनियमित वर्षा के कारण राज्य में चावल तथा गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है। खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लक्ष्य आमतौर पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं। महाराष्ट्र कमी वाला राज्य होने के कारण, व्यावहारिक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की उनकी सभी मांगें केन्द्रीय पूल से पूर्ण होती हैं।

मथुरा स्थित एक फैक्टरी से गैस का रिसाव

[हिन्दी]

5040. **श्री मदन पांडे** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1988 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक आइस फैक्टरी से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैस के रिसाव के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) मैसर्स कन्हैया आईस फैक्टरी, सेठवाडा, होली गेट, मथुरा में 31-12-1987 को लगभग 10.00 बजे सायं अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। कारखाना निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई जांच से पता लगा कि अमोनिया गैस का रिसाव अमोनिया रिसीवर टैंक के प्रमापी शीशे के टूटने के कारण हुआ जो ठीक तरह से

संरक्षित नहीं था। यह भी पाया गया कि कारखाना अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार 12 महीनों के अंदर किसी सक्षम व्यक्ति ने टैंक की जांच नहीं की तथा न ही इसे टैस्ट किया। दुर्घटना के समय, कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही थी। पुलिस के अनुसार, यह अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ फोड़ की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के सुरक्षा उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण कारखाना प्रबंधतंत्र के विरुद्ध अभियोजन शुरू कर दिया है।

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन लि० की विस्तार योजना

[अनुवाद]

5041. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पोरेशन लि० ने एक विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) क्या योजना में रोल्ड उत्पादों के लिए लाइसेंस क्षमता बढ़ाई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां।

(ख) और (घ) मैसर्स हिन्डालको ने अपने रेणूकूट (जिला-मिर्जापुर, उ० प्र०) स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के पर्याप्त विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, ताकि प्रायमरी एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन की उनकी लायसेंस क्षमता 150,000 टन वार्षिक से बढ़कर 250,000 टन वार्षिक हो जाए तथा तदनुरूप एल्यूमिना सुविधाओं के साथ अतिरिक्त अर्द्ध-गढ़ाई क्षमता 40,000 टन वार्षिक और एक्सट्रूजन रोल्ड उत्पाद क्षमता 10,000 टन वार्षिक हो जाए। इसमें 500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश बताया गया है। हिन्डालको ने बिस्तृत क्षमता के 10 प्रतिशत के लिए निर्यात सुविधा की अनुमति भी चाही है। साथ ही रेणू सागर पावर कंपनी लि० ने हिन्डालको की बिजली जरूरतों की पूर्ति हेतु अपनी प्रत्येक 120 मे० वाट की तीन यूनिटों का 584.05 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से विस्तार के लिए आवेदन किया है। इन प्रस्तावों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

(ग) जी हां।

बिनौले संसाधित करने की अधिष्ठापित क्षमता

5042. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक ढंग से बिनौले संसाधित करने के उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; उसमें कुल कितनी पूंजी निवेश किया गया है तथा इनमें कुल कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है; और

(ख) देश में खाद्य तेल की आवश्यकता पूरी करने के लिए इस क्षेत्र का पूरा उपयोग करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) ऑल इंडिया काटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के अनुसार बिनौले को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करने के लिए कुल 25 लाख मी० टन की संस्थापित क्षमता है। इसमें लगभग 160 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है और उद्योग की 20,000 मजदूरों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।

(ख) सरकार ने तेल रहित खली (एक्स्ट्रेक्शन) के निर्यात पर पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्यों का 10 प्रतिशत नकद प्रतिपूरक-समर्थन देने की अनुमति प्रदान की है। वनस्पति विनिर्माताओं को विलायक निष्कर्षित बिनौले के तेल का प्रयोग करने पर उत्पादन शुल्क में 4000 रु० प्रति मी० टन की रियायत दी जाती है।

मध्य प्रदेश के डाकू पीड़ित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

5043. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से डाकू उन्मूलन योजना के प्रथम चरण में 14 सड़कों और दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण के प्राक्कलन क्रमशः वर्ष 1984 और 1985 में प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सड़कों के नाम क्या हैं, उनकी लम्बाई कितनी है तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है तथा उन सड़कों के नाम क्या हैं, जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा स्वीकृति कब तक प्रदान कर जायेगी?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विशेष समस्या वाले क्षेत्रों (जो पहले दस्युग्रस्त क्षेत्रों के रूप में जाने जाते थे) में सड़कों के विकास की योजना को कार्यान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में पहले चरण में 14 सड़कों और दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण के प्राक्कलन शामिल किए गए हैं। पहले चरण और दूसरे चरण के लिए प्रस्तावित सड़कों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण (1) तथा (2) में दिए गए हैं जबकि अब तक मंजूर की गई सड़कों के ब्यौरे संलग्न विवरण (3) तथा (4) में दिए गए हैं। हालांकि रामानाथन समिति, जिसने इन दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के विकास के प्रश्न पर विचार किया था, ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 5 वर्ष की अवधि का सुझाव दिया है, विशिष्ट सड़क कार्यों के वास्तविक अनुमोदन स्वीकृत कार्यों के निर्माण की प्रगति और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे। योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है और उसके लिए निधियां वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर प्रदान की जा रही हैं।

विवरण-I

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में डाकू उन्मूलन कार्य के लिए सड़क विकास योजना (प्रायोगिक योजना)

चरण-I

क्रमांक	सड़क का नाम	लम्बाई (कि० मी०)
1	2	3
	जिला मुरैना	
1.	निहार-पहारगढ़ रोड	16.5
2.	बरगांव-पालपुर	25.0
		41.5
	भिण्ड जिला	
3.	खजूरी दलूह रोड	18.0
4.	भरोली-अपायन रोड	15.0
		33.0
	जिला ग्वालियर	
5.	रामगवान-नाकरताल-सुझार रोड	25.00
6.	गिजोरा-देवगढ़ रोड	15.00
7.	उण्डखेड़ा—तिगड़ी तोलाबाली लखनपुर तिगरा रोड	34.00
		74.00
	शिवपुरी जिला	
8.	बेराड़-धोरिया वाया जरीया-गाजीगढ़ रोड	13.5
9.	गोवर्धन-उमरी रोड	11.5
		25.0
	दमोह जिला	
10.	राजपुरा-सिलीपुरी बंजनी रोड	12.6

1	2	3
11.	छोइया-शाहगढ़ रोड	2.0
12.	केरवाने-बागोरी रोड	12.6
		27.2
	छतरपुर जिला	
13.	सालैया-सिलोन मूसर रोड	16.00
14.	किशनगढ़ पालकुंआ रोड	27.20
		43.20

कुल लम्बाई : 243.90 कि० मी०

पुलियों का निर्माण	488 संख्या
छोटे पुल	14 संख्या
बड़े पुल	4 संख्या

परियोजना की कुल लागत : 1240.37 लाख रुपये

अर्थात् : 12.4037 करोड़ रुपये

लागत का ब्योरा

मद

	(राशि लाख रुपये में)
1. सार्वजनिक निर्माण कार्य	
1.1. डब्ल्यू० बी० एम० सड़क कार्य	369.87
1.2. बी० टी० सगेस	142.71
1.3. पुल तथा पुलिया	253.62
कुल निर्माण कार्य :	765.40
2. उपकरण तथा फालतू पुर्जे	69.07
3. 10 प्रतिशत की दर से इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण तथा प्रशासन (केवल मद संख्या 1 के सम्बन्ध में)	76.54

4. भौतिक आकस्मिक व्यय 10 प्रतिशत की दर से (केवल मद संख्या 1 तथा 2 के बारे में)		83.45
	योग :	994.46
5. 5 वर्षों में लागत में वृद्धि		245.91
	कुल योग :	1240.37

विवरण-2

मध्य प्रदेश-गोल-2 के सड़क निर्माण प्रस्ताव जिलावार प्राथमिकता सहित

नाम	लम्बाई	लागत
1	2	3
ग्वालियर		
1. बेहट, रावती, आमई, देवगढ़	13 कि० मी०	57.40 लाख
2. जोरासी, बहतरी, शदाबना, सिंहपुर	20 कि० मी०	88.30 लाख
3. रेहट से सिफरावली	11 कि० मी०	48.60 लाख
4. जिगनियां, रतनगढ़ की माता रोड	6 कि० मी०	26.45 लाख
5. पावा, भिर्जा, खानपुरा रोड	9 कि० मी०	39.80 लाख
6. डांडा खेडक, बसोटा रोड	15 कि० मी०	66.35 लाख
7. छपाटीगांव, कालाखेत, कसिमखेड़ा रोड	7 कि० मी०	30.90 लाख
8. डांडा खिड़क तिघरा रोड कुलेम	8 कि० मी०	35.35 लाख
	89 कि० मी०	393.15 लाख
भिण्ड		
1. सेवड़ा, पांडरी रोड	12 कि० मी०	87.80 लाख
2. पांडरी, टहनपुर, सिवोल रोड	12 कि० मी०	87.80 लाख
3. महुआ चौकी, हरीछा रोड	20 कि० मी०	136.55 लाख
4. जरोखो, भारोली रोड	10 कि० मी०	73.25 लाख
5. इन्दुर्खी, जारोली रोड	15 कि० मी०	129.90 लाख
6. इन्दुर्खी, मोटवावली रोड	8 कि० मी०	58.60 लाख
7. केसिंह, प्रतापपुरा, क्रासिंग रोड	9 कि० मी०	65.95 लाख
8. रेपुरा, नयागांव रोड	9 कि० मी०	65.95 लाख
9. आलमपुर, अलवार रोड	15 कि० मी०	129.90 लाख

1	2	3
10. इन्दुखी, अमायन रोड	7 कि० मी०	51.25 लाख
11. लहार, रूबानीजागीर रोड	8 कि० मी०	13.90 लाख
	123 कि० मी०	900.85 लाख
दतिया		
1. खामरोली, रतनगढ़ की महुता रोड	7 कि० मी०	31.10 लाख
2. मदनलाल मानिक चौक लोकेन्द्रपुर	19 कि० मी०	94.50 लाख
3. बरेटा, बेहट रोड	6.2 कि० मी०	27.60 लाख
4. लोकेन्द्रपुरा खामरोली रोड	10 कि० मी०	44.50 लाख
5. लांच, अतरेंटा, सेवढा रोड	38 कि० मी०	168.50 लाख
6. रोहरा सतवा रोड	28 कि० मी०	124.30 लाख
7. मेहता, बेरछा क्रासिंग, अतरेंटा थाना	18 कि० मी०	80.10 लाख
8. रहागांव दुगुई हिमोलिया रोड	15 कि० मी०	66.70 लाख
	141.20 कि० मी०	627.30 लाख
मुरैना		
1. रगास, निरार रोड	15.0 कि० मी०	83.20 लाख
2. विजयपुरा, वामनवास पालपुर रोड	40 कि० मी०	222.20 लाख
3. देवगढ़, बागचीनी रोड	कि० मी०	44.14 लाख
4. अम्बाह गंज, रिठोरा, आहूरोली माता, बसैया रोड	15 कि० मी०	88.68 लाख
5. सिहोनिया, रिठोरा रोड	8 कि० मी०	44.14 लाख
6. सिहोनिया, पोरसा रोड	16.5 कि० मी०	91.20 लाख
7. गोरा, सुमावली रोड	16 कि० मी०	68.68 लाख
8. बागचीनी, अहूरोली रोड	25 कि० मी०	138.00 लाख
9. वामनदास, आगरा रोड	10 कि० मी०	55.15 लाख
10. पालपुर सेसई रोड	32 कि० मी०	176.41 लाख
	185.50 कि० मी०	1031.76 लाख
शिवपुरी		
1. थाना छर्व, बिलोआ	17.0 कि० मी०	68.94 लाख
2. गोवर्धन, सुधाधपुरा जर्ये गोपालपुर	29.0 कि० मी०	117.68 लाख

1	2	3
3. गिरवानी, गाजीगड रोड	8.5 कि मी०	34.42 लाख
4. ए० बी० (सुभाषपुरा) बम्हारी रोड	7.5 कि० मी०	30.40 लाख
	62.00 कि० मी०	251.44 लाख
गुना		
1. कुंभराज, मुमबारस रोड	18 कि० मी०	102.58 लाख
2. सिरसा, बदरवास रोड	27 कि० मी०	152.92 लाख
	48 कि० मी०	255.50 लाख
सागर		
1. भनुगढ़ देवल, जर्से मेसावाहा रोड	9 कि० मी०	45.15 लाख
2. बिनायका उजनेटी (जर्वे दुलोना पाटन रोड)	8 कि० मी०	40.11 लाख
3. पापेट बरायडा, जर्ये नानकपुर रोड	16.8 कि० मी०	84.15 लाख
4. सेसई, परोटा, बसोरी रोड	9 कि० मी०	45.15 लाख
5. बण्डा, हरोल, सहावन रोड	15 कि० मी०	75.20 लाख
	57.80 कि० मी०	627.30 लाख
छतरपुर		
1. याजना, शाहगढ रोड	41.6 कि० मी०	196.80 लाख
2. चोरधध, बड़ागांव रोड	8 कि० मी०	37.72 लाख
3. बिजावर, बाजना, बसबाडा रोड (कि० मी० 33 से 46)	14 कि० मी०	66.06 लाख
4. बिजावर-बाजना, बसबाडा रोड (कि० मी० 47 से 56)	10 कि० मी०	47.20 लाख
5. किशनगढ़, नागदा रोड	21 कि० मी०	99.39 लाख
6. देवरा से अमरोनिया गंज रोड	32 कि० मी०	141.65 लाख
	126 कि० मी०	588.65 लाख
पन्ना		
1. मण्डला, पिपरटोला, पहाड़ीखेड़ा, पहाड़ीकाला	28 कि० मी०	48.37 लाख

1	2	3
2. गगउरोड		
3. मझगवा, झाला रोड	21 कि० मी०	111.41 लाख
4. नया गांव, बनोलीकला	20 कि० मी०	105.99 लाख
	69 कि० मी०	365.77 लाख
दमोह		
1. बटियागढ, साढपुर, राजपुरा, बरावाहा रोड	13 कि० मी०	70.16 लाख
2. बटियागढ, सोरई, कुंडलिनि रोड	19 कि० मी०	101.10 लाख
	32 कि० मी०	171.26 लाख
टीकमगढ़		
1. खेरिया, ककरवाहा रोड	35 कि० मी०	186.80 लाख
2. ओरछा, चंदरवानी (जयंचक्कपुर) रोड	24 कि० मी०	127.72 लाख
	59 कि० मी०	314.52 लाख

जिलेवार सड़कों की सामूहिक जानकारी निम्नानुसार है :

जिले का नाम	सड़कों की सख्या	सड़कों की कुल लम्बाई कि० मी०	कुल लागत लाखों में
ग्वालियर	8	89.00	393.15
भिण्ड	11	123.00	900.85
दतिया	8	141.20	627.30
मुरैना	10	186.50	1031.80
शिवपुरी	4	62.00	251.44
गुना	2	45.00	289.50
सागर	5	57.80	289.76
टीकमगढ़	2	59.00	314.52
पन्ना	3	69.00	365.77
छतरपुर	6	126.60	588.65
दमोह	2	32.00	171.26
	61	991.10	5190.00 या 52.00 करोड़

विवरण-3

मध्य प्रदेश में दस्युग्रस्त क्षेत्रों के लिए सड़क विकास कार्यक्रम 1985-86

सड़क का नाम	लम्बाई (कि० मी०)	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)
मुरैना जिला		
1. बरगवान पालपुर रोड	25.00	132.00
भिण्ड जिला		
2. भरौली अवायन रोड	15.00	79.20
	40.00	211.20

विवरण-4

मध्य प्रदेश के दस्यु पीड़ित क्षेत्रों में मार्ग विकास कार्यक्रम 1986-87

मार्ग का नाम	लम्बाई (कि० मी०)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)
1	2	3
जिला ग्वालियर		
1. रंगवन नकरतल मार्ग	25.00	2.000
2. डांडा खीरक टिगरा तिलावली मार्ग	34.00	2.752
3. गिजोरा देवगढ़ मार्ग	15.00	1.200
जिला शिवपुरी		
4. गोवर्धन उमरी मार्ग	11.50	0.920
5. वेरद से घोरिया जयें अरिया एवं गाजीगढ़ मार्ग	13.50	1.080
जिला दमोह		
6. राजपुरा सिलपुरी बजना मार्ग	12.60	1.008
7. चौरसा शाहगढ़ मार्ग	4.00	0.320
8. करवना बागोरी मार्ग	12.60	1.008
जिला छतरपुर		
9. किशनगढ़ पलकुआं	26.20	2.096

1	2	3
जिला मुरैना		
10. निरार से पहाड़गढ़ मार्ग	25.4	2.032
जिला भिण्ड		
11. खजूरी दबोह मार्ग	17.4	1.392
12. सन्धा तेहनगर पंडरी मार्ग	24.0	1.920
	221.60	17.728

चम्बल नदी पर पुल का निर्माण

[अनुवाद]

5044. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं के खतरे का सामना करने तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चम्बल नदी पर पक्के पुल के निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो पुल के निर्माण के लिए किस स्थान का चयन किया गया है तथा क्या इस पुल से उसेट घाट, नागला सिलकोली अथवा पनहट तथा केजरा क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होगा; और

(ग) पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सवाई माधोपुर जिले में मदरियाल के पास चम्बल नदी पर एक पुल का निर्माण करने की मंजूरी दी गई है। तथापि, यह प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह स्थान उसेट घाट से लगभग 100 कि० मी० नदी के प्रवाह की ओर है। सवाई माधोपुर जिले में पुल के स्थान के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल चल रही है। कार्य की समय-सारिणी की जानकारी उसके बाद ही मिल सकेगी।

महाराष्ट्र को ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन

5045. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य को छठी योजना और सातवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के लिए कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) क्या दी गई धनराशि राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) महाराष्ट्र को छठी योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के

अन्तर्गत 4015.95 लाख रुपए और सातवीं योजना के दौरान 1987-88 तक 7462.33 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी।

(ख) सातवीं योजना के दौरान, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए निधियों के आवंटन की आवश्यकता पर आधारित मानदण्ड के अनुसार दी गई है। दी गई धनराशि 1987-88 तक शुद्ध पेयजल सुविधाओं के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले लक्षित समस्याग्रस्त गांवों के लिए पर्याप्त है।

मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा सूखे के बारे में पूर्व सूचना

5046. **श्री सीताराम जे० गावली :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सुभाष यादव :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम विज्ञान कार्यालय द्वारा जून, 1987 में ही वर्ष 1987 के सूखा के बारे में पूर्व सूचना दे दी थी, जैसा कि 16 फरवरी, 1988 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए समय पर उपाय किये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डिजायन संबंधी कार्य के लिए जूनियर इंजीनियरों को विशेष वेतन

5047. **श्री हरीश रावत :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में डिजाइन संबंधी कार्य के लिए जूनियर इंजीनियरों के विद्यमान 489 पदों तथा आयोजना संबंधी कार्य के लिए विद्यमान 1079 पदों के स्थान पर क्रमश: 215 और 864 पदों का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के कारण लगभग 200 स्नातक जूनियर इंजीनियर तथा सभी डिप्लोमा-धारक जूनियर इंजीनियर डिजाइन संबंधी कार्य के लिए विशेष वेतन पाने से वंचित हो जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो इलैक्ट्रिकल विंग में डिजाइन संबंधी कार्य को आयोजना संबंधी कार्य से अलग करने के क्या कारण हैं जबकि यह एक मिश्रित कार्य है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) संकल्पना संबंधी कार्य तथा आयोजना सम्बन्धी कार्य के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों को दिये जा रहे विशेष वेतन की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा 12 अक्तूबर, 1987 को जारी स्वीकृति में, संकल्पना संबंधी कार्य के लिए पदों की संख्या 215 तथा आयोजना संबंधी कार्य के लिए 864 बताई गई थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शिवालिक तथा कुमाऊं की पहाड़ियों में सोने की खोज

[हिन्दी]

5048. **श्री हरीश रावत :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवालिक तथा कुमाऊं की पहाड़ियों में सोना प्राप्त होने की सम्भावनाओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और वहां उपलब्ध सोने का विदोहन करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां, भारतीय भूसर्वेक्षण ने जिला-देहरादून (उ०प्र०), जिला सिरमूर (हिमाचल प्रदेश), जिला अम्बाला (हरियाणा), जिला रोपड़ (पंजाब), और जिला कठुआ (जम्मू-कश्मीर) में व्याप्त शिवालिक पहाड़ी शृंखला और उसके जल प्रवाहों में सर्वेक्षण किया है। उत्तर प्रदेश के राज्य भूविज्ञान व खनन निदेशालय ने पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में कालाढंगी के बीच शिवालिक हिल के प्रवाह तलछाटन में तथा कुमायूं हिल्स में देवीधुरा के पनार नाले में बजरी स्वर्ण के लिए खोज की है।

(ख) सिरमूर जिले (हिमाचल) में शिवालिक से निकली नदी धाराओं में तलछाटन में मेसोस्कोपिक स्वर्ण बजरी के संकेत हैं, जिनमें 0.1 से 7.8 ग्राम/टन स्वर्ण होगा। इस क्षेत्र की नदी तराइयों में 0.1 से 0.5 ग्राम/टन स्वर्ण तथा तलीय चट्टानों में 0.1 से 0.7 ग्राम/टन स्वर्ण के संकेत हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की कुछ जल धाराओं के तलछाटन/तराई नमूनों में दानेदार स्वर्ण पाया गया है। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की तलीय चट्टानों, नाला-तलछाटन और नदी तराइयों में स्वर्णांश के संकेत हैं। तलीय चट्टानों में 0.1 ग्राम/टन से कम और कहीं-कहीं 0.25 ग्राम/टन स्वर्ण है तथा तराई/तलछाटनों में 0.1 ग्राम/टन से कम स्वर्ण है। उत्तर प्रदेश में, रामनगर, हल्द्वानी और टनकपुर (जिला नैनीताल) के बीच के इलाके में प्रति एक घन मीटर तलछाटन/तराई मिट्टी में औसतन 0.0081 ग्राम/टन स्वर्ण के संकेत हैं। कुमायूं हिमालयी क्षेत्र के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों की पनार और सरजू नदियों के नूतन तलछाटन व तलीय चट्टानों में 0.6 से 1.00 ग्राम/टन के बीच स्वर्ण के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ने भारत गोल्ड माइन्स लि० की मदद से बिहारीगढ़ (जिला सहारनपुर) के निकट सोलनी नदी प्रवाह से स्वर्ण निकासी के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र लगाया है। प्रयोगिक परीक्षणों के सफल होने और नदी बालू से स्वर्ण निकासी प्रौद्योगिकी की अर्थक्षमता प्रमाणित होने पर ही स्वर्ण विदोहन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन

5049. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने तथा दुधारू पशुओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलो में नैनीताल को प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ ने आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

फार्म भंडारण का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

[अनुवाद]

5050. **श्री के० रामचंद्र रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अनाज भंडार संस्थान (आई० जी० एस० आई०) फार्म भंडार के बारे में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कहां आयोजित किया जा रहा है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आएगा और प्रशिक्षणार्थियों को क्या लाभ होंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़ और उसके पांच फील्ड स्टेशन फार्म भण्डार से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास कार्य करने के अलावा खाद्यान्न हैंडलिंग एजेन्सियों के कार्मिकों के लिए एपेक्स स्तर के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। हाल ही में खाद्य कृषि संगठन/यू० एन० डी० पी० के सहयोग से 29 फरवरी, 1988 से 12 मार्च, 1988 तक हापुड में फार्म भण्डारण पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें सात देशों से आये व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था। इस विशिष्ट कार्यशाला में आया समस्त खर्च खाद्य कृषि संगठन/यू० एन० डी० पी० द्वारा वहन किया गया था लेकिन इस मन्त्रालय द्वारा स्थानीय लागत के प्रति आए 23,000 रुपये के खर्चे को वहन किया गया था।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अर्जित किए गए ज्ञान से प्रशिक्षणार्थियों को फार्म स्तर की भण्डारण स्थितियों में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

चिकित्सा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानदंड

5051. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चिकित्सा बीमा कराने वाले व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए कतिपय मानदंड तथा मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सा के ये मानदंड और मानक सभी राज्यों में समान हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या-क्या विषमताएं हैं और इन विषमताओं के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सभी राज्यों के लिए चिकित्सीय देख-रेख के एक मानदंड और मानक निर्धारित किए हैं। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सीय देख-रेख की व्यवस्था करना दिल्ली को छोड़कर, जहां निगम स्वयं चिकित्सीय व्यवस्थ कर रहा है, संबंधित राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व होने के कारण, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालयों में चिकित्सीय इलाज का वास्तविक मानक एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकता है।

भारतीय बस्ती कार्यक्रम

5052. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बस्ती कार्यक्रम में सुधार के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषता क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अवास/मानव बस्ती के महत्व को सरकार ने स्वीकार किया है और इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रम/योजनायें चलाई गयी हैं। राष्ट्रीय आवास नीति जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, राष्ट्र के आवास भण्डार में सतत तथा त्वरित वृद्धि प्राप्त करने के लिये आवास में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करती है। आवास वित्त के पर्याप्त प्रवाह, आश्रय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं के विभिन्न स्रोतों को समन्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की जा रही है। आश्रय घर की व्यवस्था को विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए, सरकार के 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया गया है; हुडको दो योजनायें, एक छोटे तथा न्यूनतम किसानों को ऋण सहायता देने के लिए और दूसरी नाली स्वच्छता आदि जैसी ग्रामीण आबादी आधारभूत सुविधाओं के सुधार के लिए परियोजनाओं को सहायता देने हेतु; आरम्भ करके अन्य बातों के साथ-साथ इस सम्बन्ध में अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। कम लागत सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा कम लागत की निर्माण सामग्रियां तथा तकनीकियां सुलभ कराने हेतु कुछ समय में निर्माण या निर्मिति केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित करने के लिये कार्यवाही की का रही है।

निम्न आय वर्गों के लिये आश्रय-घर, पर्यावरणीय सुधार तथा सामुदायिक विकास गतिविधियों में कार्यरत व्यवसायिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के व्यवस्थित विकास हेतु हुडको और भारत सरकार द्वारा एक भारतीय मानव बस्ती कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया है।

असम में पर्यटन के लिए स्वीकृत धनराशि

5053. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा असम में पर्यटन के विकास के लिए किन-किन योजनाओं को मंजूरी दी गई; और

(ख) अब तक योजना-वार कुल कितनी राशि की मंजूरी की गई तथा कितनी व्यय की गई ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने असम में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत कीं :

1. मानस में वन गृह

2. मानस और काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए मिनी बसें और हाथी

3. गुवहाटी में युवा यात्रा महोत्सव

(ख) स्वीकृत की गई और रिलीज की गई धन-राशि के स्कीमवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. मानस में वन गृह	26.55	20.00
2. मानस और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए मिनी बसें और हाथी	6.09	6.38
3. गुवाहाटी में युवा यात्रा महोत्सव	0.86	0.86
4. ब्रह्मपुत्र नदी के लिए नौकाएं	छठी योजना की पहले से चली आ रही स्कीम	5.00

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास के लिये धनराशि का आबंटन

5054. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम में विभिन्न आवास योजनाओं के लिए वर्षवार सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस आवंटित धनराशि से निर्माण किये जाने वाले मकानों की संख्या के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है और सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है।

सातवीं योजना नियतन और सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिये असम में आवास के लिये किये गये नियतन इस प्रकार हैं :—

सातवीं योजना	1985-86	1986-87	1987-88 (रुपये लाखों में)
5000	832	1032	1032

(ख) और (ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजनाओं नामतः ग्रामीण आवास स्थल एवं निर्माण सहायता योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इन योजनाओं के लिए लक्ष्य वर्ष-वार आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और सातवीं योजना के गत तीन वर्षों के लिए विवरण इस प्रकार हैं :—

वर्ष	आबंटित आवास-स्थल (परिवार)	मुहैया की गई निर्माण सहायता (परिवार)
	लक्ष्य	लक्ष्य
1985-86	10,000	10,000
1986-87	10,000	10,000
1987-88	10,000	10,000

महाराष्ट्र को नारियल के तेल का आबंटन

5055. **श्री अनूपचन्द शाह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान महाराष्ट्र को कितनी मात्रा में नारियल के तेल का आवंटन किया गया और राज्य सरकार द्वारा कितना उठाया गया;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा मुक्त बिक्री के लिए समितियों को नारियल तेल का वितरण करने में अनियमितताएं बरतने की जानकारी केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध कोई जांच की गई, है यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 1982 तथा 1983 के दौरान महाराष्ट्र का नारियल के तेल की कोई मात्रा आबंटित नहीं की गई थी। 1984 में उन्हें 3850 मी० टन० मात्रा आवंटित की गई थी जिसमें से उन्होंने 3261 मी० टन० मात्रा उठाई थी।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा 1984 में आयात किए गए और महाराष्ट्र राज्य को आबंटित किए गए नारियल के तेल का कुछ सहकारी समितियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तेल के मूल्य और उपभोक्ताओं को इसका वितरण करने के बारे में उसी प्रकार मार्गनिर्देश जारी किए गए थे जैसे कि आयातित खाद्य तेलों के अन्य छोटे पैकों के मामले में किए जाते हैं। राज्य सरकार ने आबंटिती समितियों को निर्देश जारी किए थे कि वे उपभोक्ताओं को माल निर्धारित दरों पर बेचें और यह पाया गया कि इन अनुदेशों का कुछ समितियों द्वारा उल्लंघन किया गया है। राज्य सरकार ने दोषी समितियों

के खिलाफ पुलिस और सहकारी समितियों के पंजीयक के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र में पाम आयल के लिए पैकिंग एजेंसियां

5056. श्री अनूप चन्द शाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए छोटे पैकेटों में पाम आयल की पैकिंग करने हेतु कितनी एजेन्सियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन एजेंसियों में पैकिंग की समस्या के कारण कई बार कम सप्लाई होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम के खाद्य तेल का भंडारण करने वाला तेलों को पैकिंग का कार्य नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए छोटे पैकों में ताड़ का तेल पैक करने के लिए बम्बई में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन से अलावा राज्य व्यापार निगम द्वारा 20 डिब्बे में माल भरने वाले (टिनर) लगाए गए हैं।

(ख) कभी-कभी विभिन्न बातों के कारण अस्थायी कमी हो जाती है, जिसके लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राज्य व्यापार निगम के नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, खाद्य तेलों से संबंधित एक कार्य में लगे एककों को आमतौर पर खाद्य तेलों से संबंधित दूसरे कार्य में लगाने पर विचार नहीं किया जाता है।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुख्यालय को बम्बई से विशाखापत्तनम ले जाना

5057. श्री अनूपचंद शाह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुख्यालय को बम्बई से हटाकर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में ले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार अथवा कोई अन्य स्थानीय निकाय बम्बई में भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण के लिए भवन निर्माण का विरोध कर रहा है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को किसी मदद का प्रस्ताव किया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सामून गोदी-बम्बई में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए अनुमति मांगने का भारत सरकार का आवेदन-पत्र राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ा है।

(घ) जी नहीं।

मध्य प्रदेश को "हुडको" द्वारा ऋण दिया जाना

5058. श्री महेन्द्र सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आवास तथा अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए गृह निर्माण विकास एजेंसियों को धन देने हेतु हुडको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) "हुडको" द्वारा इन एजेंसियों को उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितना ऋण मंजूर किया गया; और

(ग) क्या "हुडको" का मध्य प्रदेश को सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए आवंटन में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो राज्य को वर्षवार कितनी अधिक राशि आवंटित की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश हुडको द्वारा स्वीकृत की गई ऋण की धन राशि तथा उसका वर्ष-वार नियतन इस प्रकार है :—

वर्ष	नियतन (उद्दिष्ट)	स्वीकृत ऋण की राशि
	(करोड़ रुपयों में)	
1985-86	24.68	24.94
1986-87	24.32	22.49
1987-88	25.02	24.29

(ग) शेष सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्य प्रदेश के लिए नियतन इस प्रकार है :—

वर्ष	नियतन	अनुवर्ती वर्ष में वृद्धि
1988-89	27.49 करोड़ रुपये	+ 2.20 करोड़ रुपये
1989-90	29.95 करोड़ रुपये	+ 2.46 करोड़ रुपये

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत वार्षिक ऋण का नियत हुडको सूचित करता है। यदि कुछ राज्यों ने निर्धारित की गई निधियों का उपयोग नहीं किया है, तो उन्हें दूसरे राज्यों को दे दिया जाता है।]

भैंसों की खरीद के लिए ऋण की मंजूरी

[हिन्दी]

5059. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केवल भैंस खरीदने के लिए ऋण मंजूर किए जाते हैं तथा "जरसी" नस्ल की गायों के अतिरिक्त "गीर" तथा देशी नस्ल की गायों के लिए ऋण मंजूर करने पर रोक लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस रोक को हटाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए परिवारों को आय सृजित करने वाली परि-संपत्तियां उपलब्ध कराने के लिए ऋण मंजूर किए जाते हैं। कार्य-कलाप प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में हो सकते हैं, जिनमें भैंसें, गाय आदि शामिल हैं।

सूखे की स्थिति को संदर्भ में राजस्थान सरकार ने अगस्त, 1985 में अनुरोध किया गया था कि पश्चिमी राजस्थान के लगातार सूखे से प्रभावित जिलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशु-पालन योजनाओं को बंद कर दिया जाए। तथापि, राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् इस प्रतिबंध में सितम्बर, 1986 में ढील दे दी गई थी और राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि सूखे से प्रभावित उन क्षेत्रों में जहां किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 25 प्रतिशत लाभार्थियों को पेयजल और चारा उपलब्ध है वहां चारे की सप्लाई और दुग्ध एकत्रीकरण की नियमित व्यवस्था करने के पश्चात् पशु-पालन कार्य-कलापों को पुनः आरम्भ कर दिया जाए।

कर्नाटक में सूखा प्रवण जिले

[अनुवाद]

5060. डा० वी० वेंकटेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में किन-किन जिलों को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों को कोई विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कर्नाटक में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए जिले हैं—बीजापुर, तुमकुर, धारवाड़, बेलगाम, कोलार, बिदार, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, बेल्लारी तथा रायचूर।

(ख) और (ग) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर के अंशदान के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास कार्यों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए खंडों के लिए प्रतिखंड 15 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता दी गई है। ये विकास गतिविधियां भूमि तथा नमी संरक्षण भूमि विकास, जल संसाधन संरक्षण तथा एकत्रीकरण, वन रोपण, [घास वाली भूमि तथा चरागाह विकास आदि से संबंधित हैं जिन्हें वाटर-शेड आधार पर शुरू किया जाना होता है। यह सहायता इन दोनों में केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त स्वरूप की है।

खाद्य तेल संसाधन की आधुनिक तकनीक

5061. डा० बी० वेंकटेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य तेल संसाधन के लिए आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) विलायक निष्कर्षित तेलों तथा आयलमील की गुणता में सुधार लाने तथा उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपकरणों पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

उड़ीसा में बोलंगीर, फूलबनी और कालाहांडी में वनस्पति परियोजनाएं स्थापित करना

5062. श्री सोमनाथ रथ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा औद्योगिक संवर्द्धन तथा पूंजी-निवेश निगम लिमिटेड ने उड़ीसा के पिछड़े जिलों, बोलंगीर, फूलबनी और कालाहांडी में 100 टी० पी० डी० क्षमता की वनस्पति परियोजनायें स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) उड़ीसा के बोलंगीर, फूलबनी तथा कालाहांडी जिलों में 100 टी० पी० डी० क्षमता के वनस्पति एककों की स्थापना के लिए दो इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि० से वनस्पति संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन आवेदन पत्रों की जांच की गई थी तथा उन्हें प्रथम दृष्टि में नामंजूर कर दिया गया था।

उड़ीसा फिश सीड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा हैचरियों का निर्माण

5063. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यिकी

परियोजना के अन्तर्गत कितने हैचरियों का निर्माण किया गया और कितने का करने का विचार है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में हैचरियों में उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य कितना था और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ तथा वर्ष 1988-89 के लिए कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के तहत उड़ीसा में चार हैचरियां बनाई गई हैं और एक और निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) उड़ीसा में अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से सहायता प्राप्त हैचरियों के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन नीचे सारणी में दिए गए हैं :

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (मिलियन फ्राई)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन फ्राई)
1985-86	शून्य	7.14
1986-87	40.00	18.65
1987-88	120.00	41.10
1988-89	160.00	(फरवरी, 88 तक)

उड़ीसा के गंजम जिले में चीनी एककों की स्थापना

5064. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी कारखानों की स्थापना के लिए राज्यवार कितने आशय पत्र और लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) क्या उड़ीसा के गंजम जिले, जहां आधारभूत सुविधायें मौजूद हैं, में नया चीनी कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उद्योग को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा करने के बाद अब तक प्रत्येक 2500 टी० सी० डी० की नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के 19 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके बारे में ब्योरा नीचे दिया जाता है :

क्र० सं०	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	2
2.	पंजाब	4

1	2	3
3.	तमिलनाडु	9*
4.	महाराष्ट्र	2
5.	हरियाणा	2*

*तमिलनाडु के एक मामले में और हरियाणा के दो मामलों में अभी आशय पत्र जारी किये जाने हैं।

(ख) उड़ीसा के गंजम जिले में नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान करने के लिए अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम

5065. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पर्यटन संगठन ने पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा शुरू करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का पर्यटन उद्योग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) विश्व पर्यटन संगठन अपनी स्कीम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग पर्यटन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विश्व पर्यटन संगठन इस वर्ष बाद में एक "इन्टर-डिसिप्लिनरि साइकल" का आयोजन करेगा।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने पर्यटन में प्रशिक्षण और शैक्षिक पाठ्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए पहले ही भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान की स्थापना की हुई है। यह संस्थान अपने प्रथम चरण में है और कार्यशालाओं, सेमिनारों और कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

5066. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को राज्य में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(ख) प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1987-88 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को 15.00 लाख रुपये की राशि रिलीज की।

(ख) खोपोली में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के निर्माण के लिए धनराशि रिलीज की गई थी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों का स्थानान्तरण

5067. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री टी० बशीर :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल, विद्युत तथा उद्यान विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों तथा कार्यपालक इंजीनियरों (अथवा उक्त श्रेणी के व्यक्तियों) को एक स्थान पर कितनी अवधि तक रखा जा सकता है;

(ख) उक्त श्रेणी के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली में उद्यान विभाग में पांच वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं;

(ग) उन्हें इतनी लम्बी अवधि तक एक ही स्थान पर रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन अधिकारियों को कब स्थानान्तरित किया जाएगा ताकि उन्हें बारी-बारी से विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा सके तथा अन्य अधिकारियों को भी अपनी तरक्की के लिए अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल सके?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विभिन्न श्रेणियों में एक स्थान पर कार्य-काल निम्न रूप से निर्धारित किया गया है :—

(1) कनिष्ठ इंजीनियर—4 से 8 वर्ष

(2) सहायक इंजीनियर/कार्यकारी इंजीनियर—3 से 4 वर्ष

(3) अनुभागीय अधिकारी, सहायक निदेशक (उद्यान) तथा उप निदेशक (उद्यान)—3 से 4 वर्ष

(ख) उद्यान के 57 अनुभागीय अधिकारी, 15 सहायक निदेशक तथा 6 उप निदेशक 5 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में हैं।

(ग) दिल्ली के बाहर उपलब्ध पदों की संख्या वास्तव में दिल्ली से कम है। इसलिए, उद्यान संबंधी कार्य के कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के अवसर कम हैं जिसका परिणाम दिल्ली में कर्मचारियों का अधिक समय तक रहना है।

(घ) अधिकारियों को उनके दिल्ली में ठहरने की अवधि तथा कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।

गन्ने के मूल्य की बकाया राशि पर ब्याज

[हिन्दी]

5068. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को देय गन्ने के मूल्य की काफी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चीनी मिलें किसानों की देय बकाया धनराशि पर ब्याज अथवा मुआवजा नहीं देती हैं; और

(ग) क्या सरकार का किसानों को शोषण से बचाने हेतु यह सुनिश्चित करने का विचार है कि किसानों को या तो उनकी बकाया धनराशि पर ब्याज मिले या उन्हें किसी अन्य रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) 29 फरवरी, 1988 को स्थिति के अनुसार 1987-88 मौसम के लिए लगभग 1347 करोड़ रुपये के गन्ने के मूल्य में से चीनी मिलों ने 1158 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था, जिससे लगभग 189 करोड़ रुपये का भुगतान करना शेष रह गया था। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुसार, गन्ने के मूल्य का भुगतान गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिनों के अन्दर करना होता है। 14 दिनों के बाद गन्ने के मूल्य का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में चीनी फैक्ट्रियों को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज का भुगतान करना होता है।

(ग) गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन होते हैं। गन्ने के मूल्य का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में ब्याज के भुगतान के उपबंधों को लागू करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की होती है। केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में संबधित राज्य सरकारों को उच्चतम स्तर पर लिखा है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में ब्याज का भुगतान करने विषयक वर्तमान उपबंधों की दृष्टि में किसी अन्य उपबंध को शामिल करना आवश्यक दिखाई नहीं देता है।

तथापि, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पिराई की व्यस्ततम अवधि के दौरान बकायों की राशि अधिक हो जाती है और जैसे-जैसे मौसम समाप्त होने को आता है, इस राशि का भुगतान हो जाता है।

रोजगार को बढ़ावा देने हेतु एशियाई क्षेत्रीय दल की अध्ययन रिपोर्ट

5069. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रोजगार को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय दल की अध्ययन रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सन 2000 ई० तक बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़कर 3130 लाख हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्रति वर्ष प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। तथापि, अध्ययन के अनुसार 3130 लाख के आंकड़े अनुमानित कुल युवा जनसंख्या के हैं न कि शिक्षित बेरोजगार युवकों के।

(ख) से (घ) रोजगार सृजन संबंधी नीतियां और कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के खण्ड-I के अध्याय 3 और खण्ड-II के अध्याय 5 में दी गई हैं। योजना दस्तावेज के खण्ड-II के पैरा 5.19 और 5.20 में शिक्षित जन-शक्ति की अधिक मांग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सूचना दी गई है। विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवकों विशेषतः शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए है। सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में इस योजना की प्रगति इस प्रकार है :—

वर्ष	बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की संख्या
1985-86	2.21 लाख
1986-87	2.17 लाख

पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि

[अनुवाद]

5070. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत की यात्रा करने वाले इन पर्यटकों से सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए अब तक वर्षवार आय में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय इस प्रकार है :

वर्ष	करोड़ रुपए
1985-86	1460
1986-87	1780
1987-88	1890 (अ)

(अ) अनुमानित

विवरण

राष्ट्रिकता के देश के अनुसार भारत में पर्यटक आगमन

राष्ट्रिकता का देश	पर्यटक आगमन			प्रतिशत अन्तर	
	1985	1986	1987	1986/85	1987/86
1	2	3	4	5	6
उत्तर अमरीका					
कनाडा	29,022	39,837	37,677	37.3	—5.4
संयुक्त राज्य अमरीका	95,920	1,25,364	1,34,876	30.7	7.6
अन्य	—	22	97	—	340.9
जोड़	1,24,942	1,65,223	1,72,650	32.2	4.5
मध्य और दक्षिण अमरीका					
ब्राजील	1,469	1,211	1,467	—17.6	21.1
मैक्सिको	1,637	1,327	1,439	—18.9	8.4
अन्य	4,910	4,355	4,905	—11.3	12.6
जोड़	8,016	6,893	7,811	—14.0	13.3
पश्चिमी यूरोप					
आस्ट्रिया	6,878	8,956	8,027	30.2	—10.4
बेल्जियम	5,812	10,135	9,123	74.4	—10.0
डेनमार्क	5,480	5,940	7,427	8.4	25.0
फिनलैंड	2,277	2,092	2,465	—8.1	26.4
फ्रांस	44,091	65,948	64,432	49.6	—2.3
संघीय जर्मन गणराज्य	44,790	61,397	70,697	37.1	15.1
यूनान	2,057	1,637	2,064	—20.4	26.1
आयरलैंड	2,203	2,826	2,912	28.3	3.0
इटली	23,187	38,548	41,151	66.3	6.8
नीदरलैंड्स	13,158	15,297	18,819	16.3	23.0
नार्वे	2,663	3,916	3,774	47.1	—3.6

1	2	3	4	5	6
पुर्तगाल	2,374	2,392	2,685	0.8	12.2
स्पेन	7,578	14,266	16,481	88.3	15.5
स्वीडन	8,037	9,705	11,158	20.8	15.0
स्विट्जरलैंड	14,855	25,850	27,791	74.0	7.5
ब्रिटेन	1,19,544	1,60,685	1,66,590	34.4	3.7
अन्य	424	496	768	17.0	54.8
जोड़	3,05,408	4,30,086	4,56,544	40.8	6.2
पूर्वी यूरोप					
चेकोस्लोवाकिया	914	4,715	3,993	415.9	—15.3
जर्मन जनवादी गणराज्य	948	3,414	1,603	260.1	—53.0
हंगरी	1,405	1,430	2,013	1.8	40.8
पोलैंड	8,915	7,180	8,248	—19.5	14.9
सोवियत संघ	14,202	17,069	27,968	20.2	63.9
युगोस्लाविया	1,628	1,387	2,324	—14.8	67.6
अन्य	762	644	1,005	—15.5	56.1
जोड़	28,774	35,839	47,154	24.6	31.6
अफ्रीका					
ब्रिटिश इन्डियन ओसन टेरिटरी	—	747	1,396	—	86.9
मिश्र	1,784	2,996	2,090	67.9	—30.2
इथोपिया	4,854	3,076	3,128	65.9	1.7
कीनिया	6,084	8,057	9,078	32.4	12.7
मारिशस	3,026	4,992	3,455	65.00	—30.8
नाइजीरिया	10,872	10,472	5,985	—3.7	—42.8
सोमालिया	1,991	1,718	2,035	—13.7	18.5
दक्षिण अफ्रीका	3,093	4,375	9,335	41.4	113.4
सूडान	2,225	2,530	2,906	13.7	14.9

1	2	3	4	5	6
तंजानिया	4,133	4,645	5,582	12.4	20.2
जाम्बिया	1,765	2,542	1,921	44.0	—24.4
अन्य	3,452	4,457	4,987	29.1	11.9
जोड़	40,279	50,607	51,898	25.6	2.6
बहरीन	10,481	13,948	14,911	33.1	6 9
इराक	1,220	1,611	2,484	32.1	54.2
इजराइल	1,448	1,707	2,473	17.9	44.9
जोर्डन	2,410	2,702	2,835	12.1	4.9
कुवैत	4,959	5,731	8,082	15.6	41 0
ओमान	14,081	18,246	17,586	29.6	—3.6
कतार	4,120	4,171	5,243	1.2	25.7
सऊदी अरब	20,728	27,282	24,475	31.6	—10.3
सीरिया	1,578	1,174	1,197	—25.6	2.0
तुर्की	606	1,753	2,535	189.3	44.6
संयुक्त अरब अमीरात	20,784	28,084	31,180	35.1	11.0
यमन	7,464	8,509	8,072	14.0	—5.1
अन्य	941	778	879	—17.3	13 0
जोड़	90,820	1,15,696	1,21,952	27.4	5.4
दक्षिण एशिया					
अफगानिस्तान	6,771	7,765	11,841	15.7	52.5
ईरान	23,305	20,697	23,571	—11.2	13.9
मालदीव	उपलब्ध नहीं	2,564	3,541	—	38.1
नेपाल	15,883	13,957	16,965	—12.1	21.5
श्रीलंका	69,063	75,631	74,351	9.5	—1.7
अन्य	1,927	245	279	—87.3	13.9
जोड़	1,16,889	1,20,859	1,30,548	3.4	8.0
दक्षिण-पूर्व एशिया					
इण्डोनेशिया	2,011	4,438	2,942	120.7	—33.7

1	2	3	4	5	6
मलेशिया	23,265	26,209	28,480	12.6	8.7
फिलीपीन्स	3,027	2,283	2,907	— 24.6	27.3
सिंगापुर	18,485	24,189	26,380	30.8	9.1
थाईलैंड	6,051	9,588	9,586	58.4	0.0
अन्य	1,824	1,109	1,692	—39.2	52.6
जोड़	54,663	67,816	71,987	24.1	6.1
पूर्व एशिया					
चीन (मुख्य)	2,247	1,533	1,705	— 31.8	11.2
चीन (ताइवान)	672	1,103	2,208	64.1	100.2
हांगकांग	1,327	4,071	6,592	206.8	61.9
जापान	30,573	36,402	46,240	19.1	27.0
कोरिया	3,939	2,992	4,117	24.0	37.6
अन्य	341	71	197	—79.2	177.5
जोड़	39,099	46,172	61,059	18.1	32.2
आस्ट्रेलिया					
आस्ट्रेलिया	22,047	33,264	32,883	50.9	—1.1
न्यूजीलैंड	4,267	5,668	7,265	32.8	28.2
अन्य	1,008	1,324	1,526	31.3	15.3
जोड़	27,322	40,256	41,674	47.3	3.5
राष्ट्रिकताहीन	696	603	497	—13.4	—17.6
जोड़	8,36,908	10,80,050	11,63,774	29.1	7.8
पाकिस्तान	1,50,126	1,66,766	1,35,220	11.1	—18.9
बंगलादेश	2,72,350	2,04,260	1,85,296	—25.0	—9.3
कुल जोड़	12,59,384	14,51,076	14,84,290	15.2	2.3

अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

5071. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शहरी विकास मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के बारे में 21 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों में से 31 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशत कितना है; और

(ख) क्या इस संबंध में सातवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बिना क्षेत्रीय असंतुलन के समान रूप से कोई संबद्ध प्रयास करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संस्थाओं को पेयजल की सप्लाई

5072. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को सातवीं योजना में ऐसे कोई निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पेयजल की समस्या वाले गांवों के लिये पेयजल सप्लाई करने संबंधी योजनायें तैयार करते समय तथा क्रियान्वित करते समय सार्वजनिक संस्थाओं जैसे स्कूलों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों/औषधालयों, पंचायतघरों, पशु चिकित्सालयों आदि की जरूरतों को ध्यान में रखें ताकि इन संस्थाओं में अथवा इनके समीप नल लगाये जाने को यथोचित प्राथमिकता दी जाये;

(ख) यदि हां, तो ये मार्गनिर्देश किस प्रकार के हैं और उनसे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार के मार्ग-निर्देश जारी किए जायेंगे कि प्रारम्भिक चरण में इन संस्थाओं को पर्याप्त रूप से पेयजल सप्लाई किया जायेगा?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिकाओं में सभी समस्या वाले गांवों में 250 से 300 तक की जनसंख्या के लिए एक हेन्डपम्प या एक स्टेन्ड पोस्ट (पाईप द्वारा जल सप्लाई योजनाओं के अन्तर्गत) के आधार पर शुद्ध पेय जल की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। यह माना जाता है कि पेय जल सुविधाएं संबंधित संस्थाओं/संगठनों द्वारा समग्र परियोजना लागत के भाग के रूप में उनके निर्माण के समय ही उपलब्ध कराई जायेंगी। यदि ऐसी सुविधायें संस्था के परिसर में मौजूद नहीं हैं, तो राज्य उपरोक्त मानदण्डों के मुताबिक संस्थाओं के निकट पेय जल सुविधायें उपलब्ध करा सकते हैं।

केन्द्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा "खेजरी" पेड़ों के संबंध में अनुसंधान

[हिन्दी]

5073. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में "खेजरी" पेड़ों का किसानों की सम्पन्नता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर उपर्युक्त पेड़ को कम से कम समय में पूर्ण विकसित करने तथा इसे उपयोगी बनाने के लिए लंबे समय से अनुसंधान कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसंधान पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पेड़ को अधिक उपयोगी बनाने में इस संस्थान को अब तक कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में खेजरी पेड़ से सम्बन्धित एक प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है। इसमें व्यवस्था, पेड़ का प्रबन्ध, जनित्रद्रव्य का मूल्यांकन तथा आनुवंशिक सुधार जैसे सभी पहलू शामिल हैं। हाल ही में आनुवंशिक सुधार कार्य से कुछ उन्नत सर्वोत्कृष्ट पेड़ों का पता लगाया गया है। इन पेड़ों के बीज अधिकतम बीज सामग्री प्राप्त करने हेतु सीड फलोद्यान में उगाए जा रहे हैं। सर्वोत्कृष्ट पेड़ों से पौद के तेजी से संवर्धन के लिए टिशू कल्चर कार्य भी प्रगति पर है।

खेजरी से चारे के लिए बेहतर छंटाई प्रणाली को मानकीकृत किया है। पेड़ के आगे बढ़वार के लिए कुछ तनों को छोड़कर पेड़ों की सालाना छंटाई करने की सिफारिश की गई है। यह मरुक्षेत्र में में अत्यधिक उपयोगी पेड़ है क्योंकि इसे जाड़े के मौसम में मवेशियों के लिए चारा सुलभ होता है, जब वहां पर कोई घास नहीं होती। खेजरी के विभिन्न उत्पादन तथा इसको उपयोग करने के पहलुओं पर संस्थान ने एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है। संस्थान किसानों के लिए पौद भी सप्लाई करता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को जापान से सहायता

[अनुवाद]

5074. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को उसके उप-उत्पाद कार्यक्रम के लिए जापान द्वारा व्यापक सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता से किन-किन उप-उत्पादों तथा परियोजनाओं को लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सरकार आवासों का पुनर्वर्गीकरण

5075. डा० बी० एल० शैलेश : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी और उससे बाहर दोनों स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के ढांचे में हुये संशोधन के परिणामस्वरूप सरकारी आवासों का पुनर्वर्गीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न प्रकार के आवासों के लिए वर्तमान लाइसेंस शुल्क की दरों में समानुपातिक वृद्धि की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी आवासों के लिए वर्तमान आबंटन नियमों में संशोधन कब तक किया जायेगा।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) वेतनमानों में संशोधन तथा विभिन्न टाइपों के सरकारी आवासों का पुनः वर्गीकरण अथवा पुनः श्रेणीबद्ध करना परस्पर संबंधित मामले नहीं हैं।

(ग) और (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने सारे देश के लिए एक समान रूप से सामान्य पूल के मकानों के संबंध में लाइसेंस शुल्क की समान दर निश्चित करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए संबंधित नियम संशोधित किये जा चुके हैं।

चीनी की इकाइयों की स्थापना और विस्तार

5076. श्री बी० तुलसीराम :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री पी० एम० सईद :
श्री हरिहर सोरन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की फैक्टरियां स्थापित करने के लिए जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) जिन फैक्टरियों के विस्तार का विचार है, उनकी संख्या और उनके लिए दी गई धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) आवश्यकता पूरी करने के लिए चीनी के उत्पादन को किस सीमा तक बढ़ाया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उद्योग को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नए नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा करने के बाद प्रत्येक 2500 टी० सी० डी० की नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने हेतु 19 मामलों में तथा वर्तमान यूनिटों में पर्याप्त विस्तार करने के 57 मामलों में, जिसमें 15.27 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन की वार्षिक क्षमता अन्तर्ग्रस्त है, अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें इन मामलों की राज्यवार और सैक्टरवार स्थिति दी गई है। खाद्य विभाग फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं करता है।

विवरण

मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये यूनिटों और विस्तार परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए आशय पत्र की राज्यवार और क्षेत्रवार स्थिति

क्रम सं०	राज्य	नये मामलों की सं०				क्षमता (लाख मीटरी टर)				विस्तार मामलों की सं०				क्षमता (लाख मीटरी टन)			
		स० स्टाक	स० क्षे०	सहकारी	जोड़	स० स्टाक	सं० क्षेत्र	सहकारी	जोड़	सं० स्टाक	सं० क्षे०	सहकारी	जोड़	सं० स्टाक	सं० क्षे०	सहकारी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	उत्तर प्रदेश	1	—	1	2	0.28	—	0.28	0.56	15	3	6	24	2.543	0.47	0.81	3.822
2.	पंजाब	—	—	4	4	—	—	0.88	0.88	2	—	2	4	0.26	—	0.22	0.48
3.	तमिलनाडु	5	—	4	9	1.85	—	1.48	3.33	4	2	5	11	0.67	0.44	0.78	1.89
4.	महाराष्ट्र	—	—	2	2	—	—	0.80	0.80	—	—	6	6	—	—	1.44	1.44
5.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	0.30	—	0.21	0.51
6.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	0.38	—	—	0.38
7.	गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	0.24	0.24
8.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	0.09	0.09
9.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	0.328	0.328
10.	हरियाणा	—	—	2	2	—	—	0.52	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—
		6	—	13	19	2.13	—	3.96	6.09	27	5	25	57	4.153	0.91	4.118	9.181

सं० =स्टाक संयुक्त स्टाक (निजी)

सं० क्षे०=सरकारी क्षेत्र

नये मामले=6.09 लाख मीटरी टन

विस्तार=9.18 लाख मीटरी टन

जोड़ : 15.27 लाख मीटरी टन

पारम्परिक मछुआ समुदायों को संस्थाओं में शामिल करना

5077. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मात्स्यकी संस्थान, समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण, जैसी संस्थाओं में पारम्परिक मछुआ समुदायों के छात्रों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) क्या पारम्परिक मछुआ समुदायों के छात्रों को शिक्षण-शुल्क में रियायत दी जायेगी; और

(ग) क्या पारम्परिक मछुआ समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केन्द्रीय मात्स्यकी नाविक तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में पारम्परिक मछुआ समुदाय के छात्रों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं है। तथापि समान अर्हताएं होने पर मछुआ समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने में वरीयता दी जाती है।

(ख) पारम्परिक मछुआ समुदाय के छात्रों सहित, किसी छात्र को शिक्षण-शुल्क में रियायत नहीं दी जाती है, क्योंकि शुल्क नाममात्र को ली जाती है।

(ग) पारम्परिक मछुआ छात्रों सहित केन्द्रीय मात्स्यकी नाविक तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में सभी प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

भारत के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन में गिरावट

5078. डा० फूलरेणु गुहा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी बंगाल में पर्यटन में अत्यधिक गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उड़ीसा, मेघालय और मिजोरम सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1987 के दौरान इन राज्यों में पर्यटक यातायात में कोई गिरावट नहीं आयी है। पश्चिम बंगाल सहित अन्य पूर्वी राज्यों के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अधिकांश राज्यों ने हाल ही में पर्यटन आंकड़े एकत्र करना प्रारम्भ किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गायों की सुधरी हुई नस्लें

5079. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सुधरी हुई नस्ल की कितनी गायें हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुधरी हुई नस्ल की गायों का अनुपात क्या है; और

(ग) क्या इन गायों को किसी संगठन को दे दिया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	शंकर-प्रजनित मादा पशुओं की कुल सं० (हजार)	निम्नलिखित क्षेत्रों में कुल मादा पशुओं (शंकर-प्रजनित और देशी) संकर प्रजनित मादा पशुओं का अनुपात	
			ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	117	0.017	0.085
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
3.	असम	98	0.021	0.160
4.	बिहार	82	0.010**	—
5.	गावा (दमन व द्विव सहित)	2	0.036	—@
6.	गुजरात	28	0.008	0.027
7.	हरियाणा	138	0.103	0.292
8.	हिमाचल प्रदेश	75	0.071	0.250
9.	जम्मू व कश्मीर	99	0.044	0.277
10.	कर्नाटक	410	0.049	0.856
11.	केरल	1236	0.504	0.552
12.	मध्य प्रदेश	45	0.002,	0.047
13.	महाराष्ट्र	346	0.043	0.123
14.	मणिपुर	27	0.091	0.119
15.	मेघालय	14	0.044**	—
16.	मिजोरम	2	0.069**	—
17.	नागालैंड	19	0.184	0.500
18.	उड़ीसा	158	0.019	0.154

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	*	*	*
20.	राजस्थान	28	0.002	0.036
21.	सिक्किम	21	0.221**	—
22.	तमिलनाडु	541	0.092	0.189
23.	त्रिपुरा	25	0.070**	—
24.	उत्तर प्रदेश	875	0.086	0.162
25.	पश्चिमी बंगाल	403	0.043	0.187
26.	संघ राज्य क्षेत्र	29	0.171	0.346

स्रोत : भारतीय पशुधन संगणना—1982, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

टिप्पणी : 1. *अरुणाचल प्रदेश तथा पंजाब में प्रशासनिक तथा वित्तीय अड़चनों के कारण 1982 की पशु संगणना नहीं की जा सकी।

2. ** अनुपात ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सम्बन्ध में है।

3. @ आंकड़े नगण्य हैं।

झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में सीवर लाइन की व्यवस्था

[हिन्दी]

5080. श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली की उन झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने के लिए कोई व्यवस्था करने का विचार है, जिनमें यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है; यदि हां, तो इन बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा;

(ख) क्या दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में बारात घरों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को कब तक दूर किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास कालोनियों के निवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधायें मुहैया करने हेतु भारत सरकार की योजना के एक भाग के रूप में पुनर्वास कालोनियों में सीवर लाइन की व्यवस्था करने का कार्य आरम्भ किया गया है। कुछ कालोनियों में सीवर लाइन मुहैया करने का कार्य पूर्ण हो गया है तथा कुछ अन्य कालोनियों में यह कार्य प्रगति पर है। शेष कालोनियों में सीवर लाइनें बिछाने का कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इसे चरणों में आगामी वर्षों में आरंभ किए जाने का विचार है।

(ख) झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों के लिए अनुमोदित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पुनर्वास

कालोनी में एक बरात घर/सामुदायिक हाल मुहैया किया जाना है जोकि केवल जहांगीर पुरी को छोड़कर अधिकांश कालोनियों में मुहैया कर दिए गए हैं।

(ग) बजट में प्रावधान करने के पश्चात् जैसे ही निधियों का नियतन कर दिया जाएगा वैसे ही, जहां कहीं उपलब्ध नहीं है, बरात घरों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

उड़ीसा में पर्यटक स्थलों का विकास

[अनुवाद]

5081. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या और अधिक पर्यटक स्थलों का विकास करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) उड़ीसा में ऐसे पर्यटक स्थलों का विकास करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटक स्थलों के निकट जनता होटलों का निर्माण करके देश में तथा विशेषकर उड़ीसा में इस उद्योग का विकास करने के लिए दी जा रही सुविधाओं का ब्योरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का निर्माण करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय को 1988-89 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु उड़ीसा सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. नंदनकानन में पर्यटक कुटीरें तथा शिकारे
2. पुरी-कोणार्क मैरिन ड्राइव पर रामचंडी में समुद्रतट विहार-स्थल
3. चंद्रभागा, कोणार्क में समुद्रतट सुख-सुविधाएं
4. चंद्रबाली में पर्यटक गृह
5. लुलुंग में मचान रेस्तरां तथा पर्यटक कुटीरें
6. रत्नगिरि और उदयगिरि में पर्यटक सुख-सुविधाएं
7. जेपोर और कोलनगीर में यात्री निवास
8. भुवनेश्वर में ओपन एयर आडिटोरियम
9. लग्जरी कोचिज
10. ललितगिरि, रत्नगिरि और उदयगिरि के बौद्ध परिसरों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख सुविधाएं।
11. भिरिसोल्ला, बोनगिरियोकी तथा सोहेला में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।

मंत्रालय, प्रस्तावों के गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए इन प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार करेगा।

(ग) मंत्रालय, यात्री निवासों एवं यात्रिका जैसे बजट-आवास की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उड़ीसा में मंत्रालय ने कोणार्क एवं सतपदा में यात्री निवासों तथा पुरी में एक यात्रिका की मंजूरी दी है।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

5082. श्री राम भगत पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1987 से जनवरी, 1988 के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लि०, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० द्वारा संयंत्र-वार एल्यूमिनियम का कुल कितना उत्पादन किया गया?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : अप्रैल, 1987 से जनवरी, 1988 तक एल्यूमिनियम का संयंत्र-वार उत्पादन इस प्रकार है :—

(आंकड़े टनों में)

कंपनी	अप्रैल, 87 से जनवरी, 88 में उत्पादन
हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि०	1,01,435
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०	79,975
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (निर्माणाधीन)	16,128

एल्यूमिनियम का वितरण

5083. श्री राम भगत पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एल्यूमिनियम का वितरण पूरी तरह अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण पर नियंत्रण है, जिसकी विद्युत सेक्टर की पारेषण/वितरण लाइनों के केबल, कन्डक्टर आदि के निर्माण में भी आवश्यकता होती है, और अर्थव्यवस्था के कोर-सेक्टर के लिए इसका महत्व है। किंतु वाणिज्य ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है, जिसका रोल्ड चद्दरों, बर्तनों, पन्नियों व ढांचों आदि के निर्माण आदि में उपयोग होता है। मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को आयातों द्वारा पूरा करके प्राइमरी एल्यूमिनियम धातु की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है

बिहार में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

[हिन्दी]

5084. श्री राम भगत पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) प्रत्येक मकान के निर्माण पर औसतन कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) चालू वर्ष और वर्ष 1988-89 के दौरान कितने मकानों का निर्माण करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बिहार में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अब तक 33993 मकानों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक मकान के निर्माण पर औसतन प्रति यूनिट 10350 रुपए की धनराशि खर्च हुई है, जिसमें आधारभूत ढांचे के विकास की लागत शामिल है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान बिहार में 22870 मकानों का निर्माण करने का विचार है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1988-89 के लिए कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण

[अनुवाद]

5085. श्री आशकरण संखवार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का उत्तर प्रदेश में और अधिक गोदामों का निर्माण करने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कितने गोदामों के निर्माण का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) 1-3-1988 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माणाधीन भंडारण क्षमता और निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित क्षमता निम्नानुसार थी :—

	क्र०सं०	जिला	केन्द्र	क्षमता (मीटरी टन में)
	1	2	3	4
(क) निर्माणाधीन क्षमता	1.	मथुरा	कोसीकलां	34,830
			मथुरा	2,240
	2.	मेरठ	परतापुर	19,580

	1 2	3	4
	3. वाराणसी	वाराणसी	1,820
	4. बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	21,680
	5. मुरादाबाद	मुरादाबाद	5,000
	6. गोंडा	गोंडा	30,000
	7. बरेली	बरेली	10,000
	8. शाहजहांपुर	रोजा	30,000
	9. बाराबंकी	बाराबंकी	15,000
(ख) निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित क्षमता	1. नैनीताल	बाजपुर	10,000
	2. पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	5,000

लघु और मध्यम दर्जे के शहरों के विकास और एकीकृत विकास योजना के लिए सहायता

5086. **श्री आशकरण संखवार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु और मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत शहरी विकास पर राज्य-वार कितनी राशि व्यय की है;

(ख) क्या इस मामले में कुछ राज्य काफी पीछे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) लघु तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के तहत 1985 से 1988 (14-3-1988 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया सामान्यतः संतोषजनक रही है। तथापि, कार्यान्वयन की गति में एक राज्य से दूसरे राज्य में और यहां तक कि उसी राज्य में एक नगर से दूसरे नगर में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, तकनीकी अपर्याप्तता, स्थानीय निकायों की निर्बल वित्तीय स्थिति तथा उनके सम्मुख अन्य बजट सम्बन्धी बाधाओं के कारण भिन्न-भिन्न हैं।

विवरण

लघु तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना में (14-3-1988 तक) रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	85-86	86-87	'87-88 (14-3-88 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	117.00	123.00	27.70

1	2	3	4	5
2	असम	20.00	—	10.00
3.	बिहार	95.65	108.00	102.25
4.	गुजरात	45.61	45.24	71.00
5.	हरियाणा	5.00	35.00	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1.70
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	28.00
8.	कर्नाटक	100.00	40.79	7.45
9.	केरल	82.00	48.50	66.43
10.	मध्य प्रदेश	240.79	132.14	10.00
11.	महाराष्ट्र	220.25	92.45	73.16
12.	मणिपुर	12.00	9.00	47.00
13.	मेघालय	17.50	10.00	—
14.	नागालैंड	15.00	9.80	—
15.	उड़ीसा	75.00	10.00	—
16.	पंजाब	41.70	54.63	80.28
17.	राजस्थान	122.35	64.56	40.00
18.	सिक्किम	—	13.64	10.00
19.	तमिलनाडु	156.72	152.14	208.01
20.	त्रिपुरा	15.00	10.00	20.00
21.	उत्तर प्रदेश	102.43	266.35	53.30
22.	पश्चिम बंगाल	115.90	174.26	134.50
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
2.	अंडमान तथा निकोबार	50.00	15.23	1.76
3.	दादर नगर हवेली	—	—	23.24
4.	गोवा, दमण तथा द्वीव	—	70.00	—
5.	मिजोरम	—	—	20.00
6.	पांडिचेरी	—	30.00	30.00
	योग	1650.00	1515.23	1066.136

भारतीत फलों की विदेशों में मांग

5087. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फलों की विदेशों में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में फलों के और अधिक पेड़ लगाने तथा स्वदेशी मांग को पूरा करने एवं इनका निर्यात बढ़ाने के लिए कौन से विशेष उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इसके लिये फल उत्पादकों को क्या विशेष सहायता दी जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कुछ भारतीय फलों जैसे आम, अनानास, अमरूद और अंगूर के निर्यात की मांग है।

(ख) और (ग) फलों के अंतर्गत क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म की रोपण-सामग्री के उत्पादन और वितरण, कृषि-तकनीकों पर प्रदर्शन भू-खंड तैयार करने, राज सहायता प्राप्त लागत पर आदानों की सप्लाई आदि जैसे विभिन्न उपाय किये गये हैं।

पशु-बीमा योजना प्रारम्भ करना

5088. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ऐसे गरीब लोगों के हितार्थ, जो अपनी आजीविका के लिए बहुत हद तक मवेशियों पर निर्भर हैं, समस्त देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : भारतीय साधारण बीमा निगम ने पशु बीमा योजना पहले ही शुरू कर दी है जो सम्पूर्ण देश में लागू है।

तांबे के मल्यों में वृद्धि का इंजीनियरी सामान पर प्रभाव

[हिन्दी]

5089. श्री शांति धारीवाल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तांबे के मूल्यों में की गई वृद्धि का देश में इंजीनियरी सामान बनाने वाले एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरी उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने तांबे के मूल्य कम करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) तांबे के बिक्री मूल्य हाल ही की वृद्धि से देश में इंजीनियरी समान वाली इकाइयों के उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं है। किन्तु भारत में तांबे के बिक्री मूल्यों में वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय तांबा मूल्यों में वृद्धि के कारण की गई है। इसलिये, गैर पिटवां तांबे पर आयात शुल्क 140 प्रतिशत से घटाकर दिसम्बर, 1987 में 92 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्नाटक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकरण की जांच

[अनुवाद]

5090. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री बंगलौर की फर्मों

को दिए गए परिवहन ठेकों में भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की जांच के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4812 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की करेंगे कृपा कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अखिल भारतीय राज्य भाण्डागार निगमों का सम्मेलन

5091. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद में हुए अखिल भारतीय राज्य भाण्डागार निगमों के सम्मेलन में स्वायत्ता और भाण्डागार निगम अधिनियम 1952 में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या विभिन्न सुझाव दिए गए और उन पर विशेषकर बेहतर संपर्क और समन्वय के लिए केन्द्रीय भाण्डागार निगम बोर्ड में भाण्डागार निगमों के निदेशकों का प्रतिनिधित्व होने के मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) राज्य भाण्डागार निगमों की राष्ट्रीय एसोसिएशन का एक सम्मेलन फरवरी, 1988 में अहमदाबाद में हुआ था ।

(ख) सम्मेलन में की गई चर्चा का रिकार्ड और उसमें की गई सिफारिशें मन्त्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

पंजाब में कपास के मूल्यों के भुगतान में देरी

5092. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के किसानों ने कपास निगम (मार्कफेड) द्वारा खरीदी गई कपास के मूल्यों के भुगतान में देरी करने तथा अनियमितता बरते जाने की शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संदर्भ मे 50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) किसानों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों को अनियमित अथवा देर से भुगतान करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

20-3-1988 को मार्कफेड, पंजाब ने कपास की खरीद करने के लिए पंजाब ने किसानों को

15 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया है। नाबार्ड द्वारा कम ऋण सीमा की मंजूरी और क मिलों, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा मिलों, राज्य सहकारी विपणन संघों तथा अन्य राज्य वस्त्र निगमों द्वारा भंडारों को उठा ले जाने में विलम्ब के फलस्वरूप भंडारों के इकट्ठा हो जाने के कारण निधियों का धीमा चक्र हुआ; जिससे मार्कफेड, पंजाब द्वारा किसानों को कपास के मूल्य अदा करने में विलम्ब हुआ।

तथापि, मार्कफेड, पंजाब ने अपने ग्राहकों से शीघ्र भंडारों को उठा ले जाने तथा उनकी बकाया देयराशि को चुकाने के लिए अनुरोध किया है। यह जल्दी से जल्दी किसानों के सम्पूर्ण देयों को चुकाने के लिए पंजाब राज्य सहकारी बैंक, पंजाब कृषि विपणन बोर्ड तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के साथ ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था भी कर रहा है।

सूखे संबंधी भारत-अमेरिका परियोजना

5093. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1987 में पड़े सूखे के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक भारत-अमेरिकी परियोजना बनायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) सूखे की स्थितियों के बारे में पूर्वानुमान लगाने में यह कहां तक लाभदायक होगा; और

(घ) इस अध्ययन के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्णा शास्त्री) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई डेयरी और कुक्कुटपालन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

5094. **डा० टी० कल्पना देवी : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े, आदिवासी और दूरस्थ इलाकों में महिलाओं को रोजगार देने और राज्यों में डेयरी और कुक्कुट उत्पादों के लिए बेहतर विपणन सुविधायें देने हेतु वर्ष 1987-88 के दौरान नई योजनायें प्रारम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्यों को दी गई आर्थिक सहायता का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। पिछड़े आदिवासी और दूरस्थ इलाकों में ग्रामीण गरीब लोगों के लिए और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आंगन में कुक्कुट उत्पादन इकाइयों की स्थापना नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 1987-88 से शुरू की गई है।

(ख) इस योजना में महिला लाभानुभोगियों द्वारा कुक्कुट पालन की इकाइयां स्थापित किये

जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रत्येक इकाई में अंडे देने वाली 12 मुर्गियां होंगी। प्रत्येक लाभानुभोगी को प्रथम वर्ष के दौरान अंडे देने वाली प्रजाति के 8 सप्ताह के 12 चूजे/बत्तख के बच्चे 25 कि० ग्राम आहार और छोटे डिब्बे (रात्रि आश्रय) की आपूर्ति की जानी है। दूसरे वर्ष के दौरान, पक्षियों और आहार की लागत के लिए 50 प्रतिशत की राजसहायता दी जाएगी। इन लाभों की कुल लागत प्रति लाभानुभोगी 500 रु० से अधिक नहीं होगी। महिलाओं द्वारा आंगन में कुक्कुट पालन की 200 इकाइयों की स्थापना करने के लिए 75,000 रुपए की रकम 1987-88 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई है।

(ग) 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई धनराशि तथा कवर किए जाने वाली महिला लाभानुभोगियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महिला लाभानुभोगियों द्वारा आंगन में कुक्कुट पालन की इकाइयों की स्थापना के लिए 1987-88 के दौरान राज्यों संघ राज्य/क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई धनराशि

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त की गई धनराशि रु०	इकाइयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	75,000	200
2.	असम	1,12,500	300
3.	अरुणाचल प्रदेश	37,500	100
4.	गुजरात	75,000	200
5.	गोवा	37,500	100
6.	हरियाणा	75,000	200
7.	कर्नाटक	75,000	200
8.	केरल	75,000	200
9.	महाराष्ट्र	75,000	200
10.	मणिपुर	93,750	250
11.	मेघालय	37,500	100
12.	मिजोरम	75,000	200
13.	नागालैंड	37,500	100
14.	उड़ीसा	1,50,500	400
15.	पंजाब	75,000	200
16.	राजस्थान	1,12,500	300

1	2	3	4
17.	सिक्किम	37,500	100
18.	तमिलनाडु	75,000	200
19.	त्रिपुरा	93,750	250
20.	उत्तर प्रदेश	1,50,000	400
21.	पश्चिम बंगाल	75,000	200
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	37,500	100
2.	चंडीगढ़	18,750	50
3.	दादर तथा नगर हवेली	37,500	100
4.	लक्षद्वीप	37,500	100

खाद्यान्न-उत्पादन

5095. **श्री प्रकाश वी॰ पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये खाद्य फसलों की नई किस्मों की खेती आरम्भ करने तथा सिंचाई की निश्चित सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में खेती के तरीकों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजनाओं का विशेषकर महाराष्ट्र के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर॰ प्रभु) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में "राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो" नामक एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की है जिससे कि विदेशों से खाद्य और दूसरी फसलों की नई किस्मों को मंगाकर उनका इस्तेमाल किया जाय। पिछले तीन वर्षों में अनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए गेहूं मक्का, धान, ज्वार और दालों की बहुत सी सुधरी हुई किस्मों तथा जर्मप्लाज्मों का इस्तेमाल किया गया है। इससे सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार प्रायोजना के अंतर्गत इन किस्तों और प्रौद्योगिकियों का विभिन्न राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के क्षेत्रीय केन्द्र महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में स्थित है जो नयी सामग्री के मूल्यांकन और उनके इस्तेमाल से सम्बन्धित कार्य करते हैं। खाद्यान्न फसलों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना महाराष्ट्र में चार कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से नई किस्मों परीक्षण कर रही है। पिछले तीन वर्षों में गेहूं की चार, धान की तीन, ज्वार की दो और दालों की आठ आशाजनक किस्में जारी की गई हैं।

मदर डेरी में तदर्थ मजदूर

[हिन्दी]

5095. श्री राजकुमार राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मदर डेरी में तदर्थ/दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किये गये लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) उनकी नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए; और

(ग) वर्ष 1988 के दौरान कितने अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) मदर डेरी, दिल्ली तदर्थ/दैनिक मजदूरी के आधार पर लगे लोगों को नियमित आधार पर नियुक्त नहीं कर रही है। तथापि, यह आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी स्वरूप के कार्य के लिए समय-समय पर आकस्मिक कार्यकर्ताओं को लगाती है।

(ख) और (ग) आकस्मिक कार्यकर्ता उन कार्यों के लिए लगाए जाते हैं जो स्वरूप में मौसमिक अथवा आकस्मिक होते हैं और ये कार्य-भार में पूर्णतः अस्थायी वृद्धि को संभालने के लिए लगाए जाते हैं।

शुल्क मुक्त दुकानों से वस्तुओं की खरीद

[अनुवाद]

5097. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या पर्यटन मंत्री विदेशी/अनिवासी भारतीय पर्यटकों के लिए ही दुकानों के बारे में 27 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न सं० 4562 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1988 तक किन-किन स्थानों पर शुल्क मुक्त दुकानें और शुल्कदत्त दुकानें खोली गई थीं;

(ख) इन दुकानों द्वारा कौन-कौन-सी वस्तुएं बेची जा रही हैं;

(ग) क्या स्थानीय निवासी भी इन दुकानों से अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम 29-2-1988 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन और प्रस्थान कक्षों में दस शुल्क-मुक्त दुकानों का परिचालन कर रहा है :—

(1) दिल्ली

(2) बम्बई

(3) कलकत्ता

(4) मद्रास

(5) त्रिवेन्द्रम

इनके अलावा, सम्राट होटल नई दिल्ली में भी राजनयिकों और आयात लाइसेंस धारक होटलों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए एक शुल्क-मुक्त दुकान का परिचालन किया जा रहा है।

(ख) इन दुकानों के जरिए काफी सामान बेचा जा रहा है जिनमें शामिल हैं—लिकर, सिगरेट, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, घरेलू सामान, इत्र, घड़ियां, खिलौने, उपहार की वस्तुएं, आदि।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का कोई भी यात्री (भारतीय निवासियों सहित) विदेशी मुद्रा देकर शुल्क-मुक्त दुकान से खरीददारी कर सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों/मकानों का आवंटन

[हिन्दी]

5098. श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में लोगों को कितने औद्योगिक, आवासीय भूखंड तथा स्टालों के लिए भूखंड आवंटित किये गये तथा कितने मकान और दुकानें आवंटित की गईं;

(ख) उनके आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या सरकार का भूखंडों/मकानों के आवंटन के सम्बन्ध में संसद सदस्यों को कोई प्राथमिकता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

औद्योगिक प्लाट	1205
रिहायशी प्लाट	7957
दुकानें	1396

फ्लैट

नवीन पद्धति योजना, 1979

मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता
11984	8432	105000
समान्य आवास योजना		
1902	1788	609

स्ववित्त पोषित योजना

नियतन	12857
आवंटन	19997

(ख) (i) **औद्योगिक प्लाट** : अननुरूप क्षेत्रों से अनुरूप क्षेत्र में उद्योगों को स्थानान्तरित करने की योजना के अन्तर्गत बेदखलकारियों को प्लाट आवंटित किए जाते हैं।

(ii) **वाणिज्यिक** : नीलामी के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों से निविदायें आमंत्रित करके और लाटरी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता सेनानियों, विकलांग व्यक्तियों और जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है, उन्हें दुकानें आवंटित की जाती हैं।

(iii) **रिहायशी** : नीलामी द्वारा तथा जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है, को रिहायशी प्लाट आवंटित किए जाते हैं।

(iv) **नवीन पद्धति योजना, 1979** : सामान्यत: कम्प्यूटर द्वारा दी गई वरिष्ठता संख्या के आधार पर आवंटन किया जाता है।

समय-समय पर फ्लैटों के आवंटन की विवरणिका में बतायी गई शर्तों के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन/नियतन किया जाता है। सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत आवंटन लाटरी द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) बवेजा समिति की सिफारिशों पर 2-1-79 से संसद सदस्यों के लिए आरक्षित कोटा समाप्त कर दिया गया था।

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में पर्यटक स्थलों का विकास

5099. **श्री राजकुमार राय** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में कुछ स्थानों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से आजमगढ़ में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

किसानों से तिलहनों की खरीद

[अनुवाद]

5100. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीत ऋतु में वर्षा से रबी फसल अच्छी होने की सम्भावना है;

(ख) क्या किसानों ने केन्द्रीय सरकार से बाजार में उनके उत्पादों की बिक्री के लिए सही स्थिति बनाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तिलहन उत्पादकों के हित में कौन से कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मण्डी में किसानों के उत्पादों की सुगम बिक्री के लिए सही स्थिति बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किए जाने के संबंध में किसानों से कोई अभ्यावेदन इस विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए, भारत सरकार समय-समय पर मुख्य खाद्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती रही है। राज्य स्तर की नामित एजेंसियों के माध्यम से समर्थन मूल्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए नेफेड एक एक मुख्य केन्द्रीय एजेंसी है। तथापि, मूल्य समर्थन संबंधी कार्य शुरू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि कीमतें समर्थन मूल्य स्तर से काफी अधिक चल रही हैं।

कर्नाटक में रागी की खेती

5101. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रागी (फिंगर मिल्लेट) की खेती का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कदन्नों के मिनिकिट कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत जिसमें रागी की नई प्रौद्योगिकी का प्रसार शामिल है, इनकी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज मिनिकिट वितरित किये जा रहे हैं। गत तीन वर्षों (अर्थात् 1984-85, 1985-86 और 1986-87) के दौरान क्रमशः 10,495, 8,105 और 19,040 बीज मिनिकिट वितरित किए गए। 1987-88 के दौरान भी 10,000 मिनिकिट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इन्डाफ-5, इन्डाफ-8, इन्डाफ-9, एच० आर०-911 और एच० आर०-374 जैसी अधिक उपज देने वाली किस्में किसानों में लोकप्रिय हुई हैं।

रागी (फिंगर मिलेट) की खेती अधिकतर वर्षासिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत मानसून अवधि में की जाती है। इस प्रकार की बारानी फसलों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित वर्षासिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना कर्नाटक के 13 जिलों में चल रही है। राज्य में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में अब तक 371.959 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इसके अलावा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के

लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना भी इस राज्य में चल रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, तिलहनों तथा दलहनों के साथ-साथ मोटे धान्यों के मिनिकिट भी वितरित किए जा रहे हैं। 1987-88 तक मोटे धान्यों के कुल 2,91,495 मिनिकिट वितरित किए गए थे।

उड़ीसा, सम्बलपुर में धर्मशाला की स्थापना

5102. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में, सम्बलपुर में एक आधुनिक धर्मशाला स्थापित करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) किसी पर्यटक केन्द्र पर धर्मशाला अथवा अन्य सस्ता आवास स्थापित करने की आवश्यकता का अनुमान संबंधित राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रदूषित मैंगनीज खानें

5103. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कई मैंगनीज खानें प्रदूषित हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन खानों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन मिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या निर्देश दिये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) खत्ते के कटाव, वनकटाई और नदी/नालों में गाद जमने जैसे कारणों से उड़ीसा में मैंगनीज की कुछ पट्टेदारियां दूषित हो गई हैं। ऐसी खानों की जानकारी वास्तविक निरीक्षण से मिलती है। निरीक्षण के दौरान, जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है, पर्यावरण की रक्षा के हित में ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए पट्टेदारों को सुझाव दिये जाते हैं। की गई सिफारिशें ये हैं : रन आफ माइन्स जल के बहाव के मार्ग के साथ-साथ उपयुक्त अन्तरालों पर तलछट टंकियां बनाना तथा मिट्टी के बान्ध बान्धना, वन की कटाई के नियमित कार्यक्रम बनाना तथा खानों में अपयुक्त जल का विश्लेषण करना।

"पर्यावरण इंजीनियरिंग शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" सम्बन्धी विचार-गोष्ठी

5104. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा हाल में "पर्यावरण इंजीनियरिंग शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" सम्बन्धी विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) क्या इस विचार-गोष्ठी में, प्रशिक्षित जन-बल की अपर्याप्तता के अतिरिक्त देश के जन स्वास्थ्य इंजीनियरी जल-आपूर्ति तथा मल व्ययन संयंत्रों में कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के अन्तर्गत प्रशिक्षित मानव-शक्ति की उपलब्धता में अपेक्षित सुधारों के लिए सेमिनार ने सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें इस मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करना

5105. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आवास निर्माण संबंधी प्रयोजनों के लिये कुल कितने प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा वास्तव में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया गया तथा अधिगृहीत की गई सारी भूमि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, सिन्दरी द्वारा किये गये कार्यों पर हुआ व्यय

[हिन्दी]

5106. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) सिन्दरी द्वारा नांगल आधुनिकीकरण फेज-1 के जाब सं० 2295 के अन्तर्गत कुल कितना व्यय दिखाया गया और इस निर्माण कार्य पर वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टिलाइजर्स थाल के जाब सं० 2139 और इसी कम्पनी के जाब सं० 2146 आमोरिया एक्सटेंशन के अन्तर्गत कितना खर्च दिखाया गया है और इन पर वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) विभागीय रिपोर्ट में जाब सं० 2184 बैल टी० पी० गालम, बंगलौर के अन्तर्गत कितना खर्च दिखाया गया है और इस पर वस्तुतः कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामले की कोई उच्च स्तरीय जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) पी० डी० आई० एल० द्वारा प्राप्त जाब सं० 2295, नांगल आधुनिकीकरण चरण-I से संबंधित ठेके का मूल्य 57·12 लाख रुपए है और 31-3-1987 तक किया गया व्यय 32·31 लाख रुपए था। कार्य प्रगति पर है।

(ख) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स थाल की भारी जल परियोजना तथा अमोनिया विस्तार के ठेके का मूल्य 151 लाख रुपए था और 31-3-1987 तक किया गया व्यय 251.44 लाख रुपए था। इस परियोजना में कोई लोहे से निर्मित वस्तुएं अन्तर्ग्रस्त नहीं थीं और सारा व्यय इंजीनियरिंग सेवाओं के रूप में था, जिसमें केवल श्रम घंटे शामिल थे। यह पी० डी० आई० एल० के लिए एक नया क्षेत्र था और इसलिए पी० डी० आई० एल० को अन्य कम्पनियों के साथ कड़ी प्रतियोगिता में इस कार्य को कम फीस पर स्वीकार करना पड़ा।

(ग) भारत इलैक्ट्रानिक लि० की टी० वी० ग्लास बल्ब परियोजना से संबंधित जाब सं० 2184 के ठेके का मूल्य 82 लाख रुपए था और 31-3-1987 तक वास्तविक व्यय 212.64 लाख रुपए था। पी० डी० आई० एल० के विविधीकरण कार्यकलापों के अन्तर्गत आने वाली यह एक नयी परियोजना थी। समय-सूची में वृद्धि के कारण कम्पनी ने अधिक श्रम घंटे लगाए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने न तो कोई उच्च स्तरीय जांच की है और न ही इस समय ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है।

पंजाब एग्रो-पेप्सी परियोजना

5107. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित पंजाब एग्रो पेप्सी परियोजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन देने की योजना सारे देश में लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों/जिलों के क्या नाम हैं जिनमें एग्रो-पेप्सी परियोजना के अंतर्गत किसानों को गेहूं तथा चावल के स्थान पर सब्जी और फल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इस योजना के अंतर्गत किए गए व्यय तथा आगामी वर्ष में किए जाने वाले व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि यह योजना पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में लागू नहीं की जा रही है तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

वर्ष 1988-89 में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल खोले जाना

[अनुवाद]

5108. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटल स्थापित किये गये हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ये होटल कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ और होटल खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन होटलों के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं और इनसे सम्बन्धित ब्योरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम देश में 24 होटलों का प्रचालन कर रहा है। उनके नामों और अवस्थिति आदि को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्तमान में चलाये जा रहे होटलों के नाम, राज्यवार उनकी अवस्थिति

क्रम सं०	एकक का नाम	अवस्थिति
1	2	3
1.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	बिहार
2.	अशोक होटल, नई दिल्ली	संघ शासित प्रदेश दिल्ली
3.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	—वही—
4.	कुतब होटल, नई दिल्ली	—वही—
5.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	—वही—
6.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	—वही—
7.	लोधी होटल, नई दिल्ली	—वही—
8.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	—वही—

1	2	3
9.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	संघ शासित प्रदेश दिल्ली
10.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	जम्मू और कश्मीर
11.	होटल अशोक, बंगलौर	कर्नाटक
12.	ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	—वही—
13.	होटल हसन अशोक, हसन	—वही—
14.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	केरल
15.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	महाराष्ट्र
16.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	मध्य प्रदेश
17.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	उड़ीसा
18.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	राजस्थान
19.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	राजस्थान
20.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	तमिलनाडु
21.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, मामल्लापुरम	तमिलनाडु
22.	होटल आगरा अशोक, आगरा	उत्तर प्रदेश
23.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	उत्तर प्रदेश
24.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल

विवरण-2

1988-89 के दौरान निर्माणाधीन और पूरा होने वाले/चालू होने वाले नये होटलों के संक्षिप्त ब्यौरे

क्रम सं०	परियोजना का नाम	पूरा होने की संभावित तिथि/वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्टार श्रेणी
1	2	3	4
(क)	भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाली परियोजनाएं		
1.	गुलमर्ग में होटल	1988-89	4
2.	बोधगया स्थित पर्यटक गृह का विस्तार और एक होटल के रूप में परिवर्तन	1988-89	3
(ख)	संयुक्त उद्यम परियोजनाएं		
1.	पुरी में होटल	1988-89**	3

ब्यौरा क्य.
(ग,
मुख्य कारण

1	2	3	4
	2. रांची में होटल	1988-89	3
	3. भोपाल में होटल	1988-89*	3
	4. पांडिचेरी में होटल	1988-89**	1-2
	5. ईटानगर में होटल	1988-89	1-2

*बशर्ते कि पानी उपलब्ध हो और वित्तीय संस्थाओं से समय पर निधियां उपलब्ध कराई जाएं।

**बशर्ते कि इस परियोजना के लिए अपेक्षित शेष निधियां उपलब्ध हों।

चीनी का उत्पादन, आयात और खपत

5109. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में कुल कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया;

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी की खपत हुई और 31 मार्च, 1987 को उसका कितना स्टाक शेष था;

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है;

(ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान उपभोग के लिए चीनी की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है; और

(च) यदि चालू वर्ष के लिए आयात आवश्यकताओं के विषय में कोई आंकलन किया गया है तो वह कितना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) चीनी वर्ष पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर तक गिना जाता है। इसके आधार पर अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

	(लाख मीटरी टन में) (अनन्तिम)
(1) 1986-87 मौसम में उत्पादित चीनी की मात्रा	85.02
(2) 1986-87 मौसम के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा	9.53
(3) (क) 1986-87 के दौरान खपत की गई चीनी की मात्रा	87.51
(ख) 31-3-1987 की स्थिति के अनुसार स्वदेशी चीनी का शेष स्टाक	46.95

(घ) चालू मौसम 1987-88 के दौरान 7 मार्च, 1988 तक 57.06 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चालू पिराई मौसम 1987-88 अभी भी प्रगति पर है।

(ङ) 1987-88 मौसम के दौरान खपत के लिए अनुमानित आवश्यकता लगभग 90 लाख मीटरी टन बैठती है।

(च) स्वदेशी चीनी के उत्पादन, आन्तरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्धता और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर चीनी का आयात करने के बारे में निर्णय किया जाता है।

चिलका झील में जल-कृषि

5110. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चिलका झील क्षेत्र को जल कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो चिलका झील में जल-कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा चिलका झील में जल-कृषि आरंभ करने के लिए क्या योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को चिलका झील में जल कृषि सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए खारे पानी की जल कृषि की कुछ परियोजनाएं मंजूर की है वे हैं :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मंजूर की गई अनुमानित लागत (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	मुदीरथ (चरण-1)	8.00
2.	मुदीरथ (चरण-2)	6.00
3.	बिनचिनापल्ली	73.04

1	2	3
4.	पनसपाडा	126.78
5.	सारथा (चरण-1)	6.67
6.	सारथा (चरण-2)	5.12
7.	अगरीपल्ली (हेचरी)	21.00
8.	कटक में खारे पानी को मछुआरा विकास एजेंसी	49.00 प्रति वर्ष

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने अब तक 50 प्रतिशत केन्द्रीय भागीदारी के रूप में 36.85 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की है।

उर्वरकों संबंधी स्थिति

5111. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1987 को उर्वरकों का श्रेणी-वार भंडार कितना था;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान उर्वरकों का श्रेणी-वार कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) इस अवधि के दौरान उर्वरकों की श्रेणी-वार कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) 31 मार्च, 1988 को उर्वरकों का श्रेणी-वार भंडार कितना होने का अनुमान है;

(ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान प्रति हैक्टेयर उर्वरकों की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया; और

(च) क्या उर्वरकों का उपयोग बढ़ रहा है और यदि हां, तो क्या ऐसा कुछ राज्यों में हुआ है अथवा समूचे देश में ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) 1-4-1987 को भण्डार—

एन	27.26 लाख मी० टन
पी	8.48 लाख मी० टन
के	2.50 लाख मी० टन
योग	38.24

(ख) 1987-88 (अप्रैल, 1987 से मार्च, 88 तक) अनुमानित उत्पादन—

एन	54.10 लाख मी० टन
पी	15.72 लाख मी० टन
योग	69.82

(ग) 1987-88 (अप्रैल, 87 से फरवरी, 88 तक)

एन	1.56 लाख मी० टन
पी	शून्य
के	7.39 लाख मी० टन
योग	8.95

(घ) 31-3-1988 को भण्डार—

31 मार्च, 1988 के भण्डारों के 1-3-1988 के निम्नलिखित भण्डारों से उच्चतर होने की सम्भावना है :

एन	26.81
पी	4.10
के	2.00
योग	32.91

(ङ) 1987-88 की प्रति हैक्टेयर उर्वरक खपत इस अवस्था में उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1986-87 के दौरान उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत के लिए 48.45 कि० ग्रा० न्यूट्रिएन्ट्स का अनुमान लगाया गया है।

(च) देश में गत तीन वर्षों के दौरान गम्भीर सूखे के कारण उर्वरकों की खपत में स्पष्ट वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी।

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

5112. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रक्रिया गत और संस्थागत पहलुओं के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या ये सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार को भेज दी गई हैं; और

(ङ) क्या इनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखी गई है अथवा रखी जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान नौ राज्यों अर्थात्—जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में एक मूल्यांकन अध्ययन किया था। बिहार और उड़ीसा के मामले में, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने केवल केस अध्ययन किया। अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट मई, 1987 में सरकार द्वारा प्राप्त की गई थी।

(ख) अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। बिहार के मामले में, निष्कर्षों को संलग्न विवरण 2 में अलग से दर्शाया गया है।

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मूल्यांकन रिपोर्ट में निहित कार्यक्रम के कार्यान्वियन में शामिल क्रियाविधि तथा संस्थागत पहलू से सम्बन्धित मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-3 में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) अध्ययन रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशें बिहार सहित सभी सम्बन्धित राज्यों को सूचित कर दी गई हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम के कार्यान्वियन की लगातार निगरानी की जा रही है।

विवरण 1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

1. अध्ययन की समीक्षाधीन अवधि 1981-82 और 1982-83 के दौरान राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित समयावधि के अनुसार नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थीं।

2. रिकार्डों के रख-रखाव के लिए कोई उचित प्रबन्ध नहीं है और आवश्यक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। उपलब्ध सांख्यिकीय सूचना को भी जिला तथा राज्य स्तर पर सही आयोजना के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है।

3. 1981-82 में गुजरात, केरल और राजस्थान के सिवाय किसी भी चुने गए राज्य ने शैल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार नहीं की हैं। पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लिए 1983-84 हेतु भी ये उपलब्ध नहीं थीं। कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के चरण में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है।

4. परियोजनाओं की आयोजनाओं और चयन में लाभार्थियों को बहुत ही कम शामिल किया गया था। केवल 17 प्रतिशत उन लाभार्थियों को छोड़कर, जिन्होंने यह कहा था कि उन्हें निर्माण कार्यों की आयोजना और चयन में शामिल किया गया था, शेष को शामिल नहीं किया गया था। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के राज्यों में लाभार्थियों की भागीदारी की सूचना मिली थी।

5. चुने हुए लाभार्थियों की सामाजार्थिक प्रोफाइल से पता चलता है कि 44 प्रतिशत कृषि श्रमिक थे, 29 प्रतिशत गैर-कृषि श्रमिक थे, 8 प्रतिशत छोटे किसान थे, 6 प्रतिशत सीमान्त किसान

और शेष 13 प्रतिशत अन्य धन्धों में लगे हुए थे। कुल नमूने में से 49 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे और 21 प्रतिशत अन्य पिछड़ी हुई श्रेणियों के लोग थे। महिलाएं 17 प्रतिशत थीं। लाभार्थियों के सामाजार्थिक स्तर से पता चलता है कि कार्यक्रम के लाभ कुल मिलाकर उन वर्गों को पहुंच रहे थे जिनके निमित्त यह कार्यक्रम है।

6. खण्ड विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करने हेतु कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की जा रही है। नमूना लाभार्थियों में से 60 प्रतिशत को पंचायतों के माध्यम से और 13 प्रतिशत को दोस्तों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली थी।

7. लाभार्थियों में से लगभग 15 प्रतिशत ने स्वयं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यों पर रोजगार के लिए नाम पंजीकृत कराए और पंजीकरण की पद्धति की सूचना कर्नाटक तथा त्रिपुरा में दी गई थी।

8. 87 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपने गांव में और 9 प्रतिशत लाभार्थियों ने गांव के अन्दर और बाहर कार्य प्राप्त किया। 4 प्रतिशत ने केवल अपने गांव के बाहर रोजगार प्राप्त किया और उनमें से कुछ को रोजगार के लिए 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ी।

9. अध्ययन से पता चला है कि लाभार्थियों के लिए रोजगार के मुख्य स्रोत गैर-राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के कार्य थे। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर कुछ पूरक और अतिरिक्त रोजगार के अवसर थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों की मात्रा बड़े पैमाने पर भिन्न थी और यहां तक कि राज्य के भीतर चुनिंदा जिलों में भी भिन्न थी।

10. 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नमूना परिवार के लिए रोजगार का औसत अंश 21.6 प्रतिशत था।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से वर्ष से कम काम वाले महीनों के दौरान अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यह सही रूप में निष्कर्ष निकाला गया था कि कार्यक्रम का कार्य कुल मिलाकर, इन उद्देश्यों को पूरा कर रहा था।

12. 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत कुल रोजगार का लगभग 80 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को और पिछड़े वर्गों के लोगों को मिला था। जो नमूना आकार के 70 प्रतिशत बैठते थे।

13. 1982-83 के दौरान रोजगार में कृषि श्रमिकों का अंश लगभग 79 प्रतिशत था।

14. अधिकांश चुनिंदा राज्यों द्वारा कम से कम कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं आरम्भ नहीं की गई थीं। 1982-83 में ऐसी योजनाएं केवल केरल और पश्चिम बंगाल में चुनिंदा गांवों में शुरू की गई थी।

15. नमूना गांवों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य मुख्य रूप से किया गया था।

16. सभी चुनिंदा राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से पहले के वर्ष की तुलना में 1982-83 के दौरान लाभार्थियों की कुल मजदूरी आय में वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से मजदूरी आय परिवार की औसत मजदूरी आय की 23 प्रतिशत थी।

17. केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल को छोड़कर नमूना क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान की गई मजदूरी कुल मिलाकर वही थी जो राज्यों द्वारा अथवा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम कृषि मजदूरी की दरें थीं। केरल में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई वास्तविक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी की तुलना में अधिक थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, पंजाब के गुरदासपुर जिले और राजस्थान के बीकानेर जिले में दी गई मजदूरी कम थी। केरल में कई बार न्यूनतम मजदूरी की तुलना में अधिक भुगतान को समायोजित करने के लिए मस्टर रोल को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया था।

विवरण 2

बिहार के संबंध में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मूल्यांकन रिपोर्ट में निहित निष्कर्ष

(1) राज्य स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थीं।

(2) राज्यों के पास विभिन्न परियोजनाओं की आयोजना के लिए अपेक्षित रिकार्डों के रख-रखाव के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

(3) अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर आबंटन किए गए थे।

(4) 1981-82 और 1982-83 में कोई 'शेल्फ ऑफ प्रोजक्ट्स' तैयार नहीं किए गए थे।

(5) मजदूरों के पंजीकरण की कोई पद्धति नहीं थी।

विवरण-3

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में निहित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल कार्यविधि तथा संस्थागत पहलुओं के बारे में सिफारिशें

1. राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस० एल० सी० सी०) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थीं; राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत अपेक्षित तथा विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावी रूप से निगरानी करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिएं। इन समितियों के सदस्यों द्वारा बार-बार क्षेत्रीय दौरे किए जाने चाहिएं।

2. रिकार्डों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न ही आवश्यक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक छोटा ग्रुप गठित किया जाए जो प्रगति के आंकड़ों के संकलन और रख-

रखाव के प्रश्न तथा कार्यक्रम के अन्य पहलुओं की पर्याप्त रूप से और तुलनात्मक तथा संगत आधार पर जांच करेगा।

3. अधिकांश राज्यों में शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं किए जा रहे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं और परियोजनाएं, मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित की गई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुसार अधिक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से तैयार की जानी चाहिए ताकि शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स में ऐसे कार्य, जो विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, बंधुआ मजदूरों अथवा जहां मजदूरी का स्तर कम है, के लाभ के लिए है, को शामिल किया जा सके।

4. कार्य परियोजनाओं की आयोजना और चयन में लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करने में खंड विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रामीण लोगों में कार्यक्रम के बारे में सूचना का प्रचार व प्रसार करना आवश्यक है ताकि कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

6. अधिकांश चुने हुये जिलों में अलग से कोई स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया और मौजूदा स्टाफ अपने सामान्य कार्य के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को भी देख रहा है। निगरानी और प्रगति रिपोर्टिंग की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और उनमें सुधार किया जाना चाहिए। मौके पर दौरों के दौरान, सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की जांच तथा रिकार्डों के उचित रख-रखाव के सम्बन्ध में और परिसम्पत्तियों/निर्माण कार्यों से संबंधित आंकड़ों की जांच को निगरानी कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए। निधियों के आबंटन के लिए मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित मानदण्ड से कभी-कभी जिलों में निधियों के आबंटन में असंतुलन हो जाता है। विभिन्न जिलों में निधियों के आबंटन के प्रयोजन हेतु वैकल्पिक मानदण्ड तैयार किए जाने चाहिए।

गेहूं का आयात

5113. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान अभूतपूर्व सूखे के कारण गेहूं का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये आयात का देशवार ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुलाबी बाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण के दोषयुक्त फ्लैट

5114. **श्री समर कुमार मंडल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलाबी बाग, दिल्ली में स्व-वित्त पोषण योजना के अंतर्गत फ्लैटों (श्रेणी तीन) में ढांचागत/और अन्य दोष होने के बारे में कुछ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन दोषों को ठीक करने के लिए यदि कोई प्रभावी कदम उठाए हैं तो वे क्या हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गुलाबी बाग, दिल्ली में स्व-वित्त पोषित योजना के फ्लैटों की संरचनात्मक दोषों के बारे में कोई गम्भीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, वैश्य समिति ने कुछ छोटे-मोटे संरचनात्मक दोष तथा अन्य प्रकार के दोष बताए थे और इन सभी दोषों को दूर किया जा चुका है तथा तत्पश्चात् फ्लैटों का भारतीय तकनीकी संस्थान से भार परीक्षण कराया गया था तथा संरचनात्मक रूप से उन्हें सुरक्षित पाया गया। कुछ शिकायतें मामूली तथा सामान्य प्रकृति की थीं, जो बड़े पैमाने के निर्माणों में अपरिहार्य हैं तथा उन्हें नियमित रूप से दूर किया जा रहा है।

(ख) इस समय अधिकांश शिकायतें रख-रखाव की प्रकृति वाली हैं अर्थात कुछ स्थानों में दोष पूर्ण प्लस्तर, रिसाव आदि।

(ग) एक पूर्णरूपेण पूछताछ कार्यालय की स्थापना की गई है तथा जो शिकायतें पूछताछ कार्यालय में प्राप्त होती हैं, उन्हें नियमित रूप से दूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो भी त्रुटियां निवासियों द्वारा बताई जाती हैं, उन्हें सुधारने के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

5115. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी उनमें से एक है;

(ग) यदि हां, तो इस कंपनी ने एल्यूमिनियम के निर्यात से वर्ष 1987-88 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) इस्पात और खान मन्त्रालय में विदेशी मुद्रा कमाने वाले उपक्रम हैं :—

1. स्टील अथारिटी (सेल)
2. मेकन (इंडिया) लि०
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
4. कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि०

5. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि०

6- नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नाल्को) ने एल्यूमिनियम धातु का निर्यात नहीं किया है, किंतु उसने एल्यूमिना के उत्तर कोरिया को निर्यात से 2.25 करोड़ रु० तथा मैसर्स हाइड्रो ट्रेडिंग एस० ए० को निर्यात से 7.4 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमाई है। मैसर्स हाईड्रो ट्रेडिंग एस० ए० को मार्च, 1988 तक एल्यूमिना के निर्यात से 7.4 करोड़ रु० की और विदेशी मुद्रा मिलने की आशा है।

गोआ में होटलों की स्थापना

5116. **श्री शांताराम नायक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा गोआ में कितनी होटल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजानाओं को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है;

(घ) इस पर कितना व्यय होगा; और

(ङ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) पिछले दो महीनों के दौरान पर्यटन विभाग में स्थापित अन्तरमंत्रालय समिति द्वारा गोआ में निम्नलिखित 9 होटल परियोजनाओं की अवस्थिति को कतिपय शर्तों के अधीन सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है :—

क्रम स०	प्रवर्तक/परियोजनाओं का नाम	अवस्थिति
1.	अलकोन रीयल एस्टेट प्रा० लि०	कोवेलोसिम
2.	ए० सी० डीसूजा	कलानगुटे
3.	श्री सांतिमन इग्नाट्यूस	कोलवा
4.	लावेरीना मोबार इंटरनेशनल रिसार्ट	कोवेलोसिम
5.	कम्फर्ट रिजेंसी इन्न	कन्डोलिम
6.	बिल्ली डारेटो	कलानगुटे
7.	श्री स्टानले बारोस परीरा	कान्सोलिम (मारमोगोआ)
8.	स्नेह होटल्स	मजोरदा
9.	श्री कुलदीप सिंह	कन्डोलिम

(घ) और (ङ) पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक परियोजना के अनुमोदन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही इन परियोजनाओं में अंतर्ग्रस्त खर्च तथा अन्य ब्यौरे उपलब्ध हो पाएंगे।

खेती में विविधता लाना

5117. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं के बजाय तिलहन की खेती करने वालों को कोई प्रोत्साहन देती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कपास और तम्बाकू के बदले तिलहन की खेती करने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य अन्य तिलहन फसलों के लिए वर्षा सिंचित गेहूं को तोरिया-सरसों के क्षेत्र में बदलने के लिए राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति विकास बोर्ड के माध्यम से शुरू की गई योजना के अंतर्गत बीज मिनिकिटों के वितरण और खंड प्रदर्शन के रूप में किसानों को प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

अलेप्पी में जलक्रीड़ा केन्द्र का विकास

5118. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने अलेप्पी में एक जलक्रीड़ा केन्द्र के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण औद्योगिकीकरण

5119. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ताकि स्थानीय संसाधनों, सामग्री और स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करके ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवनयापन की स्थिति में सुधार किया जा सके तथा उनका शहरों की ओर पलायन रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग, लघु उद्योग जैसे हथकरघा, रेशम-उत्पादन, नारियल-जटा-दस्तकारी के कार्यक्रमों के अन्तर्गत और सहकारी क्षेत्र में कृषि-आधारित उद्योगों के संगठन, संवर्धन और विकास के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर बल दिया जाता है। इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए स्वीकृत प्रतिमान के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार इन उद्योगों के संवर्धन, विकास और रक्षा के लिए राज्य सरकारों, जिनमें आन्ध्र प्रदेश शामिल है, को कई प्रकार के सहयोग देती है। 1985-86 और 1986-87 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को जिला उद्योग केन्द्र की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत क्रमश: 91 लाख रुपए और 83 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। आन्ध्र प्रदेश में ग्राम और लघु उद्योग के विकास के लिए सातवीं योजना में 93.60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 1986-87 के अन्त तक सहकारी क्षेत्र में, आन्ध्र प्रदेश में 172 परिसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। 1987-88 और 1988-89 का कार्यक्रम क्रमश: 10 इकाइयों और 7 इकाइयों की स्थापना का है।

समुद्री उत्पाद

5120. श्री एस० जी० घोलप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र से कुल कितनी मात्रा में समुद्री उत्पाद पकड़े जाते हैं और गहरे समुद्र में किस-किस प्रकार की मछली उपलब्ध हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मछली पकड़ने वाली कितनी नौकाओं की आवश्यकता होगी और उनकी वर्तमान संख्या क्या है; और

(ग) क्या हमारे समुद्री संसाधनों का आवश्यकता से अधिक विदोहन किया जा रहा है और यदि हां, तो इस पर नियन्त्रण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1986-87 में पकड़ी गई कुल समुद्री मछली 17.13 लाख मीटरी टन अनन्तिम थी। अब तक किए गए समन्वेषी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारतीय गहरे समुद्र में बुल्म आई, इंडियन ड्रिफ्ट फिश, थ्रेड फिन ब्रीम, लोजाडं फिश, होर्स मैकरेज आदि मछली की महत्वपूर्ण प्रणालियां उपलब्ध हैं।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की संख्या को वर्तमान 141 से 500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पेयजल की कमी

5121. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भूमिगत जल का स्तर बहुत अधिक घट गया है और यमुना नदी के पानी

का जलस्तर घटने से दिल्ली में आगमी गर्मी के मौसम में पेयजल की सप्लाई में भारी कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और शहर की पेयजल की मांग की तुलना में इस समय पेयजल की सप्लाई कितनी है तथा इस समय पेयजल की कमी से कौन-कौन सें क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं;

(ग) वर्ष 1991 तथा 2001 तक शहर की जनसंख्या में वर्तमान वृद्धि की दर के कारण पेयजल की सप्लाई की मांग कितनी बढ़ने की आशा है; और

(घ) पेयजल की बढ़ती हुई मांग को अधिक-से-अधिक पूरा करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) तथा (घ) दिल्ली जलपूर्ति एवं मलब्ययन संस्थान ने दिल्ली में भूमिगत जल स्तर में गिरावट के बारे में सूचित किया है। 4720 लाख गैलन प्रतिदिन जलपूर्ति की मूल्यांकित आवश्यकता की तुलना में दिल्ली में विद्यमान जलपूर्ति 4090 लाख गैलन प्रतिदिन है। इस समय दिल्ली में पानी की कोई विकट कमी नहीं है। तथापि, सरकार को जानकारी है कि आगामी गर्मियों के महीनों के दौरान शहर में पानी की कमी की सम्भावना है। जबकि वर्तमान सूखे की स्थिति के कारण कमी से पूर्णत: निपटना सम्भव नहीं होगा, सरकार जहां तक सम्भव है, वर्तमान स्तर के निकट तक शहर में जलपूर्ति बनाये रखने के लिए वे सभी उपाय करने के लिए, जो व्यवहार्य हों, के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। वर्तमान कमी के कारण वजीराबाद और चन्द्रावल जल शोधन संयंत्रों के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में पानी में कुछ कमी की है।

(ग) 1991 तक दिल्ली में पानी की मूल्यांकित आवश्यकता 5920 लाख गैलन प्रतिदिन है तथा 2001 तक यह 10240 लाख गैलन प्रतिदिन होगा।

केरल में बेरोजगारी

5122. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में केरल में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना, जो पिछले तीन वर्षों में केरल के रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टरों पर दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिक और ऊपर), यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, की संख्या से संबंधित है, इस प्रकार है।

वर्ष के अंत में	संख्या लाखों में
1985	13.78
1986	15.14
1987 (जून)	16.19

शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने संबंधी किए जा रहे प्रयास सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में प्रदर्शित किए गए हैं। इन्हें केरल सहित सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

गुजरात में बांटे गए फसल ऋण

5123. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खरीफ और रबी फसलों के दौरान बांटे गये फसल ऋण फसल बीमा की किस अवधि के संबंध में थे;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात में तुर जैसी दीर्घ अवधि की फसल खरीफ और रबी दोनों फसल अवधियों को मिलाकर तैयार होती है और इस कारण अल्प अवधि की अन्य फसलों की तुलना में तुर की फसल के लिए निर्धारित तारीख से भिन्न कोई अन्य मानदंड अपनाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) वृहत्त फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ और रबी मौसमों के लिए क्रमशः बीमा के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में आने वाले वर्ष के 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, और 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक सहकारी ऋण संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि संबंधी ऋण वितरित किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार को जानकारी है कि गुजरात में तुर दीर्घ अवधि की फसल है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके बारे में यह निर्णय लिया गया था कि वृहत्त फसल बीमा योजना के तहत मौसमिक अनुशासन कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण देश में खरीफ और रबी मौसमों में ऋण लेने की अवधियां एक समान होनी चाहिए। तथापि, जहां तक तुर फसल का संबंध है, यह भी निर्णय किया गया था कि गुजरात में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक बीमाकृत किसानों को वितरण किए गए ऋणों की राशि वृहत्त फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होनी चाहिए, बशर्ते कि उससे संबंधित सभी घोषणायें, उपर्युक्त संस्थानों से, प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के अंत तक भारतीय साधारण बीमा निगम को प्राप्त हो जाएं।

प्राइवेट और पब्लिक कम्पनियों के कर्मचारियों के आश्रितों को परिवार पेंशन

5124. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट और पब्लिक कम्पनियों संबंधी परिवार पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है;

(ख) परिवार पेंशन की दरें क्या हैं;

(ग) किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार पेंशन मंजूर करने के लिए यदि कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है; तो वह क्या है;

(घ) कितने मामले तीन महीनों से अधिक समय से लम्बित हैं;

(ङ) क्या परिवार पेंशन की दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-12-1987 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अधीन 56,812 लाभानुभोगी परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

(ख) परिवार पेंशन की मौजूदा दरें निम्नानुसार हैं :—

सदस्य का वेतन	मासिक पेंशन दर
400 रु० से कम	वेतन का 30 प्रतिशता बशर्ते कि यह न्यूनतम 60 रु० तथा अधिकतम 120 रु० हो।
400 रु० से अधिक	वेतन का 20 प्रतिशत बशर्ते कि यह न्यूनतम 120 रु० और अधिकतम 500 रु० हो।

इसके अलावा, परिवार पेंशन प्राप्तकर्ताओं को 80 रु० से 130 रु० के बीच अनुपूरक वृद्धि दी जा रही है, जो सदस्यों के वेतन पर निर्भर करती है।

(ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, 20 दिन के भीतर दावों का भुगतान किया जाय बशर्ते कि दावे सभी तरह से पूरे हों।

(घ) 31-12-1987 को दो वर्ष से अधिक समय से 2024 मासिक परिवार पेंशन दावे लम्बित पड़े थे।

(ङ) जी, हां।

(च) इसके बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी को हुआ घाटा

5125. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) को पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ है और यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी को, जिन यूनिटों में उसे घाटा हो रहा है उन्हें, बन्द करने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत एल्यूमिनियम कंपनी को "इन्गाट्स राड्स और रोल्ड" उत्पादों पर कितना घाटा हुआ ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी हां, बाल्को को गत तीन वर्षों के दौरान हुआ घाटा इस प्रकार है :

1984-85	14.75 करोड़ रु०*
1985-86	77.37 करोड़ रु०
1986-87	43.15 करोड़ रु०

*सरकारी ऋणों पर ब्याज माफी दी गई।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) गत तीन वर्षों में एल्यूमिनियम पिंडों, प्रापर्जी रोड व रोल्ड उत्पादों के प्रतिटन उत्पादन में बाल्को को हुआ घाटा इस प्रकार है :

(सभी आंकड़े रुपयों में)

	1984-85	1985-86	1986-87
(क) पिंड	490	6816	5690
(ख) प्रापर्जी रोड	158	4567	3260
(ग) रोल्ड उत्पाद	7691	5484	2343

कपास की खेती के लिये वैज्ञानिक तरीके

5126. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कपास उगाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ख) किस-किस राज्य या फार्म अनुसंधान केन्द्रों में प्रयोगात्मक आधार पर अधिक उपज वाली कपास की खेती के लिए नए और वैज्ञानिक तरीके अपनाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर और अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार प्रायोजना

की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और सुधरे हुए फसल उत्पादन व फसल संरक्षण तकनीकों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान प्रायोजित कर रही है।

इस तरह से विकसित की गई तकनीकों को किसानों में भा० कृ० अनु० प० की प्रथम चरण की विस्तार सेवा और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

(ख) नीचे दिये राज्यों में कपास अनुसंधान केन्द्र काम कर रहे हैं :

संस्थान/अनुसंधान केन्द्र	स्थान	राज्य
1	2	3
1. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर	महाराष्ट्र
2. सी० आई० सी० आर० क्षेत्रीय केन्द्र	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
3. सी० आई० सी० आर० क्षेत्रीय केन्द्र	सिरसा	हरियाणा
4. अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार प्रायोजना सी० आई० सी० आर० क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयन यूनिट	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
5. अनुसंधान केन्द्र (ए० आई० सी० आई० पी०)	1. लुधियाना	पंजाब
	2. फरीदकोट	पंजाब
	3. हिसार	हरियाणा
	4. श्री गंगानगर	राजस्थान
	5. सूरत	गुजरात
	6. तलोड	गुजरात
	7. वीरांगम	गुजरात
	8. जूनागढ़	गुजरात
	9. खंडवा	मध्य प्रदेश
	10. इन्दौर	मध्य प्रदेश
	11. बदनवार	मध्य प्रदेश
	12. ग्वालियर	मध्य प्रदेश
	13. अकोला	महाराष्ट्र
	14. पाडेगांव	महाराष्ट्र
	15. पुणे	महाराष्ट्र
	16. नान्देड़	महाराष्ट्र
	17. राहुरी	महाराष्ट्र
	18. धारवाड़	कर्नाटक

1	2	3
	19. अराभवी	कर्नाटक
	20. सिरूगुप्पा	कर्नाटक
	21. गुन्टूर	आंध्र प्रदेश
	22. नन्दयाल	आंध्र प्रदेश
	23. कोयम्बटूर	तमिलनाडु
	24. कोविलपट्टी	तमिलनाडु
	25. श्री विल्लीपथूर	तमिलनाडु
	26. मथुरा	उत्तर प्रदेश
	27. जोरहाट	असम

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

5127. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार तथा आधुनिधिकरण पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ख) इस परियोजना पर आरम्भ में कितनी लागत आने का अनुमान था;

(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आरम्भ में क्या समय निर्धारित किया गया था; और

(घ) संयंत्र के अपनी अधिकतम डिजाइन क्षमता कब तक प्राप्त करने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : फरवरी 1978 में स्वीकृत 25 लाख टन से 40 टन तक भिलाई का विस्तार करने के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :

(क) 2145.5 करोड़ रुपये (वर्ष 1985 की तीसरी तिमाही के मूल्यों के आधार पर)

(ख) 937.7 करोड़ रुपये (वर्ष 1974 की पहली तिमाही के मूल्यों के आधार पर)

(ग) कार्यान्वयन दिसम्बर, 1981 तक पूरा किया जाना था।

(घ) सेल की निगमित योजना के अनुसार, इस संयंत्र के वर्ष 1990-91 तक अपनी इष्टतम डिजाइन क्षमता प्राप्त करने की सम्भावना है।

कृषि और बागवानी का विकास

[हिन्दी]

5128. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी के विकास पर अब तक प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या यह धनराशि राष्ट्रीय औसत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कम है और इस राज्य में कृषि पर प्रति व्यक्ति व्यय की औसत को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का विचार है?

कृषि और सहकारिता विभाग में कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता सम्बन्धी समिति (1983-84) द्वारा निकाले गए अनुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति कृषि श्रमिक सरकारी व्यय, जिसमें कृषि और सम्बद्ध सेवाएं, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल हैं, में वर्षानुवर्ष बढ़ोतरी का रुख दिखाई दिया है। चौथी योजना के दौरान सरकारी व्यय प्रति कृषि श्रमिक 271 रुपए से बढ़कर पांचवी योजना के दौरान 493 रुपए हो गया और छठी योजना के दौरान यह और अधिक बढ़कर 957 रुपए हो गया।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन

[अनुवाद]

5129. **श्री राम समुझावन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में, गैर-सरकारी क्षेत्र और दुकानों एवं कारखानों आदि के कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि से उचित राहत दिलाने के लिए उपयुक्त संशोधन किया गया है;

(ख) क्या नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और इस फार्मूले के आधार पर महंगाई भत्ते की आगे किस्तें किस प्रकार दी जायेंगी?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित रोजगारों के संबंध में समुचित सरकार द्वारा निर्धारित या संशोधित मजदूरी की न्यूनतम दरों में मजदूरी की मूल दरें हों और ऐसे अन्तरालों पर या ऐसे तरीके से जैसा कि समुचित सरकार निर्देश दे, ऐसे श्रमिकों पर लागू जीवन निर्वाह सूचकांक की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए किसी दर पर विशेष भत्ता समायोजित किया जाय। कुछ राज्य सरकारों ने कुछ नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध किया है। जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि कम से कम दो वर्ष में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंट की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, आवश्यकतानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों की पुनरीक्षा की जाय तथा इन्हें संशोधित किया जाय। मई, 1987 में श्रम मंत्री सम्मेलन के 36वें अधिवेशन में इस सिफारिश को दोहराया गया। उक्त अधिनियम में यह व्यवस्था है कि न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा तथा इसमें संशोधन अन्तरालों पर किया जाय लेकिन यह 5 वर्ष से अधिक न हो। इस संबंध में संशोधन करने के सुझाव पर नवम्बर, 1987 में न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा यह सिफारिश की गई कि अधिक से अधिक 2 वर्ष के अन्तराल पर मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन की व्यवस्था करने के

लिए उपबन्धों में संशोधन किया जाय जब तक कि न्यूनतम दरें इस तरह निर्धारित या संशोधित न किया जायं कि उनमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध विशेष भत्ते की व्यवस्था हो और जिस मामले में समुचित सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा की हो और आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक 5 वर्ष के अन्तराल पर ऐसी मजदूरी में संशोधन किया हो।

(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला (1982=100) अभी लागू नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैगनेसाइट का आयात

[हिन्दी]

5130. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में मैगनेसाइट के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद इसका विदेशों से आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी मात्रा में मैगनेसाइट का आयात किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा आयात रोकने और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार मैगनेसाइट का आयात नहीं करती है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार न्यून ग्रेड के मैगनेसाइट के परिष्करण के लिए नई इकाइयों को स्थापित करने को बढ़ावा दे रही है जिससे देश में अच्छी क्वालिटी का डैड बर्न्ट मैगनेसाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके।

मसालों के कृषि क्षेत्र का विस्तार

[अनुवाद]

5131. **श्री के० मोहनदास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसालों के कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान स्वीकृत केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित मसाला विकास योजना के अंतर्गत काली मिर्च की 156 लाख कलमों और लौंग की 1.9 लाख पौद के वितरण के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें काली मिर्च के अंतर्गत 7,000 हैक्टेयर और लौंग के अंतर्गत 700 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा बिम प्लांट का बंद किया जाना

5132. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री हिन्दुस्तान लीवर द्वारा बिम प्लांट बंद किए जाने के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4737 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में श्रम मंत्रालय से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके साथ मामला उठाया गया था, ने बताया है कि बिम प्लांट बंद नहीं किया गया है बल्कि व्यापारिक दृष्टि से इसका संचालन 1-5-84 को निलंबित कर दिया गया है। इसके कारण प्रभावित हुए नौ कर्मकारों को कारखाने के अन्य विभागों में पुन: खपा लिया गया है।

इलैक्ट्रिक आर्कफरनेस इंडस्ट्री का विकास

5133. डा० ए० के० पटेल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के विकास की नीति निश्चित करने के संबंध मे इलैक्ट्रिक आर्क फरनेस इंडस्ट्री के आर्थिक पहलुओं की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उद्योग की आर्थिक स्थिति पर एकत्रित जानकारी के आधार पर विद्युत् चाप भट्टी उद्योग की समीक्षा की जांच की जा रही है।

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक

5134. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1988 के "जनसत्ता" में "सब गोलमाल है दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के लेखाओं की हाल ही में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त किये बिना भारत स्थित विदेशी बैंकों में करोड़ों रुपए जमा किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार को कथित समाचार की जानकारी है।

(ख) 30-6-1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड के लेखों में लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

(ग) और (घ) बैंक की अधिशेष निधि में से 6 करोड़ रुपए की धनराशि, नई दिल्ली स्थित विदेशी बैंकों की स्थानीय शाखाओं के पास जमा है। पंजीयक, सहकारी समिति, दिल्ली ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक को हिदायत दी है कि वे विदेशी बैंकों में जमा राशि को निकाल लें और आगे इन बैंकों में कोई राशि जमा न करें।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, माननीय रक्षा मंत्री ने 24 मार्च को जबलपुर में हुए विस्फोट के बारे में एक वक्तव्य दिया था। अब मैं इस दुर्घटना स्थल पर गया था और अभी भी कुछ छुट-पुट विस्फोट हो रहे हैं। लेकिन जबलपुर और सारे देश के लोगों की चिंता का मुख्य कारण यह है कि दुर्घटना की वजह क्या है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दे दो।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दे दो। मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : हम एक विस्तृत चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सारे जबलपुर में आतंक का वातावरण है और कर्मचारी भी डरे हुए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात मान ली। मैं डिसकशन करवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : विस्फोट के संभावित कारण के बारे में कई आशंकायें हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने एक नोटिस दिया है और माननीय मंत्री को एक वक्तव्य अवश्य देना चाहिए। समाचार पत्रों में प्रत्येक दिन सभी प्रकार की खबरें छप रही हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात मान ली है, डिस्कशन अलाऊ करूंगा।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय मंत्री की स्टेटमेंट दे दें, तो लोगों को थोड़ा संतोष होगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई न कोई तरीके से डिस्कशन करा दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कुछ चर्चा करने की अनुमति देंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : सब ठीक है। कोई शून्य काल नहीं होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, ऐसे ही करवा देते हैं।

12.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : मैं श्री भजनलाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5787/88]

इस्पात और खान मन्त्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

जल संसाधन मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं श्री एम० एल० फोतेदार की ओर से इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5788/88]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1986-87 और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5789/88]

(ख) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5790/88]

(2) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 (क) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5791/88]

शिशु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1987, जो 10 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 761 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1987, जो 19 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 863 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1987, जो 17 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 785 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5792/88]

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 762, जो 10 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट अभिहित व्यवसायों के लिये अकुशल कर्मकारों के अलावा कर्मकारों की तुलना में व्यवसाय शिक्षुओं का अनुपात निर्धारित करने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 763, जो 10 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अधिसूचना में उल्लिखित व्यवसायों को अभिहित व्यवसाय विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (1) से (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5793/88]

(5) शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 974 (अ), जो 10 दिसम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम को लागू करने की तारीख 16 दिसम्बर, 1987 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5794/88]

(6) (एक) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5795/88]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा और कार्यकरण की समीक्षा

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेतन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसघ, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5796/88]

सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का-निर्माण (पचास पैसे, पच्चीस पैसे और दस पैसे के, जिनमें 18 प्रतिशत क्रोमियम, 0.03 प्रतिशत कार्बन, 0.40 प्रतिशत सिलिकन, 0.50 प्रतिशत मैंगनीज, 0.50 प्रतिशत निकल, 0.02 प्रतिशत सल्फर, 0.035 प्रतिशत फास्फोरस और शेष लोहा होगा, फेरिटिक स्टेनलैस स्टील के सिक्कों का मानक भार और गुणों के अन्तर की सीमा) नियम, 1988, जो 4 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 143 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5797/88],

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें और तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण 13.33

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं, श्री प्रिय रंजन दास मुंशी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 237 (अ), जो 1 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1987 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 15/87 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5798/88]

(2) वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5796/88]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उपधारा (6) के अन्तर्गत दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1052 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5801/88]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा (4) की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 368, जो 20 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 12 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या का० आ० 464 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5802/88]

(3) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5803/88]

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5804/88]

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5805/88]

(चार) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त मद (3) के (एक) तथा (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5805/88]

12.04 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1988 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 18 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग विधेयक, 1988 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 मार्च 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षण के उत्तर में 24 मार्च, 1988 को दी गई कतिपय जानकारी में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

जल भू-तल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैंने 24-3-1988 को दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में सर्वश्री सुरेश कुरूप, अजीत कुमार साहा, चिन्तामणि जेना, सुधीर राय और आनन्द पाठक के ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में सदन के समक्ष एक वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते समय मैंने यह बताया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार को अनिवार्य रूप से दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 40 प्रतिशत प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए और इसलिए हम किसी सुस्थिर नीति के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। यात्री परिवहन में प्राइवेट आपरेटरों को लगाना सरकार की स्वीकार्य नीति का एक अंग है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना कागजात में इस संबंध में व्यापक नीति निम्न प्रकार निर्धारित की गई है :—

> "संसाधनों के अभाव के संदर्भ में यात्री परिवहन की मांग को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की भावी भूमिका के बारे में सुनिश्चित नीति के दायरे में प्राइवेट आपरेटरों द्वारा मांग में अंतर की पूर्ति के विकल्प पर सक्रिय रूप से पहल की जाएगी।" (सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 का खण्ड-II पृ० 220)

इस नीति को वार्षिक योजना 1987-88 और सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन में भी दोहराया गया है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 19-3-1988 को अनुमोदित किया था।

दिल्ली में यात्री परिवहन में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की सीमा निर्धारित करने संबंधी मानदण्ड योजना आयोग के परामर्श से तय किया गया है। योजना आयोग द्वारा आयोजित आवधिक समीक्षाओं के दौरान 1983 में खासकर यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी समय दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 40 प्रतिशत प्राइवेट प्रचालित बसें होंगी। इसे बाद में हुई चर्चाओं में भी दोहराया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक प्राइवेट बसें लगाई जाएं कि दिल्ली परिवहन निगम के अधीन प्रचालित सकल बेड़े का 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक प्राइवेट प्रचालित बसें न हों।

दिल्ली परिवहन निगम की 1985-86 की वार्षिक रिपोर्ट में जिसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है, सातवीं योजना में दिल्ली परिवहन निगम का अनुमान इस अवधारणा पर भी दिया गया था कि योजना आयोग के सुझाव के अनुसार किसी भी समय बेड़े में 40 प्रतिशत प्राइवेट प्रचालित बसें होंगी।

मैंने 17 मार्च, 1988 को लिखित प्रश्न सं० 3491 के उत्तर में भी यह बताया था कि दिल्ली

की मौजूदा व्यवस्था में दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालन में 40 प्रतिशत सीमा तक प्राइवेट बसें चलाने का प्रावधान है। इसलिए दिल्ली में यात्री बसों के बेड़े का 40 प्रतिशत प्राइवेट स्वामित्व में होने का विशिष्ट मानदण्ड सरकार की स्वीकार्य और विदित नीति का अंग है। जबकि नीति स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है और 40 प्रतिशत सीमा तक प्राइवेटाइजेशन भी तय है, इसलिए मेरे विवरण में उल्लिखित 40 प्रतिशत के आंकड़े का सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि मेरे 24-3-88 के वक्तव्य का यह अर्थ लगने की संभावना है कि 40 प्रतिशत के विशिष्ट आंकड़े का सातवीं योजना प्रलेख में उल्लेख है। मैं उपरोक्त नीति से स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे वक्तव्य से उत्पन्न गलतफहमी और किसी प्रकार की असुविधा के लिए मुझे खेद है।

12.08 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बारे में अनुमान लगाने के लिए वहां एक और अध्ययन दल भेजना

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): भारत सरकार के उच्च केन्द्रीय अध्ययन दल, जिसमें 6 सचिव थे, ने राजस्थान में विशेषत: बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में व्यापक दौरा करने के उपरान्त नवम्बर, 1987 से मार्च, 1988 तक की समयावधि के लिए 195.00 करोड़ रुपये की धनराशि हेतु रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सिफारिश की थी।

राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी 10.50 रुपये दी गई है। उसके आधार पर कुल कार्यरत श्रमिकों के आधार पर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 216.00 करोड़ रुपये की धनराशि की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए थी।

कृषि मंत्रालय ने राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मजदूरी 8 रुपये का निर्धारण कर सिर्फ 137 करोड़ रुपये की धनराशि की सीमा निर्धारित की है जिससे राज्य को सूखे का मुकाबला करने में बड़ी बाधा पहुंची है और राज्य की वित्तीय स्थिति पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा है।

अत: भारत सरकार से निवेदन है कि राजस्थान को सूखे से मुकाबला करने के लिए नवम्बर, 1987 से मार्च, 1988 तक व्यय सीमा को संशोधित कर 216 करोड़ रुपये व्यय सीमा स्वीकृत करें। अप्रैल से जुलाई, 1988 के लिए भारत सरकार ने 77.50 करोड़ रुपये की धनराशि तक व्यय सीमा निर्धारित की है जो अपर्याप्त है जोकि पिछले वर्ष की इस समयावधि तक की 84 करोड़ रुपये की धनराशि से भी कम है। आने वाली गर्मी में अकाल की स्थिति भयंकर रूप धारण कर लेगी। 30 लाख तक मजदूरों को रोजगार देना होगा। राज्य सरकार ने पूरक प्रतिवेदन 497.86 करोड़ की व्यय सीमा निर्धारित करने के लिए भेजा है।

भारत सरकार से निवेदन है कि पुनः एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजकर नये सिरे से स्थिति पर पुनर्विचार करे और वाजिब व्यय सीमा अप्रैल, 1988 से जुलाई, 1988 तक 497.86 करोड़ रुपयों

की निर्धारित करें और नवम्बर, 1987 से मार्च, 1988 के लिए 89 करोड़ रुपये, जो राज्य सरकार को मिलने चाहिए, तुरन्त भारत सरकार द्वारा अदा किये जायें।

(दो) नवोदय स्कूलों के लिए चुने गए अध्यापकों की राजनैतिक असंबद्धता सुनिश्चित करना

[अनुवाद]

श्री आई० रामा राय (कासरगोड़) : नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत नवोदय स्कूलों को खोले जाने की बात का सभी वर्गों के प्रगतिशील विचार वाले लोगों ने स्वागत किया है। इससे कम-से-कम ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इन स्कूलों के अध्यापकों का चयन करते समय केवल उन लोगों को ही चुना जाना चाहिए जिनकी किसी भी राजनैतिक दल से संबद्धता नहीं है। चूंकि सरकार इस परियोजना पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पर्याप्त छानबीन करने के बाद अध्यापकों के चयन के मामले पर समुचित ध्यान दे, ताकि इस परियोजना पर लगे धन का समुचित उपयोग हो।

(तीन) दण्डकारण्य प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : दण्डकारण्य परियोजना ने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य 1962 में आरम्भ किया था और अब यह कार्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्राय: समाप्त होने जा रहा है। कोरापुट और बस्तर जिलों में दंडकारण्य प्राधिकरण ने परियोजना क्षेत्र में अनेक अस्पताल स्थापित किये थे और मलकानगिरी, उमरकोट, मैथिली और कोन्डागन में बहुत अच्छे अस्पताल हैं जो राज्य के किसी भी अन्य जिला अस्पतालों से बेहतर हैं। इस क्षेत्र के निवासी, शरणार्थी तथा स्थानीय व्यक्ति लगभग 25 वर्षों से इन अस्पतालों की सेवाओं का लाभ उठाते आ रहे हैं, अब सरकार इन अस्पतालों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंप रही है। चूंकि इन अस्पतालों और स्थानीय अस्पतालों के स्तरों में बहुत भारी अन्तर है। अत: स्थानीय लोगों ने भारत सरकार को इन अस्पतालों को संबंधित राज्य सरकारों को न सौंपने का बार-बार अनुरोध किया है। 1-4-88 को जैसा कि भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि वह अगले पांच वर्षों के लिए इन अस्पतालों की देख-रेख करने का खर्चा उठाने की इच्छुक है। इस क्षेत्र के लोगों को डर है कि जैसे ही ये अस्पताल राज्य सरकारों को सौंप दिये जायेंगे, इन अस्पतालों का स्तर गिर जाएगा।

अत: मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के अधीन इन अस्पतालों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दे तथा वह अधिकारी परियोजना क्षेत्र में सभी अस्पतालों के लिए पैसा लेने और बांटने की जिम्मेदारी ले तथा इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को सुपुर्द करने से पूर्व कम-से-कम आने वाले पांच वर्षों के लिए इन अस्पतालों का वर्तमान स्तर बनाये रखे।

12.12 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(चार) बिहार को पूर्णिया जिले में सड़कों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित सूचना देती हूं :—

मेरा चुनाव क्षेत्र पूर्णिया बिहार का सबसे पुराना जिला है। परन्तु स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद भी यह बहुत सी बातों में बहुत ही पिछड़ी हुई जगह है। इस बार की भीषण बाढ़ ने जो कुछ भी पहले तरक्की हुई थी उसे फिर पहले की स्थिति में पहुंचा दिया है, खासकर के सड़कों की हालतें बहुत ही दयनीय है। उत्तर बिहार की बाढ़ की हालत से केन्द्रीय सरकार भी अनभिज्ञ नहीं है, यहां तक कि हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वहां जनता के बीच में पहुंचे, इसके लिए वहां की सारी जनता उनकी बहुत ही आभारी है और उनके लिए सभी के हृदय में ऊंचा स्थान है। वैसे तो इस क्षेत्र की हालत पहले से ही बिगड़ी हुई है, लेकिन इस बाढ़ ने बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। सड़कों की हालत सुधारने मे मेरा ख्याल है कि जब तक भारत सरकार मदद नहीं करेगी तब तक उन्हें जल्दी सही करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि आर्थिक रूप से बिहार सरकार की पूर्ण मदद करने की कृपा करे, जिससे यातायात सुव्यवस्थित हो सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के लिए वायुदूत सेवा आरम्भ करना

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : देश में वायुदूत सेवाएं चालू करते समय उत्तर प्रदेश में गाजीपुर को वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था। गाजीपुर, एयरफील्ड को नया रूप दिया गया और उसका निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, परन्तु अभी तक वायुदूत सेवा वहां चालू नहीं की गई है।

वायुदूत सेवा विशेष तौर पर पिछड़े क्षेत्रों में हवाई यात्रा करने वालों के लिए शुरू की गई थी। गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके के बीचों बीच स्थित है। इस सेवा का उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़ एवं बिहार में रोहतास एवं भोजपुर जिलों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। वायुदूत सेवा शुरू करने की घोषणा 5 वर्ष पूर्व की गई थी। लोग अभी भी गाजीपुर में वायुदूत सेवा शुरू किये जाने का इन्तजार कर रहे हैं।

मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि गाजीपुर में तुरन्त ही वायुदूत सेवा शुरू करने के लिए कदम उठायें और मैं समझता हूं कि एयरफील्ड भी तैयार है।

(छः) जम्मू तथा कश्मीर को 'एक नाला' पर पुल का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : अनिया गांव के निकट 'एक नाला' के ऊपर पुल न होने की वजह से जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू में तेली बिसनाह में अनिया गांव और अन्य सीमावर्ती गांवों के निवासियों को भारी असुविधा और कठिनाई हो रही है। पहले उस गांव के निकट उस नाले पर 'बेली ब्रिज' हुआ करता था लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है।

मैं रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह 'एक नाला' पर पुल बनाने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करायें ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

12.14 म० प०

तमिलनाडु बजट, 1988-89
लेखानुदानों की मांगें (तमिलनाडु), 1988-89
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु), 1987-88

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में तमिलनाडु राज्य के लिए वर्ष 1988-89 के लिए प्रस्तुत किये गये बजट पर सामान्य चर्चा होगी।

सभा में तमिलनाडु राज्य के लिए वर्ष 1988-89 के बजट के संबंध में लेखानुदानों की मांगों पर मतदान तथा चर्चा भी होगी।

इसके अतिरिक्त सभा में तमिलनाडु के 1987-88 के बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मतदान तथा चर्चा भी होगी, जिसके लिए दो घन्टे का समय निश्चित किया गया है। मद संख्या 10 से 12 पर एक साथ चर्चा की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 59 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु, या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां तमिलनाडु की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां तमिलनाडु की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या : 1, 3 से 28, 30, 31, 32, 34 से 55, 57, 58 और 59"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए लेखानुदान की मांगें (तमिलनाडु)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	भू-राजस्व विभाग	12,34,97,000	—

1	2	3	
2.	राज्य उत्पाद-शुल्क विभाग	2,26,71,000	—
3.	मोटर गाड़ी अधिनियम-प्रशासन	2,10,32,000	—
4.	सामान्य बिक्री कर और अन्य कर तथा शुल्क-प्रशासन	11,54,93,000	—
5.	स्टाम्प प्रशासन	75,56,000	—
6.	पंजीयन	5,00,52,000	—
7.	राज्य विधान सभा	1,05,25,000	—
8.	निर्वाचन	9,08,05,000	—
9.	राज्य के अध्यक्ष, मंत्रीगण और मुख्यालय कर्मचारी	23,99,86,000	—
10.	दुग्धपूर्ति योजनाएं	1,68,33,000	—
11.	जिला प्रशासन	29,09,05,000	—
12.	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं पूर्त धर्मस्व अधिनियम, 1959 का प्रशासन	2,58,84,000	—
13.	न्याय प्रशासन	11,50,50,000	—
14.	जेलें	6,41,33,000	—
15.	पुलिस	75,80,45,000	—
16.	अग्निशमन सेवाएं	5,59,48,000	—
17.	शिक्षा	3,44,85,65,000	—
18.	चिकित्सा	78,02,56,000	—
19.	लोक स्वास्थ्य	43,77,63,000	—
20.	कृषि	73,69,83,000	—
21.	मत्स्य पालन	4,05,04,000	—
22.	पशु पालन	18,44,48,000	—
23.	सहकारिता	26,15,62,000	—
24.	उद्योग	4,42,53,000	—
25.	सिंकोना	2,13,43,000	—
26.	हथकरघा और वस्त्र	10,45,87,000	—

1	2		3
27.	खादी	2,28,67,000	—
28.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं और नगरपालिका प्रशासन	97,21,93,000	—
29.	फैक्ट्रियों सहित श्रमिक	13,21,44,000	—
30.	समाज कल्याण	48,59,40,000	—
31.	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण	32,37,24,000	—
32.	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण	8,22,43,000	—
33.	आवास	2,76,37,000	—
34.	शहरी विकास	29,92,34,000	—
35.	नागरिक पूर्ति	78,82,69,000	—
36.	सिंचाई	43,34,28,000	—
37.	लोक निर्माण कार्य—भवन	1,87,64,000	—
38.	लोक निर्माण कार्य—स्थापना और औजार तथा संयन्त्र	15,52,35,000	—
39.	सड़क और पुल	48,36,68,000	—
40.	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन	3,18,05,000	—
41.	दैवी विपदाओं के लिए राहत	59,77,000	—
42.	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	77,91,39,000	—
43.	विविध	1,79,13,02,000	—
44.	लेखन सामग्री और मुद्रण	9,08,18,000	—
45.	वन विभाग	9,52,85,000	—
46.	प्रतिपूर्ति और समनुदेशन	20,31,63,000	—
47.	सूचना, पर्यटन और फिल्म प्रौद्योगिकी	1,94,02,000	—
48.	ग्रामीण उद्योग	10,91,16,000	—
49.	जल-पूर्ति	63,55,02,000	—
50.	कृषि पर पूंजी परिव्यय	—	1,95,69,000
51.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	—	6,96,69,000
52.	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	—	28,57,95,000

1 2		3
53. लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय—भवन	—	22,83,70,000
54. सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	—	21,5?,20,000
55. सड़क परिवहन सेवाओं व नौवहन पर पूंजी परिव्यय	—	30,1?,000
56. वनों पर पूंजी परिव्यय	—	12,05,21,000
57. ग्रामीण उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	—	79,75,000
58. विविध पूंजी परिव्यय	—	7,12,14,000
59. राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	—	1,81,88,65,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1987-88 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	भू-राजस्व विभाग	1,22,42,000	—
3.	मोटर गाड़ी अधिनियम	1,70,000	—
4.	सामान्य बिक्री कर और अन्य कर तथा शुल्क प्रशासन	1,20,27,000	—
5.	स्टाम्प प्रशासन	68,35,000	—
6.	पंजीयन	34,01,000	—
7.	राज्य विधान सभा	38,22,000	—
8.	निर्वाचन	2,69,00,000	—
9.	राज्य के अध्यक्ष, मंत्रीगण और मुख्यालय कर्मचारी	1,76,43,000	—
10.	दुग्धपूर्ति योजनाएं	46,66,000	—
11.	जिला प्रशासन	6,62,22,000	—

1	2		3
12.	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं पूर्त धर्मस्व अधिनियम, 1959 का प्रशासन	10,70,000	—
13.	न्याय प्रशासन	90,03,000	—
14.	जेलें	1,98,36,000	—
15.	पुलिस	16,91,43,000	—
16.	अग्निशमन सेवाएं	60,47,000	—
17.	शिक्षा	76,74,86,000	—
18.	चिकित्सा	4,88,92,000	—
19.	लोक स्वास्थ्य	4,66,92,000	—
20.	कृषि	39,04,94,000	—
21.	मत्स्य पालन	1,20,90,000	—
22.	पशु पालन	1,86,07,000	—
23.	सहकारिता	5,92,76,000	—
24.	उद्योग	2,13,81,000	—
25.	सिकोना	1,00,94,000	—
26.	हथकरघा और वस्त्र	13,45,97,000	—
27.	खादी	1,06,00,000	—
28.	सामुदायिक विकास परियोजनाएं और नगरपालिका प्रशासन	25,46,61,000	—
30.	समाज कल्याण	9,68,68,000	—
31.	अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों आदि का कल्याण	8,85,57,000	—
32.	पिछड़े वर्गों आदि का कल्याण	1,82,22,000	—
34.	शहरी विकास	67,19,000	—
35.	नागरिक पूर्ति	1,19,05,000	—
36.	सिंचाई	6,81,42,000	—
37.	लोक निर्माण कार्य—भवन	1,63,21,000	—
38.	लोक निर्माण कार्य—स्थापना और औजार तथा संयंत्र	1,43,15,000	—

1	2		3
39.	सड़क और पुल	1,000	—
40.	सड़क परिवहन सेवाएं और नौवहन	1,31,34,000	—
41.	दैवी विपदाओं के लिए राहत	1,44,21,000	—
42.	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	46,44,31,000	—
43.	विविध	2,000	—
44.	लेखन सामग्री और मुद्रण	2,84,000	—
45.	वन विभाग	3,63,76,000	—
46.	प्रतिपूर्ति और समनुदेशन	10,02,21,000	—
47.	सूचना, पर्यटन और फिल्म प्रौद्योगिकी	72,77,000	—
48.	ग्रामीण उद्योग	1,44,25,000	—
49.	जल-पूर्ति	5,000	—
50.	कृषि पर पूंजी परिव्यय	—	53,07,000
51.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	—	5,48,97,000
52.	सिचाई पर पूंजी परिव्यय	—	3,000
53.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय—भवन	—	12,000
54.	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	—	3,000
55.	सड़क परिवहन सेवाओं व नौवहन पर पूंजी परिव्यय	—	1,50,15,000
57.	ग्रामीण उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	—	33,73,000
58.	विविध पूंजी परिव्यय	—	4,63,04,000
59.	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	—	45,50,18,000

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : मैं तमिलनाडु बजट पर चर्चा शुरू करता हूं। यह कर-मुक्त बजट है। यह चुनाव पूर्व तथा राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित बजट है। चुनाव से एकदम पहले उन्होंने तमिलनाडु के लोगों के दिल जीतने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। परन्तु कांग्रेसी द्रविड़ियन यूनियन को भूल गए हैं जिनके साथ उन्होंने नेतागिरी की है और अब तक अपने नेताओं को चुना है। उन्होंने दो महिलाओं के बीच एक समस्या सी खड़ी कर दी है। वे एक महिला को ऊपर उठाना चाहते थे तथा उसके बाद उसे खड्डे में धकेल दिया। उसके बाद स्वार्थ भावना से उन्होंने तमिलनाडु में राज्यपाल शासन लागू किया।

अब जहां गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं वहां राज्यपाल का पद राजनैतिक पद बन चुका है। वास्तव में इन राज्यपालों के कार्यालय सत्ता दल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय हो गए हैं। दल के सभी कार्य राज्यपाल कार्यालय से किए जाते हैं। वे राज्यपाल कार्यालय में दल के व्यक्तियों को ही समायोजित करते हैं। आप रिकार्डों को मंगवाकर उनसे पुष्टि कर सकते हैं। इसका पता लगाया जा सकता है। सभी जगह, न सिर्फ मद्रास में, सभी जगह इसका अनुसरण किया जा रहा है।

इस सदन में कर-मुक्त बजट प्रस्तुत किए जाने के बारे में...(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : वे राज्यपालों पर आक्षेप लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात आपत्तिजनक हुई तो मैं उसे देखूंगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। यह तो सत्य है।

श्री शांताराम नायक : महोदय, आप इस पर अपना विनिर्णय दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वे किसी राज्यपाल अथवा किसी राज्यपाल विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह किसी राज्यपाल का नाम लेते हैं या किसी विशेष राज्यपाल पर कोई आरोप लगाते हैं तो यह आक्षेप है। यदि वह आम बात करते हैं तो क्या हर्ज है। मैं रिकार्ड को देखूंगा। यदि कुछ आपत्तिजनक हुआ तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यहां सत्तारूढ़ दल ने राज्य के सत्तारूढ़ दल में अस्थिरता पैदा कर दी है। उन्होंने राज्य में अस्थिरता पैदा कर दी है। असल में उन्होंने एक महिला को सहारा दिया और फिर उसे गिरा भी दिया और उन्होंने तमिलवासियों को जीतने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया।

श्री सी० माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : न कि उन्हें जीतने के लिए बल्कि चुनाव जीतने के लिये।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : जी हां, चुनाव जीतने के लिए, तमिलवासियों को जीतने के लिए। लेकिन तमिलवासी चालाक हैं। वे जानते हैं कि क्या हो रहा है। वे अपने ही व्यक्ति को जिताएंगे न कि उसे जिसे आप चाहते हैं या सोच रहे हैं।

यह कर-मुक्त बजट, जिसमें 327 करोड़ रुपये का संचित घाटा है, आप इसे निर्वाचित सरकार, लोकप्रिय सरकार, जब कभी भी चुन कर आएगी, के लिए भार बना रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप चुनाव कब करवाने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है और मेरी मांग है कि आप तुरन्त ही चुनाव करवाएं। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाड़ा) कृपया सुनिये। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपको बोलने का अधिकार है?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : आप क्यों नहीं तुरन्त ही चुनाव करवाते? इसमें कोई हानि नहीं

है। वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आप चुनाव करवा सकते हैं। लोकप्रिय सरकार लाई जा सकती है। परन्तु आपने तमिलनाडु के लोगों को स्वयं उन्हें अपना बजट प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। अब आपने यह घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। यह चुनाव-पूर्व बजट है। आपने किसानों को कुछ प्रोत्साहन दिया है। मैं नहीं जानता ये किस प्रकार के प्रोत्साहन हैं। छह महीनों की अवधि के लिए वर्तमान बकायों को स्थगित करना तथा सहकारी संस्थाओं की सम्पत्ति की कुर्की न करना। क्या यह किसानों के लिए प्रोत्साहन है? भयंकर सूखे के प्रभाव से पिछले चार वर्षों से निरन्तर यह राज्य प्रभावित है। आप आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा की सरकारों की तरह कार्यवाही क्यों नहीं करते? हरियाणा सरकार ने पूरा ऋण माफ कर दिया है और आंध्र प्रदेश की सरकार ने पूरा ब्याज माफ कर दिया है। ऋण स्थगित करने का अर्थ यह है कि आप किसानों के बोझ में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। किसान पहले से ही परेशान हैं। आप उन्हें और अधिक परेशान करना चाहते हैं। छः महीने बाद आप किसानों से ऋणों की वसूली करेंगे। क्या उन्हें अच्छी फसल की आशा है? नहीं।

आपने कावेरी नदी के पानी की समस्या को हल नहीं किया है। बजट में तेलगु गंगा परियोजना का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कोई आबंटन नहीं किया गया है। 1984 में तेलगु गंगा परियोजना के निर्माण के लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपए दिए हैं। आप मद्रास के लोगों की पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे? बजट में आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आपने साहित्य अनुवाद और विधवा पेंशन योजना के बारे में जिक्र किया है। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 25 हजार लोगों को 3 करोड़ रुपए की धनराशि दी जायेगी। आप घटिया चाल अपनाना चाहते हैं। यदि सरकार वास्तव में इस योजना को क्रियान्वित करना चाहती है तो आपको कुल विधवाओं की संख्या ध्यान में रखनी चाहिए थी और इस योजना के लिए आपको कम से कम 30 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित करनी चाहिए।

आवास कार्यक्रम के लिए आपने केवल 27 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की है। इस धनराशि से आप आप आवास की समस्या कैसे हल करेंगे। आप इसमें बढ़ोत्तरी क्यों नहीं कर सकते? आप इस कार्यक्रम को शुरू क्यों नहीं कर सकते? केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने कमजोर वर्गों के आवास के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कोटा में कमी कर दी है। अन्य राज्यों के बारे में मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कमजोर वर्गों के आवास के लिए भूमिहीन गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि में कमी कर दी है। केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु के लोगों की सहायता करनी चाहिए। आपके पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं किया है।

उद्योगों के लिए आपने केवल 69 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है। आप रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं। इस धनराशि से आप रोजगार के अवसर कैसे पैदा करेंगे? अन्य संसाधन क्या हैं? बेरोजगार नवयुवकों के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है? इसके बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

कृषि के लिए आपने बहुत ही कम धनराशि आबंटित की है। जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। बजट में आपने दस प्रतिशत से कम आबंटन किया है। बिजली क्षेत्र के लिए 502 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है, परन्तु बजट में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कुछ नहीं

कहा गया है। बजट में कावेरी समस्या और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है—क्या आप इसका निर्माण करेंगे ?

इन सब बातों के अभाव में राज्य को समृद्ध होने की आशा कैसे कर सकते हैं ? जिस राज्य में विगत तीन या चार वर्षों से भयंकर सूखा पड़ रहा हो तो आप किसानों से ऋण अदा करने की आशा कैसे कर सकते हैं ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सहकारी ब्याज माफ कर दें—मैं आपसे संपूर्ण ब्याज माफ करने का अनुरोध करता हूं, मैं यह नहीं चाहता कि ऋण को वर्तमान फसल के लिए स्थगित कर दिया जाए। आप आंध्र प्रदेश और असम की तरह किश्त प्रणाली शुरू क्यों नहीं करते—एक साल में एक एच० पी० के लिए 50 रुपए और 10 एच० पी० के लिए 500 रुपए होने चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां यह पहले से ही है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वहां आंध्र प्रदेश की किश्त प्रणाली नहीं है। उनकी प्रणाली भिन्न है। लघु या सीमान्त किसानों के मामले में सरकार को ऋण की संपूर्ण राशि माफ कर देनी चाहिए क्योंकि वे दरअसल भयंकर सूखे की चपेट में हैं।

कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त कनक्शन दिए जाने चाहिए।

बजट में किसी नई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। स्वर्गीय एम० जी० आर० ने जिन योजनाओं का प्रस्ताव किया था केवल उन्हीं के बारे में उल्लेख किया गया है। नई बोतल में वही पुरानी मदिरा है। आप इन बातों की परवाह क्यों नहीं करते ? आपने 50 तमिल किताबों के अनुवाद का प्रावधान किया है। क्या आपका विचार है कि इतना ही पर्याप्त होगा ? यदि आप तमिलनाडु की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है कि तमिल भाषा के विकास जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाएं। केवल 50 किताबों का अनुवाद ही पर्याप्त नहीं होगा। आपको कुछ अन्य कार्य भी करने पड़ेंगे। राज्य के प्रत्येक भाग में स्थानीय साहित्य का प्रचार किया जाना चाहिए।

कुछ केन्द्रीय नेता वहां आकर यह प्रचार करते हैं कि केन्द्रीय सरकार जल्दी चुनाव करना चाहती है। चूंकि राज्य भयंकर सूखे की चपेट में है इसलिए चुनाव कराना संभव नहीं है। इस प्रकार का दृष्टिकोण वहां की आम जनता, श्रमिक और किसानों के लिए किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं है। पीने का पानी नहीं है तथा बिजली नहीं है। इन चीजों के अभाव में केवल प्रचार से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तमिलनाडु के लोग बड़े बुद्धिमान हैं। वे वहां की सरकार चलाने के लिए सही व्यक्ति या सही दल का चुनाव करेंगे। परन्तु मेरा सरकार से केवल यही अनुरोध है कि तमिलनाडु में यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएं।

मुझे मालूम हुआ है कि वहां राज्यपाल ने अक्तूबर के महीने में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। इसका मतलब है कि आप वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि अक्तूबर या तब तक बढ़ाना चाहते हैं जब तक कि वहां की जनता का आपको समर्थन न प्राप्त हो जाए। राज्यपाल वहां चुनाव क्यों कराएं ? वहां लोकप्रिय सरकार को चुनाव कराने चाहिएं। यह उनका कार्य है।

इस बजट में बहुत बड़ा घाटा है। आप इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे ? इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आप यह भली-भांति जानते हैं कि विपक्ष का कोई दल सत्ता में आयेगा इसलिए आप सरकार पर बोझ डालना चाहते हैं। आप उस सरकार को अलोकप्रिय बनाना चाहते हैं जिससे कि आप उसकी आलोचना कर सकें। इन सब बातों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र लोकप्रिय सरकार बनाई जाए, चुनाव कराए जाएं, कावेरी नदी के पानी तथा पीने के पानी पर विचार किया जाए, नवयुवकों को प्रेरित करने, उन्हें रोजगार देने के लिए उद्योग स्थापित किए जाएं।

मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि तेलगु गंगा परियोजना के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं जो मद्रास शहर की जनता के लिए पीने के पानी का मुख्य साधन होगी। यदि आप बजट में कोई प्रावधान नहीं करते और आंध्र प्रदेश की सरकार को भुगतान नहीं करते तो मद्रास शहर को पानी नहीं आयेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि मद्रास शहर के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। नहर तैयार है। उस पर कार्य चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस परियोजना को स्वीकृति दी जाए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों की सहायता दी जाए जिससे कि इन दोनों देशों के बीच भविष्य में भाईचारा बना रहे।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त खुशी से 1988-89 के लिए तमिलनाडु के बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि विधान सभा का सदस्य न होने पर भी मुझे राज्य से बजट पर बोलने का अवसर मिल रहा है। बजट में वित्त मन्त्री ने बहुत-सी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। हम सभी कल्याणकारी उपायों का स्वागत करते हैं।

जहां तक एक संगठन के रूप में कांग्रेस का सम्बन्ध है हम सभी कांग्रेसी हर तरीके से इस देश की कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। हम सब इस देश की एकता और अखंडता तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। लेकिन महोदय, विगत बीस वर्षों में अर्थात 1967 के बाद से आज तक औद्योगिक विकास में तमिलनाडु का दर्जा घटकर 13 वें स्थान पर आ गया है जो कि अन्य भारतीय राज्यों में तीसरे स्थान पर था। तथापि डा० एम० जी० आर० के दस वर्षों के शासन काल में तमिलनाडु की जनता की सामाजिक स्थितियों में काफी सुधार हुआ। डा० एम० जी० आर० ने गरीबों और पददलितों के उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया। उनमें से एक योजना पौष्टिक भोजन के बारे में थी। अभी वित्त मंत्री ने कहा है कि कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए उपाय किये जाने चाहिए और यह भी कहा है कि कार्यक्रम को बड़ी सक्रियता से लागू किया जायेगा। हमे इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है उसके लिए सरकार ने 147 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है। बिजली उत्पादन के लिए 502 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है। शिक्षा के लिए 650 करोड़ रुपये दिये गये हैं। 1987-88 के दौरान कृषि के लिए 138 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी। इस वर्ष इसमें बढ़ोत्तरी कर इसे 147 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि 6.5 प्रतिशत

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 156 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है। पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए 176 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। तेलुगु-गंगा परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि पहले दी गयी थी। अब इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस परियोजना के लिए कुल 90 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है। इतनी बड़ी धनराशि के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री श्री एन० टी० आर० सहयोग नहीं जता रहे हैं। माननीय सदस्य श्री सोमू और श्री कुलनदईवेलू ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया। मद्रास शहर में पीने के पानी का भारी संकट है। ये सदस्य जब तमिलनाडु में जाते हैं तो जनता की समस्याओं के बारे में नहीं कहते। इसकी बजाय ये अपने निहित स्वार्थों में लीन रहते हैं। इस अवसर पर मेरी मांग है कि देश के समग्र जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। 27 करोड़ रुपए कामराज हरिजन नई आवास योजना के लिए आबंटित किये गये हैं। गरीबों और दलितों की सहायता करने के लिए सभा को सरकार के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए।

हम जवाहर लाल नेहरू निशुल्क विज्ञान पुस्तक योजना का भी स्वागत करते हैं जिसके तहत तीन हजार विद्यार्थियों को विज्ञान की पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था है।

जहां तक विक्रय कर का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग 70 प्रतिशत बनियानें मेरे निर्वाचन क्षेत्र त्रिपुर में बनती हैं। इन बनियानों से विक्रय कर हटाने का प्रस्ताव था। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। विक्रय कर को समाप्त करने के लिए एक निर्णय लिया जाना चाहिए।

अब मद्यनिषेध नीति को लिया जाता है। तमिलनाडु की गलियों में शराब शहद और दूध की तरह बह रही है। मद्यनिषेध नीति को लागू करते समय केवल छोटे अपराधियों को पकड़ा जाता है। प्रवर्तन कर्मचारी शराब के बड़े नवाबों को नहीं पकड़ते। आमतौर पर छोटे अपराधियों को 'मीसा' के तहत जेल में बंद किया जाता है। महोदय, मैं मद्यनिषेध नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर गंभीरता से ध्यान दें। मद्यनिषेध कानून सभी बड़े-बड़े आदमियों, शराब के ठेकेदारों, लखपति करोड़पतियों पर भी लागू होना चाहिए। इन शराब के नवाबों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। जो काला धन इन्होंने जमा कर रखा है उसको निकाल बाहर किया जाना चाहिए।

जहां तक राज्य में पुलिस की स्थिति का सम्बन्ध है यह संतोषजनक नहीं है। पुलिस के पास पर्याप्त गाड़ियां नहीं हैं। उनको पर्याप्त गाड़ियां दी जानी चाहिएं और गतिशीलता में मदद करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। दूसरे राज्यों की पुलिस के मुकाबले में तमिलनाडु की पुलिस को कम वेतन मिलता है। यही स्थिति वहां के अध्यापकों और अराजपत्रित कर्मचारियों की है। इनके वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए और मंत्री महोदय को इस हेतु बजट में अतिरिक्त आवंटन करना चाहिए। 1967 के पश्चात् पुलिस, अध्यापकों और अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। हो सकता है कुछ वृद्धि की गयी हो परन्तु दूसरे राज्यों की पुलिस और कर्मचारियों के मुकाबले में तमिलनाडु पुलिस को बहुत कम वेतन मिल रहा है। इस सम्बन्ध में अध्यापकों ने कई आंदोलन चलाए हैं। इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में राज्यपाल आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हम इन कदमों का स्वागत करते हैं।

महोदय, एक तमिल समाचारपत्र 'दिनमानी' में एक संपादकीय छपा है जिसमें यह ठीक ही कहा गया है कि राज्य में चुनाव कराने की कोई जल्दी नहीं है। राज्य विधान सभा के चुनाव करवाने में हमारी भी गहन रुचि है, परन्तु अनुचित जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।

राज्यपाल के अधीन प्रशासन कोकारगार बना दिया गया है। राज्यपाल ने एक ही दिन में 300 फाइलें निपटाई हैं। जिस उत्साह और स्फूर्ति से राज्य सरकार कार्य कर रही है वह प्रशंसनीय है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों का सेवा काल बढ़ा दिया जाता है। यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में भी इस प्रणाली को नहीं अपनाया गया था, मैं मंत्री से पूछता हूं कि इनके सेवा काल को क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। 58 वर्ष की आयु के पश्चात् इनको सेवानिवृत हो जाना चाहिए क्योंकि इनका सेवाकाल बढ़ाया जाता है, तो यह लोग बढ़ाये गये 2 वर्ष के सेवा काल के दौरान अपने निहित स्वार्थ विकसित कर लेते हैं। ये कदाचार में लिप्त हो जाते हैं और लाखों, करोड़ों रुपए की धन सम्पत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। मैं कई मामलों में ऐसा सिद्ध कर सकता हूं।

**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : इसके बाद मैं राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहता हूं। स्थानीय गुंडे गलत ढंग से अपने नाम पर 100 कार्ड बनवा लेते हैं और गरीब लोगों के राशन को ले जाते हैं और गरीब आदमी के उपभोग की वस्तुओं को खुले बाजार में बेच देते हैं और इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर देते हैं। पहले गरीब जनता के लिए ताड़-तेल के (पाम आयल) डिब्बे उपलब्ध नहीं थे। अब राज्यपाल के शासन में सभी राशन की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण के लिए ताड़-तेल (पाम आयल) उपलब्ध है। किसी भी राशन की दुकान में आप जायें, ताड़-तेल (पाम आयल) के डिब्बे उपलब्ध हैं, ये राज्यपाल के शासन से पहले उपलब्ध क्यों नहीं थे। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए माननीय मंत्री को प्रभावकारी कदम उठाने चाहियें।

अब गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड को लिया जाये। मैं इस विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में बताता हूं। कोयम्बटूर जिले में काफी संख्या में टोकरी बुनकर हैं। इन बुनकरों के लिए मकान बनाने के लिए 47 लाख रुपये आबंटित किए गए थे। मैं नहीं जानता कि यह धन कहां गया। अधिकारी मद्रास से आये हैं और उन्हें इस बारे में एक विवरण तैयार करना चाहिये। जिस उद्देश्य के लिए 47 लाख रुपये इन बुनकरों के लिए आबंटित किए गए थे उनका इस्तेमाल सही लक्ष्य के लिए नहीं किया गया।

डा० एम० जी० आर० ने भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत 30 लाख मकान बनाने की एक योजना की घोषणा की थी। जिन लोगों को इस योजना को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया था, उन्होंने इसका धन स्वयं हड़प लिया। इस बात की जांच की जानी चाहिये और जिन लोगों ने पैसा खाया है उनके खिलाफ मुकद्दमे दर्ज किए जाने

**कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

चाहिए। यदि मन्त्री महोदय उनके घरों पर छापे मारने का आदेश देते हैं तो करोड़ों रुपयों के घोटाले पाये जायेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एम० जी० आर० द्वारा घोषित 20 लाख मकान प्रदान करने की योजना आर० एल० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० के मकानों को शामिल नहीं करती है। यह एक अलग योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, जब आपकी बारी आये तब आप इस बारे में बोल सकते हैं। श्री कुप्पुस्वामी आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई चर्चा नहीं। आप अध्यक्ष महोदय को संबोधित करें।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : मन्त्री महोदय ने कुछ आंकड़े बताये हैं, जिनसे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, हरिजनों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये कुछ मकानों का निर्माण किया गया था परन्तु अध्यापकों के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया। राज्यपाल के शासन के दौरान अध्यापकों को भी मकान प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

मेरा अगला मुद्दा सहकारी समितियों के बारे में है। जिन गरीब किसानों और बुनकरों ने सहकारी समितियों से ऋण लिया हुआ है वे इसके बोझ के तले पिसे जा रहे हैं। यदि 5000 रुपये का ऋण लिया जाता है तो गरीब किसान अथवा बुनकर को 10000 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं। यह इससे ज्यादा धनराशि है। इसलिये सहकारी समितियों से लिये गए ऋणों पर ब्याज की राशि माफ कर दी जानी चाहिए और केवल मूल राशि ही इन लोगों से वसूल की जानी चाहिए। तमिलनाडु के कई जिलों में सूखे की भयंकर स्थिति रही है। वहां पीने का पानी भी नहीं है। त्रिपुर के निवासियों को हफ्ते में एक दिन पीने का पानी मिलता है। त्रिपुर शहर में 7 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इस शहर में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 16 लाख रुपए आबंटित किए गए थे और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए इस धन के इस्तेमाल हेतु शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं। 1985 में भी मैंने केन्द्र के साथ बातचीत की थी और इस उद्देश्य के लिए 745 लाख रुपए की सहायता भी की गयी थी। अब इस पर कार्य आरम्भ हो गया है। यहां तक कि शिक्षित बेरोजगार तथा स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत सहायता के मामले में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बैंक सिर्फ उन लोगों को ऋण देते है जो बैंक कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ सभी कागजात पूरे करने के बाद भी गरीब शिक्षित बेरोजगारों को ऋण नहीं मिल रहा है। बैंक बेनामी उपाधियों वाले लोगों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। यदि इस देश के युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए तो वे सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए।

रोजगार दफ्तरों की स्थिति को देखा जाए। वहां पर भ्रष्टाचार की भरमार है। माननीय मंत्री को रोजगार केन्द्रों में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों को वरिष्ठता के आधार पर नौकरियां देने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

बजट वक्तव्य में 110 से भी अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए किए गए पर्याप्त वित्तीय आबंटन की मैं सराहना करता हूं। उदाहरण के तौर पर

कोयम्बटूर अस्पताल को लीजिए, यदि जीवन के लिए संघर्ष कर रहे किसी रोगी को वहां पर ले जाया जाए तो आप उसे बिना इलाज के अस्पताल से मृत अवस्था में देखेंगे। यदि किसी रोगी को मारना है तो उसे कोयम्बटूर अस्पताल में ले जायें। मैंने स्वयं ऐसी हालत देखी है जो कोयम्बटूर में सबसे बड़े अस्पताल में व्याप्त है। इसलिए, वहां पर स्टाफ तथा उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध राज्य का मूलभूत कर्तव्य बनता है। आजकल अध्यापकों को एक जगह से दूसरी जगह अन्धाधुन्ध स्थानांतरित किया जा रहा है। कामराज के समय पति-पत्नी दोनों को एक ही स्थान पर रखने का नियम था। श्री सोमू इस बारे में जानते हैं। पति तो कोयम्बटूर में काम करता है और पत्नी सलेम में। जब पत्नी सलेम नौकरी कर रही है तो पति को कन्याकुमारी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसलिए इस संबंध में कड़े आदेश दिए जाएं कि पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखा जाए।

अब पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई को लिया जाए। वनों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा की जानी चाहिए। कोयम्बटूर में एक फारेस्ट कालेज है। वहां पर हजारों पेड़ों को काटकर एक प्राइवेट कालेज की स्थापना की बात चल रही है। यह क्षेत्र कोई पांच एकड़ के लगभग है। यदि इसमें से एक वर्ग फुट से भी पेड़ काटे गए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मंत्री महोदय को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि हमारी नीति एक परिवार, एक पेड़ की है तो हजारों की संख्या में पेड़ों को नष्ट करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। कोयम्बटूर के निवासियों ने वनों के इस तरह से काटने के खिलाफ अधिकारियों से विरोध प्रकट किया है।

अब सड़कों और पुलों को लिया जाए। जब हम किसी सड़क पर चलते हैं तो लोग कहते हैं कि यह सड़क कामराज ने बनवायी थी। जब मैं एक पदयात्रा पर गया तो लोगों ने प्रशंसा की कि कामराज ने एक विशेष मार्ग बनवाया था। उसके बाद, किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है ?

1987-88 के दौरान मार्गों और पुलों के निर्माण के लिए 92 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। इस वर्ष, 97 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं।

जल की कमी किसानों की समस्या है। कोयम्बटूर जिले में पल्लदम तालुक, अविनासी तालुक तथा उत्तरी कोयम्बटूर में लगभग 8 लाख एकड़ भूमि में सदा ही सूखा रहता है। भूमि जल भूमि स्तर से 300 से 200 फुट तक नीचे उपलब्ध है। यदि इन सूखा प्रभावित क्षेत्रो में सुधार करना है तो सरकार को पंडियार और पोन्नाम जुजाह नदियों को जोड़ना होगा। इसका प्रस्ताव 1955 और 1974 में किया गया था। सैद्धान्तिक तौर पर श्रीमती गांधी इससे सहमत हो गयी थी। इसलिए, इस नदी जल परियोजना के लिए धन का आबंटन किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री को इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी प्रदान किया जा सके। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने चाहिए। इन नदियों का जल समुद्र में बरबाद हो जाता है। यदि इन नदियों के प्रवाह मार्ग को मोड़ दिया जाए तो सूखे खेतों में सिंचाई करने के लिए जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है और केरल को इसकी सप्लाई की जा सकती है। इसीलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि सभी जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, आश्वासन दिया गया था कि उत्तरी कोयम्बटूर में एक ऊपरि पुल का निर्माण

करने के लिए 8 करोड़ रुपए दिए जायेंगे। इसका निर्माण अविलम्ब होना चाहिए। (व्यवधान)। 8 करोड़, हां, 8 करोड़ रुपए। मैं सभा में आपको सभी दस्तावेज दिखाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : चिदम्बरम जिले में हैवी इलैक्ट्रीकल यूनिट के पीछे, सरकार ने 150 करोड़ रुपए की लागत से एक रसायन कारखाना लगाने का प्रस्ताव रखा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं ऊटी में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक इलैक्ट्रानिक उद्योग लगाने का भी स्वागत करता हूं। मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि ये परियोजनाएं अविलम्ब शुरू की जानी चाहिए। केवल धनराशि निर्धारित करना या आधारशिला रखना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु को औद्योगिक मानचित्र पर अग्रिम श्रेणी के राज्य के रूप में रखने के लिए मंत्री जी को बड़ा प्रयास करना चाहिए। इस राज्य का तीसरा स्थान था जो अब 1:वां हो गया है। इसे तीसरे स्थान पर लाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरे स्थान पर क्यों? इसे प्रथम स्थान पर आना चाहिए।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : जी हां, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसे प्रथम स्थान पर होना चाहिए।

दूसरी बात पाठ्य पुस्तकों की सप्लाई के बारे में है। विद्यार्थियों को ठीक समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जा रही हैं। निःसन्देह मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा तथा हौंसला नहीं था। मैं नहीं पढ़ा, परन्तु दूसरे लोगों की शिक्षा में रुचि रखता हूं। कम-से-कम मुझे इस सम्बन्ध में योगदान देना चाहिए। इस बजट में विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें देने का प्रावधान है। विद्यार्थियों को पुस्तकें देने के प्रावधान हेतु श्री कामराज तथा डा० एम० जी० आर० ने कई योजनाओं की घोषणा की थी। वर्तमान योजना भी उस श्रृंखला में एक है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

अगली बात बुनकरों की समस्या के बारे में है। इस क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए आबटित किए गए थे। 16.80 करोड़ रुपए अभी आबंटित किए जाने हैं। माननीय मंत्री को अविलम्ब धन-राशि प्रदान करनी चाहिए। केवल इसी से ही बुनकरों की समस्या हल होगी।

अगली बात कपास के रेशे की कीमतों के बारे में है। कीमतें आसमान को छू रही हैं। फिर भी, पिछले दो महीने से कीमतों को कम करने के प्रयास किए गए हैं। कपास की कीमतें जो 83.75 रुपए, 70 रुपए, 25 रुपए तथा 10 रुपए प्रति किलो थी अब 53.75 रुपए, 40 रुपए, 15 रुपए तथा 8 रुपए प्रति किलो हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक भाषा को यथा महत्व दिया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सहन नहीं कर सकता हूं कि हिन्दी हमारे ऊपर थोपी जाए। इसी प्रकार मैं दूसरे लोगों से भी सहमत नहीं हूं जो लोगों को हिन्दी सीखने से मना करते हैं। आर कहते हैं कि द्रविड़ आन्दोलन और द्रविड़ आन्दोलन तथा इसी बात का राग अला रहे हैं, इससे लाभ नहीं होगा। जो कोई हिन्दी सीखना चाहता है वह ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र है। यहां तक कि श्री सोमू भी हिन्दी सीख रहे है। श्री कुलनदईवेलू हिन्दी सीख चुके है।

श्री० एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एन० वी० एन० सोमू : चाहे मेरी जान चली जाए, मैं हिन्दी नहीं सीखूंगा (व्यवधान) उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : हम भारत-श्रीलंका समझौते का समर्थन करते हैं। इसे लागू किया जाना चाहिए तथा समस्याओं को शान्तिपूर्वक हल किया जाना चाहिए। कई लोगों ने इसे लागू किए जाने के बारे में आशंकायें व्यक्त की हैं। समझौते को शांतिपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। मैं इस बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु जैसा विकसित राज्य, जिसमें राजाजी, सत्यमूर्ति, कामराज तथा अन्नादुराई जैसे महान सपूत पैदा हुए, अब राष्ट्रपति शासनाधीन है। वर्तमान हालत के लिए कांग्रेस (इ) दायित्व से नहीं बच सकती। बेशक ए० आई० ए० डी० एम० के० में अन्दरूनी विवाद था। परन्तु कांग्रेस (इ) ने अपनी भूमिका बेहतर ढंग से अदा नहीं की। ठीक श्री एम० जी० आर० की मृत्यु के बाद राज्य में इसकी भूमिका स्पष्ट नहीं रही।

यद्यपि मैं इतने विस्तार से नहीं बोल सकता जितना कि मेरे माननीय मित्र श्री कुप्पुस्वामी अभी बोले हैं, फिर भी मैं स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु में रुचि रखता हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। (व्यवधान) होस्सूर का औद्योगिक नगर, जो उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र के समीप है और जिसकी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए चर्चा है, मेरे चुनाव क्षेत्र से कुछ एक किलोमीटर की दूरी पर है। वहां कार्यरत अधिकांश लोग मेरे चुनाव क्षेत्र में रहते हैं। स्वाभाविक है कि मैं तमिलनाडु के मामलों में रुचि रखता हूं, बेशक किसी को भी यह आशा नहीं थी कि तमिलनाडु का बजट इस सभा के समक्ष आयेगा। परन्तु दुर्भाग्यवश यह सभा के समक्ष आ गया है।

मैं इस बजट पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। जैसे की मेरे दोस्त श्री रघुमा रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि यह एक चुनावोन्मुख बजट है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है क्योंकि हम सभी राजनैतिक दलों से सम्बन्धित हैं, सामान्य तौर पर राजनैतिक दल आने वाली किसी भी स्थिति का लाभ उठाते हैं। अत: आप यह क्यों कहते हैं कि यह बजट राजनीति से प्रेरित नहीं है अथवा यह एक चुनावोन्मुख बजट नहीं है? यह ऐसा ही बजट है।

जिस ढंग से आपने बजट में कई लोकप्रिय उपाय, जैसे कामराज आवास योजना, जवाहर लाल नेहरू विज्ञान पुस्तक योजना, विधवा पेंशन इत्यादि, रखे हैं ये स्वयं अपनी कहानी कहते हैं। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति शासन यथापूर्व रहेगा। आपने पंजाब के मामले में ऐसा नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं कि वहां चुनाव बहुत दूर हैं। परन्तु आपने यहां ऐसा किया है क्योंकि यहां चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किए जा सकते।

मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहता था परन्तु इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मेरे माननीय मित्र श्री कुप्पुस्वामी ने कहा है कि तत्काल चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं यह

महसूस करता हूं कि यह तमिलनाडु के लोगों का अपमान है। तमिलनाडु के लोग राजनैतिक रूप से बहुत सजग हैं। उन्होंने सदा ही स्थिर सरकार को वोट दिए हैं। उन्होंने अनिश्चितता के लिए कभी स्थान नहीं छोड़ा। उनका निर्णय बहुत स्पष्ट होगा। चाहे वे किसी भी पार्टी को वोट दें वे इसे बहुमत से सत्ता में लाते हैं···(व्यवधान)···

मेरे विचार में श्री कुप्पुस्वामी व्यक्तिगत रूप से इस बात के इच्छुक हैं कि चुनाव शीघ्र होने चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि किन्ही भी परिस्थितियों में सरकार को तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव स्थगित नहीं करने चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। आप अभी तक चुनाव करा सकते थे। क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पंजाब या किसी अन्य स्थान जैसी नहीं हैं। यह बिल्कुल सामान्य है। तमिलनाडु में कभी भी आन्तरिक गड़बड़ी नहीं हुई। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप वहां चुनाव न करायें। यहां तक कि अब तक आप चुनाव की तिथि की घोषणा कर सकते थे। फिर भी, मैं निवेदन करता हूं कि तमिलनाड में चुनाव निर्धारित समय अर्थात राष्ट्रपति शासन की समाप्ति से पूर्व होने चाहिये—अर्थात जून या जुलाई तक होने चाहिए। मैं फिर इस बात पर जोर देता हूं क्योंकि यह बहुत आवश्यक है।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, निःसन्देह मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने इसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। फिर भी, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं अक्सर वहां जाता रहता हूं। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है क्योंकि मेरे रिश्तेदार मद्रास में रहते हैं। तमिलनाडु के लोग, विशेष तौर पर कई नगरों में, पीने के पानी की कमी के कारण पीड़ित हैं। सरकार को पीने के पानी की समस्या के समाधान को उच्च महत्व देना चाहिए था। विशेष तौरपर मद्रास शहर में लोग गर्मियों का सामना कैसे करते हैं और इस बारे में महोदय आप बेहतर जानते हैं। केवल इस बात को ध्यान में रखते हुये तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकारें इस समझौते पर पहुंची थीं और हम सब सहर्ष सहमत हो गये थे कि कृष्णा नदी का पानी मद्रास शहर के लिए लाया जाना चाहिए।

आधारशिला रखे हुए तथा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में उस अवसर पर आश्वासन दिये हुए पहले ही चार वर्ष बीत चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि एक औपचारिक आश्वासन दिया गया था कि तीन या चार साल के अन्दर कृष्णा नदी का पानी लाया जायेगा। परन्तु दुर्भाग्यवश यह अभी बहुत दूर है, इस गति को देखते हुये कोई आशा नहीं है कि निकट भविष्य में कृष्णा नदी का पानी मद्रास शहर में आयेगा।

इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। यद्यपि जहां तक तेलुगु गंगा का सम्बन्ध है कुछ विवाद हो सकता है। जहां तक इस परियोजना कर सम्बन्ध है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। सरकार को यह देखने के लिए कि तत्काल मद्रास शहर में पानी लाया जायेगा पर्याप्त धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

इसी प्रकार श्री कुप्पुस्वामी तिरुपुर के बारे में कह रहे थे। तमिलनाडु में पेय जल की कमी से कई नगर पीड़ित हैं। विशेष तौर पर गावों में यह बिल्कुल आवश्यक है। जो कोई भी तमिलनाडु पर शासन करने आयेगा मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि उसे इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

1:00 म० प०

इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि हम बहुत अच्छी पड़ोसी हैं। यह हमारी इच्छा है कि हम परस्पर मिलकर कावेरी विवाद को हल करें। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि बातचीत से इस इस विवाद को हल करने के लिए लोकप्रिय सरकार बनने के शीघ्र बाद आप तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मुख्य मन्त्रियों की एक अन्य बैठक बुलायें. महोदय, तमिलनाडु जब कभी मुसीबत में होता है तो हम उनके बचाव के लिए आते हैं। हम तमिलनाडु को पानी देते हैं। जब तमिलनाडु पीड़ित होता है तो समस्त राष्ट्र पीड़ित होता है विशेष तौर पर पडोसी राज्य पीड़ित होते हैं। अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह यह देखे कि इस विवाद का हल हो जाये। इस सम्बन्ध में मैं तमिलनाडु के संसद सदस्यों से भी एक विशेष अपील करता हूं। यदि यह समस्या न्यायाधिकरण के पास भेज दी जाती है तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा—हो सकता है एक दशक लग जाये।

श्री पी० कुलनवईवेलू : फिर विकल्प क्या है ? न्यायाधिकरण का गठन करना ही एक मात्र समाधान है जिससे समस्या हल हो सकती है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मेरा सुझाव यह है कि पहले परस्पर मिल कर इसका निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है। एक प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरणों में समय लगता है। अनेक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय देख सकते हैं। उनको लागू करने की बजाय उनका अतिक्रमण हुआ है। फिर न्यायधिकरणों द्वारा दिये गये निर्णय लोगों के मन में कडुवाहट छोड़ देते हैं। अतः हमे एक प्रयास करना चाहिए। हम कुछ खोयेंगे नहीं। एम० जी० आर० के समय भी एक प्रयास किया गया था। मैं नहीं चाहता कि इस समय इस मुद्दे को लिया जाये क्योंकि तमिलनाडु में लोकप्रिय सरकार नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्यपाल ने इसका जिक्र किया है। लोकप्रिय सरकार आ जाये और उन्हें पहली प्राथमिकता इस समस्या को हल करने को देनी चाहिए। यदि हम इसे आपस में मिल कर नहीं हल कर सकते हैं तब न्यायाधिकरण की नियुक्ति के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।

अब मैं एम० जी० आर० की एक अन्य योजना, अर्थात् दोपहर का पौष्टिक भोजन नामक योजना, के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह एक बहुत कल्याणकारी योजना है जो हमारे राष्ट्र में है। यह हमारी नई शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है। आज तमिलनाडु में प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी इसी योजना के कारण है। क्योंकि पाठशालाओं में आने वाले बहुत से बच्चों को मात्र यही भोजन है जो वे पाते हैं। चूंकि वे इतने गरीब है कि वे दूसरे वक्त का भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर केन्द्र सरकार पर यह दबाव डालना चाहता हूं कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस योजना को लागू करने का काम केवल राज्य सरकार पर ही है। आपको उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि 200 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण भार आप को ही वहन करना चाहिये बल्कि मेरा यह कहना है कि राज्य पर यह एक भारी बोझ है। मैं वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हू कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस विशेष योजना को केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलती रहे। मैं जानता हूं कि आप पहले ही खाद्यान्नों पर राजसहायता दे रहे हैं लेकिन जैसे आप आदिवासी लोगों को विशेष राजसहायता दे रहे है वैसे ही इसे भी विशेष राजसहायता की आवश्यकता

है। जब कभी भी नियन्त्रित मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो इससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो इन योजनाओं को चला रही हैं। हाल ही में आपने गेहूं के मूल्य में वृद्धि की है। अब तमिलनाडु का क्या होगा। तमिलनाडु को इस योजना पर और अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे पूर्णतया दूसरे दृष्टिकोण से देखें तथा यह सुनिश्चित करे कि एम० जी०आर० द्वारा चलाई गई तमिलनाडु की इस विशेष योजना को केन्द्र सरकार से सहायता मिले।

मेरे मित्र श्री कुप्पुस्वामी ने बिल्कुल सही कहा था कि भारत के औद्योगिक मानचित्र में कभी तमिलनाडु का सर्वोच्च स्थान होता था। ऐसा महान राजनेता मुख्य मंत्री श्री कामराज के कारण ही संभव था जिनके सहायक वर्तमान राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे। जब वे सत्ता में थे तब भारत के औद्योगिक मानचित्र में तमिलनाडु आया। अब विशेष रूप से छोटे स्तर के उद्योगों तथा हथकरघा उद्योगों के वहां पर होते हुए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप उस स्थिति को मजबूत करें। मैं जानता हूं कि इस सब के लिए कुछ धनराशि का प्रावधान है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह राशि काफी नहीं है।

मैं अब एक और एक मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि आपने युवा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं के बारे में सोचा है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैं इसका स्वागत करता हूं। बेसहारा महिलाओं और विधवाओं को पेंशन देकर आपने उन्हें राहत दी है। मैं इस सबका स्वागत करता हूं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 25,000 महिलाओं को स्वरोजगार मिल जाये। इन सभी उपायों का स्वागत है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह जानकारी लाना चाहता हूं कि ऐसे लाखों तमिल युवक हैं जो बगैर किसी नौकरी के हैं तथा जो बेरोजगार हैं। माननीय मंत्री महोदय को संभवत: इसकी जानकारी नहीं है। एक तमिल व्यक्ति बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाला होता है। आप किसी भी खान अथवा किसी भी निर्माणाधीन योजना पर कहीं भी चले जाइये। आपको मेहनत के बारे में पता चलेगा। आप वहां तमिलों को काम करता हुआ पाएंगे। इसलिए इन हाथों को बेकार मत रहने दीजिये। आप उन्हें नौकरी दीजिये। यह पूर्णतया आवश्यक है। मुझे खेद है कि इस चुनाव बजट में भी आपने नवयुवकों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। तमिल युवकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य किसी समस्या को हल करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने महिलाओं की बेरोजगारी के लिए कुछ धनराशि का प्रावधान किया है उसी प्रकार आपको पर्याप्त धनराशि देनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि उन सबको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिये। यह असम्भव है। वे संगठित क्षेत्र में नौकरी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि वे अत्यन्त कुशल कारीगर हैं इसलिए वे किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तमिल युवकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए आपको कोई योजना तैयार करनी चाहिए थी। यह पूर्णतया आवश्यक है। नि:सन्देह इस सरकार को बताने से कोई फायदा नहीं है। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि वहां एक लोकप्रिय सरकार का गठन होना चाहिए। फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे ध्यान में रखें तथा यह देखें कि धनराशि का कुछ इस तरह से उपयोग हो कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। यह केन्द्र का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि वे सारे देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करें। लेकिन अभी हम तमिलनाडु पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि तमिल युवकों की समस्या का हल ढूंढने के लिए आपको आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

भाषा की समस्या के बारे में एक और मुद्दा मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान मे लाना चाहूंगा । निःसन्देह इस मामले में मैं अपने तमिलनाडु के मित्रों से सहमत नही हूं क्योंकि मेरे राज्य ने त्रिभाषी फार्मूला स्वीकार किया है । तमिलनाडु ने इसे स्वीकार नहीं किया है । लेकिन यह कुछ भी हो और उनकी आशंकाएं कुछ भी हों, वे ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हिन्दी को उन पर थोपा जा रहा है । यदि इसे आप उन पर ही छोड़ दें तो अधिक लोग हिन्दी सीखेंगे ।

मैं बहुत खुश हूं कि आपने तमिल साहित्य के विकास के लिए धनराशि की व्यवस्था की है । निःसन्देह इसका स्वागत है । लेकिन इसके साथ ही आप देखते हैं कि जब भी मैं भाषा-समस्या पर बोलता हूं तो हमेशा यही आग्रह करता हूं कि त्रि-भाषी फार्मूला पूर्ण रूप से न सिर्फ दक्षिण राज्यों में ही लागू होना चाहिए बल्कि उत्तरी राज्यों में इसे और अधिक लागू किया जाना चाहिए। उत्तर भारत के राज्यों में इसका अधिक उल्लंघन किया जा रहा है । हम कुछ ही दिनों में कम से कम हिन्दी समझ तो सकते हैं, और कुछ दिनों में हम हिन्दी में बोलने के योग्य भी हो जाएंगे । यहां तक कि श्री कुप्पुस्वामी भी अब हिन्दी में बोल सकते हैं । लेकिन उत्तर भारत में कितने लोग तमिल, तेलगू, कन्नड़ आदि दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा भी बोल सकते हैं ? उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया है । राष्ट्रीय अखण्डता के हित में तथा अपने देश की एकता के हित में तथा क्योंकि हम सब भारतमाता के पुत्र हैं इसलिए यह पूर्णतया आवश्यक है कि त्रिभाषी फार्मूले को लागू किया जाए ।

एक बार फिर मैं अपने मित्र श्री रघुमा रेड्डी की इस मांग का समर्थन करता हूं कि तमिलनाडु में चुनाव होने चाहिएं । मैं आशा करता हूं कि इसकी घोषणा शीघ्र ही हो जाएगी । यदि चुनाव आयोग कल या परसों यह घोषणा कर दे कि अमुक-अमुक तिथियों को चुनाव होंगे तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी । तमिलनाडु के लोग राजनैतिक रूप से अत्यधिक जागरूक हैं । वे उस राज्य में एक स्थायी सरकार देने के लिए वचनबद्ध हैं ।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, इन प्रस्तावों का समर्थन करते हुए मैं निम्नलिखित कुछ सुझाव देना चाहता हूं : बजट में कोई नये कर नहीं हैं। यह एक करमुक्त अत्यधिक सन्तुलित बजट है । इसमें अनेकों कल्याणकारी उपायों का प्रावधान है । तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए एम० जी० आर० के योगदान तथा देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा के लिए उन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रारम्भ में ही स्वर्गीय श्री एम० जी० आर० को ठीक ही श्रद्धांजलि अर्पित की है । बजट में पिछली सरकार के कल्याणकारी उपायों को बढ़े हुए आबंटन के साथ लागू करते हुए जारी रखने का प्रस्ताव है तथा कल्याणकारी उपायों की नई योजनाओं को भी शुरू किया गया है । तमिलनाडु के लोगों के सर्वोच्च हित, विशेष रूप से गरीब तथा पिछड़े हुए लोगों के हितों का बजट में ध्यान रखा गया है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करते हुए तथा पेय जल सप्लाई योजनाएं, संपर्क सड़कें तथा आवास देने के के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है । गरीब महिलाओं, विधवाओं, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लाभ के लिए तथा तमिल भाषा और संस्कृति के विकास के लिए व्यवस्था की गई है । हथकरघा बुनकरों को दिए जाने वाले धागे का मूल्य घटाने के लिए उपाय किए गए हैं । पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 350 रुपए प्रति मास कर दिया गया है । लगभग सभी क्षेत्रों में आबंटन की मात्रा बढ़ी हुई है । कृषि के लिए 141 करोड़ रुपये की बजाय 151 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, पेय जल के लिए 148 करोड़ रुपए की बजाय 160 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 92 करोड़ रुपए की बजाय 97 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 597 करोड़ रुपए की बजाय 690

करोड़ रुपए और उद्योग के लिए 54 करोड़ रुपए की बजाय 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। दोपहर के भोजन की योजना के लिए 177 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी है। यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है जिसके अनुसार 110 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है। वर्ष 1988-89 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के लिए 1457 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जोकि चालू वर्ष की 1250 करोड़ रुपए की राशि से 16 प्रतिशत अधिक है। विद्युत् के लिए 408 करोड़ रुपए की बजाय 502 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, सड़कों तथा पुलों के लिए 45 करोड़ रुपये की बजाय 56 करोड़ रुपये, कृषि के लिए यह राशि 136 करोड़ रुपए है, जल वितरण के लिये यह राशि 247 करोड़ रुपये तथा उद्योग के लिये 69 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में मैं तमिलनाडु के विकास के बारे में कहना चाहूंगा।

वर्ष 1983-84 के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत इस प्रकार था : पंजाब : 13.8 प्रतिशत, हरियाणा : 15.6 प्रतिशत, असम : 23.5 प्रतिशत, गुजरात : 24.3 प्रतिशत, केरल : 26.8 प्रतिशत तथा तमिलनाडु : 39.6 प्रतिशत। इस प्रकार तमिलनाडु उन राज्यों में से एक है जहां पर लोगों की काफी तादात गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

अब औद्योगिक विकास को लें। वर्ष 1970-71 और 1984-85 के वर्षों के बीच प्रति व्यक्ति वार्षिक वृद्धि प्रतिशत इस प्रकार था : पंजाब : 4.9 प्रतिशत, हरियाणा : 4.46 प्रतिशत, उड़ीसा : 4 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश: 4.32 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर : 5.57 प्रतिशत, गोवा : 11.33 प्रतिशत तथा तमिलनाडु : 2.26 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.48 प्रतिशत था।

जहां तक साक्षरता की दर का प्रश्न है, तो 1981 की जनगणना के अनुसार स्थिति यह थी : राष्ट्रीय औसत : 36.23 प्रतिशत, केरल : 70 प्रतिशत, महाराष्ट्र : 47 प्रतिशत, चंडीगढ़ : 64 प्रतिशत, मिजोरम : 59 प्रतिशत, पांडीचेरी : 55 प्रतिशत तथा तमिलनाडु : 46 प्रतिशत।

इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि हाल के वर्षों में तमिलनाडु में विकास के कार्यों में प्रगति बहुत अच्छी नहीं रही। तमिलनाडु के विकास के लिए विकास के कार्यों में तेजी लानी है, उन्हें सुचारु करना है तथा बहुत प्रभावपूर्वक निगरानी करनी है।

अब मैं कुछ अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले कृषि को लूंगा। तमिलनाडु के किसान गम्भीर सूखे के प्रभाव से अभी उभर नहीं पाये हैं। बिजली के बिलों की अदायगी को 6 महीने तक स्थगित करने, कृषि के पम्प सैटों को आंशिक भुगतान करने पर भी फिर से बिजली का कनैक्शन देने की सुविधा तथा राजस्व और सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित करने जैसे उपायों से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है।

अब मैं कावेरी जल के बारे में कुछ शब्द कहूंगा जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी उल्लेख किया था। वर्ष 1970 से बातचीत के 20 दौर होने के बावजूद मुख्य प्रतिद्वन्द्वी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस झगड़े के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। इसका विकल्प केवल यह है कि इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये और यह शर्त लगा दी जाये कि उन्हें एक समय-सीमा के अन्तर्गत निर्णय करना होगा।

इसके साथ ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को तमिलनाडु के सूखा पीड़ित

क्षेत्रों में ले जाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। लघु सिंचाई टैंकों का भी नियमित रूप से सही समय पर रखरखाव किया जाना चाहिए।

मत्स्य उद्योग के बारे में तमिलनाडु की बहुत लम्बी तट रेखा है, परन्तु वहां मछली पकड़ने का कार्य अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो पाया है। वहां मछुआरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वे परम्परागत नावों से मछली पकड़ रहे हैं। उनके पास रहने को कोई मकान नहीं हैं और वे भीड़-भाड़ वाली संकरी भूमि-पट्टियों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों में रहते हैं। अतः उनके लिए आवास-सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मछुआरों को सभी प्रकार के आदान दिए जाने चाहिएं। कन्याकुमारी के मछुआरे अर्थात् अरब सागर तट के मछुआरे, मछली पकड़ने के लिए देश के विभिन्न भागों और विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अन्य जिलों में भी जाते हैं। अतः तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर, प्राथमिकता के तौर पर थंगपत्तनम में अथवा किसी अन्य स्थान पर मछली पकड़ने के लिये एक बन्दरगाह बनाई जानी चाहिए। मछुआरे अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा दिए जाने से पहले बहुत सी औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं। अतः मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और अनावश्यक औपचारिकताओं के बिना उसकी अदायगी की जानी चाहिए। कन्याकुमारी जिले में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेला चावल की आपूर्ति की जानी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि 12 किलो प्रति कार्ड के स्थान पर 20 किलो प्रति कार्ड आबंटन किया जाना चाहिए। न केवल वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिये अपितु गुणवत्ता में भी सुधार किया जाना चाहिए।

महोदय, आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, मिट्टी का तेल तथा अन्य वस्तुएं काले बाजार में बेची जाती हैं। कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

औद्योगिक विकास के बारे में, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा औद्योगिक विकास बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। तमिलनाडु सरकार की औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को बहुत लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए और वहां पर अविलंब हो उद्योग आरम्भ किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुत सारे उद्योग रुग्ण बनते जा रहे हैं। शीघ्र ही औद्योगिक रुग्णता को दूर किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास की दृष्टि से तमिलनाडु का स्थान तीसरा समझा जाता था परन्तु अब तमिलनाडु तीसरे स्थान से घटकर 13वें स्थान पर आ गया है। अतः इसका ध्यान रखा जाना चाहिये। हथकरघा उद्योग के बारे में कपड़े की बिक्री न होने, छूट प्राप्त करने में देरी तथा यार्न की कमी की समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं। कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री एन० डेनिस : महोदय, अब मैं अपने जिले के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाती है, कार्यान्वयन शिथिल होता जाता है और कन्याकुमारी जैसे दूरवर्ती स्थान तक पहुंचते-पहुंचते तो यह पूरी तरह धीमा पड़ जाता है और कुछ भी लागू नहीं हो पाता। कन्याकुमारी मद्रास और दिल्ली से बहुत दूर है। और जहां तक

कन्याकुमारी का सम्बन्ध है, वहां कोई मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज अथवा कृषि महाविद्यालय नहीं है और वहां कोई औद्योगिक संस्थान भी नहीं है। इस कमी की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है। कन्याकुमारी में टिटेनियम उद्योग लगाने की गुंजाइश और अवसर है। कन्याकुमारी जिले में जिरकोनियम उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है जिसके लिए जिरकान और इलमेनाइल जैसा कच्चा माल भी उपलब्ध है। तमिलनाडु उद्योग विकास निगम द्वारा तमिलनाडु के अन्य जिलों में टिटेनियम और जिरकोनियम कारखाने आरम्भ करने की एक योजना है। यह कन्याकुमारी जिले के उसके वैध अधिकार से वंचित करना है क्योंकि वहां कच्चा माल पाया जाता है और कन्याकुमारी एक पिछड़ा जिला है।

रबर फैक्टरी की स्थापना के बारे में यह कहना चाहूंगा कि कन्याकुमारी में रबर का उत्पादन सबसे अधिक है। वहां सर्वोत्तम किस्म की रबर का उत्पादन होता है और गुणवत्ता की दृष्टि से भी इसका देश में सबसे ऊंचा स्थान है। इसके अलावा वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

कोलाचल बन्दरगाह के सुधार के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिएं। ऐतिहासिक रूप से यह तमिलनाडु के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह है और इस बन्दरगाह का सुधार कन्याकुमारी जिले के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि कन्याकुमारी को एक पर्यटन केन्द्र बनाया जाना चाहिए। पहले इसके विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार की गई थी परन्तु इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। अतः कन्याकुमारी तथा अन्य उपनगरीय स्थानों को पर्यटन केन्द्र बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहां उनके विकास के बहुत अवसर हैं। राजकभलंगम में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहिये।

अन्त में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि गत कई वर्षों से कन्याकुमारी जिले में कोई प्रमुख विकास कार्य नहीं किया गया है। मानकुंडी, थंग पत्तनम् तथा गनो पवियान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर शीघ्र ही पुल बनाए जाने चाहिएं ताकि कन्याकुमारी जिले में तटवर्ती सड़क का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही विलाभुरई लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जोकि गत कई वर्षों से बन्द पड़ी है, उसे तुरन्त चालू किया जाना चाहिए। तटवर्ती सड़क के बारे में मद्रास से कन्याकुमारी तक की सड़क को कोलमकोड तक बढ़ाया जाना चाहिए जोकि तमिलनाडु की सीमा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री ए० सी० षण्मुख (वेल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के आरम्भ में मैं वर्ष 1988-89 के लिए तमिलनाडु के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। वर्ष 1980-85 के दौरान मुझे और मेरे माननीय मित्रों श्री कुलनदइवेलु, श्री सोमू और सुन्दरराज को तमिलनाडु के बजट पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय हम विधान सभा के सदस्य थे। मैं तमिलनाडु बजट पर इस सदन में चर्चा करने के इस अवसर को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं।

विधानसभा में इस वर्ष राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् श्रीमती जानकी की सरकार को

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

विधान सभा में बजट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई और उनकी सरकार को गिरा दिया गया। यह तमिलनाडु के इतिहास की एक सबसे अधिक दुखदायी घटना है। मैं जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि लोगों के समर्थन से श्रीमती जानकी पुनः सत्ता में आ जायेंगी और विधान सभा में बजट प्रस्तुत करेंगी। हमें ऐसी आशा है।

वहां के चुनावों के बारे में यहां कुछ बातें कही गई थीं। माननीय श्री कुप्पुस्वामी ने अपने तर्क के समर्थन में 'दिनमानी' के एक सम्पादकीय लेख का हवाला दिया था। वे कहते हैं कि 'दिनमानी' एक विख्यात दैनिक समाचारपत्र है अतः इसके सम्पादकीय लेख को हमें मानना चाहिए। उन्होंने केवल अपना मत व्यक्त किया है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस भव्य सदन में राज्य बजट प्रस्तुत करने का यह अन्तिम अवसर होना चाहिए। अगला बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें तमिलनाडु में शीघ्र चुनाव की तिथि की घोषणा कर देनी चाहिए।

डा० एम० जी० आर० 20वीं सदी के एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने हमारे दिलों को जीता और हमारे राज्य में 10 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद जिन लोगों ने उनके शासन के विरुद्ध उंगली उठाई है, वास्तव में उन लोगों की कोई अन्तरात्मा नहीं है। डा० एम० जी० आर० ने एक निष्पाप जीवन व्यतीत किया और उनकी उदारता की तुलना केवल संगम युग के पारी से की जा सकती है। डा० एम० जी० आर० ने अपने जीवनकाल में एक आदेश जारी किया था कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर भवन, निधि बोर्ड आदि नहीं होने चाहिएं। फिर भी, जब उनका स्वास्थ्य गिरने लगा तो बहुत से लोगों ने उन पर दबाव डाला कि मद्रास में उनके नाम पर एक मेडिकल कालेज होना चाहिए। डा० एम० जी० आर० इस बात से सहमत हो गये और 24 दिसम्बर 1987 को उस मेडिकल कालेज का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया जाना था। इस मेडिकल कालेज के उद्घाटन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई थीं। इससे पहले दिन ही भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि डा० एम० जी० आर० को, जिन्होंने यह आदेश जारी किया था कि एक जीवित व्यक्ति के नाम से किसी भवन का नामकरण नहीं किया जाना चाहिए, स्वयं अपने आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः, 23 दिसम्बर, 1987 को डा० एम० जी० आर० स्वर्ग सिधार गये। अतः वे आदेशों के प्रति सच्चे थे। इस स्थिति में मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि अविलम्ब ही एम० जी० आर० के नाम से उस मेडिकल कालेज का नामकरण कर दिया जाए।

जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है, इसमें 3188 करोड़ रुपये की प्राप्तियां और 3405 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है। मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि सरकार कैसे इस 327 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करेगी।

अब मुझे सातवीं योजना में किए गये आबंटन का उल्लेख करना चाहिए। वर्ष 1985-86; 1986-87; 1987-88 और 1988-89 के लिए क्रमशः 960 करोड़ रुपये, 1153 करोड़ रुपये, 1250 करोड़ रुपये और 1457 करोड़ रुपये तमिलनाडु राज्य के लिए आबंटित किए गए हैं। इस बजट में नियमित वार्षिक आबंटन किए गए हैं और किसी अतिरिक्त विशेष राशि का आबंटन नहीं किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने बजट-भाषण देते हुए डा० एम० आर० का गुणगान किया था। श्रीमती जानकी एम० जी० आर०; तमिलनाडु के लोगों और ए० आई० ए० डी० एम० के० की ओर से,

दिवंगत नेता के प्रति ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : वे भी ऐसा ही कहेंगे। आप भी ऐसा ही कह रहे हैं। किस की बात ठीक है ?

श्री ए० सी० षण्मुख : ए० आई० ए० डी० एम० के० दल अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त एक दल है।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : फिर उनके बारे में क्या स्थिति है, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री ए० सी० षण्मुख : माननीय उपाध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। यह तर्क करने का कोई तरीका नहीं है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। वे अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपको इस प्रकार दूसरों की बातों में विघ्न डालने की अनुमति नहीं दे सकता। विघ्न मत डालिये।

श्री ए० सी० षण्मुख : मंत्री महोदय ने कुछ पुराने कार्यक्रमों को ही नये नाम से प्रस्तावित किया है। 30 लाख मकान बनाने की योजना गत ढाई वर्षों से चल रही है। यह कोई नई योजना नहीं है। यदि आप कामराज के नाम से एक नई योजना शुरू करते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे बीच इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि क्या कामराज एक राष्ट्रीय नेता हैं अथवा नहीं। डा० एम० जी० आर० द्रविड़ परम्परा से थे उन्होंने कामराज के नाम पर एक जिले का नामकरण किया था। उन्होंने कामराज के नाम पर मदुरई में एक विश्वविद्यालय का नामकरण किया था। हम यह नहीं कहते कि आप कामराज का नाम मत रखिए। हम यह कहते हैं कि आप एक नई योजना तैयार कीजिए और कामराज के नाम से उसका नामकरण कर दीजिए। यदि आवास योजना का नामकरण डा० एम० जी० आर० के नाम से कर दिया जाए तो हम इस बात का स्वागत करेंगे क्योंकि उन्होंने ही इस योजना को आरम्भ किया था और दिवंगत नेता के प्रति यह उचित श्रद्धांजलि होगी।

अगला मुद्दा पौष्टिक आहार योजना है। यह एक ऐसी योजना है जो दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श योजना है। यहां तक कि श्री एन० टी० रामाराव ने भी अपने राज्य में यह योजना चलाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ अड़चनों के कारण इसे त्याग देना पड़ा। किंतु पिछले 5 वर्षों से यह योजना सफलतापूर्वक चल रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस योजना की तारीफ की है। यदि इस योजना का नाम डा० एम० जी० आर० के नाम पर रखा जाता है तो यह उस दिवंगत नेता के प्रति सही सम्मान होगा। तमिलनाडु के लोग उनके हमेशा आभारी रहेंगे।

उत्तरी अर्काट जिले को दो पृथक् जिलों में बांटने का प्रस्ताव पिछले बजट भाषण में किया गया था। जिस जिले का मुख्यालय थीरू वन्नामलाई में है, उसका नाम डा० एम० जी० आर० के नाम पर रखा जाना चाहिए।

मद्रास में एम० जी० आर० की समाधि पर उपलब्ध करायी गई सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है। उसको फिर से बहाल किया जाना होगा। राज्य सचिवालय में मंत्रियों और अधिकारियों के कमरों

में डा० एम जी० आर० के चित्र लगाए जाते थे। वह चित्र हटा दिए गए हैं। दिवंगत मुख्य मंत्री अब कोई राजनैतिक दल के नेता नहीं रहे। उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर का नेता माना गया है। उनके चित्र राज्य सचिवालय की दीवारों पर अवश्य लगाए जाने चाहिए। डा० एम० जी० आर० की समाधि को सुन्दर बनाया जाना चाहिए। उनके सम्मान में कोई महल या हाल या कोई स्मारक अवश्य बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने घोषणा की है कि वह डा० एम० जी० आर० द्वारा आरम्भ की गई योजनाएं अधिक जोश से जारी रखेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। मुफ्त चप्पल योजना, कृषि श्रमिकों को मुफ्त साड़ियां और धोतियां वितरित करने की योजना, ग्रामीण परिवारों के लिए तथा पम्पसैटों के लिए मुफ्त बिजली सप्लाई योजना डा० एम० जी० आर० द्वारा आरम्भ की गई और कार्यान्वित की गई कुछ योजनाएं हैं। आपको ये सभी योजनाएं जारी रखनी चाहिएं।

माननीय मित्र कुप्पुस्वामी ने शिकायत की है कि राशन की दुकानों पर पाम आयल उपलब्ध नहीं है। सहकारी विपणन समितियां जनता में पाम आयल वितरित करती हैं। यह सहकारी विपणन समितियां 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की गई थी। डा० एम० जी० आर ने सत्ता में आने के बाद ही श्रीमती गांधी द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की 19,000 समितियों की स्थापना की। डा० एम० जी० आर० ने गरीब लोगों को 2 रुपए किलो चावल उपलब्ध कराया यद्यपि यह 5 रुपए प्रति किलो खरीदा जाता था। पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक् जल बोर्ड की स्थापना की गई और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान ईमानदारीपूर्वक और गंभीर रूप से प्रयत्न किए गए। आत्मनिर्भरता योजना पर पूर्ण ध्यान दिया गया था और आगामी वर्षों के दौरान भी ध्यान दिया जाता रहेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस आत्मनिर्भरता योजना को जारी रखने के लिए और अधिक धन आवंटित करे।

सूखे की परिस्थितियों के कारण 240 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए हैं। यह पर्याप्त नहीं है। सभी कृषि ऋण माफ किए जाने चाहिए। आपने विद्युत प्रभारों को भी 6 महीने तक वसूल न करने का प्रस्ताव किया है। गरीब किसान पिछले चार वर्ष से सूखे की चपेट में है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह विद्युत प्रभार माफ कर दें। इन्हें स्थगित करने से काम नहीं चलेगा।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की दशा में सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विशेष आबंटन किया जाना चाहिए।

स्थानीय निकायों को भंग करने संबंधी अफवाहें जोरों पर हैं। ये इस समय राज्य में लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए निकाय हैं और ग्राम तथा कस्बा पंचायतों को किसी भी स्थिति में भंग नहीं किया जाना चाहिए। इन निकायों को इनका कार्यकाल पूरा करने दिया जाना चाहिए। लोगों ने इनके लिए अपना आदेश दिया था।

जबकि हमें राज्य विधान सभा के चुनावों की तारीख मालूम नहीं है, राज्यपाल ने घोषणा की है कि सभी सहकारी समितियों के चुनाव अक्तूबर में होंगे। इस घोषणा से यह स्पष्ट है कि अक्तूबर

तक राज्य विधान सभा के चुनाव नहीं होंगे। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह स्थानीय निकायों को भंग न करे।

तमिलनाडु में बिजली की भारी कमी है। नेवेली तथा कलपक्कम विद्युत केन्द्रों में पैदा की जाने वाली बिजली का 60 प्रतिशत विशेष केवल तमिलनाडु के लिए उपयोग किया जाए। तमिलनाडु बिजली बोर्ड की आस्ट्रेलिया से कम राख वाले सस्ते कोयले का आयात करने की मांग अभी लम्बित है। कम से कम राज्यपाल के शासन में तो आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। ओबकनेकल विद्युत परियोजना माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है। वहां 10 पैसे प्रति यूनिट की सस्ती दर से पन-बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को जल्द यह परियोजना आरम्भ करनी चाहिए तथा राज्य के लोगों को बिजली की कमी से राहत दिलानी चाहिए।

श्री एन० टी० रामाराव ने मद्रास में तेलुगु-गंगा परियोजना के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि डा० एम० जी० आर० उनके बड़े भाई हैं और उन्हीं की खातिर वह इस परियोजना के लिए सहमत हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार सहयोग करने को तैयार है। केन्द्रीय सरकार को तुरन्त अड़चनें दूर करके यह परियोजना कार्यान्वित करनी चाहिए। मद्रास शहर में पीने का पानी इसी योजना द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

डा० एम० जी० आर० ने केन्द्रीय सरकार को कई बार कहा कि कावेरी नदी जल विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिये। यह न्यायाधिकरण बिना किसी विलम्ब के स्थापित किया जाना चाहिए। अब आपकी सरकार है तो आपके लिए इसकी नियुक्ति करना कठिन नहीं होना चाहिए। तिरुचि तथा थन्जोर जिलों के किसान वर्ष में केवल एक फसल उगा सकते हैं। पहले वह हर साल तीन-तीन फसलें उगाया करते थे।

इस प्रकार की आशंकाएं हैं कि आप डा० एम० जी० आर० द्वारा आरम्भ की गई पोषक भोजन योजना को कोई खास महत्व नहीं देंगे। आपने यह साबित किया है। इस योजना के लिए आम तौर पर 200 करोड़ रुपये आबंटित किये जाते थे। इस बजट में केवल 177 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आबंटन में 23 करोड़ रुपये की कटौती का अर्थ है कि इस योजना के विस्तार क्षेत्र में भी कमी आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर इस योजना के लिए तो आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने देश भर में 500 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना तैयार की है। तमिलनाडु सरकार ने डा० एम० जी० आर० के शासन के दौरान विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के लिये कई प्रस्ताव भेजे। उन प्रस्तावों को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। कम से कम राज्यपाल के शासन में तो उन्हें मंजूरी दे दी जानी चाहिए। तमिलनाडु के लोग इसके लिये आभारी होंगे।

जब रेल मंत्री श्री माधव राव सिन्धिया ने मद्रास में इन्टीगरल कोच फैक्टरी का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि यह दक्षिण भारत की शान है। किंतु उनकी प्रशंसा उनके होंठों तक ही सीमित थी। मंत्री महोदय ने कलकत्ता मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लिए धन आबंटित किया। किंतु उन्होंने मद्रास में रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिये धन आबंटित नहीं किया। पूरी लागत को केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर बांटे जाने पर सहमति हुई थी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि

मद्रास में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष आबंटन निर्धारित किया जाए।

पिछले वर्ष 30 लाख मकानों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। इस वर्ष केवल साढ़े पांच करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 150 करोड़ रुपए आबंटित किए गये हैं और उनके आवास के लिये 27 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। किंतु 1988-89 की अनुदानों की मांगों की पुस्तक में पृष्ठ 125 पर विशेष केन्द्रीय सहायता 11 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिये 28 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 22 करोड़ रुपए, आवास के लिये 11 करोड़ रुपये और यह कुल मिला कर 72 करोड़ रुपए बैठता है। 1987-88 में डा० एम० जी० आर० के शासन काल में हमने 55 करोड़ रुपये आबंटित किये थे। केवल 10 करोड़ रुपये ही अधिक आबंटित किए गये हैं। किंतु माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 177 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। अत: मंत्री महोदय, कृपया इसे स्पष्ट करें।

संसाधन प्रतिशत के रूप में शिक्षा के लिये आबंटन, जो 25 से 26 प्रतिशत हुआ करता था, इस वर्ष घटकर 21.6 प्रतिशत रह गया है। अनुदानों की मांगों की पुस्तिका के पृष्ठ 63 पर समाज कल्याण के लिए 186 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जो कुल प्राप्तियों की 4.5 प्रतिशत है। डा० एम० जी० आर० के शासनकाल के दौरान इस शीर्ष के लिये 6.64 प्रतिशत आबंटित किया जाता था। समाज कल्याण पर व्यय में 2.14 प्रतिशत कटौती की गई है। इसी प्रकार, कृषि, जिस पर डा० एम० जी० आर० के समय में कुल संसाधनों का 5 प्रतिशत व्यय होता था, अब घट कर केवल 2.73 प्रतिशत रह गया है। सड़कों और पुलों के लिये पिछले वर्ष जो आबंटन 4.26 प्रतिशत था, इस वर्ष घट कर 2.73 प्रतिशत हो गया है। पिछड़े वर्गों के विकास के लिए पिछले वर्ष 37 करोड़ रुपये अर्थात् 2.13 प्रतिशत आबटित किया गया था। इस वर्ष उस शीर्ष के अन्तर्गत केवल 17 करोड़ रुपए अर्थात् कुल संसाधनों का 0.5 प्रतिशत आबंटित किया गया है। 25,000 महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह बिलकुल व्यावहारिक नहीं है। जब तक आप अतिरिक्त धनराशि आबटित नहीं करते, आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते।

डा० एम० जी० आर० के शासन काल में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने की योजना थी। अब आपने जवाहर लाल नेहरू के नाम पर पाठ्य-पुस्तकें वितरित करने की योजना की घोषणा की है। यदि आप कोई बिलकुल नई योजना घोषित करते तो आपको पूरा सहयोग मिलता। आप कहिये कि आप शिक्षित बेरोजगार को स्व:रोजगार के लिये 25,000 रुपये उपलब्ध करायेंगे और उसका नाम नेहरू या किसी अन्य राष्ट्रीय नेता के नाम पर होगा। इसका हम स्वागत करेंगे। उत्तर भारत के लोग नेहरू को भूल गए हैं। हमें उनकी याद है। डा० एम० जी० आर० ने अपने निधन से पूर्व पंडित नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके अलावा इस प्रकार की योजनाओं का नाम बहुत से महान् तमिल नेताओं के नाम पर भी रखा जा सकता था, जिन्होंने नेहरू से भी पहले इस देश के लिए बलिदान दिये थे। अब यह राज्य आपकी मर्जी से चल रहा है। आप घोषणा करिए कि आप 1 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराएंगे। पिछले 10 वर्षों से यह दो रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा था जबकि हम चावल 4 से 5 रुपये किलो खरीद रहे थे। इससे राजकोष पर 100 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ता था। आप ऐसा करें और इसकी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की योजना के रूप में घोषणा करें। हम इसे स्वीकार करेंगे। हम इसका स्वागत करेंगे।

मद्रास शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने थे।

मुफ्त चप्पल कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष 20 करोड़ रुपये आबंटित किए गये थे। इस वर्ष यह आवंटन आधा कर दिया गया है। यह आबंटन दुगुना होना चाहिये था। मंत्री महोदय इस बात को कृपया नोट करें।

अब मैं हथकरघा बुनकरों की बुरी दशा पर आता हूं। धागे के लगातार निर्यात के कारण स्वदेशी बाजार में कपास के धागे की कीमतें आसमान छू रही हैं। अन्नाकापुत्तूर रामालिंगम के नेतृत्व में 500 या 1,000 बुनकर मंत्री महोदय से मिले और अपनी मांगें मनवाने के लिए भूख हड़तालें कीं। सूत का निर्यात रोका जाना चाहिए तथा आयात किया जाना चाहिए।

प्रत्येक जिले के लिए कोई 4 या 5 जलाशयों तथा छोटे बांधों के निर्माण की नई योजना तैयार की जानी चाहिए।

भारतीय शांति सेना आपरेशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। हमारे संसाधनों में से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय हो चुकी है। जैसा कि मेरे मित्र कुप्पुस्वामी ने सुझाव दिया कि इस समस्या को शान्तिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए। आप प्रभाकरन को समाप्त करके यह समस्या हल नहीं कर सकते। मैं चेतावनी देता हूं कि यदि प्रभाकरन को कुछ हुआ तो लोगों के जज्बात सीधे प्रभावित होंगे। यदि भारतीय शांति सेना पर व्यय होने वाली भारी राशि तमिलनाडु के विकास कार्यों पर खर्च की जाती है तो आप देखते कि तमिलनाडु एक खिलता हुआ चमन बन जाता।

उन्होंने तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के बारे में बड़े-बड़े वक्तव्य दिये हैं। मानीय मित्र कुप्पुस्वामी ने ठीक ही कहा है कि हिन्दी को जबरदस्ती लादा जाना स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार का साहसिक वक्तव्य देने पर मैं माननीय सदस्य का शुक्रिया करता हूं। डा० अन्ना तथा डा० एम० जी० आर० ने एक दो-भाषी फार्मूला की पैरवी की और उसे भाषा नीति के रूप में अपनाया जाना चाहिए। हमारे लोग उन पर हिन्दी थोपे जाने का बड़ा विरोध करेंगे। एक भाषा के रूप में हम हिंदी का कड़ा विरोध करते हैं। जो लोग इसे सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। उत्तर भारत के लोग तमिल क्यों नहीं सीखते, जो प्राचीन भाषा के रूप में तीसरी भाषा है?

सेतुसमुद्रन परियोजना को रक्षा परियोजना के रूप में आरम्भ किया जाना चाहिए और पूरा किया जाना चाहिए। इससे जहाजों को भारत के तट का पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

एक ऐसी सरकार, जो डा० एम० जी० आर० के उन आदर्शों से विमुख हो रही है जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, एक ऐसी सरकार जिसका अपना कोई आधार नहीं, जो डा० एम० जी० आर० के प्रशासन पर चल रही है, श्रीमती जानकी रामचन्द्रन को सत्ता में वापस आने से नहीं रोक सकती। हम सत्ता में वापस आयेंगे और हम राज्य विधान सभा में अगला बजट प्रस्तुत करने का सम्मान प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामकुमार राम (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता

था। श्रीलंका समझौते का मामला है तथा अन्य कुछ मामले हैं, जिनको मैं उठाना चाहता था। यदि आपका आदेश हो तो मैं भी अपनी बात कह सकता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना नाम दे दीजिए।

श्री राजकुमार राव : मैं अपना नाम सचेतक को पहले ही दे चुका हूं। किंतु वह मेरा नाम आप तक नहीं भेजेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदस्यों के हितों की रक्षा करें और केवल सचेतक पर ही निर्भर न रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : उस दिन भी हमने आपको अनुमति दी थी। यदि समय हुआ तो मैं आज भी आपको अनुमति दूंगा।

*श्री एन० सुन्दरराज (पुदुकोट्टई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इस पुनीत सदन में राज्य बजट के प्रस्तुत किए जाने पर मुझे अफसोस है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बात की खुशी है कि 3 वर्ष के बाद मुझे राज्य बजट पर बोलने का मौका मिला है।

तेलगु देशम दल के माननीय सदस्य श्री एम० रघुमा रेड्डी ने इस बात का आभास दिया है कि हमने राज्य में एक महिला का दूसरी महिला के विरुद्ध साथ देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया है। उन्हें राज्य की राजनैतिक सच्चाईयों की पूरी जानकारी है और वह अभी भी स्थिति की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। पहली बात यह है कि वह एक अल्पमत सरकार थी। सरकार भ्रष्ट तरीकों से सफल होना चाहती थी।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह अल्पमत की सरकार नहीं थी।

*श्री एन० सुन्दरराज : यदि वह बहुमत की सरकार थी तो उसे सदन में बहुमत प्रकट करना चाहिए था। सरकार को समर्थन देने के लिए 118 सदस्यों की आवश्यकता थी। (व्यवधान)

*श्री ए० सी० षण्मुख : मेघालय में आपने विधानसभा भंग नहीं की।

*श्री एन० सुन्दरराज : क्यों ? इसका क्या कारण है ?

*श्री ए० सी० षण्मुख : इसका क्या कारण है ?

*श्री एन० सुन्दरराज : क्योंकि वह एक भ्रष्ट सरकार थी।

*श्री ए० सी० षण्मुख : आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार थी ?

*श्री एन० सुन्दरराज : वह सरकार भ्रष्ट थी क्योंकि एम० जी० आर० की दुखद मृत्यु के पश्चात् राज्य में इस वर्ष 28 जनवरी को एक एम० एल० ए० की कीमत 2 लाख से 25 लाख के बीच थी। बहुत से एम० एल० ए० खरीदे गए थे। हमने अपनी आंखों से एक संसद सदस्य को एक सूटकेस में भरे पांच लाख के करेंसी नोट दिखाते हुए देखा। उस राज्य में अत्यधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। ठेकेदारों, धनी बिचौलियों, मिल मालिकों ने भ्रष्ट सरकार को बनाने में सक्रिय मदद की थी। माननीय वित्त मंत्री को अपने अधीन राजस्व गुप्तचर विभाग की सेवाओं का इस्तेमाल, राज्य में राज-

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

नैतिक षडयंत्र, जो कि धनी बिचौलियों और सत्ता के भूखे लोगों में जो कि सत्ता को पाना चाहते थे, की विस्तृत जानकारी मालूम करने के लिए करना चाहिए। इन ठेकेदारों और मिल मालिकों ने बदले में बड़े-बड़े ठेके, जिनसे करोड़ों का मुनाफा होता है, को पाने की उम्मीद की थी। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच-पड़ताल की जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए। मुझे इस बात को जान कर बहुत खुशी हुई है कि राजस्व गुप्तचर विभाग और सी० बी० आई० ने मामलों में छानबीन शुरू कर दी है

माननीय श्री एम० रघुमा रेड्डी ने तेलगु गंगा परियोजना की बात का जिक्र किया है। इस साल इसके लिए 30 हमने करोड़ का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर इस परियोजना के लिए 90 करोड़ का आबंटन किया जा चुका है। उन्होंने मद्रास शहर की पीने के पानी की समस्या के बारे में भी कहा था। यहां तक कि कर्नाटक से सदस्य श्री कृष्णा अय्यर ने भी सहानुभूति पूर्वक इस मामले का उल्लेख किया था। दोनों सदस्यों को मिलकर बात करनी चाहिए और इससे पूरी समस्या ही सुलझ जाएगी। (व्यवधान)

2.00 म० प०

जी, हां, समस्या उन दोनों के बीच है। समस्या नहर की है। चाहे यह खुली नहर हो या यह बन्द नहर हो। यही समस्या है। साधारण लेकिन बुनियादी समस्या है। केन्द्र सरकार, आंध्र सरकार, कर्नाटक सरकार को इस बात के प्रयास करने चाहिए कि इस बात का मिल बैठकर शीघ्र ही हल निकाला जाए।

इस वर्ष की प्राप्तियां 1457 करोड़ रुपए दिखाई गई हैं। यह पिछले साल के आंकड़ों से 16.5 प्रतिशत अधिक है। बजट में दिए गए प्रस्ताव हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सच्चे और गंभीर प्रयासों को दर्शाते हैं जो तमिलनाडु के निचले तबके के और गरीब लोगों की सामयिक सहायता देने से सम्बन्धित है।

27 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेषतः अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पीने के पानी और आवास की सुविधाओं और आदिवासी कालोनियों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए किया गया है।

8 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुसूचित जातियों के लिए कामराज आवास योजना के अंतर्गत आवास सुविधाओं को जुटाने के लिए ही माननीय श्री ए० सी० षण्मुख ने इस बात का बहुत गलत तरीके से उल्लेख किया है कि यह योजना तो पुरानी है और उसका केवल नाम नया है। यह योजना नई नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं। यह योजना उतनी ही पुरानी है जितना कि राज्य में कांग्रेस का शासन। यह योजना कामराज के समय में भी थी। योजना बाद के वर्षों में भी थी। इस तरह यह योजना निरंतर विकास का कालक्रम है। इसका उद्देश्य हरिजनों के लिए गृहों का निर्माण करना है। कई बार हम गृहों का निर्माण आवास विकास निगमों से करवाते हैं। कई बार हरिजन कल्याण समितियों से, कई बार राजस्व विभाग के जरिए। हम हरिजनों के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गृहों का निर्माण भी करते हैं। और अब हम प्रस्ताव करते हैं कि 8000 मकानों का निर्माण किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मकान की कीमत 10,000 रुपए होगी। इस योजना को हम कामराज नई हरिजन आवास योजना कहेंगे। इस कार्य के लिए हम राज्य निधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

27 करोड़ रुपए का प्रावधान एक अलग बात है, जिसमें से 9 करोड़ सड़कों के निर्माण पर, 6 करोड़ रुपए हरिजन गांवों में पीने के पानी पर खर्च किए जाएंगे। 3 करोड़ रुपए 25,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने पर खर्च करने का प्रस्ताव है। माननीय श्री ए० जी० षणमुख कहते हैं कि यह प्रावधान पर्याप्त नहीं है। एक व्यवसायी जो एक उद्योग लगाना चाहता है वह पूरी पूंजी के साथ शुरूआत नहीं करता। उसे उद्यम शुरू करने के लिए कुल पूंजी के कुछ हिस्सों की ही आवश्यकता होती है। जब व्यवसाय चल निकलता है तो व्यवसायी बैंक से उधार आदि का सहारा लेता है और व्यवसाय चालू रखता है, उसको बढ़ाता है। इसी तरह यह 3 करोड़ रुपए का प्रावधान एक तरह से कामचलाऊ पूंजी है।

हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि 150 करोड़ रुपए का प्रावधान विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए है जिनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को इस क्षेत्र के लिए इतना बड़ा प्रावधान करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री के इस अच्छे कार्य के लिए हृदय से आभारी होंगे। जिस योजना के लिए प्रावधान किया है उसमें हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों के पुनर्वास सहायता मिलेगी।

हमारे ऊपर इस बात की शंकाएं प्रकट की गई हैं कि हम एम० जी० आर० द्वारा शुरू किए गए समाज कल्याण के कार्य से हट रहे हैं। श्री ए० सी० षणमुख ने कहा कि हम एम० जी० आर० द्वारा दिखाए गए रास्ते से हट रहे हैं। हम उन्हें इस बात का आश्वासन देते हैं कि एम० जी० आर० द्वारा शुरू किये गये समाज कल्याण के कार्य को हम ज्यादा जोर से चलायेंगे, हमारा अभिप्राय बजट में रखे गए प्रस्तावों से झलकता है। लेकिन श्रीमती जानकी एम० जी० आर० उन कार्यों को चलाने में वह निरंतरता न देती जो हमने एम० जी० आर० के कार्यक्रम और नीतियों को चलाने में दी है। केवल हम ही इन्हें करने में समर्थ हैं और हम ही जनादेश से सत्ता में वापिस आयेंगे।

मैं बिजली उत्पादन के लिए 502 करोड़ रुपए के प्रावधान का स्वागत करता हूं। रूसी विकास के बारे में बोलते हुए लेनिन ने कहा था 'मुझे बिजली दो मैं रूस वासियों को पृथ्वी पर स्वर्ग दूंगा'। इसलिए, बिजली एक राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार है। बिजली की मदद से औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन से अपने आप रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यदि बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो उसमें सारी सहायक समस्याएं जो हमारी अर्थव्यवस्था और उद्योग पर असर डाल रही हैं सुलझ सकती हैं। राष्ट्र में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए

690 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्र के लिए किया गया है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति शिक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रावधान को बढ़ाया जाए। शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलाया जाना चाहिए। दूरदराज के गांवों में अभी भी अनपढ़ता विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंजीनियरी कालेजों और विज्ञान प्रयोगशालाएं खोली जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय स्कूल खोले जाने चाहिए। भूतपूर्व जानकी मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने नवोदय स्कूल खोले जाने का कड़ा विरोध किया था। शायद उन्हें इस व्यवस्था के लाभों, जिस पर यह स्कूल आधारित है, कि जानकारी नहीं होगी। वह नवोदय स्कूलों को हिन्दी थोपने के माध्यम के रूप में देखते हैं। जो कि सच नहीं है। यह तर्क सिर्फ नारे देने के लिए है और सच्चाई से कोसों दूर है।

यदि तमिलनाडु राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होता है, यदि वहां के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को भरना है और यदि तमिलों ने रांची, राऊरकेला और जम्मू में जा कर काम करना है, यदि बम्बई के विद्यार्थी आसानी से तमिलनाडु आ सकें और तमिलनाडु से गुवाहाटी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जा सकें तो ऐसा नवोदय स्कूलों में प्रवेश से ही आसान हो सकेगा।

दक्षिणी राज्यों में बेरोजगारी में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। यह समस्या क्यों है? माननीय श्री षण्मुख और श्री सोमु को इस विषय पर सोचना चाहिए। क्या हमारे पास उतने संसाधन हैं, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें? यदि वह हमारे पास हों तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से कौन रोक रहा है? क्या हम सबको रोजगार दे सकते हैं?

*श्री ए० सी० षण्मुख : आप ऐसा क्यों कहते हैं कि बेरोजगारी विशेष रूप से तमिलनाडु की ही समस्या है।

*श्री एन० सुन्दरराज : बेरोजगारी तमिलनाडु की विशिष्टता नहीं है। यह राष्ट्र में सब जगह है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों में बेरोजगारी में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। यही राज्यपाल ने भी कहा है। उन्होंने सच कहा है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, नवोदय विद्यालय खोलने चाहिए। केवल नवोदय विद्यालय ही हमारे बच्चों को उस सांचे में ढाल सकेंगे जिससे वह इस देश में दूर तक जा सकें और अपने आपको सांस्कृतिक दृष्टि से और भाषाई दृष्टि से देश के किसी भी भाग में घुलमिल सकें।

अगली बात पोषक भोजन योजना से है। हमने इस योजना के लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय सदस्य श्री षण्मुख ने उल्लेख किया है कि यह प्रावधान पिछले साल के प्रावधान से कम है। मैं नहीं सोचता कि वह सही है। इस वर्ष का प्रावधान निश्चित ही पिछले वर्ष के प्रावधान से ज्यादा है।

मैं नहीं समझता कि इस योजना को लागू करने के बारे में मेरी कोई शर्त है। हमें इस योजना को दृढ़तापूर्वक लागू करना है। लेकिन इस योजना की शुरूआत किसने की। यदि मैं यह कहूं कि इसकी शुरूआत कामराज ने की थी तो मैं गलती पर नहीं हूं। उन्होंने केवल मध्याह्न भोजन की योजना गांवों के सभी स्कूलों में चलाई थी। गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था 1954 से 1966 तक चलाई गई थी। योजना को कुशलता के साथ बिना किसी सार्वजनिक आलोचना के लागू किया गया था।

हिन्दू ने आज के सम्पादकीय में लिखा है। मैं उद्धृत करता हूं :—

"आज के संदर्भ में 170 करोड़ रुपए का प्रावधान जिसे मुख्यमंत्री पोषक भोजन योजना कहा गया है, हैरानी की बात नहीं है। देखने की बात यह है कि क्या इस मद में किया गया प्रावधान किसी आधार पर किया गया है। क्योंकि इस योजना के आधारभूत ढांचे के संबंध में अक्सर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।"

हालांकि इस बात का प्रावधान है कि जिला अधिकारी जिसमें तहसीलदार और दूसरे अधिकारी भोजन केन्द्रों पर जा सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं लेकिन वहां कदाचार अभी भी जारी है। यदि

*मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कदाचारों को रोकना है तो आपको दोषी पाए गए अफसरों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए। निलंबन और फिर बहाली बहुत छोटी सजाएं हैं ? अधिकारियों को इस बात के अधिकार दिये जाने चाहिए कि वह मध्याह्न भोजन केन्द्रों के कामगरों में अनुशासन लायें और यदि कामगर सार्वजनिक धन को भ्रष्ट तरीकों से लुटाने से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दें। गरीब कामगरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उनकी सेवाएं नियमित की जानी चाहिए और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस समय इन कामगरों को एकमुश्त रकम वेतन के रूप में दी जाती है। उन्हें नियमित सरकारी वेतनमान दिए जाने चाहिए। तभी सरकार उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से रोक लगा सकती है।

मुझे मालूम हुआ है कि बहुत-सी औद्योगिक और विकास परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। इन परियोजनाओं को अविलम्ब स्वीकृति दी जानी चाहिए।

खासकर चिदम्बरम् जिले में एक टिटेनियम संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। ऊटी में एक इलैक्ट्रानिक संघटक परियोजना की भी स्थापना की जानी चाहिए। हिन्दुस्तान कलर फोटो फिल्म यूनिट की स्थापना ऊटी में ही की जानी चाहिए। किसी और राज्य में इसकी स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मद्रास में स्थापना के लिए प्रस्तावित पेट्रोकैमिकल परियोजना को भी स्वीकृति दी जानी चाहिए। कुडालूर में टिडको द्वारा एक विद्युत परियोजना शुरू की जानी चाहिए। उत्तरी मद्रास में एक विद्युत केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। अखबारों में इस आशय की खबरें छपी हैं कि तन्जौर जिले में नालीनम क्षेत्र में गैस के भंडार पाये गए हैं। उसे निकाला जाना चाहिए। माननीय उर्वरक मंत्री यहीं बैठे हुए हैं। वह युवा और ओजस्वी हैं। वह जरूरी कदम उठाएंगे। तन्जौर जिले में ही नरीमनम क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस निकाली जा रही है। तन्जौर जिले में गैस पर आधारित उर्वरक यूनिट की स्थापना की जानी चाहिए। तिरुनेलवेल्ली में कुडामंगलम् क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

महोदय, मुझे कुछ मिनट और बोलने दीजिए, ये महत्वपूर्ण मांगें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : और बहुत से वक्ता हैं।

***श्री एन० सुन्दरराज :** जी हां, महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सेतु समुद्रम् परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। आखिरकार हमने इसे 8वीं योजना में शामिल कर लिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पोतों को चक्कर वाले रास्ते से आना पड़ता है। इसे रक्षा परियोजना के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

मद्रास से कन्याकुमारी तक समुद्रतट के साथ-साथ सेतु सड़क है। पुल तो बनाए जा चुके हैं, पर अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं। यह काम भी किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा जिला सूखे से भयंकर रूप से प्रभावित हुआ है। पेयजल की समस्या बहुत अधिक है। सिंचाई के लिए भू-जल निकालने के उपाय किए जाने चाहिए। इससे गरीब लोग लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मैं अपने जिले के अधिकारियों को जरूर बधाई दूंगा। बहुत बढ़िया मकान बनाए गए हैं। केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को मेरे जिले की आवास

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कालोनियों का दौरा करना चाहिए ताकि ऐसे ही मकानों का निर्माण अन्य क्षेत्रों में करने की सिफारिश की जा सके।

माननीय सदस्य श्री सोमू ने घोषणा की है कि वह हिंदी नहीं सीखेंगे और उसका विरोध करेंगे। उन्हें याद दिला दूं कि कुछ सप्ताह पूर्व द्रविड़ मुनेत्र कषगम् और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम् पार्टी के लोग (जानकी गुट के) ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गांव वालों को शहरी क्षेत्र में लाए थे और कहा था कि उन्होंने भारत बंद का आयोजन किया है। भारत बंद हिन्दी का शब्द है। तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम के इन लोगों ने तमिलनाडु में हिन्दी शब्दावली की शान का प्रसार किया है। उन्होंने हिन्दी भाषा के प्रसार में योगदान दिया है।

*श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को भी लोक सभा कहा जाता है। इसे इस नाम से पुकारने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

लेकिन जहां तक हमारा संबंध है हम इसे "पूर्ण हड़ताल" कहते हैं।

*श्री एन० सुन्दरराज : नहीं, नहीं। आपने इसे भारत बंद कहा। इस प्रकार द्रविड़ मुनेत्र कषगम और अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम दलों के हिन्दी शब्दावली 'भारत बंद' के प्रसार का श्रेय जाता है। लेकिन उनका कहना है कि वे हिन्दी का विरोध करते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे हिन्दी का उपयोग करने के लिए तैयार है। कुछ राजनैतिक लाभ के लिए वे हिंदी या कोई और भाषा सीखने के लिए तैयार हैं। इन दलों ने 13 मार्च, 1988 को यह बात स्पष्ट कर दी।

कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस बजट को राजनीति से प्रेरित बजट, चुनाव पूर्व बजट और चुनाव स्टंट कहा है। मुझे उन्हें बताने दीजिए कि जब हम आम आदमी के लिए अच्छा काम करते हैं तो आप बीच में क्यों आते हैं और बाधा डालने वाली ताकत के रूप में क्यों काम करते हैं। काल्पनिक कहानियां गढ़ कर आप अनावश्यक और नाजायज आलोचनायें क्यों करते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि तमिलनाडु की जनता राजनैतिक रूप से जागरूक है और वह इसका सही जवाब देगी। वह न्याय करेगी। हमें विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों तक आप सत्ता में आते रहेंगे। लोगों को कांग्रेस में विश्वास है और चुनावों में वे इसी के अनुरूप काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

*श्री एन० वी० एन० सोमू : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1988-89 के तमिलनाडु के बजट पर मैं तमिल में बोलूंगा। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री यू० सी० पण्मुख ने सही कहा कि तमिलनाडु में हम राज्य विधान सभा में बजट पर चर्चा तमिल में किया करते थे। मैं अपने सहयोगी के इस मत से सहमत हूं कि इस सम्माननीय सभा में राज्य बजट को प्रस्तुत करने का यह पहला और अन्तिम अवसर होना चाहिए। विधान सभा के चुनाव किसी भी आधार पर स्थगित नहीं किए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया छिन्न-भिन्न नहीं होने दी जानी चाहिए। चुनाव कराए जाने चाहिए और संसद् में राज्य के बजट पर चर्चा करने का इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण अवसर फिर पैदा नहीं होना चाहिए।

अध्यापक महोदय, मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई है कि राज्य स्वायत्तता के लिए बार बार

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की जाने वाली वह मांग, जिसका डा० एम० जी० रामचन्द्रन के शासन काल के दौरान बजट भाषणों में जोरदार ढंग से उल्लेख किया जाता रहा था, का मौजूदा बजट भाषण में जानबूझ कर उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए महोदय, मुझे राज्य विधान सभा में वर्ष 1987-88 में उस समय जबकि डा० एम० जी० रामचन्द्रन मुख्य मंत्री थे, दिये गये बजट भाषण में से कुछ शब्द उद्धृत करने पड़ रहे हैं :—

"भारत वास्तव में संघीय देश तभी बनेगा जब वह अपने संघटक राज्यों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता देगा।"

इस भाषण में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि अगर राष्ट्र को वास्तव में संघीय देश बनना है तो राज्यों को स्वायत्तता और शक्तियां देनी होंगी। माननीय वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। जब केन्द्र सरकार में अस्थायी शक्तियां ही निहित हैं और संवैधानिक मानकों के प्रति केन्द्र के मन में यह सम्मान है, तो मुझे यह सोचकर कंपकंपी होती है कि अगर उसे और अधिक शक्तियां सौंप दी जायें तो क्या होगा। मुझे अपने नेता डा० करुणानिधि के कहे यह राज्य याद आ रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की छह महीने की छोटी-सी अवधि में केन्द्र सरकार ने राज्य की स्वायत्तता को भारी झटका दिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि केन्द्र सरकार हाथी जैसी भूख के साथ अधिक-से-अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है और केन्द्र ने राज्य की शक्तियों को हड़पने के लिए राष्ट्रपति शासन का रास्ता अपनाया है।

यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण ने केन्द्र सरकार पर साफ तौर से यह आरोप लगाया है कि वह राज्यों से उनकी शक्तियां अपने हाथ में ले रही है। केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० के० नयनार ने भी यही मत व्यक्त किया है। संविधान में उल्लिखित है कि संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्यों को अधिक से अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए पर केन्द्र सरकार ऐसा करने की इच्छुक नहीं है। इस बजट भाषण में उन्होंने एम० जी० रामचन्द्रन् की प्रशंसा राष्ट्रीय अखंडता में योगदान करने वाले एक महान् व्यक्ति के तौर पर की है पर राज्यों को अधिक शक्तियां देने का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया है। इस प्रकार बजट भाषण राज्यों को अधिक शक्ति देने के संवैधानिक दायित्व के प्रति केन्द्रीय सरकार के दुराग्रहपूर्ण रवैये का प्रमाण है। हमारे नेता डा० करुणानिधि ने केन्द्र सरकार के इस विश्वासघातपूर्ण काम को एक बच्चे को प्यार करने के बहाने उसका गला काटने जैसे क्रूर कार्य की संज्ञा दी है। उनका कहने का आशय था कि डा० एम० जी० रामचन्द्रन् के प्रशंसकों को एम० जी० आर० की प्रशंसा करवा कर उन्हें केन्द्र सरकार की आलोचना करने से रोका गया। डा० करुणानिधि का कहना है कि यह तो ऐसी कड़वी दवाई है जिस पर चाशनी चढ़ी हुई है।

तमिल भाषा के विकास के लिए आपने बहुत कुछ कहा है। एक ओर तो आप हिंदी को थोप रहे हैं और दूसरी ओर आपने तमिल भाषा के विकास के अपने नेक इरादे को व्यक्त किया है। अगर बिल्ली की सहायता की जाएगी तो दूध कैसे बचेगा ? तमिल भाषा का विकास करने का आपका इरादा नेक नहीं है। हम पर हिंदी थोपने के आपके इरादे स्पष्ट हैं। वह तो पालने में लेटे बच्चे को रुलाने के लिए चुटकी काटने और फिर उसे सुलाने के लिए लोरी सुनाने जैसा है। क्या विरोधाभास है ?

आपको हिंदी की झक सवार है। यहां तक कि महात्मा गांधी भी इस बीमारी से बचे नहीं।

महात्मा गांधी राजाजी को अंग्रेजी में पत्र लिखा करते थे। एक बार उन्होंने राजाजी को हिंदी में पत्र लिखा। राजाजी को बहुत आघात पहुंचा। क्या वह बुद्धिजीवी नहीं थे? तो उन्हें आघात लगा। उन्होंने गांधी जी को तमिल में संक्षिप्त सा जवाब दिया। उसके बाद से गांधी जी ने राजाजी को हमेशा अंग्रेजी में पत्र लिखे। अगर महात्मा गांधी को सबक देने के लिए राजाजी थे तो राजीव गांधी को सबक देने के लिए डा० कलैंगनर की जरूरत है।

तमिल भाषा के प्रति आपमें अचानक उत्पन्न प्रेम के बारे में आप धाराप्रवाह वक्तव्य दे रहे हैं। आप में से कितने लोग वास्तव में तमिल संस्कृति को समझते हैं? आप में से बहुत से हमारी प्राचीन तमिल संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। इसके समर्थन में मुझे एक घटना का उल्लेख करने दीजिए। भारतीय नौसेना के इतिहास का स्मरणोत्सव मनाने के लिए बम्बई में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को और भव्य बनाने के लिए एक नौसेना अधिकारी श्री वी० एस० अरुणाचलम ने एक बैठक में सुझाव दिया कि कुछ जलपोतों और उनके चालक दल को उसी शान से सज्जित किया जाए जैसे महान् चोल राजाओं के समय में किया जाता था और उनकी परेड निकाली जाए। इतिहासकारों के अनुसार उस समय उनके पास जो नौसेना थी वह उस युग की सबसे शक्तिशाली सेना थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस बेड़े का नेतृत्व एक कमांडर करें जो राजा राजेन्द्र चोल के रूप में सज्जित हो। उन्होंने सोचा कि यह समारोह के उद्देश्य के अनुरूप होगा। जनरल अफसर कमांडिंग ने, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की और जो बाद में नौसेनाध्यक्ष बने, पूछा कि चोल कौन थे? अज्ञानता देखिए।

वास्तव में तमिल भाषा के विकास के लिए आप क्या प्रस्तावित कर रहे हैं? कुछ भी नया नहीं। संगम से आधुनिक युग तक के महान् तमिल कवियों की मूर्तियां हम स्थापित कर चुके हैं। कम्बन की स्मृति में कराईकल में एक विशाल स्मारक बनाया गया है। महान् तमिल कवि वेल्लूतर का भी एक विशाल स्मारक हमने बनाया है। यह सब काम हमारे नेता डा० करुणानिधि के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। तमिल भाषा के विकास और समृद्धि के लिए हमारे द्वारा किए गए अगणित कामों की आप गणना नहीं कर सकते।

आपका कहना है कि आप ओदूवरों को 250 रु० मासिक पेंशन देंगे और यह पेंशन उनको मिलेगी जिनकी उम्र 60 से अधिक है। अगर आप उनकी वास्तव में सहायता करके तमिल संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो आयु सीमा का प्रतिबंध क्यों लगाया है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं ऐसे में क्या यह अल्प राशि उनके लिए पर्याप्त होगी? अगर उन्हें 500, 750 या 1,000 रुपए दिए जाएं तो आपका क्या नुकसान होगा? इसलिए यह एक दिखावा मात्र है। अगर आप तमिल भाषा और संस्कृति के विकास में वास्तव में रुचि रखते हैं तो, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, इस भाषा का प्रसार आंध्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों में करिए। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा राज्य भयंकर सूखे की चपेट में है। हमारे गरीब किसानों की दशा दयनीय है। कृषि और सहकारिता ऋणों की वसूली और बिजली की बकाया राशि की वसूली स्थगित करना पर्याप्त नहीं है। इन ऋणों और बेय बकाया को माफ कर देना चाहिए। जिलों में किसानों को दो जून रोटी खाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए ऋणों की वसूली को स्थगित करने से किसानों की सहायता नहीं होगी। ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए तभी किसानों को सहायता मिलेगी।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** श्री करुणानिधि के कार्यकाल के दौरान हुए एक कृषक आन्दोलन में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब यह ऋणों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वह तथ्यों को भूल गए हैं।

***श्री एन० वी० एन० सोमू :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री कुप्पुस्वामी राजनीति में बच्चे हैं। मैं उन्हें बता दूं कि जितनी उनकी उम्र है उतना तो मेरा राजनीतिक अनुभव है।

आपने महिलाओं के लिए बढ़िया योजनाएं तैयार की हैं। एक योजना है कि युवतियां अपनी शादी को स्थगित कर दें। दूसरी योजना में विवाहित युवतियों को सलाह दी गई है कि अभी संतान उत्पन्न न करें। क्या इसके लिए आपको एक सरकार की और वह भी एक केन्द्रीय सरकार की जरूरत है? क्या इस तरह के प्रचार के लिए आपको एक वित्त मंत्री, एक प्रधान मंत्री और उप मंत्री की जरूरत है? एक उम्र आती है जब तमिल युवतियां अपने केशों को फूलों से सजाती हैं। अपने माथे पर सिन्दूर लगाती हैं और हल्दी तथा चन्दन का लेप करती हैं और अपने गले में मंगलसूत्र पहनकर अपने पति की प्रतीक्षा करती हैं। सरकार उन्हें गलत सलाह दे रही है कि वे अपनी शादी स्थगित कर दें। पिछले 22 सालों से तमिल की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने दिया। सत्ता में आने के अपने प्रयास में कांग्रेस पागल हो गई है क्योंकि वह सलाह दे रही है कि युवतियां विवाह को स्थगित कर दें।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** हम सत्ता में आ जायेंगे ; क्यों नहीं आ सकते? हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपको वाक् स्वतंत्रता मिली जिसका आप यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आपको आजादी दिलाई, तमिलनाडु में भी सत्ता में आ जाएगी। आपने तो वास्तव में अंग्रेजों से सांठ-गांठ की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चुपचाप बैठ जाइए।

***श्री एन० वी० एन० सोमू :** श्री कुप्पुस्वामी का यह तर्क हास्यास्पद है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए। क्या एक राजमिस्त्री, जिसने कालेज के निर्माण में सहायता की थी, कालेज का प्रधानाचार्य होने का दावा कर सकता है? श्री कुप्पुस्वामी का तर्क और मिस्त्री का तर्क एक से हैं इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और उनकी निंदा की जानी चाहिए। यह बहुत हास्यास्पद सा लगता है।

22 वर्षों में कांग्रेस तमिलनाडु में कोई स्थान नहीं बना सकी है। भविष्य में भी उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा। यदि ऐसा है तो कांग्रेस को तमिल युवतियों को यह सलाह देने का क्या अधिकार है कि वे अपने विवाह स्थगित कर दें।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कृष्णा नदी का जल मद्रास शहर में लाने के लिए काफी प्रचार किया है। इस बारे में विज्ञापन दिए गए, पोस्टर आदि लगाए गए।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) :** वीरानम घोटाले के बारे में क्या किया गया? यह साढ़े तीन करोड़ रुपए का घोटाला था।

***श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) :** यदि इसी तरह से लगातार बोलते रहे तो मैं अपना वक्तव्य जारी नहीं रख सकता।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : यदि आप तथ्य बतायेंगे, तो ठीक है। यदि आप गलत बातें करेंगे, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*श्री एन० वी० एन० सोमू : मैं समझता हूं और मुझे पता है मुझे क्या बोलना चाहिए। मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : वीरानम परियोजना में क्या हुआ ? आपने काफी राशि हड़प कर ली। क्या आप पानी उपलब्ध करा पाए थे ?

*श्री एन० वी० एन० सोमू : यहां तक कि प्रसिद्ध कांग्रेसी श्री उमापति ने अन्ना अरिवालयम के निर्माण की सराहना की है।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : कोटनायकों के घोटाले का क्या हुआ ?

*श्री एन० वी० एन० सोमू : स्विस बैंक घोटाले और बोफोर्स घोटाले में आपने जो लूटपाट की, उसे आप भूल सकते हैं। नागरवाला, आप चुप रहिए। अपना मुंह बंद रखिए।

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : दूसरों को इज्जत देना सीखिए।

*श्री एन० वी० एन० सोमू : आदर दीजिए और आदर पाइये।

कई वर्ष पहले यह प्रचार किया गया था कि वे कृष्णा नदी का जल मद्रास शहर तक लायेंगे। श्रीमती गांधी की उपस्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपए दिए। लेकिन कोई नहीं जानता कि मद्रास शहर में कृष्णा नदी का जल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री इस बारे में नहीं जानते। वित्त मंत्री नहीं जानते। राज्यपाल श्री अलेक्जेंडर नहीं जानते। केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है। इस गति से तो मद्रास शहर के निवासियों को पानी नहीं मिलेगा और अच्छा होगा वे मिलकर 'हरे राम, हरे कृष्ण' गाएं।

दूसरी तरफ, सुबह मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा कि प्रधानमंत्री इलाहाबाद जिले में यमुना पर पुल निर्माण का शिलान्यास करेंगे। अमिताभ बच्चन ने त्याग पत्र दे दिया है। उप-चुनाव कराए जाने है। उप-चुनावों को मद्दे नजर रखते हुए आपने इस उपरिपुल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

लेकिन तमिलनाडु की योजनाओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। कृष्णा जल परि-योजना को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सेतु समुद्र परियोजना पर धूल चढ़ रही है। हर तरफ से तमिलनाडु की उपेक्षा की जा रही है। इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जबकि तमिलनाडु में पानी की बहुत जरूरत है, आपने उप-चुनाव जीतने के लिए इलाहाबाद में 500 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। क्या यही राष्ट्रीय विकास है ? क्या यही राष्ट्रीय अखंडता है ? क्या यही राष्ट्रीय एकता है ?

महोदय, इस समय मद्रास की जनसंख्या 45 लाख 75 हजार है। 1991 में यह जनसंख्या बढ़कर 70 लाख 10 हजार तक पहुंच जाएगी। मद्रास के निवासियों को पेय जल की कमी की समस्या

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम अब तो सरकार को वहां पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।

राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा गया है। 1978-79 के दौरान, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 9,68,314 थी। 1985-86 में यह संख्या बढ़कर 21,45,637 हो गई। 7 वर्षों में 171.68 प्रतिशत वृद्धि हुई। बाद में पेश किये गये बजटों में भी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। लाखों करोड़ों शिक्षित बेरोजगार लोग एकदम निराश हो गए हैं।

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम् के शासन काल के दौरान गरीबों के लिए 3 वर्ष में 30 लाख घर बनाने की घोषणा की गई थी। तथापि वह घोषणा भी कागजों पर ही रह गयी। वित्त मंत्री ने इसके लिए कुछ धन आबंटित किया था। हमारे नेता डा० करुणानिधि ने केन्द्र सरकार से इस बारे में ठीक ही पूछा है इतनी कम धनराशि में वे 3 वर्ष में 30 लाख घर कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए, एक घर की लागत 10,000 रुपए आएगी, 30 लाख घरों के निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और 3 वर्षों में ही घर बनाने के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपए आबंटित करने पड़ेंगे। बजट में इस तरह का कोई आबंटन नहीं किया गया है। केवल साढ़े पांच करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह मात्र गरीबों को धोखा देने का प्रयास है।

डा० कलायंगर के शासन के दौरान हमने अनुसूचित जातियों के लिए 1 लाख मकान बनाने की घोषणा की थी। आदि द्रविड़ों तथा मछुआरों के लिए 60,000 मकान बनाए गए थे। जब डा० कलायंगर मुख्यमंत्री थे तब तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था जहां उनके नेतृत्व में स्लम क्लीयरेंस बोर्ड बनाया गया था। कच्चे घरों में रहने वाले लोग बहु-मंजिले भवनों में रहने लगे। 31-3-1977 तक 41319 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। उसके बाद 31-3-86 तक कुल 41515 गांवों का विद्युतीकरण हुआ था। उसका अर्थ है 10 वर्षों में केवल 196 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। उसका अर्थ है डी० एम० के० के शासन के बाद ग्रामीण विकास की पूर्णतः उपेक्षा की गई।

अब 3,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हैं। डी० एम० के० के शासन के दौरान यह केवल 500 करोड़ रुपए थी। इन अल्प संसाधनों से हमने असंख्य कल्याण योजनाएं बनाई थीं। अब 3,000 करोड़ रुपयों से कितनी योजनाओं की घोषणा की गई है? आंकड़ों की तुलना कीजिए। जब राजस्व 500 करोड़ रुपए मिलता था, तब डी० एम० के० सरकार ने कितनी सड़कें और पुल बनवाये? जब राजस्व प्राप्तियां बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गईं तो बाद की सरकारों ने कितनी सड़कें और पुल बनवाए? यदि आप आंकड़ों की तुलना करें तो इसे समझ सकते हैं। हमारे शासन काल के दौरान कितने कालेज और स्कूल बनवाए गए? अब कितने बनाए गए हैं? अब प्राइवेट पोलीटेकनीक कालेज बनाए जा रहे हैं और वे धन इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी उपलब्धियों की गणना नहीं की जा सकती। हमने निर्धन किसानों के 6,000 पम्प सेटों के लिए बिजली का कनेक्शन दिया।

कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन के दौरान केवल 2,000 द्रविड़ कालोनियों का विद्युतीकरण किया गया। हमारे शासन के दौरान 23,000 आदि द्रविड़ कालोनियों का विद्युतीकरण किया गया। केवल डी० एम० के० के शासन के दौरान ही 1,40,000 खेतिहर मजदूरों को आवास स्थलों का मालिकाना हक देने के लिए कानून बनाया गया। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए,

अपंगों, बेसहारा महिलाओं, भिखारियों, कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए, नेत्र-शिविरों के लिए, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए योजनायें बनाई गईं, धर्मशालायें खोलने, हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शों के स्थान पर निःशुल्क साईकिल-रिक्शे वितरित करने के लिए योजनाएं बनाई गई और डी० एम० के० के शासन में कई अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रबंध किए गए। डी० एम० के० का शासन तमिलों का, तमिलों के लिए और तमिलों द्वारा स्वर्ण शासन था। और आज माननीय मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने निराधार आरोप लगाया है कि पिछले 20 वर्षों में, जिसमें डी० एम० के० शासन के 10 वर्ष भी शामिल हैं, राज्य का प्रशासन खराब हालत में था। मंत्री महोदय ने आगे कहा है कि निर्धन और निर्धन हो गए हैं। उन्होंने 24 दिसम्बर, 1987 से पहले ऐसा कहा था। कांग्रेस सत्ता में आने का विफल प्रयास कर रही है। श्रीमान् कुप्पुस्वामी आप 'दिनमानी' समाचार पत्र पढ़िए। मुझे 'एक्सप्रेस' से उद्धृत करने दीजिए। हमें श्री भागवत झा आजाद की बात सुननी चाहिए जिन्होंने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। हमें यह सुनने दीजिए कि उन्हें बिहार में अपने से पहले की सरकार के बारे में क्या कहना है जो दुर्भाग्य से कांग्रेस से संबद्ध थी। मैं उनके शब्द उद्धृत करना चाहता हूं जो गृह मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने, जिन्हें डी० एम० के० शासन की निंदा करने के लिए चुना गया है, कांग्रेस के अक्षम और भ्रष्ट प्रशासन के बारे में कहा है :—

> "राज्य का प्रशासन पूरी तरह अव्यवस्थित है। मुझे बताया गया है कि कुछ शक्तिशाली लोगों के बेटे हर तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं। मैं राज्य सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में पुनः व्यवस्था लाने का प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं माफिया को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वे सरकार से बड़े नहीं हैं।"

श्री भागवत झा आजाद कल तक इस सभा के सदस्य थे। वह कांग्रेसी थे और अब वह राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के प्रशासन की कड़ी निंदा की है। इनसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री दुबे थे। आज वह इस सभा में विधि मंत्री के रूप में हैं। इस खेदजनक स्थिति को देखिए। एक व्यक्ति को, जिसके लिए मुख्य मंत्री ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उन्हें भ्रष्ट कहने से कम नहीं है, यहां मंत्री बने बैठे हैं। अतः मंत्री महोदय दूसरों में दोष निकालने से पहले अपने सदन में व्यवस्था बनाइए।

जब श्री जी० के० मूपनार राज्य सरकार के विरुद्ध ज्ञापन देने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल के पास गए; फिर श्री चिदम्बरम यह कैसे भूले हुए हैं कि वह केन्द्र में राज्य मंत्री हैं? क्या यह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं है? क्या एक पार्टी के अधिकारी के साथ जाना उनके पद का दुरुपयोग नहीं है?

*श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या वह संसद सदस्य के नाते नहीं जा सकते? क्या उन्हें जनता की शिकायतों के बारे में राज्यपाल को बताने का कोई अधिकार नहीं है?

*श्री एम० बी० एन० सोमू : श्री मूपनार के साथ प्रधानमंत्री को भी जाने दीजिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या यह सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं है? क्या इस राजनैतिक गौरव के अनुरूप है?

यदि श्री चिदम्बरम को इन राजनैतिक बारीकियों की जानकारी नहीं है तो अन्य लोगों को

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

क्या पता होगा ? अतः मैं यह कहूंगा कि स्पष्ट रूप से यह इस राज्यपाल के शासन को कांग्रेस के शासन में बदलने का प्रयास है।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री ही के तरीके से सहकारी समितियों के चुनावों की घोषणा करते हैं। क्या वह मद्रास, मदुरै और कोयम्बटूर नगर निगमों के चुनावों के लिए उसी तरह से आदेश दे सकते हैं। राज्यपाल कार्यकलाप और उनके द्वारा की गई घोषणाओं से स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल का राज्य में जल्दी चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। राज्यपाल के शासन से हर तरह से सत्तावाद की गंध आती है। हम राज्य विधानसभा के चुनाव कराना चाहते हैं, सहकारी समितियों के नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट प्रस्ताव थोड़ी राशि से बड़ा कार्य करने का निरर्थक प्रयास है। ये चालाकियां नहीं चलेंगी। आखिर इस थोड़ी-सी राशि से नाममात्र का ही काम होगा और शेष प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। चारकोल की भांति ये बेकार हो रहे हैं। डा० कलायंगर ने इसे ऐसा ही बताया है। मैं भी यही शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसलिए इस बजट से तमिलनाडु के लाखों गरीब लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के पुराने कार्यों का चुनाव में पता चल जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन (कुड्डालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1988-89 के लिए तमिलनाडु के बजट का स्वागत करता हूं।

पिछले वर्ष 1250 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां थीं। इस वर्ष वह बढ़कर 1,450 करोड़ रुपए हो गई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संसाधनों में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि की है।

एक लम्बे अन्तराल के बाद राज्य के बजट में नये कर नहीं लगाए गए हैं। बजट में बहुत से विकासात्मक और अन्य कल्याण संबंधी उपाय किए गए हैं। निःसंदेह बजट से राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह तमिलनाडु का ऐसे राज्यों में दूसरा स्थान है, जहां बेरोजगारी की समस्या भी है। जहां तक लघु और मध्यम रुग्ण इकाईयों का संबंध है, उनमें राज्य का तीसरा और छठा स्थान है। राज्य में 50 प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। तमिलनाडु का ऐसे राज्यों में 12वां स्थान है जहां 100 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश है। अखिल भारतीय आधार पर ली गई पूंजी निवेश प्रतिशतता की दृष्टि से तमिलनाडु का हिस्सा केवल 2.6 प्रतिशत है। राज्य में केन्द्र सरकार के पूंजी निवेश के मामले में, इसका स्थान नौवां है। तमिलनाडु के उद्योगों और कृषि को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे हैं बिजली और पानी। जिन लोगों के पास बोर कुए व पम्प सेट हैं वे उन लोगों को पानी बेचते हैं जिनके पास पानी नहीं है। यह दुखद स्थिति है।

उदाहरण के लिए सड़कों को लीजिए। बहुत अर्से से उनकी मरम्मत नहीं हुई। हर जगह यातायात की भीड़भाड़ है। आप सड़कों पर पशुओं को देख सकते हैं। अनधिकृत निर्माण और नई

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कालोनियां बन रही हैं। कूड़ा नहीं उठाया जाता और सड़कों पर बदबू उठ रही है। सड़क की बत्तियां नहीं जलती हैं। तमिलनाडु इतना पिछड़ा हुआ है। तमिलनाडु की इस स्थिति पर हमें हैरानी होती है। पहले तमिलनाडु को ईर्ष्या से देखा जाता था। आज उसकी यह स्थिति है।

***श्री ए० सी० षण्मुख** : पूरे भारत में यही स्थिति है। यह कोई नई बात नहीं है।

***श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : आप कृपया मेरी बात सुनिए। तमिलनाडु हर क्षेत्र में आगे था। शिक्षा में, प्रशासन में, लोक निर्माण कार्यों के सम्पादन में, नगर आयोजना में और अन्य कई क्षेत्रों में यह अग्रणी होता था।

राज्य के इस पिछड़ेपन के लिए पिछले 20 वर्षों में क्षेत्रीय दलों के लापरवाही द्वारा किए गए शासन को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राज्य के प्रशासन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें योग्य नेता की जरूरत है। केवल एक राष्ट्रीय दल अर्थात् इंदिरा कांग्रेस ही ऐसा ओजस्वी नेता दे सकती है।

तमिलनाडु की जनता का उन क्षेत्रीय दलों से विश्वास उठ चुका है जिन्होंने धन का अपव्यय किया है। वे उनके भ्रष्ट प्रशासन से निराश हो चुके हैं और राजनीतिक दलों के प्रति उनके मन में अरुचि हो गई है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि सरकार निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे :

(1) जिला विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और विस्तार के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

(2) सारे तमिलनाडु में युद्ध स्तर पर झीलों और अन्य जल स्रोतों की सफाई (गाद निकालकर) की जानी चाहिए।

(3) राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ बनाने के लिए औद्योगिक व आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के साधनों और तरीकों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों की एक समिति बनाई जानी चाहिए।

(4) राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन की निरन्तर निगरानी की जानी चाहिए।

(5) जनता की शिकायतों को सुना जाए और उन पर कार्यवाही की जाए।

(6) औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों को तुरन्त निपटाया जाना चाहिए।

(7) सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

(8) अनुचित तथा तदर्थ आबंटनों से बचा जाना चाहिए।

(9) समाज कल्याण योजनाओं को अतिरिक्त उत्साह से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(10) मौसम के अनुसार खेती की आयोजना की जानी चाहिए।

(11) हमारे पास उपलब्ध पानी का सिंचाई तथा पीने के लिए लाभकर ढंग से उपभोग किया जाना चाहिए।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

(12) शुष्क खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

(13) राज्य में डेरी विकास कार्यक्रमों के लिए आई० डी० डी० सी० तथा एन० डी० डी० सी० द्वारा किए गए 85 करोड़ रुपए के नियतनों का तुरन्त भुगतान एवं उसका उपयोग किया जाना चाहिए ।

(14) कराधान ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए । बिक्री कर समाप्त करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए ।

(15) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को तुरन्त रोका जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर में सुधार किया जाना चाहिए ।

(16) राज्य में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कैंसर जैसे विस्तार को रोका जाना चाहिए । सभी भ्रष्ट सौदों की गहराई से जांच करवाई जानी चाहिए ।

माननीय श्री सोमू ने हिन्दी के थोपे जाने की बात कही है । मैं श्री सोमू का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे नेता श्री राजीव गांधी को राजाजी तथा महात्मा गांधी के बराबर माना है ।

*श्री एन० वी० एन० सोमू : मैंने जो कहा है उसे आप गलत समझे हैं । मैंने कहा था कि महात्मा को पाठ सिखाने के लिए एक राजाजी वहां थे और अब डा० करुणानिधि को राजीव गांधी को पाठ सिखाने की जरूरत है ।

*श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन (कुड्डालोर) : मैं अपनी बात पर आ रहा हूं । लेकिन मुझे बताने दीजिए कि हम डा० करुणानिधि को राजीव गांधी के बराबर ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते ।

माननीय श्री सोमू को समझना चाहिए कि वहां पर श्री करुणानिधि के शासन के दौरान राज्य प्रशासन में बहुत ज्यादा अव्यवस्था मची हुई थी । सारा वातावरण दूषित कर दिया गया था । अब श्री करुणानिधि अपने किए पर पछता रहे हैं । सत्ता में आने का आपका सपना सच नहीं होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० कुलनदईवेलू ।

श्री राजकुमार राय : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समय हुआ तो मैं आपको अनुमति दूंगा । कृपया सदन का समय बर्बाद मत करिए ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आप बजट पर बोलना चाहेंगे या भाषा पर ?

श्री राजकुमार राय : महोदय, तमिलनाडु राज्य के लोगों के हित में मुझे बोलने की अनुमति दी जाए ।

श्री हरीश रावत : जन मोर्चे का तमिलनाडु से क्या सम्बन्ध है ?

(व्यवधान)

---

*मूलतः तमिल में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि यदि समय हुआ तो मैं आपको अनुमति दूंगा । हां, श्री कुलनदईवेलू आप बोलिए ।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबीचेट्टीपालयम) : मैं भारत के माननीय प्रधान मंत्री का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री माननीय श्री एम० जी० आर० को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया । तथा भारत रत्न अवार्ड दिए जाने के लिए मैं भारत के राष्ट्रपति का भी अत्यन्त आभारी हूं । बजट में हमारे भारत रत्न श्री एम० जी० आर० को श्रद्धांजलि दिये जाने के लिए तमिलनाडु के लोग केन्द्र सरकार के अत्यन्त आभारी हैं । महोदय, सभी लोग जानते हैं कि एम० जी० आर० ने तमिलनाडु राज्य के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है । केन्द्र सरकार के साथ उनके बहुत अच्छे सम्बन्ध थे । उन्होंने हमेशा ही मजबूत केन्द्र तथा मजबूत राज्य की बात कही । हम उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं । हम श्री एम० जी० आर० के बताये रास्तों, उनकी योजनाओं, उनके कार्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं । हम पद दलितों, ग्रामीण व्यक्तियों तथा किसानों के लिए उनके योगदान का भी अनुसरण कर रहे हैं । एम० जी० आर० के शासन के दौरान किसानों, पददलितों को बहुत से लाभ दिए गए थे । उनके शासन से लगभग सभी लोग संतुष्ट थे ।

जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है मैं इसे कर-मुक्त बजट कहूंगा । जी हां, कर-मुक्त परन्तु 1988-89 में बजट में 122 करोड़ रुपए का घाटा है । मेरा खास मुद्दा यह है कि क्या यह बजट विकासोन्मुखी है अथवा नहीं, मैं जानना चाहता हूं क्या बजट में कोई नई योजना लायी गई है अथवा नहीं । मैंने माननीय मंत्री का वक्तव्य देखा है । मैंने उन अन्य किताबों को भी देखा है जो कि इस बजट के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं । इस बजट में किसी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है और यही मेरा विनम्र निवेदन है ।

राजस्व प्राप्तियां 3188 करोड़ रुपए हैं तथा राजस्व व्यय 3405 करोड़ रुपए है तथा राजस्व घाटा 217 करोड़ रुपए है । पूंजी लेखों में राजस्व प्राप्तियां 710 करोड़ रुपए हैं तथा व्यय के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है । अतः यदि चालू वर्ष के अनुमानित इतिशेष घाटे को ध्यान में रखते हुए लेन देन को सम्मिलित नहीं किया जाये, तो यह राशि 203 करोड़ रुपए है । अतः अनुमानित समग्र घाटा लगभग 124 करोड़ रुपए है तथा 1988-89 के अन्त में संचित घाटा 327 करोड़ रुपए होगा । अर्थ-शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मेरा सरल प्रश्न यह है कि आप किस तरह इस 327 करोड़ रुपए के घाटे को पूरा करेंगे । आपकी क्या योजना है ? तमिलनाडु राज्य में आप कौन से नए कर लगाने जा रहे हैं ? महोदय, आपको इन सभी बातों को विस्तार से बताना है परन्तु आपने अपनी ओर से किसी भी कार्यक्रम या योजना का उल्लेख नहीं किया जिसमें 327 करोड़ रुपए के घाटे को पूरा किया जाएगा । अतः मैं कहूंगा कि बजट-सिवाय दिखावा के और कुछ नहीं है ।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बजट में कोई नई योजनाएं लागू नहीं की गई हैं । सात वर्षों से अधिक समय तक मैं श्री एम० जी० रामचन्द्रन के शासन में मंत्री रहा । उस अवधि के दौरान बहुत सी नई योजनाएं लागू की गईं । लेकिन जब कभी भी केन्द्रीय मंत्री तमिलनाडु आते हैं वे यही कहते हैं कि द्रविड़ियन शासन के 10 वर्षों में तमिलनाडु राज्य में कोई प्रगति या विकास नहीं हुआ है तथा बेरोजगारी एंव गरीबी की समस्या बढ़ गई है आदि आदि । उनका कहना है कि तमिलनाडु में

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या अन्य राज्यों की उपेक्षा अधिक है। वे इसी तरह के आंकड़े देते रहते हैं। मैं उनसे एक सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। गरीबी की रेखा निर्धारित करने के उनके मापदंड क्या हैं? वे इसको कैसे निर्धारित करते हैं? मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु ही एक मात्र ऐसा राज्य है जो अपने यहां के निर्धन व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन देता है। इस पौष्टिक भोजन योजना के तहत जो कि सन् 1982 से चली आ रही है, हम हर रोज लगभग 82 लाख कम्पनियों को एक वक्त का भोजन दे रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कोई और ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह की योजना लागू की जा रही है? इस तरह की योजना किसी और राज्य में लागू नहीं की जा रही है। सिर्फ इसलिए कि एम० जी० आर० ने इस योजना को लागू किया था। क्या आप यह कहेंगे कि यह योजना अच्छी नहीं है, इस तथ्य के बावजूद भी कि इससे 82 लाख बच्चों, बेसहारा महिलाओं तथा वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को पौष्टिक भोजन मिलता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह अभी भी जारी है। शिकायत क्या है। यह बन्द नहीं की गई है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जी हां, यह जारी है। लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं कि तमिलनाडु में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं? आप कैसे कहेंगे कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है? जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में क्या कहना है? आप जनसंख्या वृद्धि की बात पर भी ध्यान क्यों नहीं देते? आप क्यों तमिलनाडु के लोगों को कहते है कि द्रविडियन शासन में जिसमें कि एम० जी० आर० का शासन भी शामिल है, तमिलनाडु सभी तरह से पिछड़ गया है। अब जब इस तरह की बात करते हैं तो मेरे पास भी इसके विरुद्ध तर्क है। वास्तव में एम० जी० आर० के शासन के दौरान तमिलनाडु में एक सौ एक प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण था। एम० जी० आर० शासन के दौरान ही ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की फिर से शुरूआत की गई। एम० जी० आर० शासन के दौरान ही किसानों के कर्जों को माफ कर दिया गया। एम० जी० आर० शासन के दौरान ही मुफ्त धोती तथा साड़ियां निर्धन व्यक्तियों को बांटी गईं। 1967 तक, जबकि राज्य में कांग्रेस का शासन था, क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम लागू किया गया था? नहीं, इस तरह की किसी भी योजना के बारे में कभी भी विचार नहीं किया गया। ये सभी योजनाएं 1977-87 के दौरान स्वर्गीय श्री एम० जी० आर० के शासनकाल में लागू की गई थीं। इसीलिए हम तमिलनाडु के निर्धन एंव पददलित व्यक्तियों के लिए परोपकारी तथा लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम चला सके थे।

इस बजट के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज हम तमिलनाडु के बजट पर इस संसद में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है। वास्तव में इस संसद में सिर्फ केन्द्रीय बजट पर ही चर्चा करने की अपेक्षा की जाती है। संसद में राज्य बजट पर चर्चा करना सचमुच एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चूंकि इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए ऐसा है। हम मानते हैं कि राज्य लोकप्रिय सरकारों के नियंत्रण के अधीन होने चाहिए। जब इस तरह की बात है तो आप तमिलनाडु में चुनाव कब करवा रहे हैं? क्या आपने बजट भाषण में या कही और इस बात उल्लेख किया है कि मई या जून के महीनों में तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं? नहीं, इसका क्या अभिप्राय है। अब आप चुनावों को स्थगित करना चाहते है। आप नहीं चाहते है कि वहां लोकप्रिय सरकार आये। क्या इसका अर्थ है कि 1989 का बजट भी यही प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। यदि आप चुनाव करवाना चाहते हैं तो आपको इसे जल्दी से जल्दी कराना होगा।

तमिलनाडु में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 1976 में, जब डी० एम० के० की सरकार थी तो उसे भंग कर दिया गया था। फिर 1980 में अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० सत्ता में आई इसे भी भंग कर दिया गया था तथा अब तीसरी बार 1987 में सरकार को वहां भंग कर दिया गया था।

मेरा यही कहना है कि आप वहां जल्दी से जल्दी चुनाव करवायें। मैं अल्पसंख्यक सरकार के विघटन की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में यह चाहता था तथा साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वहां शीघ्र से शीघ्र चुनाव करवायें।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जब राज्यपाल वहां है तो सरकार का प्रतिनिधि कौन है। वहां कितने सलाहकार हैं ? केवल तीन सलाहकार हैं। करीब सारे अधिकारी वहां हैं। मान लीजिए, यदि वहां एक लोकप्रिय सरकार है, तो वहां 20 से अधिक मंत्री होंगे जिनके पास अलग-अलग विभाग होंगे। उनमें से प्रत्येक अपने-अपने मंत्रालय का कार्य देखेगा। अतः, मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह राज्यपाल की सहायता के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति बनाएं। इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है। जब 1976 से 77 तक तमिलनाडु राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि केवल संसद् सदस्य ही वास्तव में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए जब वहां तमिलनाडु राज्य में संसद् सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप स्वयं एक समिति का गठन कर सकते हैं। आप समिति बनाने के लिए तथा राज्यपाल की सहायता के लिए लोगों को चुन सकते हैं। मैं कहूंगा जिन समस्याओं का हमें वहां पर सामना करना पड़ रहा है। केवल तभी उन्हें किया जा सकता है। लोगों की आकांक्षाएं केवल चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं तथा केवल अधिकारियों द्वारा नहीं। तमिलनाडु में बहुत-सी योजनाएं लम्बित पड़ी हैं तथा आपने अपने बजट भाषण में किसी एक का भी उल्लेख तक करने का कष्ट नहीं किया। कावेरी विवाद के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। यह 1971 से लम्बित पड़ा है। हमारा राज्य नदी तटवर्ती राज्य है तथा हमारा पूरा हक है कि हमें पानी मिले किन्तु यह नहीं दिया जा रहा है। हमें अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हम केन्द्र से अनुरोध कर रहे हैं कि वह आवश्यक कार्यवाही करे। हमने अनेक अभ्यावेदन दिए हैं। हमने केन्द्र के पास अनेक ज्ञापन भेजे थे किन्तु आपने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। आप बताएं आपने क्या कार्यवाही की। मैंने श्री शंकरानन्द को एक पत्र लिखा था। मैंने इस बात को लोक सभा में भी कहा था। मैंने नियम 377 के अधीन 7-8-85 को इस विषय में कहा था। हमने 10 टी० एम० सी० कावेरी का पानी कर्नाटक से तमिलनाडु को दिए जाने की तत्काल आवश्यकता के सबन्ध में मामला उठाया था। वह कहते हैं तथा मैं उसको उद्धृत करता हूं :

> "तथापि कावेरी विवाद को सुलझाने के संबंध में कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्य-मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय चर्चा की जानी थी जैसा कि केन्द्र ने अप्रैल, 1983 में कावेरी बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में निर्णय किया गया था।"

आप मुझे बताएं कि हमारी कितनी बार द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं। 1971 के बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया। एक मामला दर्ज किया गया। बाद में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सलाह पर इसे वापिस ले लिया गया। उसके बाद केन्द्र ने इस समस्या को हल करना चाहा था किन्तु कोई कदम नहीं उठाया गया। अभी तक केन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। हमने तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री शंकरानन्द तथा वर्तमान जल संसाधन मंत्री

श्री दिनेश सिंह से इस समस्या के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण बनाने के लिए अनुरोध किया था। हमारी कर्नाटक तथा तमिलनाडु तथा केरल के साथ भी अनेक बार द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं। लेकिन सभी द्विपक्षीय वार्ताएं असफल रही हैं। यहां तक कि हम यह कहने लगे कि जब तक एक न्यायाधिकरण नहीं बनाया जायेगा तब तक यह मामला किसी तरह से नहीं सुलझ सकता है। यही कारण है कि हमने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए जल्दी-से-जल्दी एक न्यायाधिकरण बनाएं। केवल तभी कावेरी जल विवाद हल किया जा सकता है।

आपने अपने बजट में कृष्णा नदी जल के विषय में भी किसी बात का उल्लेख नहीं किया है। इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अभी भी मद्रास शहर को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी अभी हाल ही में शुरू हुई है। वहां यह जुलाई तक रहेगी। अर्थात् अगले चार महीनों तक। हमें पानी कैसे मिलेगा ? मद्रास शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए आपका क्या कार्यक्रम है ?

केवल एम० जी० आर० के शासन के दौरान हम मद्रास के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी दे सके थे, लेकिन आपने अपने इस बजट में इसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा है।

आगे मैं बहुत-सी लम्बित योजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के बारे में कहता हूं। आपने उनका उल्लेख तक नहीं किया है। केन्द्र सरकार के पास बहुत-सी योजनाएं 20 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित पड़ी हैं। सेतु समुद्रम योजना की क्या स्थिति है ? आपने इसका उल्लेख तक नहीं किया है। आपने पूर्वतटीय सड़क का उल्लेख नहीं किया है। आपने बकिंघम नहर योजना का उल्लेख नहीं किया है। आपने "हाइड्रोफाइल" योजना, जिसे एम० जी० आर० चाहते थे, का उल्लेख नहीं किया। ये वे प्रसिद्ध पुरानी योजनाएं हैं जो 20 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़ी हैं। आपने उनका जिक्र तक नहीं किया है। आपने एक भी योजना नहीं बनाई।

1980 से 1984 तक एम० जी० आर० के शासन के दौरान हमारा एक "स्वावलम्बी कार्यक्रम" चल रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने इस योजना के अधीन 240 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उनके नियम के कारण, आस्तियां बनाई गई हैं। क्या कोई इससे इंकार कर सकता है। 1981 से 1984 के मध्य 4,000 से अधिक स्कूली इमारतें बनाई गई हैं। क्या कोई इससे इंकार कर सकता है ? एम० जी० आर० के शासन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 63,000 किलो मीटर सड़कें बनाई गई हैं। एम० जी० आर० के शासन के दौरान 1500 से भी अधिक "प्रसव केन्द्र" स्थापित किए गए। क्या कोई यह कह सकता है कि इस प्रकार की योजनाएं लोगों को लोकप्रिय नहीं हैं अथवा लाभप्रद नहीं हैं। आप कैसे कहते हैं कि एम० जी० आर० की सरकार के दौरान लोगों की सहायता के लिए कुछ नहीं किया गया ?

वास्तव में एम० जी० आर० गरीबों की सहायता करते थे तथा अमीरों से लेते थे। एम० जी० आर० ने यही नीति अपनाई थी। यही कारण है कि वह बहुत प्रसिद्ध थे।

अब मैं ग्रामीण विद्युतीकरण के विषय में बताना चाहूंगा। हालांकि 100 प्रतिशत ग्रामों में विद्युतीकरण योजनाओं के अधीन कार्य पूरा हो चुका है। अभी तक बिजली की कमी के कारण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह आस्ट्रेलिया से कोयला मंगाने की अनुमति दे। हमारा कोयला अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें राख का अंश अधिक है। यही कारण है

कि हम आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करना चाहते थे। पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमारे देश में पर्याप्त कोयला है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : लेकिन हमारा कोयला घटिया किस्म का है, क्योंकि इसमें राख का अंश अधिक है। तापीय संयंत्रों में प्रयोग के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है। यही कारण है कि हम आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करना चाहते थे। उससे इंकार किया गया है।

अब लिगनाइट के बारे में कहता हूं। हम लिगनाइट का प्रयोग विद्युत् बनाने के लिए करना चाहते थे। उसके लिए भी हमें अभी तक अनुमति नहीं दी गई है।

अब मैं विद्युत् के बारे में कहना चाहूंगा। गरीब किसानों के लिए 24 घंटे विद्युत् सप्लाई की जा रही है। अन्य किसी भी राज्य में इस योजना पर अमल नहीं किया जा रहा है।

लेकिन, केवल एम० जी० आर० के शासन के दौरान इस योजना पर अमल किया जा रहा था तथा अश्व शक्ति की दरें भी नियत की गई थीं तथा कृषक इसका भुगतान कर सकते थे।

कृषकों के ऋण के संबंध में वास्तव में आप लगभग छः महीने की विद्युत् की बकाया राशि उनके नाम डाल रहे हैं। पिछले चार वर्षों से सूखे के कारण, कृषक सूखे की चपेट में हैं तथा वे अपनी फसल नहीं बढ़ा सके हैं। अतः उनके पास बिलकुल धन नहीं है, मैं बिलकुल अच्छी तरह से जानता हूं कि कितने लोगों के पास खाने को भोजन तक नहीं है। यदि राष्ट्रपति शासन अक्तूबर तक जारी रहता है तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उनकी बिजली की बकाया राशि को माफ कर दें।

इन दिनों कुछ समुदाय आन्दोलनों में लगे हुए हैं। वे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। यहां तक कि वानियार समुदाय ने वास्तव में आन्दोलन चलाया था; उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि कोई चुनाव होंगे तो वे उनका बहिष्कार करेंगे। इस समस्या को तत्काल सुलझाया जाना चाहिए।

जब एम० जी० आर० जीवित थे तो उन्होंने सभी समुदायों के लोगों को आमंत्रित किया था तथा उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए लगातार एक सप्ताह तक सचिवालय में बैठे थे। ताकि सभी समुदायों की समुदाय-वार सभी समस्याएं तत्काल सुलझायी जायें।

मुझे आश्चर्य है कि आपने श्रीलंका का उल्लेख क्यों नहीं किया। श्रीलंका की समस्या बहुत बड़ी समस्या नही है, न केवल तमिलनाडु अपितु राष्ट्र के लिए भी। जब आप स्वर्गीय एम० जी० आर० को श्रद्धांजलियां अर्पित कर रहे थे तथा आपने एम० जी० आर० के शासन के दौरान की गई अनेक बातों का उल्लेख किया था, तो आपने अपने वक्तव्य में श्रीलंका के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? केवल एम० जी० आर० के कारण ही आपने 29 जुलाई, 1987 को एक समझौता किया। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं? तमिलनाडु राज्य के सहयोग, एम० जी० आर० के सहयोग से ही आप 29 जुलाई, 1987 को समझौते पर हस्ताक्षर कर सकने में समर्थ हुए। उन्होंने समझौते पर अमल करके समस्या को सुलझाना भी चाहा था। उनके यही शब्द थे। वह चाहते थे कि भारतीय शान्ति सेना वहां श्रीलंका में शान्ति बनाये रखने के लिए रहे। अब, एम० जी० आर० जीवित नहीं हैं। फिर भी हम उनके पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं। एम० जी० आर० केन्द्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते थे। वह 29 जुलाई, 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते को अमल में लाना चाहते थे। इन सबके

बावजूद आपने अपने वक्तव्य में श्रीलंका का उल्लेख नहीं किया। आपका कहने का आशय यह है कि वहां पर शान्ति स्थापित हो गई है? क्या आपका कहने का आशय यह है कि क्या समझौता पूरी तरह से कार्यान्वित हो गया है? जब इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है, तो आपको तमिलनाडु बजट में श्रीलंका के विषय में उल्लेख करना चाहिए। इसका जिक्र अवश्य किया जाना चाहिए था।

जहां तक खाद्यान्न उत्पादन का संबंध है, 1982 से पड़ रहे लगातार सूखे के कारण इसमें गिरावट आई है। सूखे के कारण खाद्यान्नों की कमी रही है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए आपको तत्काल कदम उठाने होंगे। कृषि क्षेत्र में आप क्या कदम उठा रहे हैं? यहां तक कि इसके लिए आपके द्वारा आवंटित धनराशि भी बहुत ही कम है। जब ऐसी स्थिति है तो आप कैसे आशा करते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सकता है? जब कावेरी नदी से तमिलनाडु को पानी नहीं दिया जा रहा तो आप कैसे आशा करते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है? अतः खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आपको तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे।

हम पहले ही माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री श्री बूटासिंह से गुंडों के विरुद्ध कड़े कदम, तत्काल कदम उठाने के लिए अनुरोध कर चुके हैं जो विधान सभा में ही नहीं बल्कि बाहर भी उत्पात कर रहे हैं। परन्तु अभी तक आपने गुंडों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

एक माननीय सदस्य : गुंडे कौन हैं?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं आपको बाद में बताऊंगा।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करके, कावेरी जल विवाद का समाधान कर तथा अन्य लम्बित पड़ी योजनाओं का समाधान कर शीघ्र ही तमिलनाडु की मदद करे।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। तमिलनाडु में शिक्षकों तथा अराजपत्रित अधिकारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ताथा शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। शिक्षकों ने यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्री के पास भेजा था। उस समय मैं भी शिक्षकों के साथ था। परन्तु जब हमने यह मामला श्री एन० डी० तिवारी के समक्ष रखा तो उन्होंने कहा कि यह लागू किया जायेगा, क्योंकि पहले ही चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। इसलिए समिति की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के अध्यापकों तथा अराजपत्रित अधिकारियों को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि मद्रास में राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल का नाम एम० जी० आर० के नाम पर रखें। आप योजनाओं के नाम कामराज तथा नेहरू के नाम पर रख रहे हैं। परन्तु मेरे विचार में इस बजट में काफी परिवर्तन किया गया है। वास्तव में हम इन योजनाओं का नाम द्राविड शासकों और नेताओं के नाम पर रख रहे थे। परन्तु अब आप कामराज और नेहरू के नाम पर रख रहे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हम नेहरू तथा कामराज का सम्मान भी करते हैं। यही कारण है कि हमने एक जिले का नाम कामराज के नाम पर कामराजापुर जिला रखा है तथा एक विश्वविद्यालय का नाम भी कामराज के नाम पर रखा है। हाल ही में एम० जी० आर० की मृत्यु के दो दिन पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसके ठीक दो दिन बाद हमारे नेता एम० जी० आर० का निधन हो गया। वास्तव

में हम अपने माननीय मुख्य मंत्री, भारत रत्न एम० जी० आर० का देहावसान सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम उनके पदचिह्नों और उन योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर चल रहे हैं जो उन्होंने जनता के लिए शुरू किए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एल० बलरामन।

3.14 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

***श्री एल० बलरामन** (वन्डावासी) : अपनी ओर से तथा तमिलनाडु के लोगों की ओर से मैं यह बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधान मन्त्री और माननीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। हम गर्व के साथ यह स्वीकार करते हैं कि इस बजट में समाज कल्याण के कई नए प्रस्ताव शामिल हैं।

कई विपक्षी सदस्यों ने अपनी शैली में इसे चुनावी बजट कहा है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि जैसे सभी कल्याणकारी योजनाएं डी० एम० के० सरकार ने बनाई थी और लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस संसद में वे जोरशोर से भाषण दे रहे थे।

उन्होंने कृषि तथा सहकारी ऋणों और विद्युत की बकाया राशि को 6 महीने तक स्थगित करने जैसे लोकप्रिय कदमों की भी निंदा की है। उनका कहना है कि उनके ऋण कम कर दिये जाने चाहिये थे। माननीय सदस्य श्री सोमू को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब डी० एम० के० सत्ता में थी उस समय 50,000 से भी अधिक किसानों को जेल में डाल दिया गया था। 1971-72 के दौरान मैं स्वयं जेल में था। (व्यवधान) मेहरबानी करके बैठ जाइये। मुझे बोलने दीजिये।

सभापति महोदय : वह नहीं झुक रहे हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : वह गलत बात कह रहे हैं।

***श्री एल० बलरामन :** मैं माननीय सदस्य सोमू को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्री करूणानिधि मुख्य मंत्री थे उस समय मैं विधान सभा का सदस्य था। जब श्री कामराज ने यह धमकी दी थी कि वह जेल जायेंगे तभी किसानों को छोड़ा गया था। अत: डी० एम० के० सरकार ने किसानों के हित के साथ धोखा दिया है। लोग इसे भूले नहीं है उनके लिए संसद में बोलना न्यायसंगत नहीं है जैसे कि उन्होंने किसानों की मदद की हो।

किसानों की ओर भारी मात्रा में विद्युत धनराशि बकाया है। सरकार तथा ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार के बीच बातचीत विफल हो गई थी। बिजली बोर्ड ने बकाया देय पर चक्र-वृद्धि ब्याज वसूलना शुरू कर दिया था, अर्थात् वे ब्याज पर ब्याज वसूल कर रहे थे। अब इस समस्या का भार कांग्रेस सरकार को उठाना होगा। हमें बकाया राशि की वसूली 6 महीने तक स्थगित करनी पड़ी। डी० एम० के० के सदस्यों को मेहरबानी करके यह समझना चाहिये कि इस बजट पर इस सम्मानित सभा में चर्चा करना दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है जो गत सरकार द्वारा पैदा की गई है। इस समस्या का समाधान पिछली ए० आई० ए० डी० एम० के० तथा डी० एम० के० सरकारों द्वारा किया जा सकता था जिनमें से प्रत्येक ने राज्य पर 10 वर्ष तक शासन किया था। मैं द्रविड़ दलों के प्रति

*मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने लोगों में यह भावना पैदा कर दी है कि केवल कांग्रेस ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है।

तमिल बिजली बोर्ड 300 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। यद्यपि विद्युत देय राशि स्थगन से घाटा बढ़ सकता है परन्तु मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र में धनराशि के आबंटन में वृद्धि करके इस घाटे की पूर्ति कर उदारता दिखाई है। इससे अधिक विद्युत उत्पादन तथा उसके परिणामस्वरूप औद्योगिकी विकास में सहायता मिलेगी।

तमिलनाडु में अधिकांश किसान सिंचाई के लिए पम्पसेटों का इस्तेमाल करते हैं। केवल अरकाट में ही किसानों के पास 3 लाख पम्प सेट हैं और वे उठाऊ सिंचाई तरीकों के जरिए खेती कर रहे हैं। द्रविड़ दल किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल रही हैं। हम किसानों को ऋण भार से मुक्त करने में सक्षम रहे हैं।

श्री कामराज इस देश के महान नेता थे। उत्तर भारत के लोग उन्हें प्यार से काला गांधी कहते हैं। सरकार ने हरिजनों का आवास सुविधायें प्रदान करने के लिए 27 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। माननीय कांग्रेसी सदस्य योजना के ब्यौरे बता चुके हैं। यदि द्रविड़ दलों से संबंधित सदस्य यह दावा करते हैं कि इस योजना की शुरूआत उन्होंने की थी तो यह दावा झूठा है। योजना उसी समय से तमिलनाडु में है जब श्री कामराज मुख्य मंत्री थे। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि इस योजना का नाम महान नेता कामराज के नाम पर रखा गया है।

अगली बात जवाहर लाल नेहरू विज्ञान पुस्तक योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय विद्यार्थियों को विज्ञान की पुस्तकें वितरित करने के बारे में है। इस योजना का नाम "लाइट आफ एशिया" के नाम पर रखा गया है। यह योजना डा० एम० जी० आर० ने शुरू नहीं की थी। माननीय मित्र श्री ए० सी० षणमुख यह नहीं समझ सके होंगे कि महाविद्यालव विद्यार्थियों के लिए विज्ञान की पुस्तकों का वितरण करना एक बिल्कुल नई योजना है। यह एक लोकप्रिय उपाय भी है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

कई लोगों ने यह बताया है कि मद्रास शहर में पीने के पानी के लिये पर्याप्त आबंटन किया गया है। माननीय रघुमा रेड्डी ने गलत कहा है कि तेलगु गंगा परियोजना के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। वास्तव में पेयजल के लिए आबंटित 56 करोड़ रुपये में से 30 करोड़ रुपये पूर्णरूप से इस परियोजना के लिये आबटित किए गये हैं।

177 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन योजना के लिये आबंटित किए गये हैं। श्री ए० सी० षणमुख ने कहा है कि पिछले वर्ष इस योजना के लिए अधिक धनराशि आबंटित की गई थी। मेरे पास जो आंकड़े हैं और जहां तक उनका संबंध है पिछले वर्ष केवल 171 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। अत: इस वर्ष आबंटित राशि पिछले वर्ष की आबंटित राशि से अधिक है। इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बुराइयों को दूर करना चाहिए। सब्जियों की खरीद में भ्रष्टाचार किया गया था। दिया गया भोजन इतनी घटिया किस्म का था कि बच्चों ने उसे खाने से मना कर दिया और इसकी बजाय उसे फेंकने के लिए अपने घर ले गए। भोजन की किस्म में सुधार किया जाना चाहिए तथा अधिकाधिक गरीब बच्चों को यह उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7 करोड़ 60 लाख रुपए स्कूली बच्चों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित करने के लिए आबटित किए गए हैं और 15 करोड़ 60 लाख रुपये मुफ्त पोशाकें बांटने के लिए आबंटित किए गए हैं। 10

करोड़ रुपए मुफ्त चप्पल योजनाओं के लिए निर्धारित किए गये हैं। हम इन सभी आबंटनों का स्वागत करते हैं।

अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये 150 करोड़ रुपए का विशेष आबंटन किया गया है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। यह विशेष अंगभूत कार्यक्रम स्वयं प्रधान मन्त्री की सलाह पर शुरू किया गया है तथा तमिलनाडु के लोग इसका अनुकूल उत्तर देंगे।

पूरे राज्य में भयंकर सूखा व्याप्त है। राज्य में नगर तथा गांव पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यद्यपि हमने पर्याप्त वित्तीय आबंटन कर दिया है। इन धनराशियों के उपयोग की प्रभावशाली ढंग से निगरानी की जानी चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री के सुझाव पर 27 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु निर्धारित किये गये हैं। माननीय सदस्य श्री पी० कुलनदईवेलू ने एक सच बात कही है कि एक समुदाय विशेष वन्नियार के लोग राज्य में आन्दोलन कर रहे हैं। उनका आंदोलन ए० आई० ए० डी० एम० के० के शासन काल में इन्हें बहुत पिछड़ा हुआ बना दिया गया था। वे सबसे पिछड़े हुए वर्ग में थे तथा डी० एम० के० सरकार ने उन्हें पिछड़े वर्गों की सूची में शामिय कर दिया था। चूंकि उन्हें बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया था, जिन रियायतों के वे हकदार थे वे उन्हें नहीं दी गई थीं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या आपके कहने का यह आशय है कि आन्दोलन न्यायसंगत नहीं था ?

***श्री एल० बलरामन** : मैं यह नहीं कहता कि यह गलत है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे इसी प्रकार भिड़ेंगे। आपने केवल आग में घी ही डाला है। डी० एम० के० ने केवल उसी जाति को पिछड़ी हुई जातियों की सूची में शामिल किया था जो पहले सबसे पिछड़ी जातियों की सूची में थी।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मेरे विचार कार्यवादी वृत्तांत में शामिल किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। वह नहीं मान रहे हैं।

***श्री एल० बलरामन** : सभी जानते हैं कि केवल ए० आई० ए० डी० एम० के० के शासन काल के दौरान ही आन्दोलन शुरू हुआ था। ए० आई० ए० डी० एम० के० सरकार द्वारा समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप मन्त्री थे और आप समस्या का समाधान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। आपने यह छाप छोड़ी है कि केवल कांग्रेस ही समस्या का समाधान कर सकती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस वनियारों की समस्या का शान्तिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए कड़ा प्रयास करेगी। मुझे आशा है कि मन्त्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेंगे।

उत्तरी अरकाट जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। तमिलनाडु विधान सभा में इस जिले को दो जिलों में बांटने का प्रस्ताव बहुत पहले किया गया था। एक जिले का नाम चमपुरवारया जिला रखना था। माननीय सदस्य श्री ए० सी० षण्मुख का कहना है कि जिले का नाम श्री एम० डी० आर० के नाम पर रखा जाना चाहिए। यह एक विवादस्पद मामला है। इस बात का निर्णय राज्य में आने वाली लोकप्रिय सरकार को ही करना है। बहरहाल, विभाजन कर दिया जाना चाहिए।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

उत्तरी अरकाट जिले के औद्योगिक विकास हेतु स्थिति पैदा करनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार पोलूर, चम्पुरवारयान जिले में एक चीनी मिल लगाने के लिये कदम उठाएगी, कमण्डला नागनाथी नदी पर पदमवेदु नामक स्थान पर एक बांध का कार्य राजनैतिक कारणों से छोड़ दिया गया है। जब मैं विधान सभा का सदस्य था उस समय मैंने कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। मैं वही मांग इस सम्मानित सभा के समक्ष रखता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री ऐसे बांधों को बनाने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करेंगे।

कई सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि चुनाव पहले नहीं कराये जाएंगे। हम केवल वही बात दोहरा रहे हैं जो आपके ए० आई० ए० डी० एम० के० ने सहकारी समितियों के चुनाव के बारे में कही है। आपकी सरकार ने प्रस्ताव किया था कि चुनाव इस वर्ष अक्तूबर में कराये जाने चाहिए तथा राज्यपाल ने भी वही बात कही है। राज्यपाल ने इन सहकारी समितियों के चुनावों की घोषणा कर दी है ताकि ये ऋण देने वाली संस्थायें प्रभावी तथा प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई संस्थायें बन जाएं।

जल्दी चुनाव कराये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक समय पर चुनाव कराया जाएगा। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र के संबंध में मेरी शिकायतों पर ध्यान दें तथा मेरे चुनाव क्षेत्र की ओर भी ध्यान दें जो बहुत पिछड़ा हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस० सिंगरावडीवेल (तंजावूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए तमिलनाडु के वर्ष 1988-89 के बजट का समर्थन करता हूं बजट विकासोन्मुखी है और सभी वर्गों के लोगों के लिए लाभकारी है। यह बजट किसानों, बुनकरों, महिलाओं—युवा और वृद्ध दोनों को—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाला है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक किये गये सभी कल्याणकारी उपाय तमिलनाडु में अभी भी चल रहे हैं तथा कुछ और कल्याणकारी उपाय भी शुरू किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक लोकप्रिय उपायों में उपाय मध्याह्न का पौष्टिक भोजन योजना है। वह योजना स्वर्गीय कामराज द्वारा शुरू की गई थी और फिर इसे स्वर्गीय एम० जी० आर० ने व्यापक रूप से जारी रखा था और अब भी यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिए 176 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। श्री ए० सी० षण्मुख ने अपने भाषण में कहा है कि यह पिछले वर्ष की राशि से कम है। यह पिछले वर्ष की आबंटित राशि से कम नहीं है। पिछले वर्ष यह आवंटन 171 करोड़ रुपये था। अब इस योजना के अन्तर्गत 176 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके अन्तर्गत 90 लाख विद्यार्थियों और बच्चों और लगभग एक लाख निराश्रित लोगों को शामिल किया गया है। एक अन्य योजना है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई गई है। विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विकास और लाभ के लिए 150 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवास तथा अन्य सुख-सुविधाएं प्रदान कराने के लिए 27 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह कहा गया है कि विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक योजना के अंतर्गत, प्रत्येक विभाग में 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आबंटित किए गए हैं और इसकी कुल राशि 150 करोड़ रुपए आएगी।

कामराज नई आवासीय योजना के अन्तर्गत 27 करोड़ रुपए आवास के साथ-साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वर्ष 1988-89 में तमिलनाडु की वार्षिक योजना के लिए 1457 करोड़ रुरोड़ आबंटित किए हैं। जो आशा थी उससे यह अधिक है। शुरू में 1430 करोड़ रुपए पर सहमत हुई थी। हमारे प्रधान मंत्री के कहने पर यह बढ़ाकर 1457 करोड़ रुपये कर दिए गए थे। यह बढ़ा हुआ धन अब कामराज के नाम में आवास के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। स्वर्गीय कामराज गरीबों, दलितों और हरिजनों के समर्थक थे। हम सरकार के आभारी हैं कि स्वर्गीय कामराज के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है।

इस बजट से बुनकर भी लाभान्वित हुए हैं। बुनकरों के लिए 2000 करोड़ रुपये दिये गए हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। तमिलनाडु में बुनकर कठिनाइयों का सामाना कर रहे हैं। रेशमी और सूती दोनों धागे की पूर्ति कम मात्रा में की जाती है। धागे के मूल्य भी बढ़ गए हैं। मैं सरकार से 1987 के मूल्य स्तर पर मूल्य कम करने का अनुरोध करता हूं। इसके अतिरिक्त हमें रेशमी धागे का आयात भी करना चाहिए। हमें इस कठिनाई को देखते हुए सूती धागे के निर्यात को भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

नेहरू योजना के अन्तर्गत 3,000 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। लगभग 200 रुपए मूल्य की विज्ञान की किताबें विद्यार्थियों को दी जायेंगी, इससे विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने में सहायता मिलेगी। वर्तमान बजट में तमिल भाषा और संस्कृति के विकास के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। मेरे माननीय मित्र श्री सोमू ने कहा है कि यह केवल एक दिखावा मात्र है। महोदय, वह समझते हैं कि उनका दल ही एक ऐसा दल है जिसे तमिल भाषा और संस्कृति हेतु कार्य करना चाहिए। महोदय, हम जानते हैं कि तमिल विश्वविद्यालय तंजावूर में स्थापित किया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से काफी अनुदान प्राप्त करता है। इसकी स्थापना भारत सरकार की सहायता से एम० जी० आर० द्वारा की गई थी। अतः यह नहीं कहा जाना चाहिए कि चूंकि यह केवल कांग्रेस पार्टी से आता है यह एक दिखावा मात्र है।

इस अवसर पर मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पेंशनभोगियों के लिए कम से कम पेंशन 350 रुपए कर दी गई है। वे भी लाभान्बित हुए हैं। इन सभी योजनाओं से पता चलता है कि सरकार ने सभी वर्गों के लोगों में रुचि दिखाई है।

इस अवसर पर, मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में औद्योगिक विकास धीमा है और तमिलनाडु की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश कम हो गया है। यह अब 5 प्रतिशत है। तमिलनाडु में कांग्रेस शासन के दौरान यह 8 प्रतिशत था। भारत सरकार को तमिलनाडु में और अधिक केन्द्रीय निवेश और और अधिक आबंटन करना चाहिए।

मेरे मित्रों ने भारत सरकार के पास लंबित कुछ परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए कहा था। चिदम्बरनर जिले में एक टीटानियम परियोजना है जिसकी 150 करोड़ रुपए लागत है। उदागमंडलम में एक दूसरी इलेक्ट्रोनिकी परियोजना है जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं को तमिलनाडु के हितों को देखते हुए मंजूरी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तेल व गैस मिला है। तंजौर जिले के नागेमन्नम में लोईकालप्पल

और हाल ही में नानीलम से तेल और गैस मिला है। अब अधिकतर गैस प्रज्वलित हो रही है और यह बेकार जाती है। भारत सरकार को उस जिले में उपलब्ध गैस को उपयोग में लाने के लिए उर्वरक संयंत्र और तापीय संयंत्र जैसे गैस पर आधारित कुछ उद्योगों को स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए।

मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसने दो नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए और मेरे निर्वाचन क्षेत्र तंजौर में विद्यमान फैक्टरी के विकास के लिए आशय पत्र दिए हैं।

मैं अपने जिले में कृषि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमने कृषि के विकास के लिए काफी कुछ किया है। हमने खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। फिर भी किसान समृद्ध नहीं है। तंजौर जिले में, विशेष रूप से कावेरी डेल्टा में किसान महसूस करते हैं कि उन्हें धान तथा गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। कावेरी डेल्टा में उन्हें अपना धान केवल राज्य एजेंसी को एकाधिकार खरीद के अन्तर्गत बेचना पड़ता है। राज्य सरकार प्रोत्साहन के रूप में 35 रुपए प्रति क्विंटल के साथ समर्थन मूल्य देती है। यह राशि बहुत कम है और किसान और अधिक की आशा करते हैं। अतः भारत सरकार को समर्थन मूल्य बढ़ाने और प्रोत्साहन के रूप में 35 रुपए से 50 रुपए प्रति क्विंटल तक करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे किसानों को सहायता मिलेगी। हम सब जानते हैं कि किसान भारी कर्ज में दबे रहते हैं। वे अपना ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं कर सकते हैं। कुछ समय पूर्व तमिलनाडु सरकार ने छोटे किसानों, जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है, द्वारा सहकारी समितियों को देने वाले सभी भुगतानों को माफ किया था लेकिन वे ये रियायतें बड़े किसानों को नहीं दे सके थे। कुछ समय बाद उन बड़े किसानों द्वारा सहकारी समितियों को देय ऋणों पर ब्याज को इस शर्त पर समाप्त करने के लिए आगे आई जिनके पास पांच एकड़ से अधिक भूमि थी, कि मूल राशि बराबर किश्तों में भुगतान की जानी चाहिए। पहली किश्त 28-2-87 को या इससे पहले और दूसरी किश्त 30-6-87 को या इससे पहले दी जानी चाहिए। कुछ किसान पहली किश्त का भुगतान कर सके परन्तु दूसरी किश्त का नहीं। कुछ किसान किसी किस्त का भुगतान नहीं कर सके। सरकार को कुछ समय बढ़ाना चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। तंजौर जिले में किसान जिस सबसे महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहे हैं, वह है कावेरी विवाद। यह मामला पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़ा है। किसान जल के बंटवारे पर सन्निकट विवाद के कारण, अपने हिस्से का जल नहीं प्राप्त कर सके। कृषि प्रभावित हो रही है। वास्तव में इस वर्ष

3 38 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

किसान सिंचाई के लिए जल की कमी के कारण लगभग 2 लाख हेक्टेयर में खरीफ मौसम में खेती नहीं कर सके। साधारणतया यह जल हर साल 12 जून को छोड़ा जाता था जोकि इस वर्ष समय पर नहीं छोड़ा जा सका है। पांच महीने देर हो गई थी। यह पिछले वर्ष के दौरान हुआ था। इसलिए, विषम अविलम्बनीय है, इसे निपटाया जाना चाहिए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी चार राज्यों के बीच कई बार बातचीत असफल हो चुकी है और तमिलनाडु सरकार ने सोचा है कि अगली बातचीत का भी कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिए, इसने यह अनुरोध किया है कि भारत सरकार इस मामले को एक समयबद्ध न्यायाधिकरण को सौंपे।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एस० सिंगरावडीवेल : मैंने केवल दस मिनट लिए हैं जबकि दूसरों को 20 मिनट से अधिक समय दिया गया है।

सभापति महोदय : जी, नहीं।

श्री एस० सिंगरावडीवेल : दूसरों को 20 मिनट दिए गए है।

कावेरी डेल्टा में किसानों की आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त है। अतः हमें मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने के बारे में शीघ्र ही कदम उठाने चाहिए।

महोदय, मेरे मित्र पेयजल की समस्या के बारे में बोले थे। अभी भी जल का स्तर नीचा है। अधिकांश जिलों में सूखे जैसी स्थिति है। कुछ निवारक उपाय किए जाने चाहिए। जहां तक मद्रास शहर का सम्बन्ध है, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है, केवल तेलुगु गंगा परियोजना पीने के पानी की समस्या को सुलझा सकती है। यह परियोजना लंबित पड़ी है। तमिलनाडु सरकार पहले ही लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अब 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भारत सरकार इस परियोजना को मंजूरी दे और यह देखे कि इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

महोदय, मैं तमिलनाडु में आंशिक मद्यनिषेध के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वहां आंशिक मद्य निषेध है। भारत में बनने वाली विदेशी शराब की लाइसेंस पद्धति के अधीन अनुमति है। ताड़ी और 'अरक' पर पाबन्दी है। लेकिन आज ताड़ी और 'अरक' सभी गांवों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इससे गरीब लोगों का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। इसलिए, इस आंशिक मद्य निषेध को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए।

इसके बाद, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आता हूं। हमारी सरकार ने इसमें सुधार लाने के लिए समुचित उपाय किए हैं। अब यह कहा गया है कि चावल प्रति यूनिट चार किलो की दर से दिया जाता है बशर्ते कि यह अधिकतम प्रति माह 12 किलो हो। यह केवल कागज पर ही है। अब समूचा कोटा वितरित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह पर्याप्त नहीं है और मैं सरकार से प्रति माह चावल का कोटा 12 किलो से बढ़ाकर कम से कम 15 किलो करने का अनुरोध करता हूं। **(व्यवधान)**

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में एक अनुरोध करना चाहता हूं...**(व्यवधान)**। यह मेरी अन्तिम बात है। राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों की हालत बड़ी खराब है। उनके सुधार के लिए कुछ किया जाना चाहिए...**(व्यवधान)** बहुत दिनों से लोगों की मांग है कि तंजावूर कस्बे में राजमार्गों और नगरीय सड़कों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन 335/12-13 पर विद्यमान उपरिपुल की जगह नया पुल बनाया जाए। विद्यमान पुल पुराना है, उसके ऊपर से केवल दो टन वजन के वाहन ही गुजर सकते हैं। इसलिए भारी वाहनों को पार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लोगों को चक्करदार मार्ग से जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोग इसके लिए काफी दिनों से मांग कर रहे हैं। इसका निर्माण नगरपालिका द्वारा किया जाना चाहिए। परन्तु नगरपालिका के पास धन का अभाव है इसलिए पुल के निर्माण के लिए तमिलनाडु सरकार से कहा गया। तमिलनाडु सरकार ने भी इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। परन्तु इसने नगरपालिका को निर्देश दिया है कि यह कार्य तमिलनाडु राज्य निर्माण निगम को सौंप दिया जाए और तमिलनाडु परिवहन विकास तथा वित्त निगम से 72 लाख रुपए का ऋण लिया जाए। नगरपालिका ने ऋण के लिए आवेदन किया है और प्रतिभूति के रूप में अपनी संपत्ति भी

जमा कर दी है। परन्तु तमिलनाडु राज्य परिवहन विकास वित्त निगम प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे रही है, उसका कहना है कि तमिलनाडु की सरकार उसके लिए गारंटी दे। तमिलनाडु की सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऋण उक्त वित्त निगम से प्राप्त किया जाए। इसलिए सरकार या तो पूर्वोक्त वित्त निगम को निर्देश यह दे कि नगरपालि ता द्वारा जमा प्रतिभूति पर धनराशि का भुगतान करे या स्वयं गारंटी दे जिससे कि कार्य शुरू किया जा सके और काफी लम्बे समय से की जा रही लोगों की मांग पूरी की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का यह अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, तमिलनाडु राज्य के लिए यह पहला अवसर है जबकि 1988-89 के लिए बजट पेश किया जा रहा है। दिवंगत मुख्य मंत्री एम० जी० आर० यहां के लोकप्रिय नेता थे वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा गरीबों के हृदय में कन-कन में व्याप्त थे। यही कारण था कि उनकी मृत्यु के बाद बहुत से लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। लोकप्रियता का उनका यही प्रमाण था कि उन्होंने गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उन्हें काफी राहतें दीं जैसे स्कूल के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। चावल ज्यादा कीमत पर नहीं देकर बहुत ही कम कीमत पर वितरण करके उन्होंने एक अच्छा काम किया। इससे गरीब लोगों में भी उनका प्रभाव बढ़ा। लेकिन इसके साथ ही साथ वहां पर कृषि में और उद्योगों में उत्पादन घट गया, सब राज्यों से उसका उत्पादन कम हो गया। वहां पर नौ मिलें टैक्सटाइल की बन्द हो गईं, उसके बाद 33 मिलें और बन्द हो गईं, अब शायद और भी मिलें बन्द होने की सम्भावना है। तमिलनाडु के विकास में बहुत कमी आ गई है। जितना उसका विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। वहां पर बेकारी भी बहुत बढ़ी है। इस्पात का मूल्य बढ़ा देने से, कोयम्बतूर में लघु उद्योग कई ऐसे हैं जिनको बन्द करने का लोगों ने फैसला कर लिया है। आपने अपने हाथ में वहां का राज लिया है तो आपको तमिलनाडु का विकास करना चाहिए और उसे ईमानदारी से काम आगे लाना चाहिए जिससे वह भी अन्य राज्यों का मुकाबला कर सके। हम बिहारी हैं, लेकिन बिहार के लिए नहीं सोचते हैं, हम सारे देश की सोचते हैं। तमिलनाडु भी हमारे देश का एक अंग है। आप जो क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दे रहे हैं और क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में आने की जो नीति अपना रही है यह एक खतरनाक कोशिश है। इससे देश के लिए जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको मजबूती मिल रही है। आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे देश खंडित हो सकता है। आपको दलगत राजनीति से उठकर काम करना चाहिए। आपका ध्यान देश की तरक्की के लिए लगना चाहिए। जबकि आपका ध्यान अब क्षेत्रीय दलों को पनपाने में लग रहा है। आप वामपंथी ताकतों से ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, लेकिन वह दुनिया में अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देती है, वह देश के अन्दर एकता और सुदृढ़ता को मजबूती प्रदान करती है। आपने केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में एक आयोग गठित किया था जिसका नाम सरकारिया आयोग है। उसकी रिपोर्ट आ गई है। आपको ईमानदारी से उसको पढ़ना चाहिए कि क्षेत्रीयता के बारे में उसने क्या लिखा है। अगर आप आपाधापी में आकर राज्यों में सत्ता में आना चाहते हैं तो इससे अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। आपको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। क्षेत्रीय दलों का जन्म क्यों होता है इस पर भी आपको सोचना चाहिए। सत्ता में कई बरस रहने के कारण आप राष्ट्रीय विचारधारा से हटते जा रहे हैं, राज्यों से आपका सफाया हो रहा है इसलिए आपमें घबराहट हो रही है। इसी कारण क्षेत्रीय दलों का जन्म हो रहा

है, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, क्या आप इस तरह से राज्यों का और देश का विकास कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग आपकी नीतियों से ऊब चुके हैं और वे कोई न कोई दूसरा रास्ता अख्तयार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप विभिन्न राज्यों में जिस तरह की पौलिसी अपना रहे हैं, उससे आप सावधान हो जाएं और कोई ऐसा काम न करें जिससे राज्यों में बेकारी की स्थिति बढ़े क्योंकि आपके कार्यों के कारण हर जगह भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। ठीक है, आप यहां से काफी रुपया एलाट कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों की आदत ऐसी बन गयी है, जो भ्रष्टाचारी हो गए हैं, उनके कारण आपके पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता। आपको पता करना चाहिए कि आज देश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, राज्यों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे पहले आप उस गंदगी को साफ करने की कार्यवाही कीजिए जिसके कारण सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं हो पाएगा। झूठी दलीलों से आप देश को नहीं बचा पायेंगे, देश खंडित होता चला जाएगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, मेरी इच्छा थी कि मैं सदस्यों की बात का उत्तर तमिल में दे पाता क्योंकि कई सदस्यों ने अपना भाषण तमिल में दिया है। उनका कहना है कि यदि इस बजट पर राज्य विधान सभा में चर्चा होती तो वे उस ही भाषा में बोलते। इसीलिए श्री सोमू और अन्य साथी तमिल में बोले हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं :

मानुभुमिकु तुनै तलेवर अवरगले : तमिलनाडु बजट, 1988-89 विवादत्तिल कलन्दु कोन्ड मेम्बरकलुक्कु एन मनमारन्द णन्री। (सभापति महोदय, तमिलनाडु बजट, 1988-89 पर चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है; मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने जो कुछ कहा, क्या आप उसे समझते हैं ?

श्री बी० के० गढ़वी : जी, मैं समझता हूं। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 1988-89 के तमिलनाडु बजट की चर्चा में भाग लिया।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का जबाब देने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि यह एक चुनाव बजट है। क्योंकि हमने इस बजट में वे सभी कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रखे हैं जो तमिलनाडु में पहले से चल रहे थे। साथ ही, हमने कुछ नए कार्यक्रम भी रखे हैं जिससे गरीब लोगों, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ होगा। इसलिए यह कहना गलत है कि यह एक चुनाव बजट है। क्या आप चाहते हैं कि बजट में गरीब लोगों के लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं होने चाहिए ? क्या आप चाहते हैं कि गरीबों के कल्याण के लिए चल रहे कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाए ?

इसलिए मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए हमने बजट परिव्यय में वृद्धि कैसे की है।

3.53 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संक्षेप में यदि आप ध्यान दें तो इस वर्ष कृषि के क्षेत्र में परिव्यय में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि

की गयी है लेकिन कृषि पर पूंजी परिव्यय के क्षेत्र में—क्योंकि आप सब चाहते थे कि कृषि के क्षेत्र में विकास हो तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में वृद्धि की जाए—पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 33.3 प्रतिशत है।

आपने उद्योगों के बारे में कहा था, हमने उद्योगों पर भी ध्यान दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में 12.5% की वृद्धि की है, ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में 57 प्रतिशत की वृद्धि की है और औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय के क्षेत्र में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है।

शिक्षा के क्षेत्र में 16 प्रतिशत की वृद्धि की है। औषधि के क्षेत्र में—गरीब लोगों के लिए—11 प्रतिशत की वृद्धि की है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 19 प्रतिशत की वृद्धि की है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के कार्यों में 27 प्रतिशत की वृद्धि की है तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में 14 प्रतिशत की वृद्धि की है। सड़कों, पुलों आदि के लिए, जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, बजट परिव्यय में 26 प्रतिशत की वृद्धि की है।

यदि आप सम्पूर्ण बजट और उसमें किये प्रावधानों पर व्यापक रूप से ध्यान दें तो आपको यह पता हो जाएगा कि हमने उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया है जिनमें जोर देने की जरूरत है। इसलिए यह बजट ऐसा है जिसमें सभी क्षेत्रों में तमिलनाडु के विकास को ध्यान में रखा गया है। हमें मालूम है कि वहां सूखा की वजह से कठिनाइयां हैं। वहां लोग अब भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं लेकिन कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमने बजट परिव्यय में कमी की है। यह ठीक नहीं है।

दूसरी बात, पोषाहार कार्यक्रम के परिव्यय में कमी के बारे में कही गई है। वह भी ठीक नहीं है। 1986-87 में वास्तविक व्यय 158.31 करोड़ का था, 1987-88 में संशोधित अनुमान 173.14 करोड़ रुपए का था और 1988-89 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 176.81 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें वृद्धि की गई है। यह बात नहीं है कि हमने इसमें कमी कर दी है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : रुपए की कीमत के बारे में क्या है? उसका ह्रास हो रहा है।

श्री बी० के० गढ़वी : इस पर हम दूसरी बार विचार करेंगे। कुछ सदस्यों का कहना है कि हमने नई योजनाएं शुरू नहीं की हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि 1988-89 के लिए वार्षिक योजना को 1430 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1457 करोड़ कर दिया गया है। 27 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि मुख्यतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए की गई है और इससे हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि हम साम्प्रदायिक तौर पर नाजुक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए ग्रुप आवास काम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई करना चाहते हैं और स्त्रियों के लिए रोजगार की स्कीम शुरू करना चाहते हैं। जहां तक ग्रुप आवास का सम्बन्ध है, उसके लिए 8 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था है, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, ग्रामीण इलाकों में पेय जल के लिए 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था है और महिलाओं के लिए रोजगार के लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह नई विशेषता है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह नयी विशेषता नहीं है। यह एक आवर्ती विशेषता है।

श्री बी० के० गढ़वी : साम्प्रदायिक तौर पर नाजुक क्षेत्रों में यह होता है कि जब कभी वहां टकराव होता है तो झोंपड़ियों में आग लगा दी जाती है। इसलिए अग्नि-सह झोपड़ियां बनाने का विचार किया गया है और इसे लागू भी किया जा रहा है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह हमारी स्वर्गीय अन्ना ने लागू किया। (व्यवधान)

श्री बी० के० गढ़वी : श्री कृष्ण अय्यर ने कावेरी विवाद का जिक्र किया है और कहा है कि इसे न्यायाधिकरण को न सौंपा जाए। दूसरे सदस्यों का कहना है कि न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए। दुर्भाग्यवश, कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के साथ सहयोग नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह मामला काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। आप उन्हें बात-चीत के लिए राजी कीजिए। यह कार्य आपका है। (व्यवधान)

श्री बी० के० गढ़वी : इसलिए मैं कहता हूं... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप इन विवादों को हल करने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री बी० के० गढ़वी : इसे आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु के सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि यह मामला न्यायधिकरण को सौंप दिया जाए जबकि श्री कृष्ण अय्यर का कहना है कि इसे न्यायाधिकरण को न सौंपा जाए··· (व्यवधान)

4.00 म० प०

श्री बी० के० गढ़वी : आप आज ही तो बोले हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वह बहुत-सी बातें कह रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हम निचले तट-वर्ती राज्य के निवासी हैं। पानी के अभाव में हमारी फसलें सूख रही हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : इस समस्या के समाधान के बारे में भारत सरकार बहुत चिंतित है। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह धोखे में रखने वाली बात है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही नाजुक समस्या है।

श्री ए० सी० षण्मुख : यदि आपको रुचि है तो आप न्यायाधिकरण का गठन करें।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं आपको बता रहा हूं। आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं ? आपने जो मुद्दे उठाये हैं मैं उनका जबाव दे रहा हूं कि यह मामला भारत सरकार के समक्ष है और वह यह विचार कर रही हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए।

जहां तक कृष्णा नदी के पानी का सम्बन्ध है, इसके लिए भी इस बार हमने 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हमें आशा है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार इस समस्या के समाधान में सहयोग करेगी जिससे मद्रास शहर को पेयजल की सप्लाई की जा सके।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री बी० के० गढ़वी : इसका उल्लेख किया गया है। आप यह नहीं जानते कि बजट में किस-किसका जिक्र होता है। बजट में परिव्यय होता है। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। जिन धन-राशियों की हमें व्यवस्था करनी है उनका बजट में जिक्र किया जाता है। आपने बजट नहीं देखा है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : आप बजट को देखिए।

श्री बी० के० गढ़वी : उन्होंने नहीं देखा है। यही समस्या है। जहां तक तमिलनाडु में विद्युत की स्थिति का सम्बन्ध है, निःसंदेह विद्युत के मामले में यह कमी वाला राज्य है। यह 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक कमी का सामना कर रहा है। हम इस बात से भी सहमत हैं कि और अधिक विद्युत पैदा करने की बहुत जरूरत है। इसलिए सातवीं योजना में विद्यमान 4,000 मैगावाट के ग्रिड में 1,411 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत की प्रतिष्ठापित क्षमता के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना के अन्त में 800 मैगा-वाट विद्युत की कमी रहेगी। लेकिन निवेली लिग्नाइट निगम दो खानों पर आधारित दो ताप विद्युत केन्द्र स्थापित कर रहा है। पहली खान पर आधारित 600 मैगावाट की सम्पूर्ण विद्युत तमिलनाडु को वितरित की जानी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनेक प्रकार के वायदे किए जाते हैं। आप कोई भी वायदा कर सकते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : यह वायदा नहीं है। यह वास्तविकता है। यह ऐसा वायदा नहीं है जैसे आप अनेकों से वायदे करते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हम आपके लिए एक अच्छा बजट बनाएंगे। इसे आप हमें दे दीजिए।

श्री बी० के० गढ़वी : वह तो निःसंदेह उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विद्युत का संबंध है, अभी तक तो इसकी कमी है। लेकिन राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र भी तमिलनाडु में परियोजना तथा तमिलनाडु के लिए विद्युत की उपलब्धता की ओर ध्यान दे रहा है। हम कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करेंगे।

तमिलनाडु में विद्युत के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। संभवतः श्री रेड्डी को इसका पता नहीं था। छोटे तथा सीमांत किसानों को विद्युत निःशुल्क दी जाती है। अन्य किसानों को भी विद्युत प्रति 'होर्स पावर' के हिसाब से एक निश्चित दर से दी जाती है।

श्री रेड्डी, आपने ऋण तथा ब्याज के बारे में एक मुद्दा उठाया था।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, स्थगन करना समाधान नहीं है।

श्री बी० के० गढ़वी : जहां तक सहकारी समितियों तथा अन्य से ऋण का सवाल है, ब्याज तथा अन्य चीजें पहले ही माफ की जा चुकी हैं। लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए आपने यह मुद्दा उठाया। **(व्यवधान)**

श्री चौधरी, आपने भाग नहीं लिया। मैं इस साथ-साथ टीका-टिप्पणी को पसंद नहीं करता। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने भाग लिया है तथा व्यवधान उत्पन्न करने का आपका कोई अधिकार नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप भारत की संसद को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : मुझे उनके द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों का जवाब भी देना है। श्री डेनिस ने तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नावों आदि के बारे में एक मामला उठाया था। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि 45 लाख रुपए पहले ही दे दिए गए हैं तथा घाट सुविधाओं के विकास के लिए 60.43 लाख रुपए तथा मछियारों द्वारा नाव चलाने के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है, क्योंकि वह कन्याकुमारी से हैं इसलिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया है।

श्री कुलनदईवेलू ने यह मुद्दा उठाया है कि कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए और अधिक राशि आबटित की जानी चाहिए। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 1987-88 में 138 रुपए की व्यवस्था की गई थी जबकि इस वर्ष कृषि के लिए 147 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी प्रकार कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए वितरण इस प्रकार है। मछलीपालन के लिए पिछले वर्ष 7 करोड़ रुपए थे जबकि अब 8 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दुग्ध वितरण के लिए 2 करोड़ रुपए थे और अब 3 करोड़ रुपए का प्रावधान है, पशु पालन के लिए 32 करोड़ रुपये थे और इस बार 37 करोड़ रुपये है, सहकारी समितियों के लिए 38 करोड़ रुपये थे, अब इसके लिए 52 करोड़ रुपये का प्रावधान है; नागरिक आपूर्ति के लिए 155 करोड़ रुपये थे और अब 158 करोड़ रुपये हैं। वनों के मामले में भी राशि 17 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19 करोड़ कर दी गई है तथा कृषि के लिए ऋणों में भी वृद्धि करके 21 की तुलना में 27 कर दिया गया है तथा वनों के लिए पूंजी परिव्यय 23 की तुलना में बढ़ाकर 24 कर दिया है। इस प्रकार 440 करोड़ रुपये के कुल आबंटन को बढ़ाकर 483 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अभी तक चुनावों के बारे में एक मामला उठाया गया था। मैं पहले ही प्रतिशत बता चुका हूं। जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, हमें तो यह भी पसंद नहीं है कि तमिलनाडु का बजट लोकसभा के सम्मुख पेश किया जाए तथा यहां उस पर चर्चा हो। हम तो यही चाहते हैं कि भविष्य में संबंधित राज्य विधानसभाओं को अपने राज्य के बजट पर चर्चा करनी चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डा० एम० जी० आर० की मृत्यु के बाद पार्टी एक होकर राज्य की बागडोर को नहीं संभाल सकी और किसी वजह से इस बजट पर यहां चर्चा हो भी रही है तो इसके लिए हम लोग उत्तरदायी नहीं हैं बल्कि स्वयं को एम० जी० आर० का उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले लोगों को इसका उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जहां तक चुनाव का संबंध है, गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु में चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पहले ही लिखा हुआ है तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय ने मतदाता सूची के संशोधन का एक कार्यक्रम बनाया है तथा वे यह काम मई के शुरू में पूर्ण होने की उम्मीद रखते हैं। यह सब चुनाव आयोग द्वारा किया जाना है, यह हमने नहीं करना है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आपने चुनाव आयोग को कोई संभावित तिथि सुझाई होगी।

श्री बी० के० गढ़वी : उन्हें मतदाता सूचियों में संशोधन करना है और उसके बाद ही वे यह करवा सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैं समझता हूं कि यह काम इस महीने में पूरा हो जाएगा।

श्री बी० के० गढ़वी : वे कहते हैं कि मई के प्रारम्भ में पूर्ण हो जाएगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आपने 57 दिन कहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूचियां 6 मई तक संशोधित कर ली जाएंगी तथा 7 मई को प्रकाशित की जाएंगी। रहस्यपूर्ण 56 दिन कोई रहस्य नहीं है...(**व्यवधान**)...12 मार्च को मेरे वक्तव्य से लेकर 6 मई तक गिनने पर 56 दिन होते हैं। यदि आप भी गिनेंगे तो आप भी 56 दिन ही पाएंगे।

श्री एन० वी० एन० सोमू : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार तमिलनाडु में चुनाव जून में करवाना चाहती है तो राज्यपाल ने सहकारी समितियों के चुनावों की घोषणा क्यों की जबकि ऐसा करना तो एक लोकप्रिय सरकार का कर्तव्य होता है ? यह नीति संबंधी विषय है। (**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : आप चुनावों से क्यों डरते हैं ?

श्री बी० के० गढ़वी : श्री कुप्पुस्वामी ने यह मामला उठाया था कि नशाबंदी लागू करने वाले प्रशासन को चुस्त किया जाना चाहिए। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि इसे लागू करने का काम पुलिस बल के एक बड़े दल को सौंपा गया है और पुलिस के उप महा-निरीक्षक इसके मुखिया हैं।

एक मुद्दा पुलिस, अध्यापकों आदि के बारे में था। राज्य के चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही 1- 0-1984 से लागू कर दिया गया है तथा महंगाई भत्ता भी भारत सरकार की दरों के बराबर ही दिया गया है। मुद्दा यह उठाया गया था कि यह उन्हें भारत सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही दिया जाना चाहिए। इसे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : चट्टोपाध्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है।

श्री बी० के० गढ़वी : यद्यपि यह दोहराना ही होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जहां तक पुलिस, अध्यापकों आदि के वेतन का सवाल है, राज्य के चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को 1-10-1984 से पहले ही लागू किया जा चुका है तथा उन्हें महंगाई भत्ता भारत सरकार की दरों के बराबर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, चोरियों आदि के बारे में श्री कुप्पुस्वामी ने एक मामला उठाया था। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि निगरानी व्यवस्था लागू करने वाली व्यवस्था की अध्यक्षता अब उप महानिरीक्षक, नागरिक आपूर्ति करते हैं। वे प्रायः दुकानों पर छापे मारते हैं तथा गलत कार्यों का पता लगाने का प्रयास करते हैं तथा पुलिस अधिकारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रारम्भिक स्तर पर कदाचार तथा चोरियों को रोकने के लिए कहा जाता है तथा पामोलीन सहित सभी आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही हैं।

पांडियारुपुन्नमपुक्षा योजना के बारे में उन्होंने एक मामला उठाया था। यह एक अन्तर्राज्यीय नदी परियोजना है तथा केरल सरकार की सहमति की प्रतीक्षा है।

श्री सोमू तथा अन्य मित्रों ने ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में भी मुद्दे उठाए थे। वे पहले ही जानते हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए राज्य सरकार पहले ही उन शिक्षित युवकों को बेरोजगारी राहत दे रही है जो एस० एस० एल० सी०, पी० यू० सी० या हायर सेकंडरी अथवा डिग्री कोर्स पास कर चुके हैं तो जैसा कि मामला है, उसी प्रकार राहत की मात्रा भी क्रमशः 50 रुपये, 75 रुपये और

100 रुपये है। एक तरफ तो हम बेरोजगार लोगों के लिए नौकरियों के अवसर उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ-साथ उन्हें यह भत्ता भी दिया जा रहा है।

आरक्षण के लिए चल रहे आन्दोलन के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। यह एक नीति संबंधी मामला है और इसका सही निर्णय निर्वाचित सरकार ही ले सकती है, हम इस पर निर्णय नहीं ले सकते।

श्री पी० कुलनदईवेलू : उन्होंने कहा है कि यदि चढ़ाव हुए तो वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे।

श्री बी० के० गढ़वी : लेकिन उनकी मांग यह है कि राज्य में 20 प्रतिशत आरक्षण हो।

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप क्या आश्वासन लोगों को दे रहे हैं?

श्री बी० के० गढ़वी : हम आश्वासन कैसे दे सकते हैं?

श्री पी० कुलनदईवेलू : अन्यथा वे चुनावों का बहिष्कार करना चाहते हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : यदि वे नौकरियों और शिक्षा सुविधाओं आदि के लिए अधिक आरक्षण चाहते हैं तो यह राज्य सरकार का कार्य है। चूंकि राष्ट्रपति शासन चल रहा है, अतः हम इस प्रकार का नीति संबंधी निर्णय नहीं ले सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू : जब आप विभिन्न नीतियों की घोषणा कर रहे हैं, तो इसकी भी घोषणा क्यों नहीं करते हैं?

श्री बी० के० गढ़वी : यह एक अलग मामला है। ये आरक्षण राज्य के अन्दर दिये जाते हैं। कल्याण योजनायें और प्रशासनिक उपाय भिन्न हैं। यह तो राज्य की चुनी हुई सरकार का कार्य है कि वह आरक्षणों के संबंध में निर्णय ले। हम केवल कामचलाऊ प्रबन्धक हैं। हम लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास रखते हैं। चुनी हुई सरकार के पास अपने राज्यों के संबंध में निर्णय लेने का निश्चित रूप से अधिक अधिकार और अधिक शक्ति होती है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : राज्यपाल की सहायता करने वाली संसद् सदस्यों की समिति के बारे में क्या किया जा रहा है?

श्री बी० के० गढ़वी : मैं उस सुझाव को उचित कार्यवाही करने के लिए आगे भेज दूंगा।

श्री एन० बी० एन० सोमू । जब चुने हुए उपलब्ध प्रतिनिधि केवल संसद् सदस्य हैं तो समिति गठित क्यों नहीं की जा सकती है?

श्री बी० के० गढ़वी : जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए उन अन्य मुद्दों की बात है, जिन्हें विभिन्न विभागों ने निपटना है, मैं निश्चित रूप से देखूंगा और उन पर कार्यवाही करने के लिए उन्हें विभिन्न विभागों को भेजूंगा।

कुल मिलाकर जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, इस बजट में कल्याण योजनाओं और तमिलनाडु के विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है और मैं उन्हें इस बजट को पारित करने की सभा से सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1988-89 के लिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित लेखानुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ '2' में मांग संख्या 1 से 59 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए, या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ '3' में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1987-88 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (तमिलनाडु) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ '2' में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ '3' में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां तमिलनाडु राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 1, 3 से 28, 30, 31, 32, 34 से 55, 57, 58 और 59।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.17 म० प०

तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) बिधेयक*

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की

*दिनांक 28-3-1988 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 2, में प्रकाशित।

संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।**

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के एक भाग की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियां निकाले जाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

तमिलनाडु विनियोग विधेयक*

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति है।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए तमिलनाडु राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

---

*दिनांक 28-3-1988 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर चर्चा करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : इससे पहले कि हम अगले मुद्दे पर बात करें मैं एक छोटे मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह सभा की गरिमा का मसला है। सभा में कम से कम एक मंत्रिमंडलीय स्तर का मंत्री अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। आज जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है वह सभा के नियमों का उल्लंघन करके की गई है—पूरा उल्लंघन करके की गई है। अभी-अभी गणपूर्ति घंटी बजी थी। गणपूर्ति घंटी बजने के बाद भी एक भी मंत्रिमंडलीय स्तर का मंत्री नहीं आया है। यह तो हद है। आपको इस पर विशेष रूप से टिप्पणी करनी चाहिए। महोदय, मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले से ये सभी मर्यादा के मामलों में नियमों का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है। अतः आपको समय रहते कार्यवाही करनी चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि गणपूर्ति घन्टी के बजने के बाद भी मंत्रिमंडलीय स्तर का एक भी मंत्री नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : हमें इस पर जोर नहीं देना चाहिए। आज राज्य सभा चुनाव हैं······ **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : केवल राज्य सभा के चुनावों के कारण मंत्रिमंडलीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं होंगे। आप क्या कह रहे हैं? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस तरह जोर नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : इस प्रकार के महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक यहां पुरः-

स्थापित किए जा रहे हैं और उन पर चर्चा की जा रही है और मंत्रिमंडलीय स्तर का एक भी मन्त्री हमें सुनने और हमारी आकांक्षाओं को जानने के लिए यहां उपस्थित नहीं है।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : यहां तक कि आपके अपने साथी आपको नहीं सुन रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला आप अपनी बात कह चुके, लेकिन मैं इस पर जोर नहीं दे सकता हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह दलीय राजनीति का मामला नहीं है। इसे संसदीय गरिमा और संसदीय प्रतिष्ठा के रूप में लें······**(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मन्त्री, मन्त्री ही होते हैं चाहे वे मंत्रिमंडलीय स्तर के हों या राज्य स्तर के हों।

श्री जगदीश टाईटलर : वे माननीय सदस्य जिन्होंने गणपूर्ति का मसला उठाया था अब स्वयं यहां उपस्थित नहीं हैं। वह कहां हैं? इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गए थे। लेकिन आपके अपने साथियों की आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपके मंत्रिमंडलीय मन्त्रियों के बारे में क्या है? कितने यहां हैं?

श्री जी० एम० बनातवाला : आप इस सभा को तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि एक मन्त्रिमंडलीय स्तर का मन्त्री न आ जाये······**(व्यवधान)**

श्री बी० के० गढ़वी : ऐसी बात नहीं है कि हमारे मन में इस सभा के लिए कोई इज्जत नहीं है। हमारे दिल में इस मंच के लिए सर्वाधिक इज्जत है। आज राज्य सभा के चुनाव हैं···**(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : सभा की गरिमा और गौरव को ध्यान में रखिए। महोदय आप सभा स्थगित कीजिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जोर नहीं दे सकता हूं। मैं सभा को स्थगित क्यों करूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम अगला मुद्दा लेंगे।

श्री चिदम्बरम कृपया आप बोलें।

4.25 म० प०

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि सभा को ज्ञात है, अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 15 अक्तूबर, 1983 को प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में इस बात को देखने के लिए अधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है कि क्या कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है ताकि केन्द्र सरकार उस अवैध प्रवासी को भारत से निष्कासित कर सके तथा इससे सम्बन्धित मामलों से निबट सके। यह अधिनियम इस समय असम राज्य में लागू है।

असम समझौते के दौरान जो बातचीत हुई, उसमें असम राज्य छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों ने कुछ शंकायें व्यक्त की थीं। असम समझौते के खंड 5.9 में इन आरक्षणों के बारे में विचार अभिव्यक्त किया गया है, जिसका पाठ निम्नलिखित है :

"अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के कार्यान्वयन के संबंध में असम राज्य छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई कुछ कठिनाइयों के बारे में सरकार समुचित विचार करेगी।"

उपरोक्त खंड के अनुसरण में असम सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें इस अधिनियम में कई संशोधन करने के सुझाव दिए गए थे। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में पिछले चार वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुए, उससे भी यह पता चलता है कि इस अधिनियम के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए कुछ परिवर्तन करना अपेक्षित हैं। विभिन्न स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख मामले प्रकाश में आये थे :—

(एक) अधिकरणों में सदस्यों की संख्या;

(दो) गैर सरकारी शिकायतों के मामले में आवास सीमा;

(तीन) प्रत्येक गैर सरकारी शिकायत के साथ शुल्क राशि;

(चार) सबूत का दायित्व;

(पांच) उच्च न्यायालय के संशोधन शक्ति संबंधी उपबंध;

(छह) गिरफ्तार करने/हिरासत में रखने की शक्ति।

असम के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप एक समझौता हुआ है और उसी के अनुसार इस अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक, 1987 को कानूनी रूप देने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में, जिसे असम सरकार के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं; अर्थात्

(एक) अवैध प्रवासी (अवधारणा) अधिकरण के सदस्यों की संख्या तीन से घटाकर दो करना;

(दो) गैर सरकारी शिकायतों के मामले में आवास की छूट सीमा 3 कि० मी० से उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के भीतर के आवास तक रखना;

(तीन) गैर सरकारी शिकायतों के मामले में न्यूनतम शुल्क 25 रुपये से घटाकर 10 रुपये करना;

(चार) जो व्यक्ति उसी पुलिस स्टेशन की सीमा के बाहर रह रहा है, उसे अधिकरण से पत्र-व्यवहार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन पत्र देने का अधिकार देना;

(पांच) अपीलीय अधिकरण के सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन से घटाकर दो करना;

(छह) संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन प्रदत्त उच्च न्यायालय की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन करने से संबंधित विद्यमान उपबंध का विलोपन करना

(सात) राज्य भर के अवधारण अधिकरणों के ऊपर निगरानी रखने के लिए अपीलीय अधिकरण को शक्ति प्रदान करना;

(आठ) पुलिस अधिकारी को, जिसका पद पुलिस अधीक्षक के पद से कम न हो, कुछ व्यक्तियों को बंधक बनाने का अधिकार देना;

(नौ) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए न्यूनतम सजा दिए जाने का प्रावधान करना;

तथापि मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन प्रदत्त उच्च न्यायालय की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन करने से संबद्ध विद्यमान उपबंध का विलोपन करना पक्षपातरहित है; जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को संशोधन आवेदनों की सुनवाई करने और रिट जारी करने का तथा प्रदेश भर के उन समस्त न्यायालयों और अधिरकणों की निगरानी करने की शक्ति प्राप्त है, जो उनके निगरानी क्षेत्राधिकार से संबद्ध हैं।

जहां तक सबूत देने के दायित्व का प्रश्न है इसके संबंध महा न्यायवादी की सलाह स्वीकार्य और मान्य है कि अधिनियम में इस संबंध में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए अधिकरणों के कार्य को और सूचारू बनाने का विचार है ताकि असम समझौते के अनुसार 24 मार्च, 1971 के बाद असम में जो अवैध प्रवासी थे उनका पता लगाया जा सके और उनका निष्काशन किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया उचित और न्यायपूर्ण हो और यह अनुचित शंकाओं या नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए परेशानी का साधन न बने। इन संशोधनों को तैयार करने में काफी सावधानी बरती गयी है। कुछ लोगों द्वारा व्यक्त किए गए संदेहों को ध्यान में रखते हुए मैं इस अवसर पर यह बात दोहराना चाहूंगा कि सरकार असम समझौते के अन्तर्गत दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में, अपने दायित्वों को पूरा करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब प्रस्ताव संशोधनों को विचारार्थ लिया जाये। श्री सुरेश कुरूप यहां नहीं हैं। श्री बसुदेव आचार्य यहां उपस्थित हैं। किंतु श्री मानिक सान्याल यहां नहीं हैं। प्रो० सोज भी नही हैं। मुझे आशा है कि श्री आचार्य जी आप दोनों संशोधन रख रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20 अर्थात :—

(1) श्री अजय विश्वास

(2) श्री बूटा सिंह

(3) श्री सोमनाथ चटर्जी

(4) श्री सैफुद्दीन चोधरी

(5) प्रो० मधु दण्डवते

(6) श्री दिनेश गोस्वामी

(7) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(8) श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर

(9) श्री हन्नान मोल्लाह

(10) श्रीमती गीता मुखर्जी

(11) डा० ए० के० पटेल

(12) श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया

(13) श्री सी० माधव रेड्डी

(14) डा० सुधीर राय

(15) श्री अमर राय प्रधान

(16) श्री मानिक सान्याल

(17) श्री सैयद शाहबुद्दीन

(18) श्री पीयूष तिरकी

(19) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

(20) श्री बसुदेव आचार्य

और राज्य सभा से 10;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन इस सभा को देगी;

कि अन्य विषयों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दी जाए।"(2<)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, अब आप बोल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संसद के लिए यह एक और दुःखद दिन है कि इसे इस प्रस्तावित विधेयक और इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले उन मामलों पर विचार करना होगा जो लोगों में एकता स्थापित करने के बजाये उन्हें विभाजित करेगा।

यह, इस देश की लाखों निराश जनता को सरकार की छलना का एक और उदाहरण है।

4.32 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

यह अयोग्य सरकार, जो न ढंग से सोच सकती है और न ईमानदारी से, राजनैतिक ईमानदारी से कार्य कर सकती है, बड़ी संख्या में लोगों के मानवीय अधिकारों को बलि चढ़ा रही है। यह सरकार विघटनकारी और उग्रराष्ट्रीयतावादी ताकतों के साथ समझौता करके मानव जाति के बहुत बड़े वर्ग के हितों की बलि चढ़ा रही है।

हम जानते हैं, इस देश के बहुत सारे लोग यह महसूस करने लगे हैं कि इस सरकार से छुटकारा पाना कठिन है और इस सरकार के विनाशकारी प्रशासन से इस देश की जनता को बचाने का एक ही रास्ता है कि इसे उखाड़ फेंका जाए।

किंतु इस अवसर पर मैं असम के अपने मित्रों से, विशेषकर उनसे, जो असम गण परिषद से संबंध रखते हैं, वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं—अपील करता हूं। हम दमनकारी और अधिकारवादी ताकतों, प्रतिक्रियावादी ताकतों से एक साथ लड़ रहे हैं। हम यहां संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह ही एक साथ लड़ रहे हैं। हम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ लड़ रहे हैं और अपने राजनैतिक क्षेत्र में समुचित संघीय ढांचे को बरकरार रखने के लिए मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें एकजुट होकर यह संघर्ष जारी रखना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या यह विधेयक इस देश के शोषित और संघर्षरत मानवों को अधिक सुसंगत और कारगर ढंग से जोड़ने में सहायक है? हम उन्हें अपना मित्र और अपना भाई-बंद मानते हैं। और इसलिए, असम के लोगों से मेरी अपील है कि लोगों को बांटो नहीं, उन्हें जोड़ो। लोगों की विवधताओं पर, भाषा के अन्तर पर, धार्मिक विविधता पर, जाति और वंश के भेद-भाव पर जोर मत दो बल्कि उन पहलुओं पर जोर दो जो लोगों को जोड़ती है जिससे कि·········

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : यह चापलूसी···

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने आरंभ से मेरा भाषण नहीं सुना ।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसने मुझे कितना उकसाया है ?

श्री अताउर्रहमान : मुझे खेद है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ताकि देश के सभी भागों के लोग, जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न धर्मों को मानते हैं, एक सुव्यवस्थित ढांचे का अभिन्न अंग बन सकें । मैं आशा करता हूं कि असम गण परिषद् में हमारे मित्र कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे केन्द्र का सत्तारूढ़ दल उन्हें अपने हाथों में कठपुतली के रूप में प्रयोग करे ।

मेरा एक दिलचस्प अनुभव था । गत सत्र में जब अखिल असम विद्यार्थी संघ का एक दल मुझसे मिला—मुझे विश्वास है कि वह इस संसद के अन्य माननीय सदस्यों से भी मिला—हमने किसी कटुता के अत्यन्त सौहार्दपूर्ण चर्चा की । मैंने उनसे कहा कि हम असम समझौते के विरुद्ध थे । किंतु इसके बावजूद कि जो उनके पास था, उन्हें यह देखना था कि मानव अधिकारों पर किसी हस्तक्षेप के बिना इसे लागू करना था और उन लोगों के प्रति उचित आदर व्यक्त करना था जो अपनी स्वेच्छा से नहीं पर हालात की मजबूरी में असम में रह रहे थे ।

इसी भवन में, इसी अहाते में महान् भारतीय नेताओं ने अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है जिन्हें राष्ट्रीय वचनबद्धता के रूप में स्वीकार किया गया है । जो पण्डित जी ने कहा था उसे पुनः दोहराना उचित होगा । पण्डित जी ने 15 अगस्त, 1947 को कहा था :—

> "हम अपने उन भाइयों और बहनों के बारे में भी सोचते हैं जो राजनीतिक सीमा के कारण हमसे बिछुड़ गए हैं और दुर्भाग्यवश इस समय हमें मिली स्वतंत्रता में भाग नहीं ले सकते हैं । वे हमारे हैं और हमारे रहेंगे चाहे कुछ भी हो, और हम उनके सौभाग्य और दुर्भाग्य में बराबर के साझेदार रहेंगे ।

उन्होंने यह भी कहा था कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह विस्थापित लोग, जो भारत में रहने आए हैं, वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं । यदि कानून इस मामले में अपर्याप्त है, तो कानून को बदलना चाहिए ।" इसी बात पर भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने जोर दिया ।

उप-प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा :

> "हमारी सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उनके साथ हैं जो अभी तक हमारे साथ थे किंतु अब हमसे अलग हो रहे हैं । बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे कि जो लोग एकता की कदर करते थे वह विभाजन से उत्पन्न हुई कटुता और दुःख का विकास देखेंगे । किंतु सीमा के उस पार हमारे भाई यह न समझें कि उनकी उपेक्षा की जा रही है अथवा उन्हें भुलाया गया है । उनके कल्याण के लिए हमारी सतर्कता की जरूरत है और हम पूरी आशा और विश्वास से और पूरी रुचि से उनके भविष्य की ओर ध्यान देंगे कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए ।"

सरदार वल्लभभाई पटेल का एक और उद्धरण है । मैं अपने युवा प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं जो यह विधेयक ला रहे हैं कि आधुनिक भारत के निर्माताओं ने यह कहा था और यह एक ऐसी वचनबद्धता है जो एक राष्ट्रीय वचनबद्धता के रूप में दी गई थी ।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा :

"हम तब तक इस स्वतंत्रता का पूरा आनन्द प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक हम इसे उत्तर और पूर्व बंगाल के हिन्दुओं को इसमें भागीदार नहीं बनाते हैं। हमारी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए उन्होंने जो कष्ट झेले हैं और हंसते-हंसते बलिदान दिए हैं, मैं उनको कैसे भूल सकता हूं? अब के बाद भारत में होने वाले विकास में भारत सरकार का ध्यान उनके भविष्य-कल्याण की ओर गम्भीरतापूर्वक दिया जाना चाहिए।"

महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा :

"मेरे मित्र पूछते हैं कि क्या उन लोगों को भारत में शरण मिलेगी जो अत्यधिक डरे हुए हैं अथवा अन्यथा पाकिस्तान छोड़ते हैं? इस मुद्दे पर मेरी राय सुस्पष्ट है। ऐसे शरणार्थियों को संघ और उचित शरण मिलनी चाहिए।"

"मेरे मित्रों ने मुझसे यह भी पूछा कि पाकिस्तान में जो जमीन और मकान रह गए उनका क्या होगा। मैंने बार-बार पूछा है कि सरकार को भूमि और भवनों के लिए वर्तमान बाजार का मूल्य देना चाहिए।"

मैं यह इस सदन को याद दिलाने के लिए पढ़ रहा हू कि यह वचनबद्धताएं भारत के उन लोगों के लिए की गई थीं जो विभाजन के पश्चात् एक अलग ही राज्य के निवासी बने जिसके लिए उनसे उनके विचार नहीं पूछे गए।

फिर मैंने अखिल असम विद्यार्थी संघ से कहा कि हमारी आपत्तियों और विरोध के बावजूद चाहे कोई भी समझौता हुआ है, इन वचनबद्धताओं को पूरा किया जाए। इससे उन लोगों के अधिकतर अधिकार छिन जाते हैं किंतु समझौते में जो भी व्यवस्था है उसे बनाए रखना है। और मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने उनमें से कुछ अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि समझौते का लागू करना अथवा विद्यमान कानूनों को लागू करने में भी कुछ उल्लंघन किए गए हैं, कुछ त्रुटियां हैं और उन्होंने कहा हम युवा हैं और हम जिम्मेवारी लेते हैं, किंतु हम देखेंगे कि इन्हें उचित ढंग से लागू किया जाए और जनता को कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। किंतु मैं आज देखता हूं कि यह संशोधन विधेयक आया है जिससे इन लोगों के लिए और भी कठिनाई होगी और जिससे प्रशासन अथवा कुछ लोगों को कानून का सहारा लेना अधिक सहज बन जाता है, जो हमारे विचार से हमारे देश अथवा संयुक्त देश के लोकाचार के विरुद्ध है और जनता के नेताओं और उस समय की सरकार और नेताओं द्वारा दिए गए गम्भीर आश्वासनों के विरुद्ध है।

जब 1983 में मूल विधेयक पारित हुआ था, तो श्री पी० सी० सेठी गृह मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा···(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं? उन्होंने स्वर्गीय पंडित नेहरू और स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल का उद्धरण दिया है। मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कोई निश्चित वचन अथवा आश्वासन दिया है। वह हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति सहानुभूति थी जिन्होंने किसी अन्य देश के नागरिक बनना चाहा और आखिर में वह दूसरे देश के ही नागरिक बन गए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वर्तमान कांग्रेसियों के शब्दकोश में जनता के प्रति वचनबद्धता के लिए कोई शब्द नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : मैं कांग्रेसियों के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं आपकी सलाह चाहता हूं क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित वकील और विधिशास्त्री हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इसके लिए सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

मैं विधिशास्त्री नहीं हूं। श्री पी० सी० सेठी ने 1983 में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा···(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : आप इतिहास को तोड़-मरोड़ रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर (सीवन) : पूर्व बंगाल से हिंदूओं की भारी संख्या प्रवास कर गई क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें यातनाएं दीं। तो क्या आप उन्हें निकाल देंगे जब वहां आकर बस जाएंगे? यही बात आप कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी (दल) को कुछ करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? यह आपकी वचनबद्धता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे आज दुःख हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की जनता को दिया गया आश्वासन...(व्यवधान) किसी वचनबद्धता की कोई कानूनी प्रवर्तनता नहीं है। किंतु प्रश्न यह है कि जहां तक इस देश का संबंध है, जहां तक इस सरकार का संबंध है, चाहे वह इसको विश्वास का मुद्दा समझता है, इस देश की जनता के साथ किया गया कोई ईमानदार आश्वासन, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ईमानदारी से किया गया था। महोदय, आज उनके अनुयायी उस वचनबद्धता का पालन नहीं कर रहे हैं और की गई वचनबद्धता का किसी प्रकार से आदर नहीं हो रहा है। श्री पी० सी० सेठी···(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मध्य प्रदेश से श्री पी० सी० सेठी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री पी० सी० सेठी ने गृह मंत्री के रूप में 1983 में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा है :

> "सरकार ने विदेशियों का पता लगाने और बाहर निकालने के संबंध में काम आरम्भ करने के लिए 1971 को आरंभिक वर्ष मानने के लिए मार्च, 1980 में प्रधान मंत्री ने संसद में विपक्ष के नेताओं और असम विधान सभा में राजनैतिक दलों के नेताओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करके केवल एक सर्वदलीय सर्वसम्मति को लागू करने के लिए अध्यादेश को रद्द करने के लिए विधेयक लाने के लिए अध्यादेश जारी किया है।"

यह वक्तव्य उस समय के गृह मंत्री ने सदन में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए दिया था। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता कि कर्नल मुशरान को क्या हुआ। जबलपुर में जल रही आग···(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : यह केवल सहानुभूति है। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : इस तथ्य के बावजूद कि इस विधेयक पर मेरे और मेरे

सहयोगी के बीच काफी मतभेद है, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। हम उन्हीं बातों में उत्तर देंगे जहां हम समझते है कि जबाब दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कुछ मामलों पर हमारे मतभेद हैं किन्तु लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता। हम इसे आपस में सुलझा लेंगे, किन्तु सवाल यह है कि कर्नल मुशरान की ओर से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जब सोमनाथ जी का मुझसे मतभेद होता है तो वह झगड़ा करते हैं किन्तु, जब दिनेश गोस्वामी के साथ मतभेद होता है तो वह झगड़ते नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं झगड़ा नहीं करता। मैं झगड़ा क्यों करूं (व्यवधान)

कल हमारे युवा गृह मंत्री ने-दूरदर्शन पर बताया कि सेना के लोगों में अनुशासन होना चाहिए। उन्हें इस बात का खेद है कि जनरल अरोड़ा ने यह अनुशासन नहीं दिखाया। किन्तु, कर्नल साहब, आप किस प्रकार की सेना में थे, मुझे नहीं मालूम···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : जबलपुर का एक्सप्लोजन है क्या ?

श्री अजय मुशरान : जबलपुर क एक्सप्लोजन तो अंडर कन्ट्रोल है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस महान सदन द्वारा 1983 में पारित किए गए विधेयक में कुछ न्यूनतम रक्षोपायों की व्यवस्था की गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री ने न्यूनतम रक्षोपाय किए जाने का औचित्य बताया था। मुझे नहीं मालूम कि श्री चिदम्बरम को अपने पूर्व वक्ता का भाषण पढ़ने का मौका मिला या नहीं। कम-से-कम इसकी एक प्रति अवश्य लें।

उन्होंने बताया कि कुछ उपबंध किए गए हैं। 14 दिसम्बर, 1983 को इस सदन में दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था :

> "यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेकार आवेदन पत्र न भेजा जा सके, विधेयक में कुछ रक्षोपायों का प्रावधान किया गया है अर्थात आवेदन-पत्र के साथ शुल्क भेजा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में आवेदन दिया गया हो, उसका निवास स्थान आवेदक के निवास स्थान से तीन किलोमीटर के भीतर होना चाहिए, आवेदन के साथ उस क्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कम-से-कम दो व्यक्तियों के शपथ-पत्र लगे होंगे जिस क्षेत्र में आवेदन-पत्र में उल्लिखित व्यक्ति रह रहा है।"

वह आगे कहता है :

> "यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस व्यवस्था में सभी का विश्वास हो, विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण में कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक 6 सदस्य हों और इस अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य या तो उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे।"

तत्पश्चात् उन्होंने 1983 के विधेयक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जिसमें सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपबंध किया गया है और यह कि केन्द्रीय सरकार अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही करेगी। इसके अलावा भारत सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है। यह कहा गया था :

"सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि 24-3-71 के बाद के अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें बाहर निकाला जाए" हमने इसका भी समर्थन किया था—"न्यायाधिकरण के सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए जजों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहनों की पेशकश की जा रही है और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त जजों के नाम असम सरकार को भेज दिए गए हैं।"

उन्होंने आगे कहा था, "25 मार्च, 1971 के अलावा और कोई तारीख निर्धारित करना अव्यवहारिक है।" वह कहते हैं :

"1961-71 के बीच आए लोगों के मतदान अधिकार को पूर्णतः समाप्त करना तथा मांग की अव्यवहारिकता तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली तकलीफों पर ध्यान दिए बिना उन्हें आसाम से बाहर निकालना भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं था।"

उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों को तकलीफ होगी।

ये वक्तव्य, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं तब भारत सरकार की ओर से सभा में दिए गए थे ? अब क्या हो रहा है ? बिना किसी बातचीत के सर्वाधिक प्रभावित लोगों के विचार जाने बिना असम समझौता कर लिया गया।

कृपया असम समझौते का पैरा 59 देखें।

"सरकार कतिपय कठिनाइयों की ओर पूरा ध्यान देगी" मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्या कठिनाइयां हैं—आल असम स्टूडेंट यूनियन तथा अखिल असम गण संग्राम परिषद् द्वारा इस अधिनियम को लागू करने संबंधी कठिनाइयां क्या हैं। किन्तु, मंत्री महोदय द्वारा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया।

कृपया इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन को देखिए। आपको पता लगेगा कि मानवीय गरिमा, मानवीय रक्षा और मानवीय अधिकारों जैसे मामलों को किस प्रकार निपटाया गया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि संशोधन विधेयक असम सरकार के साथ विस्तृत बातचीत के पश्चात् तैयार किया गया है। और किसी के साथ नहीं ! अन्य कई संगठन भी हैं। उन संगठनों, ग्रुपों या दलों का भी सदन में प्रतिनिधित्व है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप असम सरकार के साथ बातचीत करेंगे। किन्तु आपको अन्य प्रभावित लोगों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। उनके संगठन भी वहां हैं। वह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। वह केवल मानवीय अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना बसा बसाया घर खुशी से छोड़कर ऐसी जगह जाकर नहीं रहता जहां उसे अपना जीवन नए सिरे से आरम्भ करना पड़े। उन लोगों ने इतने सालों तक असम के विकास और उसकी समृद्धि के लिए योगदान दिया है। अब यह संशोधन विधेयक बिना उनसे कोई बातचीत किए लाया गया है और विधेयक के कथन को यहां स्वीकृति है तथा मंत्री महोदय के अपने वक्तव्य में भी कहा गया है कि असम सरकार के साथ बातचीत की गई

और प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। वह क्या प्रक्रिया है जिसे सही किया जाना है और क्यों ?

भारत सरकार द्वारा उस समय न्यूनतम रक्षोपाय के रूप में स्वीकार की गई इस प्रक्रिया में क्या बुराई है नहीं तो इसमें परेशानी होगी ? भारत सरकार के वायदे, श्रीमती इन्दिरा गांधी के वायदे कि आधार वर्ष की निर्धारित तारीख (कट-आफ डेट) 25 मार्च, 1971 होगी, को असम समझौते में किस प्रकार तिलांजलि दे दी गई। मैं इसके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर बहस हो चुकी है और देश इस बारे में जानता है। हमारे विचार से यह लोगों के हितों की पूर्ण आहुति थी। उनके न्यूनतम अधिकार छीन लिए गए और इस देश में एक नए किस्म की नागरिकता पैदा कर दी गई थी। लोग यहां रह सकेंगे, नागरिकों के रूप में उनके अन्य अधिकार होंगे, पासपोर्ट बनवा सकेंगे किंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। संसदीय लोकतंत्र पर आधारित इस लोकतांत्रिक देश में यह किस प्रकार के नागरिक तैयार किए जा रहे हैं। संसद् भी होगी, मुझे रहने तथा अन्य अधिकारों का प्रयोग करने का हक होगा किन्तु मुझे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। असम समझौते का क्या हुआ, वह इसे बदलने या कुछ और करने का स्थान नहीं है। किन्तु मुद्दा यह है कि यह असम समझौता भारत सरकार द्वारा किए गए एक वायदे के विपरीत किया गया। प्रभावित होने वाले लोगों से सलाह किए बिना, उनकी राय जाने बिना अब आप कानून बना रहे हैं, आप समझौते कर रहे हैं, आप कानून बदल रहे हैं, जिसमें कहा गया था न्यूनतम संरक्षण दिया जाएगा। आपने केवल प्रशासन के लोगों के बारे में ही विचार किया है। आपने केवल पुलिस के लोगों के बारे में ही सोचा है जो पुलिस की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। क्या भारत सरकार को लाखों लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? मैं इस प्रकार के दृष्टिकोण का कड़ा विरोध करता हूं।

जैसा कि मैंने कहा, हमने कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें कम-से-कम कुछ संरक्षण दिया गया है। भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कम-से-कम इस बात का ध्यान रखा कि कोई उत्पीड़न न होने पाए। मैंने उन्हें, विदेशी आदेशों के विभिन्न दुरुपयोगों के बारे में भी लिखा था, कि किस प्रकार बिना उचित मुकदमे के, जांच के लोगों को विदेशी मान कर बाहर निकाला जा रहा है—और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इस बात के लिए सावधानी बरती जाएंगी कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। कम-से-कम उस आश्वासन को ही ध्यान में रखा जाता। किंतु जो भी थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं ! उद्देश्यों और कारणों के कथन में तथा मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि "इस प्रश्न का न्यायोचित ढंग से निर्धारण भी किया जाये कि क्या कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है ताकि केन्द्रीय सरकार उन अवैध प्रवासियों को भारत से निकाल सके।" इसमें कहा गया है, "न्यायोचित ढंग।" न्यायोचित किसके लिए ? वह न्यायोचितता पर केवल सरकारी दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहे हैं जोकि इससे प्रभावित होगा। इस बारे में मंत्री महोदय के वक्तव्य में तथा उद्देश्यों और कारणों के कथन एक भी शब्द नहीं हैं। यदि आप विश्लेषण करें कि क्या परिवर्तन किए गए हैं, उन्होंने भी कहा है, उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी है। शब्दों और भाषा का ही थोड़ा फेरबदल है किन्तु मौलिक रूप से वह पहले से ही वहां है। मैं श्री गोस्वामी से भी पूछना चाहता हूं कि इसमें इस प्रश्न का बिना किसी पक्षपात और उचित ढंग से निर्णय लेने के बारे में क्या किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वायदा पूरा करने के बारे में क्या हुआ। मैं कर्नल मुशरान को

याद दिला दूं कि क्या वह पुस्तकें देखने का कष्ट करेंगे। कांग्रेसी बनने के बाद यदि उनकी पुस्तकें पढ़ने की आदत कायम है तो कृपया इम्मिग्रेंट एक्सपल्शन फाम आसाम ऐक्ट, 1950 पढ़ें। अधिनियम की धारा 2 में एक उपबंध किया गया था, जिसमें असम से कतिपय प्रवासियों के बलपूर्वक निष्कासन के आदेश को शक्ति की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु उस अधिनियम में जानबूझ कर एक परन्तुक शामिल किया गया था। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ता हूं :

> "परन्तु यह कि इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जोकि किसी ऐसे क्षेत्र में जोकि अब पाकिस्तान का भाग है, नागरिक अशान्ति अथवा ऐसी किसी अशान्ति के भय से ऐसे क्षेत्र से विस्थापित हुआ है और वहां से अपना स्थान अथवा आवास छोड़ दिया है और जो बाद में असम में निवास करता रहा है।"

अत: इस अधिनियम के अन्तर्गत वे सभी आप्रवासी आ जायेंगे जो बिना उचित दस्तावेजों के अवैध रूप से असम में गए हैं। यह परन्तुक उन लोगों को ही संरक्षण प्रदान करता है जो उपद्रवों के कारण असम में आये हैं। अब इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वे यहां विभेद कर रहे थे, वचनबद्धता के प्रति उनके मन में कोई लगाव, कोई आदर नहीं है। मुझे विश्वास है कि उनके मन में आदर है। कम-से-कम उनके प्रति मौलिक सहानुभूति है......

श्री अजय मुशरान : यह वचनबद्धता उन लोगों के लिए कुछ महत्व रखती है, जो वहां उपद्रवों के कारण गए और जो वापस भारत आ गए हैं, वे लोग पाकिस्तान के नागरिक नहीं बन गए हैं। परन्तु वे जो कुछ कह रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्व० पं० नेहरू और स्व० सरदार पटेल का यह आशय था कि सरकार उनके लिए भी अपनी वचनबद्धता को बनाये रखेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे खेद है कि मैंने स्वयं उन्हें सम्बोधित किया है, वे इसे समझने के मूड में नहीं हैं। अब क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं?

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे श्री चटर्जी को अधिक समय देने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरा यह अनुभव रहा है कि आप पहले बोलने वाले वक्ताओं को अधिक समय देते हैं और अन्ततः बाद में बोलने वाले वक्ताओं को 5 मिनट में अपने भाषण को समाप्त करना पड़ता है।

श्री पी० चिदम्बरम : अन्ततः मंत्री महोदय के उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है।

श्री दिनेश गोस्वामी : अत: आप सन्तुलन बनाए रखिए। उनके लम्बे समय तक बोलते रहने की मैं परवाह नहीं करता। परन्तु अन्य वक्ताओं को भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अन्य वक्ताओं को 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करना पड़े। संविधान (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए मेरे साथ ऐसा ही हुआ है।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मेरा अतिरिक्त समय उन्हें दिया जा सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : केवल उन्हें ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मैं अपना संशोधन दे चुका हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गयी है। क्यों ? ऐसा करने से विवाद का निष्पक्ष निर्णय कैसे होगा ? अब क्या हो रहा है ? अब समानता कहां है ? यह मामला दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। अतः एक व्यक्ति ही इस बारे में निर्णय लेने में सक्षम होगा। यह कार्य का दुहराव क्यों है ? इसमें क्या औचित्य है ? तीन सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय जान-बूझ कर लिया गया है। मैं श्री पी० सी० सेठी के वक्तव्य को उद्धृत करता हूं :

"न्यूनतम संरक्षण द्वारा, 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण का निर्णय लिया गया है।"

फिर अगला परिवर्तन आयास प्रतिबंध में छूट के बारे में है। यह इसलिए रखा गया था क्योंकि कोई बेकार की शिकायत नहीं की जाये। यदि आप उपबन्धों को पढ़ें, तो जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है और एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके तुरन्त बाद ही जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, उसे आकर यह कहना पड़ेगा कि वह विदेशी व्यक्ति नहीं है। अब, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानता है और 3 किलोमीटर के दायरे में रहता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके पीछे यह सिद्धान्त है कि उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को जानना होगा जो एक विदेशी है, जिसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, अथवा जो वहां एक अवैध आप्रवासी है। परन्तु अब इसमें परिवर्तन करके इसे पुलिस स्टेशन क्षेत्र किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आ जाता है। मैं नहीं जानता कि आपके क्षेत्र में पुलिस स्टेशन का कितना क्षेत्र है। फिर कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से कुछ जाने बिना ही शिकायत दर्ज करेगा—हो सकता है वे पुलिस स्टेशन क्षेत्र के विभिन्न कोनों/क्षेत्रों में रहते हों। जिस व्यक्ति को यह दोषारोपण करना पड़ेगा, उसके लिए यह कार्य आसान कैसे है ? आश्वासन को छोड़कर—क्या यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है ?

अगली बात फीस के बारे में है। ऐसा कहा गया है कि केवल गरीब लोग ही ये शिकायतें कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सामान्य गरीब लोग, जो प्रेरित नहीं हैं अथवा जो शिकायतें दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं किये गए हैं वे जाकर उन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करेंगे। फिर यह फीस किसके लिए कम की गयी है। यह फीस, यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि बेकार की शिकायतों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जा सके। न्यायाधिकरणों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण करने की शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया है। ऐसा किस उद्देश्य से किया गया है ? इसमें मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल कानून में जो कुछ कहा जाता है, उसके अलावा दिये गए स्पष्टीकरणों को भी स्वीकार करना होता है। संवैधानिक संशोधन के बारे में भी उनके स्पष्टीकरण पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि वे कब तक वहां रहेंगे।

अगले दो महत्वपूर्ण मुद्दे, एक पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो, कतिपय व्यक्तियों को आबद्ध करने की शक्ति प्रदान करने के बारे में है। इस संशोधन विधेयक में यह एक नई बात है। अब शक्ति न्यायाधिकरण के हाथ से पुलिस के हाथ में चली गई है। और फिर अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिए न्यूनतम सजा की व्यवस्था की गयी है, अधिकतम सजा तीन वर्ष तक की हो सकती है और न्यूनतम सजा एक वर्ष की होगी, क्या पुलिस शक्ति दी गई है ? इस संशोधन विधेयक की धारा 14 में उल्लेख है :

"21-क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए हुए भी पुलिस अधीक्षक की रैंक से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह; यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित है, और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे; बिना किसी न्यायिक निर्णयों के—ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन निर्देश या आवेदन किया गया है, जांच के समय उपलब्ध रहने के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिभूति सहित या उसके बिना एक बंधपत्र लिखने का निर्देश दे :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा बंधपत्र लिखने में असफल रहता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा और ऐसी रीति से निरुद्ध किया जा सकेगा जो विहित की जाए।"

क्या यह पुलिस शक्ति समुचित ढंग से विदेशियों का पता लगाने के लिए दी गई है ? यह पुलिस शक्ति उन अधिकारियों को दी गई है, जो उस सरकार के नियन्त्रण के अधीन है, जिसकी अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम हैं, और जो केन्द्रीय सरकार से कानून में परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं ताकि उनकी पुलिस को यह शक्ति प्राप्त हो सके ? एक व्यक्ति को जो न्यूनतम सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्या यह उसके अनुरूप है ? अब तक कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि 25 मार्च, 1971 के बाद में आने वाले व्यक्तियों को भी हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। सभी प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। जो थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान की गई थी, उसे भी अब वापस लिया जा रहा है।

कुछ मामले हैं। हो क्या रहा है ? जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, लोगों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। जो व्यक्ति 30 वर्ष पुराने दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें भी यह सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि वे असम में रहते आ रहे हैं। उन्हें उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है, जिसने उन्हें 30 वर्ष पहले प्रमाणपत्र दिया था।

ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि 1966 से पहले की मतदाता सूची, वर्ष 1966 से पहले के भूमि के दस्तावेज, 1966 से पहले के स्कूल प्रमाण-पत्रों और रोजगार प्रमाण-पत्रों को भी मान्य नहीं समझा गया। न्यायाधिकरण ने उन्हें प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी को बुलाने, और न्यायाधिकरण के समक्ष गवाही देने के लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उस स्कूल के मुख्याध्यापक को, जिसने 30 साल पहले प्रमाण-पत्र दिया था, यदि वह जीवित भी है, तो भी कैसे ढूंढा जा सकता है ? इस बारे में ऐसी स्थिति है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जब 1966 से पहले के भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को भी मान्यता नहीं दी गई।

उन्हें औपचारिकतापूर्वक बाहर निकाला जा रहा है। लोगों के कष्ट हमारे कष्ट रहे हैं। वहां के लोगों का कष्ट यह है कि न्यायाधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत भी उन्हें पूर्णतः यह सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है और वे विदेशियों संबंधी आदेशों पर निर्भर कर रहे हैं। सम्पूर्ण दायित्व संबंधित व्यक्तियों पर है। फिर एक आदेश जारी कर दिया जाता है। पुलिस को उन्हें तुरन्त हटाने के लिए कहा जाता है और उन्हें हटा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि वे कहां जायेंगे ?......(व्यवधान) वे नरक में जी रहे हैं। उन्हें आजीवन अधीन रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे कहां जायेंगे ? यह कोई नहीं कह रहा है। (व्यवधान) मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सरकार में अपने मित्रों और असम-सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस बारे में विचार किया जाए कि इससे हमारे कल्याण में सहायता कैसे मिल रही है।

महोदय, मैं जानता हूं, जैसा कि हमने कहा है, हम चाहते हैं कि असम सम्पन्न बने, आर्थिक दृष्टि से अधिक सक्षम बने। मैं चाहता हूं कि असम में रहने वाले लोग उन सभी अवसरों का लाभ उठायें जिनके वे अधिकारी हैं······(व्यवधान)। यह एक पूर्णत: गलत धारणा है कि हम असम और असम की सम्पन्नता के विरुद्ध हैं। हम असम की सम्पन्नता और विकास के लिए और पेट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स की स्थापना के लिए उतना ही संघर्ष करेंगे जितना हम अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने मांग की है। विनाशकारी बाढ़ के दौरान हमने जो असम के लोगों को समर्थन दिया था, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए ए० ए० एस० यू० का प्रतिनिधिमंडल आया था और उन्होंने कहा, "संसद् में असम के पीड़ित लोगों के बारे में आपने जो कुछ कहा और हमें जोरदार समर्थन दिया, उसके लिए हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए।" मेरे पास ये सभी बातें हैं। (व्यवधान) यदि आप मुझे 5 मिनट का समय और दें तो मैं यंत्रणादायक घटनाओं का बयान करूंगा। वे कहां जायेंगे? हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका कसूर क्या है? उन्होंने क्या अपराध किया है। अत: महोदय मेरी अपील यह है कि हम एक मजबूत भारत, एक मजबूत राष्ट्र और मजबूत जनता देखना चाहते हैं। आप कमजोर विभाजित लोगों से मजबूत भारत नहीं बना सकते। इस देश में बहुत-सी विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं। इस देश में बहुत-सी विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, उससे लोग अधिकाधिक विभाजित हो रहे हैं। यह समय भाषा, किसी व्यक्ति के जन्मस्थान अथवा तथाकथित भाषायी वर्गीकरण के आधार पर सोचने का नहीं है। यह अखंड भारत हो या नहीं। जब कोई व्यक्ति यहां यह पता करने आता है, चाहे वह एक या दो दिन रहा हो, तब इसी से सारा अन्तर पड़ जाता है।

महोदय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उन लोगों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है जो 1971 के बाद आए हैं। मात्र यह आरोप लगा कर कि कोई व्यक्ति गैरकानूनी प्रवासी है इस देश का व्यक्ति, नागरिक और मानव होने के नाते लाभों और संरक्षण से वंचित नहीं हो जाता। हमारे अनुसार यह संशोधन विधेयक मानव हितों उन लोगों के हितों के विरुद्ध है जो इससे प्रमाणित होंगे। इसको इस तरह से लाया गया है ताकि प्रशासन कदम उठा सके और इससे उन लोगों को अधिक कठिनाई होगी जिन्हें संरक्षण चाहिए। मुझे इस सरकार से यह आशा करनी चाहिए थी की कुछ खोखली व्यवस्था करने के बजाय वह एक ऐसा विधेयक लाएगी जो मूल अधिनियम में दिए गए संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाएगी। लेकिन ऐसा करने केबजाय सरकार ने ऐसा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जो उन लोगों के हितों के विरुद्ध है। उनके हितों की रक्षा करने, उन्हें समर्थन और सहायता देने के बजाय उनकेसाथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा हैजो माननीय गरिमा और अस्तित्व पर कुठाराघात करने वाला है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इस चरण पर भी अनुरोध करता हूं कि सरकार और असम में मेरे मित्र इस बात पर विचार करें कि वे उन भाग्यहीन व्यक्तियों के लिए अधिक कठिनाई उत्पन करेंगे जिनकी गलतीनहीं है या यह पूरे देश, असम और हर किसी के हित में है।

इन शब्दों के साथ मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। मैं सदन में था और जब उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा तो मैंने सुना नहीं था।

सभापति महोदय : आपका नाम पुकारा गया था। आप उपस्थित नहीं थे। (व्यवधान) मैं अपने

संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा। मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मेरे संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं सदन में उपस्थित था···(व्यवधान) मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आपका नाम पुकारा गया था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने अपना नाम नहीं सुना···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उपस्थित नहीं थे। आपका नाम पुकारा गया था।

श्री पी० चिदम्बरम : ऐसा मत कहिए कि "मैं यहा था"···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं वहां बैठा था। मैंने सुना था कि आपका नाम पुकारा गया था लेकिन आप यहां नहीं थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बिपिन पाल दास शुरू करें।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, यह विधेयक असम सरकार के साथ कई बार किए गए विचार-विमर्श का परिणाम है। इसका लक्ष्य असम समझौते को कार्यान्वित करने में असम सरकार के समक्ष पेश आई संभावित कठिनाइयों को दूर करना है। आशा है कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद असम गण परिषद की सरकार के समक्ष समझौते को कार्यान्वित करने के और बहाने नहीं रहेंगे।

पिछले साल गृह मंत्रालय पर चर्चा के दौरान इस विषय के बारे में मैंने कहा था कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम 1983 विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें भेजने में बाधक नहीं है। मैंने ऐसा कहा था। परन्तु सब कुछ कठिनाइयां बताई गई हैं जिन्हें इस विधेयक के द्वारा दूर करने की अनुमति मांगी गई है। आशा है अपनी असफलता को छुपाने के लिए वे कोई और बहाना नहीं ढूढ़ेंगे।

मैं गुवाहाटी से प्रमाणित होने वाले 'सेनटिल' दिनांक 22 मार्च में छपी कुछ पंक्तियों को उद्धृत करूंगा जिसमें उल्लेख है कि मुख्य मन्त्री ने विधान सभा में क्या कहा था "सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री मोहन्ती ने कहा था कि 29 फरवरी तक विदेशी अधिनियम 1946 के अन्तर्गत 3,85,103 व्यक्तियों के खिलाफ जांच की गई और इनमें से 21,501 मामले विदेशी व्यक्ति न्यायाधिकरणों के पास उनका मत जानने के लिए भेजे गए। न्यायाधिकरणों ने 3,854 व्यक्तियों को 1966-71 का विदेशी घोषित किया। इसके अलावा श्री मोहन्ती ने कहा कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) 1987 के अन्तर्गत 1,17,472 व्यक्तियों की जांच की गई। इनमें से 639 व्यक्तियों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया और 140 को वापिस भेजा गया।,, इस वक्तव्य का क्या अर्थ है? एक ओर तो अवैध प्रवासी (अधिकरणों का अवधारण) अधिनियम 1983 सरकार द्वारा इतने लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में बाधक नहीं है। वे विदेशी व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत 3,85,103 लोगों को और अवैध प्रवासी (अधिकरणों का अवधारण) अधिनियम के अन्तर्गत 1,17,472 व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी कर सके, इसका अर्थ है कि जहां तक विदेशी नागरिकों का सम्बन्ध है उनके द्वारा असम समझौते को कार्यान्वित करने में उक्त अधिनियम बाधक नहीं है। इस वक्तव्य से यह बात प्रमाणित हो गई है। वक्तव्य से दूसरी बात यह प्रमाणित हुई है कि यद्यपि लाखों लोगों को नोटिस तो जारी कर दिए गए, अंतत······

श्री दिनेश गोस्वामी : कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। उसमें यह नहीं कहा गया। यह केवल प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। जांच की गई है, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

श्री बिपिन पाल दास : यह मेरी जानकारी है······(व्यवधान) आप अपनी बात कहिएगा··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बात कह सकते हैं। जो वह कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए······(व्यवधान) जब आपकी बारी आएगी आप जबाव देना। जो वह कहना चाहते हैं वह कहेंगे। आप उनसे कहलवा नहीं सकते।

श्री बिपिन पाल दास : जो वह कहना चाहते हैं, कहें परन्तु वे मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं।

अखबारों में कहा गया है कि समाचार में 'जांच' शब्द इस्तेमाल किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार लोगों को न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। लाखों लोगों को अधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया और दो साल में केवल 3994 व्यक्तियों को विदेशी पाया गया। इसका अर्थ है कि हजारों-लाखों लोगों को बेवजह परेशान किया गया। उन्हें बेवजहा अदालत में आने के लिए कहा गया। कुछ लोगों को जो एक जिले के थे दूसरे जिले में स्थित अधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया···(व्यवधान) हमीद जी, उत्तेजित मत होइए। मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है और अखबारों ने यह प्रमाणित कर दिया है।

तो मेरी मांग है कि इस संशोधन विधेयक को, जिसका मैं समर्थन करता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्यों समर्थन करता हूं, पारित करने के बाद उन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए जो भारत के नागरिक हैं और विदेशी नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया कानून के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि युवकों का गिरोह पुलिस स्टेशन जाकर यह कहे कि अमुक व्यक्ति विदेशी है, उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। कार्यवाही कानून के अनुसार ही की जानी चाहिए। विदेशी व्यक्तियों का पता कानून के अनुसार लगाया जाना चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप गिरोहबाजों को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाते हैं।

श्री बिपिन पाल दास : जी नहीं, सैफुद्दीन चौधरी जी हम गिरोहबाजों को प्रोत्साहित करने के लिए कानून नहीं बना रहे हैं। आपको असम की स्थिति की जानकारी नहीं है। इसलिए चटर्जी जी बड़े-बड़े सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। उन्होंने नेहरू, पटेल, गांधी जी वगैरा का उल्लेख किया। उन्हें नहीं पता कि असम में क्या स्थिति है...(व्यवधान) वास्तविक स्थिति की जानकारी के बिना वह कह रहे हैं। चौधरी जी मेरे अच्छे मित्र हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं कहता हूं कि उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है।

जिस दिन इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया था उस दिन मेरे कुछ मित्रों ने काफी शोर मचाया था और सदन से उठकर बाहर चले गए थे। उनके अपने मुद्दे हैं। वे सोचते हैं कि वे वहां लोगों के, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन मेरा उनसे एक विनम्र

निवेदन है। मेरा उनसे हार्दिक अनुरोध है कि वे असम के बाहर ऐसा शोर न मचाएं जिससे असम में रहने वाले अल्पसंख्यकों को कठिनाई हो।

1960 में असम में हुए भाषायी झगड़ों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का अनुभव मुझे है। असम में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए सैकड़ों लोग, राजनैतिक दल और संगठन हैं। बाहर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बाहर से चिल्लाने की बजाय उन्हें वहां जाकर उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों, सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए।

अन्ततः विश्लेषण में, मैं विनयपूर्वक यह कहूंगा कि विश्व में कहीं भी, इस विश्व के किसी भी भाग में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा आखिरकार बहुमत समुदाय की सद्भावना पर निर्भर करती है ? यह सद्भावना हासिल की जानी चाहिए। यह सद्भावना मौजूद होनी चाहिए। असम का अपना एक रिकार्ड है। पास ही बंगाल में वर्ष 1946 में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। असम ने सन् 1950 को छोड़कर उसके इतिहास में कभी भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। वह भी एक जिले के थोड़े से क्षेत्र तक सीमित थे।

श्री अमर राय प्रधान : वह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था। असम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : मैं साम्प्रदायिक दंगों की बात बंगाल, पंजाब और भारत के कुछ अन्य भागों में उस समय हुए दंगों के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री चौधरी, आप मेरी बात सुनिए, उस मायने में असम में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। यह इसलिए हुआ क्योंकि बहुमत और अल्पसंख्यक समुदायों में सद्भावना मौजूद थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सही है।

श्री बिपिन पाल दास : यह अभी भी जारी है। भगवान के लिए उस स्थिति को मत बिगाड़िए।

श्री अब्दुल हमीद : आपकी सरकार इसे बिगाड़ रही है। (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : महोदय, मैं बैठ जाऊंगा। यह क्या हो रहा है ? श्री हमीद आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बर्ताव किया जाता है।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए तब आप बोलिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इस कत्लेआम को किस तरह नजरंदाज कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अल्पसंख्यक और बहुमत समुदाय में मधुर संबंध रहे हैं। इसी बात पर मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूं। यही असम का इतिहास है। इसलिए हमें न कोई ऐसी बात करनी चाहिए और न कहनी चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों के लिए असम में परेशानियां खड़ी हों। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आप परेशानियां पैदा कर रहे हैं।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : लेकिन असम सरकार के लिए उस समय सन् 1983 में स्थिति खराब हो जाती।

श्री बिपिन पाल दास : यह दूसरी बात है। लेकिन यह मेरा विचार है। असम में जन्म होने के कारण, असमी होने के नाते उसका इतिहास मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं कि असम क्या है और असमी लोग कैसे हैं।

महोदय, अब मैं एक-एक करके विधेयक के उपबन्धों को लेता हूं। मुझे श्री चटर्जी की तरह बोलने की जरूरत नहीं है। जो परिवर्तन लाए गए हैं मैं उनके बारे में बोलने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं समझता कि मूल अधिनियम में कोई क्रांतिकारी बड़ा परिवर्तन किया गया है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : फिर इस विधेयक की क्या आवश्यकता है ?

श्री बिपिन पाल दास : इसमें कुछ मामूली से परिवर्तन किए गए हैं। (व्यवधान) इसमें कुछ मामूली परिवर्तन किए गए हैं या कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे राज्य सरकार के समक्ष असम समझौते को लागू करने में आई परेशानियों को दूर किया जा सके। आखिरकार आप सभी असम समझौते को मानने के लिए बाध्य हैं। श्री चटर्जी भी उसके लिए बाध्य हैं। उनका दल 1971 के आधार वर्ष के लिए बाध्य है। समझौता क्या कहता है ? समझौता सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए 1971 को आधार वर्ष मानता है। जो वर्ष 1971 से पहले आए हैं उन्हें वहां से नहीं निकाला जाएगा, वे दस वर्ष तक के लिए वोट देने के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। लेकिन वास्तविक आधार वर्ष 1971 था जो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सभी राजनैतिक दलों ने स्वीकार किया था और श्री चटर्जी भी उस सहमति में सम्मिलित थे। आप इस पर किस तरह आपत्ति कर सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है।

श्री बिपिन पाल दास : हमें यह देखना है कि समझौता लागू हो। यदि पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इसके लिए कुछ कठिनाइयां बताता है तो केन्द्रीय सरकार को उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वह चाहे इससे असहमत हों। वह इसे खतरनाक भी मान सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसा नहीं सोचती। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो असम में अल्पसंख्यकों के लिए स्थिति आसान हो जाएगी, वह गर्व के साथ कह सकेंगे···(व्यवधान) श्री चिदम्बरम इससे सहमत हों या न हों वह असम से नहीं आए हैं। इस विधेयक से अल्पसंख्यकों को ज्यादा सुरक्षा और गर्व के साथ रहने में मदद मिलेगी, कुछ बातें मुश्किल हो जाती हैं (व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मैं कहने में हिचक नहीं रहा हू।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हो सकता है जैसे आप सोचते हैं वैसा न हो।

श्री बिपिन पाल दास : मैं वही कह रहा हूं जो मैं महसूस करता हूं। जो कुछ परिवर्तन सुझाए गए हैं वे बड़े अथवा क्रांतिकारी स्वरूप के नहीं हैं। तीन सदस्यों के न्यायाधिकरण में से अब यह दो सदस्यों का न्यायाधिकरण रह गया है। इसमें बड़ा भारी परिवर्तन कहां है। यदि तीन किलोमीटर की दूरी···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप परेशानियां खड़ी कर रहे हैं।

श्री बिपिन पाल दास : श्री शाहबुद्दीन आपने उन लोगों के साथ नहीं रहना है। मुझे उन लोगों के साथ रहना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप तब बोल सकते हैं जब आपकी बारी आए और वह उसका जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : आप आंखों देखा हाल मत दीजिए, अपने आपको नियंत्रण में रखिए। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप मंत्री महोदय को नियंत्रण में नहीं रख रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं यह बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि श्री सैफुद्दीन चौधरी को बीच में प्राय: व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

श्री बिपिन पाल दास : अपने समय को बचाते हुए मैं एक-एक करके उन सभी परिवर्तनों पर नही बोल पाऊंगा जोकि मंत्री महोदय अपने जवाब में देंगे लेकिन मेरा कहना यह है कि एक बात को छोड़कर दूसरे मामले बहुत छोटे और साधारर्ण हैं। उन्होंने एक मामले पर आपत्ति की है वह यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में संशोधन करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसे अन्य उपबंध भी हैं जो उच्च न्यायालय को स्वत: ऐसे अधिकार देते हैं। किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इसलिए यह बड़ा परिवर्तन जो किया गया है, वह ऐसा नहीं है कि जो लोगों को उच्च न्यायालय में जाकर न्याय मांगने के अधिकार से वंचित करता हो। मुझे और बातों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं चटर्जी महोदय द्वारा कही गई दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने नेताओं के वचनबद्धता की बात कही थी, उस समय पंडित नेहरू द्वारा दिए गए अन्य वक्तव्य भी हैं। यह असम की स्थिति के बारे में है। मेरे पास इस समय तैयार भाषण नहीं है। इसलिए, मैं उन्हें उद्धृत नहीं कर सकता। उन वचनबद्धताओं के बावजूद जिनकी तरफ आपने ध्यान दिलाया है, भारत सरकार एक अधिनियम, जिसको "पाकिस्तानियों का निष्कासन अधिनियम, 1950" कहा गया, को पारित करने के लिए मजबूर थी। यह ठीक है कि उसमें एक परंतुक था लेकिन उन वचनबद्धताओं के बावजूद वह उस अधिनियम को पारित करने के लिए मजबूर थे। क्यों? जो नागरिक नहीं है, अवैध प्रवासियों को उन दिनों भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए सिद्धांत के अनुसार निष्कासित किया जाना चाहिए और उस सरकार ने भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया है।

दूसरी बात यह है, मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 1971 को आधार वर्ष माना था। यह करने के पश्चात् वह इसके समझौते के सार या असम समझौते के मूल-भूत सिद्धांत पर आपत्ति नहीं कर सकते। यह करने के पश्चात् वह सरकार द्वारा असम समझौतें को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर या असम समझौते को लागू करने के लिए जिन बातों को आसान बनाया गया है उन पर आपत्ति नहीं कर सकते। वह इस पर आपत्ति नहीं कर सकते।

एक बात का उल्लेख करके, जोकि बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। केन्द्रीय

सरकार और कांग्रेस दल में हमारे विरुद्ध एक विद्वेषपूर्ण प्रचार किया जाता रहा है कि कांग्रेस दल और केन्द्रीय सरकार असम समझौते के लागू करने के बारे में गंभीर नहीं हैं क्योंकि वे कहते हैं कि हमें इससे हमारे मतों में कमी होने का भय है। इस आरोप का उत्तर स्पष्ट रूप से देना होगा और मैं आज ही ऐसा करता हूं। यदि श्री राजीव गांधी असम समस्या का समाधान करने के लिए इतने गंभीर और ईमानदार नहीं होते तो उनके द्वारा पद भार ग्रहण करने के छः महीने के भीतर ही असम समझौता नहीं हुआ होता। ए० जी० पी० (असम गण परिषद्) समझौते की वजह से ही सत्ता में आई है। इस मामले में यह विधेयक सरकार की सत्यनिष्ठा और गंभीरता का एक सबूत है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया, उनके भाषण में व्यवधान मत डालें। जब आपकी बारी आए तब आप बोलें।

श्री बिपिन पाल दास : संशोधनकारी विधेयक इसीलिए लाया गया है क्योंकि हम असम समझौते को लागू करना चाहते हैं। इसलिए असम समझौता संगत है। मैंने यही कहा था कि यदि सरकार ईमानदार या गंभीर नहीं होती तो कोई असम समझौता नहीं हुआ होता। और यदि असम समझौता नहीं होता तो असम में ए० पी० जी० सत्ता में नहीं आती। अब ये लोग हमारी आलोचना करते हैं। इस समझौते के लिए उन्हें सरकार और व्यक्तिगत रूप से श्री राजीव गांधी के प्रति आभारी होना चाहिए...(व्यवधान)।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता, परन्तु हम यह बताना चाहते हैं कि हम इस सभा में श्री राजीव गांधी अथवा कांग्रेस (आई०) की मेहरबानी से नहीं आये हैं। हम अपने बूते पर आए हैं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री बिपिन पाल दास : श्री सैकिया और इनमें से कई सदस्य भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। इसलिए ये अधिक चिल्लाते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या आपका कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस (आई०) के सदस्य अधिक चिल्लाते हैं?

एक माननीय सदस्य : भूतपूर्व कांग्रेसी लोग अधिक चिल्लाते हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालें।

श्री बिपिन पाल दास : जैसा कि मैंने कहा सरकार की ईमानदारी और गंभीरता का दूसरा सबूत यह विधेयक है। क्योंकि असम समझौते को लागू करने के लिए सरकार ईमानदार और गंभीर है, इसलिए इस विधेयक को सभा में लाया गया है।

मैं और पीछे का जिक्र करता हूं। 1980 में पुन: सत्ता में आने के पश्चात् इंदिरा जी ने वर्ष 1971 को एक आधार वर्ष के रूप में मानने का प्रस्ताव किया। अगर उस समय आंदोलन के नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया होता तो काफी खून-खराबे और जीवन तथा संपत्ति के नुकसान को टाला जा सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया परन्तु अन्ततः असम समझौते में घुमा फिराकर उनको 1971 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार करना पड़ा। मैं उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों से यह प्रश्न पूछता हूं कि 1980 और 1985 के बीच जो कुछ हुआ उसके लिए उत्तरदायी कौन था? इसके लिए

उत्तरदायी कौन है ? असम में जो कुछ हुआ उसके लिए वे लोग उत्तरदायी हैं जिन्होंने उस समय 1971 को आधार वर्ष के रूप में नहीं माना था...(व्यवधान)।

मैं यह भी पूछता हूं कि विदेशियों का प्रश्न असम में सबसे पहले किसने उठाया ? यह न तो अखिल असम छात्र परिषद् ने, न अध्यापकों की एसोसियेशन ने, न असम साहित्य सभा ने और न ही किसी दूसरी एसोसियेशन ने अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन ने इस मामले को उठाया, परन्तु इसको असम प्रदेश कांग्रेस समिति ने उठाया जिसने 1964 में एक संकल्प पारित किया था और राज्य सरकार को कार्यवाही करने के लिए निदेश दिया था। तत्पश्चात् असम के मुख्य मंत्री श्री चालिहा ने 1965 में कार्यवाही आरंभ कर दी। एक वर्ष में ही उन्होंने 3 लाख विदेशियों को निकाल बाहर किया। उस समय किसी ने भी आपत्ति नहीं की। श्री हमीद और उसके पूर्वजों ने कोई शिकायत नहीं की थी। श्री चालिहा ने 1965-66 में अर्थात् एक वर्ष के भीतर लगभग 3 लाख विदेशियों को बाहर निकाल दिया। (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : असम समझौते में वर्ष 1966 से आगे के बारे में कहा गया है क्योंकि 1966 तक श्री चालिहा ने मैदान साफ कर दिया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई बहस नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह अच्छी बात नहीं है। आपका नाम बोलने वालों की सूची में है और आपसे बोलने के लिए कहा जायेगा।

श्री बिपिन पाल दास : इसलिये, महोदय कांग्रेस दल और केन्द्रीय सरकार के बारे में लोगों का यह कहना नहीं बनता कि विदेशी नागरिकों को वापस भेजने के मामले में हम गंभीर और निष्ठावान नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री दास, कृपया अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री बिपिन पाल दास : मैं सिर्फ एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : एक बात नहीं बल्कि एक वाक्य।

श्री बिपिन पाल दास : वे वोट बैंकों के बारे में बातें करते हैं। वोट बैंक क्या होता है ? वोट बैंक का निर्माण सैद्धांतिक रूप से वचनबद्ध मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इस अर्थ में विश्व अथवा भारत में कौन से दल के पास वोट बैंक नहीं है ? प्रत्येक दल के पास वोट बैंक है बड़ा हो अथवा छोटा। ऐसा हो सकता है कि वोट बैंक द्वारा चुनाव में आवश्यक रूप से परिणाम निर्धारित न किया जाये अथवा यह भी हो सकता है कि अस्थिर मतदाता अन्ततः चुनावों के परिणाम का फैसला कर दें। परन्तु प्रत्येक दल के पास सैद्धांतिक रूप से वचनबद्ध मतदाताओं का एक वोट बैंक होता है। कांग्रेस दल के पास असम में अथवा उस दृष्टि से भारत में ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है जिसमें केवल एक या दो अल्पसंख्यक समुदाय हों। असम में हम सभी समुदायों के पास जाते हैं। महोदय, मैं यह कहते हुये अपना भाषण समाप्त करता हूं कि 1952 से आज तक यदि कोई समुदाय कांग्रेस के साथ रहा है तो वह चाय बागान समुदाय है और इसका कारण एक अत्यन्त जोरदार श्रमिक आन्दोलन है जिसको हमने इसी समुदाय तक सीमित रखा है। इन वर्षों के दौरान वे हमारे साथ रहे हैं। (व्यवधान) और वे हमारे खिलाफ कभी भी नहीं हुये हैं। हमें सभी समुदायों का समर्थन मिलता है। यदि मुसलमानों ने कांग्रेस दल के लिये वोट बैंक बनाया है तो मैं इस बारे में बताता हूं कि धुबरी के साथ क्या हुआ। असम में 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक धुबरी निर्वाचन क्षेत्र है जो मुख्यतया एक मुस्लिम बहुल

निर्वाचन क्षेत्र है। 1952 में इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की हार हुई थी। 1957, 1962 और 1967 इन सभी…(व्यवधान) लगातार इन चार चुनावों में विरोधी दलों के मुकाबले कांग्रेस हार गई।

श्री दिनेश गोस्वामी : उस समय श्री बिपिन पाल दास समाजवादी दल में थे और उनके प्रत्याशी की चुनाव में जीत हुई थी।

श्री बिपिन पाल दास : मैं असम में कांग्रेस का इतिहास बता रहा हूं। 1971 में इंदिरा लहर की वजह से असम में सभी 14 स्थानों पर हमारी जीत हुई और धुबरी में भी हमारी जीत हुई। 1985 में श्री हमीद के मुकाबले में हमारी एक बार फिर हार हुई। इस प्रकार, यद्यपि इस निर्वाचन क्षेत्र पर मुस्लिम समुदाय का प्रभुत्व था परन्तु कांग्रेस की यहां पर हार होती थी। इस प्रकार, मैं इसके विपरीत पहलू के बारे में बताऊंगा और फिर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यतया असमी हिंदू निर्वाचन क्षेत्र है। यदि हम सिर्फ मुस्लिम मतों और दूसरे अल्पसंख्यक मतों पर निर्भर रहते हैं और यदि हम बहुसंख्यक समुदायों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते तो…

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपका हिन्दू/मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र से क्या अर्थ है? (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : फिर भी यह आपके दिमाग में है परन्तु आप इसे स्वीकार नहीं करते। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं समझता हूं कि यह आपके दिमाग में है। (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : हमारे खिलाफ यह आरोप है कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के मतों पर ही आधारित है। मेरा यह कहना है कि धुबरी के उदाहरण के माध्यम से हमने यह दिखा दिया है कि ऐसी बात नहीं है। और जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं हूं, वहां पर 1952 से अब तक एक बार के सिवाय, कांग्रेस के प्रत्याशी निर्वाचित होते आए हैं। यह अल्पसंख्यक बहुल निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार, कांग्रेस के खिलाफ यह आरोप भी गलत है कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों के मतों का वोट बैंक बना रहे हैं। यह आरोप कि असम समझौते को क्रियान्वित करने के बारे में हम गंभीर और निष्ठावान नहीं हैं, पूर्णतया आधारहीन और असत्य है। असम समझौते को कार्यान्वित करने के बारे में हम बहुत गंभीर और निष्ठावान हैं। और माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर इसको स्पष्ट करेंगे। मैं एक बार फिर आपको आश्वासन दिलाता हूं कि असम समझौते के सभी मुद्दों को तेजी से कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु असम समझौते के नाम पर हम निरीह भारतीय नागरिकों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। कृपया इस बात को नोट करिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं सभा के तापमान को कम करना चाहता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : इसको बढ़ाने के बाद।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं समझता हूं कि हमने विचाराधीन विधेयक से हटकर काफी अनावश्यक रूप से चर्चा कर ली है। इस दौरान हमने इतिहास, चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक बाध्यताओं, कानूनी वचनबद्धताओं से अतिरिक्त वचनबद्धताओं, ऐतिहासिक संस्मरणों, जन सांख्यिकीय वास्तविकताओं और मैं नहीं जानता कि किन-किन बातों का जिक्र किया गया है। तथ्य यह है कि यह सब मुझे अनावश्यक

लगता है—इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।" इन प्रश्नों पर सभा में पहले ही विस्तार से वाद-विवाद कर चुके हैं। हम आज इस संशोधन विधेयक के औचित्य पर प्रश्न चिह्न लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे लब्धप्रतिष्ठ साथी, श्री बिपिन पाल दास के अनुसार, जिनको मैं कई मामलों में अपना गुरू मानता हूं……

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन से विषयों में ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वास्तव में एक समय में वह मेरे गुरू थे। और मैं समझता हूं कि हर समय वह मेरे सम्मान के पात्र हैं और उनकी बात को हमेशा बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिए। वह समझते हैं कि ये संशोधन जिनको इस विधेयक में शामिल किया जा रहा है, वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं हमेशा एक बहुत ही शरारती शिष्य रहा हूं, और इसलिए मैं यह पूछने के लिए विवश हूं कि, "फिर यह विधेयक क्यों ?"

वास्तव में, शुरू से ही मेरा यह विचार रहा है। सरकार दबाव में क्यों आ रही है और पहले से ही पेचीदा स्थिति को और पेचीदा क्यों होने दे रही है ? क्या यह ठीक अथवा गलत कार्यों का समाधान करती है, जिनकी व्यवस्था कार्यकुशलता अथवा अकार्यकुशलता से की जा रही है ? हमारे देश में प्रत्येक कार्य को कार्यकुशलता से नहीं किया जाता है। यहां तक कि श्री चिदम्बरम द्वारा पंजाब की व्यवस्था भी कार्यकुशलता से नहीं की जा रही है। इस प्रकार, यदि इस विधेयक को पुरः-स्थापित नहीं किया जाता है तो बिजली नहीं गिरेगी, एक विधेयक जिससे लोगों की भावनायें फिर भड़केंगी, जिससे पुरानी बातें फिर ताजा हो जायेंगी……

श्री अब्दुल गफूर : असम में एक और तरह के उग्रवादी अपना सिर उठा रहे हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं नहीं जानता कि उग्रवादियों से निपटने में सरकार की व्यापक नीति क्या है। वास्तव में मैं इस बारे में नहीं जानता। हो सकता है, सरकार यह सोचती है कि समय-समय पर उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करवा कर उनकी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। मुझे इस नीति के कार्यान्वयन पर संदेह है। मैं तो वास्तव में यह पूछ रहा हूं कि असम समझौते को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का निर्णय लेने का क्या आधार है—एक धारा विशेष का उल्लेख किया गया है—वे सम्मान के साथ यह संशोधन लाने के लिए बाध्य हैं ? जब सरकार यह संशोधन लाती है तो यह उन लोगों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त क्यों नहीं करती जो इस कार्यवाही का निशाना बनेंगे ? और जो इस संकल्प का लक्ष्य बनेंगे और जिनसे परामर्श भी नहीं किया गया। कई संगठनों ने अनौपचारिक और औपचारिक तौर पर अपने विचारों की जानकारी दी थी। यदि मुझे सही याद है तो सभापति महोदय, जब 1983 में मूल विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, तब मुझे भी तत्कालीन गृह मंत्री से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने उनके साथ लगभग दो घंटे तक चर्चा की थी। जो विचार उनके समक्ष रखे गये थे, उनमें से बहुत से विचारों को स्थिति अथवा हालतों की वजह से उन्होंने बड़े ध्यान से सुना था। इस तरह का संतुलित विधेयक को संसद् में पेश करना उन्हीं के लिए सम्भव था। अब यह संतुलन बिगड़ गया है। किस वजह से यह संतुलन बिगड़ गया है ? समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि विधेयक में संशोधन किया जायेगा। समझौते में यह कहा गया है कि उसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार किया जायेगा, परन्तु माननीय मंत्री ने इन कठिनाइयों पर प्रकाश नहीं डाला है। यदि संख्या ही कसौटी है और माननीय सदस्य श्री दास ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें

सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। यदि लाखों लोगों के मामले दर्ज किये गए हैं और अन्ततः इनमें से सिर्फ कुछ ही सौ लोगों को बाहर निकालने के योग्य पाया गया है, विदेशी पाया गया है······

श्री दिनेश गोस्वामी : श्री शाहबुद्दीन, मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता। श्री दास ने एक गलती की है और आप भी गलती कर रहे हैं। न्यायाधिकरणों में मामले दायर ही नहीं किये गए हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं प्रक्रिया से अवगत हूं। ये सभी मामले एक जांच समिति के माध्यम से आये हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी है। परन्तु मैं तो एक अलग ही बात कह रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि कार्यपालिका की कार्यवाही के माध्यम से आप लाखों नागरिकों की स्थिति के बारे में संदेह पैदा करते हैं। अन्ततः आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज हाथ नहीं लगेगी। क्या आपने इन लाखों नागरिकों की कठिनाइयों की विशदता के बारे में सोचना बंद कर दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपने क्या किया है, कि इन लोगों को किस तरह उत्पीड़ित किया गया है? क्या आपने कभी इन लाखों लोगों की कठिनाइयों के बारे में सोचा है, जिन्हें स्थानीय पुलिस पूछताछ के लिए ले गयी और जिन्हें पुलिस ने हर रोज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा; जिनके हर तरह से परेशान किया गया और अन्ततः इसका क्या परिणाम निकला?

मैं मानता हूं कि जिनको अन्तिम रूप से विदेशी नहीं माना गया था अथवा जांच समिति द्वारा जिनको अन्तिम रूप से न्यायाधिकरणों के सामने नहीं लाया गया था, उनको बाहरी कारणों की वजह से नहीं छोड़ा गया था। उनको इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि वे निर्दोष थे। उनको इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि वे इस देश के असली नागरिक थे। उनको इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता था। उनको कानून की सही प्रक्रिया की वजह से छोड़ा गया था। अब आप तर्कपूर्वक कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, और हमें और अधिक परिणाम प्राप्त करने चाहिये थे। और अधिक सफलतायें होनी चाहिए थी। आपके सामने कोई लक्ष्य रखा गया है। मैं कहता हूं कि आपको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। यदि आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो मैं कानून को और अधिक कठोर बनाऊंगा। उन लोगों के लिए स्थिति और अधिक कठिन बनायी जानी चाहिए, जो इस कानून के तहत आते हैं। ऐसा क्यों? क्या यह सही है? क्या यह मानवीय है? क्या यह ठीक है? क्या यह कानूनी है? मुझे इस पर संदेह है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि आप एक अनावश्यक विधेयक ला रहे हैं। इसी पर मेरी आपत्ति है।

अब एक बात बिलकुल स्पष्ट है। सरकार ने अभी तक कोई तथ्यात्मक आधार इस विधेयक को लाने के लिए नहीं बताया है। क्या वे ऐसा समझते हैं कि न्यायाधिकरण की त्रिपक्षीय संरचना ही कठिनाई है? क्या वे यह कह सकते हैं कि पुनरीक्षण प्रक्रिया ही एक कठिनाई है? क्या वे ऐसा कह सकते हैं कि क्या किसी भी रक्षोपाय में ऐसा लिखा गया है, उदाहरण के तौर पर, कि सैद्धान्तिक तौर पर एक शिकायतकर्ता को उस व्यक्ति को जानना चाहिए जिसके विरुद्ध वह शिकायत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि गोहाटी अथवा किसी जिला मुख्यालय में बैठकर, कोई व्यक्ति, मुद्रित कागजों पर हस्ताक्षर करके लाखों प्रतियां भेज दे और इस प्रकार शिकायत दर्ज करके लाखों लोगों को इस स्वैच्छिक प्रक्रिया के द्वारा तंग कर सकता है? क्या वह स्थिति को नियंत्रण में रख सकता है, प्रक्रिया को चालू कर सकता है? क्या यह सही है? इसलिए, लिखित रूप में कुछ रक्षोपाय किये गए थे। अब आप इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए, उत्तर यह है : क्या वास्तव में यह निर्णय तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस विधेयक को लाने का आपका निर्णय एक राजनीतिक निर्णय है; और

मैं समझता हूं कि इसी वजह से श्री दास की भावनाओं को ठेस लगी जब उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कांग्रेस किस प्रकार लोगों के सभी वर्गों के लिए है, और वास्तव में केवल वोट बैंकों के लिए चिंता नहीं करती है।

असम में कठिनाई यह है कि कांग्रेस ने अपना वोट बैंक खो दिया है और अब वह अपने वोट बैंक बनाने का प्रयत्न कर रही है और इसीलिए दबाव में आ रही है। इसलिए जब हाय-तोबा मचती हैं तो यह कहते हुये ए० जी० पी० के निर्वाचन क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है :

"देखो, सिर्फ ए० जी० पी० ही समुदाय के किसी वर्ग विशेष के हितों की संरक्षक नहीं है। हम सभी हैं। हम भी हैं; हमें भी मत दीजिए।"

सभापति महोदय, इसलिए इस विधेयक का प्रयोजन स्पष्टतया राजनैतिक है, और वे वहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर कोई भी नहीं था। इसीलिए मैंने कहा : "आपका वोट बैंक असफल हो गया है, और आप एक नये बैंक की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं।" परन्तु कानून के शासन को नष्ट करके आप देश का कोई भला नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे कानून को बनाकर आप देश के प्रति कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे जिससे बुरा असर पड़ेगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी और जिससे मानव अधिकारों का हनन होगा।

मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं : विभिन्न राजनैतिक दलों से सलाह लेने में सरकार को किसने रोका है ? जब मुख्य विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था तो यह प्रक्रिया अपनायी गई थी। और इसीलिए, कुल मिलाकर एक आम सहमति हुई थी कि ऐसे हालातों में यह ऐसा होने वाला यथासम्भव श्रेष्ठ समझौता था। आपने तथ्य और आंकड़े पेश क्यों नहीं किये, और सभी दलों, सभी हितबद्ध पक्षों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ? आप उन्हें बुलाइये और उनसे बात करिये।

महोदय मैं कुछ समय और लूंगा। यह एक बहुत प्रमुख मामला है।

सभापति महोदय : अपना भाषण 6 बजे म० प० तक समाप्त करने का प्रयास करिये।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : नहीं महोदय; मैं आज अपना भाषण समाप्त नहीं कर सकता। मुझे खेद है आपको मुझे थोड़ा समय और देना होगा।

मैं जल्दी करूंगा। असम आन्दोलन विदेशी नागरिकों की उपस्थिति के विरुद्ध चलाया गया था। हममें से कोई भी विदेशियों की उपस्थिति का समर्थन नहीं करता है। हममें से कोई भी निर्बाध आगमन की नीति का समर्थन नहीं करता है। हम सभी चाहते हैं कि विदेशी आते हैं तो इनको आने से रोक लगाने और रोकने के लिए उपाय किये जाने चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि सरकार ने अभी तक जो उपाय किये हैं अथवा भविष्य में करेगी या कर सकती है, उस कार्य में उसे सफलता मिले। इस मामले में दो राय नहीं हो सकती। जैसा कि श्री दास ने जोर दिया है हम सभी इस बात का समर्थन करते हैं कि कानून की उचित प्रक्रिया के अन्तर्गत विदेशियों का पता लगाया जाये। हम सभी चाहते हैं कि सही न्याय किया जाना चाहिए। दानों को भूसे से अलग किया जाये। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। परन्तु विदेशियों की कई श्रेणियां हैं। जहां तक एक श्रेणी का सम्बन्ध है सभा पटल पर बार-बार इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि चूंकि यह हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि जिन विदेशियों को हमने शरण दी है

उन्हें हम बाहर नहीं निकालेंगे। यह इस देश की प्रतिष्ठा का मामला है। और 1981 में मैं यह कहा था कि, जो शरणार्थी हमारे देश में शरण लेते हैं और जिनको हम शरण देते हैं, निकाला जाता है तो यदि इस देश में कोई भी इनके लिए आवाज नहीं उठाता है तो कम उनका समर्थन करूंगा और उनके लिए आवाज उठाऊंगा।

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : नहीं, उन सभी को तंग किया जा रहा है। आजकल इन सभी को सताया जा रहा है। दूसरा वर्ग तथाकथित बंगाली-भाषी मुसलमानों का है। मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि असम की जन सांख्यिकीय स्थिति के बारे में मैंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। 1950 तक आने-जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। यदि 1950 की जनगणना को देखा जाए तो असम से दो-तीन लाख लोग बाहर चले गये थे और फिर लियाकत-नेहरू समझौते के अन्तर्गत वे वापस आ गये थे परन्तु 1951 की जनगणना में उनकी गणना नहीं हुई। साथ ही 1951 और 1971 के बीच बंगलाभाषी मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि दर भी असम की समग्र जनसंख्या की वृद्धि दर से कम है।

श्री अताउर्रहमान : वे भी लक्ष्य नहीं हैं···

श्री सैयद शाहबुद्दीन : ठीक है; बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ लोगों को वर्गीकृत करना चाहता हूं। फिर, 1971 तक के सौभाग्यशाली विदेशी हैं? इनमें से कितने लोग हैं? इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि देश में एक भी विदेशी नहीं आया। ये सैंकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं; 1968-69 तक 3,00,000 व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया गया था न कि 1965 तक।

श्री विपिन पाल दास : 1965-66 में।

सभापति महोदय : श्री शाहबुद्दीन, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 मार्च, 1988/19 चैत्र, 1910 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53